राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या : 18

सोमवार;

24 मार्च, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रामलाल गुर्जर।

ट्रैक्टर से चेजा पत्थर एवं रेत लाने पर रायल्टी की वसूली

417. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राज्य में प्रति ट्रैक्टर पत्थर तथा रेत लाने की अलग-अलग रायल्टी व विक्रय कर की दर क्या है? सूची सदन की मेज पर रखें।

खनिज मंत्री (श्री हीरालाल इन्दौरा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1986 के शिड्यूल प्रथम के अनुसार पत्थर व रेत पर रायल्टी की दर निम्नानुसार हैं :-

(अ) पत्थर रुपये 5/-प्रति रुपये टन

(ब) रेत रुपये 6/-प्रति रुपये टन

नियमों में रायल्टी की दरें प्रति ट्रैक्टर निर्धारित नहीं हैं। ट्रैक्टर में जितना खनिज निर्गमित होता है उसकी मात्रा के अनुसार रायल्टी वसूल की जाती है। राज्य में पत्थर पर प्रति टन बिक्री कर की दर अधिसूचना क्रमांक प.4(1)एफ.डी./टैक्स/01-पार्ट-146 दिनांक 15.1.2003 जो परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है, के अनुसार है।

अगर कोई व्यक्ति प्रति टन की दर से वाणिज्यिक कर न देकर प्रति ट्रैक्टर कर जो मुक्ति शुल्क के रूप में लिया जाता है, देना चाहता है तो राज्य के विभिन्न जिलों में खनन होने वाले पत्थरों पर प्रति ट्रैक्टर मुक्ति शुल्क की देय राशि निम्न प्रकार है:

1. भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर एवं झुंझुनूं 70/- प्रति ट्रैक्टर।
2. अन्य जिलों में 50/- रुपये प्रति ट्रैक्टर।

राज्य में चम्बल, बनास, माही, खानी एवं खारका नादियों से निकलने वाली बजरी पर प्रति ट्रैक्टर रुपये 120/- मुक्ति शुल्क राशि देय है। इन नदियों के अलावा अन्य स्रोतों से निकलने वाली बजरी पर प्रति ट्रैक्टर रुपये 60/-मुक्ति शुल्क देय है।

(अधिसूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जो यह ट्रैक्टर के लिए लिख रखा है, यह प्रति ट्रैक्टर कोई डिसाइड नहीं कर रखा है। आपका खनिज विभाग लम्बे समय से काम कर रहा है फिर भी आपने निर्धारित ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है। ट्रैक्टर के लिए ऐसी कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है।-एक टन ले जाए और रायल्टी वाला उसकी आठ टन की रसीद काट दे, उसके पास कोई इलाज नहीं है। दो टन ले जाएं, छह टन की रसीद काट दे, कोई इलाज नहीं है। अमूमन यह होता है कि दो टन ले जा रहा है और पूरे आठ टन की रसीद काट देते हैं, कोई छह टन की काट देते हैं। अंधाधुंध यह लूट मचाई जा रही है।

इसके सिवाय भी आपने जो रायल्टी की रेटें की हैं, एक जगह, जैसे हमारे खारी वगैरह में 120/- रुपये रायल्टी रखी है जबकि दूसरी जगह 60 है, यह भी भिन्नता है। दूसरा, आपने सेल्स टैक्स अलग से लगा रखा है, सेल्स टैक्स का प्रति टन 18 रुपये फिर अलग है। उसमें भी दो रेटें कर रखी हैं, दूसरी जगह की 12 रुपये है। तो ऐसी भिन्नता क्यों, नम्बर एक? नम्बर दो, ट्रैक्टर की निर्धारित रेट क्यों नहीं?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात वाजिब है, लेकिन परमिट फीस के अलावा जो सिस्टम है फिलहाल, वह यह है कि पांच रुपये प्रति टन का वेट का सिस्टम होता है। ट्राली है उसको घन फुट में नाप लेते हैं, तौलने की व्यवस्था कहीं है नहीं। जितना टन माल बनता है, पच्चीस घन फुट में एक टन माल बनता है। एक टन का मतलब है कि चार टन की ट्राली है तो छह चौके चौबीस, और आठ रुपये उसकी परमिट फीस, इस प्रकार से बत्तीस रुपये उसके चार्जेबल होते हैं। जिस प्रकार से सेल्स टैक्स विभाग ने दोनों सिस्टम रखे हैं-टनों पर भी उनका हिसाब होता है और उन्होंने एकमुश्त मुक्ति शुल्क के रूप में एक नया नोटिफिकेशन किया है अभी जनवरी में, उसके मुताबिक हम भी चाहते हैं कि ट्रैक्टर ट्राली पर एक फिक्स रेट हो जाए। फिक्स रेट होने में दो बातें हैं-मान लीजिये एक टन माल है, ट्राली में ले जा रहे हैं और फिक्स हो गया ट्रैक्टर पर पचास रुपये, चालीस रुपये, तो उसको उसका घाटा होगा। हम दोनों उस पर विचार कर रहे हैं, यदि हितकर हुआ तो हम उसको करने की कोशिश करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मंत्रीजी ने अभी जो बताया है, रायल्टी वाले मामले में तो मैं इससे संतुष्ट

(श्री रामलाल गुर्जर)

नहीं हूं। क्योंकि ट्रैक्टर पर रायल्टी जो आपने बताई है साठ रुपये, सत्तर रुपये, ऐसा नहीं है। सवा सौ रुपये, डेढ़ सौ रुपये, मर्जी पड़े जो रेट लेते हैं। रेट में भी पर्ची पर रेट अलग लिख देते हैं और लेने में रेट अलग लेते हैं। क्या अब तक आपको कुछ ठेकेदारों के खिलाफ ऐसी शिकायतें मिली हैं? और उन पर आपने कोई कार्यवाही भी की है या यह ऐसे ही लूटमार का कार्य चल रहा है?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय सदस्य, हमें ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं। आपकी भी आसीन्द की शिकायत मिली थी। पंचायत समिति की साधारण सभा में जब मामला उठा तो उस मामले की हमने जांच करवाई, कराकर उसको चेतना पत्र दिया। चेतना पत्र के बाद में उसकी फिर से जांच हुई और फिर से जब वह ट्रैक्टर ट्राली नापी गई तो वह सही पाई गई। उसमें यह जरूर है कि साल भर तक उस व्यक्ति ने वहां काम किया, उसमें हमारे अधिकारियों की नेग्लीजेंसी रही है। डेढ़ साल के बाद में जब पंचायत समिति में यह मामला आया तो उसकी शिकायत सामने आई। उसके उपरान्त हमारे अधिकारियों ने उसकी जांच की। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि जो उस पर शास्ति आरोपित होनी चाहिए थी वह प्रापर नहीं हुई है। डेढ़ साल तक वह एम्बेजलमेंट करता रहा और लास्ट में पकड़ा गया, फिर उसने छह महीने के लिए अपने आप को सुधार कर लिया। तो उस मामले की मैं जांच करवा रहा हूं कि क्यों नहीं डेढ़ साल तक उसको पकड़ा गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, मैं...

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, ये रायल्टी वाले रायल्टी ही नहीं लेते हैं, उसके अलावा उनके जूते भी मारते हैं और कोई रसीद भी नहीं काटते हैं। वे मर्जी आये तो डेढ़ सौ रुपये ही ले लेते हैं, दो सौ ही ले लेते हैं और अकेला देख कर उसको लूटमार फिर करते हैं। पुलिस थाने वाले भी उनका ही साथ देते हैं। वे बेचारे रोते-धोते हमारे पास आते हैं कि हमारे साथ यह घटना हुई, मेरे कपड़े फाड़ दिये, मेरे यह कर दिया। सरासर भाटों की ट्राली भी नहीं लेने दे रहे हैं। डूंगर में भाटों की ट्राली लेते हैं उसके भी आड़े फिरते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अशोकजी का राज है, अशोकजी के राज में यही होता है।

श्री नाथूराम : यह कोई रायल्टी है न और है। मर्जी आये जहां, एक डूंगरी की और सारी डूंगरियों के ऊपर आड़े फिर रहे हैं, लूट-खसोट कर रहा है माइनिंग डिपार्टमेंट। हमारे किशनगढ़ तहसील में परबतसर के डूंगर की रायल्टी है लेकिन

(श्री नाथूराम)

सारे ही आड़े फिर जाते हैं वे लोग कि हमारा ठेका हो गया। इसका कोई सुधार कराया जाए, साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलालजी।

श्री नाथूराम : कोई नाप-तौल करवा दिया जाए कि इसका इतना रुपये होवे। एक ट्रंक वाले से सौ रुपये ले लें और एक से दो सौ रुपये ले लें और किसी से लेते नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री नाथूराम : सब तरह की बेईमानी कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी छह महीने यही चलेगा।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। श्री देवीलालजी।

श्री नाथूराम : यह पहले का चलाया हुआ है आपका, वही का वही है। वही ठेकेदार आपने भी बना रखे हैं और वही चल रहे हैं आज। वही के वही ठेकेदार हैं जो पहले इनके राज में थे। अध्यक्ष महोदय, कोई निदान करावें इसका।

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं...

श्री नाथूराम : वहां पर न तो बजरी लेने देते हैं, न भाटा लेने देते हैं। सब जगह डंडे लिये खड़े हैं, जो इनके ही आदमी हैं वह पहले के, पहले वाले राज के।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री देवीलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे घरू मकान बनाएं या कोई बेरो खोदे गरीब आदमी, और उसके लिए जो बजरी और पत्थर लावे तो बजरी का डेढ़ सौ रुपये लेते हैं। गरीब आदमी के यों तो छूट है पर जो आपके ठेकेदार हैं, ऐसे शक्तिशाली लोगों को आगे कर रखे हैं कि लूट-खसोट करते हैं, वाकई में सही बात है। लोगों के साथ मारपीट करते हैं और रसीद डेढ़ सौ रुपये की। हमारे छोटा गांव है, खारी के मायने से, मानसी से फूल्या के मायने से जो बजरी जा रहे हैं, तो उसके डेढ़-डेढ़ सौ रुपये लेते हैं। कूड़ा के ऊपर कोई कूड़ो धसग्यो और बना रहा है तो उसके भी डेढ़ सौ रुपये। कोई खेत पर मकान बना रहा है, उसके भी डेढ़ सौ रुपये। इस बजरी के अन्दर, मंत्री महोदय, यह तो बड़ी लूट हो रही है। आप पूरी सख्ती से इसकी कार्यवाही करें, इन ठेकेदारों की जांच कराएं। कलक्टर साहब को और पंचायत समिति में सब जगह आपके आदेश पहुंचाएं और उन आदेशों के अनुसार गरीबों के जो बजरी और पत्थर लाते हैं उसके ऊपर जो माफ है तो उसको माफ करवाया जाए। मैं आपको धन्यवाद देऊं, नमस्कार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यों ही चलेगा बाबा अब तो।

श्री अध्यक्ष : श्री जसवन्त सिंह गुर्जर।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अभी अपने जवाब में कहा है कि नेग्लीजेंसी अधिकारियों की पायी गयी। नेग्लीजेंसी पायी गयी तो उन्होंने क्या कार्यवाही की? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि 5 मार्च तक गजानंद एण्ड कम्पनी का रायल्टी कलेक्शन का ठेका धौलपुर में था, उसके बाद में वर्तमान में सरकार चला रही है, आज भी गजानंद एण्ड कम्पनी बाकायदा नाके लगा कर बाड़ी और बसेड़ी में रायल्टी कलेक्शन कर रही है। क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस अवैध कार्य को आप कब तक रोक देंगे? या आपके आदेश से ही यह हो रहा है, आपकी मिलीभगत से हो रहा है? वर्तमान में वो ठेकेदार नहीं है उसके बावजूद भी बाकायदा उन्हीं रसीदों के साथ बसेड़ी और बाड़ी नाके पर वो 20-20, 30-30, 50-50 हजार का डेली कलेक्शन कर रहे हैं। इतनी बड़ी रकम से मुझे लग नहीं रहा है कि केवल ठेकेदार इस कार्य को कर सकते हैं। एक तो आपने अपने जवाब में यह कहा...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : कि नेग्लीजेंसी अधिकारियों की पायी गयी तो क्या कार्यवाही करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : जसवन्त सिंहजी, बैठिये आप। पूछ लिया आपने प्रश्न।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये कि गांवों में डोमेस्टिक उपयोग के लिए बजरी या चेजा पत्थर का उपयोग फ्री होना चाहिए। अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के रूल 58 में यह साफ प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति अपने खेत की बाड़ बनाएं, कुआं बनाएं, घर का मकान बनाएं, यानी कि डोमेस्टिक और कृषि के क्षेत्र में कोई भी बजरी का उपयोग करे या चेजा पत्थर का उपयोग करे, उसकी परमिट फीस और रायल्टी फ्री है। मैं माननीय सदस्य... (व्यवधान) एक मिनट, आप ठहरिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ...(व्यवधान)...हो क्या रहा है, वो बताएं न।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं माननीय सदस्यों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वो विधान सभा में सचेत हैं इसी प्रकार से वो इस प्रचार-प्रसार को अपने क्षेत्रों में करें, किसानों तक पहुंचाएं तो मैं समझता हूं कि यह एम्बेजलमेंट रुक जाएगा।

श्री अमराराम (धोद) : किसान के तो मार रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वो तो मार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये तमाम जगह जो आपने ठेका दिया है...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा खनिज मंत्रीजी ने कहा है, हम बड़ा प्रचार-प्रसार भी करते हैं, सबको मालूम भी है लेकिन आपके ठेकेदार ने इतनी जबरदस्त गुंडागर्दी मचा रखी है कि वो काश्तकारों के साथ लूट-खसोट करके वसूली कर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : आपके ठेकेदार...(व्यवधान)...पैसा वसूल करना चाहते हैं वो तो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं मानता हूं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके आदेश से...

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंहजी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : यदि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में सचेत रहते हैं तो ठेकेदार की हिम्मत नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके आदेश से माननीय मंत्रीजी से पूछा कि अवैध वसूली हो रही है, इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूछ लिया आपने। आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप सीधा जवाब दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं, भंवरलालजी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात उठायी धौलपुर की, उन्होंने जिस प्रकार से चार्ज लगाया, यह तथ्यहीन है। मैं गजानंद एण्ड पार्टी को आज तक जानता भी नहीं हूं और न मैं उसकी जानकारी रखना भी चाहता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कलेक्शन कैसे हो रहा है?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर :...(व्यवधान) आज कलेक्शन हो रहा है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप सुनिये। बात सुनिये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : ठेकेदार 4-5 मार्च तक था और आपका लाइसेंसी था, आपको पता नहीं है?

श्री हीरालाल इन्दौरा : आज की तारीख में गजानन्द पार्टी का ड्यू था, उन्होंने ड्यूज जमा नहीं कराया। वो कोर्ट में गये, कोर्ट ने भी कहा चेतावनी पत्र देकर कि आप इनसे ड्यूज जमा कराएं। उन्होंने ड्यूज जमा नहीं कराया। हमने उस क्षेत्र का कब्जा ले लिया और दुबारा उसका ठेका जो नीलामी कर दी थी, अब हमारा विभाग ही चला रहा है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपका ड्यू एक साल पहले से था। उसके बाद में एक साल तक लगातार सिक्योरिटी उसकी जमा थी और उसको लगातार एक साल तक आपने चलने दिया, इसके क्या कारण हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री जसवन्त सिंह गुर्जर, नहीं, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। श्री संयम लोढ़ा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्टी उच्च न्यायालय में गयी हुई थी और स्टे था और स्टे टूटने के बाद में हमने कब्जा लिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग में बजरी की जो भी निविदा खुलती है ठेके की, उसमें जो सबसे ऊंची बोली लगाता है उसी को ठेका दिया जाना चाहिए। लेकिन जब कभी आपके अधिकारियों की फिक्सिंग के अनुरूप निविदा नहीं आती, और किसी दूसरे व्यक्ति की ऊंची निविदा आ जाती है, तब आप उसका ठेका नहीं खोलते। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं, शिवगंज तहसील में बजरी के ठेके में जिसकी सबसे ऊंची बोली आयी है उसका अभी तक आपने ठेका करार नहीं किया।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : यह तो कोटा में भी हुआ है। कोटा में आप लोगों ने ऐसा ही किया है। कोटा में भी ऐसी ही हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोलो, दुबारा बोलो।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हां, इसका भी जवाब आ जाएगा माननीय सदस्या का। माननीय सदस्य का जवाब भी आ जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह फिक्सिंग क्या चीज है, यह तो बताएं?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बोली के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि जब से डिपार्टमेंट ने ठेके देने शुरू किये हैं, पहले विभाग उसका कलेक्शन करता था। अब मान लीजिये पर्टीकुलर स्थान पर विभाग का कलेक्शन 10 लाख है तो हम उसको 10 लाख की एक रिजर्व वैल्यू मान लेते हैं। फर्स्ट कांट्रेक्ट यदि होता है और फिर 10 लाख से नीचे होता है तो फिर हम उसको ग्रांट नहीं करते, चाहे बोलीदाता हाइएस्ट लेवल पर क्यों नहीं हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ये कह रहे हैं आप हाइएस्ट को नहीं करते।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हां, वो ही बोल रहा हूं न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ये यह कह रहे हैं कि आप हाइएस्ट को नहीं करते।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हां, हाइएस्ट को नहीं करेंगे न। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शिवगंज में तो 10 से बहुत ऊपर था।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मान लीजिये, एक पर्टीकुलर स्थान पर हमारे डिपार्टमेंट का कलेक्शन चल रहा है...

श्री सांवर लाल (भिनाय) : ठीक है, समझ गये आपकी बात। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वो समझ गये। भाषण मत दो आप, उन्हीं का बताओ। आप उन मैम्बर का बता दो।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हां, उन्हीं का जवाब दे रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा : आपने पिछले साल जो ठेका दिया था उसके आसपास ही अबके भी...

श्री हीरालाल इन्दौरा : उससे कम होगा।

श्री संयम लोढ़ा : नहीं, दो–पांच हजार में क्या फर्क पड़ता है? दो–पांच हजार कम ज्यादा हों, उसमें क्या फर्क पड़ता है? पांच लाख तक की सैंक्शन की, आपके एस.ई. को पावर है। वो बिलो फाइव लाख में पिछली बार भी टेण्डर हुआ और इस बार भी बिलो फाइव लाख का ही आया, 3 लाख 41 हजार बोली आयी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : इस मामले को मैं देख लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ठेकेदार को जो ठेका दिया और दुबारा जो ठेकेदार आएगा यदि उससे वो कम है तो चाहे वो कितने ही ऊंचे पर हो, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम...

श्री सांवर लाल : नहीं, आप देंगे कैसे? पहले वाले ने तो कमाया ही नहीं, टेण्डर खोला ही नहीं?

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : पर आपके अधिकारी तो खोलते ही नहीं हैं टैण्डर, उनका क्या?

श्री संयम लोढ़ा : सबसे ऊंची बोली है लेकिन आपके डिपार्टमेंट की नीयत नहीं है उसको देने की।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आपके डिपार्टमेंट की तो नीयत ही साफ नहीं है, वो तो खोलते ही नहीं हैं टेण्डर। जो कोटा का रायल्टी का ठेका है...

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं शिवगंज के मामले में और कोटा के मामले में जांच करवा लूंगा। यदि पहले कांट्रेक्टर था और उसकी दूसरी बिड जो हुई उन बिडों में कोई हाइएस्ट पर थी और वो पहले ठेकेदार से कम थी, तो वो बोली रिजैक्ट होगी और दुबारा होगी।

श्री संयम लोढ़ा : पहले ठेकेदार से ज्यादा आयी है बोली उसकी।

श्री अमराराम (धोद) : ऐसा जिसने किया उसका क्या होगा?

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : पहले से ज्यादा है और वो खोल ही नहीं रहे हैं। आप इस पर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत।

श्री हीरालाल इन्दौरा : पहले के ठेकेदार से ज्यादा है तो मामले को मैं चैक करवा लूंगा और क्यों नहीं हुआ उसको देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि कोटा का जो रायल्टी का ठेका था वो भी इसी तरह से इन लोगों ने किया और उससे करीबन तीन करोड़ रुपये इस अकाल के समय में गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालालजी।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह कह रहे हैं उसको मैं दिखा लूंगा। मगर ये दिखाएंगे तब तक तो वो गरीबों को लूटता रहेगा, इसलिए मैं तो माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि आपकी तरफ से विज्ञप्ति निकलनी चाहिए। विज्ञप्ति निकलनी चाहिए ताकि लूट-खसोट बंद हो।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आप आज ही आ जाइये, मैं आज ही चैक कर लूंगा। आज ही मैं चैक कर लूंगा, आज आ जाइये।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : कोटा वाला कब दिखवाएंगे आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, वैसे तो आपके खुद के सदस्यों ने आपकी पोल खोल दी सामने, आपने प्रश्न के भाग व में यह कहा है कि नियमों में रायल्टी की दरें प्रति ट्रैक्टर निर्धारित नहीं हैं, इसका मतलब नियमों में कहीं ट्रैक्टर के हिसाब से आप निर्धारण नहीं कर सकते। फिर आपने आगे कह दिया खुद ही कि पत्थर वालों पर प्रति ट्रैक्टर मुक्ति शुल्क देय है। यह विरोधभास क्यों, नम्बर-1 बात? नम्बर-2 बात, आपने भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, झालवाड़, बारां, दौसा, सवाईमाधोपुर, सीकर में 70 रुपये ट्रैक्टर रखा है और अन्य जिलों में 50 रुपये, यह विसंगति क्यों? एक ही तरह का पत्थर और एक ही तरह की बजरी इसमें दो अलग-अलग तरह की दरें क्यों हैं? जब आपके नियमों में ट्रैक्टर के हिसाब से रायल्टी देय नहीं है तो फिर आप किस आधार पर रायल्टी ले रहे हैं ट्रैक्टर के हिसाब से?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुक्ति शुल्क सेल्स टैक्स विभाग की तरफ से किया गया, हमारी तरफ से नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रायल्टी कैसे ले रहे हो?

श्री हीरालाल इन्दौरा : और यह बजरी का भी मापदण्ड सेल्स टैक्स विभाग का है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर आप रायल्टी कैसे ले रहे हो? आपने कहा कि नियमों में नहीं है और खुद ही दूसरे उत्तर में दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : राज्य में पत्थर पर प्रति टन प्रति ट्रैक्टर बिक्री कर की दर मुक्ति शुल्क की राशि संलग्न अधिसूचना क्रमांक प.4/1...तारीख 15.1.2003...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इतना, मंत्रीजी, हमने पढ़ रखा है। मंत्री महोदय, आप एक्सप्रेस रेल मत बनो। आप तो यह बता दो, आपने खुद ने कहा कि रायल्टी की दर का निर्धारण ट्रैक्टर के हिसाब से नहीं हो सकता, फिर आपने खुद ही कैसे कह दिया कि ट्रैक्टर के हिसाब से ले रहे हैं आप? सेल्स टैक्स का इससे मतलब ही नहीं है, या तो आप स्पष्ट कह दें।

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैंने ट्रैक्टर के हिसाब से कहा नहीं है। आप, माननीय सदस्य, समझिये आप समझिये पहले। थोड़ा ध्यान दीजिये।

श्री सांवर लाल : आप ऐसा नहीं कहते तो हम समझ लेते।

श्री हीरालाल इन्दौरा : ट्रैक्टर के हिसाब से सेल्स टैक्स विभाग वाले ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूं। खनिज विभाग तो टन के हिसाब से ले रहा है। सेल्स टैक्स ले रहा है जिसकी अधिसूचना मैंने आपको पढ़ कर सुना दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, सेल्स टैक्स का मसला ही नहीं है। आप तो यह बता दो कि आप टन के हिसाब से ले सकते हैं, ट्रैक्टर के हिसाब से नहीं ले सकते क्या? (व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हम तो एम.एम.सी.आर. एक्ट के रूल के मुताबिक जो हमने रायल्टी वजन पर कर रखी है उस हिसाब से लेते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर ये दो अलग-अलग दरें क्यों हैं? दो अलग-अलग दरें एक ही पत्थर की क्यों हैं?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने अभी बताया कि 1986 के आधार पर कृषि कार्यों में और घरेलू मकान बनाने में बजरी और पत्थर पर छूट है, तो इसका प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? आपके ठेकेदार किसान से कृषि कार्य और घरेलू कार्य के लिए रायल्टी नहीं लें, इसके लिए कौन प्रमाण पत्र जारी करता है? या केवल ठेकेदार उस किसान के कहने से मान जाता है?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मामला सरकार की रिकवरी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल नहीं, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। श्री दुर्गाप्रसाद। बैठिये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अभी माननीय मंत्रीजी ने यह कहा है कि एक करोड़ की रिकवरी गजानन्द एण्ड कम्पनी पर है, उसने दुबारा फिर टेण्डर दिया है। क्या उसकी सिक्योरिटी को आप जब्त करेंगे?

श्री अध्यक्ष : आप सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं, अंकित नहीं हो। यह क्या है? आप एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, आप सातों पर खड़े हो गये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : XXX

श्री अध्यक्ष : नहीं, बैठिए, नहीं पूछ सकते।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : XXX

श्री हीरालाल इन्दौरा : कार्यवाही चल रही है, दुबारा भी हम नहीं दे रहे हैं। वह भी खण्डित कर रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : XXX

श्री हीरालाल इन्दौरा : दुबारा 1 करोड़ 31 लाख की आई है उसको भी हम खण्डित कर रहे हैं। पहले वह 2 करोड़ 3 लाख की थी इसलिए हम उसको वाजिब मानते हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप उसकी सिक्योरिटी जब्त करेंगे या नहीं करेंगे? जो डिफाल्टर है उसकी सिक्योरिटी जब्त करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री हीरालाल इन्दौरा : नियमानुसार कार्यवाही हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : आप दस दफा खड़े हो गये।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह तो उत्तर दिलवाइए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि गांवों में मकान बनाने के लिये, कृषि कार्यों के लिये रायल्टी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गाप्रसादजी।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में सही है, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि इन ठेकेदारों ने लूट मचा रखी है, किसान अगर अपनी खेती के लिये लाता है, मकान के लिये लाता है तो ये रायल्टी वसूल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिए। श्री दुर्गाप्रसादजी। आपको बाद में, बाबूलालजी।

श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने यह कहा है कि एम.एम.सी.आर., 1960 के अन्तर्गत किसान अपने खेत की बाउण्डरी, कुएं, अपने मकान के लिये फ्री पत्थर और बजरी ले जा सकता है। जब आपने चारों तरफ ठेके दे रखे हैं, चेजा पत्थर के ठेके दे रखे हैं और बजरी के ठेके दे रखे हैं, क्या ऐसी हालत में किसान ठेकेदार के क्षेत्र में घुसकर बजरी ले जा सकता है, पत्थर ले जा सकता है? यह और स्पष्ट कीजिए आप।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया कि जब ठेकेदार से कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसमें साफ लिखा जाता है कि एम.एम.सी.आर. के एक्ट 58 में जो छूट दी गई है उसका खयाल रखेंगे। यदि वह खयाल नहीं रखते हैं, शिकायतें आती है...

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो यह बताइए उसका प्रोसीजर क्या है? किसान को कौन सर्टिफिकेट जारी करता है?

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं...

"Such excavations and removal of mineral shall be on the basis of permits issued by the panchayat or patwari of the village. Where...the permit shall contain the details of the total quantity of minerals of this excavation and removal..."

श्री अध्यक्ष : दुर्गाप्रसादजी, बैठिए।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, वह पंचायत का नहीं मान रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वह पंचायत लिख कर देती है उसको किसी भी सूरत में कोई भी ठेकेदार...

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी, आप पूछ चुके हैं, बार-बार नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जो पंचायत सर्टिफिकेट देती है, नीमकाथाना में और सीकर में इसके लिये झगड़े होते हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, सदन के चारों तरफ से एक आवाज आ रही है कि ठेकेदारों के द्वारा लूट-खसोट हो रही है। मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं। (व्यवधान) आप कोई कारगर कदम उठाकर इस ठेकेदारों की लूट-खसोट को बंद करने की कार्यवाही कीजिए, यह सदन को आश्वासन दीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : हीरासिंहजी, अध्यक्ष महोदय ने मुझे एक मिनट का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा हुई कि आपने इस बारे में मेरे को अपने विचार रखने का समय दिया इसके लिये तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो बजरी वगैरह काश्तकार ले जाता है अपने कुएं बंधाने के लिये, फार्म हाउस पर मकान बनाने के लिये, मैं पहले मंत्रीजी से मिला भी था, मंत्रीजी ने लिख कर दिया था खनिज विभाग जालौर को उन्होंने कहा था कि जो प्रमाण पत्र सरपंच दे देगा उनकी रायल्टी नहीं लेंगे, परन्तु सरपंच का प्रमाण पत्र देने के बावजूद भी बराबर रायल्टी ले रहे हैं और किसान लुटे जा रहे हैं। इसमें कोई ऐसा निर्देश दिलवाओ ताकि किसानों को राहत मिले। बजरी और मैटल फालतू का पड़ा हुआ है, वह भी ले जाते हैं तो ठेकेदार एरिये के बाहर जाकर रायल्टी लेते हैं। इनका इंतजाम कराओ।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहती हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पटवारी और सरपंच के परमिट देने के बाद भी कहीं गड़बड़ी होती है...(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : हम लोग कह रहे हैं, ताईद कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : पूरा सदन कह रहा है इस बात को। (व्यवधान) किसानों से लूट हो रही है पर मंत्रीजी गम्भीर नहीं हैं।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहती हूं...

श्री केसाराम चौधरी : किसानों के लिये यह छूट दी गई है तो इस पर रोक क्यों नहीं लगा देते आप?

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : आपके अधिकारी इस टेण्डर को खोलने के लिये फर्जी नामों से एप्लीकेशन लगा देते हैं, कोर्ट से स्टे ले आते हैं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी :...(व्यवधान) इसके लिये आदेश क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरा सदन इस बात को कह रहा है कि किसानों के साथ लूट-खसोट हो रही है।

श्री हेमन्त कुमार : अध्यक्ष महोदय, पटवारी और सरपंच लिख कर देता है, विभाग वालों के पास जाते हैं वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई नहीं सुनता है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामले जिन भी माननीय सदस्यों के पास आये हैं, क्या उन्होंने पहले माइनिंग विभाग के नोटिस में दिया, पहली बात तो यह है। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : मंत्री महोदय, मैं लिखवाकर लेकर गया हूं और आपके लिखने के बावजूद भी आपके आदेश की पालना नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय सदस्य, आपने अगर दिया है तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा, उस पर कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री रतनाराम चौधरी : आपके आदेश के बावजूद...(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैं आज भी यही कहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने माइनिंग विभाग को अवगत करा दिया है, सरपंच और पटवारी का परमिट मिलने के बाद भी ठेकेदार ने मनमानी की है तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा और उस अधिकारी को सस्पैंड कर दूंगा।

श्री रतनाराम चौधरी :...(व्यवधान) फिर भी आपके आदेश की पालना नहीं हुई। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात पूछना चाहती हूं।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन इस बात को कह रहा है कि किसानों के लिये छूट है पर किसानों से जबरदस्ती वसूली की जा रही है, तो इस पर रोक लगाने के लिये आप क्या कर रहे हैं? पूरा सदन इस बात को कह रहा है कि किसानों से जबरदस्ती लूट-खसोट हो रही है। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत :...(व्यवधान) फर्जी नाम से स्टे लेकर आये हैं, राज्य सरकार ने अभी तक उसमें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए, बैठिए।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जो भावना है कि आप इसमें क्या कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल। भंवरलालजी, नहीं, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। प्रोफेसर सांवर लाल।

श्री हेमन्त कुमार : अध्यक्ष महोदय, अखबार में विभाग द्वारा विज्ञप्ति दे दो कि किसानों को छूट है।

श्री सांवर लाल : आप बिराजिए, मेरे को इजाजत दी है, मंत्रीजी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, सारे माननीय सदस्यों की भावनाओं से मैं सहमत हूं। मैं 20 तारीख को नये रूल बनाने के लिये...

श्री अध्यक्ष : आप पहले सप्लीमेंट्री पूछने दीजिए।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक बात पूछना चाहती हूं कि क्या आपके विभाग के कर्मचारी फर्जी नाम से स्टे लेकर आ जाते हैं इस तरह के ठेके में? आप तो, मंत्रीजी, बस इतना बता दीजिए कि आपके आफिस के कर्मचारी इन ठेकेदारों से मिलकर फर्जी नाम से स्टे लेकर आ जाते हैं?

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय सदस्या, आपने पहले कभी शिकायत की है क्या?

श्री हीरालाल सहरिया : वह किसानों को लूटते रहेंगे। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि अखबार में आज ही विज्ञप्ति निकलवाइए कि किसानों के...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना): मैं मंत्रीजी से यही बात जानना चाहता हूं कि आपने तहसीलवाइज ठेके दे दिये माफिया ग्रुप को, वह उस किसान के खेत में भी बजरी लाने नहीं देना चाहता।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय ने पहले मेरा नाम पुकारा है। (व्यवधान) मंत्रीजी यह बताएं कि ग्राम पंचायत जो भी निर्माण

(श्री सांवर लाल)

करती है उनसे रायल्टी वसूल किये जाने के आदेश हैं या नहीं हैं? दूसरा, गांवों में किसानों से पैसा तो लेते ही हैं, उसके साथ उनकी बेइज्जती भी करते हैं। आप इस सम्बन्ध में क्या कारगर कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री हीरालाल इन्दौरा : मैंने पहले ही कह दिया कि गांवों में ग्राम पंचायत...

श्री अध्यक्ष : ठहरिए, मंत्रीजी। मोहनलाल मोदी। आप साथ ही जवाब दे देना।

श्री मोहन लाल मोदी : मंत्री महोदय, आपने बजरी और चेजा पत्थर से तहसील वाइज ठेके दे रखे हैं। पर यह तहसीलवाइज ठेके माफिया ग्रुप लेता है, वह उसके खेत में भी बजरी और पत्थर होता है उसको नहीं निकालने देता। मकान बनाने के बाद उसके यहां जाकर डण्डों से पैसे वसूल करते हैं। इसकी व्यवस्था कीजिए आप। (व्यवधान) दूसरी बात मैं और अर्ज कर रहा हूं कि जब आपके पैसे किसी ठेकेदार में बाकी हैं, अगर उसने टेण्डर में कोई रुपया जमा कराया है, अभी एक बात आई है गजानन्द एण्ड कम्पनी की, वह रायल्टी आपको अपने बकाया में जब्त करनी चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नैक्स्ट प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न पूछ लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, मोहम्मद माहिर आजाद। नैक्स्ट प्रश्न। (व्यवधान) एक प्रश्न में आधा घंटा हो गया। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप उन ठेकेदारों से कैश सिक्योरिटी क्यों नहीं लेते?

श्री अरुण सिंह (डीग) : भ्रष्टाचार के कितने ही तगड़े आरोप लगे हैं।

श्री सांवर लाल : आप कानून में बदलाव कीजिए, आबकारी ठेकों की तरह आप उनसे कुछ...(व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : भ्रष्टाचार के कितने तगड़े आरोप लगे हैं। कामां क्षेत्र में भी यही हो रहा है, माननीय तैयब हुसैनजी के इलाके में यह हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : अरुण सिंहजी, बैठो। मोहम्मद माहिर आजाद।

वक्फ बोर्ड की जायदादों के रख-रखाव हेतु अनुदान

418. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों का कई माह का वेतन बकाया है? यदि हां, तो कितना व कब से और क्यों? अब बकाया वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

(2) वक्फ बोर्ड की गत चार वर्षों की आय एवं व्यय कितनी कितनी रही हैं?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(3) क्या सरकार संयुक्त संसदीय समिति के साथ बनी सहमति व अन्य प्रान्तों दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल की भांति राज्य की औकाफ जायदादों की सुरक्षा व रख-रखाव हेतु अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक? और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, वक्फ (श्री हबीबुर्रहमान): (1) जी हां। बोर्ड के कर्मचारियों के शेष वेतन आदि का विवरण परिशिष्ट ''क'' पर उपलब्ध है। वक्फ बोर्ड की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वेतन शेष है, जैसे-जैसे राशि उपलब्ध होगी वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा।

(2) वक्फ बोर्ड का गत चार वर्षों का आय एवं व्यय इस प्रकार रहा है :-

वर्ष	आय	व्यय
1998-99	3150660.19	4881603.47
1999-2000	3517658.61	3886609.20
2000-2001	496148.90	5153027.70
2001-2002	6155285.30	5298017.25

आय-व्यय का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''ख'' पर है।

(3) माननीय वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण 2003-2004 में आगामी वर्ष में मदरसों की शिक्षा के आधुनीकरण व कम्प्यूटर शिक्षा देने तथा वक्फ सम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु 50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बताया कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण कर्मचारियों का अक्टूबर माह से अब तक का वेतन बकाया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड में कुल कितने कर्मचारी हैं, उनमें से इन 25 का ही वेतन बकाया क्यों है? मतलब अंधा बांटे रेवड़ी और फिर-फिर अपनों को दे। या तो सबका वेतन बराबर से बकाया होना चाहिए था दो महीने का, तीन महीने का। जिसको आपकी इच्छा हुई उसको तो दे रहे हो और आपकी इच्छा नहीं हुई उसका बाकी है। कुल कितने कर्मचारी हैं और 25 के ही क्यों बकाया हैं, पहला?

एक तरफ यह कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हैं इसलिए वेतन बकाया है लेकिन फिर क्या आपने वक्फ बोर्ड के लिए पांच लाख रुपये की नई कार नहीं खरीदी? जब वक्फ बोर्ड की आर्थिक स्थिति नहीं थी तो यह कार क्यों खरीदी?

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आपने जो आय-व्यय का हिसाब दिया है, इस करंट ईयर में भी आपकी कुल कितनी आय हुई, चाहे आप 15 मार्च

(मोहम्मद माहिर आजाद)

तक बता दें, चाहे 28 फरवरी तक बता दें? और उसके पेटे कितना व्यय हुआ, यह बताइये?

अभी आपने बजट भाषण का हवाला देते हुए यह कहा कि 50 लाख रुपये की बजट भाषण के अन्दर घोषणा की है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आप इसको स्पेसिफिक बताइये कि इसमें वक्फ बोर्ड का अनुदान तो कितना है और मदरसा बोर्ड का कितना है, क्योंकि उसमें दोनों शब्द यूज किये गये हैं? दूसरे राज्यों का जब भी अकाल की सहायता या खाद्यान्न उठाने का मामला यहां रखते हैं तो आप दूसरे राज्यों के आंकड़े देते हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड को दूसरे राज्यों में कुल कितना अनुदान मिल रहा है और उसके अनुपात में राजस्थान की क्या स्थिति है? क्या यह सही है...(व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : यह तो, माननीय सदस्य, मैंने आपको लिख कर दे दिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप थोड़े ही रोकेंगे, आसन का काम है। मैं तो सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं, पूछ सकता हूं।

वक्फ सम्पत्तियों के रख-रखाव की बात आप कह रहे हैं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि वक्फ सम्पत्तियों का बेचान और वक्फ सम्पत्तियों पर जो कब्जे हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए आपने कितने मुकदमे दर्ज कराये, कितने उपाय किये और आगे क्या ठोस कार्यवाही करने जा रहे हैं? संयुक्त संसदीय समिति की बैठक हुई उसकी कार्यवाही क्या हुई? उसकी रिपोर्ट भी आप सदन में रखें।

श्री हबीबुर्रहमान : अध्यक्ष महोदय, यह जो कर्मचारियों का मामला है यह पिछले बोर्ड से ही चला आ रहा है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, नया बोर्ड बना, उन्होंने जब कार्यकाल सम्भाला तो पिछली सरकार के समय से ही, पिछले बोर्ड के समय से ही चार महीने का वेतन बकाया चल रहा था। दूसरा, इन्होंने कहा कि कर्मचारियों को किसी को दे रहे हो, किसी को नहीं, सभी को समयानुसार ज्यों-ज्यों पैसा आता है उनको दिया जाता है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कुल कितने कर्मचारी हैं, कितनों का वेतन बकाया है, यह बताइये न? (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : 25 आदमियों का बकाया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कुल कितने कर्मचारी हैं?

श्री हबीबुर्रहमान : इतने ही होंगे और कितने हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कितने ही होंगे, यह क्या सवाल हुआ? कोई 25 ही कर्मचारी हैं क्या वक्फ बोर्ड में? (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : और क्या? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्पेसिफिक यह पूछ रहा हूं कि वक्फ बोर्ड में कुल कितने कर्मचारी हैं और कितनों का वेतन बकाया है, यह बताइये आप। इतने ही होंगे, यह... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं बता दूं कितने हैं। 103 कर्मचारी हैं। वक्फ बोर्ड में 103 कर्मचारी हैं। (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : इन्होंने जो लिस्ट मांगी है...(व्यवधान) 103 नहीं है, भाई। इन्होंने जो कार की...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। (व्यवधान) जो उन्होंने पूछा है उसका उत्तर दीजिए एक बार।

श्री हबीबुर्रहमान : यह पिछला बोर्ड था, अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान से ही जगह-जगह से, मैं आपको लिस्ट बताना चाहूंगा कि जो वक्फ़ बोर्ड कमेटियां थीं...(व्यवधान) उनसे उन्होंने उधार लेकर हम पर बोझ डाल दिया। (व्यवधान) पिछले बोर्ड ने 46 लाख रुपये पूरे राजस्थान से इकट्ठे किये।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह मैंने पूछा ही नहीं। (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : आपने नहीं पूछा, मैं आर्थिक स्थिति की हालत बता रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने जो पहले पूछा उसको तो बताइये। (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : मैं वही तो बता रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप पहले मेरा उत्तर दीजिए न। (व्यवधान) आप पहले मेरा उत्तर दीजिए। यह बात सही है कि पिछला कैरी फारवर्ड हो जाता है बैलेंस...(व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : वही बता रहा हूं। (व्यवधान) बोर्ड की हालत क्यों खराब थी उसके बारे में तो बताना ही पड़ेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले आप यह तो बताइये कि वक्फ बोर्ड में कितने कर्मचारी हैं? (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : पिछले बोर्ड के कर्मचारी...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो कह रहे हैं 25 कर्मचारी होंगे, अध्यक्ष महोदय, मेरा तो स्पेसिफिक सवाल यह था...(व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : मैं तो हालत की बात रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा सवाल यह था, वक्फ बोर्ड में कुल कितने कर्मचारी हैं और वेतन बकाया इतनों का क्यों है, बाकियों को पूरा क्यों दिया, पहली बात? दूसरी बात, जब आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप वेतन नहीं दे पा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

रहे हैं तो फिर आपने नई कार क्यों खरीदी, यह बताइये? तीसरा, अनुदान की जो घोषणा बजट में की है इसमें वक्फ बोर्ड का कितना है और मदरसा बोर्ड का कितना है? मेरा सवाल बताइये आप। (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : आप अनुदान की बात कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हबीबुर्रहमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार राजस्थान में वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड को बजट में 50 लाख रुपये दिये हैं। 50 साल बीतने के बाद कितनी सरकारें आयीं लेकिन आज तक वक्फ बोर्ड का बजट में प्रावधान नहीं किया गया, यह पहली बार किया गया है। माननीय सदस्य ने जो पूछा है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप 1995 की सूची उठाकर देख लीजिए। (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : माननीय सदस्य ने जो पूछा है इसमें हम प्रावधान कर रहे हैं क्योंकि मदरसों में हम लोगों ने जो पैराटीचर्स लगाये हैं वे शिक्षा बोर्ड के माध्यम से ही लगाये हैं। उनकी जो देय अनुदान राशि है वह भी शिक्षा बोर्ड दे रहा है। इसमें 50 लाख रुपये की राशि तय की गई है, इसको हम बराबर मदरसा बोर्ड को भी देंगे और वक्फ बोर्ड को भी देंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कितनी, यह बताइये न आप? (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : 50 लाख रुपये दिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : 50 लाख में वक्फ बोर्ड का कितना है और मदरसा बोर्ड का कितना है? (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : हम लोग तय कर लेंगे, अभी हमने दिया है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कब तय कर लेंगे? अध्यक्ष महोदय, कब तय कर लेंगे? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको बता देंगे, बाद में बता देंगे, घर आकर बता देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री रमजान खान (पुष्कर) **:** अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं...(व्यवधान) इसका जवाब दे दीजिए कि पिछले चार साल में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, पहले उनका उत्तर आने दीजिए।

श्री रमजान खान : जवाब आ जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको टाइम दूंगा, पहले वह...(व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : माननीय सदस्य ने पूछा कि कितने कर्मचारी हैं, 38 कर्मचारी हैं उनमें से...(व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : राजेन्द्रजी असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : 25 का वेतन बाकी है। वेतन क्यों बाकी है? पिछले बोर्ड ने पूरे राजस्थान में 48 लाख रुपये अपने ऊपर कर्जे के कर रखे थे, उसके भी हमने 20 लाख रुपये चुकाये हैं। माननीय रमजान खानजी बार-बार खड़े हो रहे हैं इन्होंने ही वक्फ बोर्ड की हालत खराब कर रखी है। जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया था उसने +++ (व्यवधान) +++ और कार खरीदने की बात है...(व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, रमजान खानजी... (व्यवधान) +++ (व्यवधान) आपको पता हो तो कम से कम +++ और गांववाइज कहो तो गांववाइज बता दूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय देवीलालजी।

श्री देवीलाल बैरवा : फुल्या में कितने दिए, कोडिया में कितने दिए। पांच लाख फुल्या में, पांच लाख कोडिया में, तीन-साढ़े तीन लाख रूपरा में, शाहपुरा में... और कोटरी 5 लाख, और नन्दलाई में 5 लाख +++ और मेरे खिलाफ दिया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रमजान खान।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक सवालात किये हैं...(व्यवधान)

श्री रमजान खान : एक मिनट, एक मिनट।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे सवाल का जवाब तो आ जाए। नहीं दिया अभी।

श्री रमजान खान : मैं इनको वापस तो जवाब दूं, एक मिनट बैठिये।

अध्यक्ष महोदय, जो अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने ये बातें कही हैं, यह बिलकुल सही हैं। हमने विकास के कामों में लाखों रुपये दिये हैं वक्फ बोर्ड के माध्यम से...(व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : आपने विकास नहीं कराया। अपने चन्दे में लिये हैं आपने भी। उसका कोई विकास नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप प्रूव करेंगे क्या? (व्यवधान) अपने मन से ही कह दिया। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : मेरी बात तो सुनो। (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : यह जिला वक्फ कमेटी बनायी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कैसे कह दिया? अध्यक्ष महोदय, यह कैसे कह दिया?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : यह पैसा कब दिया? इन्होंने चुनाव से पहले पैसा दिया है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अभी जवाब आ रहा है, धैर्य रखिये। जवाब आ रहा है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप मंत्रीजी की बात तो सुन लें, यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री रमजान खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 4 साल से जब से कांग्रेस सरकार आयी है, वक्फ बोर्ड में जितने भी कर्मचारी थे उनमें से आधों को वेतन के अभाव में सेवामुक्त कर दिया गया है। यह सरकार है, क्या बात करते हो। बी.जे.पी. के राज में यह किया, बी.जे.पी. के राज में यह किया। बी.जे.पी. राज में लाखों रुपये विकास के कामों के लिये दिये। बी.जे.पी. के राज में किसी भी कर्मचारी का एक पैसा भी कभी बाकी नहीं रहा। पिछले 6 महीने से आपके कर्मचारियों का पैसा बाकी है, आप बी.जे.पी. के राज की बात करते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को जवाब देने दीजिए।

श्री रमजान खान : चन्दा नहीं दिया गया था, यह तो वक्फ बोर्ड के खजाने में से पैसा दिया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। रमजानजी, बैठिये आप। (व्यवधान) बैठिये।

श्री रमजान खान : वक्फ बोर्ड में इतना पैसा था कि जगह-जगह विकास के काम कराये। अब इनके पास वेतन देने के लिये पैसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री हबीबुर्रहमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जिला वक्फ कमेटी, कोटा से एक लाख 17 हजार रुपये लिये, दरगाह शरीफ नरहड़ से 7 लाख रुपये लिये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह काहे के लिये लिये?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : यह काहे के लिये लिये? (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : आपके टाइम का बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : नहीं, कार खरीदने के लिये लिये क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किस चीज के लिये लिये? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कमेटियों से उधार लेकर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, किस चीज के लिये लिया पैसा?

श्री राजेन्द्र पारीक : यूं ही लेकर आ गये।

श्री हबीबुर्रहमान : मैं बताऊं, उदयपुर से एक लाख 78 हजार रुपये लेकर आये, वक्फ बोर्ड, अनूपगढ़ से 93 हजार लेकर आये, और जामा मस्जिद से...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : कौनसी रसीद से दिया गया, हिसाब बताएं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पूरे बोर्ड का भट्टा बिठा दिया आप लोगों ने।

श्री हबीबुर्रहमान : पूरे बोर्ड का भट्टा बिठा दिया आपने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आपने कहा कि खाये हैं भारतीय जनता पार्टी ने...(व्यवधान) वह बताइये आप, चन्दा किसने लिया है? (व्यवधान) चन्दा किसने लिया है? (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : लिया है, लिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने चन्दा लिया है वक्फ बोर्ड से, वह चन्दा बताइये। (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : +++...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बताओ, बताओ। (व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान : +++ (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हबीब साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान) यह बात तो सही है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये बातें कह रहे हैं, पार्टी को चन्दा दिया है, आप यह बात लिख दो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह गम्भीर आरोप है, यह गम्भीर आरोप बरदाश्त नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं तो आप इस्तीफा दो, वरना हम इस्तीफा देते हैं। आप प्रूव कर दें यह बात। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय...(व्यवधान) बारबार +++ कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सचेतक हैं, राजेन्द्र सिंहजी। (व्यवधान) आप अपनी पार्टी के सचेतक हैं, माननीय सदस्य को आप अनुशासन में रखिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी पर गम्भीर आरोप है, नहीं तो मंत्री महोदय बताएं किस तारीख को दिया, किसको दिया, कौन से खाता-बही में लिया गया और वह टेबल पर रखें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि जो विषय यहां आया है...

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अभी पहले आप उनको कमाण्ड करिये। मंत्री जवाब देते हैं तो माननीय सदस्य कहते हैं +++ कर रहे हैं, कौन टोलरेट करे इसको? मंत्री यहां बैठे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप तो विराज जाओ कम से कम, आप तो चीफ–व्हिप हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं खड़ा हूं यहां, क्या कहना चाह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं आपसे ही निवेदन कर रहा हूं, इसलिये खड़ा हुआ कि आप कम से कम अपने दल के माननीय सदस्यों को संसदीय भाषा का प्रयोग करने के लिये...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिप को मेरे खड़े होने के बाद बोलना उचित है कि नहीं, यह तो आपको आसन से व्यवस्था देनी पड़ेगी, मेरी तरफ से नहीं होगी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं, नहीं, इतनी बात नहीं है...(व्यवधान) आपने सब परम्परा अच्छी डाल रखी है, आपने तो यहां मुख्य मंत्रीजी को, सदन के नेता को नहीं बोलने दिया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि मर्यादाओं को आप तोड़ रहे हो। (व्यवधान) मैं सोचता हूं कि आपसे ज्यादा देर तक मैं बोल सकता हूं और ज्यादा ऊंचाई से बोल सकता हूं। आप इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि जो डेकोरम इस हाउस का है, अगर प्रतिपक्ष का नेता बोलने के लिये खड़ा है...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : वही डेकोरम ही तो मैं बताना चाह रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : निश्चित रूप से आप चीफ व्हिप जैसे व्यक्ति से इतनी +++ उम्मीद नहीं थी। प्रतिपक्ष के नेता के खड़े होने के बाद, वह भी चेअर से व्यवस्था देने के बाद मैं सोच रहा हूं कि आप शायद मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : डेकोरम ही मैं बताना चाह रहा हूं। (व्यवधान) नहीं, नहीं, फिर आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। (व्यवधान) आप संसदीय भाषा का प्रयोग करें। आप संसदीय भाषा का प्रयोग करिये, यह मैं कह रहा हूं। (व्यवधान) इन शब्दों का प्रयोग मैं भी कर सकता हूं और आपसे ज्यादा हिन्दी की वोकेबलरी गाली देने की मेरे पास है। इन शब्दों का प्रयोग मत करिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या तरीका है, अध्यक्ष महोदय? प्रतिपक्ष के नेता

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जो...(व्यवधान) यह क्या तरीका हो गया? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं जो कह रहा हूं, एतराज यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो माननीय सदस्य ने यह कहा है कि +++ कर रहे हैं, कम से कम संसदीय भाषा का प्रयोग करें। मैं आपके माध्यम से मात्र निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आपकी जिम्मेदारी है, यह सदन सुचारू रूप से चले, नियमानुसार चले, इसलिये आप कम से कम अपने दल के सदस्यों से संसदीय भाषा का प्रयोग करने के लिये निवेदन करें। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने मुख्य सचेतक के ऊपर जो...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपको शायद मर्यादाओं का कोई ज्ञान नहीं है और आप मर्यादाओं को तोड़ते जा रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था आपको आसन से करनी पड़ेगी। (व्यवधान) मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : पहले मर्यादा तोड़ रहे हैं, वह मैं बता रही हूं आपको। आप चीफ व्हिप को जो यह भाषा प्रयोग कर रहे हैं कि +++ तरीके से, यह कौनसा +++ तरीका है? वह आपको मर्यादाएं याद दिला रहे हैं, यह +++ तरीका है क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनका अधिकार नहीं है क्या? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्रतिपक्ष के नेता को यह अधिकार नहीं है... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जो +++ तरीका प्रयोग किया गया है चीफ व्हिप के लिये उसको एक्सपंज किया जाए, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसी सदस्य को टोका-टाकी कर देते हैं, यह कोई तरीका थोड़े ही हो गया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जिस असंसदीय भाषा का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया गया है उसको एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

श्री संजीव बेनीवाल : जो असंसदीय भाषा है, इसको एक्सपंज करवाओ।

डा. (श्रीमती) कमला : एक बार असंसदीय बोल रहे हैं और फिर दूसरी बार +++ शब्द और बोल रहे हैं...(व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री संयम लोढ़ा : जिस असंसदीय भाषा का प्रयोग नेता, प्रतिपक्ष ने किया है, हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उसको एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ही, आसन से ही व्यवस्था चाहता हूं...(व्यवधान) मैंने खड़े होने की...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : दोनों ही शब्द हटाये जाएं।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था यह है कि अब असंसदीय भाषा आपके माननीय सदस्य नहीं बोले...(व्यवधान) यह अंकित नहीं होगी।

श्री संयम लोढ़ा : और स्वयं भी नहीं बोलें।

श्री अध्यक्ष : +++ करना, यह असंसदीय भाषा है, मैं इसे एक्पंज करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : असंसदीय भाषा चाहे हमारी तरफ से हो, चाहे उनकी तरफ से हो, कोई भी माननीय सदस्य असंसदीय भाषा नहीं बोले, इसमें कोई 2 राय नहीं हो सकती है। चाहे हमारी तरफ से, चाहे उनकी तरफ से हो। लेकिन लगातार यह एक अभ्यास-सा बन गया है कि जब कभी भी कोई ऐसा विषय आता है कि आप अपनी तरफ से तो बात कह जाओ और इसके बाद अगर हम बोलने के लिये खड़े हों, मैं केवल आपसे ही जानना चाह रहा हूं कि मंत्री महोदय ने यह कहा कि +++ और इसको दिया। दिया है तो आप वह पत्र आथेंटिकेट करके हाउस के टेबल पर रख दो। हम उसके आधार पर जो भी आपके खिलाफ कार्यवाही करनी होगी, वह कर लेंगे। एक बार खड़े हो जाओ और बताओ कि +++ और वह कागज यहां टेबल कर दो, उसके बाद पता करते हैं कि आपने क्या कहा और क्या नहीं कहा।

श्री देवीलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं लिखकर देता हूं गांववाइज। गांववाइज मैं लिख रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक मिनट... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...(व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं लिखकर दे रहा हूं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मेरे से ले लीजिए। आप कहते हैं कि विकास किया, विकास तो जब चुनाव के वोट पड़े तब किया, उससे पहले 9 साल से करने आये ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री देवीलाल बैरवा : इधर तो वोट पड़े और उधर आगे-आगे चन्दा दे रहे थे। पहले 9 साल तो वहां विकास करने के लिये आये ही नहीं। उस समय चन्दा, उसी समय विकास...(व्यवधान) और

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री देवीलाल बैरवा)

मौके पर वोट पड़ रहे थे। पीछे-पीछे पटवारी लग रहे थे, पीछे-पीछे तहसीलदार लग रहे थे और पीछे-पीछे काम किया, पीछे-पीछे रुपया दे रहे थे। 9 वर्ष तक तो पहले किया नहीं यह। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा था...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देवीलालजी, बैठिये।

श्री देवीलाल बैरवा : रमजान खानजी को पहले से ही पता था, पहले ही कराते न। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद, आखिरी अनुपूरक।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा था कि 2002-2003...(व्यवधान) यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वक्फ बोर्ड को जो अनुदान दिया, उसका तो मैं धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं, लेकिन आपसे यह निवेदन करता हूं कि जवाब के परिशिष्ट "क" में...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निपटारा करिये पहले, चन्दे का आरोप लगाया... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह आरोप लगाया कि +++...(व्यवधान) या तो खड़े होकर कह दें...(व्यवधान) या इसको एक्सपंज कीजिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यहां पर कहा कि +++ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई भी मंत्री कोई गैर-जिम्मेदाराना बात कह जाए?...(व्यवधान)

श्री रमजान खान : यह तो वक्फ बोर्ड के खजाने का पैसा था...(व्यवधान) कोई चन्दा नहीं था...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : राजेन्द्रजी, आप बोले 5 करोड़ रुपये के लिये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने एक्सपंज कराया न? (व्यवधान) आपने एक्सपंज करवाया न? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : यह क्या तरीका हुआ, आप भी तो बोले कांग्रेस के लिये...(व्यवधान) आप कांग्रेस के लिये बोले तब तकलीफ नहीं थी आपको? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने उसको एक्सपंज कराया न। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आपके मन में आये जो बोल दो? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका हुआ? आप जो बोले कांग्रेस के लिए...

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने उसको एक्सपंज कराया न?

डा. सी. पी. जोशी : आप कांग्रेस के लिए बोले जब तकलीफ नहीं थी आपको? चाहे जो बोले तब तो तकलीफ नहीं? आपने बोला नहीं उस दिन कांग्रेस के लिए? आपके मन में जो बात हो बोल लें, कोई तकलीफ नहीं थी? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर आपने उसका एक्सपंज कराया न?

डा. सी. पी. जोशी : आपने उस दिन बोला या नहीं बोला? आपने बोला कांग्रेस के लिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप एक्सपंज करिये न इसको।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय बोल रहे हैं, जिम्मेदारी से बोल रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप अगर इस सदन में ऐसा जवाब देंगे तो...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** माननीय जोशीजी, आप...

डा. सी. पी. जोशी : आप भी बोल रहे थे तब तो ठीक था। आप अपनी मर्जी आएं सो बोलें वह तो ठीक है और यह...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से नहीं चलेगा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, यह बता दें, मंत्रीजी ने अपने उत्तर में कहा है...

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस तरह से नहीं चलेगा। ऐसे सदन नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो आरोप लगाये हैं। उनका जवाब तो मंत्रीजी को देना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आरोप यह लगाये हैं कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइये।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से...

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आरोप लगाये हैं या तो इसको टेबल करिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खड़ा करो मंत्रीजी को।

श्री धर्मपाल चौधरी : मंत्रीजी को खड़ा करो।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनका उत्तर आना चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आना चाहिए।

डा. सी. पी. जोशी : आप प्रिविलेज कमेटी में ले जाओ न, क्या तकलीफ है? प्रिविलेज कमेटी में ले जाओ आप।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सी.पी. जोशी साहब यह कह रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : पहले इनका।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सी. पी. जोशी साहब यह कह रहे हैं कि उन्होंने इसलिए गैर जिम्मेदारी की बात कह दी क्योंकि आपने भी कही थी। क्योंकि आपने भी कहा था यह कोई तर्क है क्या? क्या हुआ? आप करवाइये इसको एक्सपंज। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आपने कहा था। यह आप्शन आपके पास है, प्रिविलेज मोशन लाइये। यह क्या तरीका है? आप मर्जी आये सो बोल देते हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : काहे के लिए?

डा. सी. पी. जोशी : यह क्या तरीका है? यह क्या तरीका है। आप प्रिविलेज मोशन लाइये गलत बात है तो।

श्री सांवर लाल : यह ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आरोप नहीं लगाया आपने?

डा. सी. पी. जोशी : प्रिविलेज मोशन लाइये। गलत बोला है तो आप्शन आपके पास है, प्रिविलेज मोशन लाइये। यह क्या तरीका है, मन में आये जो बोल देते हैं? प्रिविलेज मोशन लाइये आप। गलत बोला है तो प्रिविलेज मोशन लाइये।

श्री सांवर लाल : इन्होंने यह कहा है कि वक्फ बोर्ड के पैसे में से...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आरोप नहीं लगाया?

डा. सी. पी. जोशी : मंत्रीजी ने गलत जवाब दिया है तो आप लाइये प्रिविलेज मोशन। आपके पास प्रिविलेज है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जवाब दिलवाइये।

डा. सी. पी. जोशी : आपको प्रिविलेज है, रूल्स में प्रोविजन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जवाब दिलवाइये।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने यह कहा कि +++ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जवाब दिलवाइये। खड़े होइये, मंत्रीजी, जवाब दीजिए और यह जवाब आप टेबल करिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप यह कहते हो कि जो आपने कहा उसको उन्होंने कह दिया।

डा. सी. पी. जोशी : मंत्रीजी ने जो जवाब दिया वह रिकार्ड में है, प्रिविलेज मोशन लाइये आप। आपको अधिकार है, वह लाइयें आप। आप लाइये प्रिविलेज मोशन।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह नहीं चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब दिलवाइये आप। जवाब दिलवाइये न आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह नहीं चलेगा।

डा. सी. पी. जोशी : आप प्रिविलेज मोशन लाइये न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : जो भी है रूल्स में है, अगर कोई मंत्री गलत जवाब देता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होती है, वह मूव करिये न आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जवाब तो देना होगा। जवाब तो देना ही होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने उत्तर में कहा है...(व्यवधान) पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाया है, मंत्रीजी ने आरोप लगाया है। मंत्रीजी यह बताएं कि कब दिया, किसने दिया, कितनी–कितनी तारीख को दिया? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब आप यही बहस करते रहे, जवाब नहीं दें तो...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर आरोप है, इसका...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब तो आ जाए।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर आरोप है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आसन से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे सवाल का जवाब तो आ जाए।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका स्पष्टीकरण तो होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का जवाब होना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब दिलवाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी को जवाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी को जवाब देना चाहिए और मंत्रीजी बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसका उत्तर आना चाहिए पहले।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह का आएं तो वह तुरन्त करें। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : मंत्रीजी क्या कर रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : कोई मतलब नहीं है यह। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के आरोप लगाये जा रहे हैं, पहले जवाब तो दें।

श्री सांवर लाल : खड़े होकर जवाब तो दीजिए, मंत्री महोदय।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवाइये।

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम जवाब तो आना ही चाहिए। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जवाब मांगा है तो मंत्रीजी को जवाब तो देना चाहिए।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आना चाहिए।

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जवाब मांगा है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : किस–किस ने चंदा दिया, यह बताएं तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब तो दीजिए।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है, यह बरदाश्त योग्य नहीं है।

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब तो आना चाहिए।

श्री मदन दिलावर : यह गम्भीर मामला है।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से जवाब तो दिलवाइये आप।

श्री मदन दिलावर : ये सारे कागज टेबल करो।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये। वक्फ बोर्ड का पैसा कहां गया, मंत्रीजी बताएं न? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब तो आना ही चाहिए।

श्री सांवर लाल : किस–किस को चंदा दिया, बताओ तो सही। चार वर्षों में...(व्यवधान)

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्रीजी ने बताया है कि चंदा दिया तो चंदे की लिस्ट हमें बताएं। पूरे सदन को अवगत कराएं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आरोप गलत है। यह

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

आरोप की परम्परा गलत है। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी खड़े होकर बताएं, कोई आरोप है तो वह टेबल करें और क्या...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जसवन्त सिंह गुर्जर।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मैं तो आपके आदेश को मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस तरह का आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। जब आप प्रश्न पर...(व्यवधान) बीच-बीच में खड़े होते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल नहीं है, अध्यक्ष महोदय, अवहेलना मंत्री महोदय कर रहे हैं। जवाब दिलाओ, अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलाओ। उन्होंने कहा है तो जवाब दो आप।

श्री सांवर लाल : पार्टी का चंदा दिया है तो जवाब दिलवाइये उनसे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है, इन्होंने कहा कि +++ तो वह बताएं कि...

डा. सी. पी. जोशी : आप जो नहीं कर सकते वह...

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आरोप लगाया कि...

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आरोप लगाया था कि +++ उसका क्या आधार है? पहले वह तो सदन में रखें कि पांच करोड़ रुपये इन्होंने जो कहा है वह...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से नहीं। या तो इन्होंने कहा है वह बताएं, जवाब दे दें। जवाब दें। जवाब तो दिलवाइये। वहां पर... (व्यवधान) या वह उनके सामने दिया गया था? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब तो दिलवाइये, साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जवाब तो देना पड़ेगा।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : जवाब तो देना पड़ेगा

श्री संजीव कुमार : राजेन्द्रजी राठौड़ साहब ने यह कहा था कि राशि फण्ड से भेजी तो...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, गम्भीर मामला है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : आप तो कुछ भी कर दो। पांच करोड़ का कितना गम्भीर आरोप है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

करोड़ का आरोप लगाया था इन्होंने। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : एक-एक आरोप लगाया। दस करोड़ का...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : यह कैसे सीधा जवाब दे दिया इन्होंने? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आसन से निवेदन कर रहा हूं, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि +++ मंत्री महोदय ने कहा, मैं चाहता हूं मंत्री महोदय बातों में मशगूल नहीं होकर हमारे इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दें कि आपने पार्टी को +++ कितना चंदा दिया, स्पष्ट करो। आप अधूरी बात बोले, इससे कोई समझ में नहीं आया तो हम यह चाहते हैं कि आप इतना स्पष्ट कर दो कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा इसमें से किसने दिया, किसको दिया। इतना स्पष्ट कर दो।

श्री बाबूलाल नागर : देवीलालजी बता रहे हैं न, नोट कर लो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम तो केवल इतना ही जानना चाहते हैं। यह तो आपको जवाब देना पड़ेगा, बातों से चलने वाला नहीं है। आपने आरोप लगाया है तो खड़े होकर बताना पड़ेगा। (व्यवधान) यह किसने दिया है?

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश)

श्री बाबूलाल नागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिस तरह से चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है तो... (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : यह क्या कह दिया इन्होंने?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब दिलवाइये। मेरे सीरियस प्रश्न का जवाब दिलवाइये। अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब आ जाए, इनकी बात तो बाद में भी आ जाएगी। पहले मेरे सवाल का जवाब आए। अध्यक्ष महोदय, नहीं तो बाद में प्रश्नकाल समाप्त हो जाएगा। पांच मिनट ही बचे हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, या तो आसन को ही निर्णय करना पड़ेगा या यह जवाब दें।

श्री देवीलाल बैरवा : हां, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कि मैंने चंदा किस किस को दिया। और अगर जवाब नहीं देते हैं तो इन्होंने जो आरोप लगाया है,

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आसन को इसको एक्सपंज करना चाहिए। दोनों में से एक फैसला हो; या तो मंत्री खड़ा होकर बताएं कि उसने चंदा किस-किस को दिया और अगर नहीं बताता है तो आसन को व्यवस्था देनी पड़ेगी। ऐसा अनर्गल आरोप जो लगाया है, उसके बारे में आसन से व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी। दोनों में से कोई एक फैसला होगा।

श्री देवीलाल बैरवा : मैं कह रहा हूं, मेरी सुनिये। मैं दे रहा हूं जवाब आपकी बात का। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेताजी जो जवाब मांग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया तो भारतीय जनता पार्टी...(व्यवधान) आप सुन तो लीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब आ जाए, फिर प्रश्नकाल समाप्त हो जाएगा।

श्री देवीलाल बैरवा : आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इतना महत्वपूर्ण विषय खड़ा हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप आसन से व्यवस्था दीजिए, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इतना महत्वपूर्ण विषय खड़ा हो गया।

श्री देवीलाल बैरवा : हां, महत्वपूर्ण है, मैं कह रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे सवाल इम्पोर्टेंट हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका जवाब आ जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह व्यवस्था तो आसन से करनी पड़ेगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारे सवाल का जवाब तो आना चाहिए पहले।

श्री देवीलाल बैरवा : मैं जवाब दे रहा हूं, पहले आप सुन लीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : महत्वपूर्ण इतना विषय खड़ा हो गया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारे सवाल का जवाब नहीं आया है।

श्री देवीलाल बैरवा : मेरे को सुन लीजिए। प्रतिपक्ष के नेताजी, हमारी बात को सुन लीजिए। मैं जवाब दूं।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह आपने तो कहा था उस दिन...(व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : मेरी सुन लीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह आरोप लगाया है और हम...(व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : हमारी सुन लीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह झूठा आरोप लगाया है।

श्री देवीलाल बैरवा : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मेरी सुन लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं, मेरी सुन लीजिए आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आरोप लगाये हैं।

श्री देवीलाल बैरवा : यह कह रहा हूं, मेरी सुन लीजिए आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : या तो यह स्पष्ट करो कि किसने चंदा दिया।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : अगर ये लोग अपने हितों के काम में लेते हैं...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : किसको चंदा दिया, इसके बारे में स्पष्ट करो।

श्री देवीलाल बैरवा : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, हमारी सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : या तो आप आसन से व्यवस्था दें या मंत्रीजी को खड़े करके जवाब दिलवाइये।

श्री देवीलाल बैरवा : मैं आपको बता रहा हूं, दोनों की बातें बता रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह पैसा पूरा का पूरा राजनीति में काम आता है।

श्री देवीलाल बैरवा : (व्यवधान) की बता रहा हूं। रूपरा की बता रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड को जो अनुदान दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन इसका हिसाब तो देना पड़ेगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह क्या मजाक हो गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने गम्भीर आरोप लगा रहे हैं यह...(व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : मेरी बात सुन लीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह अनुदान कहा है, अनुदान को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड का अनुदान एक करोड़ रुपया कर दिया जाना चाहिए, तब जाकर वक्फ सम्पत्तियों का रख-रखाव होगा। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : आप मेरी सुन लीजिए। मेरी सुन लीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा सवाल तो इन जनता पार्टी के लोगों के बलि चढ़ गया।

श्री संजीव कुमार : माननीय देवीलालजी बोल रहे हैं, इनको सुन तो लीजिए। आपको पूरा हिसाब बता रहे हैं, माननीय देवीलालजी को सुने आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जब भी उर्दू का सवाल आएगा, जब भी वक्फ का सवाल आएगा, जब भी अल्पसंख्यकों का सवाल आएगा, यह हल्ला मचा कर, शोर मचा कर उसको डाइल्यूट करने का काम करते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने वक्फ बोर्ड को अनुदान दिया है, इसका तो स्वागत करना चाहिए। मेरे इस सवाल का जवाब पूरा नहीं होने देते। उस जवाब को पूरा नहीं होने दिया गया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। मंत्रीजी को नहीं सुना उन्होंने पूरा। इस वजह से यह बात...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : यह सुनो तो सही जवाब इनसे। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : यह जवाब मांग रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूं। आप कहे तो लिखकर दे दूं और आप कहे तो बोल कर दे दूं, यह जवाब मांग रहे हों तो। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, सुनो जवाब, यह दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : आप मेरा जवाब सुन लो। आप कहे तो सदन में लिखकर दे दूं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्रीजी से जवाब दिलाएं जो आरोप इन्होंने लगाये हैं, उस पर खड़े होकर कहे। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : आप कहे तो मैं बोलकर दे दूं। भाषण दे दूं, आप कहे जो जवाब दे दूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर उसमें गलत लगा दिया है तो खड़े होकर माफी मागें कि मैंने गलत लगा दिया, गलत बोल गया मैं। (व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : जनता पार्टी वालों को मैं दे दूं जवाब। झूठा नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : वह आरोप लगा रहे हैं, सुनिये तो सही आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस ने पांच करोड़ का चन्दा दिया वह...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : माननीय देवीलालजी की बात सुनो।

श्री देवीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी सुनो, मैं जवाब दूंगा।

श्री संजीव कुमार : भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य, देवीलालजी जवाब दे रहे हैं, आपकी पार्टी का, आप सुनो तो सही।

श्री देवीलाल बैरवा : आप कहे तो लिखकर दे दूं, चाहे जैसे दे दूं, चाहे भाषण बोलकर दे दूं, आप जैसा चाहे दे दूं। वह मैं दूं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय लो, उनके अध्यक्षजी लो, उनके पार्टी के लो और वह रमजान खानजी लो, उन सबको जवाब मैं दूं। मैं दूं, यह। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं चले तो नहीं चले, हम क्या करेंगे? हम खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में आप फैसला करें कि मंत्रीजी ने जो आरोप लगाया और यह कहा कि +++ या तो आप इसे स्पष्ट करिये या इन्होंने गलत लगाया है तो खड़े होकर इसके लिए माफी मांगें कि मैंने गलत आरोप लगा दिया। दोनों में से कोई एक फैसला होगा आज जरूर। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारे के सारे माननीय सदस्य गलत बता रहे हैं। (व्यवधान) कि कांग्रेस ने...

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री बाबूलाल नागर : यह आरोप लगाया है।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : जो चंदा दिया गया है वह...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : जो उसमें से चंदा दिया गया है वह वक्फ बोर्ड की आय में से दिया...(व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में आप...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : इतने रुपये तो इसमें से...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह क्या हो रहा है? अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : अध्यक्ष महोदय, देवीलालजी बोल रहे हैं, वह बता रहे हैं कि...(व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : मैं सच बात कह रहा हूं।

श्री संजीव कुमार : और इनकी बात पर गौर किया जाए।

श्री बाबूलाल नागर : जब चुनाव चल रहे थे तब चंदा दिया था, यह बता रहे हैं देवीलालजी, आप सुनो इनकी बात।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय, ने जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में...(व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप प्रश्नकाल समाप्त करना, पर जब तक इस सवाल का जवाब नहीं आएगा, तब तक हाउस नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह नहीं हो सकता, आरोप लगा दो और उसकी आसन से आप व्यवस्था नहीं करो। (व्यवधान) अब आरोप आपकी मौजूदगी में लग गया है...(व्यवधान) और उस आरोप का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। न तो आसन की तरफ से व्यवस्था हो, न मंत्री की तरफ से कोई व्यवस्था हो तो निश्चित रूप से...(व्यवधान) नहीं चलेगा। यह जो आरोप मनगंढ़त लगा दिया, आसन पर आप बिराजमान थे। आपकी मौजूदगी में आरोप लगा और हम बार-बार आपसे, आसन से मांग कर रहे हैं कि मंत्री ने जो आरोप लगाया, या तो आरोप के बारे में स्पष्ट करें या आसन से व्यवस्था दें कि कौनसी जनता पार्टी को चन्दा दिया, किसको चन्दा दिया है। आप आसन पर बिराजमान थे, इस प्रकार का अनर्गल लगाया और आसन व्यवस्था नहीं दे रहा है तो हमारे सामने और क्या चारा है, जिस चारे के आधार पर हम यहां खड़े

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हों? हम आपसे बार-बार निवेदन कर रहे थे कि एक मंत्री ने खड़े होकर मर्जी चाहे जिस तरह का आरोप लगा दिया। (व्यवधान) किसको चन्दा दिया, कितना चन्दा दिया है? आसन की मौजूदगी में इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाया। (व्यवधान) नहीं चल सकता। (व्यवधान) नहीं चलेगा, चाहे भले कुछ भी हो जाएं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक जिम्मेदार व्यक्ति ने इस प्रकार का अनर्गल आरोप आपकी मौजूदगी में लगाया है और उसके बाद में अगर कोई व्यवस्था नहीं होती है, आप आसन से कोई व्यवस्था कर सकते हैं। आप जो भी चाहे, जिस प्रकार से चाहे, उस प्रकार से करें। (व्यवधान) नहीं होगा। और होगा तो हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(प्रश्नकाल समाप्त)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका प्रतापगढ़ की कच्ची बस्तियों का नियमन

660. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्रों की कच्ची बस्तियों में 15 अगस्त, 1998 तक अनधिकृत रूप से राजकीय भूमि पर किये गये कब्जों के नियमन योग्य होने पर नियमन किये जाने हेतु सरकार ने दिनांक 18.5.1999 को दिशा-निर्देश जारी किये थे? यदि हां, तो दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपालिका प्रतापगढ़ में ऐसी कितनी आबाद कच्ची बस्तियां 15 अगस्त, 1998 के पूर्व किन व्यक्तियों ने अनधिकृत कब्जा कर बसाई थीं और अब तक कब्जाधारियों में से कितने नियमन योग्य पाये गये तथा नियमन योग्य पाये गये कब्जाधारियों में से किस-किस को पट्ठा वितरित कर दिया है एवं बाकी कब्जाधारियों को कब तक पट्टे वितरित कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। निर्देश दिनांक 18.5.1999 की प्रति संलग्न है।

(2) नगरपालिका प्रतापगढ़ में 15 अगस्त, 1998 से पूर्व दस कच्ची बस्तियां

(राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन)

अतिक्रमियों द्वारा बसाई गई थी विवरण संलग्न सूची में अंकित है। बस्तियां निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	बस्ती का नाम	व्यक्तियों की संख्या
1.	अहीर बस्ती	20
2.	तलाई मौहल्ला	17
3.	रूघनाथपुरा	54
4.	मानपुरा	13
5.	चालीसा	08
6.	तालाब खेड़ा	11
7.	बगवास	98
8.	शूगर फैक्ट्री के पीछे	36
9.	कृषि मण्डी के पास	26
10.	कोर्ट के बाहर	09
	कुल	292

उपरोक्त 292 कब्जाधारियों में से 104 के प्रकरण नियमन योग्य पाये गये हैं, जिनमें से 88 अतिक्रमियों को पट्टे जारी कर दिये गये है तथा शेष 16 अतिक्रमियों द्वारा राशि जमा नहीं कराने तथा फोटो जमा नहीं कराने के कारण पट्टे जारी नहीं किये जा सके है। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् पट्टे जारी किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। 188 अतिक्रमियों को समिति द्वारा नियमन योग्य नहीं पाया गया है।

(निर्देशों की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगर विकास न्यास, अलवर में भूनियमन के लम्बित प्रकरण

661. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, अलवर के मनोनीत होने से पूर्व न्यास की जमा राशि व स्थाई जमा कितनी थी तथा अब कितनी है और वर्तमान समय में किस संस्था से ऋण लेने की कार्यवाही की जा रही है?

(2) उक्त अध्यक्ष द्वारा न्यास की गैर योजना कृषि भूमि, शक्ति नगर, विजय नगर व अन्य किस-किस योजना में बिना न्यास की स्वीकृति के सी.सी. रोड बनाये गये हैं? उक्त के न्यास पर कितना आर्थिक भार पड़ा?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के आदेशों के विपरीत अध्यक्ष द्वारा हाइमास्ट लाइट लगवाई गई? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

(4) उक्त अध्यक्ष द्वारा ऐसे कितने भू-खण्ड अपने स्तर पर परिवर्तित किये जो एक योजना से दूसरी योजना के तहत नीलामी हेतु रखे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) नगर विकास न्यास, अलवर में

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

अब तक भू नियमन के कितने प्रकरण प्राप्त हुए तथा कितने प्रकरणों पर 90–बी की कार्यवाही की गई है?

(6) क्या यह सही है कि पहले आने वाले प्रकरण लम्बित हैं तथा बाद वालों पर कार्यवाही हो रही है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) अध्यक्ष के मनोनीत से पूर्व बचत खातों में 27.33 लाख एवं सावधी जमा 207.16 लाख तथा वर्तमान में बचत खाते में 281.00 लाख एवं सावधी जमा में 188.08 लाख जमा है। न्यास द्वारा एन.सी.आर. योजना में 250.00 लाख एवं इम्प्रूवमेंट आफ रोडर्स शहर अलवर के प्रोजक्ट पर 200.00 लाख के ऋण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) न्यास द्वारा गैर योजना, कृषि भूमि, शक्तिनगर, विजय नगर योजनाओं में राशि 37.25 लाख के कार्यादेश दिये गये हैं। जिनकी सक्षम स्वीकृति न्यास बैठक 20.5.2002 एवं 10.2.2003 में प्राप्त की जा चुकी है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

(3) राज्य सरकार के आदेशों के विरुद्ध न्यास द्वारा कोई हाइमास्ट लाइट नहीं लगवाई गई है। जो भी हाइमास्ट लाईटें लगाई गई है वे राज्य सरकार के आदेश प्राप्त होने से पूर्व लग चुकी थीं।

(4) न्यास अध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से नीलामी हेतु रखा गया कोई भूखण्ड एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तित नहीं किया गया है।

(5) न्यास अलवर में कृषि भूमि नियमन के 1039 प्रकरण प्राप्त हुये हैं। जिनमें 90–बी योग्य 789 प्रकरणों में से 619 प्रकरणों में 90–बी की कार्यवाही की जा चुकी है। शेष विचाराधीन है।

(6) जी नहीं। प्रकरण प्राप्त होने पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाती है।

सिवाड़ एरिया बापूनगर, जयपुर की सड़कों का नवीनीकरण

662. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बापूनगर, सिवाड़ एरिया, जयपुर की समस्त सड़कों का नवीनीकरण किया गया है? यदि हां, तो प्लाट नम्बर सी–60 से सी–70 तक की सड़कों का नवीनीकरण नहीं करने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त एरिया की सभी सड़कों की मरम्मत करा दी गयी और प्लाट नम्बर सी–60 से सी–70 तक की सड़क को जानबूझकर छोड़ दिया गया है? क्या उक्त सड़क कई जगह से टूटी हुई है और सड़क की साइडे भी रोडी डालकर छोड़ी गई हैं? क्या उक्त से दुर्घटनाएं होती रही हैं?

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(3) क्या सरकार उक्त प्लाटों के आगे की सड़क का भी नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। बापूनगर, सिवाड़ एरिया, जयपुर की समस्त सड़कों का नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। प्लाट नम्बर सी–60 से सी–70 की सड़क जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराये गये नवीनीकरण के समय क्षतिग्रस्त नहीं थी।

(2) जी नहीं। प्राधिकरण द्वारा सड़कों की मरम्मत कार्य की प्राथमिकता व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर करवाई गई है। उक्त सड़क वर्तमान में सीवर लाइन कनेक्शन की वजह से आंशिक क्षतिग्रस्त है। सड़क की साइड में प्राधिकरण द्वारा कोई रोडी नहीं छोड़ी गई है। सड़क के कुछ भाग में साइड में सीमेंट कंक्रीट की गयी है वो प्राधिकरण द्वारा नहीं करवाई गई है। दुर्घटना की सूचना प्राधिकरण के पास नहीं है।

(3) जी हां। कार्य की प्राथमिकता व धन की उपलब्धता के आधार पर करवाया जायेगा।

सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति में अनियमितताएं

663. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1978 से 1980 तक किन किन सहायक अभियन्ताओं (सिविल) को अपने पदों पर स्थायी किया गया? उक्त सम्बन्धी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1982 से 1994 तक सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्तियां कर स्थायी भी किया गया? यदि हां, तो नियुक्ति एवं स्थायीकरण के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्ष 1984 से स्थायी किए गए सहायक अभियन्ता (सिविल) को अधिशासी अभियन्ता सिविल के पद पर पदोन्नति दी गई? यदि हां, तो किस–किस वर्ष में? जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या वर्ष 1978 से 1981 तक स्थायी किए गए सहायक अभियन्ताओं (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया था? यदि हां, तो जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि वर्ष 1984 से स्थायी किए गये सहायक अभियन्ताओं

(श्री हरजीराम बुरड़क)

को उक्त से वरिष्ठ सहायक अभियन्ता जो कि वर्ष 1978 से 1981 के मध्य स्थाई हुए, की वरिष्ठता लांघते हुए अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नत कर दिया गया? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत?

(6) क्या सरकार रिव्यू डी.पी.सी. कर वरिष्ठ सहायक अभियन्ता (सिविल) को वरिष्ठतानुसार अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1978 से 1980 तक निम्न सहायक अभियन्ताओं (सिविल) को स्थायी किया गया:

1. श्री जीत सिंह
2. श्री गणेशी लाल माथुर
3. श्री त्रिलोकदत्त शर्मा
4. श्री सी.सी. चेयरमैन
5. श्री हरचरणदास

स्थाइकरण आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। नियुक्ति एवं स्थाइकरण आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) जी हां। आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(4) जी हां। आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रतिनियुक्ति पर गये सहायक अभियन्ता को नियम विरुद्ध पदोन्नति

664. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री सुनील गोयल तत्कालीन सहायक अभियन्ता नगरपालिका सेवा की नियुक्ति टाइपैड संस्था, नई दिल्ली में होने पर राज्यादेश एफ. 1(12) डी.एल.बी/88/2361-2366, दिनांक 30 जून, 1989 को नगरपालिका सेवा से मुक्त किया गया? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तत्कालीन सहायक अभियन्ता की नियुक्ति अन्यत्र होने पर नगरपालिका सेवा से उनका लियन समाप्त कर दिया? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त को नगरपालिका सेवा से लियन समाप्त

(श्री हरजीराम बुरड़क)

करने के एक वर्ष पश्चात् उक्त अधिशासी अभियन्ता की नगरपालिका सेवा में पदोन्नति कर दी गई? यदि हां, तो जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त को पुन: नगरपालिका सेवा में लेने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) का राजस्थान नगरपालिका सेवा से आदेश दिनांक 2.5.1990 द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद से समाप्त किये गये लियन को आदेश दिनांक 16.7.1990 द्वारा वापस ले लिया गया था। तत्पश्चात् इन्हें डी.पी.सी. की बैठक वर्ष 1987 की रिक्ति के विरुद्ध अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर आदेश दिनांक 12.1.1994 द्वारा पदोन्नति दी गई। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 17 व 18 के अन्तर्गत लियन समाप्ति के आदेश को वापस लिया गया। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी नहीं।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

नवजीवन गृह निर्माण समिति आवासीय योजना, निर्माण नगर-सी का नियमन

665. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति के निर्माण नगर, सी, अजमेर रोड, जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन हेतु फरवरी-मार्च 2001 में कैम्प लगाया गया था? यदि हां, तो उक्त में किस-किस भू-खण्ड धारी द्वारा स्वयं के भूखण्ड का नियमन शुल्क जमा कराया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है उक्त कालोनी के भूखण्ड संख्या 1 से 30 तक के भूखण्डों का नियमन नहीं किया गया

(श्री हेमन्त कुमार)

है? यदि हां, तो क्यों और अब उक्त भूखण्डों का नियमन कब तक कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भूखण्ड संख्या–1 से 30 तक के भूखण्डों में से 1 भूखण्ड का नियमन शुल्क जमा कराने के पश्चात् भी अब तक उसे पट्टा आबंटित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी में दिनांक 30 जनवरी, 2003 को पुनः कैम्प लगाने के पश्चात् भी भूखण्ड संख्या–1 से 30 तक के भूखण्डों के नियमन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर उक्त भूखण्डों का नियमन नहीं किया गया? क्या उक्त सम्बन्ध में 2–3 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो उक्त विलम्ब के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। योजना का कैम्प दिनांक 30.3.2001 एवं 31.3.2001 को लगाया जा चुका है। योजना के अनुमोदन पश्चात् अनुमोदित भूखण्डों के प्रति जिन–जिन भूखण्डधारियों द्वारा नियमन शुल्क जमा कराया गया उनकी सूची संलग्न हैं।

(2) जी हां। योजना के भूखण्ड संख्या 1 से 30 तक का नियमन नहीं किया गया हैं। क्योंकि बी.पी.सी. द्वितीय (सीपीसी) की बैठक दिनांक 26.2.2001 में भूखण्ड संख्या–1 से 34 का नियमन रोका गया था एवं प्रस्तावित क्षेत्र का पुनः सर्वे कराकर पृथक से कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था। उक्त ब्लाक में मौके पर होटल का निर्माण किया हुआ है, जो गैर आवासीय हैं। समिति द्वारा संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया है जो करने पर मौके पर पुनः सर्वे कराकर प्रकरण को बीपीसी के समक्ष रखा जाकर निर्णय कराया जा सकेगा।

(3) जी नहीं, 1 से 30 तक के भूखण्डों की कैम्प दिनांक 30 व 31 मार्च 2001 को कोई राशि जमा नहीं हुई। यदि किसी भूखण्डधारी द्वारा स्वयं निर्धारण से सीधे बैंक में राशि जमा कराई गई हो तो उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

(4) जी हां, 30 जनवरी, 2003 को पुनः कैम्प लगाने के पश्चात् भी भूखण्ड संख्या–1 से 30 तक की नियमन की कार्यवाही नहीं की गई तथा 2 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी नियमन की कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि समिति द्वारा संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं किये है। जो प्रस्तुत करने पर पुनः सर्वे कराकर प्रकरण को बीपीसी के समक्ष रखा जा सकेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री डूंगरगढ़ (बीकानेर) की सफाई ठेकेदार की बकाया राशि का भुगतान

666. श्री मंगलाराम गोदारा (डूगरगढ़): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में नगरपालिका क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ (बीकानेर) में नगरपालिका द्वारा सफाई ठेका दिया गया था? यदि हां, तो कब व किसको एवं कितनी राशि का?

(2) उक्त ठेके के सम्बन्ध में कब कब विज्ञापन जारी किया गया तथा किस किस ठेकेदारों ने निविदाएं दी तथा ठेके की स्वीकृति किसे दी गयी?

(3) क्या वर्ष 2002–2003 में मारुति कंस्ट्रेक्शन कम्पनी, बीकानेर को ठेका दिया गया? यदि हां, तो किस दर पर व कितनी राशि का?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी का कार्य बहुत ही सन्तोषप्रद रहा? क्या उक्त सम्बन्धी पुष्टि अधिशासी अधिकारी द्वारा की गई है? उक्त ठेकेदार की गत दो वर्षों से कितनी–कितनी राशि ठेके की शर्तों के अनुसार बनी है? उक्त में से उक्त ठेकेदार को कितनी–कितनी राशि का कितना–कितना भुगतान कब किया और अब तक कितना भुगतान किया जाना क्यों शेष है?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त ठेकेदार को गत कई महीनों की राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(6) उक्त भुगतान के विलम्ब में कौन–कौन व्यक्ति दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(7) अब उक्त ठेकेदार को उसकी बकाया राशि का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त ठेका वर्ष 2001–2002 में मैसर्स दिलढाणियां एण्ड कम्पनी सूड़सर (बीकानेर) को 63000/- रुपये दिनांक 6.11.2001 व वर्ष 2002–03 के लिए मैसर्स मारुति कंस्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर को 70,000/–रु. दिनांक 1.7.2002 से प्रतिमाह का दिया गया।

(2) ठेके के सम्बन्ध में वर्ष 2001–2002 में निविदा सूचना क्रमांक 873 दिनांक 12.7.2001 के द्वारा जारी की गई व वर्ष 2002–2003 के लिए क्रमांक 273 दिनांक 17.5.2002 के द्वारा जारी की गई। किस–किस ठेकेदार ने निविदाएं दीं तथा ठेके की स्वीकृति किसे दी गई, विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(3) जी हां। वर्ष 2002–2003 में ठेका मारुति कंस्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर को सबसे न्यूनतम दर 70,000/–प्रतिमाह का दिया गया।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(4) जी हां। उक्त ठेकेदार को निम्नानुसार भुगतान किया गया है:-

क्र. सं.	माह	भुगतान तिथि	राशि रुपयों में	शेष राशि
1.	जुलाई–02	7.8.02	68834/-	1166/-
2.	अगस्त–02	4.10.02	64600/-	5400/-
3.	सितम्बर–02	1.11.02	63000/-	7000/-
	कुल		196434/-	13566/-

पालिका अध्यक्ष की स्वीकृति के अभाव में भुगतान नहीं किया जा सका है।

(5) जी हां। उक्त ठेकेदार को माह अक्टूबर, नवम्बर, एवं दिसम्बर, 2002 का भुगतान पालिका-अध्यक्ष की स्वीकृति के अभाव में नहीं किया जा सका है।

(6) उक्त भुगतान में विलम्ब के कारणों की जांच करवायी जा रही है।

(7) सक्षम स्वीकृति के पश्चात् भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

कमल नयन चौक, खवासजी का रास्ता, जयपुर में अवैध अतिक्रमण

667. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खवासजी का रास्ता, जयपुर स्थित कमल नयनजी चौक में मकान नम्बर 1734 के सामने सड़क पर कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध निर्माण करके अतिक्रमण कर लिया गया है? क्या उक्त से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमण के विरुद्ध आस-पड़ोस में रहने वाले लोगों द्वारा नगर निगम में शिकायत की गई है? यदि हां, तो उक्त शिकायतों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण रहे? अब उक्त अतिक्रमण को कब तक हटवा दिया जावेगा? शिकायतों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अतिक्रमण नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारियों की मिलीभगत से किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। मकान नम्बर 1734 के सामने अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं।

गांधी नगर कामर्शियल काम्पलेक्स, देवली (टौंक) में पार्क दीवार निर्माण कार्य की राशि का भुगतान

668. श्री रमेश खींची (कठूमर) एवं श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, देवली जिला टौंक के पत्र क्रमांक न.पा.दे./2001/2/48, दिनांक 4 मई, 2002 के द्वारा गांधी नगर कामर्शियल काम्पलेक्स में पार्क की चारदीवारी निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो स्वीकृति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण कार्य का मेजरमेंट, कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता द्वारा एम.बी. नम्बर 7/2001 पेज नम्बर 51 से 54 पर राशि 55,410 रुपये का किया गया था?

(3) क्या यह सही है कि कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता देवली द्वारा मेजरमेंट व एम.बी. पूर्ण करने के पश्चात् भी अभी तक उक्त कार्य का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो उक्त भुगतान अब कब तक कर दिया जायेगा?

(4) उक्त भुगतान में हुये विलम्ब के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। ठेकेदार द्वारा स्वीकृत टेण्डर के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। कार्य पूर्ण होने एवं सी.एम.सी. की मीटिंग के निर्णय के उपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

(4) प्रश्न के भाग संख्या (3) में इस बिन्दु का उत्तर सम्मिलित है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

जयपुर शहर में संचालित दूध डेयरियों को अन्यत्र स्थानान्तरण हेतु आबंटित भूमि

669. श्री भंवरू खान (फतेहपुर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में चल रही निजी दूध डेयरियों को जयपुर शहर के बाहर संचालित करने हेतु सरकार द्वारा कई जगह जमीन आरक्षित की हैं? यदि हां, तो कहां-कहां, कितनी कितनी भूमि और अब कब तक उक्त

(श्री भंवरू खान)

डेयरियों को नगर संकुलन सीमा से बाहर भेज दिया जायेगा?

(2) विद्याधर नगर सैक्टर 6 एवं सिवाड़ एरिया, बापूनगर, जयपुर में कितनी डेयरियां, किस-किस नाम से कितने-कितने पशुओं की चल रही हैं? उक्त डेयरियों में से कितनी डेयरियां सरकारी भूमि पर एवं कितनी प्लाटों में चल रही है? प्लाट संख्या, नाम पशुओं की संख्या सहित सूची मय विवरण के सदन के मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विद्याधर नगर सैक्टर-6 में सरकारी भूमि पर चल रही डेयरियों के विरुद्ध शिकायत भी प्राप्त हुई थी? परन्तु उक्त के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र की सरकारी भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण को कब तक हटा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जयपुर शहर में चल रही निजी दूध डेयरियों को जयपुर शहर के बाहर संचालित करने हेतु सरकार द्वारा जमीन आरक्षित की गई है, विवरण निम्नांकित है :-

1. ग्राम सूरजपुरा तहसील सांगानेर में 71.93 एकड़ एवं ग्राम सूरजपुरा मानपुरा भाटावाला में 26.27 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है।
2. ग्राम हरचंदपुरा उर्फ बाल्यावाला में 136.48 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है।
3. ग्राम रमल्यावाला में 65.81 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आबंटन का कार्य किया जाना है। इस सम्बन्ध में समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(2) नगर निगम द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार विद्याधर सैक्टर नम्बर 6 व सिवाड़ एरिये की डेयरियों की सूची संलग्न है। दिनांक 19.3.2003 की स्थिति अनुसार विद्याधर सैक्टर 6 में कुल तीन डेयरियां चल रही हैं जो निम्नानुसार है:-

1. मोहन कंवर पत्नी श्री ज्ञानदान सिंह प्लाट संख्या-6/163 बाहर सड़क पर तिरपाल लगाकर अस्थायी रूप से दो भैंसे पाल रखी है।
2. अर्जुन लाल चौधरी पुत्र श्री भैंरू लाल संख्या-6/149 ने अपने भूखण्ड में 7 भैंसे पाल रखी है।
3. प्रदीप टेलर पुत्र श्री रामअवतार टेलर सहयोग टावर 2 के सामने 6 गाये व 9 भैंसे 3-4 बछड़े सरकारी भूमि फूटपाथ पर लगा रखे हैं।

(3) जी नहीं। विद्याधर नगर सैक्टर 6 में सरकारी भूमि पर चल रही डेयरियों के विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

19.3.2003 को जोन प्रवर्तन अधिकारी के भ्रमण के दौरान सड़क पर तिरपाल लगाकर अस्थाई रूप से चल रही डेयरी को हटाने हेतु हिदायत दी जा चुकी है डेयरी मालिक द्वारा उक्त अस्थाई डेयरी को हटाने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया है। उक्त समय के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

सिविल लाइन क्षेत्र नगर निगम, जयपुर के ठेकेदार के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

670. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिविल लाइन जोन नगर निगम, जयपुर की रोड लाइट संधारण का कार्य किस ठेकेदार को कब से किस दर पर दिया हुआ है? उक्त ठेकेदार द्वारा गत दो वर्षों में कब-कब, कहां-कहां, कितना कितना सामान लगाया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ठेकेदार द्वारा करवाये गये कार्यों का कब-कब, किस-किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया? निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्री गोपाल नगर, महेश नगर थाने के पास की रोड लाइटें गत छह माह से खराब हैं तथा ठेकेदार को बार-बार शिकायत करने के बाद भी कार्यवाही नहीं की जा रही है और उक्त ने सम्बन्धित शिकायतकर्ता से अभद्र व्यवहार भी किया है?

(4) उक्त ठेकेदार को अब तक कितना-कितना भुगतान, किस-किस अधिकारी की अनुशंसा पर कब-कब किया गया? क्या उक्त सम्बन्ध में उक्त ठेकेदार के विरुद्ध अनियमित भुगतान उठाने की शिकायत भी प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त ठेकेदार का भुगतान रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और क्या भविष्य में ठेकेदार को व्यवहार में सुधार लाने हेतु पाबन्द किया जावेगा?

उत्तर

(1) गत दो वर्ष में दिये गये ठेकेदारों की वार्डवाइज नाम, दर, आदेश दिनांक की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। ठेकेदारों द्वारा संधारण के दौरान जो सामान साइट पर लगाया जाता है उसकी सूची अनुबन्ध के अनुसार प्रस्तुत नहीं की जाती है। ठेकेदार को संधारण कार्य विद्युत सामान सहित करना होता है।

(2) निरीक्षण प्रतिदिन लाइन पार्टी

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

द्वारा किया जाता है। आवश्यकतानुसार समय-समय पर विद्युत निरीक्षक, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। चूंकि यह प्रतिदिन की निरन्तर प्रक्रिया है, अत: इसकी रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है।

(3) जी नहीं। प्राप्त शिकायतों का निवारण समय-समय पर कर दिया जाता है। अभद्र व्यवहार जैसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) सम्बन्धित ठेकेदार को अब तक 71,566/–रु. का भुगतान दिनांक 4.3.2003 को अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार विद्युत निरीक्षक, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियंता की अभिशंसा पर किया गया। ठेकेदार के विरुद्ध अनियमित भुगतान उठाये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(5) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

उप नगर नियोजक के पद के विरुद्ध अनियमित पदोन्नति

671. **श्री हरिश चन्द (नावां):** क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर नियोजन विभाग में सहायक नगर नियोजक एवं सहायक नगर नियोजक (पी.आर.) नाम से दो अलग-अलग पद सृजित हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों पदों की वेतन श्रृंखला, कर्तव्य एवं कार्य प्रकृति समान है तथा एक-दूसरे केडर के पदों पर पदस्थापित किये जाते रहे हैं? यदि हां, तो एक ही विभाग में अलग अलग केडर क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग में उप नगर नियोजक के स्वीकृत पद 15 हैं तथा उनके विरुद्ध सरकार ने 34 व्यक्तियों की पदोन्नति दी है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सहायक नगर नियोजक एवं सहायक नगर नियोजक (पी.आर.) दोनों पदों की वेतन श्रृंखला समान है, परन्तु कर्तव्य एवं कार्य प्रकृति भिन्न है। यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों पदों पर नियुक्ति हेतु वांछित योग्यता भी अलग अलग है। राज्य सरकार द्वारा कार्य व्यवस्था हेतु एक दूसरे के पदों पर अधिकारी कभी कभी पदस्थापित किये गये हैं।

(3) जी हां। यद्यपि विभाग में उप नगर नियोजक के 15 पद स्वीकृत हैं किन्तु 20 पद विभिन्न विभागों/निगमों बोर्डों/

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

न्यासों में प्रतिनियुक्ति के पद मानकर पदोन्नति दी है। इस तरह कुल 35 पद स्वीकृत है। नगर नियोजन विभाग एक तकनीकी विभाग है एवं विभिन्न राजकीय विभागों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा विभाग के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर सेवाओं की मांग की जाती है। प्रतिनियुक्ति के पदों हेतु की गई मांगों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा डीपीसी नियमों के अन्तर्गत पदोन्नतियां एवं पदस्थापन किये जाते है। उपरोक्त 35 पदों के विरुद्ध वर्तमान में 33 अधिकारियों को उप नगर नियोजक के पद पर पदोन्नति दी, गई है।

प्रश्न संख्या–672

(स्थगित)

नगर विकास न्यास, अजमेर द्वारा घूघरा घाटी क्षेत्र में भूमि आबंटन के आवेदन

673. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कृषि भूमि का व्यय गैर कृषि प्रयोजनार्थ नियमन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है? क्या उक्त के लिये सम्बन्धित विभागों द्वारा समय-समय पर अधिसूचनाएं/परिपत्र एवं नियमावली तैयार की गयी है? क्या उक्त में बाद में संशोधन परिपत्र भी जारी किये हैं? अब तक की जारी अधिसूचनाएं/परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नगर विकास न्यास, अजमेर कार्यालय में भूणाबाय, कांकरदा (घूघरा घाटी) क्षेत्र में खसरा नं. 149, 150, 159 में से भू-आबंटन के लिये सर्वश्री राजेन्द्र पटेल, महेन्द्र जैन एवं उगमा नामक व्यक्तियों ने क्रमशः नियमन हेतु आवेदन किया है, यदि हां, तो कब एवं कितने-कितने क्षेत्रफल के लिए?

(3) क्या यह सही है कि न्यास कार्यालय द्वारा उक्त हेतु रिकार्ड रखने के रजिस्टर में रजिस्टर नम्बर 10171, 10173, 11684 क्रमांक पर दर्ज किया गया है? यदि हां, तो न्यास कार्यालय द्वारा आवेदन में प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आवेदनों पर न्यास कार्यालय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य में कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ नियमन किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में खातेदारी भूमि के नियमन/रूपान्तरण के सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी मुख्य आदेश/निर्देश/परिपत्रों की 10-10 प्रतियां संलग्न है।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(2) यह सही है कि सर्वश्री राजेन्द्र पटेल, महेन्द्र जैन एवं उगमा नामक व्यक्तियों के द्वारा ग्राम कांकरदा भूणाबाय के खसरा नम्बर 149, 150, 159 में नियमन हेतु आवेदन किया है। सही स्थिति यह है कि उपरोक्त खसरा नम्बरान में निम्न आवेदन पत्र/अतिरिक्त कलक्टर भू-रूपान्तरण से प्राप्त प्रकरण नियमन हेतु लम्बित है:

क्र. सं.	न्यास रजिस्टर में दर्ज संख्या	दर्ज दिनांक	न्यास में प्रस्तुत आवेदन पत्र/ अति. कलक्टर (भ.रु) से प्राप्त आवेदन पत्र	आवेदक का नाम	खसरा नम्बर	आवेदित रकबा	फार्म संख्या
1.	235	29.8.2002	न्यास में प्रस्तुत आवेदन पत्र	कमल साहनी पुत्र विजय सिंह	149	16 बिस्वा	14264
2.	295	02.9.2002	अति. कल. (भू.रु.) से प्राप्त प्रा. पत्र	सुरेश चन्द	150,153 163	213.88 व.ग.	—
3.	299	02.9.2002	—do—	मृत्युन्जय धवल	—do—	213.88 व.ग.	—
4.	300	02.9.2002	—do—	श्रीमती मालती बेन पटेल पत्नी श्री जगदीश	—do—	213.88 व.ग.	—
5.	303	02.9.2002	—do—	श्री राजेन्द्र पटेल पुत्र स्व. श्री तलजा भाई पटेल	150,153	225.5 व.ग.	—
6.	304	02.9.2002	—do—	श्री राजेन्द्र पटेल पुत्र स्व. श्री तलजा भाई पटेल	150,153 163	230.5 व.ग.	—

(3) यह सही नहीं है कि न्यास कार्यालय द्वारा उक्त हेतु रिकार्ड रखने के रजिस्टर में रजिस्टर नम्बर 10171, 10173, 11684 क्रमांक पर दर्ज किया गया है। वस्तुतः 10171, 10173, 11684 आवेदन पत्रों की क्रम संख्या है जिनके आवेदकगण का विवरण निम्न प्रकार है:

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

क्र. सं.	फार्म संख्या	न्यास में प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	आवेदक का नाम	खसरा नम्बर	आवेदित रकबा
1.	10171	17.4.2001	श्री राजेन्द्र पटेल पुत्र स्व. श्री तलजा भाई पटेल	178, 179 181, 182	456.00 व.ग.
2.	10173	17.4.2001	श्री मृत्युन्जय धवल पुत्र श्री गुलाब राम	—do—	213.88 व.ग.
3.	11684	24.8.2001	श्रीमती उमा निगम	395	175.00 व.ग.

न्यास कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रति संलग्न है।

(4) उक्त आवेदन पत्रों में वर्णित भूमि का मौका निरीक्षण कर लिया गया है। आवेदित खसरा नम्बर 178, 179, 181 एवं 182 की भूमि का उपयोग अन्य सामुदायिक सेवा (o.c.f.) होने एवं उक्त भूमि न्यास की दीपक नगर योजना से प्रभावित होने के कारण श्री राजेन्द्र पटेल एवं श्री मृत्युन्जय धवल के प्रार्थना पत्र पर नियमन कार्यवाही नहीं की गई है। आवेदित खसरा नम्बर 395 का भू-उपयोग अन्य सामुदायिक सेवा है तथा उक्त खसरा नम्बर की भूमि न्यास की दीपक नगर योजना से प्रभावित है तथा उक्त भूमि जिंक क्षेत्र से भी प्रभावित है। अत: श्रीमती उमा निगम के प्रार्थना पत्र पर नियमन कार्यवाही नहीं की गई है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रश्न संख्या-674

(स्थगित)

ग्राम टीलावाला (जयपुर) के आवासीय भूखण्डों का नियमन

675. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम टीलावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में खसरा नम्बर 109, 110, 111, 112, 113, 120, 159 में चित्रकूट आवासीय योजना का रेकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो कुल कितने प्लाट किस-किस माप के किस किस के नाम से कौनसी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा कब काटे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कन्हैया लाल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खसरा नम्बर में बसी उक्त आवासीय योजना भूमि को "90 बी" की कार्यवाही पूर्ण कर लेने के बावजूद अब तक नियमन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या उक्त आवासीय योजना में कुछ भू–माफिया के सक्रिय होकर पट्टेधारियों की भूमि सस्ते–मन्दे में हड़पने, नियमन में बाधा डालने की शिकायत, अन्य शिकायतें प्राधिकरण को मिली हैं? यदि हां, तो कौन–कौन भू–माफिया हैं? शिकायतों की प्रति गई कार्यवाही सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त नामजद भू–माफिया को पाबन्द करते हुए चित्रकूट आवासीय योजना के प्राधिकरण को प्राप्त मूल रेकार्ड के अनुरूप ही बिना प्लाटों की लम्बाई चौड़ाई घटाये ही शीघ्र नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में खसरा नम्बर 109, 110, 111, 112, 113, 120, 159 में चित्रकूट नगर आवासीय योजना का रिकार्ड दिनांक 18.1.2002 को जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हो गया है। शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति के द्वारा चित्रकूट नगर योजना में 113 भूखण्ड काटे गये हैं। योजना के सदस्यों के नाम, प्लाटों की संख्या एवं उनकी माप से सम्बन्धित विवरण अनुसूची "ए" पर संलग्न है।

(2) हां। यह सही है कि उक्त आवासीय योजना की भूमि की 90–बी की कार्यवाही हो चुकी है। योजना का कुछ भाग एयरपोर्ट के सामने की 200 फीट चौड़ी सड़क में आ जाने के कारण विकास समिति तथा सहकारी समिति के संशोधित मानचित्र मांगे गये है जो अप्राप्त है। अत: इसका नियमन अभी तक नहीं हुआ है।

(3) जी हां। उमा आवासीय योजना के सम्बन्ध में एक शिकायत आदर्श विकास समिति चित्रकूट की ओर से प्रस्तुत की गई है व दूसरी शिकायत श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी श्री गोपाल शर्मा की प्राप्त हुई है, शिकायतों की प्रतियां संलग्न है। आदर्श विकास समिति ने श्री रामस्वरूप शर्मा व श्री प्रहलाद शर्मा व अन्य गुण्डा प्रवृति के लोगों का शिकायत में उल्लेख किया है। जोन कार्यालय में दिनांक 27.2.2003 को श्री सागरमल भातरा पूर्व मंत्री शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति ने उपरोक्त योजना का संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया है। चूंकि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे किसी पूर्व मंत्री से कोई संशोधित मानचित्र नहीं मांगा गया था एवं न ही किसी पूर्व मंत्री को योजना का संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार है। अत: पूर्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र को निरस्त कर दिया गया है। जोन कार्यालय से आदर्श विकास

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

समिति, चित्रकूट नगर को एवं प्रशासक, शंकर भवन सहकारी समिति को 200 फीट चौड़ी सड़क में आने वाले भूखण्डों को अन्यत्र समायोजित करते हुये योजना का संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। दोनों शिकायतों की प्रतियां अनुसूची बी एवं सी पर संलग्न है।

(4) चित्रकूट आवासीय योजना के नियमन की कार्यवाही योजना के मूल रिकार्ड को ध्यान में रखते हुये नियमानुसार शीघ्र की जा रही है। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को इस नियमन कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जायेगा।

(अनुसूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच

676. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच हेतु गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ स्थापित है? यदि हां, तो गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा गत तीन वर्षों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच हेतु कितने टेस्ट किये गये?

(2) क्या उक्त किये गये टेस्टों की संख्या निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप थी? यदि नहीं, तो सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) गत तीन वर्षों में गुणवत्ता प्रकोष्ठ द्वारा किये गये टेस्टों की सूचना प्रकोष्ठ में संधारित पंजिका में की गई? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच हेतु गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ स्थापित है। इस प्रकोष्ठ द्वारा गत तीन वर्षों में निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांच हेतु कुल 498 टेस्ट किये गये।

(2) गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ हेतु पृथक से कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

(3) प्रकोष्ठ द्वारा किये गये टेस्टों की सूचना प्रकोष्ठ के रजिस्टर में संधारित की जाती है। फोटो प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

वार्ड संख्या-41 (जयपुर) भवन निर्माण/परिवर्तन के लम्बित आवेदन-पत्र

677. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जीतमल खांट)

(1) माननीय न्यायालयों द्वारा निर्णित सिविल मामलों की पालना क्या नगर निगम जयपुर द्वारा करवाई जाती है? यदि हां, तो उक्त हेतु नगर निगम जयपुर द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

(2) जयपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 41 में वर्ष 2000 से 2002 तक किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं ने नवीन भवन निर्माण/भवन परिवर्द्धन/परिवर्तन हेतु निगम में आवेदन किया है? उक्त में से किन-किन को किस-किस कार्य हेतु स्वीकृति दी गई? यदि नहीं, तो किन-किन कारणों से नहीं दी गई? स्वीकृत व अस्वीकृत शुदा नक्शों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) वार्ड संख्या 41 झालानियों के रास्ते में क्या नई सीवर लाइन प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त कब तक पूर्ण कर ली जावेगी?

(4) वार्ड नम्बर 41 में वर्ष 2000 से 2002 तक कितने लोगों ने सीवरेज के लिए आवेदन किया व कितने लोगों को कनेक्शन देने की अनुमति दे दी गई?

उत्तर

(1) जी हां। न्यायालयों द्वारा निर्णय किये जाने और निगम द्वारा अपील नहीं किये जाने की स्थिति में न्यायालय निर्णय की प्रति सम्बन्धित आयुक्त/प्रभारी अधिकारी को पालना किये जाने हेतु भिजवाई जाती है तथा इसके बाद पालना सुनिश्चित की जाती है।

(2) वार्ड संख्या 41 में वर्ष 2000 से 2002 तक की अवधि में 37 व्यक्तियों ने नवीन भवन निर्माण/भवन परिवर्द्धन के लिए आवेदन प्रस्तुत किये। उक्त में से 21 व्यक्तियों को स्वीकृति दी गई तथा 16 व्यक्तियों के प्रकरण लम्बित है। सूची एवं स्वीकृत नक्शों की प्रतियां संलग्न है, जिसमें वांछित विवरण अंकित है।

(3) जी नहीं।

(4) उक्त अवधि में निगम में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

बनीपार्क (जयपुर) में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

678. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बनीपार्क क्षेत्र में आइस फैक्ट्री की करीबन साढ़े नौ हजार वर्ग गज सरकारी भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूखण्ड काट कर अतिक्रमण कर लिये जाने के मामले में भीमसेन गर्ग एवं अन्य के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. किरोड़ी लाल)

(2) उक्त भू–माफियाओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बावजूद अभी तक कार्यवाही नहीं किये जाने का क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट 58/02 दिनांक 17.5.2002 की प्रति संलग्न है।

(2) उक्त भू–माफिया के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाने पर अभी तक बनीपार्क थाने में कार्यवाही परीक्षणाधीन है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

काअपरेटिव कालोनी, सोडाला (जयपुर) की क्षतिग्रस्त सड़क

679. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि काअपरेटिव कालोनी, अजमेर रोड, सोडाला, जयपुर को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क वर्तमान में पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो चुकी है एवं सीवरेज लाइन डालने हेतु जगह–जगह पर सड़क खोदी जाने के कारण आये दिन दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि अजमेर रोड सोडाला के पास हिन्दुस्तान पैट्रोल पम्प के पास की मुख्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो उक्त सड़क की चौड़ाई कब तक बढ़ा दी जावेगी?

(4) अब काअपरेटिव कालोनी व अन्य आवासीय कालोनियों के निवासियों को उक्त समस्या से कब तक राहत मिल सकेगी?

उत्तर

(1) जी हां। सीवर लाइन के लिये काटी गई सड़क पर पुन: डब्ल्यू. बी.एम. सड़क बना दी गई है।

(2) जी हां। डब्ल्यू.बी.एम. कर मरम्मत कराई गई है। डामरीकरण का कार्य वर्ष 2003–2004 में किया जाना प्रस्तावित है।

(3) अजमेर रोड सोडाला के पास हिन्दुस्तान पैट्रोल पम्प के पास सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मुख्य अजमेर सड़क को छह लेन बनाये जाने की योजना है तथा कार्य का पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर सक्षम स्तर पर स्वीकृति प्राप्त कर कार्य हाथ में लिया जावेगा।

(4) डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य करा दिये जाने से सड़क आवागमन योग्य हो गई। चौड़ाई बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में निजी भूमि पर खनन पत्थरों पर रायल्टी की वसूली

680. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में काश्तकारों द्वारा निजी जमीन से स्वयं के कार्य हेतु पत्थर व रेत लेने की क्या रायल्टी वसूल की गई है?

(2) क्या कृषि कार्य हेतु पत्थर खनन का रायल्टी भुगतान करना होता है? यदि हां, तो कितना?

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में कृषकों से निजी जमीन में स्वयं के कार्य हेतु पत्थर व रेत कार्य में लेने पर कोई रायल्टी वसूल नहीं की गई है। अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 58 के अनुसार कृषक खनिज बजरी एवं चुनाई पत्थर का खनन जो कि किसी स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में नहीं गिरता है, से खनिज बजरी एवं पत्थर सिंचाई टैंक, चैनल्स, ट्रेंच, कुओं, खेतों की चारदीवारी या ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय मकान बनाने में उपयोग में लेते हैं तो उसकी रायल्टी वसूल नहीं की जाती है, बशर्ते कि वह नियमानुसार पंचायत अथवा पटवारी की अनुमति प्राप्त करें। तहसील आसीन्द क्षेत्र में अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 58 के तहत एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिसके तहत खनिज बजरी 200 टन हेतु अनुमति जारी की गई है। उसमें रायल्टी एवं परमिट फीस नहीं ली गई है। मात्र खन्ना की कीमत रुपये 20/- जमा कराया गया है। अत: जो कृषक नियमानुसार आवेदन पत्र पेश करता है उसे बिना रायल्टी के खनिज निगमन की अनुमति दी जाती है।

(2) जी नहीं। इस सम्बन्ध में अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 58 में स्पष्ट प्रावधान है कि पत्थर खनन जो किसी स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टाधारी के खनन क्षेत्र में नहीं गिरता है, में से कृषि कार्य हेतु अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 58 की पालना करके निकाला जाता है तो किसी प्रकार की रायल्टी का भुगतान नहीं करना होता है।

जिला अलवर में अवैध खनन के पकड़े गये वाहनों पर कार्यवाही

681. श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी (लक्ष्मणगढ़): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में किन-किन स्थानों पर कितने खनन कार्य चल रहे हैं? उक्त क्षेत्र में किये जा रहे खनन कार्यों

(श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी)

में कितनी भूमि पर किन-किन व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से खनन कार्य करवाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवैध खनन कार्यों के उपयोगार्थ लाये जाने वाले वाहनों को कभी पकड़ा गया है? यदि हां, तो कब कब और उक्त से कितना जुर्माना वसूल किया गया है?

(3) क्या उक्त पकड़े गये वाहनों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) अलवर जिले में स्वीकृत खनन पट्टों के तहत तहसीलवाद क्षेत्रों में चल रहे खनन कार्यों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	तहसील	स्वीकृत खनन पट्टों की संख्या
1.	थानागाजी	50
2.	राजगढ़	67
3.	बानसूर	10
4.	किशनगढ़	01
5.	तिजारा	05
6.	अलवर	14
7.	मुण्डावर	02
8.	बहरोड़	10
9.	कोटकासिम	01
		160

जिला अलवर में वर्तमान में कहीं भी अवैध खनन कार्य चलने की सूचना नहीं है। जब कभी भी अवैध खनन की सूचना प्राप्त होती है तुरन्त प्रभाव से अवैध खनन बन्द करवाने की कार्यवाही की जाती है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

जिला बूंदी व भीलवाड़ा में सेंड स्टोन पर रायल्टी की वसूली

682. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बूंदी एवं भीलवाड़ा के खनन क्षेत्रों में 24 से.मी.×24 से.मी. से कम लम्बाई एवं चौड़ाई वाले सेंड स्टोन कोबल्स जो दाबड़ी (वेस्ट स्टोन) से बनाई जाती है को सरकार क्या मानती है एवं इस पर रायल्टी की दर क्या है?

(2) क्या उक्त के लिए खनिज विभाग रवन्ने जारी करता है या ठेकेदार द्वारा इसकी वसूली की जाती है?

(3) क्या ठेकेदार द्वारा वसूली जा रही दर के बारे में कभी कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) उक्त जिलों के खनन क्षेत्रों में से वर्ष 1989-90 से 1992-93 में कुल

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

कितना खनिज 24×24 से.मी. से कम लम्बाई चौड़ाई का सेंड स्टोन कोबल्स जो दाबड़ी (वेस्ट स्टोन) में से बनाया उक्त पर कुल कितनी राशि रायल्टी के रूप में विभाग अथवा ठेकेदार को प्राप्त हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बूंदी एवं भीलवाड़ा के खनन क्षेत्रों में दाबड़ी (वेस्ट स्टोन) से बनाये जाने वाले कोबल्स, सेंड स्टोन खण्डा की श्रेणी में आता है। सेंड स्टोन खण्डे की दोनों जिलों में रायल्टी की दर रुपया 5/- प्रति टन निर्धारित है।

(2) बूंदी जिले में 26.2.2002 से 25.2.2004 तक का खनिज सेंड स्टोन (पट्टी, कातला, फर्शी व उसके साथ निकलने वाला खण्डा) की रायल्टी वसूली बाबत अधिक अधिशुल्क वसूली ठेका मैसर्स शेखावाटी एंटरप्राइजेज को दिया हुआ है व ठेकेदार द्वारा खनिज सेंड स्टोन के खनन पट्टों से निकलने वाले समस्त खनिज की रायल्टी वसूल की जा रही है।

भीलवाड़ा जिले में बिजौलिया क्षेत्र में खनिज सेंड स्टोन (पट्टी, कातला एवं फर्शी) की रायल्टी वसूली बाबत ठेका दिनांक 2.3.2002 से 1.3.2004 तक के लिये मैसर्स शेखावाटी एंटप्राइजेज को दिया हुआ है। इस ठेके में सेंड स्टोन खण्डा सम्मिलित नहीं होने से खनिज सेंड स्टोन (वेस्ट स्टोन) से कोबल्स बनाने के लिये सेंड स्टोन खण्डे के परमिट विभाग द्वारा रुपये 5/-प्रति टन रायल्टी प्राप्त कर जारी किये जा रहे हैं। इस प्रकार बिजौलिया क्षेत्र में विभाग द्वारा जारी परमिट के आधार पर विभागीय रवन्नाओं से खनिज सेंड स्टोन वेस्ट से कोबल्स का निर्माण किया जाता है जिसकी रायल्टी वसूली विभाग द्वारा की जाती है।

(3) जी हां। बूंदी जिले में कोबल्स पर रायल्टी वसूली के सम्बन्ध में मैसर्स आर्केडिया ओवरसीज, जयपुर व श्री कन्हैया लाल घाटीवाले की शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर खनिज अभियन्ता, बूंदी-I द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार को खनिज सेंड स्टोन वेस्ट से बनने वाले कोबल्स पर रायल्टी रुपया 5/- प्रति टन वसूल करने हेतु लिखा गया था। इसके पश्चात् श्री रविन्द्र गुप्ता, था। इसके पश्चात् श्री रविन्द्र गुप्ता, एडवोकेट एवं श्रीमती आशा मण्डोवरा का 80 सीपीसी नोटिस प्राप्त होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को वैधानिक नोटिस दिनांक 12.3.2003 को दिया गया है।

भीलवाड़ा जिले में बिजौलिया से सम्बन्धित क्षेत्र के रायल्टी वसूली ठेकेदार के विरुद्ध भी प्राप्त इस सम्बन्ध में शिकायत पर सम्बन्धित ठेकेदार को नोटिस जारी कर खनिज सेंड स्टोन वेस्ट से बनने वाले कोबल्स पर रायल्टी वसूली नहीं करने हेतु नोटिस दिया गया है। इसके

(खनिज मंत्री)

विरुद्ध ठेकेदार द्वारा विभाग को सूचित किया गया है कि उसके द्वारा खनिजों पर किसी प्रकार की रायल्टी वसूली नहीं की गई है व नहीं की जा रही है। बिजौलिया क्षेत्र में विभाग द्वारा सेंड स्टोन वेस्ट से कोबल्स बनाने हेतु अग्रिम रायल्टी प्राप्त कर परमिट जारी किये जा रहे हैं।

(4) उक्त जिलों के खनन क्षेत्रों में से वर्ष 1989-90 से 1992-93 में दाबड़ी (वेस्ट स्टोन) से बनाये गये सेंड स्टोन कोबल्स की मात्रा शून्य है क्योंकि इस अवधि में कोबल्स का निर्माण नहीं होता था। इसलिये इस अवधि में सेंड स्टोन कोबल्स से विभाग को रायल्टी प्राप्त नहीं होती थी एवं इस अवधि में इन क्षेत्रों ने सेंड स्टोन खनिज की रायल्टी वसूली का ठेका भी नहीं दिया हुआ है।

जिला भीलवाड़ा में वृक्षारोपण कार्य

683. डा. रतन लाल (सहाड़ा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत पांच वर्षों में जिला भीलवाड़ा में कितना वृक्षारोपण किया गया? प्रति वर्ष क्या टारगेट रखा गया तथा कितना लक्ष्य प्राप्त किया जा सका और जीवित पौधों का प्रतिशत क्या रहा?

(2) केन्द्र/राज्य सरकार की किस-किस योजना के तहत जिले में उक्त वर्षों में क्या-क्या कार्य कराये गये हैं?

(3) वर्तमान में उक्त जिले में कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? उक्त में स्वीकृत पद कितने हैं तथा कितने पद रिक्त हैं और रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में जिला भीलवाड़ा में 4130 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया गया। प्रति वर्ष वृक्षारोपण हेतु रखे गये लक्ष्य एवं प्राप्त की गयी उपलब्धि का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में दर्शाया गया है।

विभिन्न वृक्षारोपण स्थलों पर जीवित पौधों का प्रतिशत 46% से 90% के मध्य रहा है।

(2) गत पांच वर्षों में उक्त जिले में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना, ईंधन वृक्षारोपण योजना, लघु वन ऊपज योजना, वानिकी विकास परियोजना के अन्तर्गत भू-संरक्षण संरचनाओं, वृक्षारोपरण स्थलों की सुरक्षा हेतु सूखे पत्थरों की चिनाई कर दीवार बनाना, खाई फैंसिंग, जल संरक्षण कार्य एवं पौधारोपण का कार्य किया गया।

(3) वर्तमान में उक्त जिले में राज्य सेवा के 2 अधिकारी एवं 147 कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध 2 अधिकारी एवं 145 कर्मचारी कार्यरत हैं। कर्मचारियों

(राज्य मंत्री, वन)

के 2 रिक्त पदों में से 1 को स्थानान्तरण से भरने के आदेश प्रचलित कर दिये गये हैं तथा 1 कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद को भरने हेतु निदेशक कोष एवं लेखा विभाग को लिखा गया है। जिले में 158 कार्य प्रभारित कर्मचारी भी कार्यरत हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

जिला जैसलमेर में वन विकास हेतु मास्टर प्लान

684. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में वन विकास हेतु 20 करोड़ से अधिक राशि व्यय हो रही है?

(2) क्या इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में रेत रोकने हेतु नवीनीकरण का कार्य अलग–अलग एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा गोल्डन ग्रास नाम की योजना स्वीकृत हुई थी जिस पर विभाग ने कार्य नहीं किया?

(4) क्या यह भी सही है कि विभिन्न एजेंसी मरुस्थल विस्तार रोकने हेतु आर्थिक सहयोग कर रही है?

(5) क्या नहरी क्षेत्र में ए.टी.एफ. अर्ध सैनिक यूनिट कार्य कर रही है? यदि हां तो इनके पास कितना क्षेत्र है?

(6) क्या सरकार ने जैसलमेर जिले के वनीकरण का कोई मास्टर प्लान बनाया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में वन विकास हेतु व्यय की जा रही राशि का वर्ष 1998–1999 से 2002–2003 (फरवरी, 2003) तक का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में दर्शाया गया है।

(2) जिला जैसलमेर में इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में टिब्बा स्थरीकरण का कार्य वन विभाग के दो वन मण्डलों के द्वारा उनको आबंटित कार्य क्षेत्र में किया जा रहा है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) वन विभाग को आबंटित भौतिक लक्ष्यों में से ही वर्ष 1997–1998 से अब तक नहरी क्षेत्र में ई.टी.एफ. की अर्द्ध सैनिक यूनिट द्वारा 2050 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है।

(6) जी नहीं। जैसलमेर जिले में वनीकरण का कार्य स्वीकृत योजनाओं के अनुसार ही किया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

प्रश्न संख्या–685
(स्थगित)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वृक्षों की अवैध कटाई

686. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठित उच्चाधिकार सम्पन्न समिति के निर्देशानुरूप इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के लिए भारत सरकार द्वारा वृक्षों के विदोहन हेतु स्वीकृत कार्य आयोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित विवरणानुसार प्रतिवर्ष माह अप्रैल से सितम्बर तक परिपक्व वृक्षों की कटाई प्रतिबन्धित होने के बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए गत कई वर्षों से उक्त क्षेत्र में वृक्षों की कटाई का कार्य पूरे वर्ष निरन्तर जारी रखा जाता है? यदि हां, तो क्या उक्त के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कोई अनुमति प्राप्त की गई है?

(2) उक्त वृक्षों की कटाई किस स्तर के अधिकारी के आदेशों के की जा रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन के लिए कौन–कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं तथा क्या सरकार ऐसे दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9.5.2002 में दिये गये निर्देशों के अनुसार गठित उच्चाधिकार सम्पन्न समिति के किसी निर्देश के विरुद्ध परिपक्व वृक्षों की कटाई नहीं की गई है।

(2) प्रश्न के भाग संख्या एक के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

687. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में उचित मूल्य की कितनी दुकानें हैं?

(2) वर्ष 1999–2002 तक उक्त में से कौन–कौन सी दुकानों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई?

(3) क्या सरकार उक्त दोषी डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में कुल 57 उचित मूल्य की दुकानें है।

(2) वर्ष 1999–2002 तक उक्त में से उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत रोणीजा, सथूर 1/2, मांगलीकलां, चतरगंज एवं गोठड़ा के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच के बाद पाये गये दोषी डीलरों के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार निस्तारण किया जा चुका है, जिसके अनुसार उचित मूल्य दुकान सथूर 1/2, मांगलीकला एवं गोठड़ा का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया एवं उचित मूल्य दुकान चतरगंज का प्राधिकार पत्र भी निरस्त किया गया था, जो अपील न्यायालय से बहाल किया जा चुका है। उचित मूल्य दुकान रोणीजा को जांच में दोषी नहीं पाये जाने के कारण पत्रावली निस्तारित की जा चुकी है। अब किसी प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अजमेर शहर के चयनित परिवारों को उचित मूल्य की सामग्री वितरण में अनियमितता

688. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर शहर में बी.पी.एल. परिवारों को गेहूं एवं चीनी का वितरण सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि अप्रैल, 2002 से गेहूं/चीनी की मात्रा प्रति परिवार घटा दी गई है? यदि हां, तो कितनी कर दी गयी है?

(3) उक्त गेहूं एवं चीनी वितरण हेतु कितनी उचित मूल्य दुकानों को अधिकृत किया हुआ है? उक्त में किस किस दुकान पर कितने यूनिट बी.पी.एल. परिवार सम्बद्ध किए हुए हैं?

(4) गत तीन वर्षों में उक्त में से किसी दुकान के प्रति क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अजमेर शहर में बी.पी.एल. परिवारों को गेहूं एवं चीनी का वितरण सरकार द्वारा निर्धारित मात्रानुसार ही किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा दिनांक अप्रैल, 2002 से ए.पी.एल., बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत गेहूं की मात्रा प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह 25 किग्रा. से 35 किग्रा. बढ़ा दी गई है। चीनी की मात्रा 500 ग्राम प्रति यूनिट ही है, जो बी.पी.एल. परिवारों को ही वितरित की जाती है।

(3) अजमेर शहर में बी.पी.एल. व अन्त्योदय राशन कार्डधारियों को गेहूं एवं चीनी वितरण करने के लिए 25 उचित मूल्य दुकान अधिकृत है। अधिकृत उचित मूल्य की दुकानों का विवरण एवं उस पर पंजीकृत बी.पी.एल. राशन कार्ड तथा यूनिट्स का विवरण परिशिष्ट-(अ) पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(4) वर्ष 2001 से 2003 में उक्त 25 उचित मूल्य की दुकानों में से एक उचित मूल्य दुकान संख्या 218 के सम्बन्ध में डीलर द्वारा दुकान नहीं खोलने एवं राशन सामग्री नहीं देने बाबत शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी जांच प्रवर्तन निरीक्षक से कराई गई। वक्त जांच में उचित मूल्य दुकान खुली पाई गई एवं राशन सामग्री का वितरण करना पाया गया। केवल केरोसीन का वितरण नहीं होना बताया जिसका कारण डीलर द्वारा केरोसीन का उठाव नहीं होना बताया। बाद जांच डीलर को समय पर राशन सामग्री का उठाव कर वितरण करने हेतु पाबन्द किया गया।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

ग्राम रलावता (दौसा) में उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

689. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम रलावता (दौसा) में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त डीलरों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या और किसके द्वारा?

(3) उक्त डीलरों की जांच किन किन अधिकारियों द्वारा कराई गई है? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त डीलरों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त डीलरों को कितनी-कितनी चीनी, गेंहू, केरोसिन, उपभोक्ता को बांटने के लिये दिया गया है? गत छह माह का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम रलावता (दौसा) में कुल दो उचित मूल्य की दुकानें है। राशन डीलरों के नाम निम्न है:

1. श्री रामचरण गुर्जर
2. श्री विजेन्द्र सिंह

(2) उक्त डीलरों में से श्री रामचरण गुर्जर के विरुद्ध समस्त ग्रामीणजन, ग्राम पंचायत रलावता (दौसा) द्वारा राशन सामग्री की कालाबाजारी व राशन सामग्री का वितरण न करने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई है। शिकायतों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा प्रवर्तन अधिकारी से एवं विभाग द्वारा जिला रसद अधिकारी (मुख्यालय) (सतर्कता) से जांच कराई गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(4) जी हां। डीलर द्वारा अनियमितता किये जाने के कारण जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा डीलर की जमाशुदा प्रतिभूति राशि में से 100/- रुपये जब्त सरकार किये गये।

इस सम्बन्ध में विभाग के स्तर पर जांच रिपोर्ट व निर्णय के सम्बन्ध में परीक्षण हेतु जिला रसद अधिकारी, दौसा से डीलर की पत्रावलियां तलब की गई तथा जिला रसद अधिकारी (मु.) (सतर्कता) के नेतृत्व में डीलर की पुनः जांच करवाई गई एवं जिला रसद अधिकारी, दौसा को डीलर के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु दिनांक 24.2.2003 को लिखा गया।

(5) ग्राम पंचायत रलावता के डीलरों को गत छह माह में उपभोक्ताओं को बांटने हेतु दिये गये चीनी, गेहूं, केरोसीन का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर के पुरास्मारक/भवन/ दरवाजों व परकोटों के संधारण पर व्यय

690. **श्री कन्हैया लाल (बस्सी):** क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जिला जयपुर के कौन-कौन से पुरास्मारक, भवन, दरवाजों, परकोटों पर कितनी-कितनी राशि खर्च कर कौन-कौन सा कार्य पूर्ण किया जा चुका है? उक्त कार्यों पर कितनी राशि खर्च किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला जयपुर के पुरास्मारकों, भवन, दरवाजों, परकोटों पर पिछले पांच वर्षों में संलग्न विवरण के अनुसार राशि खर्च कर संलग्न सूची के अनुसार कार्य कराये गये हैं। आगामी वर्षों में उक्त कार्यों पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि का विवरण भी संलग्न प्रपत्र में अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

पुरातत्व अधीक्षक जयपुर के द्वारा की गई अनियमितता की जांच

691. **श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल):** क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुरातत्व के अधीक्षक स्तर के अधिकारी शासन सचिवालय के आदेशों के उपरान्त भी अधीक्षक वृत जयपुर का अतिरिक्त कार्य एवं आहरण वितरण का दुरुपयोग करते हैं या करते रहे है? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि अधीक्षकों के स्थानान्तरण आदेश अगस्त, 1999 की

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पालना में जयपुर वृत्त अधीक्षकों ने राज्यादेश के अनुसार पालना की है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी-द्वारा वृत्त का कार्य करते हुये स्थानान्तरण के बाद भी नाहरगढ़ किले पर छापा मारकर कर्मचारियों को प्रताड़ित कर उनसे सेवाएं ली गई व आज तक उनकी अनियमितताओं को पकड़ने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई तथा न ही निदेशालय को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई?

(4) क्या यह सही है कि विभाग के वृत्त जयपुर के संरक्षण कार्य भी इनके द्वारा प्रमाणित कर दिये गये व भुगतान ठेकेदारों को दे दिया गया? क्या उक्त अधिकारी सक्षम नहीं थे?

उत्तर

(1) एक कार्यवाहक अधिकारी द्वारा अधीक्षक जयपुर वृत का अतिरिक्त कार्य एवं आहरण वितरण का कार्य किया गया हैं। प्रकरण में निलम्बित कर दिया गया है एवं 17 सी.सी.ए. रूल्स के अन्तर्गत चार्जशीट दी जा चुकी है एवं 16 सी.सी.ए. रूल्स के तहत चार्जशीट दी जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। पालना नहीं की। विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। निदेशक द्वारा सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध इस सम्बन्ध में 17 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही की जा रही हैं।

(4) जी हां। अधिकारी द्वारा कार्य हस्तान्तरण नहीं किये जाने के कारण संरक्षण का कार्य भी इनके द्वारा प्रमाणित किये गये तथा ठेकेदार को भुगतान दे दिया गया है। उक्त अधिकारी सक्षम थे।

जिला पाली के क्रमोन्नत पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

692. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में जिला पाली के किस-किस पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त जिले में कितने नये चिकित्सालय/उप केन्द्र खोले गये? उक्त नये खोले गये पशु चिकित्सालय/उप केन्द्रों में कहां-कहां पशु चिकित्सक व कम्पाउण्डर लगाये गये तथा कहां-कहां अब तक नियुक्तियां नहीं दी गई?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में पाली जिले के पशु चिकित्सालय, रानी, रायपुर, जैतारण, बाली एवं सोजत को क्रमोन्नत किया गया है।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(2) सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्ष 2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003 में पाली जिले में कोई भी नवीन पशु चिकित्सालय/उप केन्द्र नहीं खोला गया है। प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं के मण्डेसरा में पशु चिकित्सालय की स्थापना

693. **श्री घनश्याम जैन (बेगूं)** :- क्या पशु पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं के मण्डेसरा में पशु चिकित्सालय कब स्वीकृत हुआ?

(2) क्या उक्त स्वीकृत पशु चिकित्सालय प्रारम्भ हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) अब उक्त चिकित्सालय कब तक प्रारम्भ करने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में मण्डेसरा में पशु चिकित्सालय वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत किया गया है।

(2) पशु चिकित्सालय मण्डेसरा में पशुधन सहायक को पदस्थापित किया जा चुका है लेकिन भवन की अनुपलब्धता के कारण पशु चिकित्सालय क्रियाशील नहीं है।

(3) पशु चिकित्सालय मण्डेसरा हेतु भवन उपलब्ध होते ही क्रियाशील कर दिया जावेगा।

पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु योजना

694. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)**: क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं?

(2) क्या उक्त योजनाओं के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या प्रशासनिक तंत्र की विफलता इसका प्रमुख कारण हैं?

(3) उक्त योजनाओं को सरकार प्रभावी बनाने के लिये क्या उपाय करने जा रही है?

उत्तर

(1) राज्य में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुदानित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत कोटा एवं केशोरायपाटन में चम्बल नदी में प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु 20 प्रथम श्रेणी के शहरों में संयुक्त उपचार एवं निस्तारण सुविधाएं स्थापित की जा रही है।

इसी प्रकार बायोमेडिकल बेस्ट के उपचार हेतु 32 जिलों में संयुक्त उपचार

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

एवं निस्तारण व्यवस्थाएं स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु जोधपुर एवं जयपुर शहर के लिए कार्य योजना बनाई गई है।

(2) उक्त योजनाएं अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है। अत: अपेक्षित परिणाम का अनुमान इनके पूर्ण होने पर ही प्राप्त होना सम्भव होगा।

(3) उक्त योजनाओं को जल्दी पूर्ण करने हेतु यथा सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

जिला भीलवाड़ा के ग्रामों हेतु बस सेवा

695. डा. रतन लाल (सहाड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम अडसीपुरा पंचायत समिति सहाडा (भीलवाड़ा) में आवागमन के साधनों की क्या व्यवस्था है? क्या उक्त गांव हेतु बसों का संचालन नहीं होता है? यदि हां, तो बस सेवा कब से शुरू कर दी जावेगी?

(2) क्या ग्राम मण्डोल (भीलवाड़ा) में बसों के संचालन के लिए सर्वे किया गया है? यदि हां, तो कब और उक्त गांव में बस सेवा कब तक चालू कर दी जावेगी?

(3) क्या गांव पनोतिया पंचायत समिति रायपुर (भीलवाड़ा) बस सेवा से वंचित है? यदि हां, तो उक्त गांव को बस सेवा से कब तक जोड़ दिया जाएगा?

उत्तर

(1) ग्राम अडसीपुरा भीलवाड़ा से बोराणा मार्ग के मध्य आता हैं। जिस पर वर्तमान में चार वाहनों की कुल चार वापसी सेवाएं संचालित हैं।

(2) जी हां। ग्राम मण्डोल को बस सेवा से जोड़ने की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 22.9.2001 को सर्वे किया गया है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी चित्तौड़गढ़ का निर्देश दिये गये है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 72 उपधारा 2 के खण्ड XXII के तहत मार्ग के अनुज्ञापत्रों में ग्राम मण्डोल को जोड़ते हुए बस संचालन की शर्त आरोपित करने की कार्यवाही हेतु प्रकरण सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत करें।

(3) ग्राम पनोतिया को बस सेवा से जोड़े जाने की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकरण सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकेगा।

कोटा सम्भाग में निगम सेवा विहीन क्षेत्र में निजी वाहनों को अस्थाई परमिट

696. **श्री मोहन लाल राठौर** (झालरापाटन): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा सम्भाग में जिन मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें पूर्ण मात्रा में सेवाएं नहीं दे रही हैं उनके लिये सरकार क्या योजना बना रही है? कोटा सम्भाग के कितने मार्गों का राष्ट्रीकरण कब-कब किया गया है?

(2) वर्तमान में कोटा सम्भाग के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राज्य परिवहन निगम की बसों की कितनी-कितनी ट्रिप कौन कौन से मार्गों पर संचालित होनी चाहिए और राज्य परिवहन निगम बस कौन कौन से मार्गों पर कितनी-कितनी ट्रिप कर रही है?

(3) मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 104 (ए) के अनुसार कुछ समय के लिए निजी वाहनों को अस्थाई परमिट दिये जाने का नियम होने के बावजूद भी सरकार जनता को सुविधा क्यों नहीं दे रही है? क्या सरकार जनहित में जहां राज्य परिवहन निगम की बसें नहीं चलती हैं वहां पर प्राइवेट बसों को परमिट जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या पूर्व में फरवरी 2001 में परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर द्वारा कुछ घाटे के मार्गों को अराष्ट्रीयकृत करके निजी वाहनों को परमिट देने के लिए एक सूची राज्य सरकार को भेजी थी?

(5) उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा क्या किया गया? क्या सरकार द्वारा उक्त मार्गों को अराष्ट्रीयकृत नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक किया जावेगा?

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग के जिन मार्गों पर निगम की बसें पूर्ण मात्रा में संचालित नहीं है, उन मार्गों की सूचना प्राप्त होने पर बसें उपलब्ध कराने एवं वांछित संख्या में सेवाएं बढ़ाने हेतु निगम को निर्देशित किया गया है एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोटा को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 104 के तहत निजी बसों को अस्थाई परमिट जारी करने हेतु आवेदन पत्र निर्णय हेतु सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

कोटा सम्भाग के राष्ट्रीयकृत मार्गों की सूची परिशिष्ट-"1" में है।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट-"1" में है।

(3) जी हां। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर योजना के अनुरूप निगम द्वारा बस सेवा उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में मोटर यान अधिनियम की धारा 104 के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रादेशिक परिवहन

(यातायात मंत्री)

अधिकारी, कोटा को निर्देशित किया हुआ है। इन मार्गों पर अनुज्ञापत्र के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण निर्णय हेतु सदस्य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को प्रेषित किये जाते हैं।

(4) जी हां।

(5) इस सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य सरकार को निर्णय हेतु प्रेषित किये गये थे। यह प्रस्ताव विभाग के स्तर पर कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग को वापिस प्राप्त हुए हैं, जो विचाराधीन हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

राजसमन्द में पथ परिवहन निगम आगार की स्थापना

697. श्री बंशीलाल गहलोत (राजसमन्द): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राजसमन्द के पथ परिवहन निगम आगार की स्थापना की स्वीकृति जारी हो चुकी है? यदि हां, तो उसकी कब तक स्थापना कर दी जायेगी?

उत्तर

जी नहीं। निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुये फिलहाल राजसमन्द में राजस्थान, परिवहन निगम का आगार खोलने का कोई विचार नहीं है।

जिला धौलपुर में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में कराये गये कार्यों का निरीक्षण

698. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला धौलपुर में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए? उक्त आवेदनों में से कितने आवेदनों को स्वीकार किये गये और स्वीकार आवेदनों में से कितने व्यक्तियों को राशि दी गई?

(2) उक्त योजना में विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के कितने व्यक्तियों को राशि आबंटित की गई? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला धौलपुर में उक्त योजना में कराये कार्यों का निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो किसके द्वारा और नहीं, तो क्यों? निरीक्षण के समय पाई गई अनियमितताओं पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक कार्यरत थी, योजनान्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करने का प्रावधान नहीं था। ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं में लाभार्थियों का चयन किया जाता था। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,

(ग्रामीण विकास मंत्री)

धौलपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि के 22.5 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तिगत लाभ के तहत 486 लाभार्थियों का चयन कर, स्वीकृति जारी की गई थी एवं 486 व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु राशि दी गई थी।

(2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धौलपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ की योजना के तहत 151 व्यक्तियों की आवास निर्माण हेतु राशि आबंटित की गई थी, जिनकी सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(3) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धौलपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार जिले में उक्त योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का निरीक्षण निर्धारित मापदण्डानुसार कनिष्ठ अभियन्ता, विकास अधिकारी, सहायक अभियन्ता, डीआरडीए/जिला परिषद्, अति. कलक्टर (विकास) एवं जिला कलक्टर द्वारा किये गये थे। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को मौके पर निर्देश देकर पूर्ण करा दिया गया था। इस योजनान्तर्गत आवास निर्माण के स्वीकृत कार्यों के भुगतान से सम्बन्धित शिकायतें ग्राम पंचायत डोमाई एवं पिपरान की प्राप्त हुई थी। ग्राम पंचायत डोमई के सात लाभार्थियों की शिकायतों में से छह लाभार्थियों द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार आवासों के निर्माण कराने के पश्चात् राशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा कर दिया गया है, एक लाभार्थी को प्रथम किश्त का भुगतान किया जा चुका है, प्रथम किश्त का उपयोग होने पर शेष किश्तों का भुगतान कर दिया जावेगा। ग्राम पंचायत पिपरोन में एक लाभार्थी को सरपंच द्वारा आवास स्वीकृत कर राशि का आहरण ग्राम पंचायत से कर लिया गया था, किन्तु लाभार्थी को भुगतान नहीं किया गया था, तत्कालीन सरपंच की मृत्यु होने के पश्चात आहरित की गई राशि को तत्कालीन ग्रुप सचिव ने ग्राम पंचायत कोष में जमा करा दिया है। उक्त सम्बन्ध में तत्कालीन ग्रुप सचिव, ग्राम पंचायत, पिपरोन के विरुद्ध 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

विधान सभा क्षेत्र रूपवास में गरीब परिवारों को आवास हेतु राशि

699. **श्री निर्भय लाल (रूपवास):** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों के लिए आवास हेतु राशि स्वीकृत की जाती है? यदि हां, तो किस किस योजना में कितनी कितनी राशि?

(श्री निर्भय लाल)

(2) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में उक्त योजनाओं में किस किस को कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों के आवास हेतु राशि स्वीकृत की जाती है। अकाल राहत कार्यों (व्यक्तिगत लाभ योजनान्तर्गत) के तहत निजी आवास का निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना में 25 प्रतिशत नगद श्रमभार व समस्त सामग्रीभार लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है एवं राहत मद के अन्तर्गत श्रम के 75 प्रतिशत भाग का भुगतान एस.जी.आर.वाई. (स्पेशल कम्पोनेंट) योजना के गेहूं से किया जाता है। ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत आवास की विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत राशि (अनुदान) का प्रावधान निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि का प्रावधान प्रति व्यक्ति (रुपयों में)
1	2	3
1.	आई.ए.वाई.	20,000,00
2.	आई.ए.वाई. (क्रमोन्नत)	10,000,00
3.	पी.एम.जी.वाई.	20,000,00
4.	पी.एम.जी.वाई.(क्रमोन्नत)	10,000,00
5.	एस.जी.आर.वाई. (20 प्रतिशत जिला परिषद्, 30 प्रतिशत पंचायत समिति)	20,000,00
6.	ऋण एवं अनुदान योजना	10,000,00 (अनुदान)

(2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भरतपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर विधान सभा क्षेत्र रूपवास में आवास हेतु ग्रामीण विकास की योजनाओं के तहत स्वीकृत राशि का विवरण वर्षवार, योजनावार, ग्रामवार/ग्राम पंचायतवार एवं लाभार्थियों के नाम सहित परिशिष्ट–'अ' पर है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ के व्याख्याताओं/कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रतिकूल प्रविष्टियों का निस्तारण

700. **श्री रमेश खींची (कठूमर):** क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1990 से 1995 तक राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ में प्राचार्य के पद पर कौन-कौन तथा कब-कब पदस्थापित रहा?

(2) क्या उक्त अवधि में किसी व्याख्याता को कार्यवाहक प्राचार्य का

(श्री रमेश खींची)

कार्यभार भी दिया गया था? यदि हां, तो किस-किस को तथा कब से कब तक?

(3) उक्त कार्यवाहक प्राचार्य को अपने अधीनस्थ के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी अवधि का कार्यकाल होना चाहिए?

(4) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय में वर्ष 1991-1992 में कार्यवाहक प्राचार्य ने अल्पावधि में अपने समकक्ष व्याख्याताओं के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं? क्या कार्यवाहक की अल्पावधि में ही इस प्रकार प्रतिकूल टिप्पणियां करना उचित है? यदि नहीं, तो फिर ऐसा क्यों किया गया तथा अब कब तक दुरुस्त कर दिया जावेगा?

(5) उक्त राजकीय महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य ने वर्ष 1991-92 में बतौर प्रतिवेदक अधिकारी किस-किस के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टियां की थी?

(6) क्या उक्त के प्रतिकूल प्रविष्टियों के होने के कारण इनको 16 सीसीए का आरोप पत्र दिया गया था? यदि हां, तो किस-किस को तथा क्या-क्या आरोप लगाये थे?

(7) क्या उक्त आरोपों के सम्बन्ध में जांच करवायी गई? यदि हां, तो जांच किसने कब की तथा जांच में किस-किस के विरुद्ध कौन-कौन से आरोप सही पाये गये एवं किन-किन को कौन-कौन से आरोप से दोष मुक्त किया गया?

(8) क्या उक्त जांच के आधार पर कार्मिक (क-3) ने वर्ष 1997 में कोई आदेश पारित किया है? यदि हां, तो क्या तथा विभाग ने अब तक उक्त पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक आवश्यक कार्यवाही कर ली जावेगी?

(9) क्या उक्त जांच के द्वारा दोष सिद्ध नहीं होने के कारण सम्बन्धित व्याख्याताओं/कार्मिकों को चयनित वेतनमान एवं अन्य लाभ दे दिये गये हैं एवं वार्षिक कार्यमूल्यांकन से इनकी प्रतिकूल प्रविष्ठियां हटा दी गई हैं? यदि हां, तो कब तथा नहीं, तो अब कब तक उक्त कार्यवाही करली जावेगी?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से 1995 तक राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़ में निम्नलिखित व्यक्ति प्राचार्य के पद पर कार्यरत रहे है :-

श्री एस.एस. माथुर,

11.12.1990 से 21.2.1992 प्राचार्य

श्री एन.के. शर्मा,

24.6.1993 से 30.6.1994 प्राचार्य

श्री नौरंग लाल,

9.7.1994 से 9.7.1996 प्राचार्य

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(2) जी हां। महाविद्यालय में प्राचार्य एवं उप प्राचार्य कार्यरत नहीं होने के कारण वर्ष 1992 में श्री रघुनन्दन आचार्य, व्याख्याता को दिनांक 22.2.1992 से दिनांक 7.9.1992 तक कार्यवाहक प्राचार्य का कार्यभार दिया गया।

(3) महाविद्यालय शिक्षा सेवा में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने की सत्रावधि माह जुलाई से जून है। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने की अवधि सत्र में तीन माह की पूर्ण होनी चाहिये।

(4) जी हां। सत्र 1991-92 में उक्त महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य श्री रघुनन्दन आचार्य ने दिनांक 22.2.1992 से 30.6.1992 तक की अवधि के गोपनीय प्रतिवेदन भरे थे। प्रतिवेदक अधिकारी टिप्पणियां करने में सक्षम है। निर्धारित प्रक्रिया से ही प्रतिकूल टिप्पणी हटाई जा सकती है।

(5) श्री रामजीलाल चौहान के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टियां अंकित की थी।

(6) महाविद्यालय में कार्यरत व्याख्याता श्री रामजीलाल चौहान, व्यावसायिक प्रशासन को सीसीए नियम 16 के तहत आरोप पत्र दिया गया था जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। जिसमें लगाये गये आरोप भी अंकित है।

(7) जी हां। कार्मिक (क-3) विभाग जयपुर ने सम्भागीय आयुक्त कोटा को आदेश दिनांक 5.10.1995 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 16.1.1997 को कार्मिक (क-3) विभाग को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् कार्मिक विभाग द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट के परीक्षण में पाया कि आरोपित अधिकारी श्री रामजीलाल चौहान के खिलाफ लगाये गये पांचों आरोप उनके विरुद्ध सिद्ध नहीं होते हैं। कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.1 (100)का./क-3/93 दिनांक 25.2.1997 द्वारा श्री चौहान के खिलाफ विभागीय जांच के मामले को समाप्त करने के आदेश प्रदान किये गये।

(8) जी हां। उप शासन सचिव कार्मिक (क-3) विभाग जयपुर ने उनके आदेश क्रमांक प.1(100) का./क-3/93 दिनांक 25.2.1997 द्वारा श्री रामजीलाल चौहान के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण विभाग के जांच के मामले को समाप्त करने के आदेश प्रदान किये गये है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। श्री चौहान के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(9) जी नहीं। कार्मिक विभाग से जानकारी की जा रही है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

कोटा खुला विश्वविद्यालय में नियुक्त कार्यवाहक कुल सचिव

701. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा खुला विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुल सचिव न तो निर्धारित योग्यता रखते हैं और न ही निर्धारित अनुभव इन्हें प्राप्त है? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति को कार्यवाहक कुल सचिव नियुक्त करने के क्या कारण हैं?

(2) क्या उक्त के विरुद्ध कालेज के समय में कोई केस दर्ज है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त ने आवास ऋण प्राप्त करने के लिये झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया था व इसी आधार पर वित्त अधिकारी ने इन्हें ऋण देने हेतु रोक लगाई थी? क्या इस प्रकार की गई अनियमितता के लिये सरकार इसे पर्याप्त मानती है? यदि नहीं, तो अब इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उत्तर

(1) जी नहीं। कार्यवाहक कुल सचिव श्री एन.एल. चांडक उप कुल सचिव के पद पर नियमानुसार नियुक्त किये गये हैं तथा इस पद के लिये निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखते हैं। वरिष्ठ उप कुल सचिव होने के कारण उनको कार्यवाहक कुल सचिव का कार्य दिया गया है।

(2) कार्यवाहक कुल सचिव श्री एन.एल. चांडक के विरुद्ध कालेज के समय में कोई केस दर्ज होने की जानकारी विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(3) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा ऋण पर कोई रोक नहीं लगाई गई।

राजस्थान विश्वविद्यालय से अनुमोदित निजी शिक्षण संस्थाओं में संचालित नवीन पाठ्यक्रम

702. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2001 व 2002 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अधीन कौन-कौन से महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त अनुमोदित निजी शिक्षण संस्थाओं में कौन-कौन से नये पाठयक्रम प्रारम्भ किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों में बी.सी.ए. पार्ट प्रथम में कितने कितने छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया गया तथा प्रवेश देने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई? महाविद्यालयों/निजी संस्थावार कुल छात्र संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2001-2002 एवं 2002-2003 में नियमित पाठ्यक्रम में छात्र छात्राओं को प्रवेश देने

(श्री रामप्रताप)

के काफी अन्तराल के बाद बी.सी.ए. पार्ट प्रथम में प्रवेश प्रक्रिया अपनाने के कारण 60-70 प्रतिशत सीटें खाली रही? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हों इस हेतु वर्ष 2003-04 से नियमित पाठ्यक्रम में छात्र/छात्राओं के प्रवेश प्रक्रिया के साथ बिना प्रवेश परीक्षा लिये 10+2 की मैरिट के आधार पर प्रारम्भ किये गये नये पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया अपनाये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) बी.सी.ए. पार्ट प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के छात्र छात्राओं के लिये लागू किया गया सिलेबस क्या उनके लिये उचित स्तर का है? यदि नहीं, तो इस पर पुनर्विचार कर संशोधित सिलेबस कब तक लागू कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) वर्ष 2001-2002 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अधीन संचालित महाविद्यालयों एवं उससे सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों में प्रारम्भ किये गये नवीन पाठ्यक्रमों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों की महाविद्यालयवार सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन मांगे गये और संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की गयी योग्यता सूची के अनुसार योग्यता क्रम में प्रवेश दिये गये।

(3) वर्ष 2001-2002 एवं 2002-2003 में बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में कम विद्यार्थियों के आवेदन करने के कारण सीटें रिक्त रही। वर्ष 2003-2004 के लिये इस सम्बन्ध में सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय से विचार विमर्श कर उचित निर्णय लिया जावेगा।

(4) वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 में बी.बी.ए. पार्ट प्रथम का पाठयक्रम विश्वविद्यालय के शैक्षणिक निकायों द्वारा अनुमोदन उपरान्त ही लागू किया गया था। वर्ष 2003-2004 के लिये विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम को संशोधित करवाकर अधिक उपयुक्त बनाया जा रहा है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय महाविद्यालय अजमेर में एलएल.एम. पाठ्यक्रम की स्वीकृति

703. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि एलएल.एम. कक्षाएं चलाये जाने के लिये बार कौंसिल आफ इण्डिया ने कोई मानदण्ड निर्धारित किए है? यदि हां, तो क्या? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि

(श्री ललित भाटी)

एलएल.बी. डिप्लोमा इन लेबर ला, डिप्लोमा इन क्रीमोनोलॉजी के लिए भी ऐसे ही मान दण्ड निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय अजमेर में एलएल. एम. कक्षाएं शुरू करने के लिए मांग की जाती रही है? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय में कब तक उक्त कक्षाएं शुरू कर दी जाएगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) बार कौउंसिल द्वारा एलएल.बी. प्रोफेशनल कोर्स के मानदण्ड निर्धारित किये हुये हैं। (परिशिष्ट–1) लेकिन डिप्लोमा इन लेबर लॉ व डिप्लोमा क्रिमिनोलॉजी के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये हुए हैं।

(3) जी हां। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुये राजकीय महाविद्यालय अजमेर में राजकीय क्षेत्र में एलएल.एम. कक्षाएं प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं है।

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कांकरोली-रेल मगरा (राजसमन्द) सड़क निर्माण कार्य

704. **श्री बंशीलाल गहलोत (राजसमन्द):** क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कांकरोली से रेल मगरा तक की सड़क की मरम्मत कराई गई है? यदि हां, तो ग्राम एमडी से जाने वाले सड़क की मरम्मत नहीं कराये जाने के क्या कारण रहे? क्या सरकार अब उक्त सड़क की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानीय विधायक/सांसद द्वारा विधायक कोष से उक्त सड़क की साइडों की नालियां बनवाई गई हैं? यदि हां, तो सम्बन्धित ठेकेदार को फायदा पहुंचाने हेतु सड़क की मरम्मत नहीं कराने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विपणन बोर्ड को रेलमगरा से कांकरोली तक की सड़क किलोमीटर 5/0 से 9/0 व 12/0 से 24/500 कुल 16.500 किलोमीटर की मरम्मत की स्वीकृति सड़क सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन परियोजना के प्रथम चरण में प्राप्त हुई, जिसमें से 15.20 किलोमीटर का डामरीकरण का कार्य करवाया जा चुका है। 1.300 किलोमीटर का कार्य जो एमडी ग्राम का हिस्सा है, नहीं कराया जा सका है। ग्राम एमडी में ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व निर्मित सड़क को जगह-जगह से नीचा कर देने के कारण व ग्राम के हिस्से में नालियां सही नहीं होने के कारण एवं पानी की निकासी की व्यवस्था न होने

(कृषि विपणन मंत्री)

के कारण उक्त भाग में डामरीकरण का कार्य नहीं कराया जा सका। वर्तमान में एमडी ग्राम में ग्राम पंचायत द्वारा नालियों का निर्माण किया जा रहा है, नालियों का निर्माण व सड़क का डब्ल्यू.बी.एम. पंचायत द्वारा पूर्ण करने के तत्पश्चात् संवेदक से शेष बची 1.300 किलोमीटर लम्बाई में से 900 मीटर लम्बाई में सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया जावेगा। बकाया 400 मीटर लम्बाई में सड़क लेवल ज्यादा नीचा होने के कारण कार्य कराना सम्भव नहीं होगा।

(2) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत स्थान पर नाली निर्माण एवं डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का कार्य जिला विकास अभिकरण राजसमन्द द्वारा जारी स्वीकृति की पालना में ग्राम पंचायत एमडी द्वारा करवाया जा रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण कार्य अभी तक नहीं करवाया गया है, न कि संवेदक को लाभ पहुंचाने के लिए।

कृषक साथी योजनान्तर्गत वजीरपुरा (टौंक) के मृतक काश्तकार के आश्रितों को मुआवजा

705. श्री रमेश खींची (कठूमर) एवं श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि कार्य करते समय काश्तकार श्री रतन लाल चौधरी निवासी वजीरपुरा वार्ड नम्बर 2 टोंक के विद्युत लाइन टूटने के कारण करंट लगने से हुई क्षति के लिए सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, टौंक को कृषक साथी योजना में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कृषक को क्षति स्वरूप सहायता दी गई है? यदि हां, तो कब व कितनी राशि और नहीं, तो अब कब तक उसको भुगतान कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री रतन लाल चौधरी निवासी वजीरपुरा वार्ड संख्या 2 टौंक को सहायता राशि 6000/- रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

(2) जी हां। श्री रतनलाल चौधरी को 6000/- रुपये सहायता राशि का भुगतान दिनांक 13.3.2003 को कर दिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा मुख्यालय पर कृषि मण्डी निर्माण कार्य

706. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मांगीलाल गरासिया)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा मुख्यालय पर कृषि मण्डी निर्माण हेतु भूमि आबंटित है?

(2) उक्त भूमि कब आबंटित हुई और क्या उक्त पर चारों तरफ बाउण्डरी बनकर तैयार हो गई है? यदि हां, तो अब उक्त पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

(3) अब उक्त आबंटित भूमि पर मण्डी को कब तक विकसित कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर द्वारा गौण मण्डी यार्ड गोगुन्दा के निर्माण हेतु 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि के अवाप्त की कार्रवाई की गई।

(2) उक्त भूमि में से 4 बीघा 6 बिस्वा 10 बिस्वासी का कब्जा दिनांक 28.2.1989 एवं 9 बिस्वा का कब्जा दिनांक 20.4.1989 को प्राप्त किया गया। शेष भूमि का कब्जा माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन होने के कारण प्राप्त नहीं हुआ। भूमि का पूरा कब्जा प्राप्त नहीं होने के कारण चारदीवारी का आंशिक निर्माण किया गया है। स्थगन आदेश होने के कारण वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(3) प्रभावी स्थगन आदेश निरस्त होने के पश्चात् एवं शेष भूमि का कब्जा प्राप्त होने पर ही विकास कराये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री अमराराम (धोद), सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत मूमड़खेड़ा पंचायत समिति सार्दुलशहर द्वारा अकाल राहत कार्यों में कथित धांधली करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से राज्य में शिक्षा सहयोगी/ पैराटीचर्स को स्थायी करने के सम्बन्ध में।

(3) डा. किरोड़ी लाल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जिला सवाईमाधोपुर के ग्राम खैरदा के प्राथमिक विद्यालय के लिये आबंटित भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में।

(4) डा. रतन लाल जाट एवं तीन अन्य सदस्य की ओर से जयपुर दूरदर्शन द्वारा प्रादेशिक भाषा की कथित उपेक्षा करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामप्रताप, सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ टाउन स्थित समन्वित कीट प्रबन्धन प्रयोगशाला की अनदेखी किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य

(श्री अध्यक्ष)

की ओर से तहसील रायपुर के कुशालपुरा गांव में मोहर्रम के ताजिये निकालने पर गैर कानूनी मुकदमे बनाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(12.04 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो न। हां चलेगा। (व्यवधान) यह मैं कहता हूं। मैं चाहता हूं व्यवधान। (व्यवधान) आप बिराजो न। मैं कराता हूं, बिराजो तो सही तो। (व्यवधान) मैं करता हूं। (व्यवधान) ...आप माननीय सदस्य वहां जाकर बैठें तो मैं कराऊं। (व्यवधान) आप बिराजो तो सही एक मिनट।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

सदन की बैठक 12.30 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.07 बजे, 12.30 तक के लिये स्थगित हुई)

(12.30 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, अभी इस सदन के अन्दर जिस तरह से गैर-जिम्मेदाराना तरीके से सरकार के मंत्री ने उत्तर देते हुए यह आरोप लगाया कि, +++ सभापति महोदय, यह सदन प्रक्रियाओं से चलता है, नियमों से चलता है, सदन की कुछ गरिमा भी रहती है। सरकार का जिम्मेदार मंत्री अगर इस तरह की बात कहेगा तो इसको हम कतई बरदाश्त नहीं करेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और हमारी मांग है कि जब तक मंत्री आकर क्षमा-याचना नहीं करेगा, मंत्री यहां आये, सदन में क्षमा-याचना करे, तब तक यह सदन नहीं चलेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह बात तो पहले भी हो चुकी है। यह तो हो चुकी पहले। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री जवाब दे या माफी मांगे। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति : तो क्या चलेगा, आप

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सभापति)

कहो? आप क्या चलाना चाहते हो? आप सदन की कार्यवाही चलने देना चाहते हो कि नहीं?

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना): सभापति महोदय, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वयं मंजूर किया है कि चंदा दिया है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही चलाने का मन है क्या आपका? कार्यवाही में भाग लेने का मन है कि नहीं आपका?

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

आपका कार्यवाही में भाग लेने का मन है कि नहीं?

एक माननीय सदस्य : खूब है हमारा मन तो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, नहीं। यों करो तो नहीं चलेगी। माफी मांगो।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री शैलेन्द्र जोशी : वो देवी भाई ने बता तो दिया।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.32 बजे, 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(14.00 बजे)

(पुनःसमवेत होने पर)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई): अब मान जाओ नहीं तो सारे घोटालों की पोल खुल जाएगी। सारी जांच रिपोर्टें आ गयी हैं हमारे पास, सारे डाकूमेंट आ चुके हैं। अब सीरियसली चलने दो सदन को, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, पुलिस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहस होनी है, हमारे कई माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस महत्वपूर्ण मांग में भाग लें। परन्तु, सभापति महोदय, जिस तरह के आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला इस पवित्र सदन में प्रारम्भ हुआ है, बिना किसी आधार के मंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह के बिना नोटिस के आरोप लगा दें कि +++ यह सदन प्रक्रियाओं से चलता है। अगर किसी को कोई आरोप लगाना है...(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : सारे आधार हैं, सारे प्रमाण हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो पहले नोटिस देते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आसन पर बिराजे हैं। यह आसन निष्पक्ष होता है। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मोहन लाल मोदी : सारे प्रमाण मौजूद हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि एवं न्याय मंत्री) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि...

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : जांच रिपोर्ट मौजूद है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि 15 मिनट के लिए हाउस को एडजोर्न कर दीजिए केवल, fiften minutes only.

श्री हीरासिंह चौहान : हाउस तो पहले ही एडजोर्न हो रखा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, अगर माननीय मंत्री कह रहे हैं तो 15 मिनट के लिए एडजोर्न कर दीजिए। (व्यवधान) हां, कर दीजिये।

श्री मोहन लाल मोदी : अभी दो बजे तक तो हाउस एडजोर्न हुआ है, क्या करेंगे 15 मिनट में?

श्री सभापति : मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से जानना चाहता हूं कि आप सदन की कार्यवाही को चलने देना चाहते हैं या नहीं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निश्चित तौर पर, सभापति महोदय। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : निश्चित तौर पर, सभापति महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, निश्चित रूप से आज जिस डिमांड पर चर्चा होनी चाहिए, हम बिलकुल पूरे मन से और तैयारी करके इस पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, हमारे सारे माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं। लेकिन यह विषय ऐसा खड़ा हो गया जो विवाद का विषय बन गया। मैं सोचता हूं, कुछ बातचीत हुई है, और भी कुछ बातचीत होकर इसका हल निकल कर हाउस आर्डर में आकर चले, इसके लिए प्रयास करें और शायद उसमें कोई सफलता मिले। इस बात के लिए आप 15 मिनट और एडजोर्न कर दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सभापति महोदय, आपके इस प्रश्न पर मुझे आपत्ति है। आपने यह कैसे पूछ लिया हमसे कि सदन चलाना चाहते हैं या नहीं? हम आये किसलिए हैं फिर यहां? सदन के नेता से पूछिए यह बात। हमसे पूछ रहे हैं आप यह सवाल। हम कोई एक्यूज कर रहे हैं क्या?

श्री सभापति : आपकी आपत्ति रूल आउट कर दी गयी और आपने अभी जो पहले कहा था उस बात पर आइये आप। आप चाहते हो क्या कि कार्यवाही चालू रखें?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कह दिया न इन्होंने कि 15 मिनट के लिए कर दीजिए। लेकिन यह बात अलग है।

श्री सभापति : कार्यवाही चालू रखें?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह अलग बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, सदन अच्छे वातावरण में चले इसलिए प्रार्थना है कि 15 मिनट के लिए एडजोर्नमेंट फर्मा दें। उसके बाद बात कर लेते हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : जो बात उठाई है उसका निर्णय कीजिये। 15 मिनट क्यों, आधा घंटा करो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, आधा घंटे के लिए फर्मा दें।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.03 बजे, 14.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(14.30 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि हाउस सुचारू रूप से चले। आज जो डिमांड है बहुत इम्पोर्टेंट डिमांड है और सबकी इच्छा है कि इसमें भाग लें, इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है। वह अनफोर्चुनेट है, भविष्य में ऐसी भाषा का कोई भी उपयोग न करे, हाउस सुचारू रूप से चले। हम जो कुछ करते हैं, बोलते हैं यहां पर, उसको राजस्थान की सारी जनता देखती है। उस पर क्या इम्प्रेशन पड़ता है इसका, हमको सबको खयाल रखना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि हाउस को सुचारू रूप से चलने दीजिए।

जहां तक जो कुछ हुआ उसका एक्सपंज करने का सवाल है, चूंकि वह माननीय अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में हुआ है, कल उनसे चर्चा करके इस पर निर्णय कर देंगे।

श्री बनवारीलाल बैरवा

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001–2002 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वर्ष 2003–2004, द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांग पर विचार। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या आज पर्ची पर नहीं बुलवाएंगे?

श्री उपाध्यक्ष : जीरो आवर खतम हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जीरो आवर तो क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, वह खतम कहां हुआ है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : फिर जीरो आवर क्या होता है?

श्री हीरासिंह चौहान : कल के लिए रिजर्व कर दीजिए। हमारी कई आवश्यक पर्ची आती हैं...(व्यवधान) यह कितना चलेगा, मुश्किल से आधा घंटा तक है। बाद में बोल जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पर्ची इसी की डिमांड है। आपकी पर्ची इसी के सम्बन्ध में है, आप बोल लेना।

श्री हीरासिंह चौहान : आप सही फर्मा रहे हैं, पर्ची जिनकी आ गयी है उसका जीरो आवर में बोलना...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : व्हाट इज जीरो आवर?

श्री हीरासिंह चौहान : यह तो सब आपको ही अधिकार है। इस पर तो हमारा मौलिक अधिकार है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-16 पुलिस की प्रस्तुति

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,95,26,80,000 रुपये (सात अरब पिच्यानवे करोड़ छब्बीस लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

मांग संख्या-16 पर कटौती प्रस्ताव

श्री अमीन खान (शिव)

1. विभाग द्वारा राज्य के सीमावर्ती पुलिस थानों में पुरानी गाड़ियां देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
2. विभाग द्वारा राज्य में कांस्टेबलों की पर्याप्त भर्ती नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
3. राज्य में पुलिस थाना अधिकारियों के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों की संख्या कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

4. पुलिस बल के सिपाहियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क सफर करने हेतु सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. जयपुर शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए जयपुर शहर

(श्री दिग्विजय सिंह)

में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. जिला टौंक के दूनी व घाट थाना की सीमाओं का पुनः सीमांकन करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा गृह विभाग को प्रतिवेदन भेजने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

7. जिला टौंक के थानों में पुलिस नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. राज्य में पुलिस विभाग को आधुनिक दृष्टि से सुसज्जित करने एवं उसको सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना)

9. पुलिस थाना सिवाना एवं पुलिस थाना समदड़ी को सी.जे. थाने में क्रमोन्नत करने एवं सिवाना कस्बे के ग्राम खण्डप, मजल, सावरड़ा में स्थाई पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनुं)

10. राजस्थान राज्य में कानून की व्यवस्था में निरन्तर गिरावट की स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. राजस्थान में दलित और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. राज्य में महिलाओं के गले से रोजाना चैन झपटे जाने की वारदातों पर अकुंश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर)

13. जैसलमेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में नये पुलिस थाना सर्कल स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. जैसलमेर जिले के सीमावर्ती पुलिस को आधुनिक हथियार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा)

15. राजस्थान पुलिस विभाग में उच्च पदों पर पदस्थापित अधिकारियों के व्यवहार के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री अरुण सिंह (डीग)

16. भरतपुर-अलवर जिलों के मेवात क्षेत्र हेतु सुरक्षा की दृष्टि से स्पेशल स्कीम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र डीग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पदस्थापन करने एवं नगर थाने का नया भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. राज्य में पुलिसकर्मियों का हार्ड ड्यूटी भत्ता बढ़ाने एवं विभागीय पदोन्नति में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री अरुण सिंह)

19. पुलिस विभाग में पुराने हथियार थ्री नाट थ्री राइफलों के स्थान पर ए.के. 47-ए उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)

20. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. राज्य में हो रही चोरी, हत्याएं व डकैती के मामलों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी)

22. डूंगरपुर जिले में प्रस्तावित रामसागड़ा थाना की स्वीकृति होने एवं पंचायत समिति उप खण्ड स्तरीय सीमलवाड़ा में थाना या पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई)

23. विधान सभा क्षेत्र नदबई में वृत्ताधिकारी की पोस्ट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र नदबई झील चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र नदबई थाने में कम्प्यूटर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र नदबई की डहरा मोड चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र नदबई थाने को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा)

28. पुलिस विभाग में कार्यरत अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों (हैड कांस्टेबलों व कांस्टेबलों) को गृह सर्कल में पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. हनुमानगढ़ जिले में अवैध शराब की बिक्री एवं तस्करी को रोकने व अवैध शराब की दुकानों को शीघ्र बन्द करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. हनुमानगढ़ जिले में चल रहे अवैध पर्ची सट्टा के धंधे को बन्द करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र भादरा में पुलिस उप-अधीक्षक का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. भादरा क्षेत्र के हरियाणा सीमा से लगते गांवों में अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अतिरिक्त पुलिस चौकियां स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

33. राज्य के दलितों पर बढ़ते अत्याचारों एवं पुलिस द्वारा दलितों को आवश्यक

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सुरक्षा प्रदान नहीं करने एवं एस.सी. एक्ट में पंजीबद्ध मुकदमों में कार्रवाई नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

34. जोधपुर रेंज में जुल्म के शिकार अजा/जजा के लोगों को पुलिस विभाग द्वारा न्याय नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. सिरोही जिले की पुलिस भर्ती में अजा/जजा का बैकलाग नहीं भरने व जिले से गलत सूचना भेजने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारियों की उपेक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

37. विभाग द्वारा जुआ निवारण अध्यादेश, 1949 में संशोधन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा सिरोही नगरपालिका के क्रियाकलापों की जांच में अनावश्यक विलम्ब करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

39. पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन व अन्य सुविधाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. झुंझुनुं जिले मणकसास गांव में पुलिस थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

41. बड़ोरा (बारां) में पुलिस थाना खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. राज्य के पुलिसकर्मियों को ओवर टाइम देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. पुलिस थाना बनीपार्क, जयपुर में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 134/2001 एवं 144/2001 में पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए समुचित प्रयास नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़)

44. राज्य की पुलिस व्यवस्था को ठीक करने एवं क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर)

45. सैक्टर-चार विद्याधर नगर, जयपुर में पुलिस को देह व्यापार एवं असामाजिक तत्वों के बढ़ रहे आतंक की जानकारी होते हुए भी कोई रोकथाम नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

46. एफ.आई.आर. नम्बर 300/2000 थाना नया शहर बीकानेर में दो वर्ष पूर्व

(श्री देवीसिंह भाटी)

थानेदार द्वारा फौजी सूरजभान व उनकी धर्मपत्नी के साथ पुलिस चौकी में मारपीट में दोषी पाये जाने के बावजूद विभागीय जांच में लापरवाही व न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

47. पुलिस थाना दांतारामगढ़ जिला सीकर की एफ.आई.आर. नम्बर 3/2003 दिनांक 7.1.2003 के अन्तर्गत ग्राम रलावता में ऐतिहासिक विभूति राव शेरवाजी की मूर्ति तोड़ने के दोषी मुख्य मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)

48. जिला जयपुर के थाना दूदू में दर्ज एफ.आई.आर. नम्बर 496 दिनांक 12.12.2002 व एफ.आई.आर. नम्बर 513 दिनांक 27.12.2002 में आज तक मुलजिमान को गिरफ्तार न करने व सक्षम तफतीश न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर)

49. परबतसर शहर में पुराने थाने के भवन में पुलिस चौकी की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

50. पुलिस थाना पीलवा एवं गच्छीपुरा जिला नागौर में ए.एस.आई. का पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. राज्य के पुलिस कर्मियों में मेस भत्ते में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

52. झुंझुनुं जिले के गढ़ा पुलिस थाना एवं उसके अधीन पुलिस चौकियों में लम्बे समय से पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों के एक ही स्थान पर टिके रहने से प्रशासन में आ रही गिरावट पर चर्चा के लिये।

53. झुंझुनुं जिले के पुलिस थाना गुढ़ा तथा पुलिस चौकी भौडकी में पदस्थापित हैड-कांस्टेबल एवं ए.एस.आई. स्तर के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच नहीं करने से स्थानीय प्रशासन में आ रही गिरावट पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)

54. उप खण्ड अधिकारी, वैर द्वारा थानेदार भुसावर को पोस्टमार्टम कराये जाने के आदेश दिये जाने के बावजूद भी थानेदार, भुसावर द्वारा बिना पोस्टमार्टम कराये ही लाश को गैर-कानूनी रूप में जलाने हेतु सौंपने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. दिनांक 5.2.2003 को थाना भुसावर में एक व्यक्ति मुरारी द्वारा सुम्मेरी के अपहरण की सूचना देने के बावजूद भी उचित कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिये।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

56. दिनांक 7.2.2003 को सुम्मेरी की लाश को उसके दत्तक पुत्र मुंशीराम, भाई रामसिंह एवं नहेलिया गांव वाछरेन द्वारा लाश प्राप्त किये जाने की जांच नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

57. विधान सभा क्षेत्र बेगूं की जावदा पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने व काटुन्दा तिराहे का थाना पारसोली के बजाय थाना बेगूं में लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

58. अनुसूचित जाति व जनजाति समाज के संरक्षण के लिए राज्य के प्रत्येक उप खण्ड पर दलित थाने खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. राज्य के प्रत्येक थानों में मानवाधिकार आयोग के परिपत्र की अनुपालना करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. राजस्थान के पुलिस थानों को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित कर चुस्त-दुरुस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत पुलिस थानों में लम्बित प्रकरणों के तत्काल चालान पेश करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. दलित समाज को उनके आत्म सम्मान की सुरक्षा के लिए शस्त्र का लाइसेंस प्राथमिकता से देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

63. राज्य के अपर्याप्त पुलिसकर्मी (सिपाही) होने व आधुनिक हथियार नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. राज्य में चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण एवं दलितों पर हो रहे अत्याचारों में बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. प्रदेश में साम्प्रदायिक शक्तियों पर रोक नहीं लगाने एवं त्रिशूल के रूप में हथियार वितरण को नहीं रोकने से व्याप्त जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

66. भरतपुर जिले के नगर थाने को सर्कल इंस्पैक्टर स्तर पर थाना बनाने तथा गुल्पाड़ा व जालूकी में पुलिस थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

67. राज्य के पुलिस थानों में दर्ज प्रकरणों के चालान न्यायालय में समय से पेश

(श्री केसाराम चौधरी)

नहीं किये जाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

68. पुलिस विभाग में पदस्थापित कांस्टेबलों को समयबद्ध पदोन्नति के समुचित अवसर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. राज्य में बढ़ रहे अपराधों यथा अपहरण, बालकों/महिलाओं के साथ ठगी, बलात्कार की पुनरावृत्ति होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दर्ज पी.ई. 1-2/76/2002 दिनांक 1 अक्टूबर, 2002 की अभी तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद)

71. राज्य के पुलिस कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन अवकाश देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. दीगोद विधान सभा क्षेत्र के पुलिस स्टेशनों को नये जीप वाहन आबंटित किये जाने के उपरान्त उक्त वाहनों को शहर के थाने में रखे जाकर पुराने वाहन देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र दीगोद जिला कोटा के अन्तर्गत पुलिस स्टेशनों पर जीप वाहन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. देवली मांजी जिला कोटा में नया पुलिस स्टेशन खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. ग्राम बड़ौद जिला कोटा में थाना बढादीत के अन्तर्गत पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर)

76. मोदरा थाना, रामसीन से दूर होने एवं मुकदमें अधिक होने के कारण पूर्व प्रस्तावित रामसीन पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

77. विभाग द्वारा प्रदेश में बढ़ रही मूर्ति चोरी की घटनाओं को रोक पाने में विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. विभाग द्वारा प्रदेश में महिला अत्याचार की बढ़ रही घटनाओं के बावजूद भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर बढ़ रहे अत्याचार एवं दलितों को घोड़ी से उतारे जाने की घटनाओं को रोक पाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

80. प्रदेश में बढ़ रहे संगठित अपराधों को रोक पाने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

81. राज्य के विभिन्न न्यायालयों द्वारा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश देने के बावजूद भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

82. विधान सभा क्षेत्र खारची के ग्राम सिनला एवं खारड़ी को पुलिस थाना सोजत रोड से हटाकर मारवाड़ जंक्शन में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर)

83. पुलिस थाना खेड़ली में निरीक्षक का पदस्थापन शीघ्र किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. खेड़ली व कठूमर में कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, सहायक व उप निरीक्षक पदों की वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. पुलिस थाना खेड़ली में नई जीप आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. कस्बा मनोखर में पुलिस थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. कठूमर तहसील मुख्यालय पर उप अधीक्षक कार्यालय कठूमर में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन)

88. राज्य के पुलिस थानों में आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. उपखण्ड मुख्यालय केशवरायपाटन में उप अधीक्षक कार्यालय खोलने एवं जयस्थल व लबान में पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. केशवरायपाटन व लाखेरी थानों में पुलिस निरीक्षक का पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

91. राज्य के पुलिसकर्मियों को मेस भत्ता की राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा)

92. पुलिस विभाग दौसा में संसाधनों एवं नफरी की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. राज्य में पुलिस की बढ़ती ज्यादतियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व)

94. अजमेर में आठ-दस वर्षों से तैनात पुलिस निरीक्षकों, थानाधिकारियों तथा थानों में पुलिस आचरण-व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री ललित भाटी)

95. विभाग द्वारा राज्य में त्रिशुल दीक्षा समारोह में भड़काऊ भाषणों द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के प्रयास की रोकथाम हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. अजमेर ब्लैकमेल कांड के मुख्य आरोपियों द्वारा स्मैक तस्करी तथा अन्तरराष्ट्रीय कुख्यात आतंकवादी दाउद से उजागर सम्बन्धों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

97. अजमेर शहर एवं जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हो रहे सट्टे एवं जुआ तथा मादक द्रव्यों सम्बन्धी अपराधों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. अजमेर शहर एवं जिले में चोरी, डकैती, लूटमाट, नकबजनी की बढ़ रही अपराधिक संख्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-16 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जीरो आवर क्या है फिर? नहीं, फिर जीरो आवर क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। जीरो आवर जो रोज होता है वही है, और क्या है?

श्री हीरासिंह चौहान : आप व्यवस्था तो दे दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप जीरो आवर को परिभाषित तो करें।

श्री हीरासिंह चौहान : आसन की ओर से यों प्रोटेक्शन नहीं मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें। आपकी पर्चियां हैं उसी से सम्बन्धित इस पर आज डिमांड है। आप यों ही बोल रहे हो जीरो आवर, जीरो आवर। आप बोल लेना न उस पर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, नहीं, मेरी पर्ची तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्ध रखती है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी नहीं होगी, दो पर्चियां तो इसमें ये हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : दो का नहीं कह रहा हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब कहां समय है जीरो आवर का? माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आसन की व्यवस्था यह हो सकती है कि जो विषय पर्ची के माध्यम से कोई सदस्य उठाना चाहता है उसकी चर्चा आज मांगों के अन्दर कर दी जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह सदन सहमत होगा तो आपकी पर्चियों को कल ले लेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप कल ले लेंगे, थैंक्यू।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, सदन सहमत होगा तो। बोलिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में पुलिस से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा हो रही है। हमारे प्रदेश में आज की परिस्थितियों में पुलिस के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ी हैं। प्रदेश की आबादी बढ़ी, प्रदेश में बेकारी भी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन समाज में जो अपराधी तत्व है वह साधन की दृष्टि से पुलिस की तुलना में नहीं अधिक ताकतवर हुआ। पुलिस की तुलना में अपराधी तत्वों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं और इसके साथ ही पुलिस की तुलना में अधिक तेज गति से दौड़ने वाले वाहन अपराधी तत्वों के पास हैं। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान पुलिस ने जिस बेहतरीन तरीके से विगत समय में काम किया है उसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से हमारे माननीय गृह मंत्रीजी, जिनका लम्बा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है, उनके मार्गदर्शन का और उनके नेतृत्व का सार्थक परिणाम है और हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान पुलिस ने अन्य प्रदेशों की तुलना में भी बेहतरीन काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज, प्रदेश और देश के सामने कई तरह की चुनौतियां समय-समय पर उभर कर आती हैं और यह उम्मीद देश की जनता करती है कि उनका निश्चित स्तर पर मुकाबला किया जाएगा। आज हमारे प्रदेश और देश के सामने न केवल आतंरिक बल्कि बाहरी चुनौतियां भी मौजूद हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से बार-बार आतंकवादी हमले होते हैं। देश के कई प्रदेशों में आतंकवाद अपना सिर उठाता रहता है और हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमारा परम्परागत शत्रु है, उसके एजेंट भी समय-समय पर कई स्थानों पर पकड़े जाते रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि आतंकवाद का सिर कुचल दिया जाए, पूरी तरह से आतंकवाद को नेस्तनाबूद किया जाए। हमारा पड़ोसी मुल्क हमारे निर्दोष नागरिकों को प्राणों का लेवा कई बार बनता है, कई बार उसकी वजह से निर्दोष बच्चों को, निर्दोष माताओं को, निर्दोष बहनों को और निर्दोष नागरिकों को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। समय की मांग है कि उस मुल्क को आतंककारी देश घोषित किया जाए और उसका जो दूतावास हिन्दुस्तान में दिल्ली में चलता है उसको बन्द किया जाए, क्योंकि वह भी इस तरह की गतिविधियों का एक बड़ा अड्डा बना हुआ है। कई बार दो-तीन उस आयोग के कर्मचारियों को देश की सरकार बाहर निकालती है और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। पर ऐसे वक्त में देश की जनता की उम्मीद और अपेक्षा क्या होती है कि सरकार एक इच्छा शक्ति प्रदर्शित करे और जो

(श्री संयम लोढ़ा)

आतंककारी देश के निर्दोष लोगों की हत्या का कारक बन गये हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे। लेकिन मैं देखता हूं कि दिल्ली की कमजोर सरकार कभी तो उनको बम्बई इलाज कराने भेजती है, कभी दिल्ली की सरकार के मंत्री उन आतंककारियों को ले जाकर कंधार हवाई अड्डे पर छोड़ कर आते है जो हमारे भारत की संसद पर हमले का कारण बन जाते हैं। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि जो पार्टी दिल्ली में राज कर रही है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी से बदलकर भारतीय +++ रख देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, देश के सामने चुनौती खाली बाहरी नहीं है, आतंरिक भी चुनौती है। हम यह कहते हैं कि दुनिया के दूसरे मुल्क जो हमारे देश की संप्रभुता पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे निर्दोष नागरिकों की जिंदगी पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे अपने देश के भीतर आज किस तरीके के लोग...

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का नाम +++ रख दिया जाए, यह संसदीय शब्द है क्या? अभी आपने कहा कि ऐसे शब्द प्रयोग न करें।

श्री संयम लोढ़ा : मैं नहीं कह रहा हूं, देश की जनता कह रही है, माननीय सदस्य। देश की जनता कह रही है, मैं थोड़े ही कह रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर बात है, यह नहीं चलेगा। यह शब्द आप उचित समझते हैं क्या?

श्री हीरासिंह चौहान : +++ शब्द तो वास्तव में असंसदीय है। राज करने वाली पार्टी को +++ पार्टी कहा जाता है। एक्सपंज कराया जाए। सख्त ऐतराज है, इसको एक्सपंज कराया जाए। यह कोई संसदीय शब्द नहीं है। 22 ब्राह्मण मारे गये जम्मू कश्मीर में आज, किसकी सरकार है? हम तो केवल +++ शब्द को निकलवाना चाहते हैं, एक्सपंज किया जाए। +++ शब्द काम में लिया है।

श्री सांवर लाल : आप ही फैसला कर लो, अब अगर यह शब्द सही हो तो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, कंधार के हवाई अड्डे पर छोड़कर आये हैं उनके लिये देश की जनता और क्या कहेगी? और जो आतंकवादियों को ले जाकर मोहम्डन है उनका इलाज कराये, जो हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या करते हैं, हमारे मंदिरों पर हमला करते हैं और देश के अन्दर अशांति का वातावरण पैदा करते हैं...

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री धर्मपाल चौधरी : जम्मू कश्मीर में जो मुख्य मंत्री हैं...(व्यवधान) अभी तो आपने मना किया था...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जिस आजादी पर...(व्यवधान) और जिस पार्टी की सरकार का ऐसा व्यवहार देश के दुश्मनों के साथ हो, देश की जनता उनके बारे में

श्री हीरासिंह चौहान : +++ हैं क्या हम?

श्री धर्मपाल चौधरी : जम्मू कश्मीर का जो मुख्य मंत्री है, मुख्य मंत्री ने अपनी बेटी को छुड़ाने के लिये क्यों आतंकवादियों को रिहा किया था? उसको मुख्य मंत्री बना रखा है...

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलोगे न अभी। आप बोल लेना।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं तो बोले, +++ शब्द कह रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले बोले, आपने अभी मना किया कि कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं बोलेंगे और उसके बाद भी +++ कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जिस जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री की यह बात कर रहे हैं, जब रूबिया सइद छोड़ी गयी थी, आप लोग दिल्ली के उस राज में शामिल थे, आपकी सरकार ने वह फैसला किया था रूबिया सईद को छोड़ने का। आप लोग उस सरकार में शामिल थे और आप लोगों ने आतंकवादियों से समझौता करने का काम शुरू किया...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : राजस्थान के लोग नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मेरी तरफ देखो। आप इधर देखोगे, थोड़ा जोश कम हो जाएगा। माननीय सदस्य, आप बिराजो।

श्री संयम लोढ़ा : ठीक है।

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है, इनकी सरकार ने ही फैसला किया था उसको छोड़ने का।

श्री धर्मपाल चौधरी : खुद मिले हुए हैं न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। माननीय सदस्य, आप...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले तो आपने सीख दी थी जिसको हम सबने ग्रहण किया...

श्री उपाध्यक्ष : यही कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी से यह माननीय सदस्य, पहले माननीय सदस्य बोल रहे हैं और जिस तरह के शब्दों

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उपाध्यक्ष महोदय, आप ही आसन से व्यवस्था दे दें...

श्री उपाध्यक्ष : यही कह रहा हूं मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन शब्दों के चलते आप चाहते हैं कि सदन में बहस ठीक चले? हम यहां +++ और +++ बनने के लिये आये है? जिस देश में भारतीय जनता पार्टी शासन में है, वहां इस तरीकें की बात करते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, देश की जनता कह रही है कि आतंकवादियों से समझौता करने का काम आपने किया है। आतंकवादियों को भारत सरकार के विमान में डालकर कंधार हवाई अड्डे पर पहुंचाने का काम आपकी सरकार ने किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय संयमजी... (व्यवधान) बिराजे।

श्री मदन दिलावर : और आप उनको कुछ नहीं कह पा रहे हो। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : +++ ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : राजस्थान की पुलिस पर हमले करते हैं...

श्री संयम लोढ़ा : आतंकवाद के खिलाफ बोल रहा हूं...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, हम यह कह दें कि यहां पर बांग्लादेशी बैठे हैं...(व्यवधान) जो उनको नहीं निकाल पा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आतंकवाद के खिलाफ बोलने का दिमाग, आतंकवाद का जो संरक्षण करते हैं उनके खिलाफ बोलना क्या गुनाह है?...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : विदेशी महिला की गुलामी करते-करते +++

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजो। माननीय सदस्य, मेहरबानी करके इतने उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। यह कोई विधान सभा...(व्यवधान) आप सुनिये। एक मिनट, मेरी बात सुनिये पहले। और ऐसा कोई शब्द क्यों उपयोग करते हो जिससे किसी को ऐतराज हो? अच्छी भाषा में बोलो न आप, क्या तकलीफ है? इतना जोश खाकर बोलने से क्या है? आप मेरी तरफ देखो कृपा करके। आप दिलावरजी की तरफ देखते हो, उनको जोश आ जाता है, वह खड़े हो जाते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश के लोग चिंतित हैं, अक्षरधाम जैसा तीर्थ स्थान सुरक्षित नहीं रहा...

श्री उपाध्यक्ष : यह बोलो न आप।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री संयम लोढ़ा : और देश की सरकार आतंकवादियों के आगे सिर झुकाती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया कि देश के सामने क्या बाहरी चुनौतियां मौजूद हैं। आज समाज को ऐसा ही खतरा, ऐसी ही चुनौती आन्तरिक तत्वों की ओर से भी मिल रही है। प्रदेश के अन्दर एक सद्भाव का माहौल बना हुआ है। पिछले साल हमारे पड़ौसी प्रदेशों में, पड़ोसी इलाकों में एक ऐसी आग धधकने लगी कि समाज की एकजुटता, समाज के सद्भाव के लिये खतरा पैदा हो गया। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने दृढ़ता से ऐसे तत्वों का मुकाबला किया, और राजस्थान की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसकी वजह से राजस्थान में सद्भाव कायम रहा। आज फिर कई इस तरीके के तत्व समाज में विष वमन कर रहे हैं, समाज में सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजस्थान में इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं, कई बाहर के लोग अपने अन्दर विष भर कर राजस्थान की धरती पर उगल रहे हैं जिससे राजस्थान का सौहार्द प्रभावित हो, राजस्थान का सौहार्द नष्ट हो, राजस्थान के लोग आपस में लड़ जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में भी है, आपके शहर में भी इस तरीके की कोशिश हुई। जहां से आप आते हैं वहां इस तरीके के विष वमन करने वाले भाषण दिये गये। राजस्थान के कई दूसरे कस्बों-गंगापुर सिटी, पिंडवाड़ा में इस तरह के प्रयास हुए। धर्म के नाम पर इस तरीके की बातें कही जाती हैं, इस तरह की चीजें वितरित की जाती हैं जो किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। चाकू की तरह का एक शस्त्र राजस्थान की जनता के बीच में कई इलाकों में जाकर वितरित किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, उस चाकू का प्रयोग दूसरे प्रदेशों में किस तरीके से हुआ है, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। यह उड़ीसा विधान सभा पर हमला और यह वह चाकू है जिसके जरिये उड़ीसा की विधान सभा पर हमला किया गया। यह धर्म की संस्कृति के प्रचार में नहीं, हिंसा फैलाने में चाकू का प्रयोग किया जा रहा है। लोगों को आपस में लड़ाने के लिये इस तरीके के चाकू का प्रयोग किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उल्लेख करना चाहूंगा, प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार खुशवंत सिंहजी क्या लिखते हैं-नरेन्द्र मोदी, अशोक सिंघल, गिर्राज किशोर और इन सबके अधिक प्रवीण तोगड़िया के जहरीले भाषण साम्प्रदायिकता की आग भड़काते रहते हैं किन्तु उन पर आंच तक नहीं आती। वे +++ हैं और उन्हीं की जमात में शामिल माने जाएंगे। वह खुले आम घोषणा करते रहते हैं कि उच्चतम

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री संयम लोढ़ा)

न्यायालय और केन्द्र सरकार हम किसी की परवाह नहीं करते। उनके वक्तव्यों को कोई गम्भीरता से नोटिस नहीं करता। इन महान +++ के सम्मुख हम कब तक सिर झुकाते रहेंगे? यशवन्त सिंहजी देश के जाने माने पत्रकार हैं, राज्य सभा में रहे हुए हैं, यह उनका वक्तव्य है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह समय की मांग है कि राजस्थान में...

श्री मदन दिलावर : अशोकजी सिंघल इनके पिताजी के बराबर हैं। +++

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो।

श्री संयम लोढ़ा : मैंने नहीं कहा, मैंने यशवन्त सिंहजी का वक्तव्य पढ़ा है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खुशवन्त सिंहजी की टिप्पणी पढ़ी है जो देश के प्रतिष्ठित लेखक हैं, प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : +++

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान में विगत वर्ष में पुलिस के सामने कई तरह की चुनौती आई हैं और हमने ही नहीं, पूरे राजस्थान की जनता ने देखा कि राजस्थान की पुलिस ने किस प्रवीणता के साथ, किस खूबी से उन सारी चुनौतियां का सामना किया और उनको हल करने की कोशिश की। चाहे आप जयपुर का सुमेधा दुर्लभजी अपहरण का मामला ले, प्रतिपक्ष के कई लोगों के दिमाग में रहा होगा कि विधान सभा शुरू होने वाली है, इस मुद्दे पर हंगामा मचाएंगे, सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की पुलिस और गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि न केवल सुमेधाजी, बल्कि जोधपुर में जैन का अपहरण हुआ, दौसा में भी महेन्द्र मीणा का अपहरण हुआ, इन सारे मामलों में जिस तत्परता के साथ पुलिस ने काम किया, अपराध के मामलों को खोला, उसके लिए मैं राजस्थान की पुलिस को बधाई देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, परिस्थितियां बहुत गम्भीर हैं। हम लगातार पांचवें साल अकाल का सामना कर रहे हैं। लोगों के सामने रोजगार का भी संकट है। इन सब कारणों से अपराध में बढ़ोतरी की कल्पना की जा सकती है। लेकिन इस सबके बावजूद अगर हम वास्तविक तथ्यों की ओर ध्यान लगाएं तो राजस्थान पुलिस का काम अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था देश में सबसे श्रेष्ठ है। अगर हम अपराधों का विवेचन करें तो राजस्थान के अन्दर कुल अपराधों में भी पिछले दो साल की तुलना में इस साल कमी आयी है। 2000 में जहां 1,60,983 अपराध हुए, 2001 में इससे कम

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री संयम लोढ़ा)

1,55,185 हुए और इस साल वह आंकड़ा उससे भी कम 1,51,248 रहा। वर्ष 2000 की तुलना में राजस्थान में इस वर्ष 6.5 फीसदी अपराध कम हुए हैं और 2001 की तुलना में 2.54 फीसदी अपराध कम हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अपराध का तत्व समाज में हमेशा विद्यमान रहता है और अपराधी तत्व हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि किस तरह से कानून–व्यवस्था को भंग करके या कानून का उल्लंघन करके अपने निजी स्वार्थों के लिए काम करें। लेकिन राजस्थान में डकैती जैसा अपराध जो सबसे जघन्य अपराध है, उसमें भी कमी आयी है। वर्ष 2002 में जहां 99 डकैती हुईं, 2001 में मात्र 60 और इस साल मात्र 47 डकैती हुई हैं। अगर इसकी आप 2000 से तुलना करें तो राजस्थान में डकैती का प्रतिशत 52.53 कम हुआ। अगर 2001 से आप तुलना करें तो राजस्थान में डकैती का अपराध 21.67 फीसदी कम हुआ है। इसी तरीके से वर्ष 2000 में 1021 लूट हुई, 2001 में 889 और इस साल उससे भी कम 734 हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां 2000 की तुलना में लूट की घटनाएं 28.11 फीसदी कम हुई हैं, वहीं 2001 की तुलना में राजस्थान में लूट की घटनाओं में 17.44 फीसदी की कमी आयी है।

इसी तरीके से, जैसा मैंने निवेदन किया, राजस्थान में सारे ऐसे कारण बलवती हुए हैं जिनसे हिंसा की घटनाएं बढ़तीं, अपराध बढ़ते, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान में कांग्रेस की लोक कल्याणकारी सरकार ने जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया है। आज अकाल जैसी गतिविधियों पर मैं कह सकता हूं कि 55 वर्ष के इतिहास में सबसे बेहतरीन काम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार इस साल कर रही है। इसी का नतीजा है कि 2000 में 15687 बलवे की घटनाएं हुई हैं, उसकी तुलना में 2001 में मात्र 11214 और 2002 में मात्र 7178 बलवे की घटनाएं हुई हैं जोकि 2000 की तुलना में 54.34 प्रतिशत कम हैं और इसी तरीके से 2001 की तुलना में 35.99 प्रतिशत कम हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से नकबजनी की वर्ष 2000 में 8065 घटनाएं हुईं, 2001 में 7284 और 2002 में 6661 हुईं। ये आंकड़े अपने आप में इस बात का उदाहरण हैं कि 2000 की तुलना में नकबजनी की घटनाओं में जहां 17.41 फीसदी की कमी आयी, वहीं 2001 की तुलना में 8.55 प्रतिशत की कमी आयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से चोरी की वर्ष 2000 में 17026 घटनाएं हुईं, 2001 में उसकी तुलना में मात्र 16939 और 2002 में मात्र 16313 हुई। वर्ष

(श्री संयम लोढ़ा)

2000 की तुलना में 4.19 फीसदी कमी आयी है और 2001 की तुलना में 3.70 फीसदी की कमी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हत्या की वर्ष 2000 में 1513 घटनाएं हुईं और 2002 में 1276 हुईं। वर्ष 2000 की तुलना में हत्या के मामले में भी 15.66 प्रतिशत की कमी इस साल दर्ज की गयी। बलात्कार की वर्ष 2000 में 1242 घटनाएं हुईं और इस साल 1051 बलात्कार के मामले हुए। वर्ष 2000 की तुलना में बलात्कार के मामले में 15.38 फीसदी की कमी राजस्थान में हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, अपराध घटित होता है, अभियोग का विस्तारण होता है और उसके बाद चालान होता है। जहां तक चालान का सवाल है, राजस्थान में पुलिस का काम चालान के प्रतिशत के मामले में भी शानदार रहा है। कुल जितने अपराध घटित हुए, अभियोग निस्तारित हुए, उसमें से कुल अपराधों का जहां वर्ष 2000 में 82.69 फीसदी चालानी प्रतिशत रहा वह 2001 में बढ़कर 82.84 और वर्ष 2002 में उससे भी बढ़कर 83.13 प्रतिशत हो गया। ये चालान के तथ्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से डकैती के मामले में जहां वर्ष 2000 में 73.91 चालान प्रतिशत था, वह 2001 में बढ़कर 80 और 2002 में 85.29 फीसदी हो गया। इसी तरीके से लूट के मामले में चालान प्रतिशत जो वर्ष 2000 में 62.72 था, वह 2001 में बढ़कर 65.38 और 2002 में उससे भी बढ़कर 66.15 हो गया। नकबजनी के मामले में वर्ष 2000 में चालानी प्रतिशत 25.76 था जो 2001 में बढ़कर 28.75 और 2002 में 30.05 हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, चोरी के मामले में वर्ष 2000 में 25.78 चालान प्रतिशत था, वह वर्ष 2002 में बढ़कर 26.95 हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, अभियोग दर्ज होते हैं और उसके बाद असत्य भी पाये जाते हैं, तो जो अदमवकू का प्रतिशत है वह भी राजस्थान में इन तीन सालों में लगातार कम हुआ है। डकैती में जहां अदमवकू प्रतिशत वर्ष 2000 में 10.38 था, वह 2001 में घटकर मात्र 10 और 2002 में घटकर मात्र 5.56 फीसदी रहा। इसी तरह लूट के मामले में अदमवकू प्रतिशत वर्ष 2000 में 21.89 था जो 2001 में घटकर 16.39 और 2002 में इससे भी घटकर 14.29 रह गया। नकबजनी के मामले में जो अदमवकू प्रतिशत वर्ष 2000 में 6.01 था, वह 2001 में घटकर 5.86 और 2002 में उससे भी घटकर 5.52 रह गया। चोरी के मामले में वर्ष 2002 में जो अदम वकू प्रतिशत 14.34 था वह 2001 में घटकर 13.54 और वर्ष 2000 में घटकर 12.62 रह गया। उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं, निश्चित रूप से पढ़ा हुआ मान लेंगे माननीय

(श्री संयम लोढ़ा)

सदस्य, लेकिन चूंकि यह सच्चाई मेरे माध्यम से राजस्थान की जनता की जानकारी में आती है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन-प्रति-दिन बेहतर हो रही है, हमारी पुलिस का प्रदर्शन दिन-प्रति-दिन सुधर रहा है तो आपको बहुत कष्ट होता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अच्छा काम क्यों कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जो बरामदगी का प्रतिशत है इन घटनाओं में, उसमें भी आप लूट को लीजिए तो जो 69.64 था 2000 के अन्दर, वह बढ़कर 2001 में 73.74 और 2002 में बढ़कर 80.18 हो गया। इसी तरह नकबजनी में भी वर्ष 2000 में जो बरामदगी का प्रतिशत 27.47 था वह 2001 में बढ़कर 30.45 और 2002 में बढ़कर 34.48 हो गया। चोरी के मामले में भी बरामदगी का प्रतिशत 2000 में 52.77 था, जो 2001 में बढ़कर 57.07 और 2002 में बढ़कर 62.58 हो गया।

(15.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने आपको निवेदन किया कि राजस्थान में पुलिस की प्रतिबद्धता की वजह से हर क्षेत्र में गृह विभाग ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है इतना ही नहीं, अपराध नियंत्रण के मामले में भी राजस्थान पुलिस ने बेहतरीन काम किया है। हमारे जो समाज विरोधी अपराध हैं, चाहे जुआ के हों, सट्टा के हों, शराब तस्करी के हों, इन सब मामलों में पुलिस ने पूरी प्रतिबद्धता से काम किया और प्रभावी तरीके से इस बात की कोशिश की कि इन समाज विरोधी अपराधों को रोका जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर 2001-2002 की आप तुलना करें तो इन मामलों में जहां 2001 में 32061 मामले बनाये गये, 2002 में इनकी संख्या बढ़कर 34451 हो गई। एक साल में इन समाज विरोधी अपराधों की रोकथाम की दृष्टि से, उन पर अंकुश लगाने की दृष्टि से पिछले साल की तुलना में 2390 मामले अधिक दर्ज किये गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में जहां 2001 में 7003 प्रकरण दर्ज किये गये थे, वहीं 2002 में 7736 मामलों का पंजीयन किया गया।

जुआ एक समाज विरोधी अपराध है जिसकी प्रभावी रोकथाम आवश्यक है। उसमें भी जहां 2001 में 9461 मामले दर्ज हुए, उसकी तुलना में 2002 में 10486 मामले दर्ज किये गये जो पिछले साल की तुलना में 10.83 प्रतिशत अधिक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने हमेशा इस बात का प्रयास किया है कि समाज में नारी शक्ति का सम्पूर्ण प्रयोग किया जाए। हमारे समाज की जो आधी ताकत है, उसकी क्षमता

(श्री संयम लोढ़ा)

का पूरा प्रयोग किया जाए। इसीलिए कांग्रेस की तत्कालीन सरकार जो दिल्ली में थीं, उसने 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया। उसके बाद कायदे से तो राजस्थान में भी तत्कालीन सरकार को इस महिला आयोग का गठन कर देना चाहिए था, लेकिन हर पार्टी की अपनी सोच, अपना विचार और अपनी दिशा होती है, हर पार्टी की अपनी काम करने की शैली होती है। वह समय वैसे ही निकल गया, लेकिन जब राजस्थान में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आयी, उस सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के मुताबिक राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना की और इस बात की कोशिश की कि महिला आयोग के माध्यम से राजस्थान की पीड़ित महिलाओं को न्याय मिले, समानता का अधिकार मिले और उनकी क्षमता का पूरा प्रयोग किया जाए। आपको ध्यान होगा कि हमारी सरकार ने पुलिस में भी महिलाओं की भर्ती 20 फीसदी निर्धारित की है। अगर आज पूर्ववर्ती सरकारों का काम देखा जाए और पुलिस की नफरी को देखा जाए तो पूरी राजस्थान पुलिस में महिला पुलिस सिर्फ 2 फीसदी है। अब तक इस शक्ति का प्रयोग करने के बारे में नहीं सोचा गया, लेकिन हमारी सरकार ने यह भी प्रयास किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का नतीजा है कि राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराधों में लगातार कमी आई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां वर्ष 2000 में महिला अत्याचारों से सम्बन्धित 13163 मामले दर्ज हुए, उसकी तुलना में 2001 में कहीं कम 12467 मामले दर्ज हुए और 2002 में उससे भी कम 12434 मामले दर्ज किए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम वर्ष 2000 से तुलना करें तो महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : मुझे पूरा समय दिया गया है पार्टी की ओर से, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : समय देना मेरा काम है, आपका काम नहीं है। आप समाप्त कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा : मैं तो सरकार की उपलब्धियां बता रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिए प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप 2000 से तुलना करें तो 5.54 फीसदी की कमी आई है और 2001 से तुलना करें तो 0.26 फीसदी की महिलाओं के प्रति अत्याचारों के अपराधों में कमी आयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महिलाओं से

(श्री संयम लोढ़ा)

सम्बन्धित जो निस्तारित अभियोग हैं, उनमें भी चालानी प्रतिशत राजस्थान में 96.83 प्रतिशत है। मैं कह सकता हूं राजस्थान में हमारी सरकार, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने लगातार की है कि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनमें एक आत्मविश्वास पैदा हो ताकि जो उनके दिए हुए संवैधानिक अधिकार हैं उनका पूरा उपयोग वे कर सकें। हमारी सरकार ने हर तरह के फैसलों में इस बात का पूरा ध्यान रखा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों का पूरा संरक्षण किया जाए, उनको पूरा ध्यान दिया जाए। यही वजह है कि राजस्थान में इन तीन वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराधों में लगातार कमी आई है। जहां वर्ष 2000 में 6679 मामले दर्ज हुए, उसकी तुलना में 2001 में 5915 और 2002 में उससे भी कम मात्र 5465 मामले दर्ज हुए जो अपने आप में इस बात का प्रमाण है।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज में एक मानसिकता है जो वर्षों से चली आ रही है और सवर्ण जाति के लोग जिनका दिमाग साफ नहीं है वे यह नहीं समझते कि गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आदमी भी उसी तरह का है जैसे हम हैं। जैसा ईश्वर ने उनको पैदा किया है, वैसे ही हमको किया है। इस मानसिकता के नहीं बदलने की वजह से कई बार प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होती हैं जिनसे हमारे समाज के कमजोर वर्ग के आत्मसम्मान को, उसकी प्रतिष्ठा को लांछित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा परिवर्तन शनैः शनैः आएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को भी अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने का पूरा अवसर मिल सकेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो आपने मुझे कह दिया है, समाप्त करने का, हालांकि बोलना तो मुझे काफी था लेकिन मैं दो-तीन बातें कहकर फिनिश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दो-तीन ही रहने दो, अब हो गया।

श्री संयम लोढ़ा : नहीं, बहुत जरूरी है। नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : इतनी देर क्या किया?

श्री संयम लोढ़ा : इतनी देर जनता का कर रहा था, अब सरकार का कर रहा हूं। इतनी देर जनता को सरकार की उपलब्धियां बता रहा था जो जनता देखे,

(श्री संयम लोढ़ा)

अब मैं सरकार की कुछ कमियां बताना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कमी ये बता देंगे, आप काहे को कह रहे हो?

श्री संयम लोढ़ा : नहीं, दूसरी तरफ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यातायात में स्थिति क्या हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2001 में 19999 दुर्घटनाएं हुई थीं, उसकी तुलना में इस साल 20571 हुई। 2001 में मात्र 5187 लोग मरे थे, इस साल 5535 लोग मरे हैं। 2001 में घायल 25994 हुए थे, इस साल 27119 हुए। इसका मतलब यह है कि यातायात के क्षेत्र में राजस्थान पुलिस लगातार पतन की ओर है। उपाध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं हो? मैं निवेदन करना चाहता हूं मैं ज्यादा दूर नहीं ले जाना चाहता, कि जयपुर की क्या यातायात व्यवस्था है। यातायात व्यवस्था नाम की कोई भी चीज आपको नहीं दिखती। लेकिन, गृह मंत्री महोदय, आप याद कीजिए दो साल पहले का समय, जब जयपुर के लोगों को यह महसूस हुआ था कि जयपुर में यातायात पुलिस नाम की कोई चीज है। रेलवे स्टेशन के बाहर निकलो तो आपको महसूस होता था कि यहां यातायात पुलिस काम कर रही है। क्या वजह थी? भारतीय पुलिस सेवा की वह योग्य अधिकारी जिसने यातायात पुलिस अधीक्षक के रूप में जयपुर की यातायात व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की, आपने उसको हटा दिया और उसको हटाने का खामियाजा जयपुर की जनता को भुगतना पड़ा। आज किसी जगह पर कोई यातायात व्यवस्था नाम की चीज नहीं दिखती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सिफारिश अधिकारी आते हैं। सरकार सिफारिशों को भी महत्व दे, लेकिन वे योग्य अधिकारी, वे ऊर्जावान अधिकारी जो अपने काम से सरकार की छवि बनाते हैं, सरकार की छवि में सुधार करते हैं, ऐसे अधिकारियों का भी सरकार को पूरा सम्मान करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक समाज विरोधी अपराध के बारे में 1949 में राजस्थान जुआ अध्यादेश बना, लेकिन तब से लेकर आज तक इस अध्यादेश में किसी तरह के सुधार की कल्पना राजस्थान में किसी सरकार ने नहीं की और आज यह जुआ राजस्थान के लाखों गरीब लोगों की रोटी के हनन का कारक बन गया। अपने दूध पीते बच्चों को दूध पिलाने की जगह एक मजदूर जुआ खेलता है सट्टा खेलता है और पुलिस क्या करती है? पुलिस के लिए यह जुआ एक अवैध धन कमाई का साधन बना हुआ है। जहां थानेदार को अवसर मिला तो थानेदार और एस.पी. को अवसर मिला तो एस.पी. पूरे जिले को ठेका वह लोग देते हैं, क्यों? उसका कारण क्या

(श्री संयम लोढ़ा)

है? उसका कारण, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि कुछ रुपयों का जुर्माना किया, कोई कार्यवाही नहीं की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम अगर इस समाज विरोधी अपराध को रोकना चाहते हैं तो वह व्यक्ति पहली बार अपराध कारित करे तो आप 5 हजार रुपये की जुर्माने की व्यवस्था कीजिए। दूसरी बार वह अपराध कारित करे, आप 5 हजार रुपये के साथ-साथ 6 महीने की सजा की व्यवस्था कीजिए। और तीसरी बार अपराध कारित करे तो आप दो साल की सजा की व्यवस्था कीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे शहरों में इस प्रकार की इलैक्ट्रोनिक मशीनें आ गईं, स्वचालित मशीनें आ गईं जिनमें एक व्यक्ति जाकर नम्बर लगाता है और उसका नम्बर खुलता है तो उसको पैसा मिलता है, नहीं तो वह मशीन वाला पैसा ले लेता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उसको भी इस परिधि में लीजिए जिससे ये समाज विरोधी अपराध जो घर-घर में फैल रहे हैं उस रोकथाम हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं पुलिस विभाग के लिए छोटी-सी बात कहना चाहता हूं। हमारे पुलिसकर्मी जो हमारे कांस्टेबल हैं, सबसे कमजोर हालत में वे हैं। आपका 85 फीसदी स्टाफ वो है। आज किन परिस्थितियों में वह नौकरी कर रहा है? कई पुलिसकर्मियों की यह हालत होती है, माननीय गृह मंत्री महोदय, आपको तो जानकारी होगी कि समय के साथ मानसिक रूप से पागल हो जाते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनके लिए पदोन्नति का सिस्टम बनाएं, कांस्टेबल को पदोन्नति के पूरे अवसर मिलें। सरकार में इस बात का प्रावधान किया जाए जिससे उनके लिए भी भविष्य हो सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश पुलिसकर्मियों को रोडवेज की फ्री फैसिलिटी देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस के इस कांस्टेबल के लिए...

श्री उपाध्यक्ष : अब तो मेरा निवेदन सुन लो आप, बिराजो। बिराजो प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : भले ही आप उनके वेतन में से 100 रुपया ले लीजिए...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो आप प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : लेकिन आप उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति का प्रतिवेदन (संख्या-61 से 70)

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम

(श्री हरजीराम बुरड़क)

समिति, 2002-2003 के निम्नांकित 10 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1. राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1993-94) से सम्बन्धित समिति का 61वां प्रतिवेदन।

2. राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन 1997-98) से सम्बन्धित समिति का 62वां प्रतिवेदन।

3. राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98) से सम्बन्धित समिति का 63वां प्रतिवेदन।

4. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1992-93) से सम्बन्धित समिति का 64वां प्रतिवेदन।

5. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1996-97) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2001-2002 के 42वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 65वां प्रतिवेदन।

6. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2001-2002 के 43वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 66वां प्रतिवेदन।

7. राजस्थान पर्यटक विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1990-91) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2001-2002 के 44वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 67वां प्रतिवेदन।

8. राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995-96) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2001-2002 के 45वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 68वां प्रतिवेदन।

9. राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1996-97) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 2001-2002 के 49वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 69वां प्रतिवेदन।

10. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975-76) से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1999-2000 के छठे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा

(श्री हरजीराम बुरड़क)

की गई कार्यवाही विषयक समिति का 70वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दो न। काहे की जानकारी? आपके माननीय सदस्य को बुला रहा हूं।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का कोई भी पीड़ित वर्ग हो, जब विधान सभा चलती है, पूरी सरकार यहां बैठती है, सारे जन-प्रतिनिधि यहां पर होते हैं तो अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। आज राजस्थान के 10 हजार से ज्यादा आरा मशीन के मालिक यहां पर आये हुए हैं, जिनकें रोजगार पर संकट पैदा हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, फोरेस्ट मिनिस्टर उनसे मिलने गई हैं, प्रतिनिधि मण्डल मिल रहा है। बिराजो आप। बिराजो, बिराजो। बिराजो न, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? यही होगा, और क्या होगा?

श्री सांवर लाल : यही तो जानकारी दे रहा हूं आपको कि कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी सरकार को है। (व्यवधान) डा. किरोड़ी लाल। इतने कागज पढ़ोगे क्या?

मांग संख्या–16 पर विचार

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको चिन्ता हो रही है इतने कागज पढ़ने की।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे चिन्ता नहीं, मुझे चिन्ता आपकी है।

डा. किरोड़ी लाल : मुझे चिन्ता यह हो रही है कि...

श्री उपाध्यक्ष : मुझे चिन्ता आपके गले की हो रही है। आपके गले की चिन्ता हो रही है, कागजों की चिन्ता नहीं हो रही है।

डा. किरोड़ी लाल : अगर आपकी कृपा नहीं हुई तो मैं मेरे पूरे विषय नहीं उठा सकूंगा। आज पहली बार बोल रहा हूं इसलिए आप अपनी अनुकम्पा मेरे ऊपर बनाये रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी संयम लोढ़ा बड़ी भूरि-भूरि प्रशंसा कांग्रेस की कर रहे थे। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आदमी की सुरक्षा, ला एण्ड आर्डर का इश्यू। उपाध्यक्ष महोदय, जब से कांग्रेस सरकार यहां आई है, सिवाय गुणगान के कुछ किया नहीं। गुणगान किस-किस ढंग के हुए? गहलोतजी के बारे में केकड़ी से आने वाले सदस्य ने उनको लोक देवता कह डाला। हमारे

(डा. किरोड़ी लाल)

रामस्वरूपजी, अब तो मंत्री बन गये, उनका मुंह बन्द हो गया, संकटमोचन मंत्री हैं, जन अभाव अभियोग कोई हो सब संकटमोचन रामस्वरूपजी करते हैं, इन्होंने उनको अशोक महान कह दिया, गांधी कह दिया-महात्मा गांधी, लोक देवता। तीन-चार साल का समय पूरा हुआ तो पोलिटिकल संचार अध्ययन शोध संस्थान के अध्यक्ष ड़ा. मनोहर प्रभाकर ने अपने अध्ययन में लिखा है कि अब तक का सबसे लोकप्रिय मुख्य मंत्री हुआ है, ऐसा कोई आज तक नहीं हुआ, और उन्होंने गहलोतजी की तुलना महिला शासक रजिया सुल्तान से की। रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी में मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी। वह इल्तुमिश की पुत्री थी। वह दिल्ली की शासक बनी। महिला होते हुए भी पुरुषों के वस्त्र धारण कर लेती थी। जनता में उपजे असंतोष को कुचलने में असफल रही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, डिमांड होम डिपार्टमेंट की है, अशोक गहलोत की डिमांड नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, लोक देवता के बारे में बताना ही पड़ेगा, साहब।

डा. किरोड़ी लाल : ऐतिहासिक पुरुष हैं, लोक देवता और जो आज के गांधी हैं उनके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। यह उन गांधीजी की बाइबल है, गांधीजी की बाइबल में लिखा है, "बी.जे.पी. के राज में कानून-व्यवस्था चौपट हो गई।" उसमें लिखा है कि "अनुसूचित जाति के दुल्हों को घोड़ी पर चढ़ने से रोकने व उतारने की घटनाएं हुईं। महिला उत्पीड़न की दृष्टि से देश में सात प्रमुख राज्यों में से दूसरे स्थान पर है। निरपराध लोगों पर लाठीचार्ज और गोली चलाने में आगे है। जयपुर में पुलिस मुख्यालय में वायरलैस सेटों की चोरी। बलात्कार के मामले में फरार डी.आई.जी. को गिरफ्तार करने में असफलता।" यह मेरिफेस्टो में है, लेकिन इस मेनिफेस्टो के बाद, उपाध्यक्षजी, हुआ क्या है?

यह रिपोर्ट नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकार्ड की है जिसमें इंसिडेंट्स रेट इन द टोटल क्राइम आन दी आई.पी.सी., इसमें राजस्थान में. आल इण्डिया लेवल पर 9.5 परसेंट है और बिहार में 6.8 है। बिहार से भी ऊपर चढ़ गये, लालूजी से। क्राइम में रेट है राजस्थान की 299.9, एम.पी. की 298.5 और गुजरात की 233.6, इसमें भी ऊपर है।

उपाध्यक्ष महोदय, ये महिलाओं की बात कर रहे थे। क्राइम अगेंस्ट दी स्पेसिफिक ग्रुप विमैन। महिलाओं में परसेंटेज आल इण्डिया पर 9.6 परसेंट है और अकेले राजस्थान में 24.2 परसेंट है। एस.सी. पर 9.6, एक नम्बर पर है

(डा. किरोड़ी लाल)

एस.सी. में। एस.टी. में नम्बर दो पर है। उपाध्यक्ष महोदय, इंसिडेंट्स आफ क्राइम अगेंस्ट विमैन, इसमें यू.पी. नम्बर दो पर है और राजस्थान नम्बर चार पर है। स्टेट रेट आफ क्राइम में विमैन में राजस्थान रैंक में नम्बर दो पर है, एम.पी. नम्बर तीन पर है।

उपाध्यक्ष महोदय, इंसिडेंट्स आफ क्राइम अगेंस्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स राजस्थान नम्बर दो पर है और मध्य प्रदेश नम्बर एक पर है। दिग्विजय सिंह का साथ दे रहे हैं पूरी तरह से। कांग्रेस का राज है, दोनों तरफ क्राइम खूब बढ़ रहे हैं। शिड्यूल्ड कास्ट में राजस्थान नम्बर दो पर है, मध्य प्रदेश तीन पर है। "An analysis of crimes committed against SCs indicated that incidence of such crime is highest in U.P. and second number is Rajasthan." राजस्थान में एस.डी. में नम्बर दो पर है, मध्य प्रदेश तीन पर है। जो अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैं क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार आपको कहना चाहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा अपराध दलितों के साथ, महिलाओं के साथ और साम्प्रदायिक दंगे हुए तो राजस्थान की धरती पर अशोक गांधी के समय पर हुए।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का काम करने का तरीका ठीक नहीं है। मेरे पास एक आदमी आया संकटमोचनजी के इलाके से, रामस्वरूपजी के इलाके से। ज्ञानप्रकाश पिलानियाजी ने थाने को सेवा का मन्दिर कहा था, आओ और सेवा लो। एक थानेदार जी हैं वहां पर जलसिंह। 22.2.2003 को 65 वर्षीय केदार प्रसाद अग्रवाल जो बूढ़ा और अपंग है, अपनी एफ.आई.आर. लेकर थानेदारजी के पास गया। थानेदारजी ने इसलिए एफ.आई.आर. लेने से मना कर दिया कि गुण्डों ने उसकी दुकान पर क़ब्जा कर लिया, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। एफ.आई.आर. 23 तारीख को दर्ज नहीं की। 24 तारीख को डीवाई.एस.पी. के पास गया। डीवाई.एस.पी. ने आदेश दे दिया, लेकिन थानेदारजी ने नहीं माना। उसके बाद एस.पी. के पास 25 तारीख को करौली पहुंचा लूला-लंगड़ा। 26 तारीख को एस.पी. मिली, एस.पी. ने आदेश दिया तो एस.पी. के आदेश के बाद, गृह मंत्रीजी, मुकदमा दर्ज हुआ है। जिसके पास गया उसने मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? जो अपंग है, 70 वर्ष का बूढ़ा है उसने यहां तक एस.पी. को जाकर कहा, मेरा बेटा मजिस्ट्रेट है। मैंने जब यह थानेदारजी को कहा तो थानेदार ने उस बात की भी परवाह नहीं की। मैं कहना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, ऐसे जो पुलिस के लोग आपने लगा रखे हैं, 70 साल का बूढ़ा अपंग जाए, उसकी नकल करे, उसकी अपमानित करे, अगर आपने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की तो अपराध बढ़ेंगे।

(डा. किरोड़ी लाल)

उपाध्यक्ष महोदय, कैसी संवेदनशील सरकार है। मेरे पास एक लिस्ट है-जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आपरेशन भू-माफिया के तहत गृह निर्माण समितियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे 2002 में। ये मुकदमे, उपाध्यक्ष महोदय, 56 हैं। 56 में से 11 का चालान किया। अभी संयमजी बोल रहे थे, चालान में बहुत परफेक्ट हैं और 56 चालान किये, उपाध्यक्ष महोदय। इसमें प्रताप सिंह चौधरी, कांग्रेस के खिलाफ 3 मुकदमे, शिवराम शर्मा के खिलाफ 3-4 मुकदमे, यह भी कांग्रेस के बताये जाते हैं। जमनादास, धर्मचन्द सैनी भू-माफिया, महेश अग्रवाल, रामकुमार शंकर लाल अग्रवाल, शिवराम शर्मा, भागचन्द जैन, नवीन डांगी और भीमसेन गर्ग ने तो इतिहास ही रच दिया, लेकिन उनका आज तक चालान नहीं हुआ। यह चालान की स्थिति है, कांग्रेस के राज की बात है। एक थाना करला जिला जालौर में डी.आई.जी. थानेदार से परेशान हो गया। डी.आई.जी. ने ए.सी.डी. वालों को कहा यह पैसा बहुत लेता है इस पर छापा डालो। एम.एल.ए. हीरालाल विश्नोईजी चिल्ला-चिल्ला कर रह गये, लेकिन गृह मंत्री के यहां सुनवाई नहीं हुई। उसके जब छापा डाला तो 88 हजार की नकदी मिली, तब जाकर उसको लाइन हाजिर किया। एम.एल.ए. कांग्रेस का चिल्ला रहा है, वह कहता है भ्रष्टाचारी थानेदार है इसको हटाओ। उस भ्रष्टाचारी थानेदार ने क्या किया? 6 किलो अफीम बरामद की, बरामदगी 6 किलो की हुई और एक किलो बतायी। ऐसे भ्रष्टाचारी थानेदार थाने पर बैठे हुए हैं। और एक डीवाई.एस.पी. के बारे में यह कि सांचोर से ट्रेनिंग में भारी रिश्वत ले रहे हैं। हीरालालजी, आपके सत्ता दल के विधायक चिल्ला रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। एक गांव डाबड़ी है वहां का समुद्र सिंह शेखावत मलसीसर का, उसके पुत्र की हत्या कर दी, वह सब जगह, पी.एच.क्यू. तक हो आया, उसमें आज तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। वह सैनिक है और वह चिल्लाता फिर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की जांच का तरीका कैसा है, आपको सुनकर हंसी आएगी। एक घटना हुई 13.1.2002 को सपोटरा में, उसमें अज्ञात लोगों ने डकैती डाली, डकैती में एक ही हत्या हो गई। कोई नामजद व्यक्ति उसमें नहीं हुआ, 161 के बयानों में भी कोई नामजद व्यक्ति नहीं हुआ और मुस्तगीस ने भी पहचानने से इंकार कर दिया। लेकिन पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया, कल्याण शर्मा, चतुर्भुज, रामविलास, राजेश, चन्द्र प्रकाश। एक की तबीयत खराब हुई तो छोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इतना मारा जबकि उनका कोई लेना-देना नहीं था, पूरी तरह से निर्दोष थे उनकी खाल उधेड़

(डा. किरोड़ी लाल)

ली और जबरन उनको डकैती और हत्या के मामले में डाल दिया। उन्होंने प्राइवेट इस्तगासा किया छूटने के लिए, प्राइवेट इस्तगासे से चिढ़कर पुलिस ने और ज्यादा कार्यवाही की और इनसे 70 हजार रुपये रिश्वत के मांगे कि या तो 70 हजार रुपये दे दो तब हम छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। और उनको भीतर डाल दिया। ये वहां से चलकर मुख्य मंत्रीजी के पास आये। मुख्य मंत्रीजी ने जांच के आदेश आई.जी. विजिलेंस को दिये। आई.जी. विजिलेंस ने यह कह दिया कि जितने लोगों को पकड़ा है वे सारे के सारे निर्दोष हैं, इनको छोड़ो। एडिशनल डी.जी. साहब नमोनारायणजी हमारे इलाके के ही हैं, उन्होंने भी इस मामले को सुना। ये मानवाधिकार आयोग के पास गये, होम मिनिस्टर के पास पहुंचे। गृह मंत्रीजी का मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा कि इन्होंने एक टीम बनाई, सी.आई.डी. को जांच दी। एडिशनल डी.जी.सी.आई.डी. के फाइल मंगवाने के बाद में इन्होंने भी जो यहां पर एक टीम बनाई उसने कह दिया कि चारों के चारों निर्दोष हैं। गृह मंत्रीजी, आपको पता है चारों के चारों निर्दोष हैं। इसमें होता क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, एक अन्तरराज्यीय गिरोह भरतपुर में पकड़ा गया और उस अन्तरराज्यीय गिरोह ने यह बताया कि हमने जो सपोटरा में डकैती डाली उसमें हमारा हाथ है। बामनवास में डाली हमारा हाथ है। मंडरायल में डाली उसमें हमारा हाथ है। इसका फैक्स एस.पी. ने दिया। यह समाचार भास्कर में भी छापा। एस.पी. भरतपुर ने फैक्स 295/296, 30 मई, 2000 को डी.जी.पी. को दिया, एडिशनल डी.जी. को दिया। उसके बाद भी इन निर्दोषों को नहीं छोड़ा गया। जब एक टीम गठित करके असली डकैतों की जांच चालू हुई जिसमें शिवसिंह और सियाराम डकैत थे कि इन्होंने सारी डकैती तो शिवसिंह-सियाराम को उक्त मुकदमे की पूछताछ करने के बाद जिसकी वीडियोग्राफी भी की गई, उनको गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ एक व्यक्ति था जो थाने में मारा गया। यह कह दिया कि डकैत बाथरूम में गया था, उसने अपना पजामा खोला और नाड़े से लटककर आत्महत्या करके वह मर गया। गृह मंत्रीजी, मैं आपको कहना चाहता हूं, सपोटरा के थाने में डकैत मरा नहीं, पुलिस ने इतना पीटा कि पीटने के कारण उसकी हत्या पुलिस हिरासत में हुई। मेरे को इसका विश्वास है, आप इसकी जांच करवाइये। पुलिस हैडक्वार्टर ने आदेश दे दिये कि 169 में उसकी रिहाई कर दो। 169 में उसकी रिहाई नहीं हुई तो वे सरकार के पास गये, सरकार ने 321 में उसकी रिहाई के आदेश दे दिये। राज्य सरकार का पत्र चला गया कलक्टर को 9.12.2002 को, कलक्टर ने ए.पी.पी. को लिख दिया। 5.12.2002 को तो सरकार

(डा. किरोड़ी लाल)

ने लिख दिया, इसके बाद पी.पी. हुआ होगा। वह 10 हजार रुपये मांगता है। सरकार के आदेश को धत्ता बता दिया कि सरकार ने कर दिया होगा, आदेश कर दिया होगा, मेरे को 10 हजार रुपये दे जाओ नहीं तो मैं अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सब्मिट करूंगा। गृह मंत्रीजी, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो निर्दोष हैं, जिनकी खाल कूटी गयी, आपका आदेश हो गया आपके आदेश के बाद में वह जेल की सीखचों में 14 महीनों में हवा खा रहे हैं, किस कारण से खा रहे हैं? मैं सरकार को पूछना चाहता हूं कि पूरी तरह से निर्दोष हैं, जिन्होंने डकैती नहीं डाली, सरकार मान चुकी है एस.पी. का फैक्स आ गया तो आप क्यों उनको छोड़ नहीं रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि इस राज में जांच का तरीका ठीक नहीं है, जांच का तरीका आपको सही करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में हर तीसरे रोज एक हत्या हो रही है, लूट और बलात्कार हो रहे हैं। यह तो जयपुर शहर की ही बात है। यहां शहर के किशनपोल, जौहरी बाजार में युवक को रास्ते चलो सिर कलम कर डाला, उसकी नृंशस हत्या कर डाली। यहां जो थाने की जेल है न, जहां थाने में रखते हैं, और दूसरे इलाके आसपास के अपराधियों की शरणस्थली बन गये। 21.11.2002 को दो करोड़ की डकैती करके लोग यहां पर आकर गिरफ्तारी दे दें और यहां पर छुपे रहे और यहां की पुलिस को पता तक नहीं लगा। जो हरियाणा में डकैती हुई उसका आज तक पुलिस पता नहीं कर पाई, कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वेतन ले जाने वाले कर्मचारी जाते हैं तो उनका वेतन बदमाश लूट लेते हैं, यह पुलिस कुछ नहीं कर सकती। छोटी-मोटी बहन-बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है, ऐसे संगीन मामलों में कुछ नहीं होता। हिरासत में मौतें हो रही हैं उनमें कुछ नहीं किया। कैदी जेल से भागकर जा रहे हैं, कोटपूतली में भाग गये, अलवर में भाग गये और सलाखों को तोड़-तोड़ कर चले गये। यह सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, यह सरकार नकारा है।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, एक यहां टीकड़ में पुलिस की चौकी है, टीकड़ में पुलिस की चौकी के सामने शिवसिंह नाम का सेना से आया व्यक्ति गांव आया था, अपने घर छुट्टी में आया। जब वह हैण्ड पम्प पर पानी पी रहा था तो पुलिस वालों से अकड़ा-तकड़ी हो गई। पुलिस वाले कहने लगे यहां हैण्ड पम्प पर कैसे पानी पीया? मारा पीटा और इतना मारा कि उसकी मौत हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय, आपका प्रतिवेदन है, सरकार के द्वारा जो प्रतिवेदन जारी किया गया है उस प्रतिवेदन में लिखा

(डा. किरोड़ी लाल)

है कि दिनांक 27.9.2002 को थाना जहाजपुर पर श्री मोहन लाल ने लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि 26.9.2002 को मेरा भाई शिवजी सिंह पुत्र प्रेमसिंह जो आर्मी में सर्विस करता था, छुट्टी लेकर गांव आया हुआ था, अपने रिश्तेदारों से मिलने यहां टीकड़ आया था। रिश्तेदारों से मिलकर शाम करीब 6 बजे पुलिस चौकी के सामने लगे हैण्ड पम्प पर पानी पी रहा था कि पुलिस चौकी पर तैनात थानेदार व हैंड कांस्टेबल वहां आये और अकारण ही मेरे भाई को डण्डों, लातों, घूंसों से मारा-पीटा, घसीटकर पुलिस चौकी के अन्दर ले गये, भारी मारपीट की। उसे बाद में घायल अवस्था में सरकारी जीप में राजकीय चिकित्सालय, बूंदी ले गये जहां उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस वालों ने जहर खाने का षडयंत्र रचने की नीयत से गोपाल मेडिकल स्टोर, देवली से सैल्फोस की गोली लाकर जबरन शिवजी सिंह को खिला डालीं। उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है? फिर यह मुकदमा दर्ज किया 398/2002, 302 की धारा में किया जिसका अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सी.बी.) रेंज, सैल उदयपुर कर रहे हैं। मैं, गृह मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहूंगा इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति पानी पीये उसको मारो पीटो, थाने में उसकी मौत हो जाएं और ले जाने के बाद में उसको सैल्फोस की गोली खिला दी जाए। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। जिसकी दुकान से सैल्फोस की गोली लाये उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? जिसने सैल्फोस की गोली खिलाई उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की? आज तक यह मानवता के लिए कलंक है जहाजपुर का थाना। मेरे को विश्वास है कि आप इसमें ठोस कार्यवाही करेंगे। वहां पर आन्दोलन भी हुए थे। वहां के आन्दोलन के बाद में आपने आश्वासन दिया था कि हम पुख्ता कार्यवाही करेंगे। आज तक तो पुख्ता कार्यवाही नहीं हुई। जो जवान सेना में देश के लिए लड़े उसकी हत्या करके पुलिस मार दे, इससे बड़ा निकम्मा राज कोई नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर तो मूर्ति चोरी हो रही हैं। भगवान भी यहां पर सुरक्षित नहीं हैं। अभी परसादी लालजी पता नहीं कहा चले गये, इनके इलाके में बिलौना कलां में 17 अक्टूबर, 2002 को भगवान राधाकृष्ण की मूर्ति चोरी हो गई। पुलिस के पास गये तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। एस.पी. के पास गये तो एस.पी. ने आदेश दिया, मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। मंत्री के पास पहुंचे, मंत्री ने ध्यान नहीं दिया। राधाकृष्ण की मूर्ति की चोरी हो गई, साधु-संत और पुजारी धरने पर बैठे, गृह मंत्रीजी, तब जाकर मूर्ति बरामद हुई। यह हो रहा

(डा. किरोड़ी लाल)

है। साधु संत धरने पर बैठे तब मूर्ति बरामद हो रही है। मूर्तियों का गिरोह अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक का चल रहा है। अब आप मुझे एक बात बता दो कि साधुओं ने धरना दिया, पुजारी ने धरना दिया तब मूर्ति कहां से आ गई? कोई अचानक प्रकट हो गई? मैं पूछना चाहता हूं, तफतीश का तरीका ठीक नहीं है, आपकी सरकार संवेदनशील नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, माननीय सदस्य पता नहीं कहां चले गये, महिला उत्पीड़न की बात कर रहे थे। यहां पर औरतों की खरीद-फरोख्त हो रही है। मेवात में अड्डा बना हुआ है। गृह मंत्रीजी, आपकी जानकारी में होगा, मेवात मण्डी बना हुआ है और बहुत-से इलाके हैं जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार में भी राजस्थान अव्वल नम्बर पर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक पत्र पढ़कर सुनाना चाहूंगा, यह पत्र है मारग्रेट अल्वा, एम.पी., चेयरपर्सन का। गृह मंत्रीजी, इनका यह पत्र 8 अक्टूबर, 2002 का है, इसमें लिखा है:-

"Dr. Sheila Omen, a native of Karala State, is working in City Dispensary No.1 in Bikaner, Rajasthan. She complains that she is being harassed by a local MLA and Minister, Mr. B.D. Kalla and his brother Shri Janardan Kalla who threaten her frequently, saying that all South Indians should go back to South. She has lodged a police complaint but no action has been taken so far due to their political influence. I would request you that the matter be inquired into and necessary action taken so that a working woman in a remote area is given the necessary protection."

अब नैसेसरी प्रोटेक्शन क्या दिया, यह भी मैं आपको बता देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जांच हुई, जांच में सही पाया गया। जांच में सही पाये जाने के बाद में विभाग लिखता है-"महिला सशक्तीकरण समिति की अध्यक्ष श्रीमती मारग्रेट अल्वा के यहां से प्राप्त हुआ जिसमें बीकानेर की एक डाक्टर शीला ओमन द्वारा माननीय मंत्री श्री बी.डी. कल्ला एवं उनके भाई श्री जनार्दन कल्ला के विरुद्ध शिकायत का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त डाक्टर ओमन का आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध है। प्राप्त पत्र प्रेषित करना तो उचित नहीं होगा क्योंकि जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है उनमें से एक केबिनेट स्तर के मंत्री हैं। केबिनेट स्तर के मंत्री हैं इसलिए कहीं शिकायत नहीं भेज सकते। आप कह दो, भारत सरकार को आपने रिपोर्ट भेजी? मारग्रेट अल्वा मांग रही है। मैं कहना चाहता हूं, जब आपका केबिनेट मिनिस्टर

(डा. किरोड़ी लाल)

महिलाओं के साथ थ्रैट करेगा, उत्पीड़ित करेगा तो इस राजस्थान में कोई सुरक्षित रहने वाला नहीं है। गृह मंत्रीजी, मैं आपसे आश्वासन चाहूंगा, एक डाक्टर पढ़ी-लिखी, जिसको आपका केबिनेट मिनिस्टर धमकी मारे और आप सरकार को रिपोर्ट नहीं भेजो, इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता।''

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): मैं आपको इंटरप्ट तो नहीं करना चाहता लेकिन यह बता दीजिये कि इसमें क्या उत्पीड़न है? उत्पीड़न क्या हुआ है?

डा. किरोड़ी लाल : यह तो आप बी.डी. कल्ला से पूछना।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, नहीं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आप केबिनेट मिनिस्टर के ऊपर चार्ज लगा रहे हो कि उत्पीड़न क्या है? उत्पीड़न को आप उससे क्यों जोड़ना चाहते हो ट्रांसफर के मामले को?

डा. किरोड़ी लाल : मैं गृह मंत्रीजी, आपको बताना चाहता हूं, या तो आप बी.डी. कल्ला से पूछो...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं तो आपकी बात सुन लूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता था कि उत्पीड़न क्या हुआ इसमें?

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, यह तो जो मारग्रेट अल्वा का कृपा पत्र है, जो मारग्रेट अल्वा ने भेजा है, वह भी आपकी पार्टी की हैं, आप उनसे पूछ लेना या कल्लाजी से पूछ लेना। आप इसको मजाक में मत डालो। ये सोनियाजी की +++ हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं मजाक में नहीं टाल रहा हूं, मैं तो सीरियस हूं इसीलिए आपसे जानकारी कर रहा हूं कि उत्पीड़न के बारे में आपका क्या कहना है, कौनसा उत्पीड़न हुआ, कैसे उत्पीड़न हुआ?

श्रीमती बीना काक : इसी को तो पारदर्शिता कहते हैं, यही तो पारदर्शिता है। उन्होंने लिखा और वह अब ताइद आपसे कर रहे हैं कि बताइये क्या है, यही पारदर्शिता है।

डा. किरोड़ी लाल : मैं बता रहा हूं आपकी पारदर्शिता, आप तो बिराजो। गृह मंत्रीजी, आप इसको गम्भीरता से लेना, मारग्रेट अल्वा सोनियाजी की +++ है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका भी कबाड़ा हो जाएगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यदि मैं गम्भीर नहीं होता तो आपसे जानकारी क्यों प्राप्त करता?

डा. किरोड़ी लाल : मैं तो, गृह मंत्रीजी, आप पर बड़ी श्रद्धा का भाव

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. किरोड़ी लाल)

रखता हूं इसलिए कह रहा हूं कि यह मारग्रेट अल्वा का पत्र है, इसको गम्भीरता से ले लेना।

मुझे चिंता इस बात की है कि अगर आपने नहीं लिया और कहीं आपकी छुट्टी हो गई 10 जनपथ में शिकायत हो गई तो...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरी छुट्टी की तो चिंता आप मत करिये लेकिन आप तो अपने केस को ठीक प्रकार से प्लीड कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : आई एम प्लीडिंग प्रापरली। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मंत्रीजी चाहे तो मैं इसको टेबल कर सकता हूं। यह मारग्रेट अल्वा का पत्र है और एक डाक्टर के साथ उत्पीड़न का मामला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां अभी साम्प्रदायिक झगड़ा फैलाने की बात चल रही थी। किसान केसरी की प्रतिमा को यहां पर तोड़ दिया, शेखाजी की प्रतिमा को यहां पर तोड़ दिया, मूर्तियों को रोज तोड़ रहे हैं और यह सरकार सो रही है। अब शेखाजी और किसान केसरी मिर्धा जैसे की मूर्ति को तोड़ जाए, आपकी सी.आई.डी. क्या कर रही थी? आपका ईंटेलीजेंस कहां सो रहा था? देवी–देवताओं की मूर्ति को तोड़कर आप जिस ढंग का माहौल यहां पर बना रहे हो, मैं उसमें सख्त आब्जेक्शन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हुआ है कि केवल महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, मूर्ति टूट गई, हमारे मदनजी दिलावर पर हमला हो गया, बाल–बाल बचे। हमारी बैर से आने वाली माननीय सदस्य शांति पहाड़ियाजी आज हैं नहीं, उन पर हमला हुआ। निर्भयजी पता नहीं कहां चले गये, उन पर हमला हुआ। रूपारामजी पता नहीं कहां चले गये, उन पर हमला हुआ। जन प्रतिनिधियों पर हमला हो रहा है, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही, यह सरकार का नमूना है।

उपाध्यक्ष महोदय, दलित अत्याचार के बारे में बोल रहे थे मेरे से पूर्व सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कि दलितों के साथ हमने बहुत अच्छा काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का दलित अत्याचार के मामले में पहला नम्बर है। नम्बर एक पर है दलितों के साथ अत्याचार में। मैं, गृह मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहूंगा कि एक डी.आई.जी. ने हमारे राज में बलात्कार किया और एस.टी. की महिला को उठाकर ले गया टंडन, आपने मेनिफेस्टो में लिखा है कि उसको गिरफ्तार नहीं कर सके। आप मुझे बता दो कि अब उस डी.आई.जी. टंडन को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? सुमेधा का अपहरण हुआ, बड़ी गलत घटना थी। मैं सरकार को इस मामले में और गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपहृत जौहरी

(डा. किरोड़ी लाल)

व्यापारी की महिला को आप ले आये। मैं पुलिस को भी आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, पर एक गरीब एस.टी. की महिला जिसका अपहरण करके बलात्कार करके डी.आई.जी. ले गया, जिसको आप जानते हैं, डी.आई.जी. ले गया, बलात्कार किया, उसको आप अब तक नहीं पकड़ पाये। आपके मेनिफेस्टो में लिखा हुआ है, अब तक नहीं पकड़ा इसका कारण क्या है, यह आप मुझे बता दो। आपने कहा कि हमने तो उसको नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकालना कोई सजा नहीं है। आपके पुलिस हैडक्वार्टर की रिवाल्वर को और ले गया। उसके पास रिवाल्वर है पुलिस हैडक्वार्टर की और उसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक काली देवी की घटना हुई थी जब आप शुरू शुरू में राज में आये थे। उसका अपहरण करके ले गये, खेड़ली थाने की बात, वह आज तक नहीं आई। उस एस.टी. की बेटी का पता आज तक नहीं है कि उसको अपराधी कहां पर ले गये और यह सरकार सो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि अफसरों के साथ भी आप कम अन्याय नहीं कर रहे हैं। आठ आई.पी.एस. अफसर थे उनको आपने आर.पी.एस. बना दिया। यह दलितों को इनाम दिया है आपने। जो फैसला हुआ अजीत जुनेजो द्वितीय बनाम पंजाब सरकार का, उसका अर्थ उलटा निकालकर आपने आठों को रिवर्ट कर दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो चाहे रेलवे के अधिकारी हों, चाहे कस्टम के हों, चाहे एक्साइज के हों, थ्रू आउट इण्डिया सरकार उनको प्रमोशन दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप दलितों के शुभचिंतक हैं तो जिन 8 आई.पी.एस. अफसरों को आपने रिवर्ट किया उनको फिर से प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है? ऐसी कौनसी दिक्कत आ गई? मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि यह जो दलितों के साथ अन्याय यहां पर हो रहा है, मैं कल ही निवाई में जाकर आया हूं, उप मुख्य मंत्रीजी के इलाके में, 4-5 हजार आदमी थे वहां, वहां से प्रस्ताव लेकर आया हूं कि किसी प्रकार का अगर अपराध होता है तो जनता जनार्दन सूचना दे, हम इसका इलाज करेंगे...क्योंकि सरकार से तो होता नहीं। जब उप मुख्य मंत्रीजी को फोन किया तो जवाब मिला कि वो तो बाथरूम में हैं। द्वारकाजी को फोन किया तो जवाब मिला कि वो शहर में घूम रहे हैं। और गृह मंत्रीजी को फोन किया तो इनकी पुलिस 10 घंटे बाद पहुंची जब दूल्हे को घोड़ी से उतार लिया। घोड़ी से उतारकर बारात की मार-पिटाई की। यह कितना संगीन अपराध उप मुख्य मंत्रीजी के इलाके में हो रहा है। गृह मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि

(डा. किरोड़ी लाल)

आपने मेरिफेस्टो में लिखा है, दूल्हे उतर रहे हैं, यह क्या हो रहा है जो बरथला में हुआ है? और चकवाड़ा में क्या हुआ? चकवाड़ा में तालाब में पानी नहीं पी सकते। दलित वहां पानी पीने के लिए नहीं जा सकते। जब आपकी पुलिस गई तो उसको अंदाजा नहीं था कि इतनी पब्लिक आएगी। आपकी ईंटलीजेंसी को क्या हो गया? उसको किसने ताला लगा दिया? उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी सुनकर हैरानी होगी कि एस.पी. भाग रहा है, कलक्टर भाग रहा है, डी.आई.जी. भाग रहा है, सब भाग रहे हैं। एक किलोमीटर तक भागे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी आपने क्यों लगा रखे हैं जो भागते हैं, जो सिपाहियों को पिटवाते हैं? और फिर बाद में नम्बर आता है तो सिपाहियों को सस्पैंड करते हैं। आप कमजोर कड़ी को सस्पैंड मत करो, आप बड़े की चोटी को पकड़ो। डी.आई.जी., एस.पी., कलक्टर भागा। अब कलक्टर भाग गया था मोलासर में भी। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी गये मोलासर में, वहां कुछ 400-500 किसान आये बिजली की समस्या सुनाने के लिए। बिजली की समस्या को सुनाने आये तो थोड़ा जोर से घुस गये। घुस गये तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा, एस.पी. तो बैंच के नीचे घुस गया, कलक्टर बेहोश होकर गिर गया और मुख्य मंत्रीजी ट्रक में बैठकर भाग आये। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर राजस्थान का मुख्य मंत्री...

श्री हरेन्द्र मिर्धा : ऐसा कुछ नहीं था, मैं भी खुद उस प्रोग्राम में था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बता दो, आप तो साफ बात कहने वाले हो। जो सही घटना है, आप बताइये, आप बता दो, हम पूरी सुनेंगे।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : न तो मुख्य मंत्रीजी ट्रक में भागे थे, हम तो आराम से कार में बैठकर वहां से निकले थे। जहां मेन मीटिंग थी वहां किसी ने हल्ला-गुल्ला नहीं किया था। सीकर से 100-200 आदमी आये थे वे जबरदस्ती अन्दर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमने तो यह भी कहा कलक्टर से, कि अगर वे मिलना चाहते हैं मुख्य मंत्रीजी से तो हम लोगों को उनको मिला दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कलक्टर वहां से सीधा एस.एम.एस. में क्यों आया?

श्री हरेन्द्र मिर्धा : उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, एस.पी. वहां बैंच के नीचे क्यों घुसा? और आप वहां नीले रंग की गाड़ी में जो ट्रक चलती है, उसमें क्यों चढ़े? आपने पीछे से अशोकजी को यों ऊंचा किया था। वह फोटो छपी है अखबार में, आपने ऊंचा किया था अशोकजी को।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : नहीं, नीचे नहीं घुसा। नहीं, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। कोई ट्रक में नहीं गया था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप वहां उस समय थे क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, वहां फोटो है, अखबार में छपी है। भास्कर में फ्रंट पेज में फोटो छपी, आप मुख्य मंत्रीजी को सहारा दे रहे हैं। नहीं, अच्छा किया आपने, नेता को सहारा देना चाहिए।

श्रीमती बीना काक : इसमें मुख्य मंत्रीजी को नहीं उठाया होगा, मुख्य मंत्रीजी को सहारा नहीं दिया होगा। उनकी लम्बाई की वजह से ये नहीं कर सकते वह ऊंचा उठाने की बात, वह उलटी बात की होगी, इनको ऊंचा उठाया होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : ऐसा है, मुख्य मंत्रीजी को तो ऐसे नहीं उठाया, आप कटारियाजी के साथ कर सकते हो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मुख्य मंत्रीजी को उठाया कि नहीं उठाया। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो एस.पी. बैंच के नीचे घुस जाए, जो कलक्टर बेहोश होकर गिर जाए, आखिर में ऐसों को फील्ड पोस्टिंग क्यों दे रखी है, गृह मंत्रीजी? आप तो खुद भी क्षत्रिय समाज से हो, आप इनका ध्यान रखा करो। ऐसे लोगों को पोस्टिंग ही मत दो, कोई बलवान, शक्तिशाली को दो तो कोई आ जाए, कानून की स्थिति बिगड़े तो सम्भाल तो ले।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं हुआ है। इस राज में केशोरायपाटन में श्रीपावा में दूल्हे को उतारा। खैरथल के हुसैन गांव में पथराव दूल्हे पर किया। सुनारिया 23 जनवरी, 1999, दलित की बरात के ऊपर हमला किया। थाना खातोली में कोटा में 30 जनवरी को किया। उपाध्यक्ष महोदय, यह क्यों हो रहा है, यह बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। यह इसलिए हो रहा है कि सरकार का ऐसे तत्वों को प्रोटेक्शन है, इन लोगों का मनोबल बढ़ गया। इन लोगों का मनोबल क्यों बढ़ा है? मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, गृह मंत्रीजी, मनोबल इसलिए बढ़ा है कि गृह मंत्रीजी एक बार अलवर में पधारे थे, वहां थाने का उद्घाटन...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, नहीं, मैं गलत रिपोर्टिंग का खण्डन कर चुका हूं। दो बार खण्डन कर चुका हूं, यह गलत रिपोर्टिंग हुई है। आपने पिछले साल भी यही बात उठाई थी और मैं बार-बार खण्डन करता रहूं, कोई नई बात हों तो बताएं।

एक माननीय सदस्य : इस तरह की बातों का कोई अर्थ है क्या?

डा. किरोड़ी लाल : अर्थ है इसका, मैं अर्थ बता रहा हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य को मैं इंटरप्ट नहीं करना

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

चाहता था, लेकिन इन्होंने बात कुछ ऐसी कह दी है। यह इश्यू पहले भी आया है और गृह मंत्रीजी की तरफ से भी पहले इसको नकारा गया है कि यह बात बिलकुल असत्य है। निराधार बात है, ये बिना वजह गलत कह रहे हैं। मेरे यहां का एक जिक्र भी किया है बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए तो इन्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने वहां पर आदिवासी भाइयों के लिए एक छात्रावास के लिए जमीन दी, जिसका निर्माण हो रहा है। उसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग गये थे वहां पर, वहां सब लोगों ने आपका भी स्वागत किया और मेरे अच्छे कार्य को सराहा है, यह बात भी आपको कहनी चाहिए। दूसरी बात...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप आदमी अच्छे हो, पर बहुत कमजोर हो। आप आदमी अच्छे हो, पर आपकी चलती नहीं है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मेरी बात तो सुन लीजिये आप। जो आपने जिक्र किया है कि मुझे टेलीफोन किया और मैं बाथरूम में था, मैं बाथरूम का इतना आदी बिलकुल नहीं हूं। जो बात कही गई है वह बात भी सच नहीं है। जब भी सरकार को पता लगा, तत्काल एक्शन लिया गया और छह आदमियों को गिरफ्तार किया गया।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : नहीं, नहीं, पूरे 48 घंटे बाद पता चला था क्या, उप मुख्य मंत्रीजी? 48 घंटे के बाद पता चला क्या आपको? 48 घंटे बाद जानकारी में आई थी क्या यह बात आपको कि घोड़ी से उतारा गया है दूल्हे 48 घंटे बाद गये हैं ये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप बोलेंगे। बोलेंगे, बंशीवालजी। अभी आपको बोलने देंगे।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि इस मामले को मैंने पहले कभी नहीं उठाया...

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल : यह फर्स्ट टाइम है। एक मैगजीन है "डे-आफ्टर" फरवरी 16, 2002 की, इसमें लिखा है। इसमें झलकियां और हैं, वह मैं बता देता हूं आपको। झलकी है, उपाध्यक्ष महोदय, विधायक जितेन्द्र सिंह ने बुजुर्ग गृह मंत्रीजी गुलाबसिंह शक्तावत को राज्य मंत्रिमण्डल में सबसे सीनियर की संज्ञा देते हुए कहा कि उनकी बात को कोई जूनियर टाल नहीं सकता। जुबेर खां ने शक्तावत की व्यस्तता में पुलिस अधिकारियों के कार्यक्रम में जाने के सम्बन्ध में कहा कि इस बाबत

(डा. किरोड़ी लाल)

यह सोचा गया है कि पुलिस वाले तो फिर भी डिसिप्लिन में रहेंगे, इसलिए पहले छात्रों के कार्यक्रम में जाना जरूरी है। विधायक करण सिंहजी यादव ने खुद को बिन बुलाये मेहमान की संज्ञा दी। विशिष्ट अतिथि विधायक जगत सिंह दायमा, बेचारे स्वर्गवासी हो गये, उन्होंने कहा कि अरावली विहार पुलिस स्टेशन जिला अलवर, इसमें गृह मंत्रीजी ने कहा है-"The Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act was a disease for the police and lodging cases under this Act without any reason was a headache for them. Not only this, Shri Shaktawat had similarly said about dowry and prevention Act. He also told like this...These statements were made by the Home Minister at a public meeting organised after inaugurating the Aravali Vihar Police Station in Alwar district. Gulab Singh also criticised the former Prime Minister, V. P. Singh who was responsible for bringing the SC/ST Atrocities Prevention Act as he by doing so had divided the Country on caste basis." यह होम मिनिस्टर ने कहा है, यह भास्कर में है, पत्रिका में है, नेशनल मैगजीन में है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह बिलकुल गलत बात है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को नकारा जा चुका है। चूंकि हमारे राज्य के गृह मंत्रीजी बहुत सज्जन आदमी हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, हरिजनों के, गिरिजनों के प्रति बहुत डैडीकेटेड व्यक्ति रहे हैं, ऐसी बात इनके मुख से कभी निकल नहीं सकती। मैं इस बात का खण्डन करता हूं, इसको अस्वीकार करता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद :...पहले भी यह मुद्दा आया था इसी हाउस में। यह पिछले साल भी आया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। समाप्त करें।

डा. किरोड़ी लाल : रोज रोज यह है। जब राजस्थान का गृह मंत्री जिम्मेदार आदमी है और इस ढंग से स्टेटमेंट देना तो...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मैं उसका खण्डन करता हूं। गलतबयानी मत कीजिये मेहरबानी करके।

डा. किरोड़ी लाल : आप कह रहे हैं बनवारी लालजी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : कोई बात नहीं, आपके क्या दर्द हो रहा है पेट में? पिछले साल हुआ तो बारातों को उतारते रहोगे क्या? बरथला में हुआ है, मैं कह रहा हूं गृह मंत्रीजी से...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर साहब, समय, समय।

डा. किरोड़ी लाल : इसलिए यह अपराध बढ़ रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बहुजन समाज पार्टी से जीतकर आये हो, बहुजन समाज के हितों की बात करो, माहिरजी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। बैठो, बैठो। बंशीवालजी, बोलना नहीं चाहोगे क्या? आप बैठो न।

श्री नन्दलाल बंशीवाल :...अब पलटकर कांग्रेस में चले गये। बहुजन समाज के वोटों से जीतकर आये हो इस विधान सभा में। नहीं, सर, मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि ये बहुजन समाज के वोटों से तो इस विधान सभा में पहुंचे हैं, बहुजन के हितों की बात नहीं करते। पलटकर कांग्रेस में चले गये, एकदम टेप बदल ली। बहुजन के समाज की बात नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लेना आपको जो बोलना है, माननीय सदस्य। ठीक है, एक-दो मिनट और बोल लो आप, फिर निपटो। माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। अब मैं छोड़ देता हूं, गृह मंत्रीजी, क्योंकि गृह मंत्रीजी ने...

श्री उपाध्यक्ष : उन्हें तो छोड़ने में ही फायदा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, मैं आपकी दया की भीख नहीं मांगता हूं, छोड़ने का सवाल ही नहीं है। आपके पास में कोई चार्ज हो तो लाइये न चार्ज मेरे खिलाफ। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब गृह मंत्रीजी जैसे जिम्मेदार आदमी ऐसे बोलेंगे तो अत्याचार बढ़ेंगे। इसलिए थोड़ा जिम्मेदार का अभाव तो है। मैं आपको सलाह नहीं दे सकता, मैं तो आपसे बहुत जूनियर हूं, पर आप इस बात को जान-बुझकर झुठला रहे हो। वहां के प्रमाण हैं, वहां भाषण टेप हुआ है, बोलो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इस सम्बन्ध में नत्थीसिंहजी जो एक्स-एम.पी. हैं, वे मुझसे मिले हैं, सारी बातें हुई हैं, सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। अगर आज वे जिन्दा होते, वे नहीं हैं तो मैं उनसे भी कहलवाता कि क्या बात हुई है और किस रेफरेंस में क्या बात हुई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : टंग स्लिप हो गई थी, साहब, बाकी कुछ बात नहीं। टंग स्लिप हो गई थी, कोई खास बात नहीं थी। वह आपकी जबान फिसल गई थी, यह जबान बड़ी बेइमान है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरी जबान नहीं फिसलती, मेरी जबान पर मेरा नियंत्रण है। आपकी जबान फिसल जाए तो मुझे पता नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह :...नहीं, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

डा. किरोड़ी लाल : हां, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन सार्वजनिक रूप से गृह मंत्रीजी को यह बात नहीं बोलनी चाहिए। दुरुपयोग की जांच हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर साहब, समाप्त कीजिये प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं राजस्थान प्रदेश में जितनी भी हैं। और उसका कारण है। राजस्थान सरकार की एक रिपोर्ट में खुलासा है, सीमावर्ती क्षेत्रों में मदरसे बढ़ने की बात सरकार ने मानी है। मदरसों पर सरकार नजर रखने जा रही है, सिमी के लोग इसमें घुस गये। पिछले चार सालों में चार जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में 57 नये मदरसे खुले हैं, जबकि उससे पूर्व अक्टूबर, 2002 तक चार जिलों में मदरसों की संख्या बढ़कर 249 हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, इन क्षेत्रों में धार्मिक कट्टरता के जरिये देशद्रोह की भावना फैलाने की आशंका के चलते मदरसों पर सरकार नजर रख रही है, यह सरकार का व्यू है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हुआ क्या है? हवाला के थ्रू पैसा आता है और मुस्लिम छात्रों को उग्रवादी बनाया जा रहा है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मदरसे मशरूम की तरह बढ़ रहे हैं, तालिबानी शिक्षा दे रहे हैं, राज्य सरकार का पाठ्यक्रम वहां पर चलता नहीं है। हम सीमा पर जाकर आये हैं, गृह मंत्रीजी, मैं कोई वैसे ही नहीं बोल रहा हूं। दीनी तालीम दी जाती है, दुबई, सऊदी अरब और अन्य देशों से धन मिल रहा है। सरकार आखिर में आय–व्यय का ब्यौरा क्यों नहीं लेती है? भारत सरकार ने, गृह मंत्रीजी, 20 सितम्बर, 2001 की टास्क कोर्स की समीक्षा में लिखा है कि 21 मदरसों को राजस्थान में अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त पाया है। उपाध्यक्ष महोदय, गतिविधियां बहुत खतरनाक पाई गई हैं। मैं, गृह मंत्रीजी, आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे यू.पी. की राज्य सरकार ने कानून बनाया है कि मदरसे शुरू हों या कोई धन की उगाही हो तो उसमें बिना कलक्टर की अनुमति से नहीं होगा, क्या आप ऐसा प्रावधान करेंगे कि जो अराष्ट्रीय गतिविधियों में मदरसे लिप्त हैं उनकी जांच तो कराएंगे ही किन्तु उन मदरसों को बनाने एवं उनके धन की उगाही से पहले कलक्टर की परमिशन भी लेनी पड़ेगी? गृह मंत्रीजी, यह आपको जानकारी होगी कि राजस्थान पुलिस को भारत सरकार ने निर्देश दिये हैं कि बीकानेर के चालीस, बाड़मेर के अस्सी, गंगानगर के बीस मदरसों में कार्यकलापों में, जो चिन्हित किये हैं टास्क

(डा. किरोड़ी लाल)

कोर्स ने, उनमें अराष्ट्रीय गतिविधियां चल रही हैं। गृह मंत्रीजी, मुझे विश्वास है कि आप वैस्ट बंगाल के मुख्य मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की तरह इन मदरसों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाएंगे। एक कम्युनिस्ट ने तो लगा दी, आप तो लगाओ। उपाध्यक्ष महोदय, ये मदरसे अबाध रूप से चल रहे हैं और उनमें अराष्ट्रीय गतिविधियां चल रही हैं, घुसपैठिये आ रहे हैं सीमा से। उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : कम टाइम हुआ है, साहब अभी, बीच में टोकाटाकी ज्यादा हुई।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम तो मुझे ध्यान है, आप बोलो। पांच-चार मिनट और बोलें।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, पाक घुसपैठिये यहां पर घुस रहे हैं। शरीफ उर्फ रमजान को लश्कर-ए-तोएबा के लिए कार्य करते हुए पकड़ा गया बीकानेर में। जैसलमेर में मुख्तयार पासा रमजान को घड़साना के पास जासूसी करते पकड़ा गया। बीसा से आये पाक नागरिक सीमा पर आकर बस गये। सीमा पर हजारों उग्रवादियों को प्रशिक्षण जैश-ए-मुहम्मद द्वारा जैसलमेर के रहीमयार खान क्षेत्र तथा उमरकोट में दिया जा रहा है। हम जाकर आये हैं वहां पर, यह माननीय सदस्य साथ में थे, सिम्मी के आई.एस.आई. एजेंट वहां पर भर्ती हो रहे हैं। आई.एस.आई. से सिम्मी के लोग लिंक होते जा रहे हैं। आई.एस.आई. का पूरा जाल सीमावर्ती क्षेत्र के अलावा मेवात में भी बिछ गया है। मेवात में पाकिस्तानी एजेंट पकड़े गये, काफी मदरसों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में वहां पाया गया। आतंककारी आफताब अंसारी से पूछताछ में उसने बताया कि जयपुर और अजमेर में करोड़ों की सम्पत्ति खरीद चुका है। मैं पूछना चाहता हूं, पुलिस के अधिकारी यहां बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं? सांवर कांठा, गुजरात में जो आर.डी.एक्स. का ट्रक पकड़ा था, उसमें इनका सारा इंवाल्वमेंट था और इंटेलिजेंस के देवराजन जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि अराष्ट्रीय गतिविधियां चल रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर में पाकिस्तान के निवासी असलम और अंजुम को पकड़ा गया जो आई.एस.आई. का नैटवर्क बिछा रहे थे। बाड़मेर, जैसलमेर में पागलों की संख्या बढ़ गई। कोलकाता के अमेरिका ट्रेड सेंटर पर हमले का मुख्य सूत्रधार जमनुद्दीन नासिर अंसारी जयपुर में आई.एस.आई. का अड्डा करते हुए पकड़ा गया। कोई आफताब अंसारी उर्फ हरफान मलिक राजस्थान में मदरसों की स्थापना के लिए हवाला से पैसे दे रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है, उपाध्यक्ष महोदय, और आपको थोड़ी यह भी जानकारी मिली

(डा. किरोड़ी लाल)

होगी अखबार के थ्रू कि दाऊद अजमेर में कई बार आ गया। गृह मंत्रीजी, आपकी पुलिस कहां सो रही है? दाऊद जैसा यहां पर आकर शरणस्थली बना रहा है। बीकानेर के अस्पताल में पाक प्रशिक्षित आतंककारी इकराम को पकड़ा गया जो हिजबुल से जुड़ा हुआ माना गया। मुख्य अभियन्ता जो इसका था, जो कोलकाता के ट्रेड सेंटर पर हमला करने में शामिल था, जमीर नासिर अंसारी, वह जयपुर में किराये के मकान में रह रहा था। मैं सारी बात इसलिए बता रहा हूं, गृह मंत्रीजी, कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी पुलिस सो रही है और आतंकवादियों का जाल राजस्थान की धरती पर बिछ रहा है। इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि पूरा राज्य आई.एस.आई. के शिकंजे में फंस गया है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी वह बोल रहे थे, कौन सी सरकार बताई थी, हिंजडा सरकार, किन्नरों की सरकार, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी तो सरकार चलो किन्नरों की है, जब आतंकवादियों से निबटने के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, पोटा का हम कानून ला रहे थे तो कांग्रेस ने ख़िलाफत करी जिससे पोटा पारित नहीं हुआ। जोइंट सैशन बुलाया गया तब पोटा पारित किया। जब इतना जबरदस्त आतंकवाद यहां पर बढ़ रहा है तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि पोटा में कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? आप तो खुद ही नहीं चाहते कि किसी प्रकार से इस आतंकवाद का खातमा हो। आर्टिकल 108 के तहत जोइंट पार्लियामेंट्री सैशन हमारी सरकार ने बुलाया, कितनी नुक्ताचीनी हुई। संसद पर हमला हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, इसके कारण पोटा लागू करना पड़ा। हिन्दुस्तान में गत पन्द्रह वर्षों में 61,013 सिविलियन आतंकवादियों द्वारा मारे गये। 8706...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य, आपने सुना होगा कि भारत सरकार के गृह मंत्री स्वयं इस पोटा कानून का पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : और तमिलनाडु और पंजाब में दुरुपयोग हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : अब हो गया न बहुत। अब काहे को ज्यादा गृह मंत्रीजी को आप कर रहे हो, हो गया न बहुत।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह भी इसको रिव्यू करा रहे हैं। वहां पर इसका दुरुपयोग हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कनक्लूड कर रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दुरुपयोग हो रहा है। इस दुरुपयोग की शिकायत के आधार पर ही पुनर्निरीक्षण करवा रहे हैं भारत सरकार के गृह मंत्रीजी।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं तो आप क्या कर रहे हो?

मोहम्मद माहिर आजाद : तीन आदमियों की कमेटी बना दी है और उसके रिव्यू की मीटिंग है कल। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : राजस्थान में इतना आतंकवादियों का जाल बिछा...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राजस्थान में जो कानून लागू है वह पर्याप्त कानून है, उसके तहत हम आपराधिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा रहे हैं और कानून के तहत शिकंजे में कसेंगे।

डा. किरोड़ी लाल : एक सुबह घूमती हुई महिला को उठा कर ले जाएं और यह कानून बना रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में कांग्रेस ने जो एक्ट ला रखा है अपराधियों से निबटने के लिए उसके कारण वहां अपराधियों के हौंसले नहीं है कि भू माफिया भूमि पर कब्जा कर लें, चलती हुई बहन-बेटी को ले जाएं। इनसे काम नहीं चलने वाला। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से मांग करना चाहता हूं कि आपने कोई बिल ड्राफ्ट किया बताया, उस बिल को पेश करो, उसको पारित कराओ। मैं नहीं कहता कि आप पोटा ही लागू करें, मैं तो कहना चाहता हूं कि ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए कि कोई भी अपराधी कानून के शिकंजे से निकल कर नहीं जाए। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने इसको सख्ती से इसलिए किया कि 8706 आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स के लोग मारे गये। छह लाख लोग कश्मीर में मारे गये, पैंतालीस हजार करोड़ रुपये भारत सरकार के उसमें लग गये। यह कह रहे हैं कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, माहिर आजादजी, कांग्रेस में आप आये हो, गुजरात में आपका शासन था, अकेले टाडा में आपने 19 हजार किसानों को गिरफ्तार किया है, इससे बड़ा कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। दुरुपयोग करती है तो कांग्रेस करती है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां यहां पर चल रही हैं, इन गतिविधियों पर ये करने वाले कुछ नहीं हैं। इसलिए नहीं करने वाले, मैं बताना चाहूंगा, माहिर आजादजी से...

श्री उपाध्यक्ष : अंत में।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, साहब। माहिर आजादजी, आक्सफोर्ड सेंटर फार इस्मालिक स्टडीज इन इंग्लैण्ड, ओसामा बिन लादेन उसको...

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कहोगे इसमें सोनियाजी गई हुई हैं। यह पहले भी कह चुके हो कि सोनियाजी गई हैं इसमें।

डा. किरोड़ी लाल : ओसामा बिन लादेन जिसको फंडिंग कर रहा है, उसमें जाकर इनकी हाई कमान सोनियाजी भाषण दे रही हैं। अब ये कहां टैररिस्ट का इलाज करने के पक्ष में है। गृह मंत्रीजी, मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आपके नेता ही वहां

(डा. किरोड़ी लाल)

जा रहे हैं, आतंकवादी जिस संस्था को फण्ड कर रहे हैं तो मेरे को तो लगता है आपके वश की बात नहीं है कि आप कोई ऐसा बिल लाएंगे कि यहां कि बदमाशी, यहां की गुण्डागर्दी समाप्त करें।

डा. के. सी. चौधरी : नेता आक्सफोर्ड फाउण्डेशन में गई थीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अरुण सिंहजी। बिराजिए प्लीज। (व्यवधान) बैठिये न आप, काहे को बहस कर रहे हैं? श्री अरुण सिंहजी। बिराजिए, माननीय सदस्य।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल : साम्प्रदायिक दंगों के कारण हालत राजस्थान प्रदेश की ज्यादा बिगड़ी है। पांच मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया। पांच मिनट आप कह रहे हैं, पैंतालीस मिनट हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्लीज। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने नाम पुकारा है मेरा। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गंगापुर की घटना हुई। जहां कहीं रामधुनी हुई, तो रामधुनी होवे तो हम तो साम्प्रदायिक हो जाएं और सोनिया गांधीजी प्रयाग में स्नान करें तो धर्मनिरपेक्ष हो जाएं। हमारे अगर वहां पर स्नान करने चले जाएं तो साम्प्रदायिक हो जाएं, देश का प्रधानमंत्री तनाव को खतम करने के लिए अधिकारी के हाथ से अगर अयोध्या में ईंट पहुंचा दे तो सोनियाजी बौखला जाएं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह जो राम के मन्दिर का ताला जो खुलवाया, ताला राजीवजी ने खुलवाया। भूमि का जो पूजन किया वह बूटासिंहजी...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इससे राजस्थान का क्या लेना-देना है?

डा. किरोड़ी लाल : फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। श्री अरुण सिंहजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसमें राजस्थान सरकार क्या दखल कर सकती है, यह तो बता दीजिये?

डा. किरोड़ी लाल : मैं, माननीय, दखल यह करवाना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : श्री अरुण सिंहजी। माननीय सदस्य।

(16.00 बजे)

डा. किरोड़ी लाल : कि कहीं रामधुनी हो, कहीं हवन हो, कहीं यज्ञ हो, उस

(डा. किरोड़ी लाल)

पर आपकी पुलिस गोली चलाती है और निहत्थे लोगों को मारती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप करें तो पुण्य है और हम करें तो पाप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए अगर कोई मोहरम निकल रही है, कोई अनन्त चतुर्दशी का जुलूस निकल रहा है और ट्रेडिशनल रूट पर निकल रहा है, उसमें कोई व्यवधान पैदा करेगा तो सरकार उसको रोकेगी। निश्चित रूप से रोकेगी और कार्यवाही करेगी।

डा. किरोड़ी लाल : रोकने के लिए कोई मना नहीं कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अरुण सिंह। प्लीज बिराजिये, हो गयी बात। श्री अरुण सिंहजी, बोलिये।

डा. किरोड़ी लाल : रोकने के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, कोई मना नहीं कर रहा है।

श्री अरुण सिंह (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16-गृह विभाग पर...

डा. किरोड़ी लाल : आप इनको भी रोकोगे क्या, ये जो पम्पलेट बंट रहे है, जो किताबें बंट रही हैं कि बाबरी मस्जिद का बदला लेंगे? मांसाहार की बात वो मदन दिलावरजी ने उठायी थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। बोलिये, बोलिये, आप बोलिये। अंकित नहीं हो।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री अरुण सिंह : मांग संख्या 16 गृह विभाग पर राजस्थान...

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डाक्टर साहब, बिराजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कौन सी किताबें छप रही हैं?

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वहां छप रही हैं और कौन सी किताबें छप रही हैं?

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : काहे को बोल रहे हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कहां छप रही है?

डा. किरोड़ी लाल : XXX

डा. के. सी. चौधरी : इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। वहां रात-दिन झगड़ा करती है आपकी पार्टी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : किताब का नाम बताएं।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अरुण सिंहजी। माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज। आप बोलिये। हां, बोलिये।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक सैकण्ड। एक सेंटेंस से अगला सेंटेंस नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : अब नहीं। बिराजिये प्लीज। नहीं, बहुत हो गया। आप बिराजिये। बोलिये प्लीज। हां, बोलिये।

श्री अरुण सिंह : Rajasthan compared to other State is a very peaceful State.

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अरुण सिंहजी, बोलिये।

डा. किरोड़ी लाल : XXX

श्री अरुण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-16 गृह विभाग और पुलिस विभाग पर मेरा कहना है कि Rajasthan compared to other States in the country is peaceful. यह अशोक गहलोत की बदौलत नहीं है, राजस्थान पुलिस की बदौलत है। उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है, सरकार अशोक गहलोत की है और प्रचंड बहुमत है 156 विधायकों का, पर राजस्थान पुलिस विभाग और आई.पी.एस. आफिसर्स को मैं बधाई देता हूं। मेरे जिले के गृह सचिव श्री धर्मसिंह सागर को भी मैं बधाई देता हूं। राजस्थान पुलिस में अच्छाइयां भी हैं और कमियां भी हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : भरतपुर वालों में कोई कमी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बोलने दीजिये।

श्री अरुण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : हैं ही नहीं, गये वे तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रिंस, आप बोल रहे हो खड़े होकर और गृह मंत्रीजी गये?

श्री परसराम मोरदिया (राज्य मंत्री, गृह) : नहीं, नोट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चिन्ता मत करें। स्टेट मिनिस्टर बैठे हैं।

श्री अरुण सिंह : आज बेरोजगारी इतनी है कि पुलिस विभाग में दो सौ पद सब इंस्पैक्टर के लिए 25 हजार कैंडिडेट सफल हुए। पर बड़े दुःख की बात है कि राजस्थान पी.एस.सी. और विभाग ने अभी तक इन 25 हजार कैंडिडेटों को नहीं बुलाया इन दो सौ जगहों को फिल करने के लिए। घोषणा सरकार

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अरुण सिंह)

ने की कि हम ढाई हजार पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती कर रहे हैं, पर अभी तक पुलिस के कांस्टेबलों की भी भर्ती नहीं हो सकी। सुना है प्रक्रिया जारी है। पर इतनी वेकेंट पोस्ट हैं थानों में, सर्किलों में, एस.पी. आफिसेज में, तो मेरा अनुरोध है कि जहां वेंकेट पोस्टें हैं, भले ही वो आई.पी.एस. में हों, आर.पी.एस. में हों, इंस्पैक्टर में हों, कांस्टेबलों में हों, इन वेकेंट पोस्टों को भरना चाहिए। भरतपुर और अलवर मेवात इलाका है और मेवात इलाके में आरोप लग रहा है कि आई.एस.आई. एजेंट भी हैं, पर मेवात इलाके में एक अलग से जो गतिविधि चल रही है, चूंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ हरियाणा और एक तरफ दिल्ली है, तो मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि मेवात में एक एडिशनल एस.पी. की पोस्ट क्रियेट करें। यह नहीं कि उसका हैडक्वार्टर भरतपुर हो या अलवर हो, उसका हैडक्वार्टर डी.आई.जी. भरतपुर रेंज के नीचे हो। मेवात के चार इलाके अलवर में हैं, तीन इलाके भरतपुर जिले में हैं माहिर आजाद के क्षेत्र में, चौधरी तैयब हुसैन के क्षेत्र में। मेरे क्षेत्र में चोरी, डकैती, गाड़ी, पहले तो भैंस की फिरौती, पर अब तो आदमी, औरत, गाड़ी सब की फिरौती हो रही है, तो यह पोस्ट क्रियेट होना अति आवश्यक है। इसका नाम मेवात टास्क फोर्स हो।

दूसरा मेरा एक सुझाव है कि पुलिस कमिश्नरशिप लागू होनी चाहिए जयपुर में। With the rate of crime that is underway in Jaipur, Jaipur has become like Lucknow, Delhi, Bombay in crime statistics. तो अति आवश्यक है कि police commissionership should be started in Jaipur. बी.जे.पी. के राज में श्री अमिताभ गुप्ता ने, पुलिस कल्याण, पुलिस हाउसिंग और केन्द्रीय सरकार से जो पैसा आता है राजस्थान सरकार को, उस पैसे से उस टाइम में जो काम किये, आज मेरे जिले भरतपुर में हर थाने में हाउस बना है वो श्री अमिताभ की देन है।

I shower ful some praise on the Jaipur Police for solving Sumedha Durlabhji's Kidnapping. और अभी एक डेनिश ट्यूरिस्ट का भी अपहरण जो साल्व हुआ है, मैं जयपुर पुलिस के अधिकारियों को बधाई देता हूं। जो गैलेंटरी प्रमोशन अच्छे कार्यों के लिए पुलिस कर्मचारियों को मिलता है, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस हैडक्वार्टर में राजनीतिकरण, जातिवाद और रिश्वतखोरी के कारण अच्छे और गैलेंटरी करने वाले वंचित हो जाते हैं। जाति विशेष के लोगों को प्रमोशन मिल जाता है। अटैचियां चलती हैं, उन लोगों को प्रमोशन मिलता है। मेरे जिले में मथुरा जिले में डकैती हुई, पर वे डकैत नगर क्षेत्र में और पहाड़ी में मारे गये।

(श्री अरुण सिंह)

पुलिस ने जो अच्छा काम किया उसमें चार आदमियों को पुरस्कार मिला, 10 और आदमियों को मिलना चाहिये था। वह फाइल आज भी एडिशनल डी.जी. क्राइम के दफ्तर में कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई है। माननीय गृह मंत्रीजी वह कब तक पड़ी रहेगी?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अरुण सिंहजी, अभी तो आप कह रहे हो कि होम कमिश्नर हमारे घर का है तो फिर काहे को पड़ी है?

श्री अरुण सिंह : जब ही मैं माननीय गृह मंत्री से भी अनुरोध करूंगा और भरतपुर जिले के श्री धर्म सिंह सागर, आई.ए.एस. जो यहां मौजूद हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे जो पुराने केस हैं, यह अशोक गहलोत साहब ने जरूर अच्छा काम किया कि धर्मसिंह सागर को गृह सचिव बनाया, वह राजस्थान के हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह धर्म सिंह सागरजी कौन हैं?

डा. किरोड़ी लाल : यह धर्म सिंहजी सागर कौनसे हैं, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब बताओ कि धर्म सिंहजी सागर कौनसे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो।

श्री अरुण सिंह : धर्म सिंह सागर एक शिड्यूल्ड कास्ट आफिसर हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौनसे हैं इनमें?

श्री अरुण सिंह : जो टोपी पहन रहे हैं। राजनीति सब जगह चलती है, इन आई.पी.एस. में भी राजनीति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब एक नया डी.जी. आने वाला है, एक रिटायर होने वाला है। इसमें अब एक रेस चल रही है। मेरा गृह मंत्रीजी से अनुरोध है कि पुलिस हैडक्वार्टर में कई आई.पी.एस. अफसरों के पास टेबल पर फाइल ही नहीं आती हैं। आपस में तालमेल नहीं है, बोलचाल नहीं है। मेरा एक सुझाव है कि जैसे आपने 8 डी.आई.जी. रेंज बना दिये, इन डी.आई.जी. के ऊपर एक डी.जी. भी लगा दो। यहां 8-8 डी.जी. हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है। जिन आर.पी.एस. अफसरों को आई.पी.एस. बना दिया और फिर उनको रिवर्ट कर दिया, उसमें कई शिड्यूल्ड ट्राइब के हैं, कई शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, उनको क्यों पनिशमेंट मिला है? ऐसे आर.पी.एस. अधिकारी हैं जिनकी डी.पी.सी. नहीं बैठ रही है। जब तक वह डी.पी.सी. बैठे, शायद अशोक गहलोत की सरकार भी चली जाएगी या वह अधिकारी पेंशन होकर रिटायर हो जाएगा।

मैं अंत में कहना चाहता हूं, गृह मंत्री श्री गुलाब सिंह शक्तावत पुराने, बुजुर्ग और अनुभवी नेता हैं पर बड़े दर्द और दुःख के साथ बोलता हूं कि इस विभाग में इनकी चलती ही नहीं है। एक सिपाही का ट्रांसफर आजकल मुख्य मंत्री सचिवालय

(श्री अरुण सिंह)

से होता है। मिनिस्टर आफ स्टेट हैं होम के, इनका काम है सिपाहियों का अन्तर जिला तबादला करने का। उपाध्यक्ष महोदय, सारा काम सेंट्रलाइज है। एक छोटा-सा आर.ए.एस. ओ.एस.डी. धीरज श्रीवास्तव, मंत्री, मंत्री, आई.पी.एस., आई.ए.एस. लाइन में खड़े होकर मुख्य मंत्री से मिलते हैं, धीरज श्रीवास्तव, एक काण्ड हुआ। कहां? पाली में, सोजत में। जालौर में था वह उस जमाने में एस.डी.एम. था, चलो, यह राज है। एक छोटा मामूली आर.ए.एस. आफिसर, धर्मसिंह सागर भी पर्ची देकर मिलते हैं मुख्य मंत्री से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह भरतपुर का अपमान है।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य, यह व्यक्ति की बात नहीं है, यह तो व्यवस्था की बात है।

श्री अरुण सिंह : यह बहुत गलत व्यवस्था है।

डा. के. सी. चौधरी : व्यवस्था की बात है, कोई भी ओ.एस.डी. होगा तो यही करेगा, इसमें व्यक्ति की तो बात ही नहीं है। व्यक्तिगत नाम लेने का कोई मतलब ही नहीं है। आज "ए" है, कल "बी" होगा, तो इसमें व्यक्ति का नाम लेने की कहां जरूरत हो गई? व्यवस्था की बात है।

श्री अरुण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत प्राउड हूं कि मेरे कालेज सेंट स्टीफन के मुख्य सचिव हैं, वर्तमान डी.जी. हैं। तो मैं इसका बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि सेंट स्टीफन कालेज की थोड़ी-बहुत जयपुर राज में चलती है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्रजी सराधना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़): उपाध्यक्षजी, मैं मांग संख्या-16 की चर्चा में शामिल होते हुए इसको मंजूर करने के पक्ष में अपने विचार रखता हूं। मान्यवर, कानून-व्यवस्था की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और राजस्थान की पुलिस उसका निर्वहन करती है। लेकिन अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, चोरी-डकैती हो रही है, सब तरह के आरोप जितने लगाने चाहिये थे, लगाये। फिर व्यवस्था ठीक कैसे चल रही है? खैर, जो स्थितियां हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज पुलिस पर समाज का बहुत बड़ा भरोसा है और उस भरोसे को बहाल करके पुलिस अपना काम करती है। परिवार के हर लोग किसी भी दूसरे डर से, किसी भी भय से, चोरी से, डकैती से जब पुलिस सामने आ जाती है तो निश्चित हो जाते हैं क्योंकि हमारा उस पर विश्वास है। पुलिस ने अपना काम बड़ा बखूबी किया है।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

जिस तरह से इस वैज्ञानिक युग में पुलिस की व्यवस्था में सुधार हुआ है, पुलिस को वैज्ञानिक तरीके के उपकरण मिले हैं, उसी तरह से अपराधियों में भी उन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। अपराधों में भी कई तरह की नई विधियां ली गई। जिस तरह से अभी किशनपोल बाजार की बात आई थी कि चोर ने ढाई महीने तक एक दुकान में घुसने के लिये सुरंग खोदी, इस सबके बावजूद भी पुलिस को सब तरह के उलाहने सहन करने पड़ते हैं। उपाध्यक्षजी, जब अच्छा काम करते हैं तब पुलिस को धन्यवाद देना चाहिये, बधाई देनी चाहिये, लेकिन हमेशा पुलिस को बुराई ही झेलनी पड़ती है, हर आदमी उसको कुछ भी कहता रहता है। जो नेता यहां भाषण देते हैं, पुलिस के विरोध में बोलते हैं कि पुलिस ने यह किया, वह किया, कुछ नहीं किया, बाहर जाते ही पुलिस की वेट करते हैं कि पुलिस वाले आएं तो मेरी सुरक्षा हो जाएं और मुझे घर पहुंचा दे। यह काम भी पुलिस ही करती है।

मान्यवर, राजनीति में एक संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है हां और ना पक्ष में बैठने की, यद्यपि कई जगह देखते हैं कि काम ठीक भी नहीं हो पाते, लेकिन इस व्यवस्था में शामिल होने के बाद पुलिस भी निश्चित हो जाती है कि एक पक्ष मेरी बुराई करेगा तो दूसरा पक्ष मेरी हां भरेगा। हां पक्ष वाले उसकी बड़ाई करते हैं, ना पक्ष वाले विरोध करने लग जाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब सामने वाले बैठे-बैठे कह रहे थे, खड़े-खड़े अपना भाषण दे रहे थे, भाई किरोड़ी लालजी भी कह रहे थे कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अभी 6 साल पहले यही पुलिस आई.पी.सी. के तहत काम कर रही थी और सारा काम ठीक चल रहा था। उनके उधर जाते ही पुलिस सारा काम खराब कर गई। यह एक व्यवस्था है जिसका पुलिस को भी लाभ मिल जाता है।

मान्यवर, कानून व्यवस्था का पालन करना केवल पुलिस का ही काम है क्या, समाज का नहीं है? क्या इन नेताओं का नहीं है? क्या यह समझ लिया जाए कि सफेद कपड़े पहनने वाले सब साफ होते हैं और खाकी कपड़े पहनने वाले सब खराब होते हैं? हां, यह हो सकता है कि सफेद कपड़े पहनने वालों में से कुछ लोग खाकी वर्दी वालों में भी चले गए हो। यह तो हो सकता है लेकिन समूचे पुलिस महकमे को इस तरह से लांछित करना ठीक नहीं है। इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए।

मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब गुजरात में आग जल रही थी, लोगों के कयास थे कि आग का पतंगा राजस्थान में भी लगेगा। यह सही है कि राजस्थान

(श्री रामचन्द्र सराधना)

की सरकार ने उस समय बड़ी चौकसी की, बड़ी चौकस रही और दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण पुलिस को भी चौकस रखा। पुलिस ने मदद की उसका नतीजा यह निकला कि राजस्थान में कुछ भी नहीं हो पाया। हां, एक पतंगा जरूर आया और एक माननीय नेता को यह कहा गया कि आप गंगापुर में नहीं पधारें। आप जहां जाते हैं जनता को उद्वेलित करते हैं, आप जहां जाते हैं आग लगा देते हैं, इसलिए शांति बनाए रखें, आप वहां नहीं जाएं। लेकिन नेताजी कपट का रूप धारण करके, छद्‌म रूप धारण करके वहां पहुंच गये और यह दिखाना चाहा कि हमने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर जाएं, अव्यवस्था करें और बाहर आकर भाषण दें कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, यह दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि हम सब लोगों का भी इसमें दायित्व है कि हम भी कानून व्यवस्था को बनाए रखें।

मान्यवर, जब गंगापुर की बात आ रही है, दो-तीन जगह और भी हुआ था। माननीय दुर्गाप्रसादजी का एरिया था, वहां पर जिस तरह से उद्वेलित किया गया, जनता का माहौल बिगाड़ा गया, शांति भंग करने की कोशिश की गई, मैं किसी अकेले नेता के प्रति बात नहीं कहता लेकिन मुझे एक बात याद आती है कि जब संतरी चोर हो तो कौन रखवाली करे, बाग का क्यों दोष है बरबाद जब माली करे। हम खुद आग लगाना चाहते हैं और दूसरों को कहते हैं आप बुझाते क्यों नहीं।

मान्यवर, मैं कहता हूं कि जब-जब चुनाव की घोषणा होती है, 70 के दशक के बाद में जब-जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सारी जनता त्रस्त हो जाती है, भयभीत हो जाती है कि अब कुछ न कुछ होने वाला है। अब राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं तो उससे पहले ही एक माहौल बनने लगा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मस्जिद तोड़ी जा रही है, मन्दिर तोड़े जा रहे हैं, कई तरह के आरोप लगेंगे, कई तरह की बातें होंगी। आपने अभी बात सुनी थी त्रिशूल की, त्रिशूल बड़ा उपहास का विषय है। त्रिशूल क्या करेगा? त्रिशूल न तो सब्जी काटने के काम आएगा, न फल काटने के काम आएगा, न उससे आत्मरक्षा हो पाएगी। आज बम और रिमोट के जमाने में आप चाहो कि त्रिशूल से हम हमारी रक्षा कर लेंगे, यह नहीं है। यह केवल राजनीतिक माहौल बनाने की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि सीधी सीधी बात करें, कमल का चित्र बनाएं, कमल का नमूना बनाकर लोगों में बांट दें तो वह सीधी बात रहे, ठीक लगे। चाकू का माहौल बनाकर, त्रिशूल देकर बात करना चाहते हैं तो वह ठीक नहीं लगती है।

मान्यवर, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आंकड़े पेश कर दिये गये, मैं आंकड़ों

(श्री रामचन्द्र सराधना)

के जाल में उलझना नहीं चाहता, मैं तो यह निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश है, राजस्थान की जनता शांतिप्रिय है। सारे देश में राजस्थान का नाम है शांति के नाम पर। शांति मिलती है तो राजस्थान में मिलती है। इस वीरभूमि में शांति भी मिलती है, इस वीरभूमि में एक–दूसरे की मदद करने वाले लोग भी हैं, लेकिन यहां का माहौल भी बिगाड़ने की कोशिश की जाती है केवल राजनीतिक कारण से। केवल राजनीतिक रंग देने के लिए, केवल मात्र वोट बटोरने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए, हमारा नेतृत्व कायम रखने के लिए, हमारी नेतागिरी जिंदा रखने के लिए माहौल बिगाड़ते हैं और मन्दिर और मस्जिद का झंझट पालते हैं। मान्यवर, कुछ दिनों पहले मैंने एक कविता लिखी थी उसकी दो लाइन सुना देता हूं।

(16.24 बजे)

(मोहम्मद माहिर आजाद, सभापति, पदासीन)

दुःखी होकर जब मेरा राम मस्जिद में चला जाता है तो वह अल्लाह कहलाता है, अल्लाह जब वापस मन्दिर में आ जाता है तो राम कहलाता है। बात एक है, दोनों के नाम अलग हैं, लेकिन इसके नाम पर झगड़े फैलाते हैं। मैंने उसमें लिखा था "हे अल्लाह, हे रामलला अब तो मेरी सुन लो, मन्दिर–मस्जिद छोड़ किसी दरखत के नीचे रह लो।" ये मन्दिर और मस्जिद के झगड़े करके सारे समाज में भ्रांतियां फैलाते हैं, झगड़े फैलाते हैं।

यह बात सही है कि पुलिस के सब काम अच्छे करते हुए भी राजस्थान में कांग्रेस के सरकार में आने के बाद पुलिस का बड़ा सहयोग रहा। लेकिन शांति बनाएं रखने में यहां के प्रशासन, शासन और सरकार की भी बड़ाई करनी पड़ेगी, उसकी सराहना करनी पड़ेगी, उन्होंने हर तरह से हर क्षेत्र में इतना नियंत्रण रखा और जो स्थितियां बिगड़ी हुई थीं उनको ठीक करने की कोशिश की गई। आज आंकड़े पेश करने से मालूम पड़ा, आप सबको बताया गया है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में पहले के मुकाबले अपराध कम हुए हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाह रहा था कि पुलिस का हौसला यदि गिर जाएगा तो हमारी कानून–व्यवस्था बिगड़ जाएगी और जब कानून–व्यवस्था बिगड़ जाती है तो शांति नहीं रहती है।

मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस से भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, आपसे पहले भी सब इस बात को समझते थे कि गांव में एक चौपाल की व्यवस्था हुआ करती थी। गांव में सामाजिक रूप से लोग बैठकर आपस के झगड़े–टंटे निपटा दिया करते थे। दो भाइयों के झगड़े होते थे उनको निपटा दिया करते थे।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

लेकिन आजकल मानव अधिकार के नाम पर बड़ी पाबंदी लगा दी गई और यह कह दिया गया कि पांच आदमी इकट्ठे करके फैसला करेंगे उसको नहीं मानेंगे। नतीजा यह होता है कि उन पर मुकदमा बन जाता है। पुलिस भी असहाय होती है और यूं नजर आती है कि यह कुछ नहीं कर पाएगी। और लोगों को मुकदमे में फंसा दिया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एफ.आई.आर. नम्बर 20/2002, थाना प्रयागपुरा की बात है, 27.8.2001 की घटना है उसका मुकदमा 8.1.2002 को, साढ़े चार महीने बाद बना। लेन-देन का मामला था, उन्हीं लोगों ने 10-20 आदमियों को इकट्ठा कर लिया कि हमारा दो भाइयों का झगड़ा है, इसको निपटा दो। निपटा दिया, अपना अपना लेन-देन ठीक करवा दिया। लेकिन साढ़े चार महीने बाद उसका मुकदमा बना दिया। उस मुकदमे में प्रताड़ित लोग जयपुर आये, गृह मंत्रीजी से मिले। इन्होंने फाइल मंगाई। फाइल तीन बार आकर ज्यों की त्यों वापस चली गई। इसमें पुलिस की थोड़ी-सी लापरवाही जरूर नजर आती है। पहले जब फाइल उठकर आती थी तो उसको गम्भीरता से देखते थे, उसकी पूरी छानबीन होती थी और शिकायत करने वाले को पूरा सुना जाता था कि क्या-क्या आपकी बातें रह गईं जिनको हम सुनें, जिसके कारण आपको न्याय मिल सकता है। नतीजा यह होता है कि फाइल उलट पुलट करके, उसके पन्ने पलटकर स्क्रूटनी करके वापस भेज दी जाती है जिससे न्याय नहीं मिल पाता। उस एफ.आई.आर. के सन्दर्भ में निवेदन करूं, दोबारा जांच कराई गई, 17 में से 5 मुलजिम रखे गए, 5 की जमानत हो गई। फिर दोबारा जांच हो गई, 17 मुलजिम रखे गये, ज्यों का त्यों फाइल को भेज दिया गया। यही बात नीमकाथाना पुलिस स्टेशन पर भी दर्ज करा दी गई। उस घटना की सारी जांच होने के बाद वहां एफ.आर. लग गई, लेकिन यहां की फाइल में, यहां के मुकदमे में 17 आदमियों के चालान के आर्डर हो गये। यह दिक्कतें हैं। इनको न्याय की दृष्टि से देखकर लोगों को मदद करनी चाहिए।

ऐसी ही स्थिति फागी थाने की है। सन् 2001, 261 की नम्बर की एफ.आई.आर. है। निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनकी बात गृह मंत्री तक, सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। सैकड़ों वर्षों से जो आदमी गांव के पास रहता था, दुर्भाग्य से वह जमीन सिवाय चक थी। उसे मालूम नहीं था, कच्चे-पक्के मकान बनाकर रहता था। मौका पाकर, 15 वर्ष पहले ही किसी को अलाट हो गई। अलाटी जब वहां आया तो उसे मालूम पड़ा, उसने कहा कि आपका घर है, आप यहां रहो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। वह रहते रहे उसको उसमें से निकाला नहीं गया। तरमीम के वक्त उसको देखा जाता तो

(श्री रामचन्द्र सराधना)

उसके आवास को छोड़ दिया जाता, उसको दिक्कत नहीं होती। लेकिन वह अलाटी अपनी जमीन दूसरे को बेचकर चला गया। दूसरा जब कब्जा करने आया तो उन लोगों के घर को तोड़ने-फोड़ने की कोशिश की गई, कार्यवाही की गई। उन्होंने रोका तो उस पर मुकदमा बन गया। आज स्थिति यह हो गई है कि 3 औरतों और 5 आदमियों पर गिरफ्तारी वारंट है। इन बातों को गम्भीरता से नहीं देखेंगे तो जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा और फिर पुलिस को दोष देंगे।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों को गम्भीरता से देखें। मैं समझता हूं कि लगभग 5 हजार फाइलें चक्कर काट रही हैं पुलिस के महकमे में और इन फाइलों को गम्भीरता से नहीं देखा जा रहा है। वे महीने-दो महीने कभी एस.पी. के पड़ी रहेंगी, आई.जी. के पड़ी रहेंगी, डी.आई.जी. के पड़ी रहेंगी और लौटकर वापस उसी स्थिति में चली जाएंगी। तो फिर फाइल को वापस मंगाना, दोबारा जांच करवाना कोई मायने नहीं रखता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो फाइल आए वापस जांच होने के लिये, उस पर कारगर जांच होकर वह जानी चाहिए, जिसके कारण से उसको न्याय मिले।

मान्यवर, राजस्थान पुलिस के बारे में बहुत सारी बातें कही गयी हैं और कही जाएंगी। मेरा तो व्यक्तिगत रूप से अनुभव है कि यदि पुलिस का महकमा हमारे समाज में न हो तो शांति से जीना मुश्किल हो जाए। और जो अच्छे आफिसर्स हैं, उनको अच्छी जगह रखना चाहिए, यह बात भी सही है। लेकिन गलत अफसर जहां रहते हैं, गलत अधिकारी जहां रहते हैं, गलत कर्मचारी रहते हैं वे सारी पुलिस को बदनाम करते हैं। जिनकी शिकायतें माननीय गृह मंत्रीजी के पास आ जाती हैं, इनकी क्या मजबूरी है कि उनको यह हटा नहीं पाते हैं? अचरोल में एक हैड कांस्टेबल है, वहीं का रहने वाला है, अपना घर बनाकर रहता है। उसके लिये मेरे खयाल से 5-6 बार डैपुटेशन आकर मिल गये गृह मंत्री महोदय से, लेकिन उस पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैंने भी उनको सीधा सम्भला दिया कि आप जाएं, गृह मंत्री से मिलें। इसके बाद भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है और वह रोज-रोज उनको परेशान करता है।

मान्यवर, मेरे इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजस्थान की सरकार को, माननीय अशोकजी गहलोत की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जब चारों ओर दूसरे प्रदेशों में अशांति का माहौल है उन सब परिस्थितियों को देखते हुए भी राजस्थान में शांति है, राजस्थान की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं राजस्थान की पुलिस को धन्यवाद देते हुए अशोकजी गहलोत की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। जो हम

(श्री रामचन्द्र सराधना)

बात करते हैं उत्पीड़न की, महिला उत्पीड़न की बात करो, चाहे एस.सी., एस.टी. की बात करो, हर क्षेत्र में सुधार हुआ है और अपराधों में कमी आयी है। इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हरचन्द सिंह सिद्धू।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा): सभापति महोदय, पुलिस व्यवस्था किसी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से अंजाम देने के लिये बनायी गयी और यह एक कांस्टीट्यूशनल गारंटी के तहत काम करती है क्योंकि भारत के संविधान के अन्दर हर नागरिक, हर अवाम को चाहे वह किसी प्रदेश में रहता हो, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गयी है कि State would protect the person and property of each citizen of this nation. बहुत जिम्मेदारी का काम पुलिस के कंधों पर सौंपा गया है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गयी, पुलिस का तंत्र भी बहुत मजबूत होना चाहिए था। जब इन सारी परिस्थितियों को देखते हैं तो, सभापति महोदय, इस पुलिस व्यवस्था को सुचारू, सदृढ़ और मजबूत करने के लिये जो धन की मांग की जा रही है, धन जरूर दिया जाना चाहिए, इससे भी ज्यादा दिया जाना चाहिए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था का प्रभावी नियंत्रण किस आदमी के हाथ में है, किस आदमी के बलबूते पर यह जमीनी कानून व्यवस्था रहती है इसका हमें जरूर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आरक्षी सिपाहियों की तादाद बहुत मामूली, बल्कि जब हम जनसंख्या की बढ़ोतरी को देखते हैं तो नगण्य है। वह तादाद बढ़ायी गयी, लेकिन उसके बावजूद जो खून लगा हुआ है इस व्यवस्था में, ऊपर एक शिवजी की बरात बैठा दी गयी है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि कानून-व्यवस्था बाड़मेर में बिगड़ रही है, कानून-व्यवस्था गंगानगर में बिगड़ रही है, कानून-व्यवस्था भरतपुर में बिगड़ रही है और अधिकारियों का हुजूम पुलिस हैडक्वार्टर में बढ़ाया जा रहा है। वहां मैदान-ए-जंग में कौन लड़ रहा है, कौन कानून-व्यवस्था को देख रहा है, इस बात का खयाल नहीं किया जा रहा है। यह सारा पब्लिक का पैसा इस बात के लिये नहीं है कि अधिकारियों की सुख-सुविधा के लिये दिया जाए। हम चाहते हैं प्रभावी नियंत्रण रहे। प्रभावी नियंत्रण के लिए जो जमीनी नियंत्रण करने वाले लोग हैं उनको दिशा-निर्देश नजदीक से अगर वह अधिकारी दे, मुझे कोई एतराज नहीं है, इनकी संख्या बढ़ायी जाए, लेकिन वे ऐसी जगहों पर बिठाये जाने चाहिए। जहां से उनका नियंत्रण ज्यादा मजबूत रह सके। आज वक्त आ गया है कि हमको एक-एक आदमी और इस व्यवस्था को चलाने वाले एक-एक अधिकारी

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

और कर्मचारी की कर्तव्य निष्ठा को आंकना होगा। अच्छा काम करने वाले लोग हैं, मुक्त कण्ठ से उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। सुमेधा काण्ड में जिन अधिकारियों ने अच्छा काम किया है, मैं उनकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने एक चैलेंज को स्वीकार करके परिणाम लाकर दिखाये हैं। उसके लिये माननीय गृह मंत्रीजी, सरकार और इनका पुलिस प्रशासन निश्चित तौर से धन्यवाद का पात्र है और मैं उनको बहुत–बहुत बधाई देता हूं।

हम सारी दुनिया के अन्दर पर्यटकों को आमंत्रित करते हैं लेकिन हमारे प्रदेश में आकर डेनिश पर्यटक का अपहरण हुआ, मैं तारीफ करना चाहूंगा उन पुलिस अधिकारियों की और माननीय गृह मंत्री महोदय की जिन्होंने बड़ी तत्परता से उनको बरामद ही नहीं किया बल्कि उन अपराधियों को भी सींखचों में भेज दिया। ये तथ्य जो हैं इनमें गड़बड़ कहां पैदा होती है, इस चीज को हमें आंकना होगा। जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उनमें प्रभावी नियंत्रण के लिये मुकदमा दर्ज होता है, उसका अनुसंधान होता है। बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य बार–बार यह एतराज कर रहे थे कि इंवेस्टीगेशन सिस्टम सही नहीं है। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा और मैं एतराज दर्ज करना चाहूंगा कि आज जिन परिस्थितियों में पुलिस काम करती है, हमको सोचना होगा कि क्या पुलिस इतन सारे कामों को एक साथ अंजाम देकर बढ़िया इंवेस्टीगेशन कर देगी? मुझे शक है इसमें, नहीं कर पाएगी। कहीं कानून व्यवस्था का झगड़ा है, कहीं अकाल की वजह से पीने के पानी की व्यवस्था का झगड़ा आ गया। उधर संगीन अपराध दर्ज हो गया और एक डैड लाइन बना दी गई कि एक महीने के अन्दर इस अपराध का जो पंजीबद्ध किया है, निर्णय आप देंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि शिवजी के बरात के अधिकारी एक सब–इंस्पैक्टर और इंस्पैक्टर को जरूर कटघरे में खड़े कर सकते हैं, उनको सुपरवाइजरी नैग्लीजेंस के नोटिस दिये जा सकते हैं, उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन पत्रावलियां दो दो, तीन–तीन साल तक अधिकारियों के पास पड़ी रहे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं। मैं एक–एक चीज का उदाहरण दूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि आपको ला एण्ड आर्डर एजेंसी को अलग करना होगा इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी से ला एण्ड आर्डर मेनटेन करने वाली एजेंसी जिसके जिम्मे केवल कानून व व्यवस्था का प्रभावी नियंत्रण रखना हो, जब तक उसको इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी से अलग नहीं करेंगे तब तक न तो अनुसंधान

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

का स्तर सुधर सकता है और न हम उन लोगों से कोई ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि ये कोई अच्छा नतीजा किसी अपराध के अनुसंधान में ला सकते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हकीकत है कि अनुसंधान का स्तर दिन ब-दिन गिर रहा है। कुछ ही लोग हैं जो अनुसंधान की प्रक्रिया को समझते हैं और यही वजह है कि परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं। मेरा निवेदन है गृह मंत्रीजी से, आपका अनुभव आपकी दूर की सोच और आपकी प्रशासनिक पकड़ इसकी हम तारीफ करते हैं लेकिन आप मेहरबानी करके निश्चित तौर पर परिवर्तन करिये। अनुसंधान का एक सेल आप अलग कायम करिये, मुकदमा थाने में दर्ज हो जाए और अनुसंधान करने वाली एजेंसी के पास चला जाए, जिसका काम केवल तफतीश और उसका निस्तारण करना हो तो निश्चित तौर पर फर्क आएगा।

इतना ही नहीं, व्यवस्था में बहुत सारी गड़बड़िया हैं। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करना चाहूंगा। हम मांग करते हैं, अभी माननीय सदस्य निवेदन कर रहे थे कि मेरे यहां एक एडिशनल एस.पी. की पोस्ट दी जाए लेकिन उन्होंने जगह बताई कि उसका हैडक्वार्टर वहां रखा जाए। पोस्ट वैसी क्रिएट कर दी जाए, जहां उसकी जरूरत नहीं है और उसका हैडक्वार्टर दूसरी जगह पर कर दिया जाए, वह एक मजाक का कारण बन जाएगी। और ऐसा है। सी.ओ., संगरिया, उसका कार्यक्षेत्र पूरे हनुमानगढ़ जिले को पार कर जहां पुलिस अधीक्षक विराजमान हैं, एडिशनल एस.पी. बैठते हैं, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के थाना पीलीबंगा, वह सी.ओ. संगरिया जाकर उसका सुपरविजन करेंगे। मैं पीछे भी इस बात का एतराज दर्ज करवा चुका हूं। (व्यवधान) ये आपके कारनामे हैं जो मैं भोग रहा हूं। आपकी व्यवस्था की हुई है।

श्री हीरासिंह चौहान : बहुत पहले से है। आप ठीक नहीं करा सके चार साल में, क्यों बोलते हो यहां पर?

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आप मेहरबानी करिये।

श्री हीरासिंह चौहान : हमारे क्या थाने का जोइंटिंग सिस्टम हमने बनाया था क्या? (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : यह आपका किया हुआ है। यह आपके राज का है। क्यों आप सच्ची बात कहलाना चाहते हो? अब तो हम इसकी दुरुस्ती की मांग कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि माननीय गृह मंत्री इसको जरूर दुरुस्त करेंगे।

एक माननीय सदस्य : अब राज गया आपका, क्या दुरुस्ती होगी।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आप तसल्ली रखिये। आप तसल्ली रखिये और

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

आप अच्छे ख्वाब लीजिए। अच्छी नींद लिया करो, एक गोली और खाया करो, जिसमें आपको राज दिख जाए। वह केवल ख्वाब में दिखेगा, ज़मीन में नहीं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस तरीके के जो विरोधाभास प्रशासन में और जमीनी तौर पर दिखाई देते हैं इनको आप दुरुस्त फर्माएं।

आरक्षीगण की आप नई भर्ती फर्मा रहे है, उसमें एक बहुत अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। पूरे राजस्थान के अन्दर वेकेंसीज 7500 बताई गई हैं और 2250 की भर्ती। साधन हैं या नहीं, आप ऊपर की कटौती कर दीजिए, लेकिन जमीन पर नियंत्रण रखने वाले आरक्षी में कटौती नहीं फर्माएं। एक उनकी वर्किंग कंडीशंस को, गृह मंत्रीजी, जरूर सुधारिये। एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के लिए अगर आवास नहीं है तो हमारी व्यवस्था है कि उसको कहीं न कहीं से आवास उपलब्ध हो जाएगा। एक कांस्टेबल जिसका ड्यूटी चार्ट 24 घंटे है और जिन कंडीशंस में वह रहता है, उस आदमी को रात को आराम करने के लिए कोई आश्रय नहीं मिले। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था आरक्षीगण के आवास के लिए की जाए वह करनी चाहिए ताकि वे अपनी ड्यूटी को अच्छा अंजाम दे सकें। उनका शरीर मजबूत रहे, उनको आराम मिले। नतीजा यह होता है कि वह थका-मांदा, उसको आराम करने की जगह नहीं, मैस में रोटी का उस वक्त बंदोबस्त नहीं तो फिर वह नशे का सहारा लेता है अपने शरीर को चलाने के लिए। जगह-जगह से शिकायतें मिलती हैं कि फलां जगह पर फलां पुलिस के आदमी ने शराब पी रखी थी। उसकी कंडीशंस को हमने नहीं देखा, हम भी इंसान हैं, कि वह किन परिस्थितियों के अन्दर है। एक आदतन अपराधी हो तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक आदमी जो 24 घंटे ड्यूटी देकर आता है, उसको आप खाना नहीं दे सकते, उसको आप आराम के लिए आश्रम नहीं दे सकते तो परेशान होकर वह कोई न कोई गलत रास्ते पर जाएगा, इसलिए उसको दोषी नहीं ठहराया जाए। उसको ऐसी व्यवस्था दी जाए कि वह इन गंदी आदतों में नहीं पड़े।

अनुसंधान की और अभी अपराध कम होने की बात कही जा रही थी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अपराध को जिस तरीके से तोड़-मरोड़कर अपराध की परिधि से बाहर निकाल दिया जाता है, अपराध तो घटित हो गया और जिस आदमी के साथ घटना घटित वह आदमी दुःखी मन से समाज को कोसता है, सरकार को क़ोसता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छतरगढ़ पुलिस स्टेशन में एक मर्ग दर्ज हुई, सभापति महोदय, उसके फोटोग्राफ मेरे पास में हैं, मुझे बड़ा तरस आता है, जो मृतक है उसको यह बताया गया है

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

कि 25 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ा। पेड़ के रस्सी बांधी, गले में फंदा डाला और वहां से छलांग लगा गया। उसके फोटोग्राफ पुलिस ने करवाये हैं, मैंने नहीं करवाये, उस आदमी के पैर जमीन पर आराम से टिके हुए हैं। इसके लिये मेडिकल ज्यूरिस्ट के प्रोनाउंसमेंट को कोट किया जा सकता है कि ऐसी संभावना है कि उसको जर्क लगा और उसकी मौत हो गयी। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब वह पेड़ पर चढ़ा और मरने के लिये चढ़ा, उसको यह सोच था कि मेरी चप्पलें कोई और नहीं ले जाए? वह चप्पलों के सहारे पेड़ पर चढ़ा, 25 फीट? कौन मानेगा इस कहानी को? और मृतक बता दिया गया। इसका साफ अर्थ यह है कि उस आदमी का कहीं न कहीं कत्ल किया गया और वहां लाकर यह नाटक कर दिया गया और सारी पुलिस एजेंसी ने उसके ऊपर रेत फेर दी।

एक घटना नहीं है यह वहां सरकारी सम्पत्ति की चोरी हुई, हम लोग सारे दिन मांग करते हैं कि फलां गांव में बिजली जानी चाहिये, पर आज स्थिति क्या हो रही है? छतरगढ़ के पास, सभापति महोदय, 132 के.वी. की 32 किलोमीटर की लाइन चोरी करने के लिये चोर गये। एक तार काटने के लिये ऊपर चढ़ा और ऊपर ही शहीद हो गया, पर वह अपना काम कर गया जाता-जाता। 32 किलोमीटर तारों का बण्डल एक आदमी नहीं उठा सकता। गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां किसी वाहन का भी इस्तेमाल हुआ है। पुलिस स्टेशन के अन्दर यह इत्तला दी गयी कि एक खम्भे के ऊपर आदमी लटका हुआ है। उस लटके हुए आदमी की तफतीश करने थानेदारजी गये। पता लग गया फलाने का लड़का है, नम्बरदार का लड़का है। वहां, सभापति महोदय, एक लिस्ट बनती है अनुसंधान की, यह प्रक्रिया और पराकाष्ठा है, मेरी इत्तला के मुताबिक 32 आदमियों की लिस्ट बनी जिनको चोरी के अन्दर शामिल बताया और चार वाहनों का इस्तेमाल उसमें करना बताया गया। लेकिन आज तक उस चोरी के अन्दर आप देखेंगे तो न कोई वाहन बरामद हुआ न वे चोर पकड़े गये। थानेदार इतने चालाक आदमी, इतने होशियार आदमी हैं, उन्होंने सब जगह से इंफोर्मेशन मांगी कि आपके यहां तारों की चोरी का मामला दर्ज हुआ है तो उन्होंने बता दिया हां, ये दो आदमी अपराधी हैं और उनके यहां पर चार-पांच किलो तार हमने पकड़े हैं। उन आदमियों को लाकर छह एफ.आई.आर. के अन्दर मुलजिम बता दिया गया और पांच लाख साठ हजार रुपये थानेदारजी असली अपराधियों से वसूल करके लाये। मैंने यह लिस्ट विजिलेंस आई.जी. को पेश की, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात। वहीं पर वे थानेदारजी विराजे हुए हैं लगातार। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुन लीजिये, गृह मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आप मेहरबानी करके सुन लीजिये। वह सुन रहे हैं, मैं इन्हीं को सुना रहा हूं। हम आपकी तरह से दलगत नीति से नहीं, जो सही बात है वह कहेंगे और जो गुण हैं, वे भी गाएंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वैरी गुड। गाओ-गाओ, सुनाओ। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आप बात सुनिये। जो ऐसे गंदे तत्व हैं पुलिस के अन्दर, मैंने शुरू में निवेदन किया था, जब तक हम अच्छे आदमियों को आइडेंटिफाई करके उनकी पीठ नहीं थपथपाएंगे, ईमानदार आदमी की हम समाज में प्रतिष्ठा कायम नहीं करेंगे, प्रशासन के अन्दर आप कोई आमूलचूक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। यहां गुड़-खल अगर एक भाव बिकेगा तो लाहौल बिला कुव्वत, अजीबोगरीब हालात पैदा हो जाएंगे। इसलिए वक्त है, अब अपने को बुरे और अच्छे की पहचान करके अच्छे आदमियों को रिवार्ड देना चाहिये। अगर गैलेंटरी कोई करता है तो उसको अवार्ड मिलना चाहिये, पर अधिकारियों के पेट में बांयटे आने लग जाते हैं।

गृह मंत्री महोदय, मैं मेरे यहां के सब-इंस्पैक्टर की बात बताना चाहता हूं। बबूल नाम का एक शातिर अपराधी इन्टर स्टेट गैंग चलाता था जिसके खिलाफ 70 मुकदमे दर्ज हैं विभिन्न पुलिस स्टेशनों में और अलग-अलग रियायतों में। उस बबलू शेख को मुकाबला करके मार दिया गया। और पांच कांस्टेबल थे उनको प्रमोशन दिया गया। आपने बड़ी मेहरबानी की। उन लोगों में हौसला आया है, दूसरे लोगों में जज्बा पैदा हुआ है कि हम अच्छा काम करेंगे तो सरकार उसकी तारीफ करती है। लेकिन वह सब-इंस्पैक्टर जिसने अपनी जान हथेली पर रखकर उसका मुकाबला किया, वह उस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था, उस आदमी को क्या दिया आपने? ट्रांसफर नहीं, बीकानेर रेंज के डी.आई.जी. साहब ने उसको तीन चार्ज शीट सुपुर्द कर दीं। पता नहीं क्या इल्जाम लगाया उस पर, उसके पीछे कारण बड़े अजीबोगरीब हैं। पुलिस हैडक्वार्टर पर डी.जी.पी. साहब कहते हैं, बहुत अच्छा काम किया।

श्री सभापति : माननीय हरचन्द सिंहजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय अनुदान की मांग संख्या-16 के पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय अनुदान की मांग संख्या-16 के पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सदन का समय मांग संख्या-16 के पारित होने तक बढ़ाया गया। श्री हरचन्द सिंहजी।

मांग संख्या-16 पर विचार

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मैं निवेदन कर रहा था, गृह मंत्री महोदय, ऐसा अन्याय एक अधिकारी जानबूझकर ऐसी बात करे। और विमत आ रहा है। उन डी.आई.जी. साहब का तो बाल बांका नहीं कर सके। जबकि आई.जी. साहब उसकी तारीफ कर रहे हैं, डी.जी. साहब तारीफ कर रहे हैं कि अच्छा काम किया उसने। आप मेहरबानी करके ऐसे आदमियों को जरूर प्रमोट करिये, गैलेंटरी अवार्ड दीजिये ताकि उदाहरण कायम हों, दूसरे लोगों में जज्बा पैदा हो, यह मेरा आपसे निवेदन है।

एक, ट्रांसफर पालिसी बार-बार बनती है लेकिन पता नहीं गंगानगर और बीकानेर में जाते ही वह क्यों फैल हो जाती है। वहां दिक्कत आती है। वहां कुछ अधिकारी हैं, अपने प्यादों को संरक्षित करते हैं। गंगानगर में नौकरी तक तो परमिट देने की उनकी इच्छा है कि जब तक वे नौकरी करेंगे चाहे किसी पद पर रहें, गंगानगर और हनुमानगढ़ में रहेंगे। लेकिन अगर उनका अन्तिम काल आया तो उनके लिये आखिरी जगह भी निर्धारित कर दी कि तेरा दफन किया जाएगा। जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, उसी के मुताबिक तेरा क्रिया-कर्म यहीं किया जाएगा। आप मेहरबानी करके उनका वह स्थान बदल दें और सख्ती से नियमों का पालन करवाएं ताकि वह लोग राजस्थान की जनता से सम्पर्क कायम कर सकें, क्योंकि बहुत सारी संस्कृतियों, बहुत सारी भाषाओं, बहुत सारे रीति-रिवाजों से सम्मिश्रित राजस्थान का यह प्रदेश है। गंगानगर का आदमी अगर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर में जाएगा तो उसको कुछ अजीब लगेगा, लेकिन फिर भी उसको महसूस होगा कि यह मेरा राजस्थान है।

(17.00 बजे)

और डूंगरपुर का आदमी अगर इधर आएगा तो कई लोगों को तो यह वहम है कि पता नहीं गंगानगर क्या है, तो उनका वह वहम भी निकलेगा। मेहरबान, इस ट्रांसफर पालिसी में बार-बार ये बातें आ रही हैं। अब सवाल यह आता है, आप कई जगह तो यह फर्मा देते हैं कि जिन आदमियों को चार्ज शीट दी गयी है उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जायेगी; बहुत अच्छी बात है। लेकिन, मैंने एफ.आई.आर. नम्बर 420/2002 पी.एस., भादरा का जिक्र माननीय सदन में किया था और उसमें हालात बताये थे कि उस एफ.आई.आर. को टैम्परविद किया गया। आपने गौर फर्माया, बड़ी गम्भीरता से इस मामले को लिया, लेकिन आज दो साल होने को आये हैं, एफ.आई.आर. नम्बर 26/2001 दर्ज हुई है उस पत्रावली का कोई अता-

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

पता नहीं है कि क्या हुआ। उसका अनुसंधान ठंडे बस्ते में है। जो अपराधी है उसको वहां एविडेंसेज को तोड़ने-मरोड़ने के लिए, खतम करने के लिए, सी.ओ., राजगढ़ लगाया गया है। अगर इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन होगी तो परिणाम सही आने वाले नहीं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आप घंटी बजा रहे हैं, मुझे थोड़ा-सा वक्त और फर्माएं।

सभापति महोदय, पुलिस अपराध को रोकने के लिए है, अपराध कारित करने के लिए नहीं। लेकिन ऐसे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, मैं जवाहर नगर थाने की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा, गृह मंत्रीजी, मामला सबजुडिस है लेकिन मैं उसका वह आस्पैक्ट जो सबजुडिस नहीं है, उस पर निवेदन करना चाहता हूं। आपने संशोधन करके 302 के अन्दर एस.टी. का सब इंस्पैक्टर उसको धकेल दिया, मुलजिम बना दिया लेकिन जिन्होंने उस मृतक अमित को गिरफ्तार किया सबसे पहले, उनके रोजनामचे, केस डायरियों को मुलाहिजा फर्मा लें, उसमें रिकार्ड को टैम्परविद किया गया है। जो पुलिस अधिकारी रोजनामचे को टैम्परविद कर दे, इंवेस्टिगेशन डायरियों में अपने गलत नोट लगा दे जो रोजनामचे से मेल नहीं खाते हों, वह तो निकल जाए। अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी आप चरितार्थ नहीं हो, इसलिए ऐसे अधिकारी जिन्होंने उनको प्रोटेक्शन दिया है, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री सभापति : प्लीज कनक्लूड कीजिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : बहुत जल्दी कनक्लूड कर रहा हूं मैं। अगर आप फर्माएं तो मैं बैठ जाऊं, लेकिन अब बहुत ही जल्दी कर दूंगा।

मुकलावा पुलिस स्टेशन के अन्दर एस.सी. के लोगों को राजनीतिक इशारे पर रात को पुलिस पकड़ने जाती है। उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं है। कहानियां चल रही हैं कि आतंककारी वेश बदल कर आ रहे हैं। उन गरीबों ने सोचा, रात का अंधेरा है, कहीं इस तरह से तो पुलिस कभी नहीं आयी, उन्होंने मुकाबला किया। वहां थानेदारजी के ग्राउंड रह गये, वहां टोपी रह गयी, टार्च रह गयी और डण्डा रह गया। सुबह उठ कर उसको जब पता लगा कि हमने गलती कर ली, यह तो थानेदारजी थे तो वे एस.पी. साहब के पास जाते हैं। एस.पी. को एप्लीकेशन देते हैं और एस.पी. साहब उन आदमियों को जो मुकदमा दर्ज कराने आये हैं, कोतवाली भेज देते हैं कि इनको बैठाओ। मुकलावा थानेदार को वायरलैस करके यह इत्तला कर दी जाती है। सुबह सात बजे

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

एस.पी. के बंगले पर थे, उनको एक बजे मुकलावा का थानेदार आता है, कोतवाली से लेता है। कोतवाली की जेर निगरानी में जिनको मुलजिम बता रहे हैं, वे रहे हैं और बाद में रास्ते में जाकर उन आदमियों के साथ सुलूक किया गया, रूह कांप जाती है, सभापति महोदय। ऐसी तफतीश मेहरबानी करके नहीं कराएं आप। और मैं यह खुद नहीं बोल रहा हूं, अदालत में भी उस आदमी के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास हुए हैं। वो ही आदमी, उन्हीं आदमियों के खिलाफ झूठे शराब के मुकदमे।

सभापति महोदय, अब जुए की बात की जाती है कि जुए-सट्टे को बंद कराओ। मैं कहता हूं, किसी राज में कोई ताकत नहीं कि जुए-सट्टे को बंद करा दे। यह पुलिस तंत्र के बलबूते पर ही चल रहा है। अपराधी लोग जो सट्टा करने वाले हैं, वो पुलिस की तैनातियां कराते फिरें, बहुत अजीबोगरीब स्थिति है।

सभापति महोदय, रायसिंहनगर पुलिस स्टेशन के अन्दर एक थानेदारजी आये। उनका कोई रिश्तेदार था, उसके घर खाना खाने गये। उसके पड़ोस में तीन मंजिल पर कोई शोर हो रहा था, उन्होंने पूछा, यह कौन है? तो कहा कि एक सेठ का मकान है, उनकी औरत गयी हुई है, यहां 5-7 आदमी आ जाते हैं रोज, ताश खेलते हैं। उस पुलिस वाले को पता लगना था, रात का टाइम और सिविल ड्रेस में, हाजरी कहीं और वह उस आवास में घुस गया। उन्होंने सात आदमियों को पकड़ लिया और उनके घर से 1 लाख 3 हजार रुपये बरामद कर लिये। रात को दो बजे उनकी सौदेबाजी हुई कि तुम्हें छोड़ देंगे, पांच हजार रुपये मांगे। बीच में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट साहब भी आ गये, एडीशनल एस.पी. भी आ गये, सबने पंचायतियां की। उन्होंने कहा तुमने गलत कर दिया, उनकी भी उस थानेदार ने नहीं मानी। नतीजा यह हुआ कि एस.पी. साहब ने फर्जी सर्च वारंट दस्तखत करके भेज दिया। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि मेरे से उन्होंने गलती करवा ली, अब इसको रफा-दफा करो। सभापति महोदय, मुझे उस वक्त अचम्भा हुआ जब वह रकम हमने देखी, बड़े वैज्ञानिक तरीके से, यह कहते हैं कि संशोधन वैज्ञानिक तरीके से हुआ, बैंक से आये नोट जिनमें 10 और 5 रुपये का नोट नहीं, 23315 रुपये बरामदगी दिखायी और बाकी के नोट, उनका कोई पता नहीं है। जब शिकायत की गयी तो लीपापोती। ये जो पुलिस के ऊपर आक्षेप आते हैं, जब तक हम सख्ती से...

श्री सभापति : माननीय हरचन्द सिंहजी, सहयोग कीजिये। बहुत लोग बोलने वाले हैं आप कनक्लूड करिये, प्लीज।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : बिलकुल सहयोग कर रहा हूं। दो सैकण्ड में। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : किस का सहयोग करें?

श्री सभापति : मैं आसन के सहयोग की बात कर रहा हूं। समय सीमित है, वक्ता बहुत हैं।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मैं आसन से ही सहयोग कर रहा हूं। दो सैकण्ड में ही।

श्री सभापति : खतम करें। आप सारे मुद्दे होम मिनिस्टर साहब को मिल कर दे दीजिये।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप बड़े अनुभवी और प्रशासनिक क्षमता रखने वाले गृह मंत्री हैं, लॉ एण्ड आर्डर एजेंसी अलग, इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी अलग, इनका डिवीजन निश्चित तौर से करें, अगर इसमें आप गुणात्मक सुधार लाना चाहते हैं। एक ग्राउंड लेवल पर जो आरक्षीगण हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए, उनको आश्रय देने के लिए ज्यादा से ज्यादा थानों के अन्दर उनको आश्रय बना कर दें ताकि वो विश्राम कर सकें, उनकी कार्य क्षमता बढ़ सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं और पुनः आपके कुशल नेतृत्व में जो राजस्थान पुलिस ने अच्छे काम किये हैं उनकी पुरजोर तारीफ करता हूं और उनको बधाई देता हूं ताकि उनके अन्दर जज्बा पैदा हो अच्छे काम करने का लेकिन इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं, पुलिस के अन्दर जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको वीड आउट करने का वक्त आ गया है। नेकनियति और ईमानदारी से उच्चाधिकारियों को वह भी काम करना चाहिए, उसके अन्दर पक्षपात नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे वक्त दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री सभापति : आपको भी धन्यवाद। माननीय श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : सभापति महोदय, मांग संख्या 16-पुलिस पर सदन में चर्चा हो रही है। इस सदन में सात अरब और कुछ करोड़ की डिमांड पास करवाने के लिए वह मांग रखी गयी है। हम प्रतिपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य अगर मना कर दें तो भी यह मांग तो पास होगी, इसलिए विरोध करने से कोई मतलब निकलता नहीं। (व्यवधान) आप रुकिये। मैं तो वैसे ही बहुत कम बोलता हूं, बात सुनिये। सही होगा तो तारीफ कर देंगे, सही कह देंगे।

मेरा निवेदन इतना है कि पुलिस महकमा एक ऐसा महकमा है जो राजस्थान की कानून और व्यवस्था को देखता है,

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

राजस्थान के नेताओं की रक्षा भी करता है। यह पुलिस महकमा आम अवाम की जिस प्रकार की गतिविधियों हैं उनको वाच करता है। मेरा कहने का मतलब इतना है कि इस महकमे का भारी महत्व है इस प्रदेश के लिए। सर्वोच्च सदन में बैठकर अपन चर्चा करें कि इस साल में मुकदमे कम हुए और इस साल में मुकदमे ज्यादा हुए, इस साल में डकैती ज्यादा हुई और इस साल में कम हुई या वह हुआ और यह हुआ तो इस प्रकार की चर्चा करने से कोई सार्थक परिणाम निकलने वाला नहीं है। इसकी बजाय, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में बैठकर इस बात की चर्चा करें कि किस प्रकार से क्राइम को रोका जा सकता है। इस बात पर चिन्तन किया जाए ताकि आज जो कुछ प्रदेश में हो रहा है उसके ऊपर अंकुश लगाकर उसमें सुधार कर सकें।

सभापति महोदय, मेरी जहां तक सोच है, जो क्राइम बढ़ रहे हैं, जो कुछ भी गतिविधियां हो रही हैं उनके लिए यह सर्वोच्च सदन जिम्मेदार है। मैं इस सदन में चौदह साल से बैठ रहा हूं, मैंने पाया है कि जो चिन्तन करता है, जो राजनैतिक सोच रखने वाला है, जो नीति निर्धारक है, उसकी सोच की कमी का परिणाम है कि आज इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। आज मैं कहता हूं कि जहां फील्ड पोस्टिंग होती है, फील्ड पोस्टिंग ऐसे व्यक्ति की होनी चाहिए जो पाक-साफ हो, जो व्यवस्था करने वाला हो, पुलिस प्रशासन में उसकी हैसियत हो, पुलिस प्रशासन में उसका विश्वास हो तथा आम लोगों में भी उसका विश्वास हो। परन्तु पोस्टिंग कैसे होती है? मैं एम.एल.ए. हूं, मेरी जाति का डी.एस.पी. लगना चाहिए, मेरी जाति का सी.आई. लगना चाहिए और मैं चाहे कितनी ही लूट करूं, मैं कुछ भी कहूं, मेरी बात चलनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था पुलिस प्रशासन में हो रही है इससे इस प्रदेश को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। जब तक इस बात का सुधार नहीं होगा, राजनेता इस प्रकार की पोस्टिंग में सिफारिश करते हैं, सिफारिश जब तक बन्द नहीं होगी तब तक ढर्रा नहीं सुधर सकता और राजस्थान की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं इस बात को देख रहा हूं कि आज राजनेता एक बात का चिन्तन क्यों नहीं करते हैं। अगर मैं सही हूं और मैं कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखने में सार्थक हूं, जो गलत हो रहा है उसको सही करवाने की मेरी क्षमता है, सही को सही कहने की मेरी क्षमता है, तो मैं कहता हूं कि कोई भी अधिकारी आएगा, कोई भी कर्मचारी आएगा, उसका कहना कोई टाल नहीं

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

सकता। सवाल वहां उठता है कि वह बदमाशी करता है, बेईमानी करता है। वह उसमें इनवाल्व होता है, दोनों की मिलीभगत से होता है। कहते हैं कि यह काम करो, वे काम होते हैं, इस कारण से सिफारिश करके उसको लगवाते हैं।

आज जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, आबकारी के ठेके उठते हैं। दुकानें होती हैं तेरह और दुकानें लगाते हैं डेढ़ सौ महीने के महीने हर अधिकारी के पैसे बंधे हुए हैं। आप ठेका डोडा पोस्त का ले लो हर थानेदार और डी.एस.पी. का महीना बंधा हुआ है। यह मैं बिलकुल सच्ची और पुख्ता बात निवेदन कर रहा हूं। लाटरी जहां चलती हैं वहां पुलिस वालों के पैसे बंधे हुए हैं। जो भी जुआ खेलते हैं उनके पैसे बंधे हुए हैं। मुस्तगीस इस जमाने में सबसे ज्यादा दुःखी है। वह इस कारण से दुःखी है मुस्तगीस जाएगा उसको रिपोर्ट लिखने के पैसे देने पड़ेंगे। लिखने के बाद वकील उसको तंग करेगा, फिर वह कोर्ट में जाएगा वहां तंग होगा। आखिर में न्याय क्या मिला? उसको न्याय यह मिला कि मुलजिम को प्रोवेशन पर छोड़ दिया। उसको क्या मिला? सात साल तक उसने पैसा खर्च किया, उसके साथ क्या न्याय हुआ? कोई न्याय नहीं।

सभापति महोदय, प्राब्लम कहां पैदा होती है, इसके ऊपर मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बार राम और सीताजी दोनों वनवास के लिए जा रहे थे, रास्ते में सीताजी को प्यास लगी। सीताजी ने कहा, भगवन, आप मुझे पानी पिलाओ। रामजी ने कहा कि यहां मैं पानी कहां से पिलाऊं। यहां कोई कुआं नहीं, बावड़ी नहीं, तालाब नहीं। तो सीताजी ने कहा कि आप तो अन्तर्यामी हो, त्रिलोक के नाथ हो और आप ऐसी बात करोगे कि मैं पानी कहां से पिलाऊं तो मैं तो मर जाऊंगी। इस बात को लेकर रामजी को गुस्सा आया, रामजी ने तीर निकाला और जमीन में मारा। जमीन में मारते ही पानी तो आ गया और सीताजी ने पी लिया, लेकिन तीर के नीचे एक मेंढ़क फंस गया। मेंढक त्राहि-त्राहि करने लगा कि मैं तो निर्दोष हूं, मुझे मार दिया। वहां हजार-दो हजार मेंढक शामिल हो गये। शामिल होकर उन्होंने कहा कि तेरे क्या हुआ? वह बोला कि मैं निर्दोष हूं, मेरे तीर मार दिया। तो चलो इसकी शिकायत करते हैं। बोला, शिकायत किससे करूं? जिसके सामने शिकायत लेकर जाना है वही तो तीर मार रहा है। तो, सभापति महोदय, यह समस्या है। अगर इस सदन में बैठकर एक निर्णय कर लें कि बेईमान को बेईमान कहेंगे, बेईमान की कोई जात नहीं होती है, गुण्डे की कोई जात नहीं होती, गुण्डे का कोई धर्म नहीं होता और न गुण्डे की कोई पार्टी होती है। गुण्डा इज आलवेज गुण्डा। अगर इस प्रकार की बातों पर अपने चिन्तन करने से राजस्थान की

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

जनता को खुशहाली की ओर ले जाएंगे, कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारेंगे तो इस बात का अपन लोगों को बैठकर चिन्तन करना चाहिए। इस बात का चिन्तन नहीं करेंगे। आप प्रतिपक्ष में बैठे हो इसलिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है और आप सत्ता में बैठे हो इसलिए आपकी सब कुछ वैल्यू हो गयी। आखिर आप भी जीतकर आते हैं और हम भी जीतकर आते हैं। हम भी तीन-तीन बार एम.एल.ए. बने हैं, आप भी तीन-तीन और दो-दो बार बने हो। आपका भी फर्ज बनता है और हमारा भी जनता के प्रति फर्ज है। अगर हम यह बात कहें या कानून और व्यवस्था की स्थिति के अन्दर कोई गलत काम करें या जनता को गुमराह करने की बात करें, जनता को नुकसान पहुंचाने की बात करें तो आप में हिम्मत होनी चाहिए। आपको तुरन्त मुंह पर कहना चाहिए और इस सर्वोच्च सदन में उसको नंगा करना चाहिए कि आपने इस प्रकार की बात की और जनता के साथ उस समय अन्याय हुआ इस प्रकार का काम अगर हम करेंगे तो जनता का भला होगा, बाकी अपन बात कर लें। कथनी और करनी में अन्तर रखना नेताओं का फर्ज नहीं है। नेताओं को जनता भगवान मानती है। अस्सी-अस्सी वर्ष के लोग पैरों के हाथ लगाते हैं। वह सोचते हैं कि यह हमारा भला करेगा। भले की जगह अपन अन्याय करते हैं तो अपन अपनी आत्मा और ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। अपनी आत्मा को टटोलकर देखो कि अपन क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पर इस राजस्थान को ले जा रहे हैं, कैसी व्यवस्था कर रहे हैं। इस बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आत्मचिन्तन करना चाहिए। एक बात का चिन्तन करना चाहिए कि आखिर अपन को इस संसार से जाना है, इस बात को लेकर जाएं कि हजारों-करोड़ों लोग आंसू निकालें। इस तरह का व्यक्तित्व बनकर जाएं कि लोग उसके बारे में कहें। कहें कि ऐसा इन्सान चला गया जिसने संसद को, देश को और प्रदेश को कुछ दिया, तब तो कोई बात है। सभापति महोदय, इस प्रकार का वातावरण है, आज अपन को विश्वास है, अपन ही इस प्रकार की बात करते हैं कि वह यह हो गया, यह वह हो गया तो इससे कोई भला होने वाला नहीं है। भला कैसे कर सकते हैं, इस बारे में चिन्तन करना चाहिए।

आज मैं कहता हूं कि एट्रोसिटी एक्ट के मुकदमे क्यों बनते हैं? आज महिला उत्पीड़न के मुकदमे बनते हैं, एक्सीडेंट्स के केस होते हैं, जब तक अपन लोग बैठकर चिन्तन नहीं करेंगे, सही को सही नहीं कहेंगे, आप देखिए, जितने भी मुकदमे दर्ज होते हैं, 50 प्रतिशत में एफ.आर. लगती है। क्यों लगती है? मुकदमे आते हैं, ज्योंही मुकदमे आये, मैं गया, मैं पावरफुल हूं। मैंने तफतीश चेंज

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

करवा ली। तफतीश चेंज करवाकर फाइल पटकवा दी। वह आया। वह थोड़ा ज्यादा पावरफुल है तो वह फाइल ले जाकर वापस दिलवा दे। यह क्या मजाक है? यह कानून के साथ मजाक है, जनता के साथ मजाक है और उस मुस्तगीस के साथ मजाक है। इस प्रकार का मजाक अगर हम जनता के साथ करेंगे तो उसका प्रजातंत्र से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था में आमूलचूक परिवर्तन करें और ऐसी बात को सोचे कि कुछ सुधार कर सकते हैं। सुधार कौन-कौनसे हो सकते हैं, इस बारे में अपन चिन्तन करें तभी इसका सुधार हो सकता है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल बंशीवाल। (अनुपस्थित) माननीय श्री अशोक तंवर।

श्री रमजान खान : माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र गोयल का इतना जबरदस्त भाषण हुआ, आज तक जितने भी भाषण हुए, वास्तविक बात, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन्होंने बात कही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसीलिए तो हमने मेजें थपथपाई हैं। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : यह तो यह है, सत्य का उद्घाटन जो आपने किया है, दृढ़ आदमी ही कर सकता है सत्य का उद्घाटन, कमजोर आदमी सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकता।

श्री अशोक तंवर (फागी) : सभापति महोदय, आज हम मांग संख्या 16-गृह विभाग और पुलिस पर सदन में विचार कर रहे हैं। देश में गुजरात साम्प्रदायिक दंगों के बाद जिस प्रकार का वातावरण बनाया गया, माननीय गहलोत साहब की सक्रियता और सूझबूझ से...(व्यवधान) अन्यथा कुछ संगठनों ने तो इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय गहलोत साहब ने कई बार केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर, राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में व मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य के विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल द्वारा त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम के नाम से जो चाकू बांटे जा रहे हैं उस पर चिन्ता व्यक्त की गयी। आप सभी जानते हैं कि ये चाकू किस काम के लिए लिये गये हैं।

मान्यवर, त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में मेरे विधान सभा क्षेत्र फागी में इन लोगों ने क्या किया, इसका जिक्र करना चाहता हूं। दिनांक 5 जनवरी, 2003 को त्रिशूल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें रैवासाधाम महाराज पीठाधीश राधाआचार्य श्री ज्ञानदेवजी आहूजा, विधायक, श्री सुरेन्द्रजी, पूर्व विधायक, लक्ष्मीनारायण बैरवा, हरिनारायण बैरवा, पूर्व विधायक उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में पांच हजार

(श्री अशोक तंवर)

लोगों के वास्ते प्रचार करके ये लोग घर-घर से भोजन से इकट्ठा कर रहे थे, किन्तु मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्हीं में से किसी व्यक्ति ने प्रचार कर दिया कि वे पैकेट अनुसूचित जाति के लोगों के घरों से लाये गये हैं। यह सुनते ही इन लोगों ने भोजन नहीं किया, सारे पैकेट जानवरों का फेंक दिये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : यह सोनियाजी की तर्ज पर पढ़ रहे हो क्या?

श्री अशोक तंवर : यूं ही समझ लो। चेले भी तो उन्हीं के हैं। (व्यवधान) इन पैकेट्स को दो दिन तक सूअर, कुत्ते और गायों ने खाया।

श्री सभापति : माननीय नंदलालजी बंशीवाल, आप अपनी सीट पर जाइए।

श्री अशोक तंवर : इससे आपको यह पता चल गया होगा कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है।

सभापतिजी, यही नहीं, बड़े लोग इनके कार्यक्रम में आये थे, उनको फागी में इन्हीं के कार्यकर्ता सुरेन्द्र वाल्मीकि के घर अल्पाहार करना था। लेकिन जब पता लगा कि सुरेन्द्र वाल्मीकि है तो इन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल करके लक्ष्मी नारायण सोनी के घर अल्पाहार किया। इस प्रकार के इनके चरित्र के उदाहरण काफी हैं। कुछ सुझाव हैं, गृह मंत्रीजी, मेरे।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आप भी इटली से आये हो क्या?

श्री अशोक तंवर : मैं सी-स्कीम से आया हूं।

श्री सभापति : माननीय जसवन्त सिंहजी, आप अपनी सीट से जाकर बोलें।

श्री अशोक तंवर : गृह मंत्रीजी, मेरे कुछ सुझाव हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र फागी में सी.ओ. का आफिस दूदू में है, मैं चाहता हूं इसको फागी में ही कर दिया जाए। आदमी को पचास किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। चाकसू थाना काफी दिनों से ए.एस.आई. का है उसमें सी.आई. लगना चाहिए।

ट्रैफिक पुलिस के बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे। जयपुर में तो ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था चौपट है, बिलकुल ही चौपट है। ट्रैफिक पुलिस न तो किसी को जेब्रा लाइन के बारे में बताती है, न ही कोई सूचना देती है। केवल या तो जीप वाला आ जाए उसको रोकती है या ट्रैक्टर वाला आ जाए उसको रोकती है। बाकी ट्रैफिक के नाम पर बिलकुल चौपट है। सांगानेर से लेकर मालपुरा तक तो व्यवस्था ही नहीं है थाने तक। वहां तो कोई आदमी जा ही नहीं सकता। कोई बस किधर खड़ी है, कोई बस किधर खड़ी है, कोई जीप किधर खड़ी है। सारी व्यवस्था चौपट है, आप दिखवा लें।

(श्री अशोक तंवर)

सुमेधा अपहरण काण्ड के बारे में कहना चाहता हूं, सुमेधा अपहरण काण्ड दिल्ली पुलिस ने खोला न कि राजस्थान पुलिस ने। आपने ऐसे-ऐसे अधिकारी लगा रखे हैं जो बीस-बीस साल से जयपुर में ही जमे हुए हैं, उनका कोई ट्रांसफर नहीं। पता नहीं क्या मजबूरी है आपकी, समझ में नहीं आ रहा मुझे। वे लोग अगर मुलजिम भागे तो दो कदम भी नहीं भाग सकते। ऐसे-ऐसे अधिकारी आपने जयपुर सिटी में लगा रखे हैं। जब आप भर्ती करते हैं तो उनकी दौड़ करवाते हैं, डाक्टर से शारीरिक मुआयना करवाते हैं।

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्री तो, दो भी नहीं भाग सकते।

श्री अशोक तंवर : गृह मंत्रीजी तो कलम चलाते हैं, इनको तो जरूरत नहीं है भागने की। भागने के लिए तो बहुत सेना है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप भाग लोगे क्या?

श्री अशोक तंवर : आप से ज्यादा भाग लूंगा। पोलो ग्राउण्ड चलते हैं शाम को सात बजे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : चलो।

श्री सभापति : आपको बोलना है अभी, फिर क्यों इंटरप्ट कर रहे हो आप?

श्री अशोक तंवर : एक मैं यह चाह रहा हूं आपसे कि लाल बत्ती का जो झगड़ा है इसको खतम किया जाए। विधायक लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, कौन लोग लगा सकते हैं, इसको साफ किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री नन्दलाल बंशीवाल।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : धन्यवाद। पुलिस के बारे में चर्चा चल रही है, What is the police? The police is the best reflection of a society. If the society is violent so are the police, if the society is corrupt so are the police but if the society is tolerant, literate and human, the police will act accordingly. मेरा आपसे सुझाव है कि उक्त उक्ति के अनुसार पुलिस के वास्तविक कार्य को जनता में प्रोजेक्शन मिलना चाहिए जिससे पुलिस के कार्य को जनता समझकर सहभागी बने। इसके लिए प्राथमिक स्तर पर पुलिस कार्य पर एक पाठ सरकारी स्कूलों में चलाया जाए, ऐसा मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन है।

माननीय गृह मंत्रीजी, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ और पुलिस के पक्ष में। पुलिस भी सोसायटी का एक भाग है, मगर इस राज में मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के तीन तो

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

एम.एल.ए. पिट गये, भरोसीलालजी एम.एल.ए. पिटे, चोखी ढाणी में एक एम.एल.ए. पिटे, शांति पहाड़िया पिटी, आप और कितने विधायकों को पिटाने का इरादा रखते हैं?

माननीय सभापतिजी, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि दलितों पर दो-तीन दिन पहले चर्चा हो रही थी और उस दिन कोरम की घंटी बजानी पड़ी, कोरम के अभाव में कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। जैसे यह सरकार दलितों के प्रति, एस.सी., एस.टी. के प्रति संवेदनशील है...

श्री सभापति : आप भी निर्भय लालजी की जगह भरोसी लाल कह रहे हो। गलत कहा आपने।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उसका करैक्शन कर लेते हैं। मैं आपका ध्यान अभी कुछ दिन पहले निवाई के अन्दर दूल्हे को घोड़ी से उतारने के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दलित वर्ग पर बहुत बड़ी मेहरबानी की कि उन्होंने एक दलित बैरवा जाति के बुजुर्ग सम्माननीय बनवारी लालजी को उप मुख्य मंत्री बनाया। मगर इनके क्षेत्र में दलित को घोड़ी से उतार दिया गया। 48 घंटे निकल गये, आपकी पुलिस सोती रही। डिप्टी एस.पी. जो वहां पर लग रहा है, वह कहता है कि मुझे जानकारी नहीं है। वर्तमान मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत शिवचरणजी माथुर के टाइम पर गृह मंत्री थे तब ऐसा ही एक मामला अलवर में हुआ था। उन्होंने तुरन्त ही ऐसा करने वाले व्यक्ति को सस्पैंड किया। सजा दी, प्रताड़ित किया। उससे एक मैसेज गया कि अगर दलितों के साथ इस तरह की हम बदतमीजी करेंगे तो सजा भोगनी पड़ेगी। मगर आपने आज तक सी.ओ. के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं की? उसका कारण क्या है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या दलितों के ऊपर ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, अभी अरुण सिंहजी बोल रहे थे कि धीरज श्रीवास्तव मुख्य मंत्रीजी का ओ.एस.डी. है, आई.ए.एस., आई.पी.एस. को उनसे मिलने के लिये पर्ची देनी पड़ती है। गृह सचिव यहां बैठे हैं, उनको भी पर्ची देनी पड़ती है, बड़े-बड़े अधिकारियों को पर्ची देनी पड़ती है उनसे मिलने के लिये। मुख्य मंत्रीजी से नहीं, उनसे मिलने के लिये...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : मुख्य मंत्रीजी से मिलने की व्यवस्था की बात है, आप किसी व्यक्ति विशेष को इसमें चिन्हित नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : माननीय सभापतिजी, मेरा दौसा

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन है कि सही तरीके से बात रखे, गलत करके न कहे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : जो माननीय सदस्य बोले, वही मैं कह रहा हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मेरी सुन लें आप बात को। मेरा मशविरा है, माने तो बहुत अच्छा है, वरना नहीं माने तो नहीं मानेंगे बात को। मेरा कहना यह है कि ज्यों ही पुलिस को इत्तला हुई, तत्काल पुलिस वहां सक्रिय हो गयी और पहुंच गयी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को एक जानकारी देना चाहता हूं कि दलितों के साथ बाहर तो हो ही रहा है, हमारे अधिकारियों के साथ क्या हो रहा है। पुलिस अधीक्षकों ने गृह सचिव को खरी खोटी सुनायी पुलिस मुख्यालय में डी.जी. साहब के सामने। कितने शर्म की बात है कि ऐसे हमारे अधिकारियों को कोई भी जाकर खरी खोटी सुनाएं और उस पर आप कोई कार्यवाही न करें। 21 जनवरी को समयबद्ध पदोन्नति एवं वेतन श्रृंखला न मिलने से गुस्साए भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों में मंगलवार को राज्य के गृह सचिव धर्म सिंह सागर को खरी खोटी सुनायी। गृह सचिव आज पुलिस मुख्यालय में पुलिस के वरिष्ठ अफसरों की एक बैठक में हिस्सा लेने आये थे। ऐसे ही दलितों के साथ हो रहा है। हमारा स्टेट...(व्यवधान) यह क्या बात है? देखो न, क्या बात है। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : बात गृह सचिव को सुनायी गयी, या किसी जाति विशेष के अधिकारी को सुनायी? बात तो गृह सचिव को...(व्यवधान) किसी भी राज्य के गृह सचिव हैं...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : चूंकि सचिव...(व्यवधान) दलित वर्ग से आते हैं इसलिए आप लोगों ने यह सुनायी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय क्रीड़ा मंत्रीजी, आप बैठे, माननीय गृह मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, गृह सचिव पुलिस मुख्यालय में गये, अधिकारियों ने अपना कोई प्रतिवेदन दिया और उनसे अनुरोध किया। अखबार वाले उसको खरी-खोटी लिख दें तो उसको आप सही मान लेते हैं क्या?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है, गृह मंत्रीजी। जब आप अलवर गये थे तो आपने कह दिया कि अखबार वालों ने छाप दी। जबकि हकीकत यह है कि आपने यह कह दिया कि एस.टी., एस.सी. जी का

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

जंजाल हो गया। आपने यह बात नहीं कही? फिर आपने हाउस में इसका खंडन कर दिया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। कोई ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप अखबार वालों पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ऐसा आप हर बार बोलते ही रहो। ऐसी बातों को बोलते हैं, इसके सिवाय कोई काम है क्या आपके पास? आप कह रहे हो, खरी खोटी सुनायी, आप मौजूद थे वहां पर खरी खोटी सुनाने में? जो अधिकारी बोलकर सफाई नहीं दे सकते, उनके बारे में मर्जी आए सो बोलते जाते हो। कोई सदन की एक परिपाटी तो रखिये।

श्री सभापति : माननीय नन्दलालजी बंशीवाल साहब।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : कोई बात अखबार के माध्यम से आती है, गृह मंत्रीजी...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह थे क्या? यह बतावें कि वहां बैठे हुए थे। कोई बात अखबार में आ जाए और वह चाहें इसका जवाब दें...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : पचासों उदाहरण अखबार के माध्यम से यहां कोट किये जाते हैं। संयमजी ने उड़ीसा विधान सभा का मामला यहां पर बताया, वह भी अखबार के माध्यम से बताया।

श्री सभापति : माननीय श्री नन्दलाल बंशीवालजी, अखबारों में आये समाचार के आधार पर विधान सभा में कोई बात नहीं कहिये। आपके पास और किसी सोर्स से कोई जानकारी हो तो उसको रखिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आज संयमजी ने उड़ीसा विधान सभा का मामला सदन में रखा...(व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाहते हो।

श्री संयम लोढ़ा : मैंने जो रखा, वह विधान सभा पर हमले की बात थी, वह विधान सभा में रखनी थी...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अखबार के माध्यम से मिली, वही तो रखी न आपने बात। आप थोड़े ही गये थे उड़ीसा के अन्दर देखने के लिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : वहां उड़ीसा के लोगों को...(व्यवधान) क्या बात करते हो।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय नन्दलालजी, सूचना और तथ्य में बहुत बड़ा फर्क है। एक तो सूचना दे रहे हैं कि क्या हुआ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप दलित वर्ग की बात सुनना ही नहीं चाहते हो। आप

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

दलितों के विरोधी हो क्या? दलितों की बात को गम्भीरता से नहीं लेना चाहते हो, यह सरकार गम्भीर नहीं है दलितों के प्रति।

श्री सभापति : संयम लोढ़ाजी, आप बिराजें।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप दलितों के विरोधी हो क्या? दलिता आपसे जवाब पूछ लेंगे, चार महीने बाद पूछ लेंगे आपसे जवाब। के.सी. जी, आप दलितों के प्रति गम्भीर हो जाओ। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : नहीं, हम पक्षधर हैं। आपसे ज्यादा गम्भीर है दलितों के प्रति।

श्री सभापति : माननीय नन्दलालजी बंशीवाल, आप आसन की तरफ देखकर बोलें। आपस में बात नहीं करें आप, आप इधर बात करें। संयम लोढ़ाजी।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, 50 साल में दलित वर्ग के लिये जो काम इन पांच सालों में हुआ है, राजस्थान की जनता जानती है इस बात को। आप बिना मतलब +++ मत करो अपना।

श्री सभापति : आप बिराजिये प्लीज।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बता रहा हूं न मैं। पुलिस के सिपाही समेत पांच पर यौन शोषण का आरोप। दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ भरतपुर में। दलितों के साथ ऐसा हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति : जल्दी करिये आप।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मेरे को बोलने तो नहीं दोगे आप, मुझे मालूम है। मैं अगर अच्छी-अच्छी बात करूं, सरकार की बड़ाई, प्रशंसा करूं तो आप मुझे अलाउ करेंगे, टाइम भी बढ़ा देंगे। अगर मैं सरकार के खिलाफ बोलूं तो आप बोलने नहीं देंगे। दलित वर्ग की बात रखूं तो आप सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। आप चाहते क्या हैं दलितों से?

श्री सभापति : आप अपनी बात कहिये जल्दी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : दलितों के पीछे बनी है यह सरकार। (व्यवधान) दलित आपसे बात करेंगे जब चुनाव में जाओगे, दलित पूछ लेंगे। दलित कमजोर नहीं हैं।

सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव माननीय गृह मंत्रीजी के सामने रखना चाहता हूं। अभी हमारे यहां बांदीकुई में राज्यपाल महोदय गये थे। राज्यपाल अगर कहीं जाते हैं तो प्रोटोकाल में कलक्टर और एस.पी. भी वहां मौजूद रहने चाहिये। आपने हमारे यहां एडीशनल एस.पी. लगा रखा है, उसने जरूरत नहीं समझी कि राज्यपाल महोदय की अगवानी में जाए।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी उस दिन उस क्षेत्र में ही थे। मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे 31 दिसम्बर को आप। बांदीकुई उस दिन राज्यपाल महोदय पहुंचे हुए थे, उसने कहा, क्या होता है राज्यपाल, मैं नहीं जाता हूं। एस.पी. था ही नहीं वहां पर। क्या एडिशनल एस.पी. के जाने की ड्यूटी नहीं बनती थी? ऐसे एडीशनल एस.पी. को आपने लगा रखा है।

बड़े दु:ख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैं सुनता हूं पुलिस रिश्वत लेती है, बिना रिश्वत के काम नहीं चलते। अपना स्तर इतना गिरा लिया कि थानेदार मींगणियों के ट्रक रिश्वत में मांगता है। मींगणी भी बकरी की लाना, जयपुर के अन्दर आती है। ऐसे-ऐसे तो आपने हमारे यहां अधिकारी लगा दिये। (व्यवधान) मींगणी की रिश्वत बकरी की मींगणी... (व्यवधान) अब अचार डालता है, खाता है, क्या करता है?

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जिला आपके राज में बना और जिले का विकास आपके राज में हुआ। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे यहां जो आवश्यकता थी जिला अस्पताल की, उसमें पांच करोड़ आपकी सरकार ने दिया, जिला मुख्यालय पर आपने अस्पताल का निर्माण कराया।

सभापति महोदय, हमारे यहां नफरी बहुत कम है। आपने जिला तो बना दिया, पर जनसंख्या के अनुपात में नफ़री भी होनी चाहिये। नियम यह है कि एक हजार की जनसंख्या पर एक सिपाही होना चाहिये। अब नफरी आप समझते नहीं हो, आपको सब समझ आ जाएगा, हवा में उड़ रहे हो आप। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक थाने के अनुपात में 15 सिपाही होते हैं। चार सिपाही संतरी ड्यूटी पर रहते हैं, चार सिपाही एल.सी. का कार्य करते हैं, एक सिपाही वायरलैस पर रहता है और दो अवकाश पर रहते हैं। अब थाने पर कौन रहेंगे? बचे रहते हैं चार। चौबीस घंटे इनसे कार्य लेते हैं, जैसे एस.एच.ओ. के साथ लॉ एण्ड आर्डर पर निकल जाए। और आपके पुलिस के अधिकारियों ने यह कहा है कि बी.आई.पी. ड्यूटी में ज्यादा रहते हैं। वी.आई.पी. ड्यूटी भी मंत्रीजी जाएंगे क्षेत्र के अन्दर...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सर, मेरी डिमांड तो कर लेने दीजिये, आपकी मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी रहती है।

श्री सभापति : आपका पांच मिनट का टाइम था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने एक ऐसी रिश्वत के बारे में रहस्योदघाटन किया है जो राजस्थान में दूसरा कभी नहीं कर सकता है, मींगणी की रिश्वत। मींगणी के ट्रकों के ट्रक रिश्वत लेता था। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल :- मींगणी की है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री ललित भाटीजी।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : तामील, तलबी और गिरफ्तारियों में एस.एच.ओ. के साथ रहता है। इस प्रकार से जो स्टाफ है वह तेली का बैल बन जाता है। उसका भी कोई अधिकार है, मानवीय अधिकार उसको भी मिलना चाहिए। उसको नौकरी में न तो खाने की सुध रहती है, न सोने की सुध रहती है और आने-जाने में ही वह पूरा हो जाता है। फैमिली लाइफ उसकी हो जाती है ज़ीरो, सोशल लाइफ उसकी जो जाए जीरो और इंडिवीजुअल लाइफ उसकी हो जाए जीरो, इससे वह इतना चिड़चिड़ा हो जाता है।

श्री सभापति : लाइफ तो एक ही होती है, आप बैठिये। श्री ललित भाटी।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, इनको बोलने दो, हमारी पार्टी का समय काट लेना।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सभापति महोदय, मेरी कुछ डिमांड्स हैं। माननीय गृह मंत्रीजी हमारा जिला तो बन गया मगर हमारे जिले में जो गाड़ियां हैं उनकी हालत बद से बदतर हो रही है। नांगल राजावतान मेरा एक थाना पड़ता है, मेरा और परसादी लालजी का जोइंट थाना है, उसके अन्दर गाड़ी ऐसी है कि कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाएं तो उसको धक्का देकर तो स्टार्ट करना पड़ता है और रात को जरूरत पड़ जाए तो मोमबत्ती या टार्च के सहारे से उसको चलाना पड़ता है। उसकी हालत ऐसी हो रही है कि अपराधी अपराध करके गाड़ी के आगे-आगे भागता रहे, गाड़ी उसको पकड़ नहीं सकती है, एस.एच.ओ. उसको पकड़ नहीं सकता, ऐसी हमारी गाड़ियों की हालत हो रही है। आपके यहां से हमें दो गाड़ियां मिली हुई थीं, एस.पी. ने अपने काम में ले लीं, हमारे जिले के अन्दर वे काम में नहीं आ रही हैं।

ऐसा नियम है कि एस.सी., एस.टी. बहुल कोई एरिया है उसके अन्दर ज्यादातर आप एस.एच.ओ. और सिपाही थाने में लाएं। मेरे दौसा जिले में अधिकांश एस.सी., एस.टी. के सिपाही और अफसर लाइन के अन्दर लगे हुए हैं।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, बहुत गम्भीर बात है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : यह बहुत ही गम्भीर बात है। भारत सरकार के इस तरह के आदेश हैं कि एस.सी., एस.टी. बहुल एरिया में उनके वर्ग के अधिकारियों को लगाएंगे तो मेरे दौसा के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है?

हम यहां पर बात करने आते हैं, अपने विचार रखने आते हैं, जनता की परेशानियां रखने आते हैं। मैं देख रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंट

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

हूं, मुझे भी जनता ने चुनकर भेजा है, मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है, मगर हमें वास्तविक बात ही बोलनी चाहिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें आपकी सराहना करनी चाहिए। अगर आप गलत कर रहे हैं, तो आपको गलत बताना चाहिए। अगर हम गलती नहीं बताएंगे तो आप इसमें सुधार कैसे करेंगे? आपको सुधार भी करना चाहिए। हम अपना अधिकांश समय इस बात पर खराब करते हैं कि उसने यह कह दिया, हाउस नहीं चलने देंगे। आपने कह दिया, हाउस नहीं चलने देंगे। यह बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब विधान सभा चलती है तो हमारा एक-एक मिनट कीमती है। इस सदन के एक-एक मिनट का उपयोग होना चाहिए।

श्री सभापति : अब आप समय का उपयोग होने दीजिये, आप बैठिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं अपनी एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : अब कोई बात नहीं, अब अंकित नहीं होगा। ललित भाटीजी, आप शुरू कीजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री सभापति : आप समझ ही नहीं रहे हैं। आपको अनुपस्थित होने के बावजूद बोलने के लिए समय दिया, पांच मिनट के बजाय बीस मिनट बुलवा दिया। अब आप बैठिये। ललित भाटीजी, शुरू कीजिये।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री सभापति : नहीं, नहीं, आप बिराजें। ललित भाटी...(व्यवधान) आपका अंकित ही नहीं हो रहा है।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, बहुत गम्भीर मामला है, मींगणी काण्ड की गृह मंत्रीजी से कहकर जांच करवाएं कृपया। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री सभापति : आप जांच कर लीजिये। (व्यवधान) आप कर लीजिये जांच।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इस राजस्थान की धरती पर...(व्यवधान) इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, इसकी न्यायिक जांच हो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मींगणी भी ले रहे हैं लोग। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरी मांग है कि डी.आई.जी. स्तर के अधिकारी से इस मींगणी काण्ड की जांच होनी चाहिए।

श्री सभापति : बिराजिये आप। ललित भाटीजी।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मदन दिलावर : न्यायिक जांच कराएं, आखिर में मींगणी काण्ड होता रहा और हम देखते रहे। (व्यवधान)

श्री सभापति : फिर आपका समय कटेगा। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री सभापति : आपका यहां पर अंकित नहीं हो रहा है, अब आप बैठ जाएं। अब आप सहयोग कीजिये। आपका सहयोग मिलना चाहिए आसन को। ललित भाटीजी, जारी कीजिये।

श्री ललित भाटी : सभापति महोदय, आज सदन में पुलिस की चर्चा...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : XXX

श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : सभापति महोदय, सदन में पुलिस विभाग की मांग पर जो चर्चा की जा रही है, उसमें हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्य में पुलिस की जो स्थिति उत्तरोत्तर बेहतर हुई, कानून-व्यवस्था यहां पर सुधरी है, उसके बारे में बहुत कुछ कहा है। उसी में मेरी बात को शामिल करते हुए मैं माननीय गृह मंत्रीजी से आपके मार्फत यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि परिवेश बदला है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हर तरीके से हालात में जमीन और आसमान का अन्तर आ चुका है। पचास साल पहले, या लोकतंत्र की स्थापना होने के साथ ही कहें, जिस तरीके से अपराध और अपराधी की प्रवृत्ति थी, अब वह बिलकुल बदल गयी है। तकनीकी तरक्की इतनी ज्यादा हो चुकी है, संचार साधनों का इतना विकास हो चुका है, यह तो सुमेधा अपहरण काण्ड के अन्दर सारा स्पष्ट हो गया।

जिस तरीके से फिल्मों का दुष्प्रभाव समाज के ऊपर पड़ रहा है, उसमें जिस तरीके के नये-नये तौर-तरीके बताये जाते हैं, उन सब चीजों को देखते हुए अपराधों में वृद्धि भी हुई है और अपराध करने के तरीके परम्परागत तरीकों से बदल गये हैं। आज अपराधियों के पास पुलिस से ज्यादा आधुनिक हथियार हैं, पुलिस से ज्यादा तेज भागने वाले वाहन हैं। उनके पास दिमाग तो है ही, एस.एम.एस. का भी इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब तो जिस तरीके से पूरे अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य में साइबर क्राइम उभर कर आ रहा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास कोई उपयुक्त कानून नहीं है। समाज के अन्दर इस तरीके के अपराधों में वृद्धि ज्यादा हो रही है, ऐसे में मैं यह मानता हूं कि अभी से राजस्थान के अन्दर इन बातों को भांप लेते हुए हम इसके अन्दर भी विभाग को आगे करें। एकदम जब बाढ़ आ जावे उसी समय पाल बांधने की सोचे तो वह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। यह तो

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ललित भाटी)

हमें ज्ञात हो ही चुका है, इस तरह के अपराधों का पता तो चल ही गया है, मगर जो प्रगति प्रतिवेदन दिया गया है उसमें इन बातों का कोई खुलासा नहीं किया गया है। जिस तरीके से नये-नये तरीके अपनाकर अपराध हो रहे हैं या नये नये अपराधों के तरीके सामने आ रहे हैं, उनसे निपटने के लिए हमारा विभाग और हमारी सरकार क्या करने जा रही है, इस दिशा में हमें सोचना चाहिए। इसके लिये आवश्यकता है कि हम अपने विभाग को वैल इक्विप करें। जो आज संचार क्रांति आयी हुई है, जो संचार साधन हैं उन साधनों से हमारे एक-एक थाने ही नहीं, चौकी भी हो वह भी उस सिस्टम से वैल इक्विट होनी चाहिए। तब कहीं जाकर अपराध जिस गति से हो रहे हैं, हम इंवेस्टिगेशन भी उसी गति के साथ कर पाएंगे। नहीं तो दस्ती लेकर चलेंगे। एक जमाना था जब सारी सूचनाएं दस्ती चला करती थीं। अब तो फैक्स आ गये हैं, सारी चीजें आ गयी हैं। मगर वह फैक्स हम सिर्फ अपने हैडक्वार्टर और एस.पी. आफिस के लिए ही इस्तेमाल करें, कि हमें डाटा कलेक्शन के लिए और इंफार्मेशन कलेक्शन के लिए फैक्स मशीनों का इस्तेमाल करना है तो मैं सोचता हूं कि जो सुविधा है उस सुविधा का भरपूर उपयोग नहीं करने की यह नासमझदारी है। हम अपने विभाग को आज के संचार साधनों से बिलकुल लैस करें। जिस तरीके से अभी दौसा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, जीप अपनी खुद की हैड लाइट से तो चल नहीं सकती, मोमबत्ती और टार्च लगाकर उसको चलाना पड़ता है। स्टार्ट नहीं होती है, उसको धक्का लगाकर स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसी कमियां अगर पुलिस विभाग के वाहनों में होंगी तो निश्चित तौर पर सुमेधा को लेकर फरीदाबाद तलक पहुंच जाएंगे और हमें पता ही नहीं पड़ेगा। दिल्ली पुलिस जितनी वैल इक्विप्ड है-ठीक है वह देश की भी राजधानी है, सारी चीजें हैं, जिन इक्विपमेंट्स की बात मैं कर रहा हूं, चाहे सदन के अन्दर स्वीकार करें या नहीं करें, मगर यह नग्न सत्य है कि दिल्ली पुलिस इतनी ज्यादा वैल इक्विप्ड है कि उसी की वजह से आप सुमेधा अपहरण काण्ड को खोलने में सफल हो सके। नहीं तो जिस चींटी की चाल से अपन चल रहे थे, पता लगता कि हमारे पास कोई और समाचार आता, आप ढूंढ़ नहीं पाते। जो कमियां हमें आज नजर आ रही हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए दिशा में भी हम अगर प्रयास करेंगे तो आज राजस्थान के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की जितनी नाकाम और नापाक कोशिशें हो रही हैं कि यहां पर माहौल को बिगाड़ें, उन सब चीजों से निपटने के अन्दर अगर आप सुसज्जित हैं तो आप और बेहतर तरीकों से काम कर सकेंगे और राजस्थान के अन्दर और ज्यादा शांति कायम करने

(श्री ललित भाटी)

की दिशा के अन्दर यह विभाग सफलता हासिल कर सकेगा। क्योंकि आज जिस तरीके से राजस्थान में साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे यहां साम्प्रदायिक सद्भाव अभी भी बना हुआ है, उसके लिए तो, गृह मंत्रीजी, मैं आपको, विभाग को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को, तीनों को बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने कोशिश तो बहुत की है। अभी हमारे अजमेर के अन्दर पालरा के अन्दर भी बहुत कोशिश की गई। वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना करके साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने की भरपूर कोशिश हुई है। अजमेर की पुलिस को मैं इस बात के लिए तो बधाई देना चाहूंगा कि काफी दिनों तलक यह मामला चला, मगर कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी गयी और सारा काम शांति के साथ में, उन्होंने उनको भी अपनी कार्यवाही करने दी और प्रशासन ने भी अपनी कार्यवाही की। यह तो मैं सोचता हूं कि दोनों तरफ से, जो लोग आंदोलनकारी थे उन्होंने भी इस बात को समझा। शिव सेना कमाण्डो फोर्स अलग से बन गई, वी.एच.पी. के लोग वहां पर चले गये, बजरंग दल के लोग वहां पर चले गए और उन्होंने गांव वालों को प्रोवोक करने की कोशिश की कि वहां किसी भी तरह से टेंशन फैल जाए। यह तो गांव वालों की अपनी समझदारी थी कि वे उनके बहकावे में इस रूप में नहीं आये। मगर धार्मिक भावनाओं को आसानी के साथ में उकेरा और उभारा जा सकता है। उसकी कोशिश उन्होंने पूरी तरीके से वहां पर की, मगर पुलिस प्रशासन की सजगता थी जिसकी वजह से यह हुआ। तो मैं जो मूल बात कह रहा हूं, हम इस अपने विभाग को सुसज्जित करें इस परिप्रेक्ष्य में कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में गुजरात को रिपीट करने की कोशिश की है।

गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, यह जो प्रतिवेदन आपने दिया है, इसके अन्दर पृष्ठ तीन पर आपने संगठन की स्थिति दर्शायी है। इस संगठन की स्थिति पर आप दृष्टिपात करें तो आप देखेंगे कि आपके आई.पी.एस. के 25 पद खाली हैं, एडीशनल एस.पी. के 10 पद खाली हैं, डीवाई.एस.पी. के 92 पद खाली हैं। निरीक्षक 59, उप निरीक्षक 756, सहायक उप निरीक्षक 807, मुख्य आरक्षक 723, आरक्षक 5550 और बाकी बहुत सारे हैं। थाने हमने स्थापित किये हैं कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, आम-जन को संरक्षण प्रदान करने के लिए, लेकिन इतनी सारी कमियां होंगी, इतने सारे लोग, सी.आई. लेवल के, ए.एस.आई. लेवल और एस.आई. लेवल के थानों के ऊपर नहीं है तो हम किस तरीके से लोगों के अन्दर भरोसा दिखा सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं कि बेहतर कानून-व्यवस्था

(श्री ललित भाटी)

लागू करने के लिए प्रशासन संवेदनशीलता बरतेगा। वहां पर आपके अफसर नहीं, जो काम्पीटेंट अफसर होना चाहिए, वही थानों के ऊपर नियुक्ति नहीं किया हुआ है। यह किन वजहों से हुआ है, उन वजहों को दूर करने की दिशा में आप कोई कारगर कदम उठाएंगे। एक परिपाटी चली आ रही है, सारी रिक्तियां होती चली जा रही हैं उनको एक साल के अन्दर नहीं करके पांच-पांच साल तलक, बिलकुल कुमुलेटिव रूप के अन्दर जमा करते रहते हैं, जैसे अपन कोई धनराशि बैंक के अन्दर जमा कर रहे हों कि ब्याज के साथ में उसका बहुत अच्छा फल अपने को मिलेगा। मैं सोचता हूं कि इन पदों की वेकेंसी के मामले में, गृह मंत्री महोदय, पद जितने हैं उतने ही मिलेंगे, न तो आपके रखने से एक कम होने वाला है और न ब्याज के अन्दर एक बढ़ने वाला है। इन पदों को अपन पांच-पांच साल तलक बढ़ाकर रखते हैं उसका सफोकेशन उनके प्रमोशन पर भी जाता है। जो बंशीवालजी कह रहे थे, उस बात का रेफरेंस मैं दूसरे रूप में लेकर आऊंगा। अगर बड़ी कुशलता के साथ में इन चार सालों के अन्दर पुलिस के अपराधों के ऊपर कमी लाने की दिशा में काम किया है, तो इन लोगों को अपने वेतन भत्तों और अपने प्रमोशन को लेकर एजीटेट भी होना पड़ेगा, उनको भी ज्ञापन देना पड़ेगा। इसमें कहीं न कहीं सरकार की कार्य प्रणाली दोषपूर्ण है और यह उजागर होती है। हम जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि ये हमारे यहां पर आम जनता की सुरक्षा प्रदान करें, अपनी 24 घंटे नौकरी भी दें, अपने यहां पर कानून-व्यवस्था बनाकर रखें, साम्प्रदायिक सद्भाव बनाकर रखें और फिर इनका ही सद्भाव बिगड़ जाए कि इनको प्रमोशन टाइम से नहीं मिले, इसलिए जिस तरीके से आप आई.ए.एस., आई.पी.एस. ही हर साल डी.पी.सी. करते हैं, उस तरीके से इनकी भी डी.पी.सी. की जानी चाहिए, ऐसा मेरा सब्मिशन है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाकर आपने-हमने अपेक्षा की थी कि हम इस वर्ग पर हो रहे अत्याचारों पर काबू पाएंगे। जो लोग इस तरह के अत्याचार करने वाले हैं, उनको सख्त सजा देंगे। इसका रिजल्ट सही मायने में आ क्या रहा है? हम आंकड़े भले ही दे दें कि सिर्फ 251, करीबन ढाई सौ के रूप में प्रकरण इस साल दर्ज हुए हैं, मगर क्या यह नहीं है कि लोग अब आकर मुकदमा दर्ज कराना नहीं चाहते? क्या इस विभाग ने, सरकार ने ऐसा उदाहरण पेश किया है, इस एक्ट का सैक्शन 4 आई.ओ. के गलत इंवेस्टीगेशन करने पर लागू होता है, राजस्थान के अन्दर इन सालों के अन्दर, मैं अगर इसकी तालिका उठाकर देखूं,

(श्री ललित भाटी)

1100-1200 से शुरू हो रहे हैं और अब जाकर 251 के ऊपर हुए हैं, इन सालों के अन्दर जितने भी इंवेस्टीगेशन इन मुकदमों में हुए, क्या सारे इंवेस्टीगेशन सही हुए है? इस एक्ट के सैक्शन में प्रोविजन किया हुआ है, जिस सैक्शन को मैं कोट कर रहा हूं, कि अगर आई.ओ. कोई गलत इंवेस्टीगेशन करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। क्या हमने राजस्थान के अन्दर एक भी आफिसर को, या तो यह है कि हमारे सारे ही लोग अच्छे हैं, और कोर्ट में फिर कितने लोगों को सजा हुई? अगर इंवेस्टीगेशन सही तरीके से हो गया तो फिर सजा उन लोगों को प्राप्त क्यों नहीं हुई? आप यह कहना चाहेंगे कि लोग कोर्ट के अन्दर जाकर राजीनामा कर लेवें, तो व्यवस्था को आप भी समझते हैं, मंत्री महोदय, और व्यवस्था को मैं भी समझता हूं, इस बात से हम इस एक्ट की मूल भावना से बचकर नहीं जा सकते। एक्ट बनाते वक्त आपने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से, चाहे इंवेस्टीगेशन आफिसर हो और कोई अन्य कारण हो, उनको न्याय मिलेगा। मगर न्याय मिल किस रूप में रहा है? मैं यह मानकर चलता हूं कि आज इस वर्ग के लोग भी इस बात से बिदकने लगे हैं। हालांकि एक्ट के अन्दर इस बात का कहीं कोई प्रोविजन नहीं है कि एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी तो एफ.आई.आर. दर्ज कराने में एक जनरल कास्ट का, हालांकि मैं इस शब्द का इस्तेमाल करने से बचने की कोशिश करता हूं, आज देश के अन्दर जब संविधान लागू हो गया तो दो ही तरीके की कास्ट रह गई हैं, या तो अनुसूचित जाति रह गई है या फिर गैर अनुसूचित जाति रह गई हैं। जो लिस्ट में नहीं है वह लिस्ट के बाहर है, कोई सवर्ण नहीं है, कोई अवर्ण नहीं है। मगर फिर भी इस तरीके की शब्दावली का सदन के अन्दर भी प्रयोग होता है जिससे मुझे निश्चित तौर पर क्षोभ होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी कि एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए, आपके घर में किसी की पिटाई हो रही हो मंत्री महोदय, उस समय चश्मदीद गवाह घर के सदस्यों के अलावा और कौन हो सकता है?

(18.00 बजे)

अगर उस समय कोई नहीं, आप अकेले हो और आप ही पिट रहे हो फिर किसको लेकर जाएं? अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति को एफ.आई.आर. दर्ज करानी है तो उसे आम जाति के व्यक्ति को जिसे मैं कह रहा हूं कि जो अनुसूचित जाति का नहीं हो, उसको लाने की एक बाध्यता है। यह तो ला आफ नैचुरल जस्टिस के खिलाफ काम आप कर रहे हो। हालांकि यह एस.सी., एस.टी. एक्ट के अन्दर नहीं है, ला आफ

(श्री ललित भाटी)

नैचुरल जस्टिस के अन्दर यह बात नहीं आती। फिर किस तरीके से राजस्थान के विभिन्न थानों के अन्दर यह प्रक्रिया लागू की जा रही है कि अगर आप एफ.आई.आर. इस एक्ट के अन्तर्गत दर्ज कराएंगे तो आपको तथाकथित सवर्ण जाति के एक चश्मदीद गवाह को लेकर आना होगा? ऐसी परिस्थितियों में आपके मुकदमे आज 251 हैं, अगली बार 151 ही दर्ज होंगे। कौन आदमी आएगा? जो उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है उसी वर्ग के आदमी की आप गवाही की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से यह निवेदन कर रहा हूं, मंत्री महोदय, कि इस तरीके से जो कुछ भी हो रहा है, यह राठौड़ी कार्यवाही है हालांकि एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप इसको कहां से कोट कर रहे हैं? यह कहां से ले आये आप?

श्री ललित भाटी : यह व्यावहारिक बात है, मंत्री महोदय।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कोई ऐसी शिकायत अब तक तो इन्होंने नहीं की, कि साहब, ऐसा है।

श्री ललित भाटी : कौन करे?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कानून में प्रोविजन नहीं है। कानून के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो आज दिन तक ऐसी कोई बात नोटिस में नहीं आयी हमारे। (व्यवधान).

श्री कनकमल कटारा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी बात से सहमति रखता हूं।

श्री ललित भाटी : मंत्री महोदय, मैं वो बात कह रहा हूं जो सच्चाई है। मैं खुद भी कह रहा हूं, एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय विधायक महोदय, अगर सच्चाई है तो कम से कम आपका दायित्व भी बनता है, एक जन-प्रतिनिधि के नाते इस तरफ इंगित किया जाना चाहिए।

श्री ललित भाटी : मेरे पास यह जानकारी आयी और मैंने दी। मेरे अजमेर में तो मैं नहीं होने दे रहा, पूरे राजस्थान की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि राजस्थान के अन्य भागों में कुछ हो रहा है तो वह बात मैं यहां कहूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप जिस ओर इंगित कर रहे हो वह कहां हो रहा है, कम से कम यह तो बता दो ताकि मेरी जानकारी में तो आ जाए?

श्री ललित भाटी : मैं यह कह रहा हूं, आपके पास में पूरा तंत्र है...

श्री कनकमल कटारा : सभापतिजी, मैं बताना चाहता हूं, आप कह रहे हैं

(श्री कनकमल कटारा)

सही बात है, आज डुंगरपुर, बांसवाड़ा के अन्दर धारा 3 का अगर मुकदमा दर्ज कराना हो...

श्री ललित भाटी : अब बोलो आप।

श्री सभापति : माननीय कनक मलजी।

श्री कनकमल कटारा : निश्चित रूप से एक सवर्ण व्यक्ति को साथ लेकर जाएंगे तो ही मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते हैं। यह सही बात है।

श्री ललित भाटी : सभापति महोदय, मैं कहूं तो वर्डन आफ प्रूफ मेरे पर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सागवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे एकाध उदाहरण तो दे दे कि किस पुलिस थाने पर इस तरह की बात उनसे कही गई और कोई मुकदमा दर्ज करने से मना किया गया।

श्री कनकमल कटारा : सागवाड़ा के अन्दर मैं बता रहा हूं। आज मैं लाया नहीं हूं, नहीं तो आपको बताता, यह सही बात है। ऐसे कई केसेज हैं जिनमें एट्रोसिटी...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : 251 एफ.आई.आर. हुई हैं वे इसी कारण से कम हुई हैं।

श्री कन्हैया लाल : जब तक सवर्ण कास्ट का व्यक्ति नहीं आएगा तब तक वे एट्रोसिटी का मुकदमा नहीं लेंगे। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : सवर्ण व्यक्ति को साथ लेंगे तो मुकदमा दर्ज होगा, नहीं तो नहीं होगा। यह सही बात कह रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय अमरारामजी। आपका नम्बर आएगा तब आप बोलिए। भाटी साहब, आप कनक्लूड कीजिए।

श्री ललित भाटी : सभापति महोदय, ये दूसरी बातें जो आ गई, यह एक तरीके से मुझे सपोर्ट ही किया जा रहा है। मेरा उद्देश्य सदन के माध्यम से मंत्रीजी के नोटिस में लाने का है कि इस तरीके से बेजा कार्यवाहियां हो रही हैं व्यवहार के अन्दर, जो कि अव्यावहारिक हैं, उसको आप अपने आदेशों से समाप्त कराएं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप स्वीकार कर चुके कि अजमेर में तो ऐसा हो नहीं रहा है।

श्री ललित भाटी : मैंने कहा, मैंने तो नहीं होने दिया। यह तो मेरी बात है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आगे कहां हो रहा है, आप बता दो? मैं मदद करूंगा आपकी।

श्री ललित भाटी : मंत्री महोदय, यह तो ललित भाटी की ताकत है कि अजमेर में नहीं होने दिया। मगर दूसरी जगह,

(श्री ललित भाटी)

डूंगरपुर की तो हाथोंहाथ एक विधायक कह रहे हैं। यह एक फालतू की प्याज वाली बहस हो जाएगी, मगर सच्चाई यह है कि इस तरह का प्रोविजन जबरदस्ती लादा जा रहा है। उसको रोकने की आप कोशिश करें और आप इस तरीके के निर्देश दें कि चाहे हम कोई सबूत के साथ में बात पेश करें या न करें मगर इस तरह की बेजा शर्त न लगायी जाए कि एफ.आई.आर. अगर एस.सी., एस.टी. एक्ट के अन्दर दर्ज करानी है तो आपको उस तथाकथित सवर्ण आदमी को गवाह के रूप में पेश करना पड़ेगा। आप यह आदेश मात्र देने की बात क्यों नहीं करते, मैं निवेदन करना चाहता हूं? (व्यवधान) उप मुख्य मंत्रीजी...

श्री सभापति : आप, ललितजी, अपनी बात कहिए।

श्री ललित भाटी : मैं मेरी बात करूंगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात यह भी कहना चाहता हूं, जिस तरीके से इस वर्ग के ऊपर अत्याचारों को रोकने के लिए मैंने कहा कि सरकार बहुत प्रयासरत है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने एक सैल अलग से इसके लिए खोला है, सैल खोलकर डी.एस.पी. की पोस्टिंग की है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूं, कुछ जगहों पर आपने एक के अलावा दो-दो पोस्टिंग डी.एस.पीज. की, की हुई हैं, लेकिन शायद इनका वर्क डिफाइन नहीं किया हुआ है। थाने तो बहुत सारे होते हैं, अगर एक ही डी.एस.पी. पूरे जिले में इस तरीके की एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद में अगर उनको जाकर, या तो उसमें कोई आप नेचर की बात करें कि किस सीरियस नेचर का है, किस तरीके का है, उसमें कोई इस तरीके की प्रक्रिया करिए कि वो एक डी.एस.पी. जो आपने लगाया है वह उन गम्भीर मामलों के अन्दर उसकी तफतीश करे और ढंग से चालान पेश करे ताकि किसी न किसी को सजा दिलाने की स्थिति में आए। उन डी.एस.पीज. के ऊपर, मैं आपको यह भी एक सब्मिशन देना चाहता हूं, इट इज माई हम्बल सब्मिशन कि आप रीजनल लेवल पर एक सुपरवाइजरी पोस्टिंग इसके लिए करें, इसके लिए एक पोस्ट क्रिएट करें। आपने जिला लेवल पर तो कर दिया, मगर अब एक-सम्भाग बनाकर या अगर सम्भाग से ज्यादा उसका एरिया करना चाहते हैं तो आप कर दें, मगर एक बड़ा अफसर उस पर रखें। वह सुपरवाइज करे कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन मुकदमों के ऊपर क्या कार्यवाही की जा रही है या क्या कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। उससे भी इन मुकदमों के अन्दर गतिशीलता आएगी और कुछ अंकुश लगेगा और वास्तव में जो भी सजा उनको कानूनन मिलनी है वो सजा हम देकर एक उदाहरण समाज के सामने पेश कर सकेंगे।

(श्री ललित भाटी)

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, और मैं सोचता हूं कि अधिकांश माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्दर लैण्डलैस फार्मर्स को, एस.सी., एस.टी. के लोगों को हमने जमीनों का आबंटन किया। मुझे पता है कि जालौर, पाली और मारवाड़ उधर की जमीनों में सीलिंग एक्ट की वजह से कई लोगों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के, बेनामी लोगों को कह देता हूं मैं, अपनी जमीनों का रेवेन्यू रेकार्ड के अन्दर इन्द्राज कराया। लेकिन मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जिनको सरकार जमीन का आबंटन कर रही है उन लोगों को उसका कब्जा नहीं मिला, यह शिकायत जगह-जगह से आती है। मैं बहुत शार्ट कट में मेरी बात को कहना चाहता हूं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बिन्दू हैं। आज कहीं जुआ हो रहा हो, कहीं दूसरा अपराध हो रहा हो तो सुओ मोटो पुलिस वहां जाती है और एक्शन लेती है। मगर आज राजस्थान के अन्दर, गृह मंत्रीजी, मैं इसलिए आपका ध्यान इस विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज हम जिन एस.सी., एस.टी. की ताकत के बल पर सत्ता के इस गलियारे के अन्दर बैठे हुए हैं, उन लोगों की जमीनों का कब्जा दिलाने के लिए एस.सी., एस.टी. एक्ट की जो धारा बनी हुई है वह धारा है सैक्शन 3(1)(4)। शिड्यूल्ड कास्ट और एस.टी. के व्यक्ति की जमीन के ऊपर अगर कोई कब्जा कर ले तो इस धारा के अन्तर्गत उसके ऊपर कार्यवाही होती है। क्या राजस्थान के अन्दर पुलिस ने सुओ मोटो इसके ऊपर एक्शन लिया? कितने काश्तकारों को वापस उनकी जमीन का कब्जा दिलाया गया? इस तरीके का कोई उदाहरण मुझे बताएंगे? एक्ट हमने बनाया है तो कानून की पालना में कोई शिकायत करने के लिए आये? कोई जुआ हो रहा है तो शिकायत करने आता है क्या? हत्या हो जाती है तो उसकी कोई शिकायत करने के लिए आता है? कहीं बलवा हो जाता है तो कोई शिकायत करने के लिए आता है? आपके 50 फीसदी मुकदमे इस तरह के हैं, अपराधियों की संख्या इस तरह की है जहां पर पुलिस खुद पहुंचती है उसको जानकारी मिलने के साथ ही। ये जानकारियां इस सदन के अन्दर पचासों बार उठी हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति के आदमियों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, पर इस एक्ट के तहत पुलिस ने कहीं एक मुकदमा अपनी मर्जी से दर्ज किया क्या? नहीं किया तो अब करवाएं। करवाकर अगर आपने इस पर कार्यवाही कर दी और नियत समय में उनको कब्जा जमीनों का दिलवा दिया, तो मैं कहता हूं, फिर 156 की जगह 165 की संख्या के अन्दर लौटकर इस सदन के अन्दर आप आओगे। मुझे इस बात का विश्वास

(श्री ललित भाटी)

है कि राजस्थान सरकार जो इस वर्ग के प्रति संवेदनशील है, उन संवेदनशीलता का और संवेदनशील होते हुए परिचय देगी। जिस धारा का मैंने जिक्र किया है इसके अन्दर आप मुकदमा दर्ज करवाएंगे।

सभापति महोदय, मेरे कुछ कट मोशंस भी हैं और कुछ डिपार्टमेंट के लोगों की बात भी है, वो भी मैं करना चाहता हूं जो इस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाएगी।

श्री सभापति : कट मोशन तो आपके पेश हो गये, अब आप कुछ सुझाव देने की बात करें।

श्री ललित भाटी : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अजमेर में...

डा. सी. पी. जोशी : डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाने की बात करो।

श्री ललित भाटी : डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी भी उसके अन्दर बढ़ती है, मैं वो सुझाव देना चाह रहा हूं।

सभापति महोदय, जनवरी के महीने में आपने पढ़ा होगा कि 24 करोड़ रुपये की ब्राउन शुगर अजमेर से चली और सूरत की पुलिस ने उसको पकड़ा। जितने भी लोग पकड़े गये वो सारे के सारे अजमेर के लोग थे। छह जने पकड़े गये, उन छह में से तीन जने तो वो थे जो फोटो ब्लैकमेल काण्ड के आरोपी थे। उसमें एक बिलकुल फरार मुलजिम नफीस नाम का था, एक फ़ारूख चिश्ती जो बेल आउट हो रखा था जो प्रक्रिया है, जो लूपपोल्स होते हैं उसका लाभ लेकर कि मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त हूं। वह बाहर निकलकर आया उसका लाभ लेते हुए और वहीं से आपरेट किया। अजमेर स्मैक का और दूसरे मादक द्रव्यों का एक सेंटर बनता जा रहा है, ट्रेफिकिंग सेंटर बन रहा है, वहां ट्रेफिकिंग हो रही है। दरगाह जैसे क्षेत्र में ये सारी की सारी कार्यवाहियां की जा रही हैं। अंजुमन समिति जो बनी हुई है, सभापति महोदय, अंजुमन समिति ने महीनों पहले यह बात पुलिस डिपार्टमेंट को बताई। वे यह बात खुलेआम कह रहे हैं कि यहां जो कुछ भी हो रहा है वह पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है, पुलिस की कमजोरी से हो रहा है। हमारा सी.आई.डी. डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? पिछले साल मुझे याद है, सभापति महोदय, मैंने दो आतंकवादियों को पकड़ने का मसला भी डिमांड के ऊपर उठाया था। वे पुलिस ने अपनी कोई होशियारी से नहीं पकड़े थे, वे होटल में गलत रूप से आ गये, उनको लगा सामने पुलिस थाना कोतवाली है तो वे घबरा गये। उस घबराहट में संदिग्ध होने पर उनको पकड़ा गया। आये थे दरगाह को बम विस्फोट करके उड़ाने के लिए। इसी तरीके से यहां पर दाऊद भी आकर गया है दो बार।

(श्री ललित भाटी)

उसको जियारत कराने की बात फारूख चिश्ती ने की है जिसको इस स्मैक स्मगलिंग में पकड़ा गया। नफीस जो फरार है यहां पर रहा, सालों से रहा, सब ने तफतीश में इस बात को माना। मानने की बात तो यह भी है कि वह 8 साल से फरार है और उसकी बीवी के अभी बच्चा हुआ है। सभापति महोदय, कोई चिट्ठी भेजने से ही अगर ये काम हो रहे हैं तब तो बात समझ में आ रही है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अभी आप कह रहे थे, विज्ञान का जमाना है।

श्री ललित भाटी : हां, मगर इतनी तरक्की कर ली है तो मेरा ज्ञानवर्द्धन गृह मंत्रीजी कर देंगे कि टेलीग्राम से, इंटरनेट से, ई-मेल से या इस तरीके से कंसीव हो गया होगा और नफीस आया नहीं। अपराधी आ जाएं वहां पर बाकायदा, और उसमें यह बताया जा रहा है, सभापति महोदय, गुजरात की पुलिस को मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने तो तुरत-फुरत कार्यवाही की। यह पता लग रहा है, ये नौजवान लड़के हैं, ये कोई बुजुर्ग आदमी नहीं है कि ये बहुत उम्र दराज लोग हो गये। कोई रचे-बसे लोग हों कि बिलकुल महारत हासिल जिन्होंने इसमें कर रखी हो। मगर ये कम उम्र के लड़के अपराध जगत में बड़े बड़े अन्तरराष्ट्रीय सरगनाओं से अपने सम्बन्ध स्थापित कर चुके। इनके सम्बन्ध माने जा रहे हैं अल कायदा से, इनके सम्बन्ध माने जा रहे हैं लिट्टे से। इस तरीके के लोगों के साथ में सम्बन्ध से हमारी उस दरगाह जैसी महत्वपूर्ण जगह के ऊपर, जहां पूरी दुनिया के लोग आते हैं वहां पर इस तरीके से आपरेट हो। जैसा मैंने अर्ज किया आपको, पिछली बार दो जने इसी बात की योजना बनाने के लिए आये थे कि जब उर्स चल रहो हो या मोहर्रम हो रहा हो तब दरगाह में हम बम ब्लास्ट करके यहां का माहौल बिगाड़ने की बात करें। इस तरीके की बातें हो रही हैं। सालों से वहां पर आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई : बी.जे.पी. के आदमी थे क्या यहां पर? (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : आपके लोगों को तो आप ही ज्यादा जानो।

श्री रमजान खान : आतंकवादियों की कोई जात या पार्टी होती है क्या? आप यों ही फालतू में कर रहे हो। यह तो आतंकवादी की बात कर रहे हैं। आ बैल मुझे मार वाली बात कर रहे हो।

श्री ललित भाटी : मंत्री महोदय, मैं फारूख चिश्ती की बात कर रहा हूं कि यह बेल आउट है। सी.आई.डी. पूरे एरिया में खूब काम करती है, जिन लोगों ने सालों से वहां पर अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात की है, ड्यूटी परफार्म करने की

(श्री ललित भाटी)

बात की है, उनके खिलाफ आपने कोई एक्शन नहीं लिया। दो बार पाकिस्तान जाकर आया है वह तस्करी के लिए। अजमेर से आदमी जा रहा है, वहां कोई आता है, एक होटल में ठहरता है, कोई विदेशी भी आवे तो उसकी जांच डिपार्टमेंट करता है, उसकी सूचना वहां पर पहुंचती है। मगर जो आदमी पहले से ही अपराधी है, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है और वह सिर्फ बेल आउट हुआ है अपने आपको मानसिक विक्षिप्त बताकर, क्योंकि यही एक गली थी, इसके अलावा और कोई गली ही नहीं थी, हाई कोर्ट तक उसको इसमें बेल नहीं मिली तो अपराधी उस गली के रास्ते फिर अपराध जगह के अन्दर जुड़ गया। लेकिन हमारा सी.आई.डी. डिपार्टमेंट किस तरीके की कार्य क्षमता का परिचय दे रहा है, किस तरके की कार्य दक्षता का परिचय दे रहा है? मैं तो, सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि अजमेर के अन्दर स्मैक को लेकर, चरस को लेकर, गांजे को लेकर या और दूसरे अपराधों को लेकर दाऊद आवे और दाऊद कोई सामान्य रूप से आकर नहीं गया, एक बार तो आया चुपचाप में और दूसरी बार में आया अपने कमांडोज के साथ में, कमांडोज के साथ में कोई आदमी आए, चार चार सूमो में उसके कमांडोज आएं विद वैपन्स, जियारत करके वह आदमी चला जाए और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट देखता रह जाए। फिर किस तरीके से तो हम दरगाह की सुरक्षा करेंगे और किस तरीके से हम वहां की जनता की सुरक्षा करेंगे? प्रशासन ने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, अखबारों ने खूब छापा इन बातों को ये बातें अगर गलत थीं तो फिर प्रशासन को इन बातों का खण्डन करवाना चाहिए था कि इस तरीके की कोई बात नहीं हुई। प्रशासन ने बल्कि चुप्पी इसके ऊपर साध कर रखी। तो जनता के अन्दर इस बात का एक भय व्याप्त होता है। कि इस तरीके से अन्तरराष्ट्रीय सरगना आकर चला जाए, यहां पर हेरोइन और स्मैक की खुलेआम तस्करी कर ले तो दूसरे लोग भी उनकी ओर प्रवृत्त होते हैं। इस तरह समाज में हम सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक काम कर रहे हैं।

मैं, सभापति महोदय, एक बात यह भी बताना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय भाटी साहब, 40 मिनट हो गये आपको।

श्री ललित भाटी : मैं सिर्फ पांच मिनट में मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : नहीं, एक मिनट।

श्री ललित भाटी : मुझे पांच मिनट का समय दे दें।

श्री सभापति : सिर्फ, एक मिनट।

श्री ललित भाटी : जिस तरीके से वर्षों से अजमेर के थानों के अन्दर लोग

(श्री ललित भाटी)

डटे हुए हैं, उसकी वजह से ही लोगों के सबके रसूखात बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक नीति बनानी चाहिए और नीति बनाकर आपको थानों से इनको बदर करना चाहिए। ये गुंडों को जिला बदर करते हैं, मैं कहता हूं, मंत्री महोदय, आप थानेदारों को भी थाना बदर करने की कोई नीति बनाओ। एक ही जगह के ऊपर, जैसे अभी फागी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि 20-20 साल से लोग यहां पर डटे हुए हैं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। एक बार हमने अखबार में पढ़ा तो था कि आप कोई नीति बनाने का काम कर रहे हैं, मगर वह नीति कहां गई, मेरी समझ में नहीं आया। थानों में व्यवहार ढंग से नहीं होता। एक तो मैं आपको नामजद बतलाता हूं जिसकी शिकायत मैंने विजिलेंस कमेटी की बैठक के दौरान भी की थी। एक व्यक्ति अपना कोई दुःख लेकर आया, उसका मैंने थाना सिविल लाइन में भेजा, सी.आई. ने ढंग से तो बात की मगर मेरे से की। वह व्यक्ति जब गया वहां, मंत्री महोदय, जाते के साथ ही उसने उसके पेट में लात मारी और कहा कि साले इन नेताओं से फोन करवाता है। आपने इस प्रतिवेदन में लिखा, जवाहर लालजी, ने भी कहा, कि भाई, हमारा व्यवहार भी इनके साथ में अच्छा होना चाहिए, इनका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। इस तरीके का व्यवहार एस.पी. साहब को मैंने कहा, कोई कार्यवाही नहीं। अब मैं आपको कह रहा हूं। इस तरीके से अगर इनका व्यवहार होगा तो मानवाधिकार का इससे बड़ा हनन और क्या होगा? अगर अपराधी भी है तो उस अपराधी के पेट में लात मारने का हक तो अब छीन लिया है। तो इस दिशा में भी ये अपने व्यवहार को सुधारे।

हमारे यहां आये दिन शहर के अन्दर दिन में ताले टूट रहे हैं, दिन में हत्याएं होती हैं, नकबजनी होती हैं। वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, इन वारदातों के ऊपर रोक लगाने की दिशा में काम होना चाहिए। रामगंज थाना क्षेत्र, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा जरायम पेशा है, कौन-सा ऐसा अपराध है जो उस इलाके के अन्दर नहीं होता है? कच्ची शराब वहां बनती है, जिस्मफरोशी वहां होती है, जुआ वहां होता है।

श्री कय्यूम खान : भाटी साहब, आपके यहां भी तो चोरी हुई थी।

श्री ललित भाटी : मैं वही कह रहा हूं।

श्री कय्यूम खान : उसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ।

श्री ललित भाटी : उसका ही जिक्र कर रहा हूं मैं। वही नहीं हुआ, मेरे अजमेर में तो ताले टूटे ही...

श्री कय्यूम खान : चौधरी साहब के भी चोरी हो गई।

श्री सभापति : भाटीजी, साहब आप कृपया बिराजें।

श्री ललित भाटी : मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

श्री सभापति : कृपया बिराजें आप। माननीय श्री अमरारामजी।

श्री ललित भाटी : मंत्री महोदय, मेरे एम.एल.ए. फ्लेट जयपुर के भी ताले टूटे। अजमेर में तो मेरे ताले तोड़े ही गये, आफिशियल फ्लैट जो आपका दिया हुआ है, यहां पर भी ताले टूटे और उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं। वहां से तो चलो कुछ गया नहीं, मगर जयपुर से तो मेरे को करीबन 3-4 लाख रुपये की चपत लगी। अगर मैं आर्थिक रूप से सक्षम हूं तो इसका अर्थ यह थोड़े ही है कि फिर बाद में कोई दूसरा आवे? कि तीन लाख की रिकवरी पुलिस डिपार्टमेंट सोचकर नहीं करें कि भाटी साहब तो बरदाश्त कर लेंगे?

श्री सभापति : माननीय श्री अमरारामजी।

श्री ललित भाटी : यह कार्यवाही करने का तरीका नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय को सिर्फ एक बात कहता हुआ मेरी बात को समाप्त करता हूं। मैं आपसे विशेष छूट चाहता हूं, दो तीन बातें, मंत्री महोदय, चाहूंगा कि आप जब जवाब दें तो उस वक्त इन बातों का उत्तर सदन में पेश करें। एक तो जो डी.पी.सी. अधिकारियों की होनी थी, इसमें भी विशेष कर एस.सी., एस.टी. के लोगों की, 1997 में कैचअप फार्मूला जो आपने लिया था, इस कैचअप फार्मूला से रिलेटेड सारी बातें हैं। मैं यह कह रहा हूं कि क्या एस.सी., एस.टी. के लोगों को ही विशेष रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इंटरप्रिटेशन गलत नहीं हो रहा है? संसद के अन्दर संविधान में संशोधन करके उसको बदल दिया गया उसके बावजूद भी राजस्थान में आप इसको लागू नहीं कर रहे हैं, मैं इसके बारे में भी जानना चाहता हूं। एक 1997 में जो रोस्टर पाइंट देने की बात थी उस रोस्टर पाइंट को 20.11.1997 से लागू होना था, मगर आपने आर.पी.एस. की जो वरिष्ठता सूची का संशोधन किया था उसमें 85 और 86 से क्या मजदूरी है कि जिसकी वजह से हमारे को ही करना पड़ा? कोर्ट तो कह रहा है कि इसको 1997 से करेंगे, 1997 की डेट वो स्पेसिफिक दे रहे हैं, लेकिन आप 1997 की 20.11 से लेकर 85 और 86 तक जा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह भी एक गलत चीज है।

मैं अंतिम रूप से बात कहना चाह रहा हूं कि, प्रदेशों के अन्दर आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की काफी पोस्ट हैं, मैं काडर पोस्ट की बात कर रहा हूं। आज हमारे 33 जिले हैं, 33 जिले होने के बावजूद भी हमारे यहां पर इतने पद नहीं

(श्री ललित भाटी)

हैं जितने बंगाल जैसी छोटी जगह के अन्दर है। बंगाल के अन्दर 21 जिले हैं मगर वहां पर आई.पी.एस. 259 हैं, हरियाणा में 109 हैं, पंजाब में 144 हैं, मध्य प्रदेश में 219 हैं, महाराष्ट्र में 205 हैं, केरल में 129 हैं, और हमारे राजस्थान में, अब तो हम देश के सबसे बड़े प्रांतों में आ गये हैं, हमारे पास सिर्फ 167 ही पोस्ट हैं। अपनी एफिशिएंसी को उस कम्पेरिजन में कर रहे हैं, यह तो एक अच्छी बात है। मगर इस दिशा में भी अपने को सोचना चाहिए कि दूसरे प्रांतों से बड़े होते हुए भी कम पोस्टों की स्थिति है, उसका प्रभाव अधिकारियों पर...

श्री सभापति : माननीय भाटी साहब, आप यह कागज होम मिनिस्टर साहब को दे दो। हां, इनको दे दें। माननीय अमराराम जी।

श्री ललित भाटी : यह पूरा कागज मैं दे दूं? धन्यवाद।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सम्माननीय सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मांग पर आज चर्चा हो रही है। पुलिस का प्राथमिक कार्य हमारे कांस्टीट्यूशन के अन्दर प्रदत्त जो विधि है उसके अनुसार बहुत ही निष्पक्षता से कार्य करना। पुलिस हमारे समाज का ही एक अंग है, हमारे में से ही पुलिस में भर्ती होते हैं। अब उसको देखने का जो नजरिया है, समाज उसको अच्छा भी कहता है, समाज उसको बुरा भी कहता है, अलग-अलग है। जहां तक मैं सोचता हूं, हमारे राजस्थान में अन्य प्रांतों से हमेशा बड़ी शांति रही है। इसका कारण यही है कि हमारे यहां पहले इतनी बेरोजगारी नहीं थी। लेकिन आज जो दिनोंदिन बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ने का एक कारण बेरोजगारी है। आज पढ़े-लिखे लड़के, एम.ए., बी.ए. करने के बाद भी जब उनको कहीं धंधा नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है तो आये दिन हम देखते हैं कि हमारे पैट्रोल पम्प लूटे जा रहे हैं, कहीं नकबजनी की वारदातें होती हैं। पहले तो अनपढ़ लोग किया करते थे, कम पढ़े लोग करते थे, लेकिन आजकल ये बेरोजगार बैठे बैठे क्या करें? अभी जो आंकड़े आपने बताये, इन आंकड़ों के अन्दर इतने हजार वेकेंसी हैं-8 हजार से भी ज्यादा तो कांस्टेबलों की भर्ती करनी है और कितने ही अधिकारियों के रिक्त स्थान हैं, तो जब चारो ओर बेरोजगारी की हाय हाय लोग कर रहे हैं, आपको इस प्रक्रिया को बहुत जल्दी करके जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी देना चाहिए। अभी बता रहे हैं 25 हजार, लेकिन 22 हजार तो कम से कम होंगे। एस.आई. की भर्ती के लिए अखबारों में तीन साल पहले यह निकला था कि हमें इतने एस.आई. लेने हैं, लेकिन वह भर्ती नहीं

(श्री अमराराम चौधरी)

हो सकी, 2-2, 3-3 साल तक परीक्षा आगे बढ़ाते रहे। आखिर परीक्षा भी हुई और परीक्षा होने के बाद भी काफी समय हो गया, अब हर लड़का 22 हजार में से देख रहा है कि मैं थानेदार। घरवालों को कहते हैं कि लो, मैं तो पास हो गया, अब आपकी ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी है, मुझे तो थानेदार बनाओ। अब आपके पास इतने लड़के हैं, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। 207-208 आदमियों की भर्ती करनी है और जहां इतने लड़के पास हुए हैं तो सरकार को बहुत गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। उनके परिवार वालों के मन में, खुद विद्यार्थियों में यह चिंता हो रही है कि क्या मालूम क्या होने वाला है। यह इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। हर आदमी यह देखता है। हमारे यहां पर व्यवस्था की जो कमी है, कि एक औरत तो है तन पर स्वर्ण के गहनों वाली, सोने से लड़ालूम है, पीले से लड़ालूम है चाले झूम-झूम, और एक के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं हो तो जरूर उनके मन में कुछ न कुछ ईर्ष्या पैदा होती है। आज यही कारण है, झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने यहां चुनौती भी दी थी, कि तीन पैराटीचर शहीद हो गये, आत्महत्याएं कर लीं। यह क्यों करना पड़ा? आखिर ये 22 हजार हुए हैं, इनका आप समय पर साक्षात्कार नहीं करोगे तो ये क्या करेंगे? जो आदमी कहीं जाना चाहता है अब तो वह इस प्रकार से जकड़ गया, अगर इतने पास नहीं होते तो कोई बात नहीं, 10 गुणा होते तो कोई बात नहीं थी। अब वह कहीं बिजनस में जाना चाहे तो नहीं जा सकता क्योंकि अब मैं थानेदार बन गया। नम्बर तो उसको मालूम नहीं हैं कि मेरे 40 प्रतिशत हैं या 35 प्रतिशत हैं, लेकिन वह कहीं भी नहीं जा सकता। अब तो यही है कि आखिर बाद में उसको क्या करना पड़ेगा। इसको आपको गम्भीरता से लेना चाहिए।

मेरा निवेदन है कि पुलिस ने कई काम अच्छे भी किये हैं। आज हमारा थानेदार बड़ी मेहनत से इंवेस्टिगेशन करता है, लेकिन ट्रायल में जब सैशन कोर्ट में जाता है तो वहां पर आपका पी. पी. जिसको आप चार हजार देते हो, सामने वाला आदमी 25 हजार रुपये देता है मर्डर केस में। आप कह रहे हो कि हम भ्रष्टाचार कम कर रहे हैं, लेकिन आपके आंकड़े बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुकदमे ज्यादा हुए हैं, बाकी भले ही 100-150 अपराध कम हुए हैं। दो सालों के ही आंकड़े पेश किये हैं, लेकिन क्या चार हजार वाला आदमी, पी.पी., वह उस 25 हजार वाले के बराबर लड़ेगा? चार हजार में उसका क्या बनता है? पी.पी. बना है उसके लिए घर में तहसीलदार जी एवीडेंस देने जा रहे हैं, एस.डी.ओ. साहब जा रहे हैं, उनको चाय भी पिला दे तो व्यवस्था हम खुद इस प्रकार की कर रहे हैं। आज हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट लगे हुए हैं जो

(श्री अमराराम चौधरी)

सुबह 9 बजे से जल्दी तैयार होकर शाम तक होते रहते हैं, वहां जो कैम्प कोर्ट हो गया उस पी.पी. के लिए तो आने-जाने का किराया हीं बहुत हो गया। तो फिर उसको भ्रष्टाचार सिखाओ। या तो जो गवाह होंगे उनसे पैसा लेगा या जो फरियादी होंगे उनसे पैसा लेगा। क्यों नहीं आप उनके टी.ए.डी.ए. की व्यवस्था करो? इतने किलोमीटर दूसरी जगह जज जा रहे हैं कैम्प कोर्ट में और पी.पी. को भी जाना पड़ता है। यह व्यवस्था आप नहीं कर सकते। यह सरकार के सामने है। आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार कम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार विभाग में भी पुलिस के जो अधिकारी, थानेदार रहे हुए हैं या डीवाई.एस.पी. रहा हुआ है, उसको मत लगाओ, आई.पी.एस. भले ही ले। उसको यह मालूम है कि नीचे जाना पड़ता है। पैसे देने वाले तो हम लोग ही हैं। 323 का 324 कर दो या 325 का 326 कर दो, यानी खुद हम हमारा समाज हम लोग भी उसके दोषी हैं। पुलिस वालों को तो हम लोग ही खराब करते हैं। अब 307 लगा दो, साहब। 307 कैसे लगाओगे? कि पैसे दो, यह बात तो सही है।

और कुछ मानवाधिकार से हुआ है हथकड़ी वाला मामला। इससे भी आप कह रहे हैं कि अपराध कम हुए हैं, अपराध ऐसे कम नहीं हुए हैं। पहले हथकड़ी से थोड़ा डर भी था कि मैं जेल जाउंगा, मुझे लोग देखेंगे, समाज देखेगा। इस व्यवस्था को आपने चेंज नहीं किया। यह बात जरूर थी कि पुलिस वालों को पैसा कोई हम लोग भी देते थे कि नान बेलेबल बनाओ, काग्नीजेबल बनाओ। काग्नीजेबल बनेगा, नान बेलेबल बनेगा तो हथकड़ी पड़ेगी तो उसकी इंसल्ट होगी। तो इसमें थोड़ी बहुत बुराई जरूर थी, लेकिन लोगों में भय था। आप शासन कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो भय होना ही चाहिए। जब भय नहीं होता है तब ऐसा ही होता है।

पहले एक एस.एच.ओ. था, सी.आई. था, उसको आपने एडहाक प्रमोशन दे दिया। आप उसका घर देखो, पहले प्रोपर्टी उसकी देखो। आप भ्रष्टाचार विभाग में जाने से पहले उसके घर को, प्रोपर्टी को देखो, कितना पैसा उसने बटोर लिया, कितने महल बना लिये। उसको आपने एडहाक प्रमोशन दे दिया डीवाई.एस.पी. और फिर थानेदार को पकड़ेगा, उसी के रैंक को, लेकिन वह तो डीवाई.एस.पी. एडहाक है। ऐसे ऐसे जो लोग हैं, इस भ्रष्टाचार विभाग के अन्दर आप डैपुटेशन में लगाओगे तो सही न्याय नहीं करेंगे। वहां पर बिलकुल ईमानदार बन जाएंगे। फिर तो कोई कांस्टेबल फलानां विभाग में, पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार से अर्जी लाएगा, कि तुम्हारे खिलाफ यह रिपोर्ट आई है। हां, तुमने इतना यह पैसा ऐसा इसमें किया है, मैं जांच कर रहा हूं। किसी डाक्टर से आएगी, किसी और से आएगी। उस

(श्री अमराराम चौधरी)

भ्रष्टाचार को भी, मैंने भी, कई लोगों ने देखा है। उस थानेदार के थाने में तो पैसों की आमदनी कम थी और वहां महीने में बिना कुछ परेशानी किये एक लाख रुपये घर बैठे आते हैं। मैं हकीकत कह रहा हूं। आज जो भी काम डिले करते हैं, हमारा माइनिंग विभाग है, जो सही काम होता है, मैं आपको यह सही कह रहा हूं, खानों के अलाटमेंट के लिए सही आदमी, मजदूर जो धंधा करना चाहता है, उसको अलाट नहीं होती, डिले करते रहते हैं इंजीनियर आपकी खानें ओवर लैपिंग हो गई हैं, यह करोगे, यह करो, यह करेंगे। क्यों नहीं, उनको एंटी करप्शन के अन्दर पकड़ते? यह किसने किया? कि इंजीनियर ने भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा माइनिंग विभाग में है। मैं आपको कह रहा हूं, 4-4 साल से खानें हैं, जो लोग पत्थर निकालते हैं, आप क्यों नहीं उनको खानें अलाट कर देते हैं? तो इस तरह से कई ऐसे मामले हैं।

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सिरोही के अन्दर रेवदर प्रधान के साथ क्या हुआ। 11,000 रुपये मिले हैं रंगे हाथों हाई कोर्ट में भी वह गया हाई कोर्ट ने भी कहा कि वाकई प्रापर सुनवाई तुरन्त करके इसको सस्पैण्ड कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। अगर हमारा बी.जे.पी. का प्रधान होता तो तुरन्त सस्पैण्ड हो जाता और उसकी सारी सुनवाई हो जाती है। यह हाई कोर्ट का फैसला मेरे पास में है। मेरा निवेदन यह है कि एक थानेदार जो रिश्वत में पकड़ा जाता है, उसको तो बहाल रखते हो, जैसा हीरालालजी, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। और दूसरा थानेदार, उसका तो पैसा लग रहा है। आप कह रहे हैं कि छह किलो अफीम की जगह एक किलो अफीम का मुकदमा बनता है, एन.डी.पी.एस. एक्ट में भी प्रावधान है, वह जो खुर्द-बुर्द करते हैं अफीम को, उसके खिलाफ में वह का वह है कि 20 साल की सजा 10,000 रुपये जुर्माना, 20,000 रुपये जुर्माना, उसके खिलाफ व्यवस्था है, ऐसा थानेदार तो बहाल रहेगा। आज आप जाते हैं, वी.आई.पी. लोग जाते हैं माउंट आबू, आप उनको गाड़ी के अन्दर तेल कितना देते हो? थानेदार को तेल कितना देते हो? हम लोग खुद व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। या तो किसी दूसरे आदमी से गाड़ी लेगा, किसी सेठ से लेगा या अपना पैसा देकर उसमें तेल डलवाएगा। आज वह जज साहब आ रहे हैं माउंट आबू, आज वह जज साहब आये माउंट आबू, आज वह नाकोड़ा आये जज साहब और गाड़ी पुलिस की साथ में और तेल देते हो कि इतना लीटर ही आप डलवाओगे। यह भ्रष्टाचार कौन सिखा रहा है? हमारी व्यवस्था सिखा रही है। इस

(श्री अमराराम चौधरी)

व्यवस्था को जब तक हम नहीं सुधारेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, और इसके लिए आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। आचार्य तुलसी कहते हैं "निज पर शासन, फिर अनुशासन"। आदमी खुद ही पहले कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक यह सुधरने वाला नहीं है, हम कितना ही पुलिस को दोष दें।

मेरे यहां पर एक हैड कांस्टेबल था दीपचन्द, जिसकी चुनाव में ड्यूटी लगी। चुनाव में ड्यूटी लगने के बाद में, सभापति महोदय, स्वयं कलक्टर वगैरह सब मान रहे हैं, उन्होंने लैटर भी लिखा है, उसके बाद में लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर ने भी लिखा है, "उपरोक्त विषय में स्वीकृत करने का प्रावधान है, राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार उक्त अनुदान सम्बन्धी जिला कलक्टर द्वारा मृतक के आश्रित को ग्रेच्युटी पाने के हकदार हेतु स्वीकृत की जाती है।" यह कलक्टर का पत्र है, दीपचन्द कांस्टेबल-470 को चुनाव ड्यूटी पर मानते हुए नियमानुसार अनुग्रह राशि स्वीकृत करने का श्रम कराएं। कलक्टर खुद कह रहे हैं, रोजनामचे में रपट है कि उसने ड्यूटी की है लेकिन अनुग्रह राशि आज 3-4 साल के बाद में भी उसको नहीं मिली है। उसकी विधवा औरत और छोटे बच्चे पता नहीं क्या नहीं सोचते होंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से, सभापति महोदय, कि ऐसे कांस्टेबल जिनकी अपनी ड्यूटी पर डैथ हो जाती है, उन लोगों का शीघ्र ही समाधान करना चाहिए। स्वयं कलक्टर ने माना है ड्यूटी पर। अभी जो लैटर आया है उसमें कहा है कि नार्मल ड्यूटी पर था। चुनाव में जाओ और मान लो, अगर आप दूसरे वहां पर कहो कि यहां पर आप बैठ जाना, आपकी ड्यूटी इस जगह पर है, तो नार्मल ड्यूटी क्या हुई? चुनाव मीन्स चुनाव, कहां से नार्मल हुई यानी हाट एण्ड कोल्ड टुगेदर, दोनों नहीं रह सकते। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ तो आप यह जारी करते हो और दूसरी तरफ वापस मना करते हो और आप खुद मान रहे हैं, पुलिस का एस.पी. मान रहा है, सारी पुलिस मान रही है कि ड्यूटी पर है, फिर भी उसको अनुग्रह राशि का फैसला नहीं होता है।

मेरे और भी निवेदन हैं। आज हमारे जितने भी कांस्टेबल हैं, जो भी नान गजेटेड आफिसर्स हैं सी.आई. रैंक तक के, इनकी कोई एसोसियेशन नहीं है। बड़े बड़े आई.पी.एस. हैं उनकी सबकी एसोसियेशन बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान की आजादी के पहले अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बना रखी थी कि जो आंदोलन के अन्दर लड़ाई लड़ते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनको अंग्रेज लोग कांस्टेबलों से डण्डे मराते थे कि डण्डे

(श्री अमराराम चौधरी)

मारो। इसलिए कि इनका एसोसिएशन बन जाएगा तो ये एक हो जाएंगे, इन्होंने एक व्यवस्था कर रखी थी। आज हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, इनको भी संगठित होकर कोई बात कहने का हक होना चाहिए। इसलिए माननीय गृह मंत्रीजी और जो भी यहां बिराजमान हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि एसोसिएशन की परमिशन इनको मिलनी चाहिए।

मेरा निवेदन है कि जहां-जहां भी हमारे कांस्टेबल रहते हैं, आज ड्यूटी के बारे में कहा गया, पचास प्रतिशत मकान कम से कम हर थाने में होने चाहिए कि पन्द्रह हैं तो सात आदमियों के तो कम से कम क्वार्टर होने ही चाहिए ताकि अपनी फैमिली को ला सके, फैमिली घर चली जाए तो वह आ सके।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं दो मिनट के लिए कि इनको जितनी सुविधाएं आप देंगे, ये काम अच्छी तरह से करेंगे। एस.आई. और इंस्पैक्टर रैंक तक के लोगों को मैस अलाउंस वगैरह मिलना चाहिए। यदि उनको नहीं मिलता है तो इनके भी शुरू-शुरू के अन्दर बड़ी असुविधा रहती है। अभी बता रहे थे कि हम साइबर सदी में रह रहे हैं, तो हमारे पुलिस थाने वगैरह जो भी हैं उनमें आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से सारा प्रबन्ध होना चाहिए क्योंकि मुलजिम भी बहुत ही होशियार हो गये हैं। माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों केन्द्र से 45 करोड़ रुपये मिले हैं, क्या वह सारे का सारा हमारी पुलिस पर खर्चा हो गया? पिछले आंकड़ों में 16 करोड़ रुपये ही खर्च हुए थे, यह पैसा कहां है? क्यों नहीं इनको आप सारी सुविधाएं वगैरह देते हैं? जब केन्द्र आपको इतना पैसा दे रहा है तो आपको उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन आप व्यवस्था कर नहीं रहे हैं। उन कांस्टेबलों के क्या है कि आखिर में काम करने वाले यही हैं, मुलजिम को पकड़ें तो ये ही पकड़ें, इसलिए मेरा निवेदन है। बाकी कांस्टेबल भी ईमानदार हो सकते हैं। शुरू से ही इनमें आदत डालें फिक्स डिपाजिट की। जब भी कांस्टेबल भर्ती करें तो आधी तनखाह फिक्स डिपाजिट में प्रारम्भ में एक वर्ष तक के लिए करनी चाहिए। जब ये रिटायर हों तो कम से कम पांच-दस लाख रुपये उनके फिक्स डिपाजिट के ब्याज सहित हो जाएंगे जिससे वे अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकेंगे, अपने बेटे का ब्याह कर सकेंगे। हम खुद ही पहले इस प्रकार की उनकी आदत डालते हैं इसलिए आये दिन यही शिकायत होती है।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा यातायात के बारे में।

श्री सभापति : अब आखिरी।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मेरे बाड़मेर जिले में इस

(श्री अमराराम चौधरी)

शुक्रवार और शनिवार की रात जैसलमेर में सांगड़ के अन्दर बाड़मेर से जा रहे थे, 130 उसमें बैठी हुई सवारियां थीं, 130 एक बस में। अब पुलिस थाने कितने गये बीच में से, किसी ने इस पर ध्यान दिया ही नहीं। मुझे दुःख के साथ आज कहना पड़ रहा है, मैं उन लोगों के लिए मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि ग्यारह लोग काल के ग्रास में चले गये, छह की हालत गम्भीर है और 95 आदमी घायल हो गये। इतना बड़ा हादसा पहली बार हमारे उस क्षेत्र के अन्दर हुआ है। सरकार ने मदद दी है दो लाख पैंतीस हजार समथिंग दी है। लेकिन मेरा निवेदन है कि वह बहुत कम है। इस प्रकार से आये दिन जो एक्सीडेंट होते हैं...

श्री सभापति : माननीय श्री हेमन्त कुमारजी।

श्री अमराराम चौधरी : हम आज जगह-जगह देख रहे हैं, आये दिन कोई न कोई बारात जा रही है, एक्सीडेंट हो गया...

श्री सभापति : पच्चीस मिनट हो गये। (व्यवधान) नाम पुकार लिया इनका, बैठिये।

श्री अमराराम चौधरी : आज यही प्रतिज्ञा कीजिये कि बसों में कोई भी ओवर लोडिंग नहीं हो, सीट-टू-सीट हो, तभी दुर्घटनाएं कम होंगी। मैं एक बात कह कर यह समाप्त करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, जो आप कह रहे हो कि यह क्या हो रहा है भ्रष्टाचार, अपनी नाक के नीचे पचासों बसें यहां से चल रही है अंधाधुंध तरीके से, इनको कभी रोका है? उसको आप नहीं रोकते हैं। पोलोविक्ट्री से सब जा रही हैं और हमारी बसें खाली जा रही हैं। आप कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाने जा रहे हैं, क्या यह आपको मालूम नहीं है? क्या हमारी पुलिस को मालूम नहीं है? क्या हमारे मंत्रीजी को मालूम नहीं है?

श्री सभापति : सबको मालूम है, आपकी बात ध्यान में है। हेमन्तजी, आप शुरू कीजिये।

श्री अमराराम चौधरी : यह सारा मालूम है तो फिर क्यों नहीं करते? यह खाली अपनी व्यवस्था और यह विभाग, विभाग बना दिया और हमारे समाज और पुलिस को दोषी ठहराते हैं, हकीकत यह है। धन्यवाद।

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16-पुलिस के कटौती प्रस्तावों की चर्चा में मैं आपके माध्यम से अपने विचार पक्ष में व्यक्त करना चाहता हूं। अपराधी और पुलिस रोजाना आपस में मिलते हैं और इनका रोजाना आमना-सामना होता रहता है।

(श्री हेमन्त कुमार)

अपराधी पूर्व में थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। पूर्व में इन्हें राक्षस नाम से जानते थे। इन्हें पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता, समय-काल के अनुसार इन्हें कम या ज्यादा किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, रामायण काल की अगर हम बात करें तो उस समय मारीच, खर, रावण जैसे अपराधी हुए हैं और महाभारत काल की अगर हम बात करें तो उस समय भी कई तरह के थे-द्वारका से मथुरा आते हुए अर्जुन को लूटा। तो लूट-खसोट, हत्या इस तरह के अपराध पहले भी होते आये हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। लेकिन इस समय के अन्दर हमारी राज्य सरकार अशोकजी की कांग्रेस सरकार ने जागरूक व सजग रहकर अपराधों में जो कमी की है इसके लिए मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं।

(18.48 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, पुलिस जिन परिस्थितियों में काम कर रही है उस पर भी विचार करना आवश्यक है। केवल आलोचना ही नहीं, पुलिस के कुछ प्रशंसनीय कार्य हैं उनकी हमें प्रशंसा भी करनी चाहिए। इस समय जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, परिवहन सुविधाओं का बहुत तेजी से विकास हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आये हैं, इसके कारण अपराधों में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है, कोई नई बात नहीं है। इसके साथ ही राजस्थान के साथ 1040 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते पुलिस का कार्य चुनौतीपूर्ण है जिसे भी पुलिस को करना पड़ रहा है। फिर भी अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान एक शांतिपूर्ण राज्य है। हम लोग आसाम में भी गये, दक्षिण में भी गये और अन्य राज्यों में घूमे लेकिन जहां भी उन्हें पता चला कि हम राजस्थान से आये हैं तो उन्होंने राजस्थान की प्रशंसा की है अगर हिन्दुस्तान के अन्दर कोई शांतिपूर्ण प्रदेश है तो राजस्थान है जहां पर सुरक्षित वहां की जनता रहती है।

सभापति महोदय, इस समय जिन परिस्थितियों में पुलिस काम कर रही है उस पर भी थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। यहां पर काफी रिक्त पद हैं। यह वार्षिक प्रतिवेदन आया है पुलिस का उसके अनुसार मुख्य आरक्षक के 723 पद रिक्त हैं, आरक्षण के 5,500 पद रिक्त हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या का विकास हो रहा है, आधुनिक संसाधनों का विकास हो रहा है और हमारे पास सीमित मात्रा में कर्मचारी हैं। सीमित मात्रा में कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वह एक प्रशंसनीय काम है। आलोचना करना एक अलग चीज है। मेरा सबसे अनुरोध है,

(श्री हेमन्त कुमार)

हमारा स्वभाव ही पड़ गया किसी भी चीज में गलती निकालने का, कमियां देखने का, लेकिन उसमें कोई अच्छी चीज है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, उसे भी प्रकाश में लाना चाहिए।

आज जैसा पूर्व में मेरे वक्ताओं ने बताया, वाहनों की कमी है। आधुनिक संसाधनों की वाहनों की जो कमी आ रही है, विभाग की कार्यक्षमता में उसका काफी असर पड़ रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, यहां से जो वाहन मिलते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, नये वाहन मिलते हैं, उनको तो शहर के अन्दर रख लिया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर पुराने वाहन उपलब्ध कराये जाते हैं। यह भी एक अनुचित काम है।

माननीय सभापति महोदय, हथियारों की स्थिति यह है कि दूसरे विश्व युद्ध की जो थ्री नॉट थ्री की राइफलें हैं उसे पुलिस के सिपाही कंधे पर टांक कर घूमते हैं। आप देखिये कि अगर पुलिस के पास में इसी तरह के साधन रहे तो कैसे वो प्रगतिशील समय में अपराधियों का मुकाबला कर सकेंगे? तो हमें पुलिस को आधुनिक हथियार उपलब्ध कराना आवश्यक है।

पुलिस कर्मचारियों के पास में आवास की सुविधा पूर्णतया नहीं है। जो अपर सबार्डिनेट सर्विस वर्ग के अधिकारी हैं उनमें 6374 और लोअर सबोर्डिनेट सर्विसेज के जो हैं उनके पास में 48,271 आवासों की कमी है। आदरणीय सभापति महोदय, हमें उन साधनों को भी पुलिस कर्मचारियों को उपलब्ध कराना चाहिए।

हत्या, डकैती, लूट, बलवा, चोरी आदि में पिछले वर्षों में जो कमी आयी है, तुलनात्मक रूप से देखें तो उसमें भी पुलिस का प्रशंसनीय काम रहा है। 2001 में कुल 1,55,185 अपराधों की तुलना में इस साल 2002 में 1,51,248 अपराध दर्ज हुए। यह जो कमी बता रहे हैं यह प्रशासन की, पुलिस की और राज्य सरकार की सजगता का रूप है। माननीय, कठिन परिस्थितियों में सीमित साधन होते हुए भी पुलिस विभाग जो उपलब्धियां अर्जित कर रहा है वो प्रशंसनीय है। अभी मेरे पूर्व में बताया कि दुर्लभजी जो अपहरण काण्ड हुआ उसमें दिल्ली की पुलिस का रोल है। लेकिन क्या दिल्ली की पुलिस बिना राजस्थान की पुलिस के यह उपलब्धि कर लेती? बिना राजस्थान की पुलिस के सहयोग के वे उपलब्धि नहीं कर पाते तो जो हमारे विभाग के कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, राजस्थान के कर्मचारी हैं उन्हें भी हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उनके सहयोग से ही दुर्लभजी का जो अपहरण काण्ड था उसका भण्डाफोड़ हुआ और अपराधियों को पकड़ा गया।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस के

(श्री हेमन्त कुमार)

अन्दर जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा, पुलिस कामयाबी नहीं प्राप्त कर सकती। जन सहयोग एक ऐसा काम है पुलिस के लिए कि जन सहयोग होना अति आवश्यक है। अभी जैसा कि राज्य सरकार ने निर्देश किये हैं, जिले के प्रशासनिक अधिकारी, एस.पी. वगैरह समय-समय पर थानों में जाते हैं, वहां पर जनता से सम्पर्क करते हैं। जनता की जो कठिनाइयां हैं उनको सुनते हैं, उनकी जो शिकायतें हैं उन्हें सुनते हैं और मौके पर ही उन शिकायतों का निराकरण करने का बराबर प्रयत्न करते हैं। इससे भी जनता में एक नयी भावना पैदा हुई है कि अधिकारी लोग यहां आते हैं और हमारी सुनते हैं।

सभापति महोदय, मैं पुलिस कर्मचारियों को एक तकलीफ के बारे में आज यहां कुछ कहना चाहता हूं। मैंने पूर्व में भी इसके बारे में कहा था कि हम पुलिस से आशा करते हैं कि पुलिस संवेदनशील हो। जो भी जाए उसकी सुनवाई हो, ध्यानपूर्वक पुलिस वाले सुने। लेकिन वो किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं? आज चाहे केन्द्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार के कर्मचारी हो, केन्द्र में सप्ताह में दो दिन का अवकाश मिलता है, राजस्थान में सप्ताह में अन्य कर्मचारियों को एक दिन का अवकाश मिलता है। प्राइवेट सैक्टर हो, व्यापारी हों, उनको भी हफ्ते में एक दिन का अवकाश मिलता है। लेकिन पुलिस विभाग में जो कर्मचारी हैं उन्हें एक दिन का भी अवकाश नहीं मिलता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अगर कर्मचारियों की एफिशिएंसी बढ़ानी है, उन्हें संवेदनशील बनाना चाहते हैं कि जनता के साथ उसका व्यवहार अच्छा हो, वो भी मानसिक रूप से संतुष्ट हो, मानसिक रूप से वो तरोताजा रहे, मैंने इस विषय में पत्र भी लिखा था, इस विषय में मैंने पहले भी निवेदन किया सरकार से, जवाब आया कि पुलिस कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं इसके लिए हम उन्हें एक महीने का वेतन ज्यादा देते हैं। सभापति महोदय, क्या पैसा देने से कर्मचारी तरोताजा हो जाएगा? अगर कोई आदमी थककर चूर है, फील्ड से सर्विस करके आया है आप उसे फिर पैसे का लालच या पैसे देकर तरोताजा कर सकते हैं क्या? जब अन्य कर्मचारियों को एक दिन का अवकाश मिलता है तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उन कर्मचारियों को जो फील्ड के अन्दर काम करते हैं, कम से कम एक दिन का अवकाश उन्हें मिले। इससे राज्य सरकार पर कोई आर्थिक भार नहीं आएगा। इस पर हमारे जो वित्त मंत्री महोदय हैं उनको भी किसी तरह का एतराज नहीं होगा। अगर एक दिन की छुट्टी इन कर्मचारियों को दी जाती है तो मैं सोचता हूं कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, पुलिस

(श्री हेमन्त कुमार)

कर्मचारी अच्छा काम करेंगे और जनता के साथ में उनका व्यवहार अच्छा होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मेरे भाइयों ने पूर्व में पुलिस की शिकायतें कीं, पुलिस से नाराजगी भी बताई, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस ने कुछ अच्छे काम किये हैं जो प्रतिवेदन में बताये गये हैं, और हर जिले में उन्होंने अच्छे काम किये हैं उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हर जिले के अन्दर पुलिस ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली इलाके का जो इनामी डकैत बन्नो गुर्जर है, राधावल्लभ सहित, कई जिसने डकैतियां कीं, उसे पुलिस ने मुठभेड़ में मारा। 27 इनामी डकैतों सहित 91 डाकुओं को गिरफ्तार किया। कोटा जिले में अज्ञात व्यक्ति की हत्या, उसको उजागर किया। झुंझुनुं जिले में हथियारों के बल पर लूटी गयी जीप। जिला सीकर में पेट्रोल पम्प पर डेढ़ लाख की डकैती जिला सिरोही में कैशियर से 40 हजार रुपये की लूट।

(18.59 बजे)

(मोहम्मद माहिर आजाद, सभापति, पदासीन)

जिला दौसा में दुकान का शटर तोड़ कर पांच लाख रुपये मूल्य के कपड़ों की चोरी। जिला जोधपुर में रेल में सफर कर रहे राज राइफल जैसे जवानों की। इसी तरह करौली में सीताराम की अष्ट धातु निर्मित मूल्य की। इसी तरह से जिला कोटा, शहर गंगानगर, हनुमानगढ़ उत्तर में एवं जिला धौलपुर द्वारा अन्तरराष्ट्रीय वाहन गिरोहों के साथ सदस्यों की गिरफ्तारी, जिला राजसमन्द में नकली चांदी देकर असली सोना-चांदी के जेवर प्राप्त करना। जिला हनुमानगढ़ में पांच-पांच सौ रुपये मूल्य के 2,64,500 रुपये के नकली नोट बरामद करना। ये कई पुलिस की ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि पुलिस ने कुछ तो किया है।

(19.00 बजे)

मैं मानता हूं कि कमियां हैं, पुलिस के पास साधन नहीं हैं, लेकिन आप यह भी देखें कि कमल के बजाय हम कीचड़ को देखें, उसकी बुराइयां ही बुराइयां करते रहें, आलोचना ही आलोचना करते जाएं तो कैसे उनका मनोबल बढ़ेगा, कैसे उनका सम्बल होगा? माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इन सब चीजों पर भी ध्यान दिया जाए। पुलिस कर्मचारी जिन परिस्थितियों में काम कर रहा है, उनकी जो तकलीफें हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें यह कहना चाह रहा था कि मेरे विधान

(श्री हेमन्त कुमार)

सभा क्षेत्र दीगोद के पुलिस स्टेशन में जो वाहन दिये गये वे शहर में रख लिये गये और शहर के जो पुराने वाहन हैं तो हमारे देहात में दे दिये गये। उनको भी नये वाहन मिलने चाहिये। शहर में रिपेयरिंग के कई साधन हैं, गांवों में कोई साधन नहीं हैं। और, जैसा पूर्व में बताया गया, डीजल का इतना कम पैसा दिया गया है, 15 या 20 लीटर डीजल से मेरे खयाल से एक दिन भी वह जीप पूरी तरह से नहीं चल पाए। तो कम से कम उनके लिये या तो पर्याप्त डीजल की व्यवस्था की जाए या कोई भत्ता अलग से दिया जाए जिससे वे वाहन का उपयोग कर सके, वरना जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने बताया, भ्रष्टाचार पनपेगा। जीप वे काम में लेंगे, डीजल आएगा कहां से? वह दूसरों से ही पैसा लेगा।

इसी तरह से अपराधों की संख्या को देखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र दीगोद में देवलीमांजी में, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, थाने की स्थापना की जाएं। पुलिस स्टेशन वहां पर होने से अपराधों की संख्या में कमी आएगी और वहां पर कानून और व्यवस्था समुचित रूप से हो सकेगी। इसी तरह से थाना बुड़ाबीद में बड़ौद गांव में पुलिस चौकी स्थापना की जाएं क्योंकि जो थाना है वह इंटीरियर में मुख्य सड़क से दूर है और मुख्य सड़क जो कि मध्य प्रदेश को जाने वाली सड़क है, वहां पर बड़ौद गांव स्थित है इसलिए बड़ौद में पुलिस चौकी होना अति आवश्यक है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः अनुरोध करता हूं कि, आज हम पुलिस की आलोचना कर रहे हैं लेकिन जनता की भागीदारी जब तक पुलिस को नहीं होगी, जब तक जनता उसको सहयोग नहीं करेगी पुलिस इसमें बिलकुल भी कामयाब नहीं होगी। हमारा बराबर प्रयत्न होना चाहिये कि पुलिस को भी जनता सहयोग करे, हम लोग सहयोग करें। आपने जो मुझे समय दिया इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : सभापति महोदय, मांग संख्या 16-पुलिस की मांग पर सदन में चर्चा हो रही है उसमें मैं भी संक्षेप में मेरे विचार रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, पुलिस का असल काम इंसान की जान और माल की हिफाजत करना है। पुलिस का जिस तरह से व्यवहार है, कई साथियों ने कहा, हिन्दुस्तान में अन्य प्रान्तों के मुकाबले राजस्थान की पुलिस का काम बेहतर है, काबिले तारीफ है और हर तरह के जुर्म और गुनाह करने वालों पर राजस्थान की पुलिस ने सक्षम तौर पर और सक्रियता से कदम उठाये हैं। उसी का परिणाम है कि राजस्थान में अपन हर तरह के

(श्री अमीन खान)

लोग शान और मान से रहते हैं, सद्भाव से, अच्छे व्यवहारों से रहते हैं। हिन्दू और मुसलमानों के हर त्यौहारों में अमन और चैन कायम रखने में राजस्थान की पुलिस का रोल अच्छा है, काबिले तारीफ है। लेकिन मुझे जो कमी महसूस होती है, चाहे किसी भी परिस्थिति में राज्य हो लेकिन कांस्टेबलों की इतनी बड़ी तादाद में जगह खाली होना पुलिस के कानून-व्यवस्था को कायम रखने में भारी दिक्कत और समस्या है। चाहे अन्य विभागों में किसी परिस्थिति के कारण कमी रहे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन पुलिस जैसे मामलों में ये रिक्तियां लगातार काफी समय तक रहना दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। सरकार को तत्काल भर्ती करके इस प्रक्रिया को शीघ्र खतम करना चाहिये ताकि पुलिस बेड़े में कोई कमी महसूस नहीं हो और क़ानून और व्यवस्था कायम करने में पुलिस महकमे को दिक्कत नहीं महसूस हो। हमारे सीमावर्ती जिलों में बी.ए.डी.पी. के तहत भी पुलिस सुरक्षा के मामलों में साधनों के पैसे आबंटित होते हैं, भारत सरकार से भी और राज्य सरकार से भी होते हैं, लेकिन अमूमन मैंने देखा है, हमारे सीमावर्ती पुलिस थाने हैं उनमें अधिकांश में पुलिस की जीपें धक्का स्टार्ट हैं। सैल्फ स्टार्ट भी नहीं है। मैंने वहां थानदारों से पूछा कि इस तरह की धक्का स्टार्ट गाड़ी आपने क्यों रखी है तो मालूम यह हुआ कि जो अच्छी गाड़ी खरीद कर पुलिस में आती है वह तो इनके सीनियर आफिसर रख लेते हैं और उनके पास जो रिजेक्ट गाड़ी होती है, जब तक नीलाम नहीं करें ऐसी हालत की गाड़ियां उन पुलिस थानों में रख देते हैं। यह आदत खराब है। मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि सीमावर्ती थानों में जिन स्थानों के नाम से अंलाट व्हीकल जो अच्छा होता है वह अच्छा ही रहना चाहिये। एक तो रेगिस्तान है और एक सीमा है, वही अच्छा व्हीकल और अच्छा डीजल इत्यादि का इंतजाम होना चाहिये।

खास बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी का राज रहे और किसी भी वक्त का हो, पब्लिक की जान-माल की और देश की सुरक्षा जैसे मामलों में पुलिस जैसे महकमे की एक बड़ी अहमियत है। आम लोगों को गुमराह करके कुछ लोग वोट ज्यादा हासिल करने के लिये असत्य जो वातावरण पैदा करते हैं, मेरी उन सभी लोगों से अपील है कि ऐसा वातावरण, ओछी हरकत पर अपन को नहीं आना चाहिये। भारतीय जनता पार्टी का शासन सन् 1990 से 1998 तक राजस्थान में रहा और अमन-चैन कायम रहा। पाकिस्तान से लगती हुई सीमा वाले जिलों में एक भी आई.एस.आई. का एजेंट किसी मदरसे में इनको नहीं मिला और एक भी केस

(श्री अमीन खान)

ऐसा दर्ज नहीं हुआ। हिन्दुस्तान के गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी का पार्लियामेंट के एक प्रश्न के उत्तर में, सभापति महोदय, हमारे पास कापी है, उस जवाब में उन्होंने यह बताया कि सीमावर्ती जिलों के मदरसों की हमने जांच की है, उसमें एक भी मदरसे में असामाजिक, अराष्ट्रीय तत्व हमें नहीं मिला है। लेकिन अब यहां कह देना कि सैकड़ों आई.एस.आई. एजेंट है उन मदरसों में भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, या तो इसे धर्मनिरपेक्ष की लाइन से हटाओ। वर्ना भी हमें तो कोई हर्ज नहीं, हमें यह पक्का यकीन है कि हिन्दू राष्ट्र हो जाएगा तो भी उनके धर्म में लिखा हुआ है कि किसी इंसान को नहीं मारेंगे और इंसान की हिफाजत करेंगे और उससे हमें तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो इस डुप्लीकेसी सैक्युलर में तो हम आपके इस हिन्दूवाद के भी पक्ष में नहीं हैं। या तो सैक्युलरिज्म को मंजूर करो तो फिर उसकी ताईद करो। हिन्दुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी देश की कोई अदालत नहीं है, अदालतों में देश के जासूसों को जिन जिन को सजा हुई है आज तक उसमें मेरे खयाल में अल्पसंख्यकों से बहुसंख्यक लोगों को ज्यादा सजा हो चुकी है। ज्यादा नहीं है तो भी कम से कम आप यह गारंटी समझो कि हर वर्ग के लोग उसमें शामिल हैं। जो लोग व्यक्तिगत लालची हैं उनका तो कोई धर्म नहीं है, उनका कोई दीन-ईमान नहीं है। उनका इरादा बेईमानी और खुद के पेट भरने के स्वार्थ तक में होता है और वह हर कौम में, हर फिरके में हो सकता है, यह मानकर चलना चाहिये। यह बात जो पहले कही गईं वह राजेन्द्र सिंह राठौड़ कह दे, हीरासिंहजी चौहान कह दे और चौधरी अमरारामजी कह दे तो हम स्वीकार कर लेंगे कि हम गलत हैं, नहीं तो किसी बहुत बड़े समाज को और बहुत बड़े गरीब तबके को दबाने के लिये इस तरह की साजिश इस हाउस में नहीं करनी चाहिये। मेरा निवेदन है, राजस्थान धार्मिक अधिनियम सन् 1954 में राजस्थान की सरकार ने लागू किया था। हम तो कई तकलीफें बरदाश्त करते हैं। हमारी पार्टी के जोशीजी बहुत बड़े कानून के पढ़े-लिखे आदमी हैं, हम तो इनको भी कहना चाहते हैं, राजस्थान धार्मिक अधिनियम का कांग्रेस पार्टी ने भी पालन किया क्या? धार्मिक अधिनियम के तहत कलक्टर को इंस्ट्रक्शन है कि मस्जिद बनाए उसको रोकना चाहिए। आपके इस अधिनियम में क्लीयर है कि किसी भी पूजा के स्थान का कन्स्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमीशन के बिना नहीं होगा। लेकिन कांफिडेंशल इंस्ट्रक्शन आपके हमेशा जारी रहे कि मस्जिद पर निगाह मुसलमानों की भावना यह महसूस कर रही है कि कांग्रेस और बी.जे.पी. में कोई अन्तर नहीं है। जयपुर

(श्री अमीन खान)

में बहुत बड़ी मस्जिद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की इजाजत, आप मुझे माफ करें, भैरोंसिंह शेखावतजी ने दी है, आप नहीं दे सके। आजाद देश में किसी प्रकार के खुले विचार रहना कोई गुनाह नहीं है, हम तो यह कहते हैं। आप सैक्यूलर की बात करते हैं, आपका 54 का धार्मिक अधिनियम इस पर आपके कलक्टर को, डी.जी. को होम सैक्रेटरी को पूछो कि इम्प्लीमेंट एक तरफा हो रहा है या सभी मजहबों पर है। यदि सभी पर लागू नहीं है तो कम्युनल एक्ट मैं कहूंगा। इतनी ही बात कहकर, सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री कन्हैया लालजी मीणा।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर में आए दिन वारदातें हो रही हैं। आज हर तीसरे दिन डकैती, लूट और बलात्कार में वृद्धि होती जा रही है। यदि गांव का गरीब आदमी शहर में आता है, अपना सामान बेचने या सामान लेने आता है, वह देखता है कि कान में मुर्की है, उसका डाउट होता है कि उसके पास पैसे हैं, तो वह उसको बीड़ी पिलाता है या कोई ऐसी वस्तु सुंधाता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। यह आए दिन की घटना है। वह मुर्कियां तो निकालता ही है उसके जो रुपये पैसे होते हैं वे भी सारे निकाल कर ले जाता है। वह वहां पर पड़ा रहता है। अनेक बार जब गरीब मिनी बसों में सफर करता है, मिनी बसों में जेबकतरे हैं, वे आए दिन किसानों, गरीब आदमियों की चाहे जितना भी पैसा हो जेब काटते रहते हैं। हर मिनी बस के अन्दर आपको कोई न कोई लुटेरा मिलेगा, आप देख लीजिए। सिटी बसें हैं उनके अन्दर भी इसी तरह से है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी संख्या कोई ज्यादा नहीं है, यह बहुत कम, सीमित है। एक बार इन जेब कतरों को पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद इंगित कर दिया जाता है कि ये नहीं काटेंगे, लेकिन एक बार थाने में आने के बाद वापस जाता है और उसकी जमानत हो जाती है। मैं यहां तक कह सकता हूं कि जयपुर न्यू कोर्ट में वकील साहब ने पैसे मांगे तो बोला कि पैसे नहीं हैं, मैं अभी थोड़ी देर में ला रहा हूं। सभापति महोदय, इस जेब कतरे ने क्या किया दो-तीन एडवोकेट जिनके पास थोड़े बहुत पैसे आये थे उनकी जेब से निकाल कर उन वकील साहब को दे दिये। थोड़ी देर बाद वह कहते हैं कि हमारी तो जेब कट गई। बोले, कितने की कट गई? इतने पैसे तो वह मुझे दे गया जेबकतरा। मेरे कहने का मतलब है कि आए दिन जयपुर

(श्री कन्हैया लाल)

में ये घटनाएं हो रही हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी ज्यादा संख्या नहीं है, इनकी थोड़ी व्यवस्था कर दी जाए, परमानेंट व्यवस्था कर दी जाए। एक बार पकड़ लिया जाए तो हमेशा के लिए पाबंद कर दिया जाए या इस प्रकार की पेचीदा कानून-व्यवस्था में डाल दिया जाए कि भविष्य में दुबारा पकड़ा जाए तो सजा होनी चाहिए।

इसी प्रकार से गांव के लोग आते हैं उनको दवाइयां सुंघा देते हैं, बीड़ी पिला देते हैं, उन लोगों का सामान चुरा लेते हैं। आए दिन ऐसे अनेक लोगों को पकड़ा गया लेकिन पकड़ने के बाद भी उन घटनाओं में कोई कमी नहीं हुई। ऐसी घटनाएं हमेशा होती रही हैं।

इसी तरह जयपुर में हर तीसरे रोज हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं घटी हैं। यहां पर चार वाहन तो हर दिन चोरी होंगे। किसान ट्रैक्टर लाकर खड़ा कर देगा तो चोर चोरी करके ले जाएगा। किसी की जीप खड़ी हो तो उसको चोरी करके ले जाएगा। किसी की मारुति खड़ी हो तो चोरी करके ले जाएगा। आए दिन चोरी डकैती की संख्या में वृद्धि हो रही है।

महिला अत्याचारों के मामले में भी राजस्थान पीछे नहीं है। राजस्थान में करीब 400 महिलाओं का किसी न किसी रूप में रोजाना शोषण होता है। इनमें से प्रति दिन तीन बलात्कार का शिकार होती हैं, 70 से ज्यादा स्त्रियों का अपहरण कर लिया जाता है। सभापति महोदय, इससे ज्यादा बढ़कर और क्या बात होगी कि जहां पर रोजाना 70 महिलाओं को अपहरण, 3 स्त्रियों के साथ बलात्कार हो, फिर भी कानून व्यवस्था की सख्ती नहीं हो। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इनमें सख्ती करें।

इसमें भी ज्यादातर कौन है? अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाएं। आपने कहा कि उत्पीड़न बढ़े हैं और बलात्कार कम हुए हैं। आपने यह कहा कि उत्पीड़न तो बढ़ गये, बलात्कार कम हो गये और मुकदमें भी कम हो गये। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं के साथ जो बलात्कार बढ़े हैं वर्तमान में, अब तक कभी भी इस तरह का कुकृत्य अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं के साथ नहीं हुआ। राज्य में अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। इसी तरह से इन जातियों के लोगों की हत्या भी बीते साल के मुकाबले इस साल ज्यादा हुई है। आंकड़ों के अनुसार इस साल नवम्बर माह तक अनुसूचित जाति-जनजातियों के कुल 47 जनों की हत्या हुई, जबकि बीते साल इस अवधि में यह संख्या 43 थी। ये घटनाएं आए दिन हो रही हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा गृह

(श्री कन्हैया लाल)

मंत्रीजी से, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों की रक्षा करने में, सरकार कहती है हम इनके हिमायती हैं, इनकी रक्षा करने वाले हैं, जिस प्रकार अपराध की प्रवृत्ति आपके टाइम में बढ़ी है कभी भी इतनी नहीं बढ़ी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आए दिन मंदिरों में चोरियां हो रही हैं। चाहे वह बौद्ध जैन मन्दिर में हो रही है चाहे हिन्दुओं के मन्दिर में हो रही है, मूर्तियों की चोरी हो जाती है। चोरियों में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है, उनमें कमी नहीं हो रही, उनको बरामद नहीं किया गया।

जिला करौली के ग्राम कुडगांव में रामजी की एक मूर्ति जिसकी कीमत लोग लगभग ढाई करोड़ बताते हैं, वह आज तक बरामद नहीं हुई। गृह मंत्री महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर लोगों ने धरने भी दिये, वहां पर डी.आई.जी साहब ने जाकर लोगों को आश्वस्त किया कि हम 15 दिन में मूर्तियां बरामद कर लेंगे लेकिन आज दिन तक वह मूर्ति बरामद नहीं हुई।

इसी प्रकार लूणकरणसर, बीकानेर, करणी माता के मन्दिर से भी आभूषण गायब हुए 10 मार्च, 2002 को, आज तक बरामद नहीं हुए। जयपुर जिले के शिवदासपुरा थाना के तहत सामरिया गांव है उस गांव में सीतारामजी के मन्दिर से 268 साल पुरानी अष्ट धातु की बनी, सीतारामजी और राधिका, गुरुड़ तथा काले पत्थर की गोपीनाथजी की मूर्तियां चोरी हुई। इन चोरियों के लिए लोग एस.पी. साहब से लेकर डी.आई.जी. साहब, डी.जी. साहब तथा गृह मंत्री महोदय से भी मिले लेकिन, माननीय गृह मंत्रीजी, अब तक इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 7 नवम्बर, 2002 को चौमूं के एक मन्दिर से अष्ट धातु की मूर्ति चोरी हुई, वह भी आज तक नहीं मिली। जोधपुर जिले के पीपाड़ कस्बे के प्राचीन मन्दिर से 6 देव मूर्तियां जनवरी, 2003 में चोरी हुई, जहां मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला है वहां पर भी मूर्तियां अब तक उपलब्ध नहीं हुईं। भरतपुर जिला, आप वहां से चुनकर आते हो, वहां डीग कस्बे में जैन मन्दिर से अष्ट धातु की 7 प्रतिमाएं जनवरी, 2003 में चोरी हुई। दो बार हो गईं, लेकिन आज तक मूर्तियां बरामद नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा गृह मंत्री महोदय से, कम से कम हिन्दुओं की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए इन मूर्तियों की चोरी को बरामद करवाया जाए। जो अरबों-खरबों रुपयों की मूर्तियां यहां से उखाड़ ली गयी हैं, उनमें से कोई भी मूर्ति वापस नहीं आयी है।

(श्री कन्हैया लाल)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एस.एच.ओ., डबोक, मावली में जिस सम्भाग से माननीय गृह मंत्री महोदय आते हैं, वहां दिनांक 25.5.2002 को गन्दोली में हत्या हुई। मृतक रामलाल डांगी, निवासी पलना खुर्द डांगियों का खेड़ा एक शादी में सम्मिलित होने को गया था, जहां उसकी हत्या की गयी। सभापति महोदय, उस रामलाल पुराना वहां पर ससुराल था, 7-8 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी, उस गांव के कहे अनुसार अवैध सम्बन्ध रहने की वजह से उसने 6-7 महीने पहले इससे तलाक ले लिया था। ससुराल वालों में उसके 17 हजार रुपये और कुछ सोना आता था, शादी में जब उस गांव में जाता है तो उसको बहला फुसलाकर कि आपका सोना और पैसे दिलवाए जाएंगे, उसकी पूर्व पत्नी लक्ष्मी, उसका पिता और एक देवा नाम का व्यक्ति और 2-3 आदमी, इस तरह ये 4-5 आदमी मिलकर उस व्यक्ति को ले जाते हैं और ले जाकर गांव के बाहर ही इस व्यक्ति की मार-मार कर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में उसको वहीं पर बाड़े के अन्दर डाल आते हैं और घर वालों को सूचना देते हैं कि यह व्यक्ति तो कुएं में गिर गया था, कुएं में से हमने निकालकर बाहर किया है। सभापति महोदय, घर वालों को सूचना देते हैं कि यह तो कुएं में गिर गया था। मैं कह रहा हूं कि उस व्यक्ति की हत्या होने पर भी डबोक थाने में एफ.आर. लगा दी गयी। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी एफ.आर. खोली जाए और दुबारा उच्चाधिकारियों से जांच करवायी जाए, वास्तविकता की जांच करवायी जाए। उस व्यक्ति की जो हत्या करायी गयी, आज तक किसी ने उसकी कोई जांच नहीं की है और एफ.आर. लगा दी गयी है। घर वालों को कह दिया कि आत्महत्या कर ली इसने। इसलिये मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसकी उच्चस्तरीय जांच करवायी जाए और जांच करवाकर जो इसमें दोषी पाये जाएं उनको गिरफ्तार किया जाए।

राजस्थान में अपराधों की संख्या के अनुपात में पुलिस कर्मचारियों की संख्या अत्यन्त कम है, अतः जनसंख्या के आधार पर पुलिस की नफरी बढ़ायी जानी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जयपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू हो जानी चाहिए ताकि पुलिस का कार्य स्थायी और प्रभावशाली बन सके। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुलिस के सिपाही या अधिकारी काम करते हैं उनके निश्चित घण्टे गृह मंत्री तय कर लें जिससे इन व्यक्तियों को भी अपने परिवार से मिलने-

(श्री कन्हैया लाल)

जुलने का या सामाजिक रीति-रिवाजों में भाग लेने का मौका मिल सके। राज्य और जिला स्तर पर आई.पी.एस. और आर.ए.एस. की तरह पुलिस सबार्डिनेट स्टाफ को भी एसोसिएशन बनाने की अनुमति मिले ताकि वे भी अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े अधिकारी अगर एसोसिएशन बना सकते हैं तो छोटे जो पुलिस हैड कांस्टेबल हैं, या थानेदार हैं ये भी अपनी एसोसिएशन बनाकर अपनी बात को यूनियन के माध्यम से कह सकें तो उसको बनाने की इजाजत देनी चाहिए। सारे डिपार्टमेंट्स के अन्दर ऐसी यूनियनें बना रखी हैं, इंनको भी बनाने दी जानी चाहिए। आज सब इंस्पैक्टर से लेकर इंस्पैक्टर लेवल तक की ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस अधीक्षक साहिबानों को अधिकार दे रखा है, इसमें भ्रष्टाचार की कई जगह बू आती है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अधिकार पुलिस हैडक्वार्टर को होना चाहिए, पुलिस हैडक्वार्टर से इनके ट्रांसफर होने चाहिए। कभी भी इनको यह अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि जब चाहे तब किसी भी व्यक्ति को जहां चाहे वहां लगा देते हैं। वहां की पब्लिक नहीं चाहती है, उस एस.एच.ओ. को वहां पर लगा दिया जाता है। तो इनकी कम से कम वास्तविकता तो हो कि कौन सही है, कौन गलत है। पुलिस हैडक्वार्टर से इनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग होनी चाहिए।

इसके साथ मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो बांग्लादेशियों को जयपुर से आपने खदेड़ा, लेकिन आपने बस्सी ले जाकर बसाने की कोशिश की। बस्सी के लोगों ने इस पर एतराज किया तो बस्सी के पास में कानोता में इनको बसा दिया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी कम से कम एक बार जानकारी कर लें कि ये कितने लोग हैं और कितने नहीं है। इन लोगों के पास कमाने-खाने का कोई साधन नहीं है। ये लोग या तो डकैती, चोरी या लूट करके ही अपना पेट पालन करते हैं। ऐसी हालत में इन लोगों को ऐसी जगह बसाया जाए जिससे इनको कोई रोजगार-धन्धा मिले, लोगों की इस प्रकार की लूट-डकैती का कार्य ये नहीं कर सकें।

(19.25 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहा था कि हर-एक थाने में महिला करेगी स्वागत, सिपाही पिलाएगा ठण्डा-पानी जो कोई रिपोर्ट दर्ज कराने आएगा उसको। माननीय गृह मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि महिला करेगी स्वागत, एक महिला को उस थाने में लगाया जाएगा। सिपाही पिलाएगा ठण्डा

(श्री कन्हैया लाल)

पानी, शहर के थानों की फिजा अब बदल दी जाएगी। इस प्रकार की यह कार्यवाही अगर बदल दें तो महिलाओं को तो नहीं रखें, महिला की बजाय किसी सिपाही को अगर इस प्रकार का रखने का संवेदनशील कदम के रूप में अगर थानों में हो तो बहुत बढ़िया रहे।

इतना ही कहते हुए, आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 16-पुलिस पर चर्चा हो रही है। राज्य का आधार दण्ड शक्ति है, दण्ड के माध्यम से ऐसा वातावरण समाज में बनाते हैं जिससे अपराधी न हो। मनुष्य अपराधी नहीं होता है, वातावरण उसे स्वयं अपराधी बना देता है। समाज का यह दायित्व है कि हम राष्ट्र, राज्य और समाज में ऐसा वातावरण नहीं बनाएं। जिससे मनुष्य अपराधी बने। सदन में चर्चा जो हुई मैं उन अपराधों की संख्या की ओर नहीं जाऊंगा। हमारे शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने विस्तार से उसकी चर्चा की कि राजस्थान में अपराध घटे हैं। इन वर्षों में राज्य में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है, सम्प्रदायसौहार्द रहा है।

जैसा मैंने कहा कि वातावरण हम खुद बिगाड़ते हैं। इस देश में इन दिनों में सम्प्रदाय को लेकर जो वातावरण बना है उसका एक राजनीतिक आधार हो सकता है, परन्तु मूलतः देश की संस्कृति सामाजिक संस्कृति एक रही है। हम ऐसे सहिष्णु समाज में पैदा हुए हैं जहां पर सम्प्रदाय का भेदभाव नहीं है। फिर भी कुछ शक्तियां इस देश में साम्प्रदायिकता को बढ़ाकर राजनीति खेलना चाहती है। मेरा उन साथियों से निवेदन है कि हिन्दू तो मूलतः सहिष्णु है, हिन्दू कभी कट्टरता में विश्वास नहीं रखता है। यदि हम कट्टरता में जाते हैं तो हम वास्तव में हिन्दू नहीं हैं। हिन्दू सहिष्णुता का पर्यायवाची है। हम सम्प्रदाय के नाम से यदि इस देश के वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं तो यह देश के हित में नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इसमें शंका नहीं है, कृपया इसको स्पष्ट कर लें हमारे विरोधी साथी।

अभी मेरे साथी चर्चा कर रहे थे। मैं सीमान्त क्षेत्र का आदमी हूं, 1040 किलोमीटर हमारी सीमा है। सीमाएं सील हो चुकी हैं, फैसिंग हो चुकी है, लाइटें लग चुकी हैं। एक परिन्दा भी उड़कर नहीं आ सकता है। फिर इस सीमा की चर्चा किस तरह से मेरे साथी यहां करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। सीमा का जिम्मा केन्द्र सरकार का है। केन्द्र सरकार की एजेंसी सीमा पर बैठी हुई है, फिर राजस्थान की पुलिस के बारे में चर्चा करना

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

कि सीमा पर ऐसी गतिविधि हो रही है, मुझे समझ में नहीं आता है। हम मदरसों की चर्चा करते हैं जहां अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शिक्षा लेते हैं। राजस्थान सरकार ने इस वर्ष मदरसा बोर्ड बनाया है, उनका रजिस्ट्रेशन किया है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, सबसे बड़ी सीमा मेरे जिले की है जैसलमेर जिले की, उन मदरसों में मुझे नहीं लगता कि वहां कोई गतिविधि है। निश्चित जब सीमाएं खुली हुई थीं... (व्यवधान) आप मेरी बात सुनते जाइये, कृपया।

जब सीमाएं खुली थीं तो निश्चित तौर पर तस्करी होती थी। जहां अन्तरराष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, हर सीमा पर तस्करी होती है। उसी को लेकर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने सीमा को सीलबंद किया है। आज तस्करी के नाम से कोई भी चर्चा नहीं होती है। देश में अन्य भी कई एजेंसीज हैं, कई स्रोतों से लोग आ सकते हैं। हमने आतंकवाद की चर्चा इस सदन में की, मादक पदार्थों की चर्चा की। विस्फोटक पदार्थ इस देश में आये, कई स्रोतों से आ सकते हैं-बांग्लादेश से आ सकते हैं, भूटान से आ सकते हैं, नेपाल से आ सकते हैं पर यह कहना कि राजस्थान की अन्तरराष्ट्रीय सीमा से आये, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा विरोध पक्ष के साथियों से अनुरोध है कि कृपया ऐसा वातावरण नहीं बनाएं।

राजस्थान बहुत शांतिप्रिय राज्य रहा है देश में और उसकी एक परम्परा है। इस तरह कभी महिला की चर्चा करते हैं, कभी एस.सी., एस.टी. की चर्चा करते है। प्रति दिन हम देखते हैं कि किसी भी विषय को लेकर यहां खड़े हो जाते हैं। और आज प्रातः से भी यही चर्चा होती रही कि अमुक जगह ऐसा क्राइम हो गया। तो क्राइम तो समाज में है ही। सत् और असत् दोनों शक्तियां समाज में हैं। बुराइयां समाज में हमेशा से रहती आयी हैं, हमेशा से अपराध होते रहे हैं। पर वस्तुतः जब सारा वातावरण हम देखें तो हम मानेंगे कि राजस्थान की अपराध संख्या घटी है। यहां पर सद्भावना रही है, हम उसको बिगाड़ने का प्रयास नहीं करें।

इस वर्ष राज्य सरकार ने बजट के अन्दर काफी अच्छे प्रोविजन रखे हैं, 809 करोड़ रुपये का बजट पुलिस का है। करीब 70 हजार पद, एक बेड़ा काम करता है, इतना बड़ा बेड़ा पुलिस का काम करता है। सिर्फ 52754 तो कांस्टेबल हैं। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कांस्टेबल जो मेरे सीमान्त क्षेत्र में काम करते हैं कम से कम उनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस की अवश्य व्यवस्था करें। वे रेगिस्तानी क्षेत्रों में अकेले उस सूनेपन में रहते हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। केन्द्रीय योजना से 74.29 करोड़ रुपये हमें आधुनीकरण के वास्ते

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

मिले थे। आधुनीकरण के लिए उस क्षेत्र के वास्ते मिले थे, जहां पर हम पिछड़े हुए हैं। पर जैसा कि मेरे पूर्व साथियों ने कहा, वे साधन हमें नहीं मिले। हमारे वायरलैस सैट्स, संचार के माध्यम, हमारे आवागमन के साधन उस सीमान्त क्षेत्र में, उस पिछड़े क्षेत्र में पहुंचने चाहिए। वित्त आयोग से भी हमें 42 करोड़ रुपये की राशि मिली है, उसका भी हम सदुपयोग करें तो उस सीमान्त क्षेत्र को अच्छा लाभ मिल सकेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग भी काम कर रहा है, वह वस्तुतः सराहनीय है। मेरे जिले में एक चौकी खोली गई, न उस चौकी के पास टेलीफोन था और न उस चौकी के पास कोई साधन। हमने कई केसेज उनको दिये हैं। जिस विभाग से हमने रिपोर्ट की है उस विभाग से गाड़ियां लाकर दो, विभाग के व्यक्ति दो तो हम जाकर जांच करें। यह कैसे सम्भव हो सकता है, यदि हमने चौकियां खोली हैं, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की। वस्तुतः जो लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था है, जिस तरह की हमारी कार्य प्रणाली है, उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता है और बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाने के लिए इस भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सक्षम करना चाहिए, ऐसा मेरा माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन है जिससे हम इस रोग को समाज से समाप्त कर सके और राजकीय व्यवस्था को आगे बढ़ा सके।

मैंने आपसे निवेदन किया था कि जैसलमेर के सीमान्त क्षेत्र में मोहनगढ़, रामगढ़ और नाचना तीनों सब डिवीजनल हैडक्वार्टर्स हमारे बन चुके। राज्य सरकार के आदेश से वहां आई.डी. और सी.आई.डी. के एक-एक सर्कल हैं, डीवाई.एस.पी. की पोस्ट हैं। मेरा ऐसा सुझाव है यदि उसको जनरल कर दिया जाए। वहां पूरे क्षेत्र में खुला है, इन्दिरा गांधी नहर का, करीब 200 नये गांव सृजित हुए हैं। सारे राजस्थान के पचास हजार नये लोग, परिवार वहां जाकर बस रहे हैं। जब नया क्षेत्र है तो वहां पर क्राइम्स भी होंगे, पानी की भी समस्याएं वहां पर होंगी। उन तीनों स्थानों नाचना, मोहनगढ़ और रामगढ़ में जो आलरेडी आपकी व्यवस्था है, उसमें आर्थिक आयोजन नहीं करना है। आपके डीवाई.एस.पी. लगें हुए हैं सी.आई.डी. के, यदि उसको जनरल कर दें तो मुझे लगता है कि हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। एस.डी.एम. हैडक्वार्टर्स हमने वहां बना दिये हैं। उसी तरह जो बहुत बड़ी रेंज है, मेरे जिले में लाठी रेंज से लाखों रुपयों का फायरिंग में मटीरियल निकलता है और चोरियां होती हैं। लाठी के लिए मेरी मांग है कि उसको आप एक थाने में कंवर्ट करा दें तो पोकरण और जैसलमेर के बीच में जो ट्रैफिक हाई-वे का है वह भी कंट्रोल कर पाएंगे। विशेष कर

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

सीमान्त क्षेत्र में व्हीकल्स और हथियार, जब तक आधुनिक हथियार नहीं देंगे तो अभी तो क्राइम्स नहीं हैं, परन्तु साधन यदि मुहैया कराएंगे तो हम आगे भी उसको सुदृढ़ कर पाएंगे। इसके लिए ही केन्द्र सरकार ने हमको विशेष कर पैसा दिया था। उसका हम सदुपयोग कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे सभी साथियों से निवेदन करूंगा, conjecture creates criminals, ऐसा देश में, राजस्थान में वातावरण बनाएं, हमारा साम्प्रदायिक सौहार्द रखें। जो राज का भय है, राज का भय पुलिस के माध्यम से है, अपराध उससे कम होंगे। जो हमारी पुलिस की कार्यवाही हो वह सुचारू रूप से हो। इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बोलना है? बोलिये।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या-16 पर चर्चा हो रही है, पुलिस और कारागार पर।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आलोचना की बजाए समालोचना कीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : पुलिस का विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है कानून और व्यवस्था पूरे राज्य में रखने के लिए। लेकिन यह सवाल है कि राजस्थान में योग्यता और क्षमता के आधार पर पोस्टिंग नहीं होकर इस चार साल में डिजायर व्यवस्था है, उसमें निश्चित रूप से डिजायर किसकी होगी और क्या होगी, वह आगे डिजायर पर जाने के बाद क्या करेगा, यह सब इसमें अन्तरनिहित है। जब तक हम पुलिस के अधिकारियों की क्षमता और योग्यता के आधार पर उनकी पोस्टिंग नहीं करेंगे तब तक इस विभाग का सही रूप से उपयोग जो होना चाहिए, मैं समझता हूं नहीं हो सकता।

मंत्री महोदय, बिराजे हुए हैं, 9 जनवरी, 2000 को राजस्थान में एक बहुत बड़ा गोलीकाण्ड मोलासर में हुआ। सरकार ने और मंत्रीजी ने प्रशासनिक जांच के लिए रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर को नियुक्त किया था, तीन साल पूरे हो गये। वहां के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, एस.पी. और कलक्टर ने वहां के किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि मुख्य मंत्रीजी आएंगे और आपका डैपुटेशन उनसे मिलाएंगे और आपकी समस्याओं से अवगत उनको कराएंगे। लेकिन जब मोलासर पहुंचे मुख्य मंत्रीजी, वहां के पुलिस प्रशासन और प्रशासन ने चीफ मिनिस्टर से उनका डैपुटेशन नहीं मिलाया, बल्कि हजारों की संख्या में उपस्थित किसानों को खदेड़ने का प्रयास किया। लाठी-चार्ज किया, अश्रु गैस छोड़ी और बगैर चेतावनी के फायरिंग की जिसमें तीन लोग घायल हुए। सरकार ने प्रशासनिक

(श्री अमराराम)

जांच के लिए रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर को नियुक्त किया, मुझे अफसोस है कि तीन साल बीत गये। किसकी कमियां थीं? सबसे बड़ी अफसोसजनक बात यह है कि जिन तीन नौजवान किसानों के गोलियां लगीं, वहां के पुलिस और प्रशासन ने मिलकर मेडिकल विभाग से उनके गोलियां नहीं लगी हैं, यहां तक की मेडिकल रिपोर्ट करा दी। इस तरह के कारनामे पुलिस अपने बचाव के लिए करती है। किसकी क्या कमियां रही हैं और आगे के लिये उसका किस तरह से इन्तजाम करना है, अगर यह नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि इन जांचों का चाहे वह प्रशासनिक हो, चाहे वह न्यायिक हो, किसी भी रूप में उपयोग नहीं हो सकता। इसके लिये हर कोई कानून से बंधा हुआ है, चाहे पुलिस के अधिकार हो। हम छोटे कर्मचारियों पर तो कोई न कोई एक्शन जरूर करते हैं, लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारी अगर कायदे-कानूनों से बाहर जाकर कोई भी काम करते हैं और उन पर जुडीशियरी अगर निर्णय दे देती है तो सरकार उन अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की परमिशन देने के लिये तैयार नहीं है।

22 अप्रैल, 1987 को सीकर में एक गोली काण्ड हुआ जिसमें नवीं कक्षा का एक विद्यार्थी कानाराम शहीद हुआ। कोर्ट में वाद दायर हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, सैशन कोर्ट में पुलिस के दो आर.पी.एस. अधिकारियों तत्कालीन डीवाई.एस.पी. और एडिशनल एस.पी. और एक पुलिस कांस्टेबल को मुलजिम मानते हुए यह निर्णय दिया गया कि जब तक आर.पी.एस. अधिकारियों का राजस्थान की सरकार चालान करने की अनुमति नहीं देती तब तक कोर्ट में प्रोसीड नहीं हो। उन अधिकारियों ने राजस्थान के हाई कोर्ट में अपील की, होई कोर्ट ने भी यही निर्णय दिया। गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को हमने भी ज्ञापन दिया और इन्होंने यस किया। मंत्रिमण्डल के पांच सदस्यों के सामने यह वादा किया, आश्वासन दिया कि पुलिस के अधिकारी कभी कभी पकड़ में आते हैं, इनकी हम अनुमति दे देंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कहते हुए कि दो साल के बाद भी, मुख्य मंत्रीजी के सामने पांच सदस्यों के आश्वासन के बाद भी आज तक इन अधिकारियों पर...

श्री मदन दिलावर : इनकी बात का आपने भरोसा कैसे कर लिया? इनकी बात पर भरोसा करना ही नहीं चाहिये। भरोसे लायक ही नहीं हैं ये।

श्री अमराराम (धोद) : आज तक भी उनको चालान में, क्योंकि जो उन्होंने कानून से बाहर जाकर काम किया है तो निश्चित रूप से उसके लिये वे दोषी हैं। पुलिस का बहुत बड़ा हिस्सा आज इस तरह से है। अभी मंत्रीजी कह रहे थे

(श्री अमराराम)

कि कौनसे केस हैं जो एस.सी., एस.टी. के हों। एस.सी., एस.टी. के मुकदमे दर्ज करने में आप जितने भी मुकदमे हों, वह उठाकर देख लीजिये। ज्यादातर थानों में जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें जब तक एस.टी. के अलावा अगर गवाह के रूप में नहीं लाता, तब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मैं पूछना चाहता हूं, अमरारामजी, ओपन जगह पर कोई मुकदमा होता है, मारपीट होती है फिर भी शिड्यूल्ड कास्ट का ही गवाह चाहिये क्या? सौ आदमी देखने के लिये होते हैं उनमें से क्यों नहीं दिया जाए? जो यह बात कह रहे हो, यह गले नहीं उतरती है। एस.सी. के साथ मुकदमा हो जाएं, कोई दूसरा गवाह लें। ओपन मार्केट में होता है, बीस आदमी देख रहे हैं, गवाही नहीं देंगे क्या? केवल एस.सी. के ही गवाह होंगे क्या? यह बात ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : हीरासिंहजी, आप बोलोग न अभी।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं बोलूंगा, लेकिन यह भी ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलोगे, फिर बीच में क्यों बोल रहे हो?

श्री अमराराम (धोद) : आप, चौहान साहब, यह क्यों नहीं कहते कि दलितों के दूल्हों को ही घोड़े से उतारा जाता है? दूसरों को क्यों नहीं उतारा जाता? राजस्थान में कहीं एक घटना ऐसी बता दें कि दलित के दूल्हे को घोड़ी से उतारने के अलावा कौनसी वे जातियां हैं जिनके दूल्हे को घोड़ी से उतारा हो। तो शायद मुकदमा दर्ज कराने की जरूरत नहीं, उसी जगह काम ठीक हो जाए। इसलिए वे दबे हुए हैं। पुलिस भी यह नहीं कहती। और मैं, मंत्रीजी, यह कहना चाहता हूं कि अभी हालात क्या हैं, बड़े लोगों पर हो जाए तो क्या हालत हो।

अभी 22 तारीख की एक घटना है। हमारे जोधपुर मेडिकल कालेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल आर.एन. सिंह जो उदयपुर से सलूम्बर जा रहे थे...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : सलूम्बर से उदयपुर आ रहे थे, आप गलत बता रहे हो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : हां, सलूम्बर से उदयपुर आ रहे थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पता है। गृह मंत्रीजी को पता है।

श्री अमराराम (धोद) : गृह मंत्रीजी को पता है।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए आपको बता रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं बता रहे हैं। ऐसी घटना हो कि उनकी गाड़ी

(श्री अमराराम)

को रोक कर, उनके तमाम लोगों को बांध कर तमाम लूट हो जाए, डकैती हो जाए और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये जाएं तो आपका एस.एस.ओ. यह कहे कि मैं छह लोगों की रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा केवल चार लोगों के ही नाम दर्ज करूंगा, क्योंकि यह लूट होगी और छह लोगों का जो आप बता रहे हैं, उतने लोगों का नाम लिखकर रिपोर्ट दर्ज करूंगा तो यह डकैती हो जाएगी। इसलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं हो? और राज भवन से आपके पास टेलीफोन आने के बाद आप निर्देश दें तो छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाए? क्या, मंत्रीजी, आपके दखल के बाद ही रिपोर्ट सही दर्ज होगी? आपके दखल के बाद रिपोर्ट तो निश्चित रूप से छह लोगों के खिलाफ दर्ज हो गयी, लेकिन वह थानेदार जो एक मेडिकल कालेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल के कहने के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं करता, क्या उस थानेदार के खिलाफ आपने कार्यवाही की? जो मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल हैं, उनकी तो पहुंच राज भवन तक भी है, हमारे गृह मंत्री तक भी है, लेकिन उस गरीब की बात कीजिये। आज साधारण आदमी गांव का हो, या शहर का हो, थाने में जाते हुए घबराता है और तमाम माफिया, चाहे वह शराब माफिया हो, चाहे वह हवाला माफिया हो, चाहे वह भूमाफिया हो, उनके लिये थाने के दरवाजे हमेशा खुले हैं। डिजायर से आ जाते हैं अधिकारी, जितने गैर-कानूनी कार्य करने वाले हैं, चाहे वह सट्टा करने वाला हो, चाहे वह शराब माफिया हो, चाहे वह हवाला माफिया हो, उनके लिये थाने के दरवाजे चौबीस घंटे खुले हैं। आराम से उनके अन्दर पार्टियां करते हैं। और साधारण आदमी अगर थाने में जाता है तो उसको डर लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह है, मैंने देखा है, सड़क पर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में मारे जाए, घायल लोगों को लोग अस्पताल में इसलिए नहीं ले जाते कि पुलिस उनसे कितने दफा पूछताछ करेगी। इस डर से हास्पिटल तक लोगों को नहीं पहुंचाते हैं।

मिर्धाजी का अपहरण हुआ, जिस दूध वाले ने सूचना देकर मिर्धाजी के अपहरणकर्ताओं को पकड़वाने का काम किया, उसकी मिसाल है। उसके साथ पुलिस ने किस तरह का बर्ताव किया? यह नजीर कोई एक नहीं है। हम बड़े लोगों के लिये तो दखलंदाजी का देंगे, लेकिन गांव का गरीब तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से भी डरता है, उसके एक्शन करने के लिये डरता है। वह आज भी आपकी फाइल के नाम से, गाड़ी के नाम से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसके अलावा और कोई सब्जैक्ट हो तो बोलो, नहीं तो बंद करो, दूसरों को बुलावें। एक ही एक थाना, रिपोर्ट, कितने दफे कहोगे एक ही बात?

श्री अमराराम (धोद) : इसमें तो रिपोर्ट ही है, साहब। थाने में तो रिपोर्ट ही होती है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी एक थाना, दो थाना, तीन थाना। मूल बात यह है कि थाने में रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिये। और कुछ हो तो बोलो, नहीं तो फिर दूसरों को बुलावें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : दूसरा मेरा यह निवेदन है कि जो कर्मचारी है, जो नान गजेटेड है, उनको संघ बनाने की निश्चित रूप से आपको परमिशन देनी चाहिये। जहां–जहां इस देश में संघ बनाने की परमिशन दी गयी है उसके बढ़िया रिजल्ट हैं। आप देखिये, सीकर पुलिस लाइन में एक पुलिस कांस्टेबल का एक रूम का क्वार्टर है, उनसे 700 रुपये लेते हैं बिजली के। जितने पुलिस के अधिकारी हैं, जितना पुलिस लाइन का खर्चा है, पचास साल से आज तक बिलकुल फ्राड चल रहा था, अब बिजली की कम्पनियां बन गयीं, उनका हिसाब लेने गये तो उन्होंने कनेक्शन कर दिया तो क्या हालत है? उपाध्यक्ष महोदय, कांस्टेबल के क्वार्टर में एक बल्ब जलता है, वहां के एस.पी. ने कह दिया कि 700 रुपये एक कांस्टेबल बिजली का चुकाएगा तब उसको तनखाह मिलेगी। तमाम कांस्टेबलों ने दो महीने तक तनखाह का बष्हिकार कर दिया। उनके पास इसका प्रतिवाद करने का, अपनी बात रखने का क्या तरीका था? लेकिन फोर्स में आदेश चलता है, वहां वाद–प्रतिवाद नहीं चलता। निश्चित रूप से होना चाहिये। उनको यूनियन, संघ बनाने की आप परमिशन देंगे तो वे अपनी बात कह सकेंगे। बड़े अधिकारी तो आपसे मिलते हैं, वे आपके विभाग के बड़े अधिकारियों से मिल लेते हैं, उनकी एशोसिएशन है, उनके द्वारा भी बात हो जाएगी। 75 हजार में से 50 हजार वह कर्मचारी जो दिन–रात सर्दी में, गर्मी में सड़क पर खड़ा होकर ड्यूटी देता है, आपके अफसरों के घरों में चाकरी करता है, क्या–क्या काम उनसे कराते हैं। थाने में नहीं होंगे, लेकिन आपके अफसरों के घरों में देख लीजिये। जितने अर्दली हैं किसी भी अफसर के यहां आप चैक करवा लीजिये, सबसे ज्यादा हाई ड्यूटी देने वालों को इस तरह से आपके अधिकारी करें। तो निश्चित रूप से आप उसको यह राइट देंगे।

मैं कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार की बात करें तो अभी एस.आई. की पोस्ट का जो रिजल्ट है पूरे राजस्थान में, आप रिकार्ड में रखें या नहीं रखें, लेकिन हालत क्या है? जितने पास हुए हैं, बोली लग रही है, एक–एक एस.आई. के लिए 10 से 15 लाख रुपये के जुगाड़ में लगे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो 15 लाख रुपये देकर एस.आई. बनेगा, थाने में पोस्टेड होगा तो क्या दो नम्बर के काम करने वालों के साथ नहीं होगा? 15 या 20 लाख रुपये देकर एस.आई. आएगा, किस तरह से वह भर पाएगा? डिजायर लिखाने के लिए अपना सुविधा शुल्क देगा, वह किस तरह से वसूल करेगा? जब तक इस

(श्री अमराराम)

भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने में हमारी इच्छा शक्ति नहीं होगी, आप नारा भले ही लिख दें सेवा के लिए, लेकिन सेवा नहीं होगी। इसलिए मेरा तो निवेदन है कि पुलिस के मामले में हमारी राजनीतिक इच्छा-शक्ति की आवश्यकता है।

अभी शिव से आने वाले माननीय सदस्य अमीन खान ने कहा, इम्प्लीमेंटेशन आज भी उस आधार पर नहीं हो रहा है। कोई भी धार्मिक स्थल है, तय रूप से धार्मिक स्थल पर किसी परमिशन के बगैर निर्माण होता है तो वह रोका जाए। लेकिन केवल अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थल के निर्माण को रोका जाता है। मन्दिर चाहे सड़क के बीच में बना दें, कहीं भी मन्दिर थोप दें, कोई भी जमीन का विवाद हो उसके अन्दर थोप दें तो कोई उसको हाथ भी लगाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अल्पसंख्यक क्योंकि संख्या में कम हैं, दबाव है इसलिए उनके लिए तो कार्यवाही, बाकी के लिए कार्यवाही नहीं होगी।

गृह मंत्रीजी, आप भी कह रहे हैं, हमारे मुख्य मंत्रीजी भी कह रहे हैं, लेकिन खुले रूप से समारोह करके जिस तरह से भाईचारे को बिगाड़ने का काम राजस्थान में कुछ तत्व और संगठन करते हैं, क्यों नहीं सख्ती करते हैं? आप केवल भाषा करते हैं, वरना तो कौनसी ऐसी ताकत है कि राजस्थान में भाईचारे को बिगाड़ने की कोई भी संगठन कोशिश करता है? प्रशासन के पास अगर राजनीतिक इच्छा-शक्ति है तो पुलिस तो एक दिन में रोकने के लिए तैयार है। गुजरात के वक्त आपने आदेश दिये कि कहीं भी अगर दंगा होगा तो कलक्टर और एस.पी. की जिम्मेदारी होगी। कहीं भी समारोह करके कोई भी त्रिशूल या दूसरे ऐसे हथियार बांट कर राजस्थान के भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, अगर आप में राजनीतिक इच्छा-शक्ति है तो राजस्थान का भाईचारा नहीं बिगड़ सकता। इसलिए मेरा तो निवेदन है कि राजनीतिक इच्छा-शक्ति होनी चाहिए पुलिस से इस कानून और व्यवस्था को, राजस्थान के भाईचारे को कायम रखने के लिए। यही बात कहते हुए, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंहजी।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) नहीं, थोड़ा बोलूंगा। 10 मिनट का ही टाइम दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट का। यह तो दो मिनट कह गये, अभी मैं पांच मिनट कह रहा हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : कानून और जान और माल की रक्षा करना...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अभी गागर में सागर भर देंगे यह। गागर में सागर करना इनको आता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों ही एक्सपर्ट हो।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा।

श्री परसादी लाल : हीरासिंहजी लम्बा नहीं बोलते हैं ज्यादा।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, जान और माल की रक्षा करने के लिए पुलिस व्यवस्था सभी राज्यों में और सभी जगह आवश्यक होती है। इसलिए मैं कुछ सटीक बातों की तरफ सम्माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा।

पिछले दिनों में इस प्रदेश में जगह जगह जातीय पंचायतें होती देखी गयी हैं, जातीय पंचायतों द्वारा जगह-जगह समाज के छोटे-बड़े झगड़ों का निर्णय करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, हमारे समाज में कौनसी ऐसी एजेंसी है, कौनसी ऐसी व्यवस्था है, जो जातीय पंचायतों द्वारा निर्णय किया जाता है उसके अतिरिक्त हमारे पास क्या व्यवस्था है? कई प्रकार के विवाद जातीय संगठनों में होते हैं और जातीय बिरादगी बैठ कर उन विवादों को निपटाती है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, गृह मंत्रीजी, आज जाति के बड़े-बड़े पंच कोई पंचायती करते हैं और उसी के खिलाफ कोई मुकदमा चला गया। कोई फैसला हो गया जातीय पंचायत में, थाने में मुकदमा दर्ज हो जाता है। पंचों ने कुछ नहीं किया है, पंचों ने हजारों की संख्या में बैठ कर कोई निर्णय किया है। कहीं-कहीं उसको अखबार में अदरवाइज हाइलाइट कर देते हैं, जो चीज असल में नहीं होती है उसको जोर-जबरदस्ती हाइलाइट करके पेपरों में दे दिया जाता है। गृह मंत्रीजी, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप जातीय पंचायत को समूल ही नष्ट करना चाहते हैं तो फिर यह समाज बेलगाम हो जाएगा यह किसी के कंट्रोल में रहने वाला नहीं है। आपके ग्राम पंचायत फैसला कर सकती नहीं। आपकी जितनी भी एजेंसियां हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारे पास समाज में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इन विवादों को बैठकर निर्णय करने के लिए आज तैयार है। जब जाति के पंच बैठ कर किसी विवाद का निर्णय करते हैं, हमारे बहुत पुरानी कहावत है कि पंच हैं जहां परमेश्वर है और उनका निर्णय सटीक होता है। वे किसी के साथ दोष भी नहीं करते, पाप भी नहीं करते। जिस प्रकार की बात वहां पर सुनते हैं और उसी के अनुसार, जाति के अनुसार फैसला किया जाता है। लेकिन, माननीय गृह मंत्रीजी, आपका केवल एक थानेदार उसकी तफतीश करता है। एस.सी., एस.टी. का मुकदमा होता है, डीवाई.एस.पी. तफतीश करता है, अन्य मुकदमें हैं उनमें डीवाई.एस.पी. तफतीश करता है, मेरी आप से मांग है कि इस प्रकार के कहीं जातीय संगठनों के मुकदमे होते हैं तो

(श्री हीरासिंह चौहान)

कम से कम एडीशनल एस.पी. स्तर का आफिसर होना चाहिए उसकी जांच करने के लिए। तब तो न्याय मिल सकता है, अन्यथा ये जाति पंचायतें होंगी नहीं। और अगर जाति पंचायतें होना हमारे समाज में खतम हो गया, हमारे प्रांत में खतम हो गया तो एक बड़ी भारी व्यवस्था फैलेगी। न्याय अदालतों में तो मिलता नहीं है, अदालतों को न्याय देने में वर्षों लग जाते हैं। पुलिस न्याय दे नहीं सकती क्योंकि पुलिस के पास तो एक धंधा है चालान करने का। आप कम से कम पुलिस वालों को...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप एडवोकेट भी हैं, पुलिस भी न्याय नहीं दे रही है, अदालतें भी न्याय नहीं दे रही हैं फिर कौनसी एक ऐसी एजेंसी बनाएं जो न्याय दे सकेगी? (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : समाज ही दे देगा न्याय तो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दूसरा, आप संविधान से अच्छी तरह से परिचित हैं, क्या संविधान के तहत जाति पंचायतों को कोई रिकाग्नाइजेशन मिला है या अधिकार दिया गया है क्या? इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हीरासिंह चौहान : सोशल सैंक्शन है, माननीय गृह मंत्रीजी। समाज इसको मानता है। समाज की जो मर्यादाएं होती हैं, परम्पराएं होती हैं, ट्रेडीशंस होते हैं, होली-दीवाली का क्या हिसाब है? दीज आर आल अवर ट्रेडीशंस। उसी के अनुसार हमारी लाइफ का एक ट्रेडीशन बना हुआ है। अपने आप हम सारे काम करते हैं इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्थाओं को आप मजबूत बनाइये, इनको कमजोर मत बनाइये।

पुलिस मुकदमे दर्ज करे, इसकी ठीक प्रकार से जांच भी हो। 10-10, 20-20, 50-50 पंचों के खिलाफ फैसले हो जाते हैं। मेरा तो आपसे निवेदन है, आप बहुत ही काबिल गृह मंत्री हैं, और आपसे मैं इस बात पर सीरियसली अपेक्षा कर सकता हूं। आप पुलिस अधिकारियों के साथ बैठ कर चर्चा कीजिये, इसकी जांच करने वाली एजेंसी केवल एक सब इंस्पैक्टर को न रख कर इसकी जांच की व्यवस्था कुछ और कीजिये या इस प्रकार की जांच एडीशनल एस.पी. और एस.पी. की निगाह में हो ताकि सही चीज बिलकुल सामने आ सके, यह एक मेरी मांग है।

इसी प्रकार सी.आर.पी.सी. की जो भी जांच करने की एजेंसी है, गृह मंत्रीजी, मैं बड़ी गम्भीरता से आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में आज भी नम्बरदार की प्रथा है लेकिन हमने 1995 में इस नम्बरदार प्रथा को खतम कर दिया। आपका गांव का सरपंच,

(श्री हीरासिंह चौहान)

आपका वार्ड पंच बड़ा कमजोर जीव है, उसमें किसी प्रकार का नैतिक बल नहीं है, वह किसी बात को सही ढंग से पेश नहीं कर सकता। इसलिए क्या होता है कि पुलिस का एक आई.ओ. जाता है, न तो गांव वालों से पूछता है, न किसी प्रकार की जांच करता है कि क्या अपराध हुआ, क्या अपराध नहीं हुआ। बहुत सारे में तो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, आई.ओ. को चालान करना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज कई प्रकार का राई का पहाड़ बना कर ले जाते हैं और कई बार निर्दोष आदमियों का चालान हो जाता है, कसूर कुछ भी नहीं होता। आपकी कौन-कौनसी एजेंसियां हैं? आप का यह सोच तो ठीक प्रकार का है कि इंवेस्टिगेशन को चेंज करने में आप किसी प्रकार का एतराज नहीं करते। लेकिन इंवेस्टिगेशन चेंज करते-करते भी इस प्रकार की स्थिति आती है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मेरे पाली जिले के बंगड़ी थाने में एक महिला ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया, 164 के बयान हो गये। वह फाइल 6 महीने से कभी इधर आती है, कभी तो आपके शेखर साहब डी.आई.जी. बदलते हैं, कभी क्या बदलते हैं। 6 महीने हो गये, 164 के बयान होने के बावजूद आज दिन तक चालान नहीं हो रहा है। इस स्थिति से तो अपने को कम से कम बचना पड़ेगा।

(20.00 बजे)

अन्यथा किसको न्याय मिलेगा और कैसे न्याय मिलेगा? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह नम्बरदार प्रथा जो कि एम.पी. में है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसके चलते वहां पर आज भी गलत तरीके से मुकदमे नहीं चलते हैं। सही तस्वीर सामने आ जाती है। गांव के लोग ताइद करते हैं। आपका आई.ओ. जाता है, गांव वालों को किसी को पूछता ही नहीं है। अकेला ही सब कुछ करता है, ऐसी व्यवस्था है। पुलिस बदनाम क्यों हो रही है? पुलिस बदनाम इसलिए हो रही है कि बेकसूर लोगों का चालान होता है। यह एक बहुत ही हमारी राज व्यवस्था के लिए दोषपूर्ण व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में समाज का विश्वास नहीं हो। समाज के लोग हमारी तरफ देखे और इसके लिए हर प्रकार का विचार बनाएं कि राज यह कर रहा है, कानून व्यवस्था क्या है, इस सोच को भी हमें डवलप करना पड़ेगा। आई.ओ. को कम से कम जिम्मेदारी सौंपे। बहुत अच्छे आई.ओ. होते हैं, मैं इसमें किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, सब अपने कार्य को ठीक प्रकार से अंजाम देते होंगे। लेकिन फिर भी इस व्यवस्था में दोष है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर जैतारण का एक कालूराम सांखला है। वह शिव सेना का है, प्रमुख है, इस बात से मैं मना नहीं करता। लेकिन वह पिछले तीन सालों से डेढ़ हजार गायों का पाल रहा

(श्री हीरासिंह चौहान)

है और दो साल पहले उसने 86 जोड़े माली समाज व अन्य समाजों की उसने शादी करायी है। उसकी एक कैसेट बना ली, एक कैसेट का भाषण जैतारण बताया, वह की वह पाली के रोहिट में बतायी, वह की वह कैसेट भीम में बतायी, उसी एक कैसेट को लेकर उस पर तीन-तीन जगह मुकदमे हो रहे हैं। पूरे जैतारण और रायपुर बैल्ट में उस कालूराम की गलत गिरफ्तारी से रोष है। कहते हैं कि उस पर रासुका और लगा दिया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि यह किस प्रकार से हो रहा है। किसी भी मुसलमान भाई ने आज दिन तक उस पर मुकदमा नहीं दर्ज कराया है। कैसे वह साम्प्रदायिक बन गया, किस आधार पर आपने उसको साम्प्रदायिक बनाकर रासुका में टेक दिया? यह एक बहुत ही ज्वलंत मामला है। दो मार्च को उसको गिरफ्तार किया गया। एक ही कैसेट है, आप जांच करा लें पुलिस से भी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : वह माली है इसलिए रासुका लगेगा। गृह मंत्रीजी, आपने कैसे रासुका लगाया उस पर? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, आप बिराजें...(व्यवधान) माननीय दिलावरजी, आप क्या चाहते हो? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : पुलिस के भी अधिकारी बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में आप सीरियसली जांच करा लें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप। जब आपके सदस्य बोल रहे हैं तो भी आपको संतोष नहीं है? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मुझे पता है। लेकिन गाय पालन वालों पर राजस्थान में रासुका लगता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप, नीचे बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इससे ज्यादा इस सरकार का क्या निकम्मापन हो सकता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उस पर आप बोल रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : प्लीज, आप मत बोलिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं तो इनकी बात का समर्थन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके समर्थन की आवश्यकता नहीं है, आप बिराजें। आप नीचे बैठें।

श्री मदन दिलावर : रासुका में लेना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला थोड़ा सीरियस है, इस मामले

(श्री हीरासिंह चौहान)

को आप व्यक्तिशः देखें। एक कैसेट है, एक ही कैसेट को सब जगह घुमाया गया। एक ही कैसेट और एक ही दिन के तीनों मुकदमे हैं। आज दिन तक उसने गायें पालने का राज्य सरकार से अनुदान भी नहीं लिया है। इस प्रकार समाज सेवा करने वाले आदमी के खिलाफ किस प्रकार से रासुका का मुकदमा बनाया गया? उसने कहां-कहां, क्या-क्या अपराध किया? अगर किसी मुसलमान भाई ने भी कोई मुकदमा दर्ज कराया हो तो भी हम मान लें। कोई साम्प्रदायिक भाषण दिया, एक पता नहीं कहां से कैसेट बना ली है। मैं तो कहता हूं कि वह कैसेट भी उसकी नहीं हो सकती है क्योंकि मैं पड़ोस का रहने वाला हूं। जैतारण और रायपुर का 20 किलोमीटर का फर्क है, मैंने मेरे यहां तो उसका इस प्रकार का भाषण कभी सुना नहीं। यह बात सही है कि वह विश्व हिन्दू परिषद् का है और वहां का कार्यकर्ता है, लेकिन इस प्रकार का नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मैं हमारे कुशालपुरा का उदाहरण देना चाहता हूं। कुशालपुरा शांत गांव है और मेरे तहसील मुख्यालय रायपुर के बाद में दस हजार की आबादी का बड़ा गांव है। तारीख 10 को पाली के एस.पी. और पाली का कलक्टर ने दोनों समाजों के साथ आकर सदभावनापूर्ण इस बात पर समझौता कराया कि मोहर्रम का ताजिया यहां से यहां निकलेगा। सब प्रकार का समझौता होने के बावजूद आपका तथाकथित कांग्रेसी नेता सी.डी. देवल कुछ आदमियों को लेकर यहां आया, यह बात शायद आपको भी कही होगी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी कही होगी, बिना किसी कारण से उस गांव को जंगल राज बना दिया। आपने 50 तो थानेदार लगा दिये, 5-10 सी.आई. लगा दिये और 3-4 एस.पी. लगा दिये 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। दीपावली के सुबह बड़ी मुश्किल से हमने उनको खुलाया। धारा 108 सी.आर.पी.सी. के तहत मुकदमा बनाया, 50-50 हजार के बेल बांड भराये। खैर, वह भी कर दिये। मैं पूछता हूं कि मुकदमा किस तरह का है? जब गांव का हरेक नागरिक अपने घर के आड़े बंद करके बैठ गया। जब आपके पुलिस वाले गये तब उनको पीने का पानी तक नहीं मिला। किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं फैलायी। किसी प्रकार की दोनों समाजों के बीच में बोलचाल नहीं हुई। इसके बावजूद मुकदमा बना है। वहां का मुख्य द्वार है, 30 फीट की ऊंचाई पर एक गेट बनाया है, प्रतीकात्मक, गणेशजी की मूर्ति लगाई है। क्या ऐसी मूर्ति आपके जयपुर में नहीं है। क्या उनके पास से होकर मोहर्रम नहीं निकल सकती है। लेकिन उस मूर्ति को उतारने के लिए मूर्ति नहीं मामूली-सा है, हाइली एक फीट चौड़ा

(श्री हीरासिंह चौहान)

है, वह गेट के ऊपर लगी हुई है, न तो वह रिलीजियस एक्ट में आती है, उसकी पूजा-पाठ होती नहीं है। यह तो ठीक है कि कुशालपुरा गांव समझदार था अन्यथा हमारे लांबिया जैसी स्थिति बनती। उसी प्रकार 100-2000 गिरफ्तारियां होती, गोलियां चलती। माननीय गृह मंत्रीजी ऐसे मामले जो सेंसिटिव होते हैं उनको आप खुद देखें। हालांकि वहां कमिश्नर भी आये, डी.आई.जी. भी आये, सब कुछ आये लेकिन उस समय तक स्थिति बिगड़ चुकी थी। गांव वालों ने कहा कि आप मोहर्रम निकाल ले। केवल 15 आदमियों ने मोहर्रम निकाली। ताजिये निकलते हैं तो पूरा का पूरा गांव शामिल होता है। हम धार्मिक उन्माद नहीं फैलाना चाहते हैं। सब जगह शांति से रहे। जैसे परम्परागत तरीके से होली, दीवाली मनायी जाती हैं, उसी तरीके से मोहर्रम मनायी जाए, इसमें किसी को रोक-टोक नहीं है। लेकिन पांच-सात दिन तक हमारा कुशालपुरा बंद रहा और इसके कारण से आसपास के जितने भी छोटे-बड़े गांव थे, उनके बाजार बंद रहे। इसी प्रकार से अगर आप कानून-व्यवस्था बनाये रखेंगे तो, चाहे आचार्य धर्मेन्द्रजी का नाम लें, चाहे किसी का नाम लें, समाज अगर ठीक ढंग से चलता है, दबाने से कोई दबेगा नहीं, आप कितना ही दबाएं। जितना दबाएंगे उतना ही उबाल आएगा, उतना ही लोगों का सोच बदलेगा। यह सरकार एक तरफ लोगों पर बंदिश डालती है, लोगों पर जोर-जबरदस्ती से अपना कानून लादना चाहती है। जहां-जहां ज्यादतियां होती हैं, आप सब जानते हो कि वहां इस प्रकार का माहौल बिगड़ता है और उसके कारण से प्रशासन के प्रति भी आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संजीव बेनीवाल। आप बिराजें। क्या हुआ?

श्री हीरासिंह चौहान : एक लास्ट बात कहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, तफतीश के बारे में हमारे अजमेर पूर्व से आने वाले भाटीजी ने कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट का कोई मुकदमा दर्ज करा देता है, और ओपन होता है, 10-20 आदमी जिस चीज को देखते हैं, वहां पर क्या शिड्यूल्ड कास्ट का गवाह होना जरूरी है? क्या शिड्यूल्ड कास्ट वाले हमारे भाई नहीं हैं? क्या सोसायटी ने आज तक शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स या अन्य में कोई अन्तर समझा है? वर्षों से प्रेम भाव से यहां रहते हैं। इस देश में इस प्रकार का कोई वातावरण नहीं है। हम इस प्रकार अपना वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं तो यह ठीक नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट भी हमारे भाई हैं। आज किसी शिड्यूल्ड कास्ट के साथ अन्य समाज की किसी प्रकार से लड़ाई है, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट का ही गवाह होना चाहिए क्यों, दूसरा गवाह क्यों नहीं हो सकता है?

श्री ललित भाटी : मैंने क्या कहा?

श्री हीरासिंह चौहान : हमारा आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता है। सोसायटी में झूठ बोलने की आदत नहीं है।

श्री ललित भाटी : मैंने क्या कहा?

श्री हीरासिंह चौहान : जिस परम्परा को हमने बना रखा है उस परम्परा का हमें पालन करना चाहिए। किसी बात को हाइलाइट करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौनसी बात सही है, कौनसी सही नहीं है। आपने मुझे समय दिया, इतना ही कहकर अपनी जगह ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री ललित भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जो मर्जी आये? मैंने क्या कहा? मैंने यह नहीं कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट का ही होना चाहिए। मैंने कहा कि थानों में यह व्यवस्था की जा रही है कि जनरल कास्ट का जरूर साथ में विटनेस के रूप में होना चाहिए। मैं इसका विरोध कर रहा हूं। मैंने तो यह कहा ही नहीं कि शिड्यूल्ड कास्ट का होना चाहिए। आप समझे ही नहीं कि मैंने क्या कहा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें भाटी साहब।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं समझ गया था। आपने यह भी उदाहरण दिया कि घर में पिटाई होती है, गवाह नहीं आएगा। मैं एग्री करता हूं कि नहीं आएगा। लेकिन ओपन जगह होती है तो वहां पर और लोग खड़े नहीं होते हैं क्या? और लोग नहीं देखते हैं क्या?

श्री ललित भाटी : मैंने यह नहीं कहा।

श्री हीरासिंह चौहान : आपने एक उदाहरण दिया था...(व्यवधान) सब जगह होता है।

श्री ललित भाटी : मेरा विरोध है इस बात पर।

श्री हीरासिंह चौहान : सब जगह होता है।

श्री ललित भाटी : मेरा विरोध है इस बात पर।

श्री हीरासिंह चौहान : किस बात का?

श्री ललित भाटी : यह कहां पर लिखा हुआ है, कौनसे कानून में है कि जनरल कास्ट का आदमी होगा तब एफ.आई.आर. लाज होगी?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री हीरासिंह चौहान : यह भी नहीं लिखा हुआ है कि शिड्यूल्ड कास्ट का गवाह होगा तो ही केस दर्ज होगा। केस का चालान होगा, यह भी कहां लिखा हुआ है?

श्री ललित भाटी : मैंने यह कब कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट का गवाह होगा?

श्री हीरासिंह चौहान : आपने कहा है इस बात को?

श्री ललित भाटी : मैंने कहा है शिड्यूल्ड कास्ट के...(व्यवधान) कोई आदमी अपना मुकदमा दर्ज कराए तो मुकदमा दर्ज होगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भाई दिलावरजी, संभालो इनको, शिड्यूल्ड कास्ट का विरोध कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : समझ ही नहीं रहे हैं बात को। मैं प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंहजी। क्या फायदा है इसमें? (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : मैं तो प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें प्लीज।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति की उपस्थिति में जनरल आदमी कहां से आएगा? अनुसूचित जाति की उपस्थिति में उसी जाति का आदमी आएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संजीव बेनीवाल, आप बोलिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16-पुलिस पर विचार चल रहा है। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही तरफ के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस सदन में रखें। मैं भी अपने आपको इसमें शामिल करते हुए अपनी कुछ बातें कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र भादरा एक उपखण्ड मुख्यालय है और हरियाणा का सीमावर्ती इलाका है। दो साइड से हरियाणा की सीमा लगती है। सिरसा, हिसार और भिवाणी; ये जिले इस विधान सभा क्षेत्र से लगते हैं। सीमावर्ती इलाका होने की वजह से हरियाणा के भी कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपराधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। भादरा विधान सभा क्षेत्र में दो पुलिस थाने भादरा और भिवाणी हैं लेकिन वहां पर पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय नहीं होने से काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय, सी.ओ. का कार्यालय नोहर में स्थित है और नोहर और भादरा की दूरी पचास किलोमीटर है। सीमावर्ती इलाके के जो हमारे छोटे गांव हैं उनकी दूरी नोहर सी.ओ. मुख्यालय से सौ किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतना लम्बा इलाका होते हुए और हरियाणा प्रान्त का सीमावर्ती क्षेत्र होते हुए मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि भादरा में डीवाई.एस.पी. का कार्यालय खोला जाए ताकि हरियाणा सीमा से जो अपराधी किस्म के लोग वहां आते हैं चाहे वह

(श्री संजीव कुमार)

शराब की तस्करी करने वाले हों, चाहे भू-माफिया लोग हों, ऐसे लोगों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए। काफी समय से भादरा क्षेत्र की जनता इस तरह की मांग कर रही है, मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां डीवाई.एस.पी. का कार्यालय खोला जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हनुमानगढ़ जिले में अवैध पर्ची से सट्टे का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके विरोध में कई दफा लोगों ने ज्ञापन के जरिए अवगत करवाया विभाग को। यह पर्ची सट्टे का धंधा पहले शहरी क्षेत्र में सुनने को आता था लेकिन पिछले कई सालों से दोहात के इलाकों में भी इस पर्ची सट्टे के धंधे ने अपने पांव पसार लिये हैं। जगह जगह खाइवाल बने हुए हैं, वे इस पर्ची सट्टे के धंधे को आगे बढ़ा रहे हैं। समाज के विशेषकर युवा वर्ग और दूसरा समाज का पिछड़ा तबका, इनको बड़े पैमाने पर लूटा जा रहा है। करोड़ों रुपये का यह अवैध धंधा दिनोंदिन निरन्तर बढ़ रहा है। वहां के नागरिक बार बार मांग कर रहे हैं, किन्तु इस अवैध पर्ची सट्टे के धंधे को रोकने के लिए पुलिस ने अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जिसके चलते उन खाइवालों के और अवैध पर्ची सट्टा करने वाले लोगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, यह अवैध पर्ची सट्टे का धंधा इसलिए भी ज्यादा पनप रहा है कि इन लोगों को अगर पकड़ भी लिया जाए तो उनको पनिशमेंट देने का, बड़ा दण्ड देने का कोई प्रावधान कानून में नहीं है। मामूली पचास-सौ रुपया जुर्माना लगाकर उनको छोड़ दिया जाता है और जमानत पर छूटने के बाद वे लोग फिर से उसी धंधे में शामिल हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि समाज के अन्दर जो इस तरह का अपराध बढ़ रहा है, विशेषकर युवा वर्ग पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, तो इस पर्ची सट्टे के धंधे को रोकने के लिए पुलिस प्रभावी कदम उठाए और इसके लिए सख्त कानून बनने चाहिए जिससे कि इस अपराध पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हरियाणा का सीमावर्ती इलाका होने की वजह से जिले में, विशेषकर हमारे क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री का, शराब की तस्करी का धंध बहुत होता है। हरियाणा से आकर लोग इस तरह की गतिविधियां करते हैं। कुछ गांवों में इस तरह की भी दुकानें हैं जो कि आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं हैं और अवैध रूप से चलायी जा रही हैं जिससे कि आए दिन गांवों में झगड़े होते हैं और कानून की व्यवस्था की स्थिति निश्चित तौर से इससे प्रभावित होती है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अवैध शराब की तस्करी

(श्री संजीव कुमार)

को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएं और जो स्वीकृत दुकानें नहीं हैं उनको तुरन्त बंद करवाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस विभाग के अन्दर अल्प वेतनभोगी कर्मचारी- कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल ये निश्चित तौर से कड़ी मेहनत करते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए हर तरह से अपना योगदान देते हैं। इनके काम को देखते हुए, इनकी कड़ी मेहनत को देखते हुए और इनकी ड्यूटी को देखते हुए इनको माकूल सुविधाएं भी नहीं दी जाती हैं। छोटे कर्मचारी हैड कांस्टेबल, कांस्टेबल, इनके लिए नियम बनाया हुआ है कि इनको गृह सर्किल में पदस्थापित नहीं किया जाएगा। हालांकि पुलिस विभाग में बड़े अफसर चाहे होम डिस्ट्रिक्ट में रहे, चाहे होम रेंज में रहे। इसमें निश्चित तौर पर परिवर्तन करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, कई सर्किल काफी लम्बे सर्किल हैं, लम्बे सर्किल में भी उन पर यह नियम बना हुआ है सर्किल में नहीं लगाने का तो इसमें निश्चित तौर से परिवर्तन किया जाए। भले ही आप उनको गृह थाने में नहीं लगाएं, उनके क्षेत्र के उनमें नहीं लगाएं लेकिन इन हैड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को गृह सर्किल में लगाने की छूट दी जाए, यह मैं होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं निवेदन कर रहा था कि भादरा विधान सभा क्षेत्र और हनुमानगढ़ का इलाका, यह हरियाणा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है इसकी वजह से हमारे क्षेत्र में हरियाणा क्षेत्र से आपराधिक गतिविधियां बढ़ती हैं, अवैध शराब की तस्करी बढ़ती है और दूसरे भू-माफिया किस्म के लोग हरियाणा के आकर अपराधों को अंजाम देते हैं। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां जहां भी सड़कों का लिंक बना हुआ है हरियाणा से, उन बड़े गांवों में पुलिस की अतिरिक्त चौकियां स्थापित की जाएं। उन चौकियों की वजह से निश्चित तौर से अपराध पर अंकुश लगाने में हमारे मदद मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, इनकी तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया, मैं निश्चित तौर से यह मानता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी हमारी इस बात पर पूरा गौर करेंगे और इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे।

साम्प्रदायिक सद्भाव एवं भाई चारा बनाए रखने के लिए मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी यहां निवेदन किया कि राजस्थान में साम्प्रदायिक सद्भावना और भाई चारा बनाये रखने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। जिस तरह आग गुजरात से लगी और जिस तरह का वातावरण राजस्थान में पैदा करने की कोशिश की

(श्री संजीव कुमार)

गयी, हमारे पुलिस के अफसरों ने, हमारी पुलिस ने निश्चित तौर पर समय रहते प्रभावी कदम उठाये जिससे कि राजस्थान में अमन चैन और भाई चारा कायम रह सका और उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी गयी। मैं फिर भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की शक्तियां साम्प्रदायिक सद्भाव और भाई चारा बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, कुछ लोग भड़कीले भाषण देकर, त्रिशूल और तलवार बांटकर इस तरह की गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। इस तरह के भड़कीले भाषणों पर और त्रिशूल और हथियार जो बांटे जा रहे हैं इन पर निश्चित तौर से आपको अंकुश लगाना चाहिए, आपको इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी। इनका अनुसरण करना आप।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : इनका अनुसरण ही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस की मांग पर चर्चा हो रही है और कई माननीय सदस्य मेरे से पहले बोल चुके हैं। कांग्रेस के जितने माननीय सदस्य हैं वे तो यह मानते हैं कि राजस्थान में अमन-चैन का राज है। कोई भी कानून-व्यवस्था के बारे में बात करे कि बलात्कार हुए, तो पहले से कम हुए। लूट-डकैती हुई तो पहले से कम हुई। लेकिन वस्तुस्थिति यह है, आपके प्रतिवेदन में आपने लिखा, जनवरी, 2002 से जनवरी, 2003 तक पूरे राजस्थान में हत्याएं हुईं 1276, बलात्कार हुए 1051, अपहरण हुए 2587, हत्या का प्रयास हुआ 2243, नकबजनी की घटनाएं हुईं 6661, जाली नोट प्रकरण हुए 56 इस प्रकार प्रति दिन 4 हत्याएं, 3 बलात्कार, 7 अपहरण, 25 बलवा, 23 नकबजनी की घटनाएं। और तो और, महिलाएं सुरक्षित नहीं। महिला घूमने जा रही है और उसको पकड़ ले जाएं। सुमेधा दुर्लभजी सुबह घूमने गयीं और अपहरण हो गया। इसके बारे में पूरे सदन में चर्चा हुई। 17 दिन बाद तो सुमेधाजी मिलीं। और मिली भी किसकी वजह से? दिल्ली पुलिस की वजह से। यहां पर क्या बड़ाई होने लग रही है कि हमारे शासन में मुख्य मंत्रीजी भी वहां जा रहे हैं, गृह मंत्रीजी भी जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े आदमी की औरत थी। 17 दिन बाद मिल गयी तो सब बधाई देने जा रहे हैं। और सदन में भी आते ही सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, देखा हमारा कमाल कि हमारी पुलिस ने पकड़ लिया। उनको गिरफ्तार करके ले गये। इस तरह जो चर्चाएं हो रही हैं, इस बात की सोच सबको जरूरी है कि घटनाएं हो रही हैं। इस बारे में सबको चिन्ता करनी चाहिये और सोचना

(श्री धर्मपाल चौधरी)

चाहिये। यह पूरा पुलिस के ऊपर नहीं है, यह जिम्मेदारी नेताओं की भी है कि क्यों ऐसा होता है।

हमारे यहां डिजायर सिस्टम के बारे में कई विधायकों ने कहा। धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस का जो चार साल का राज चला है इसमें सिपाही की भी डिजायर होती है, थानेदार की भी डिजायर होती है, कोई डीवाई.एस.पी. हो तो उसकी भी डिजायर। अब डिजायर सिस्टम चल गया तो एस.पी. क्या करेगा? आज डी.जी. को पावर नहीं है सिपाही की बदली करने के लिये। वह फाइल भी मुख्य मंत्री के यहां जाती है, मुख्य मंत्री के यहां के आदेश निकलते हैं। एक सिपाही की बदली डी.जी. नहीं कर सकेगा तो क्या राज चलाएंगे?

(20.22 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

आज अगर एक एस.पी. कोई बदली नहीं कर सकता और वह एम.एल.ए. के कहने से ही करेगा तो वह क्या एस.पी. शिव करेगा? इसका नतीजा यह हुआ, ये कहते तो हैं कि बड़ा अच्छा शासन रहा हमारा लेकिन इस शासन में 6 तो एम.एल.ए. पिटे। निर्भय लाल जाटव पिटे, रूपारामजी यहां रो रहे थे। मदन दिलावरजी हमारे भी पिटे, मीनाक्षी चन्द्रावत पिटीं, शांति पहाड़िया जो जगत ताई हैं, इतनी बुजुर्ग, वह पिटीं। शिवनारायणजी तो, मुख्य मंत्रीजी के सामने ही इनकी जो हालत हुई, वह आप सबको पता है। यहां तो दो ही बहादुर निकले। एक तो निकला अशोक बैरवा जिसने थानेदार को पीटा...(व्यवधान) नहीं, एस.पी. को तो बाबूलालजी सिंगारिया है। कलक्टर महोदय बिराजमान हैं और एक विधायक एस.पी. को थप्पड़ रसीद कर दे, बड़ा अच्छा कानून चल रहा है। कहते हैं बड़ा अच्छा कानून चल रहा है। बाबूलालजी तो मुख्य मंत्रीजी को ही कहने लग रहे थे लोक देवता हैं। इनके लिये तो लोक देवता ही हैं, थप्पड़ मारने से बचाते हैं। नहीं तो कैसे बचते? एक एस.पी. के थप्पड़ मार दिया, कैसे काम चलेगा? कैसे कानून की रक्षा होगी। कानून की रक्षा की बात करते हैं और कानून की ऐसे यहां बैठे-बैठे रक्षा करेंगे।

घटनाएं जो बढ़ रही हैं, उसके पीछे पुलिस के लिये सब कह देते हैं, कोई कहता है सट्टे में पैसे खाते हैं, कोई थाने पर। पैसे तो सभी खाते हैं, दूसरे विभाग भी इनसे ज्यादा पैसे खाते हैं। पुलिस की ड्यूटी बहुत ज्यादा है। 24 घंटे की ड्यूटी है पुलिस की। कोई अच्छा काम करे पुलिस तो उसको अच्छा भी कहना चाहिये। बुरा काम करे तो उसको बुरा भी कहना चाहिये। आज 8,500 पद खाली पड़े हैं, पुलिस की कमजोरी नहीं

(श्री धर्मपाल चौधरी)

है, नेताओं की कमजोरी है। साढ़े आठ हजार पद रिक्त हैं जो टोटल नौकरी का साढ़े ग्यारह परसेंट है। अब साढ़े ग्यारह परसेंट पद आपके पास खाली पड़े हैं तो क्या सुरक्षा कराना चाहते हो उनसे? 15 सिपाही थाने में रहते हैं, दो-चार छुट्टी पर रहते हैं, बाकी कोई दूसरे काम में लग जाता है, कोई वी.आई.पी. में चला जाता है। कभी बिजली का झगड़ा, कभी पानी का झगड़ा। परीक्षा कराए तो पुलिस कराए। इसलिये, श्रीमान्जी, इन पदों को तो आप भर दो जो साढ़े आठ हजार पद खाली हैं। साढ़े चार साल निकल गये आपके राज में, अगर आप इनके पदों को नहीं भरेंगे तो कहां से सुरक्षा करेंगे?

दो घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो मुण्डावर की है। मुण्डावर थाने के अन्तर्गत एफ.आई.आर. नम्बर 221/2002, माननीय गृह मंत्रीजी, नोट कर लेंगे, दिनांक 2.8.2000 को नायब तहसीलदार, मुण्डावर ने छह हजार पेड़ कटे, उसकी रिपोर्ट दर्ज करायी। 2002 को रिपोर्ट दर्ज हुई उसके बाद में एक आदमी को उसमें पकड़ लिया, गिरफ्तार किया। उसमें एक सरपंच और एक पंचायत समिति सदस्य है। सरपंच श्री विनोदी लाल और सदस्य शेरसिंह दोनों इसमें मुलजिम हैं। हाई कोर्ट में दोनों की जमानत कैंसिल हो गयी। आज तक फाइल पैंडिंग पड़ी है। फाइल दो महीने डी.आई.जी. आफिस में रही, उसके बाद आपके पास गयी। आपने मंगा ली सी.आई.डी. में, सी.आई.डी. से दुबारा चली गयी, फिर दुबारा सिफारिश ले आये। सी.आई.डी. ने यह करके भेज दी क्राइम में कि ये मुलजिम हैं। उसके बाद छह महीने हो गये, कोई कार्यवाही नहीं की।

अभी बसेड़ी थाने में केस दर्ज हुआ है एफ.आई.आर. नम्बर 48/2003 धारा 148, 149, 307, 341, 379 में मुकदमा दर्ज हुआ। एक सेवानिवृत्त, शांति प्रिय अध्यापक, समाजसेवी उदयभान के घर में बनवारी लाल गुर्जर, राजू गुर्जर जो भारली गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने 12 बजे घुसकर लाठी, फरसों से उस पर हमला किया। गोली चलायी, दो आदमी घायल हो गये। गुर्जर चला दें, और तो कौन चला दे? दो आदमी गोली चलने से घायल हो गये। उसके बाद अपराधी जयपुर आये। अब वे किस मंत्रीजी से मिले, या किससे मिले, कहां से सिफारिश करायी, यह तो...(व्यवधान) गृह मंत्रीजी पता कर लेंगे। अपने सी.आई.डी. विभाग से कि किसके पास गये, कौनसी इतनी बड़ी सिफारिश आ गयी कि अभी तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, उनका नाम और काटना चाहती है। तो, माननीय, आप यह भी देखें।

अभी बात हो रही थी, जो भी आदमी खड़ा होता है कांग्रेस का, अपराधी चाहे मन्दिर में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में

(श्री धर्मपाल चौधरी)

हो, जो आदमी देश के प्रति, समाज के प्रति, कोई भी भावना फैलाना चाहता है, आतंक फैलाना चाहता है, हम नहीं कहते मंदिर में आप सुरक्षा का ध्यान नहीं दें। हम तीन विधायक पाकिस्तान बार्डर पर दौरा करके आये-किरोड़ी लालजी, राजेन्द्रजी, और मैं, वहां पर हमने मदरसों को देखा...

श्री परसादी लाल : जसवन्त नहीं थे।

श्री धर्मपाल चौधरी : जसवन्त नहीं थे। अब पाकिस्तान में तो मदरसों की निगरानी वहां की सरकार कर रही है। यहां पर गोधरा काण्ड के बारे में तो किसी ने नहीं कहा कि वहां साठ आदमियों को जिन्दा जलाया था। यहां तो यह अत्याचार हो गया। तो अत्याचार सिर्फ एक ही जाति के साथ, एक ही धर्म के साथ हो रहा है क्या? धर्म एक ही है, वोट की खातिर चश्मा लगाकर आ गये, बैठ गये। सभी जातियां हैं, कोई भी जुर्म करता है, कोई भी अत्याचार करता है, वह मुलजिम है, उसका कोई धर्म नहीं है। वोट के लिये सीधा एक ही काम सिर्फ, सौ हो जाए तो अल्पसंख्यकों के साथ यह हो गया। गुप्तचर पुलिस के मुखिया अरुण दुग्गड़जी की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. फैडरल इंटेलिजेंस सर्विस एवं पाकिस्तान मिलिटरी इंटेलिजेंस सर्विस का राजस्थान में नैटवर्क स्थापित हो गया है। आज राजस्थान के अन्दर लचर कानून-व्यवस्था के कारण पाकिस्तान से लगी हुई सीमा सुरक्षित नहीं है और यह सब रिपोर्ट पुलिस की है।

जयपुर के अन्दर बांग्लादेशी बैठे हैं, आप उनको नहीं निकाल सकते। आप तो यह बात करते हो, हम तो हिन्दू-मुसलमान की बात नहीं करते। हमारा देश हिन्दुत्व प्रजातंत्र व्यवस्था में है...

श्री परसादी लाल : अपने विवेक से बोलो, राठौड़ साहब के से नहीं बोलो।

श्री धर्मपाल चौधरी : राठौड़ साहब के नहीं, विवेक मेरा ही है। ऐसा है, राठौड़ साहब हमारे नेता हैं, हमारे सचेतक हैं। अब वह कुछ भी करते हैं...

डा. किरोड़ी लाल : धर्मपालजी हमारे सबके नेता हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : 24 घंटे की ड्यूटी देते हैं सिपाही, तो भी उनको रैस्ट नहीं। रात को रोटी खाकर सात बजे वह सो गया, 9-10 बजे वह गश्त पर चला जाता है। वापस जाते हैं तीन-चार बजे, सात आठ बजे फिर आ जाते हैं। उसको एक भी छुट्टी नहीं। और भी कर्मचारी काम करते हैं सबको छुट्टियां हैं तो थाने वाले सिपाही को अगर आप छुट्टी नहीं दोगे, रैस्ट नहीं दोगे तो वह कैसे काम करेगा? आज उसको वर्दी धुलाई के नाम पर 35 रुपये देते हैं, खाने के नाम पर पांच सौ रुपये देते हैं। सी.आर.पी.एफ.

(श्री धर्मपाल चौधरी)

में हजार रुपये मिलते हैं। पुलिस लाइन में छह बजे खाना बन जाता है, उस खाने को कुत्ते भी नहीं खाते हैं बाहर पड़े हुए को। इस तरह का खाना मिलता है पांच सौ रुपये में। पुलिस की बुराई तो सब करते हैं, उनकी रोडवेज की सुविधा के लिए कहते-कहते चार-पांच साल हो गये। हरियाणा पुलिस में पचास रुपये कटते हैं सिपाही के, आप पचास रुपये काट कर यहां भी उनको रोडवेज की सुविधा देंगे तो उनके लिए आने-जाने की सुविधा मिल सकती है। सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

एक मिनट एक पर्ची दी है हमारे सचेतक साहब ने। घंटी बजने से पहले कह रहा हूं। सचेतक साहब ने कांस्टेबल की तनखाह के लिए लिखा है, पुलिस के जो कांस्टेबल हैं वे गरीब आदमी हैं, उनकी तनखाह बढ़ानी चाहिए, यह भी हमारा आपसे निवेदन है। जयहिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री सुरेन्द्र जाड़ावत।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, आज पूरा सदन मांग संख्या 16-गृह विभाग पर चर्चा कर रहा है। सभी माननीय सदस्यों ने पुलिस के सम्बन्ध में अपने आवश्यक सुझाव दिये। पुलिस ने जो सफलता अर्जित की उसके बारे में भी चर्चा हुई। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता जो पूर्व में माननीय सदस्यों ने यहां प्रस्तुत कर दिये हैं। वर्तमान में जिनके पास में गृह विभाग की जिम्मेदारी है वे निश्चित रूप से बहुत ही अनुभवी हैं। उनका अनुभव इस विभाग में लगभग 25-30 वर्ष का है और सम्भवतः तीसरी बार राजस्थान के गृह मंत्री बने हैं उनके अनुभवों का पूरा-पूरा फायदा राजस्थान की जनता को मिला। सभापति महोदय, निश्चित रूप से राजस्थान के अन्दर कानून और व्यवस्था में सुधार हुआ। आंकड़े बताते हैं और राजस्थान की जनता जिस शांति के अन्दर रह रही है वह बताती है।

सभापति महोदय, राजस्थान पुलिस ने जब भी कोई चुनौती आयी उसका बखूबी मुकाबला किया, उसका समाधान किया, चाहे छोटी घटनाएं हों, चाहे बड़ी घटनाएं हों। मेरे अपने जिले के अन्दर पुलिस प्रशासन ने हत्या की कई गुत्थियां जो उलझी हुई थीं, सुलझायीं। कई जगह पैट्रोल पम्प की डकैतियां हुई, उनका पर्दाफाश किया। कई माफिया गिरोह, मध्य प्रदेश जो हमारी सीमा से लगता हुआ है वहां से गिरोह आकर अशांति फैलाने का, मादक पदार्थों की तस्करी करने का कार्य कर रहे थे उन पर अंकुश लगाया। यही पूरे राजस्थान के अन्दर राजस्थान की पुलिस ने किया है।

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

अभी एक बहुत बड़ी चुनौती राजस्थान की पुलिस बल्कि पूरी सरकार के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिस पर न केवल राजस्थान की जनता बल्कि पूरे देश की निगाह लगी थी। वह था सुमेधा दुर्लभजी अपहरण काण्ड। सुमेधा दुर्लभजी इस वजह से चर्चा में आयी कि वह करोड़पति परिवार की महिला थीं। समाचार-पत्रों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से सुमेधा दुर्लभजी का अपहरण चिन्ता और चर्चा का विषय बन गया और राजस्थान पुलिस के लिए एक चुनौती हो गयी। माननीय सदस्य कह रहे थे कि सुमेधा दुर्लभजी काण्ड के पटाक्षेप से राजस्थान की पुलिस ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। लेकिन अपहरण की कड़ियों में जाएं तो मालूम पड़ता है कि पूरे देश के कैसे नामी-गिरामी लोग थे जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, बड़े बड़े तस्करों के दिमाग इसमें लगे हुए थे, ऐसे लोगों का दिमाग जिन्होंने चुनाव भी लड़ा, कई बड़े-बड़े अधिकारियों के पुत्र थे, कम्पनियों के प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग थे उन लोगों का दिमाग सुमेधा दुर्लभजी अपहरण काण्ड में लगा हुआ था। राजस्थान की पुलिस ने एक-एक तथ्य जुटाया, कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई हड़बड़ाहट नहीं की। गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का दिमाग पूरी तरह लगा। राजस्थान की जनता ने इसको एक तरह से यह समझ लिया कि इस तरह से जयपुर से अपहरण हो गया तो क्या राजस्थान की जनता सुरक्षित रह पाएगी। राजस्थान की पुलिस, राजस्थान के पूरे प्रशासन का दिमाग इसी में लगा। इसका बिना किसी खून-खराबे के पटाक्षेप राजस्थान की पुलिस ने किया। राजस्थान की पुलिस ने तथ्य जुटाये, लेकिन अपराधी गिरोह राजस्थान में नहीं था। अपराधी गिरोह का ठिकाना कहीं और था और बन्धक कहीं और बनाये हुए थे। तो राजस्थान की पुलिस ने अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, पूरी काबलियत के साथ लगाकर बखूबी इस काम को अंजाम दिया। वरना अपहरण के अन्दर कई जगह तो खून-खराबा होता है, फिरौती के लिए पैसा दिया जाता है, एनकाउंटर होता है और कई पुलिसकर्मी शहीद होते हैं। लेकिन इस काम के अन्दर राजस्थान की पुलिस ने जिस दिमाग से काम किया, एक गोली नहीं चली, एनकाउंटर नहीं हुआ, एक खून की बूंद नहीं गिरी और सकुशल रिहाई हुई। यह बात राजस्थान की पुलिस क़ाबलियत को सिद्ध करती है। पूरे राजस्थान की जनता धन्यवाद देती है और राजस्थान पुलिस ने पूरे देश के अन्दर अपनी काबलियत को सिद्ध किया है सुमेधा दुर्लभजी अपहरण काण्ड के निपटारे से।

सभापति महोदय, वर्तमान में राजस्थान की पुलिस के समक्ष ऐसी कोई विशेष

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

चुनौतियां नहीं, लेकिन एक चुनौती अवश्य आने वाली है जिसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार भी व्यक्त किये हैं, और वह है राजस्थान के लिए साम्प्रदायिकता का खतरा। सभापति महोदय, मेरा गृह मंत्रीजी से अनुरोध है हालांकि उन इरादों को आपने अब तक सफल नहीं होने दिया है, लेकिन यह चुनावी वर्ष है। गुजरात के अन्दर जिस तरीके से उन्होंने सत्ता हासिल की है, हमारा राज्य गुजरात से लगा हुआ है, वे उसे यहां दोहराने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने पहले भी किया, लेकिन पहले आपने, पुलिस प्रशासन ने और हमारे मुख्य मंत्रीजी की दृढ़ इच्छाशक्ति ने उसको कामयाब नहीं होने दिया लेकिन चुनाव को लेकर इस तरह की स्थिति राजस्थान के अन्दर फैलायी जा सकती है। छोटी-छोटी बातों के अन्दर साम्प्रदायिकता फैल रही है, सभापति महोदय, पुलिस कहां-कहां ध्यान देगी? आज कई जगह त्रिशूल बांटे जा रहे हैं, कई जगह भड़काऊ भाषण दिये जा रहे हैं, कई जगह पर्चे बांटे जा रहे हैं और कई समाचार पत्रों के माध्यम से विद्वेष फैलाया जा रहा है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से अनुरोध है कि आपको कठोर फैसले करने चाहिए, कठोर कानून बनाना चाहिए। कोई भी धर्म/जाति का हो, चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, अगर वह राजस्थान के अमन-चैन को खतम करने का प्रयास करता है इस साम्प्रदायिकता की आड़ में, तो सख्त से सख्त कानून लागू होना चाहिए जिसके अन्दर कई वर्षों तक जमानत नहीं मिल सके तो इस राजस्थान के अन्दर साम्प्रदायिकता नहीं फैलेगी। मेरा, गृह मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध है कि आप एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें कि पूरे देश की राज्य सरकारें भी इस कानून को अपनाएं। आज पूरे देश के समक्ष साम्प्रदायिकता की चुनौती है।

जहां पुलिस अधिकारी बहुत समझदार हैं, वहां वे अपने विवेक से घटना को टाल देते हैं। मैं एक छोटी-सी घटना चित्तौड़ की बताना चाहता हूं। हमारे वहां गांधी चौक पर लक्ष्मीनारायणजी का मन्दिर है वहां से एक कलश चोरी चला गया। कुछ संगठन इकट्ठे हो गये और पास में मुस्लिम आबादी थी, उन्होंने दुकानों को बन्द कराने का प्रयास शुरू कर दिया। हमारे वहां के सी.आई. रामेश्वर गुर्जर हैं, वह तुरन्त मौके पर पहुंचे और उन्होंने सब व्यापारियों को कहा कि बन्द मत करो, मैं इसका पर्दाफाश बहुत जल्दी कर दूंगा। बीस दिन के अन्दर मोहन नाम के व्यक्ति को जो कि आदतन चोरियां करता था, उसको पुलिस पाली से गिरफ्तार करके ले आयी। यदि पुलिस प्रशासन सजग नहीं होता तो वहां साम्प्रदायिक घटना के अन्दर यह मामला परिवर्तित हो सकता था। मेरा अनुरोध है, सभापति महोदय, आपके

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

माध्यम से, सरकार को, खास तौर से अनुभवी गृह मंत्रीजी को कि इस बारे में अगर आप निर्णय कर लेंगे तो पूरे राजस्थान की जनता नहीं चाहती कि कहीं पर भी किसी तरह का कोई दंगा-फसाद हो। आज जहां पर भी दंगा-फसाद होता है, सभापति महोदय, उसके जख्म बहुत गहरे हो जाते हैं और वे जख्म भरने के अन्दर वर्षों लग जाते हैं। आज भी गांवों के अन्दर बहुत अधिक आपस में भाई चारा है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक सादी गांव है जहां सिर्फ एक अल्पसंख्यक समाज का परिवार रहता है। वहां जब कभी भी कोई असामयिक घटना हो जाती है या मौत हो जाती है तो जो घर बनाते हैं, जिसे कब्र कहते हैं, उसको खोदने के लिए हिन्दू व्यक्ति जाते हैं, उसकी कब्र बनाते हैं और सब लोग उसके कंधे से कंधा लेकर कब्रगाह तक पहुंचाते हैं। यह भाई चारा आज भी हमारे गांवों के अन्दर है, लेकिन शहरों में जो बिगाड़ा जा रहा है उस पर सख्ती से अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जहां पर भी ऐसे संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अनुभवती और बिना राजनीतिक दबाव के व्यक्ति को आप लगाने की कृपा करें ताकि यह धार्मिक विद्वेष हमारे राजस्थान को खतम नहीं कर दे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं तो वैसे ही बहुत कम बोलता हूं। अब मेरे कुछ सुझाव है पुलिस प्रशासन के बारे में। सभापति महोदय, पुलिस का जो छोटे से छोटा कर्मचारी है उसको बहुत अधिक दौड़-भाग करनी पड़ती है, बहुत अधिक समय देना पड़ता है। वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से पूरी तरह टूट जाता है। चाहे धरने-प्रदर्शन हों, चाहे कभी बाढ़ आ जाए, चाहे कभी अग्नि काण्ड हो जाए, चाहे कभी लावारिश लाश मिल जाए, चाहे उसको अंतिम संस्कार तक ले जाना हो, चाहे कभी कोई राजनेता की सुरक्षा के लिए हो, पुलिस कर्मचारी 24 घंटे की ड्यूटी देता है। इतनी हार्ड ड्यूटी और किसी विभाग का कर्मचारी नहीं देता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, गृह मंत्रीजी कि पूरे राजस्थान को जिस विभाग की आवश्यकता है, जानमाल की जो हिफाजत कर रहा है और राजस्थान की कानून-व्यवस्था बनाए रख रहा है, ऐसे पुलिस विभाग के कर्मचारियों को आपको विशेष वेतन भत्ते देने चाहिए। इसकी घोषणा भी आज आप अपना उत्तर दें तो मेहरबानी करके करें। छोटे-छोटे पुलिसकर्मी चाहे वे सिपाही हों, चाहे हैड कांस्टेबल हों, चाहे ए.एस.आई. हों और चाहे सब इंस्पैक्टर लेवल के अधिकारी हों, उनके लिए आप विशेष तौर से हमारी भावनाओं को ध्यान रखते हुए कुछ न कुछ अवश्य करें।

सभापति महोदय, शैक्षणिक योग्यता के बारे में मेरा अनुरोध है कि आज हमारा

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

जो सिपाही है उसकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम बी.ए. पास आप कर दें तो अच्छा होगा, क्योंकि अनुसंधान के तरीके बढ़ते जा रहे हैं, अपराधों के तरीके बदलते जा रहे हैं। उन अपराध के तरीकों को खोजने के अन्दर कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति इतनी गहनता से अनुसंधान नहीं कर सकता।

तीसरा मेरा सुझाव है कि सारी पुलिस व्यवस्था गुप्तचर व्यवस्था पर आधारित है। नये-नये गैंग पैदा हो रहे हैं, चाहे वह भू-माफिया हो, चाहे वह शराब माफिया हो, चाहे अन्य मादक पदार्थों का माफिया हो, चाहे सट्टा से सम्बन्धित माफिया हो, ये सारे के सारे पनपते हैं, गुप्तचर व्यवस्था अगर हमारी मजबूत होगी तो इन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। आज व्यवस्था यह है, सभापति महोदय, कि जो अधिकारी गुप्तचर व्यवस्था में लगते हैं उसको पनिश्मेंट के तौर पर वे अधिकारी लेते हैं, जबकि इस व्यवस्था को आज के परिप्रेक्ष्य में मजबूत करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। अच्छे, योग्य आदमी हैं, जिनका दिमाग अच्छा है, उनको इस गुप्तचर व्यवस्था में लगाना चाहिए। अलग कैडर आपका बना हुआ है, अलग से कैडर स्थापित करके गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा तो पुलिस के अन्दर बेहतर तालमेल और उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।

श्री सभापति : कह चुके माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सभापति महोदय, प्रमोशन के बारे में मेरा अनुरोध है कि कर्मचारियों के मन में काफी वेदना है कि हमारा प्रमोशन समय पर नहीं होता। यह केवल सिपाही ही नहीं, एस.पी., आई.पी.एस. अधिकारी तक भी है। राजस्थान कैडर के पुलिस अधिकारी जो पहले चित्तौड़गढ़ में पदस्थापित थे एस.पी. के रूप में, वह दिल्ली चले गए केन्द्र के अन्दर। मैंने उनको कुछ समय पूर्व कहा कि आप वापस राजस्थान में क्यों नहीं लौटते हैं तो उन्होंने कहा कि यहां तो मुझे डी.आई.जी. की रैंक मिल गई है, वहां पर अभी तक रहता तो मेरी एस.पी. की रैंक ही रहती। तो यह असंतोष भी समाप्त होना चाहिए। आज एस.सी. और एस.टी. के अधिकारी जिनको पदावनत किया गया है, उनके ऊपर भी फैसला होना चाहिए। जिसने एस.पी. के रूप में काम किया है वे आज एडीशनल एस.पी. के रूप में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से मानसिक शोषण उनका भी हो रहा है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से अनुरोध है कि यह मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है, इसके अन्दर आप ध्यान देकर उन अधिकारियों के साथ न्याय करें। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय नाथूलालजी गुर्जर।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16-गृह विभाग पर चर्चा में मैं भाग ले रहा हूं। हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोला जाए। अभी वहां पर नैनवां के अन्दर है, हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में इस कार्यालय को खोला जाए। वहां पर आपके थाने की बड़ी भारी बिल्डिंग बनी है। उसमें वह कार्यालय स्थापित किया जाए तो उस क्षेत्र के लोगों को 50-60 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। चोरी और अन्य प्रकार की जो घटनाएं हो रही उनमें भी कमी आएगी।

सभापति महोदय, पिछले वर्ष ग्राम थाना के अन्दर चार भुजाजी की मूर्ति चोरी हुई, वह अभी तक नहीं मिली। ग्रामवासियों द्वारा चक्का जाम किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, 20 लोगों को वहां घायल अवस्था में छोड़ दिया। एस.पी. और अन्य अधिकारियों ने जल्दी ही चोरी की गई मूर्ति बरामद करने का आश्वासन दिया, लेकिन आज डेढ़ साल से उस मूर्ति का कोई मालूम नहीं पड़ा। माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र नैनवां, खटकड़ ग्राम के दूंदलाजी का स्थान पूरे जिले में महत्वपूर्ण है। दूर-दूर के लोग वहां पर दर्शन करने आते हैं लेकिन आज से 14 साल पहले चोरी गयी दूंदलालजी की मूर्ति जो करोड़ों-अरबों रुपए लागत की थी, अभी तक भी उसको बरामद नहीं किया गया है। वहां पर लोगों में आम चर्चा थी कि इस मूर्ति के पीछे वहां के पूर्व मंत्री, एस.पी. और बड़े-बड़े लोगों का हाथ था, लेकिन आज 14 साल में भी उस मूर्ति को बरामद नहीं किया गया है।

कांग्रेस राज में राजस्थान के अन्दर जितनी भी मूर्ति चोरी की घटनाएं हुईं, 1999 में 65 मूर्ति चोरी की घटनाएं हुईं, उसमें से 9 में आरोप पत्र पेश किये गये, 30 का केस बंद कर दिया गया, 26 लम्बित पड़े हुए हैं। 2000 के अन्दर 86 मुकदमे दर्ज हुए, 17 मुकदमों में आरोप पत्र पेश हुए, 30 में केस बन्द कर दिये गये और लम्बित 39 पड़े हुए हैं। 2001 के अन्दर मूर्ति चोरी के 109 मुकदमे दर्ज हुए उसमें मात्र 15 में आरोप पत्र दिये गये, 47 केस बन्द कर दिये गये और 47 लम्बित पड़े हुए हैं। 2002 के अन्दर 71 मूर्ति चोरी की घटनाएं हुईं, 4 में आरोप पत्र दिये गये, 18 केस बन्द और 49 लम्बित पड़े हुए हैं।

राजस्थान सरकार की एक तरफ तो उपलब्धियां गिनाई जाती है, हिन्दू धर्म में मूर्तियों से आस्था जुड़ी हुई है, इससे राजस्थान में तहलका मच जाएगा, राजस्थान की हिन्दू जनता आप लोगों को कभी बरदाश्त नहीं करेगी।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : हमको हिन्दू नहीं मानते हैं क्या?

श्री नाथूलाल गुर्जर : फिर ये लम्बित केस पड़े काहे को हैं? एफ.आर. कैसे

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

लग गई? इसमें आप लोगों का तो हाथ नहीं है कि कहीं आप लोग भी उसमें शामिल हो जिससे एफ.आर. लग जाए? जब से कांग्रेस का राज बना है, राजस्थान में गोली चार्ज और लाठीचार्ज की जितनी घटनाएं हुई हैं, पहले कभी नहीं हुई। चाहे वह किशनगढ़ का मामला हो, चाहे गंगापुर सिटी का मामला हो, चाहे सीमलवाड़ा का हो, चाहे फागी का। सभापति महोदय, कोटा की स्थिति तो देखने लायक थी। राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत वहां पर गये, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना ज्ञापन देना चाहते थे, अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहते थे लेकिन, माननीय गृह मंत्री महोदय, आपके पुलिस विभाग ने किस तरह उन लोगों के साथ बर्बरता व्यवहार किया, वह देखने लायक था। इसी प्रकार मुख्य मंत्रीजी वहां से सुल्तानपुर गये, सुल्तानपुर के अन्दर किसानों पर लाठीचार्ज किया, वह भी देखने लायक स्थिति थी। अलवर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को लेकर गये, किस प्रकार महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया गया? यही कांग्रेस का राज है?

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी बारां गये। वहां के हमारे पिता समान बुजुर्ग विधायक शिवनारायणजी नागर गाड़ी के सामने आ गये। मुख्य मंत्रीजी के सामने उनको घसीटा गया और पीटा गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि इसी प्रकार विधायक पिटते रहेंगे, लाठियां खाते रहेंगे तो आम जनता की क्या स्थिति होगी?

आज राजस्थान के अन्दर कितने पैट्रोल पम्प लुटे, कितने में चोर पकड़े गये? हमारे बूंदी के अन्दर गोविन्द बावड़ी के अन्दर 3 लाख 35 हजार की चोरी हुई। माननीय गृह मंत्रीजी, हिण्डौली के अन्दर पैट्रोल पम्प से पैसे लेकर जा रहा था, दिन के 5.30 बेजे चार लोगों ने उसको घेरा, मोटर साइकिल पर लट्ठ बरसाये। वह तो भगवान का शुक्र मानो जो वह आदमी वहां चला गया। वे चारों लुटेरे जंगल में भाग गये। आज दिन तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हिण्डौली में मुस्लिम लड़की का अपहरण हुआ, आज दिन तक बरामद नहीं हुई। मीणा समाज की दो लड़कियों का अपहरण हुआ, आज दिन तक बरामद नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, आज किसान मिट्ठी और पत्थर अपने बाड़े, खेत के लिए लाते हैं, पुलिस ट्रैक्टरों को जब्त करके थाने में खड़ा कर देती है। आगे जब अधिकारियों से हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं हमारा टार्गेट है। क्या, माननीय मंत्री महोदय, ये सारे टार्गेट किसानों के ऊपर ही लागू किये जाएंगे? क्या आपके यहां से कोई ऐसे आदेश या निर्देश हैं कि एक-एक थाने में 25 या 30 या 40-50 ट्रैक्टर पकड़े जाएं? आज

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

किसान अपने खुद के काम के लिए ट्रैक्टरों में मिट्टी और पत्थर लाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में इस कानून-व्यवस्था को थोड़ा सुधारा जाए और थानेदारों को हिदायत दी जाए कि किसानों के ट्रैक्टरों को नहीं पकड़ा जाए।

माननीय सभापति महोदय, हिण्डौली के अन्दर किसानों का गन्ने का बकाया केशोरायपाटन शुगर मिल की तरफ था, करोड़ों रुपया उनकी तरफ बकाया था। हम लोगों ने वहां पर आंदोलन किया कि किसानों को भुगतान मिलना चाहिए। आज पुलिस ने नायायज उन लोगों को... (व्यवधान)

श्री घासीलाल मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। केशोरायपाटन शुगर मिल शायद पहली मिल होगी जिसमें किसानों का कोई बकाया नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। सदन किसी से गुमराह नहीं होता है। आप कहिए अपनी बात।

श्री नाथूलाल गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, अभी हिण्डोली में उप चुनाव हुआ, तीन साल के बाद में किसानों का भुगतान किया, क्योंकि वहां पर चुनाव होने जा रहा था। कांग्रेस सरकार ने किया, लेकिन हिण्डोली की जनता इतनी समझदार थी कि फिर भी आपको ठेंगा दिखा दिया। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री तैयब हुसैनजी के गांव में एक आई.एस.आई. का एजेंट पकड़ा गया, राजस्थान सरकार ने क्या उन मंत्रीजी से इस्तीफा मांगा? क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की गई? आज राजस्थान का एक मंत्री यदि आई.एस.आई. के एजेंटों को अपने घर में रखेगा तो और लोगों का क्या होगा? माननीय गृह मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि इस काण्ड की जांच करायी जाए।

आज यौन शोषण के मामले में राजस्थान पुलिस 50 परसेंट पर आती है। यदि कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो बचाने वाला कौन है? राजस्थान में जितने भी यौन शोषण के मामले हुए, 50 परसेंट पुलिस कर्मचारियों द्वारा किये गये। प्रदेश में तीन बलात्कार की घटनाएं रोज हो रही हैं। जिस प्रदेश में तीन-तीन महिलाओं के साथ एक दिन में बलात्कार की घटनाएं हों और उनके मुलजिम नहीं पकड़े जाएं तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है?

सुमेधा अपहरण काण्ड में राजस्थान सरकार वाहवाही लेना चाहती है, लेकिन इन्होंने किया क्या? यदि दिल्ली पुलिस नहीं होती तो उस महिला को यहां पर वापस नहीं लाया जा सकता था। उस महिला के साथ में 15-20 दिन तक क्या-क्या स्थितियां बनीं? यदि यही स्थितियां

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

आज अपनी माता और बहनों के साथ में बने तो आपको मालूम पड़ जाए। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री कय्यूम खान।

श्री कय्यूम खान (मसूदा) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16-पुलिस पर सदन में चर्चा हो रही है। (व्यवधान) पारदर्शी, जवाबदेह सरकार, संवेदनशील सरकार, कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोतजी की सरकार ने पूरे राजस्थान के अन्दर गरीब जनता, अल्पसंख्यक लोगों, एस.सी., एस.टी. वर्ग के लोगों के लिए जो-जो भी कार्य किये, जो-जो उन्नति के कार्य किये वो सराहनीय हैं। उसी के अन्दर पुलिस विभाग के हमारे गृह मंत्रीजी हैं जिनको पूरे राजस्थान का समाज चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों, चाहे एस.सी., एस.टी. के लोग हों, बहुत सम्मानपूर्वक देखते हैं और आप बहुत सम्मानपूर्वक सबके साथ न्याय करते हैं।

मैं माननीय गृह मंत्रीजी को 26 अगस्त, 2001 की बात बताना चाहूंगा, जब ब्यावर के अन्दर शहीद दिवस मानने के लिए वहां के कठात व मेहरात भाइयों ने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि शहीदों के परिवार के लोगों को, उनके माता-पिता को सम्मानित किया जाएगा। मगर वहां पर एक ए.एस.आई. रैंक के आदमी ने गलत परम्परा डाली, गलत सूचनाएं सरकार को दीं। हमने यहां पर आकर अशोक गहलोतजी व आपको बात बतायी, आपने हमको यह शहीद दिवस करने की परमिशन दी। उसके अन्दर रासासिंहजी रावत साहब, हीरासिंहजी चौहान साहब, के.सी. चौधरी साहब, छोगारामजी बाकोलिया, रमजान भाई, जी.एम. खान साहब, आर.ए.एस. आफिसर व कुछ अन्य लोगों के साथ शहीदों को सम्मान देने के लिए काफी तादाद के अन्दर कठात मेहरात व अन्य सभी वर्ग के लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में वहां पर प्रो. जलालुद्दीन जो कठात समाज के मुखिया थे, जिनके परिवार के लोग कारगिल के अन्दर शहीद हुए थे-अभी हाल ही में मोहन कठात कारगिल के अन्दर शहीद हुए, उसको देखते हुए वहां अपने समाज के लोगों को, उनके परिवार वालों को सम्मानित करने की बात कही। मगर अफसोस है कि वहां पर कुछ ऐसी चर्चाएं हुई, वहां पर कुछ ऐसी गलत बातें हुई जिसका खामियाजा प्रो. जलालुद्दीन को आज भी भुगतना पड़ रहा है।

(21.00 बजे)

ब्यावर की स्थिति इतनी भयंकर है और इतनी दयनीय हो चुकी है कि-मेहरात और कठात कौम आपकी तरफ आशा लगाकर देख रही हैं। आज प्रोफेसर जलालुद्दीन का परिवार बहुत ही परेशान

(श्री कय्यूम खान)

है क्योंकि उनको 16 सी.सी.ए. का नोटिस दे दिया गया इन्हीं गलत सूचनाओं की वजह से जो भेदभाव की वजह से दे दी गई थीं। उनको कई संगठनों से जोड़ दिया गया और उनके सम्मान को ठेस लगाई गयी। एक साल से उनका परिवार काफी पीड़ित है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उस वक्त रंजीत सिंह ए.एस.आई. पास चार्ज था ब्यावर में, आज भी उनका माहौल सही नहीं है। आज भी वह भाई से भाई को लड़ाने की बातों और इस तरह की गलत बातों का वहां पर प्रचार कर रहे हैं। आये दिन वहां के लोगों को परेशान करते रहते हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि वहां पर आप कठात और मेहरात समाज के लोगों को न्याय दिलाएं और रंजीत सिंहजी को जिन्होंने गलत सूचनाएं दी हैं, सस्पैंड किया जाए।

इसी तरह मसूदा में पूर्व में हमारे सिपाही, हमारे कर्मचारी बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे थे, मगर कुछ समय पूर्व धर्मवीरजी जब से वहां लगे हैं, 26 जनवरी का एक वाक्या मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ असामाजिक तत्वों ने 26 जनवरी के दिन, इस पवित्र दिन के अन्दर कुछ गलत बातें सोचीं। उसकी सूचना मुझे मिली, मैंने एस.पी. साहब, अजमेर से बात की। उन्होंने फौरन धर्मवीरजी को आदेश दिया कि आप खुद जाकर वहां पर इस बात को देखें। अफसोस की बात है कि जब वहां पर झण्डारोहण हो रहा था उसके बाद ही वहां जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने प्रोपोगेंडा करना शुरू कर दिया। उसके बाद में एस.डी.एम. साहब ने पटवारीजी को भेजा। जब एस.डी.एम. साहब ने पटवारीजी को भेजा तो धर्मवीरजी ने उनको भद्दे शब्द कहकर रिटर्न कर दिया। पूर्व में जो भी कर्मचारी वहां पर लगा करते थे, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे पुलिस प्रशासन ने वहां पर जो अफीम का धंधा होता था उसको बिलकुल तहस-नहस कर दिया था। मगर कुछ ही दिन में मसूदा में, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अफीम की तस्करी भी बहुत ज्यादा हो गई है, सट्टे की पर्चियों की बात भी वहां पर आम हो गई है जिससे जनता बहुत परेशान है। आप हमेशा गरीबों के हित की बात करते हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पर आप जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करके वहां की जनता को राहत दिलाएं। हमारी कांग्रेस की सरकार जवाबदेह है, अशोक गहलोतजी ने आप हम और सब में विश्वास किया, हम सब और हमारी सारी जनता आपसे यही विनती करते हैं कि इस ओर गौर करते हुए इसकी ओर देखें। धन्यवाद, जयहिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा। दोहे से शुरू करोगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : हां, जी, आपका आदेश। माननीय सभापति महोदय, यह जो राज है चार साल से चल रहा है, वह किस प्रकार से चल रहा है, मैं शेर से शुरू करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय गृह मंत्रीजी, बहुत वरिष्ठ, नहीं, आप देखो, कुछ बोल रहे हैं, आपको यह तो देखना चाहिए। ज्ञानी ज्ञानदेवजी बोल रहे हैं, आप नोट तो करो। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, सदन में पहली बार आने वाले सदस्य को वरिष्ठ कहेंगे तो पांच बार-छह बार आ गये उनका क्या होगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये बोल रहे हैं, ज्ञानी ज्ञानदेवजी।

डा. के.सी. चौधरी : यह अज्ञानदेवजी कैसे हो सकते हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इनको आपने तो वरिष्ठ सदस्य कहकर पुकारा था और मुझे सम्बोधित किया था, थोड़ा बहुत तो आप इस बात का ध्यान रखो कि कौन वरिष्ठ है और कौन कनिष्ठ है और कौन नहीं है। मेरे राज्य मंत्रीजी बैठे हैं वह नोट कर रहे हैं, उनकी बात को पूरी तरह से तवज्जोह दी जाएगी। हम हर आदमी की बात को नोट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए आज जितनी डिबेट चलाओगे, हम सुनेंगे, समझेंगे और उसके अनुरूप राज शासन को चलाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी जो पीछे मुड़ कर षड्यंत्र कर रहे थे और सवा चार साल से जो षड्यंत्र चल रहे हैं, उन पर ही शेर सबसे पहले बोलूंगा, फिर आगे प्रारम्भ करूंगा। माननीय गृह मंत्रीजी, षड्यंत्रों की साधना बदमाशों का साथ लोकतंत्र की भैंस है लट्ठ मारों के हाथ। यह है आपका राज। माननीय सभापति महोदय, यह जो मैंने शेर सुनाया है इसलिए सुनाया है कि पीछे मुड़ कर...

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापतिजी, मैं भी इनको जवाब दे दूं शेर में?

श्री सोहन नायक : माननीय सभापति महोदय, यह हो सकता है।

श्री रामचन्द्र सराधना : मुझे अनुमति दें तो इनको शेर में जवाब दे दूं। माननीय मेरी बात सुन लीजिए।

श्री सोहन नायक : माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि अकल बड़ी है या भैंस?

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापतिजी, जब यह बोलने लग जाते हैं तो मुझे भी बोलने की आदत है, मेरा भी बोलने का मन करता है।

"सोरठ बोल्यो हे सखी म्हारी गली मत आय,
थ्हारी पायल बाजणी न म्हारो और स्वभाव।"

सोच समझकर बात करो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कौआ की तरह बतलाय है और चूं चूं करतो जाय, बरसात हो गई तो मेंढक अपनी टर्र टर्र आकर हमको सुनाया। हाथ की हाथ खुद बनाता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सराधनाजी को और जवाब दे दूं।

"जब तक मैं खामोश हूं जो चाहे कह डाल,
बोल पड़ा तो बाल की नहीं बचेगी खाल।"

बोलिये, बोलिये अगर कुछ है तो बोलिये।

माननीय सभापति महोदय, यह मेरा समय खराब कर रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है।

श्री सोहन नायक : सभापति महोदय, भेड़िया अगर शेर की खाल पहन ले तो वह शेर नहीं हो जाता।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, कहां राम-राम और कहां टांय-टांय। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, जो शासन चल रहा है वह बीस सूत्री कार्यक्रम की बहुत व्याख्या करता है और यहां बीस सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष डा. करण सिंहजी हैं नहीं। यह जो गृह मंत्रालय है, बीस सूत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी स्वर्गीय थीं और चार सूत्री संजय गांधीजी के, ये सूत्र कौन से हैं जिन पर यह राज चला है? पहला है गौकशी, गौ तस्करी, मोरों की और जीवों की हत्या-सूत्र क्रमांक एक। सूत्र क्रमांक दो अवैध हथियारों की बराबर सप्लाई।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, स्वर्गीय महान आत्माओं के बारे में इस तरह से उनके सूत्रों का वाचन करना बहुत आपत्तिजनक है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं, ढंग से मोडिफाई किया है।

श्री संयम लोढ़ा : इन्होंने कहा कि इन्दिरा गांधी और उनके सूत्र हैं और इस तरीके से यह उनका वाचन कर रहे हैं। (व्यवधान) यह राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन के लिहाज से किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

डा. रघुवीर सिंह (सराड़ा) : सभापति महोदय, आप इससे संतुष्ट हो क्या कि इन्दिरा गांधीजी के सूत्र हैं या संजय गांधीजी के सूत्र हैं? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप एक्सपंज कीजिए। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : माननीय सभापति महोदय, ऐसे वाक्यों को एक्सपेंज करवाइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, मैं आसन से प्रोटेक्शन चाहूंगा। मैंने नये ढंग से बीस सूत्री कार्यक्रम को...

श्री सभापति : अब देखो आप कंट्रोल में रहो, ज्यादा मत बोलो। आपका शेर सुन लिया और सुन लेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अच्छा, कंट्रोल में हैं। ऐसा है, नये ढंग से मोडिफाइड

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

है। नाम नहीं लूंगा बीस सूत्री और चार सूत्री। सूत्र क्रमांक एक गौकशी और तस्करी व मोरों की हत्या और जीवों की हत्या। सूत्र क्रमांक दो-इस राज का अवैध हथियार। सूत्र क्रमांक तीन-मोटर साइकल, जीप, कार, ट्रक और मूर्ति चारी के प्रकरण। सूत्र क्रमांक चार-इस राज में जो चला है सिंथेटिक दूध। सूत्र क्रमांक-5 डोडा, पोस्त और अफीम की तस्करी। सूत्र क्रमांक 6-अवैध धर्मान्तरण। सूत्र क्रमांक 7-अपहरण, बलात्कार और लूट-खसोट सूत्र क्रमांक 8-मन्दिरों पर कब्जा और मन्दिरों में जबरदस्ती धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास। सूत्र क्रमांक 9-नकली नोट और नकली सिक्के। सूत्र क्रमांक 10-आई.एस.आई. के एजेंट जो इस राज में पनप गये और सिमी के एजेंढ। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूं कि जो मैं मैटर लाया हूं वह समय पर बोल सकूं। सूत्र क्रमांक 11-मदरसे, मजार-ईदगाह, सिवाय चक, कस्टोडियन, सरकारी, प्राइवेट और सरकारी मन्दिर माफी नजूल और फोरेस्ट सरकारी जमीन पर कब्जा। सूत्र क्रमांक 12-हर गांव के तिराहे और चौराहे पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण। सूत्र क्रमांक 13-सट्टा। हमारा आपका ही सूत्र है। सूत्र क्रमांक 14-जुआ। सूत्र क्रमांक 15-ठगी। सूत्र क्रमांक 16-धोखाधड़ी। सूत्र क्रमांक 17-मूर्ति चोरी। सूत्र क्रमांक 18-श्रमिकों, कर्मचारियों पर अत्याचार। सूत्र क्रमांक 19-विद्यार्थियों पर झूठे मुकदमे और अत्याचार। सूत्र क्रमांक 20-व्यापारियों पर झूठे मुकदमे और अत्याचार। सूत्र क्रमांक 21-किसानों पर झूठे मुकदमे। सूत्र क्रमांक 22-मिलावट। सूत्र क्रमांक 23-नकली, नशीली वस्तुओं का विस्तार। और सूत्र क्रमांक 24-नकली दवाइयों का भारी विस्तार। माननीय सभापति महोदय, ये जो 20 और 4 सूत्र हैं...(व्यवधान) अब तो कोई नाम नहीं लिया। ताली तो आप बजाएंगे, माननीय माहिर आजाद साहब।

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, यह कितना भला कर रहे हैं कि बड़े-बड़े योग्य पुलिस अफसर हैं, मैं पर्सनली जानता हूं उनको, राष्ट्रपति अवार्ड, बाकी अवार्ड दिया गया है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, एक से एक योग्य अफसर, लेकिन उनका ये उपयोग क्या कर रहे हैं माननीय गृह मंत्रीजी और यह सरकार। और तो और, मैं एक छोटी-सी घटना बीच में बताऊं, बाकी सब अत्याचार हैं उनकी बात करते हुए कि +++

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के कर्मचारी हैं, चाहे वो डैपुटेशन पर हों, चाहे यहां नियमित हों या होम गार्ड के हों, जिनके वेतन भत्ते

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह)

यहां के बजट से जाते हैं उनके सम्बन्ध में यहां किसी प्रकार की बात हमें नहीं करनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विधान सभा के अधिकारियों, कर्मचारियों का एक अलग कैडर है। इसको यहीं बंद कीजिये आप। उनके इमोल्यूमेंट्स के बारे में यहां चर्चा नहीं होगी इसलिए आप इसको यहीं बंद कीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : ये तो होम गार्ड की बात कर रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप पूरी बात सुन लीजिये, सचेतक महोदय, फिर अगर कहीं विधान सभा की बात हो तो कहिये। इसको स्वीकृति दी है गृह विभाग के ग्रुप-7 ने और वित्तीय स्वीकृति 2.1.2003 को दे दी। इसमें विधान सभा की बात कहां आ गई? गृह विभाग के ग्रुप(7) ने दी हैं और उनको पेमेंट नहीं कर रही है सरकार। इसमें कहीं विधान सभा का मुद्दा नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : ड्यूटी तो विधान सभा में लगी हुई है न। लेकिन उनको पेमेंट विधान सभा कर रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गृह विभाग।

श्री अमराराम (धोद) : ड्यूटी तो उनकी भी लगी हुई है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मेरा निवेदन सुन लीजिये। आज जितने भी यहां सिक्योरिटी पर आये हुए पुलिस कर्मचारी हैं उनका पेमेंट सब पुलिस वाले ही करते हैं, लेकिन जब तक वो यहां विधान सभा में सिक्योरिटी के लिए हैं, उनके सम्बन्ध में यहां किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि ये विधान सभा के ही कर्मचारी माने जा रहे हैं, विधान सभा के अधिकारी हैं। यह नियमों में है इसलिए मैं कह रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री मदन दिलावर : होम गार्ड की बात कर रहे हैं कुछ तो समझो।

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब। माननीय दिलावर साहब। आहूजा साहब, आप अपनी बात कहो न। अपनी बात कहो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अच्छा, उनको भूखों मरने दिया जाए, मैं चर्चा नहीं करता।

माननीय सभापति महोदय, यह जो वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान पुलिस का बड़ा सोणा-सोणा, बड़ा सुन्दर-सुन्दर और बहुत चिकने-चिकने कागज में आया है, उसमें पहले पेज पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का फोटो दिया है। वैसा दिया है जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय का और मुख्य मंत्री महोदय का फोटो देकर वोटों को ठगा गया था, लोगों को लूटा गया था। वैसे

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

ही पटेल साहब, पूर्व गृह मंत्री का दिया गया है। आगे बढ़कर कहा गया है साम्प्रदायिक दंगों के बारे में। मैं कहूंगा कि जातीय विद्वेष और साम्प्रदायिक दंगे इस राज में जितने बढ़े हैं, आप रिकार्ड उठाकर देखें, कभी आज तक बढ़े हैं क्या? आप मेरी बात पर इसलिए ज्यादा शोर मचाएंगे क्योंकि कड़वी बात कड़वी होती है इसलिए आपके गले नहीं उतरती है। कोई एक शेर बीच में और बोलकर फिर अपनी बात प्रारम्भ करूंगा। मुद्रा पर बिके हुए लोग, सुविधा पर टिके हुए लोग। बरगद की बात करते हैं, गमलों में उगे हुए लोग।

(21.15 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यानि कितने बौने लेकिन बात लम्बी-चौड़ी। जितने साम्प्रदायिक दंगे हैं उनकी व्याख्या नहीं करूंगा। समय कम है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बिराज गये, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। अब ये कहते हैं कि भवन और आवास हमने पुलिस को दिया है, बजट दिया है। अब बजट में क्या दिया है? वर्दी के लिए दिया है? लेखन-सामग्री के लिए क्या दिया है? और वाहन के लिए क्या दिया है? कितना पैसा दिया है? जहां तस्कर, माफिया गिरोह अच्छी से अच्छी सफारी गाड़ियों में, स्कार्पियो में घूमते हैं वहां थानों में खटारा गाड़ियां भी उपलब्ध नहीं हैं। यह आपने दिया है, पूरी डिटेल है। भवन की आप बात करते हैं, 709 पुलिस थानों में 519 थानों के लिए विभागीय भवन उपलब्ध है। यह आपकी रिपोर्ट में दिया है, मैंने नहीं बनायी है। आपके लोअर, सबोर्डिनेट स्टाफ के लिए कितने आवास उपलब्ध होने चाहिए उसमें आपने दिया है कि 61606 चाहिए, 48271 उपलब्ध नहीं करा पाये। यह आपने आवासीय सुविधा दी है। 78.35 प्रतिशत पुलिस के लोगों को आवास प्राप्त नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट की स्थिति है। साम्प्रदायिक दंगे और जातीय विद्वेष की मैंने जानकारी दी है कि क्या स्थिति हो गई है।

जितने भी श्रमिक आंदोलन चले, उद्योगपतियों से जाकर गले मिलना, यह सिर्फ पहले मैंने एक मंत्री महोदय के बारे में कहा। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत बुलाकर कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से सदन में क्यों कहते हैं। उद्योगपतियों को संरक्षण और मजदूरों पर लाठियां, ये एक नहीं, कितने ही उदाहरण हैं। कितनी ही मैं फोटो कापियां लाया हूं लेकिन समय कम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि श्रमिकों के ऊपर कृपा करें।

इतना ही नहीं, अपराध के झूठे आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। किसी भी जिले में, किसी भी नागरिक से पूछ लें,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

यह जो आपने प्रतिशत आंकड़ों की संख्या दी है, इन आंकड़ों की संख्या में आपने हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, बलवा, नकबजनी, चोरी और उसके आगे अनुसूचित जनजाति के ऊपर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, अन्य कई तरह के और भी अपराध हैं, आबकारी अधिनियम के, जुआ अधिनियम के, शस्त्र अधिनियम के, एन. डी.पी.एस. एक्ट के, एक्सप्लोजिव एक्ट के, ई.सी. एक्ट के, जिसके बारे में मैं बता चुका, सारे आंकड़े, किसी भी जिले में जाकर हम पूछे कि सत्य है क्या, तो जनता कहेगी कि सत्य नहीं हैं क्योंकि इतने बड़े अत्याचार हैं। मेरे अपने जिले में एस.सी. के लोगों की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। हम लोगों को थानों में या डी.एस.पी., एस.पी. से कह कर रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती हैं। यह आपके चार साल का रिकार्ड है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जन समस्या समाधान का जो नाटक है, एस.पी. साहब कहीं जाते हैं, जाकर थाने में बैठते हैं और घंटे-दो घंटे में किसी का बोलने नहीं देते। शिकायत मान लो किसी थानेदार से है और एस.पी. के साथ खुद वह बैठा है तो उसके बारे में कोई क्या बोलेगा? पता तो तब हो जब एस.पी. साहब नीचे के अधिकारियों जिनके खिलाफ शिकायत है, उनको अलग बिठाएं। एक बार आम जनता से समरस होकर सुने कि वास्तव में शिकायत क्या है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक अच्छा काम अगर है तो आर.ए.सी. का है। आर.ए.सी. के बारे में मैं कहूंगा कि वास्तव में बहुत बढ़िया काम है। आर.ए.सी. की वर्किंग के बारे में आपको धन्यवाद दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जितने भी आंकड़े आधुनीकरण के प्रस्तुत किये हैं, आधुनीकरण के झूठे आंकड़े हो सकते हैं वो प्रस्तुत किये हैं।

अंत में मैं दो-चार लाइनें ही पढ़ूंगा। इसके अतिरिक्त 4 बैरेक्स, 25 पुलिस थानों का निर्माण, 100 पुलिस थानों में एडिशन अल्टरेशन का कार्य, आर.ए.सी. बटालियन हेतु 2 प्रशासनिक भवन, करौली एवं जोधपुर ग्रामीण हेतु 2 प्रशासनिक भवन, 3 इंटेरोगेशन सेंटर, 8 जिला पुलिस कंट्रोल रूम, 14 बी.आई. पोस्ट भवन निर्माण, नम्बर तो सबके दे दिये हैं और रुपये भी दे दिये हैं लेकिन इनके बारे में कहा गया है कि इनको बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके क्षेत्र की कोई बात हो तो बताओ। यह तो पढ़ लिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतनी जल्दी कर रहा हूं, मैं तो तीन दिन आया ही नहीं, साहब। 20, 21, 22 को मैं बोला ही नहीं,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

इसलिए मुझे तो थोड़ा 10 मिनट का समय दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो स्थिति है, अलवर में एक कैरियर मेकर है, 2-3 केसों के बारे में, यह एग्जाम्पल है।

श्री उपाध्यक्ष : भोजन तैयार है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैरियर मेकर्स एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। वहां प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती गिरिजा व्यास गईं, वहां अजीत जोगी साहब, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ आये, और भी कई नेता आये। उस कैरियर मेकर्स ने बच्चों का कैसे जीवन बरबाद किया है, मैंने चार बार कलक्टर को, मुख्य मंत्री को, विजिलेंस सेल को, सबको लिखा है। कलक्टर साहब ने खुद जन अभाव अभियोग समिति में आकर आदेश पारित करके, उसको दोषी ठहराकर, इंक्वायरी बैठाकर, उसके खिलाफ अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एस.पी. साहब को कहा। आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। वह कैरियर मेकर्स कैसे लूट रहा है, उसके लिए बच्चों ने मुझे लिखकर दिया है। कृपया गृह राज्य मंत्रीजी नोट करें, कैरियर मेकर्स जैसी अपराधी संस्था, आपकी सत्तारूढ़ पार्टी का बरदहस्त है, यह बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, लूट रही है फीस वसूल करके, प्रलोभन देकर। ये पूरे दस्तावेज हैं, कागज हैं, रिकार्ड इत्यादि हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं, पिछली बार भी चर्चा आई थी लपकों की, क्या हैं ये लपके? लपकते हैं जो लपके। विदेशी युवक का अपहरण, नौ लपके पकड़े। जगह-जगह पर घुमाते रहे, 15,000 डालर की फिरौती मांगते रहे। अब यह जयपुर में हो रहा है। बाकी जगह लपके क्या करते होंगे? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर में और महलों में। यहां लपके कंट्रोल में नहीं है। सारे पुलिस अधिकारी, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं, जो सुमेधाजी को पकड़ लाये। अपहरण की हुई सुमेधाजी को पकड़ कर ले आये, उनको धन्यवाद। लेकिन ये लपकों का क्या रिकार्ड है? जरा जांच कर लें। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, मैं आपको नहीं, पुलिस वाले अधिकारियों को धन्यवाद दे रहा हूं। (व्यवधान) मैं दिल्ली पुलिस नहीं, इन अधिकारियों को धन्यवाद दे रहा हूं। ये लपकों का जो मैटर है...(व्यवधान) एक कारण है। मेवात सभा, अब भाई माहिर आजादजी को खुशी होनी चाहिए कि पहली बार मैं मेवों की बड़ाई कर रहा हूं। हालांकि मेवात के ऊपर अब मैं बोलूंगा। मेवात महासभा के अध्यक्ष ने लिखकर दिया है भारत के एक वैज्ञानिक हैं चौधरी कमरूद्दीन पुत्र मुराद, पूर्व सरपंच, प्रदेश सचिव महासभा, बख्तार चौकी,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

जिला अलवर राजस्थान को जान से मारने के हमले की कार्यवाही बाबत। यह स्थिति है। राजस्थान में एक इंजीनियर और वैज्ञानिक को भी जीवन का खतरा है। मेव सभा ने लिखकर दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसका बहुत सारा रिकार्ड है जो मैं यहां पर अपने साथ लाया हूं।

अभी चार रोज पहले अलवर में नकली घी पकड़ा गया। पुलिस की डायरी गोल कर दी, डायरी में घालमेल है। घी में तो मिलावट हुई और पुलिस की डायरी में भी मिलावट हो गई। यह मिलावट हो गई कि जिनकी दो साल में भी जमानत नहीं होनी चाहिए थी, दो दिन के अन्दर उनकी जमानत हो गई परसों शनिवार को इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? देशी घी बनाकर, देशी घी का एसेंस बनाकर, गोलमाल करने वाले, मिलावट करने वाले। पुलिस ने अपनी डायरी में भी मिलावट कर दी और ऐसी कमजोर डायरी बना दी कि उनकी जमानत हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे-ऐसे काण्ड हो रहे हैं।

पुलिस के बारे में मैं सिर्फ बुराई ही नहीं करता, पुलिस के ऊपर जो अत्याचार आप कर रहे हैं आपको मैं निवेदन करूं। माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा कि पांच साल की हम अवैतनिक छुट्टी देंगे। कर्मचारी जो छूट्टी लेकर जाना चाहे, लेकर जाए। वापस चाहे तो पांच वर्ष बाद आए उसकी सीनियरिटी नहीं मारी जाएगी। आज आप यह बात मेडिकल और पुलिस में भी लागू कर दो, विशेष रूप से पुलिस में, तो 90 प्रतिशत, ये बैठे हैं अधिकारी, सारे समझ रहे होंगे इस बात को कि 90 प्रतिशत पुलिस के अधिकारी छुट्टी लेकर चले जाएं और दुबारा लौटकर आपका मुंह और शक्ल नहीं देखें। यह स्थिति है पुलिस विभाग की, इतने दुःखी हैं पुलिस के कर्मचारी। ए.एस.आई. को आप मैस का भत्ता नहीं देंगे। सिपाही को देते हैं, हैड कांस्टेबल को देते हैं तो ए.एस.आई. को देने में कहां दिक्कत है? उनको वर्दी और बाकी सुविधा आप नहीं देते। एक से छह ग्रेड की बजाय एक से दस की ग्रेड को आपको देने में कहां दिक्कत है? डी.पी.सी. बैठती है। एक टैस्ट दूसरा टैस्ट, एक टैस्ट दूसरा टैस्ट, रैस्ट बैस्ट करके दो अधिकारी उनको पास कर देते हैं और दो अधिकारी फेल कर देते हैं, यह कौनसा उनके साथ न्याय है?

आर.पी.एस.सी. में 23,000 थानेदार पास हुए हैं। आपने कुल वेकेंसी 200 थानेदारों की निकाली हैं, जरूरत है 736 की। होने तो चाहिए थे एडिशनल कम से कम 3000-4000 थानेदार, लेकिन 736 तो वेकेंट हैं और निकाली आपने 200 की। यह जो शासन की अव्यवस्था है, पुलिस को परेशान नीचे वाले को करना

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

है और ऊपर वाले आदमनी लावे, ये माननीय अधिकारी को भी नहीं चाहिए। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत मैटर है जो रह जाएगा...

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। रह जाएगा तो आप परसों बोल देना। परसों के दिन बुला देंगे आपको।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं, परसों की बात नहीं है। मैं तीन दिन बोला ही नहीं, मेरा गला खराश था। अब इतना ही कहूंगा कि "बदले बदले ये सरकार नजर आते हैं, अब इनकी बरबादी के आसार नजर आते हैं।" इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जितना पुलिस पर अत्याचार है उसको ठीक किया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए। मैं भी चाहे छोटे सिपाही और ए.एस.आई. और थानेदार के बारे में निवेदन करूंगा...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपको घंटी बजाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं आज बोल नहीं रहा हूं, सिर्फ सुझाव दे रहा हूं कुछ। नहीं, नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुझाव ही देना, शांति रखना और कुछ...

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं सिर्फ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेवात में हो रहे अत्याचार के बारे में, विशेष कई सारी 25 घटनाएं हैं, कामां, नगर, डीग, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, उनके बारे में डिटेल देना चाहता था लेकिन अब आपके मेवात में जो अत्याचार हो रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : परसों और बुलाएंगे आपको।

मोहम्मद माहिर आजाद : ज्ञानदेवजी, आप बोले, उसको बड़ी खामोशी से शांति से सुना। राठौड़ साहब, अब यह क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो राजस्थान के मुख्य मंत्री और गृह मंत्रीजी को इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे पड़ोस के सूबे गुजरात में जो लपटें फैली, आग लगी, उन्होंने राजस्थान को उससे बचाये रखा है। राजस्थान में जिस किसी ने, किन्हीं असामाजिक तत्वों ने या शरारती तत्वों या साम्प्रदायिक शक्तियों ने मुंह उठाने की कोशिश की तो राजस्थान सरकार ने कठोर कदम उठाकर, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म और राजनैतिक पार्टी से सम्बद्ध था, सख्ती से उसको रोकने का काम किया, इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जहां सभी सम्प्रदाय के, सभी जातियों के और सभी धर्मों के लोग बड़े चैन से, बड़े सुकून से और बहुत भाई चारे से रहते थे, पिछले कुछ दिनों से चुनावी वर्ष शुरू होने के कारण एक सम्प्रदाय विशेष के लोगों को इंगित किया गया। एक तरफ राव शेखाजी जो राजपूतों में बहुत सम्माननीय हैं, पूज्यनीय हैं, उनकी मूर्ति को खण्डित करने का काम हुआ। दूसरी तरफ राजस्थान के अन्दर बड़ी संख्या में फैले हुए जाट समुदाय के अन्दर आस्था रखने वाले किसान केसरी बलदेव रामजी मिर्धा की मूर्ति को खण्डित करने का काम हुआ। राजस्थान सरकार ने और पुलिस विभाग ने बड़ी तत्परता दिखाई, तत्परता दिखाकर दोनों केसों को ओपन किया और दोनों केसों में मुलजिमों को पकड़ लिया। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से कि आपने इनकी तफतीश कई एंगलों से की होगी, क्या इस एंगल से भी आपने इनकी तफतीश की है कि आखिर इन अपराधों के पीछे कोई राजनैतिक शक्ति तो काम नहीं कर रही है? कोई राजनैतिक षड्यंत्र तो काम नहीं कर रहा है जो आपस में इन दोनों जातियों को आन्दोलित करके इनका राजनैतिक लाभ उठाना चाहता है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह आई.एस.आई. और सिमी कर रही हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह वह कर रहे हैं जो वसुन्धराजी को जाटों में जाट बताते हैं और राजपूतों में राजपूत बताते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आजादजी, इधर बोलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : जब ये इंटरप्ट करेंगे तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा, उपाध्यक्ष महोदय। मैंने कहा कि मैं पांच मिनट में अपनी बात खतम कर दूंगा। इतनी देर से ये बोलते रहे, मैं खामोशी से सुनता रहा, मैंने एक अल्फाज भी नहीं बोला, फिर ये क्यों इंटरप्ट करते हैं? इनको इतना तो कम से कम सोचना चाहिए।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने उसकी और कई एंगलों से तफतीश की होगी, जांच की होगी लेकिन इस एंगल से भी आपको जांच करनी चाहिए कि इसके पीछे के लोगों की मानसिकता इस तरह की तो नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, कई बार यहां कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि मदरसों में यह हो रहा है, सीमावर्ती क्षेत्रों में यह हो रहा है, मेवात में यह हो रहा है। मैं बचाव नहीं करता, मैं यह कहना

(मोहम्मद माहिर आजाद)

चाहता हूं कि स्पेसिफिक किसी मदरसे में, चाहे वह सीमावर्ती क्षेत्र में हो, चाहे वह मेवात का हो, अगर अराष्ट्रीय गतिविधियां हो रही हैं या आतंकवादी गतिविधि हो रही है तो यह माहिर आजाद आप से कह रहा है कि आप उसमें सख्ती से काम करो, आप उसको रोकने का काम करो। लेकिन अगर कहीं नहीं हो और केवल आप...

श्री मदन दिलावर : धन्यवाद तो सरकार के पिट्ठू हैं, चुनाव के बाद...

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप बैठिये। अगर रोज रोज केवल हम राजनैतिक रोटी सेंकने के लिए इस तरह की बात यहां करते रहे तो मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेवात के लिए एडिशनल एस.पी. की पोस्ट कायम करने की बात यहां डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने कही थी, मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि वहां पर एडिशनल एस.पी. की पोस्ट आपको कायम करनी चाहिए। नगर में जो थाना है, मैं यह माननीय गृह मंत्रीजी से मांग कर रहा हूं, मैंने पिछली बार भी यह कहा था और आपने आश्वासन दिया था कि उसको सी.आई. रैंक का थाना बनाने का काम करेंगे।

मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, ए.सी.डी. के जो मामले पैंडिंग हैं और उसमें प्रोसीक्यूशन की इजाजत आपसे मांगी गई है, आप उसमें देर मत लगाइये। अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो एक निर्धारित समयावधि आप तय कर ले कि जो भी मामले हो चाहे वह रैड हैण्ड पकड़े गये हों अथवा ए.सी.डी. के पास हों; उस समयावधि में आप उसकी अभियोजन की स्वीकृति दे देंगे, मैं आपसे यह मांग करना चाहता हूं। मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि पुलिसकर्मियों की...

श्री अमीन खान : छोटे आदमियों की दरखास्त फटाफट देते हैं, बड़े आदमियों के हाथ नहीं लगाते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं सब की बात कर रहा हूं। टोटल मामलों में जो 5500 सिपाही और 723 हैड कांस्टेबल के पद रिक्त हैं, इतनी बड़ी तादाद में पद आज अगर खाली हैं और उनको हम न आधुनिक हथियार दे रहे हैं, न आधुनिक वाहन दे रहे हैं, न हम पुलिसकर्मियों की भर्ती कर रहे हैं, उसके बाद भी अपराधों को रोकने का काम राजस्थान सरकार कर रही है उसके लिए गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं।

मैं एक निवेदन अंत में आपसे यह और कहना चाह रहा हूं कि नगर पहाड़ी के अन्दर जो उत्तर प्रदेश के बदमाश आये

(मोहम्मद माहिर आजाद)

थे, उनसे हमारे यहां की पुलिस के लोगों ने मुकाबला करके, एनकाउंटर करके उनको पकड़ कर मारने का काम किया, उनमें से कुछ लोगों को जिनकी सिफारिश आपके पास आई, आपने उनको प्रमोट कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके तमाम लोग जो उसमें शामिल थे, उन सब को आप प्रमोशन देने का काम करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। एक शेर सुनाकर अपनी बात खतम करूंगा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। और ये कत्ल भी कर देते हैं तो परवाह नहीं होती। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब इससे शार्ट तो नहीं बोल सकता था न?

श्री उपाध्यक्ष : आप भी उनकी तरह ही बोलना, ध्यान रखना।

श्री मदन दिलावर : क्या, सर?

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में बोलना और जल्दी भी।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : हां, बहुत संक्षेप में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पुलिस पर हमको गर्व है, बहुत सारे काम इन्होंने ऐसे किये हैं जिससे जनता को काफी राहत महसूस होती रहती है। परन्तु इन चार सालों का जो समय हमने देखा है, इस सरकार ने पुलिस महकमे की हालत यह कर दी कि छोटी से छोटी बात के लिए राजनीतिक दबाव पड़ने लगे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दूनी की घटना आज सब को पता है। आपने उस दिन कहा था कि तरीके से आप आइये। दूनी की घटना के बारे में है कि एक रामसागर मीणा इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराता है कि वहां का जो डाक्टर है मोहम्मद हुसैन, वह एक पुस्तक बांट रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : आ गया न पहले यह तो, कह दिया आपने।

श्री मदन दिलावर : आपने यह कहा था रिकार्ड न हो। अब मैं विधिवत आया हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ?

श्री रामप्रताप : उस दिन रिकार्ड नहीं होने दिया था।

डा. किरोड़ी लाल : व्यवस्था दे दी थी कि रिकार्ड नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : अब भी नहीं होने दूंगा तो क्या कर लोगे?

श्री रामप्रताप : नहीं, रिकार्ड में नहीं आया, साहब, उस दिन।

डा. किरोड़ी लाल : उस दिन रिकार्ड में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो कल रिकार्ड नहीं करने दिया वो आज कैसे करने दूंगा?

श्री मदन दिलावर : आपने यह कहा था कि आप विधिवत नहीं आये इसलिए नहीं करने दे रहा हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : विधिवत के लिए कहा था, आज विधिवत आ रहे हैं यह।

श्री मदन दिलावर : आज मैं विधिवत आया हूं। मेरा तो निवेदन यह था कि जिन धार्मिक पुस्तकों का उल्लेख वह डाक्टर अपनी किताब में करता है ऋग्वेद और रामायणजी, रामचरित मानस, महाभारत और सब का सार...

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बात कह रहे हैं वह अपनी जगह सही है, वह अनप्लीजेंट डिस्कशन है। होम मिनिस्टर साहब, क्योंकि काग्नीजेबल आफेंस तो है, आप थोड़ा-सा इतना-सा एश्योर कर दीजिये कि कार्यवाही होगी। अब इस बात को अनावश्यक क्यों...

श्री उपाध्यक्ष : तो यह बोलेंगे तब जवाब देंगे न?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, it is not in the interest of public tranquility. इस तरह का डिस्कशन हो, उससे अच्छा है काग्नीजेबल आफेंस तो है धार्मिक भावनाओं को भड़काने का, इतना-सा आप एश्योर कर दें कि इसके ऊपर एप्रोच करें यहां पर।

श्री रामप्रताप : ऑन रिकार्ड तो आने दो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, आन रिकार्ड है सब।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): अटरू से आने वाले माननीय सदस्य और मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस पुस्तक के बारे में जिक्र किया है और जो एफ.आई.आर. का जिक्र इन्होंने किया है, एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, काग्नीजेबल आफेंस के तहत की गई है। उस किताब में जिन-जिन धर्म ग्रंथों का जिक्र किया गया है उन ग्रंथों को इकट्ठा किया जा रहा है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है। उस विश्लेषण के आधार पर जो भी कार्यवाही उसके खिलाफ हो सकती है, यह उस डाक्टर ने किताब नहीं लिखी, यह दिल्ली के कोई पब्लिकेशन हैं उसने यह किताब लिखी है, डाक्टर के पास वह किताब आई थी। एक बड़े पैमाने पर दिल्ली के पब्लिकेशन वाले इस तरह के काम करते रहते हैं, मेरे पास है अभी, आप चाहें तो वह सारी जो भी उस किताब में उदाहरण दिये हैं, उसकी कापियां मैंने प्राप्त करने की चेष्टा की है और मैं इसके जो विद्वान हैं उनसे सम्पर्क कर रहा हूं कि

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

जो बात लिखी गई है वह सही है या गलत है, क्योंकि मेरे पास फोटो कापी है, कि अथर्वेद में क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है। लेकिन मैं एश्योर करता हूं अगर यह काग्नीजेबल आफेंस है और इसकी तह तक इस सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए तो सरकार इसकी कार्यवाही करने से नहीं हिचकेगी, लेकिन मैं सत्यापन करके ही इसमें आगे कार्यवाही करूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इंवेस्टीगेशन चल रहा है मतलब?

श्री मदन दिलावर : माननीय गृह मंत्रीजी ने बात कही है...

श्री उपाध्यक्ष : अब हो गया न सब्जैक्ट क्लोज।

श्री मदन दिलावर : मेरा निवेदन तो सुन लें, सर। माननीय गृह मंत्रीजी ने बात कही है कि अब कार्यवाही होगी। यह घटना 20.12 की है, 20 दिसम्बर की।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20.12 के बाद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस डाक्टर के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज कराता है उसके खिलाफ कार्यवाही होती है। राजस्थान सरकार राष्ट्रभक्तों के साथ कार्यवाही करती है, लेकिन इस प्रकार से धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने और यहां के हिन्दुओं का अपमान करने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करके कहती है जांच करूंगा। यह सरकार कह रही है जांच करेगी सरकार। उस मास्टर के लिए क्यों नहीं जांच की?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाए; धर्म ग्रंथों से जो कुछ उल्लेख उस किताब में किया गया, मिलान नहीं किया जाए, तब तक इस तरह की बात कर रहे हैं उसके मायने नहीं हैं, कोई तुक नहीं है, किसी पर चार्ज लगाना ठीक नहीं है।

श्री मदन दिलावर : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, उस डाक्टर के सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, मैं भी इस पक्ष का आदमी हूं। जांच तो किसी को सजा देने से...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : धर्म ग्रंथ का उस किताब में उल्लेख किया है, श्लोक दिये गये हैं, किस बुक पेज पर क्या श्लोक लिखा गया है, इन सब का हम सत्यापन करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। उसके पहले किसी के खिलाफ कुछ कहना, यह धर्म ग्रंथों का हम अनादर कर रहे हैं। यह कह रहे हैं कि गलत कोट किया, ये बातें कहना बिलकुल...(व्यवधान) यह कोई आसान

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

काम नहीं है। चौधरीजी, यह आसान काम नहीं है, अलग-अलग ग्रंथों में, मैंने चूरू से आने वाले सदस्य को बताया है कि मैंने कितना लिटरेचर इकट्ठा किया और कितनी एक्सरसाइज, लोगों से मैं उसके बारे में सम्पर्क कर रहा हूं। वक्त लगेगा, यह कहना है कि आसान काम नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप समझाइये, चीफ व्हिप साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सब्जैक्ट को क्लोज करिये और आगे बढ़िये। बात हो गई न खतम। यह खुद ही महसूस कर रहे हैं आपके सदस्य कि बहुत लम्बा उसका इंवेस्टिगेशन करना है।

श्री मदन दिलावर : मैं क्लोज कर रहा हूं। हां, हां, बस, मैं शार्ट कर रहा हूं। मेरा तो निवेदन यह था कि जो उसमें लिखा है, कोई जो यह चाहे कि मेरा बेटा सभाओं में धाराप्रवाह बोलने वाला हो और सब वेदों का ज्ञानी हो और सौ वर्ष की आयु वाला हो उसे चाहिए कि वह और उसकी पत्नी बैल और साण्ड का गोश्त पकाकर घी और चावल के साथ मिला कर खाएं। और क्या लिखा है, राजा रंती देव और इन्होंने जो हवाला दिया है अरण्य उपनिषद् का, छह मण्डल, चार सूक्त और अठारह मंत्र का दिया है यहां हवाला, यह उपनिषद में लिखा होगा? मैं यह कहना चाह रहा था कि इस प्रकार की घटना है राजस्थान की...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो उसमें उदाहरण दिये हैं, क्या ये सूत्र गलत हैं? यह बता दें आप तो कि गलत हैं।

श्री मदन दिलावर : हां, ये नहीं हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपनिषद का और सारी चीजों का जो रेफरेंस दिया गया है उसमें...

श्री मदन दिलावर : हां।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्षजी, फिर यह पूछा जाए कि वह क्या है, वह सूत्र क्या है, वह कौन-सा मंत्र है और उस मंत्र की व्याख्या करके यह बोले।

श्री मदन दिलावर : हां, पढ़ रहा हूं। यस, यस, बताता हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : वह मंत्र बोल दो आप फिर।

श्री मदन दिलावर : वह है-वोपि जितवेद पितृभयो यंत्रनास्ते निहित्वा न राते मदस्ये कुल्या उप तांत्रस्त वंतु संता यशा मासिश संत मता य स्वाहा। इसका अर्थ है-हे जात वेद से अग्ने पित्रों के लिए तुम वया को वहन करो, दूर जहां तुम इन्हें निहित जानते हो उन पित्रों के लिए मेघ की लघु सरिपा चले और हमें उनके यथार्थ आशीर्वाद प्राप्त हों। हे अग्ने! यह तुम्हारे लिए आहुति है। और भी बताऊं

(श्री मदन दिलावर)

क्या अब दो-चार का? मैं निवेदन यह कर रहा था, श्रीमान्...

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्षजी, चूंकि वह किताब जिसका माननीय गृह मंत्री ने जिक्र किया है वह दिल्ली से पब्लिश हुई है, दिल्ली की अथारिटी है, यह तो दिल्ली की भारत सरकार से कहिये न आप, भारत सरकार उनको जब्त करे।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न यह। माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर : आपने मुझे...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, प्लीज।

श्री बनवारी लाल बैरवा : हमारे जाने से जो हो सकता था वह हमारे गृह मंत्रीजी ने कहा कि मैंने तमाम चीजों के कलेक्शन कर लिये हैं। उनकी जांच करा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं आप गलत कह रहे हैं। आफेंस सब जगह कमिट होता है। यह गलत कहते हो आप कि भारत सरकार से ताल्लुक है आफेंस तो कंटीन्युइंग आफेंस है। अगर आफेंस है तो यहां भी आफेंस है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : उसकी तो करा रहे हैं न। लेकिन जिसके लिए बहुत ज्यादा चिंता है न माननीय सदस्य को, तो वहां से कराना चाहिए इस काम को। भारत सरकार से कहो आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं आप गलत समझ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब सदन में गृह मंत्रीजी ने कह दिया कि मैं सारी चीजों का अध्ययन कराकर उचित कार्यवाही करूंगा तो आप क्यों आग में घी डाल रहे हो?

श्री बनवारी लाल बैरवा : बात खतम हो गई। (व्यवधान) माननीय सदस्य, फिर तो बात खतम हो गई, आप आगे बढ़ो।

श्री मदन दिलावर : हां, आगे बढ़ूं, आप बैठो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सब्जैक्ट का क्लोज करो, आगे दूसरा लो।

श्री मदन दिलावर : हां, कर दिया। यह क्योंकि कड़वा लगता है इसलिए क्लोज कर दिया मैंने।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि सांगोद में स्कूल के अन्दर वंदे मातरम् होता है, वहां कुछ बदमाश जाते हैं, वंदे मातरम् करने वाले बच्चों पर हमला करते हैं, सिर फोड़ देते हैं। मुकदमे दोनों तरफ से दर्ज होते हैं, लेकिन चालान किस का होता है? वंदे मातरम् गायन करने वालों का चालान होता है और जो वंदे मातरम् का विरोध करते हैं, जो हमला करते हैं उनका चालान नहीं

(श्री मदन दिलावर)

होता है। क्या है यह सरकार? वंदे मातरम् अपराध हो गया? आपके यहां वंदे मातरम् नहीं बोलना चाहिए? अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले सांगोद में मुसलमान लोग एक जुलूस निकालते हैं, सारे मुसलमान बुरे नहीं होते हैं, कुछ मुसलमान असामाजिक तत्व नारा लगाते हैं "पाकिस्तान जिन्दाबाद" "लादेन तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है।" "राम-राम करने वालों को गोली मारो सालों को", यह अच्छा लगा? मुकदमा दर्ज किसके खिलाफ किया? विरोध किया उनको 10 दिन तक जेल में रखा। जिन्होंने इस बात का विरोध किया कि इस प्रकार के नारे नहीं लगने चाहिए, उनकी होली जेल में हुई। यह सरकार है? यह सरकार है कि मजाक है? यह क्या अंग्रेजों की सरकार है, मुगलों की सरकार है? यह हमारे स्वदेश की सरकार है, यह हमारे स्वप्रान्त की सरकार है। मुझे स्वप्रान्त की सरकार लगते हुए भी आचरण विदेशी और गुलामों जैसी सरकार के लग रहे हैं। इनके आचरण इस प्रकार के हैं जिससे लगता है जैसे कोई पाकिस्तान के समर्थक हो गये हों। मैं यहां विधान सभा में कहता हूं कि पाकिस्तान जिन्दाबाद बोलने वालों की गरदन मरोड़ दूंगा तो मुझे एक पत्र आ जाता है कि ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। यह शिष्टाचार नहीं है। पाकिस्तान जिन्दाबाद बोलने वालों की गरदन नहीं मरोडूंगा तो क्या करूंगा? मैं उनकी पूजा करूंगा क्या? उनकी पूजा नहीं कर सकता, श्रीमान्।

यही नहीं, गंगापुर सिटी की घटना अभी थोड़े दिन की बात है। वहां पर एक सिनेमा हाल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, एक पीछे से आकर दोनों टांगें उसकी सीट पर रख करके कंधे पर रख देता है। वो मना करता है। नहीं उतारता। झगड़ा हो जाता है। वो बाहर जाता है। पांच मिनट के अन्दर 100 बदमाशान आकर उसके ऊपर, पूरे के पूरे टाकीज पर हमला करके कई लोगों को घायल कर देते हैं। उनको पकड़ा नहीं जाता है। कर्फ्यू लगा दिया जाता है और कर्फ्यू लगा कर 10 दिन तक गंगापुर सिटी की जनता को परेशान किया जाता है। क्या है यह? यह क्यों हो रहा है? यह नहीं होना चाहिए था न? हम धर्मनिरपेक्ष हैं। बहुत ढिंढोरा पीट रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष नहीं हो, छदम धर्मनिरपेक्ष हो छद्म। छद्म धर्मनिरपेक्ष रह कर इस प्रकार की चर्चा करके यहां के बहुसंख्यक समाज का, यहां के राष्ट्रभक्तों का अपमान करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो मंसूबे पूरे नहीं हो सकते। हम से कहते हैं ये साम्प्रदायिकता फैलाते हैं। साम्प्रदायिकता की परिभाषा क्या है, कभी पढ़ी आपने? क्या होती है साम्प्रदायिकता? किसको कहते हैं? आपको पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। लग रहे हैं, भेड़-चाल लग रहे हैं। एक ने कह दिया

(श्री मदन दिलावर)

साम्प्रदायिक, दूसरा कहता है साम्प्रदायिक, तीसरा कहता है साम्प्रदायिक। कुछ अक्ल रखो। कुछ पढ़ाई-लिखाई किया करो, साम्प्रदायिकता किसको कहते हैं। लेकिन आप लोग भेड़-चाल चल कर सबको इस प्रकार से कटघरे में खड़ा करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं न, ऐसा नहीं चलता। जहां भी कुछ लोग जिसको ये अल्पसंख्यक कहते हैं, गांवों में अल्पसंख्या में रहते हैं, कहीं उनके साथ विद्वेष नहीं होता है। जहां भी ये थोड़ी संख्या में हो जाते हैं वहां भोले-भाले हिन्दुओं के ऊपर संकट पैदा होता है। मेवात में जहां कम संख्या में हिन्दू हैं, वहां जिस प्रकार का षड्यंत्र उनके साथ होता है और जो भुगतते हैं वो जानते हैं। आज स्थिति क्या है, उपाध्यक्ष महोदय? मेवात क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में चले जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र सुरेन्द्रजी व्यास, थोड़ा आप बिराजिये आपकी जरूरत है यहां, बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : किसी भी क्षेत्र में चले जाइये। जगह-जगह पर गौकशी के माले, गायों की खाल उतारने के लिए उन पर गरम-गरम तेल और पानी डाला जाता है। जिन्दी गायों को तड़पा-तड़पा कर मार कर उनकी खाल उतारी जाती है। सैकड़ों गायों के शरीर सिर कटे हुए मिलते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कार्यवाही हुई? नहीं हुई। कहा है, यदि गाय काटने वालों को पकड़ेंगे तो साम्प्रदायिकता फैल जाएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मदन दिलावर : माफ करें, श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष : हो गये 11 मिनट हो गये।

श्री मदन दिलावर : हां, माफ करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिराजिये।

श्री मदन दिलावर : साम्प्रदायिकता फैल जाएगी। और अधिकारियों में ऐसा भूत सवार कर रखा है और इस सरकार ने कि चाहे कुछ भी हो जाए हिन्दू के साथ अत्याचार-अनाचार, किसी बदमाश मुसलमान गुण्डे को यदि आपने पकड़ लिया तो तुमको सस्पैंड कर दिया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही कर दी जाएगी। इसके कारण मुस्लिम असामाजिक तत्व इस राजस्थान की धरती पर जो सिर उठा रहे हैं, उसके कारण से पूरा राजस्थान आज अस्त-व्यस्त है। यहां का व्यक्ति समझदार है लेकिन अपने-आपको ऐसा महसूस कर रहा है कि मैं कहां रह रहा हूं। कोई जम्मू-कश्मीर की धरती पर रह रहा हूं क्या? यहां विधान सभा में आज साम्प्रदायिकता की बहुत बात की गयी लेकिन कहा किसी ने?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : कि जम्मू कश्मीर में आज 25 लोगों की कुछ मुस्लिम गुण्डों ने हत्या कर दी। 25 कश्मीरी पण्डितों की हत्या कर दी। एक शब्द इन लोगों के लिए निकला नहीं। एक शब्द किसी ने कहा नहीं। क्या मुंह सिल गया था? क्या टेप लगा दिया गया था? गोधरा की घटना होती है, 58 रामभक्तों को जिन्दा जला दिया जाता है रेल के डिब्बों में, एक भी माननीय सदस्य की आवाज कहीं से नहीं आती है। राजस्थान के चाहे किसी भी कोने में उस समय होगा, कोई आवाज नहीं आती है। लेकिन जब हमलावर मारे जाते हैं, वो बदमाशान गुजरात में मारे जाते हैं तब हमारे मुख्य मंत्री +++

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीलाल मेघवाल, बोलिये।

श्री मदन दिलावर : हमारे गृह मंत्री +++ कहते हैं, यहां कुछ नहीं होने देंगे। गृह मंत्रीजी, त्रिशूल बांटने का विरोध मत करो। हम तो राष्ट्रद्रोहियों से निपटने के लिए यदि बंदूक भी बांटनी पड़ी तो बंदूक बांटेंगे। यदि राष्ट्रद्रोहियों को निपटने के लिए बम बांटने पड़ें तो बम बांटेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हम तो तीन फन का चाकू बांट रहे हो उसका विरोध करते हैं। वो चाकू, त्रिशूल नहीं है।

श्री मदन दिलावर : चाकू नहीं, हम कह रहे हैं तलवार भी बांटेंगे राष्ट्रद्रोहियों से निपटना पड़ा तो। राष्ट्र विद्रोहियों से निपटना पड़ा तो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : तलवार भी नियम के विरुद्ध बांटेंगे तो कार्यवाही की जाएगी, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

श्री मदन दिलावर : इस देश को नुकसान पहुंचाने वालों को निपटना पड़ा...

श्री उपाध्यक्ष : श्री घासीलाल मेघवाल।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बैठिये।

श्री मदन दिलावर : गौ हत्यारों से निपटना पड़ा...

श्री उपाध्यक्ष : इनका अंकित नहीं हो। घासीलाल मेघवालजी, बोलिये।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खेतसिंहजी सुन रहे हैं, साहब। कितना अच्छा बोले, देखो कैसे सुन रहे हैं। दो मिनट और बोलेंगे वो।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री धर्मपाल चौधरी : दो मिनट में करते हैं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री दिग्विजय सिंह : ये +++ रोज ही सुनते हैं इनकी।

डा. किरोड़ी लाल : खेतसिंहजी बहुत कंसन्ट्रेशन से सुन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो क्या हुआ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : कोई नहीं सुन रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : जब तक उनका कंसन्ट्रेशन खतम नहीं हो तब तक उनको बोलने दें।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : घासीलालजी, बोलिये। आप विराजिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विधान सभा में मामला उठता है।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या-16 पर चर्चा हो रही है मैं भी उस चर्चा में अपने-आपको शामिल करते हुए सबसे पहले राजस्थान सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि पड़ोसी राज्यों से...

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित ही नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : XXX

श्री घासीलाल मेघवाल : जो आग की लपटें हमारे राज्य की ओर आ रही थीं उनको हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री और गृह मंत्री महोदय द्वारा जिस प्रकार से सीमा पर फायर ब्रिगेड खड़ा करके रोका गया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, दिन भर से सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करते हुए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार द्वारा अभी अनेक विधान सभा क्षेत्रों में उपखंड कार्यालय खोले गये हैं। चूंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दो उपखंड कार्यालय खोले गये हैं, इसके लिए तो मैं आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि केशोरायपाटन में...

श्री परसादी लाल : तीन हो जाएंगे अब तो।

श्री घासीलाल मेघवाल : चार होंगे, साहब, अब तो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बोलने दें उनको।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री घासीलाल मेघवाल : मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में जहां सब डिजीवन आफिस है, एस.डी.एम. बैठते हैं, वहां पर सी.ओ. सर्किल खोला जाए। वहां पर डीवाई.एस.पी. की पोस्ट स्वीकृत की जाए। साथ ही केशोरायपाटन और लाखेरी दोनों जगह सब डिवीजन आफिस है, एस.डी.एम. बैठते हैं, वहां जो थाने हैं उनमें सब इंस्पेक्टर बैठते हैं, कृपया उन थानों में सी.आई. रैंक के आफिसर को बैठाया जाए। साथ में निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि ग्राम जेष्टल और लवान दो गांव ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं और पुलिस थाने से बहुत दूर पड़ते हैं, यहां पर पुलिस चौकी खोली जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, सभी इस सदन के माननीय सदस्यों की जो मैंने महसूस की है जो चिन्ता उभर कर सामने आयी है वो थानों में स्टाफ की कमी की आयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज एक थाने में 15 सिपाही होते हैं, उन 15 सिपाहियों की ड्यूटी क्या होती है? चार सिपाही होते हैं जो संतरी की ड्यूटी का काम करते हैं और चार सिपाही होते हैं जो एल.सी. का काम करते हैं। एक सिपाही वायरलैस सैट पर बैठा रहता है और अक्सर दो सिपाही छुट्टी पर चलते हैं। बचे चार सिपाही जो रात-दिन दौड़े दौड़े फिरते हैं। जैसे घाणी के बैल चलते रहते हैं वैसे वे दौड़ते रहते हैं। आज एक आई.पी.एस. अधिकारी के पास 10 से 15 अर्दली होते हैं, और उसके ऊपर तो आपको बढ़ोत्तरी ही मिलेगी। 4-5 तो खाना बनाते हैं, 1-2 कुत्ते की रखवाली करते हैं, 1-2 बच्चे-बच्चों को छोड़ने का काम करते हैं, 1-2 गाय-भैंसें चराते हैं, फ़ार्म हाउस पर भी जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इन सभी को थानों पर भेजा जाए। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुबह पर्चियों का प्रश्न आया था तब यह तय हुआ था कि सदन यदि चाहेगा तो आज वाली पर्चियां कल ली जाएंगी। सदन चाहेगा तो, मैंने यह कहा था। आप बिराजिए।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था थी, आपने व्यवस्था दी थी कि कल ली जाएंगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन आपने यह कहा था, दो पर्चियां तो ऐसी हैं जिनका होम डिपार्टमेंट से ताल्लुक है, वह तो आज चर्चा हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी भी होम डिपार्टमेंट से ताल्लुक है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने यह निवेदन किया था कि मेरी पर्ची का ताल्लुक पी.एच.ई.डी. से है, तो आपने कहा ठीक है आपकी कल ले लेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : मेरी हायर एजुकेशन से थी।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह कहा कि सदन यदि चाहेगा तो आज की पर्चियां कल ले ली जाएंगी।

श्री संयम लोढ़ा : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यदि अचानक कोई मामला आ जाए जो माननीय सदस्य रखना चाहे, बहुत ज्यादा आवश्यक हो, तो कल के ही लोगों की रखी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : तो आज की कैंसिल?

श्री संयम लोढ़ा : चार दिन प्रयास करने के बाद तो आज लगी थी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने यह कहा था कि...

श्री उपाध्यक्ष : सदन चाहेगा तो, आप रेकार्ड देख लो।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह फर्माया था कि आज की जो पर्चियां हैं उनको कल समय दिया जाएगा।

श्री हीरासिंह चौहान : आसन व्यवस्था दे चुका कि आज की पर्चियां कल ली जाएंगी।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह नहीं दे चुकी मैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सत्य बात तो यह है।

श्री संयम लोढ़ा : आप रेकार्ड देख लें, उपाध्यक्ष महोदय, आपने यही फर्माया है।

श्री हीरासिंह चौहान : आपने फर्माया था ऐसा।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आप रेकार्ड देख लें, आपने यह फर्माया था कि आज की जो पर्चियां हैं उनको कल मौका दिया जाएगा। सत्य बात है, सत्य से नहीं मुकरना चाहिये। अपनी बात कही है उस पर कायम रहो आप, आपने फर्माया था।

श्री हीरासिंह चौहान : आपने व्यवस्था दी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो सीधी बात कहो कि सदन की यदि इच्छा हो तो आज की पर्चियां कल ले ली जाएं।

श्री संयम लोढ़ा : इच्छा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नो।

श्री संयम लोढ़ा : इस पर मतदान करा लो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था कर दो कि आज और कल की दोनों मिलाकर 8 हो जाएंगी।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, चार दिन प्रयास करने के बाद आज पर्ची खुली थी और आपने यह व्यवस्था दी थी कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कई बार ऐसा मौका आया है, कई माननीय सदस्यों की पर्ची शून्यकाल नहीं होने के कारण नहीं आई। तो आज यह नई व्यवस्था काहे को दे रहे हो? फिर हमेशा देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, अपन को क्या तकलीफ है।

श्री संयम लोढ़ा : नहीं, आप इस पर मतदान करा दो। मैजोरिटी हमारे साथ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : या तो आप जो आदेश देंगे वह शिरोधार्य है। आप जो आदेश देंगे वह तो निश्चित रूप से हम मानेंगे ही मानेंगे। अगर आदेश नहीं देना चाहते तो फिर आप सदन से पूछो। फिर आप खाली एक माननीय सदस्य से कहने से थोड़े ही निर्णय कर सकते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आप खाली पर्ची के विषय देख लो कितने जन हित में हैं और कितने आवश्यक हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सदन से ही पूछो न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिन माननीय सदस्यों ने आज दी है वे कल फिर चांस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो दे ही सकते हैं कल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, तो कल फिर चांस ले लेंगे। यह नई परम्परा क्यों डाल रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा : यह चांस की क्या बात हुई? उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि कल लागू की जाएंगी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। ऐसा लगता है कि सदन का मूड यह है कि कल नई पर्चियां ली जाएं तो कल नई पर्चियां ली जाएंगी। (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : साहब, राठौड़ साहब का क्या मूड है, आप तो सदन के मूड के हिसाब से चलिए। इनकी रोज पर्चियां आती हैं। (व्यवधान) यूं क्या करते हैं आप?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय कटारिया साहब।

श्री संयम लोढ़ा : आदेश क्या हो गया?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-16, अपराधों की संख्या के आधार पर शायद यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि अपराधों की संख्या अगर 10 घट जाए तो प्रशासन बहुत अच्छा हो गया, 10 बढ़ जाएं तो बहुत खराब हो गया। मैं सोचता हूं, इन आंकड़ों के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आधार पर अगर कोई नाप-तौल करने की कोशिश करेगा कि प्रशासन अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो अपराध पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। सवाल यह है कि अपराधों पर हम अपनी कार्यवाही किस ढंग से करते हैं, उस पर हमारा चालान पेश करने के बाद उसमें सजा कितने को दिलाते हैं। हमारा प्रशासनिक तंत्र इस बात के लिये जाना जा सकता है कि अपराध हो गया उस अपराधी को सजा दिलाने में हम कितने कामयाब होते हैं, यह हमारी सबसे बड़ी सफलता है। इस दृष्टि से अगर हम विचार करें और विश्लेषण करें तो उसका इस प्रगति प्रतिवेदन में कहीं कोई लेना-देना नहीं है। मैं सोचता हूं कि जिस थर्मामीटर से विभाग की वर्किंग एफिशिएंसी को पहचाना जा सकता है, जाना जा सकता है उस दृष्टि से आपने कहीं नहीं दिया कि आखिर हमारे जितने केसेज हैं उनमें सजा कितने को मिली, कितने एक्विटल हुए, क्यों हुए, कहां विभाग की कमी-खामी है, समय इतना अधिक क्यों लगता है जिसके कारण अपराधी बचकर निकल जाता है, कहां हमारी खामी है। इस दृष्टि से इस सारे के सारे प्रगति प्रतिवेदन में, पिछले साल भी मैंने यह बताया था और इस साल भी कह रहा हूं कि कम से कम आप अगले वर्ष में एक कालम इस बात का जरूर बनाइये कि इस वर्ष में जितने चालान या जितने केस के फैसले हुए विभिन्न कोर्टों से, उनमें इतने में से इतने एक्विटल हुए, इतने में सजा हुई, इतने में नहीं हुई। कम से कम इस बारे में तो विभाग विश्लेषण करे जिससे पता लगे कि आखिर हम अपराध को जिस शक्ति से दबाना चाहते हैं उसके कोई सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वह उस चार्ट के आधार पर अच्छी प्रकार से अनुमान कर सकेंगे। मैं मेरी संख्या के आधार पर बताऊंगा कि जुर्म बढ़ रहे हैं, आप बताएंगे कि कम हो रहे हैं। 10 कम या 10 ज्यादा से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन यह बात जरूर है कि विभाग की वर्किंग को हम कैसे ठीक करें इस बारे में जरूर हमारा ध्यान जाना चाहिये, लेकिन इस बारे में जो कुछ भी हमने इसमें से देखा है उसमें जा नहीं रहा है।

विशेष कर आपके जितने रिक्त स्थान हैं इन रिक्त स्थानों की पूर्ति की दृष्टि से हमारा काम संतोषप्रद नहीं लगता है। मैं अलग-अलग की संख्या बोलूं तो यह तो इस चार्ट में दिया हुआ है। इसके कारण से पिछले साल लगभग 60 करोड़ रुपया केवल वेतन में बचा है। यह जो आपका आय-व्ययक का ब्यौरा दे रखा है, इस किताब को देखने से यह लगता है कि पिछले साल इन विभिन्न पदों के खाली रहने से राज्य सरकार का 60 करोड़ रुपया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जो बजट में दिया हुआ था वह बजट बचा है। मैं सोचता हूं कि जब हमारे पास राशि उपलब्ध है तो हम इसको बचाने के पक्ष में क्यों रहते हैं? पुलिस प्रशासन भी क्या करेगा, उसकी संख्या और नफरी इतनी कम है कि आप उसको कहां-कहां दौड़ाओगे। जिस प्रकार के आजकल अपराध हो रहे हैं, पहले की तुलना में उनका तरीका बिलकुल बदल चुका है। उस बदले हुए तरीका से निपटने में आपको मैन पावर चाहिये और उसके साथ उस प्रकार के हमारे सब साधन भी चाहियें कि उनको कंट्रोल कर सकें। हम उस दृष्टि से विचार नहीं करते और केवल उन्हीं को दोष देने का जो प्रयास करते हैं यह समस्या का समाधान नहीं है।

इसलिए इस बारे में निश्चिंत रूप से हमको विचार करना चाहिये और जो कुछ भी हमारे पास पद हैं इन पदों को हमें तुरन्त भरने का प्रयास करना चाहिये। आपके जो आई.पी.एस. हैं उनका तो समय पर प्रमोशन होता है, लेकिन जो हमारे स्टेट कैडर के लोग हैं आखिर उनको भी 16-16, 20-20 साल तक हो जाते हैं कोई उनका प्रमोशन ही नहीं होता है। इधर आपके पास पद खाली रहते हैं एस.पी. के क्योंकि वह प्रमोशन से जाना है, उसके बारे में हम समय पर निर्णय नहीं कर पाते, आखिर व्यक्ति के मन में कुंठा तो होती है न। मैं सोचता हूं एक एडिशनल एस.पी. फील्ड में शायद ज्यादा थंटे दौड़ता है, जितना शायद आपका एस.पी. भी नहीं दौड़ता है। लेकिन वह प्रमोशन से इसलिए वंचित है क्योंकि उसकी समय पर डी.पी.सी. नहीं होती। कभी किसी प्रकार के कोर्ट केसेज में फंस जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय हो जाता है, कभी हम प्रमोट करते हैं उसको वापस डीग्रेड कर देते हैं। आखिर हर व्यक्ति जो राज्य की नौकरी करता है, उसके मन में यह स्वाभाविक इच्छा रहती है कि उसका प्रमोशन हो।

(22.00 बजे)

दूसरा बिन्दु जो पेज नम्बर-4 में है, फ्युअल का खर्चा। आपके सारे बजट का 757 करोड़ रुपया जो आप खर्च कर रहे हैं उसमें फ्यूअल का खर्चा रखा एक करोड़ रुपया। एक करोड़ रुपये में लगभग 700 और कुछ थाने हैं, ऊपर के सारे अधिकारी हैं और 171 आपके पुलिस वृत्त हैं। सब मिलाकर संख्या के हिसाब से भी निकाले तो लगभग 1000 से अधिक व्हीकल हैं और हजार से अधिक में आपने अपना बजट प्रावधान रखा है एक करोड़ रुपया। अगर इसका सालाना हिसाब निकाले तो प्रत्येक गाड़ी के लिए 10 हजार रुपया आता है। इस 10 हजार में आज की अपराध की प्रवृति में पुलिस इसको कैसे कंट्रोल कर सकती है, मुझे तो नहीं लगता। आपका बजट खर्च का जो पैटर्न है उस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पैटर्न में आप परिवर्तन करिये और कम से कम फ्यूअल के लिए और जो भी गाड़ी है, जो साधन हैं उन साधनों में आपको निश्चित रूप से अपना व्यय बढ़ाना चाहिए।

अब मैं सोचता हूं कि सबसे बुरी दशा आप और हम सब अनुभव करते हैं सिपाही की उसकी जो दयनीय हालत है उसके बारे में हर बार चर्चा जरूर होती है लेकिन हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। मैं सोचता हूं और कुछ बढ़े न बढ़े, उसके बच्चे कम से कम एजुकेशन तो ले। आज दिन तक हम इस बात को तय नहीं कर पाये कि हर जिला हैडक्वार्टर पर पुलिस के सिपाही के बच्चे को जो पढ़ने के लिए आए, छात्रावास में किराया लेकर भी कोई सुविधा उपलब्ध करा दें। आपका खर्चा निकले लेकिन उसके बच्चे को पढ़ने की सुविधा हो। 24 घंटे की नौकरी देने के बाद भी वह न अपने बच्चों को देख सकता है न अपने परिवार को देख सकता है। उसका जीवन तो बिगड़ना था बिगड़ गया, उसके भाग्य में लिखा है, लेकिन उसकी आने वाली औलाद को तो वह सुधार सके। उसके लिए हम अपने विभाग में इतने खर्च करते हैं, अन्वेषण भवन बनाते हैं, अन्वेषण भवन में कौन जाते हैं? अधिकारी जाकर ठहरते हैं। लाखों रुपया खर्च करते हैं, केवल अफसरों के आनंद और प्रमोद के लिए। क्या उसी पैसे का उपयोग हम उन बच्चों के छात्रावास के रूप में कर सकते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध हो जाए? मैं सोचता हूं कि इस विचार को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। प्रत्येक जिला हैडक्वार्टर पर पुलिस के ऐसे कर्मचारी जो छोटी तनखाह के कर्मचारी हैं, उनके बच्चों के शिक्षण के लिए छात्रावास के रूप में, केवल लाइट, पाइप का खर्चा वह दे और उसमें वह बच्चा रह कर पढ़ाई कर सके, इतना भी अगर हम सुविधा जुटा सके तो निश्चित रूप से जुटाएं।

वैसे हमारी पुलिस की जो स्थिति है, राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने पुलिस कार्य प्रणाली में सुधार की दृष्टि से पुलिस कर्मचारियों को शत-प्रतिशत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। एक ओर सिफारिश करता है राष्ट्रीय पुलिस आयोग, दूसरी ओर हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति बिलकुल विपरीत है। इन आंकड़ों को हम हर बार उठाते हैं, हर साल देखते हैं, प्रयास किये हैं, आपने कुछ भवन बनाये हैं कुछ हम इसमें आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी अपर सबोर्डिनेट 8150 की तुलना में केवल 1776 हमारे पास उपलब्ध हैं और लगभग 78 प्रतिशत भवनों का अभाव है। इसी तरह से लोअर सर्बोडिनेट है उसमें भी लगभग 78.35 प्रतिशत अभाव है। जहां हमको 61,000 चाहिए वहां मात्र 13

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हजार रहने की सुविधा उपलब्ध है। मैं सोचता हूं कि इस दृष्टि से हमें जरूर विचार करना चाहिए कि हम इसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं।

पेज नम्बर-25 पर दिया है, अब अन्वेषण किस प्रकार से समय पर पूरा हो, इसके बारे में हम स्थिति देखे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला जिसके ऊपर हमारा सारा इंवेस्टिगेशन बेस रहता है, मुकदमे का फैसला जल्दी होगा या देरी से होगा, उस पर निर्भर करता है, उसकी जब स्थिति देखते हैं तो दयनीय स्थिति है। जब कुछ भी हम जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजते हैं तो एक-एक, दो-दो साल तक आता ही नहीं है। इसलिए नहीं आता क्योंकि वहां मैन पावर नहीं है। मैन पावर नहीं है तो निश्चित रूप से वे कैसे जांच करके भेजेंगे? इस बैच पर अतिरिक्त निदेशक के दो पद हैं, दोनों ही खाली पड़े हैं। इसी तरह से सहायक निदेशक के 20 पद हैं जिसमें से 7 पद खाली हैं। इसी तरह जो सबसे आवश्यक हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, 45 तो कुल पद हैं और 45 में से 28 खाली हैं। 50 प्रतिशत से भी अधिक पद खाली हैं तो क्या वहां से सैम्पल की जांच होकर रिपोर्ट आएगी, कब आएगी? इसी तरह से वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 35 में से 22 खाली हैं। 35 में से 22, कैसे जांच होगी और कैसे जांच की रिपोर्ट हमारे पास आएगी? हम दुनिया भर का खर्चा करते हैं, 244 स्ट्रेंथ की तनखाह देने की भी हमारी हैसियत नहीं है क्या? इतने वर्षों तक प्रयास करने के बाद यह जो इंवेस्टिगेशन का आवश्यक अंग है उसमें 144 में से 103 पद खाली हैं, मैं सोचता हूं कि हमारी इतनी तो गरीबी नहीं है। इस ब्रांच को सेंट परसेंट पद देकर इंवेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का काम करें तो निश्चित रूप से जितने भी तरीके हैं उसमें हम शायद काफी कुछ अनुसंधान को आगे बढ़ा सकते हैं।

इसी तरह से आधुनीकरण का पैसा आपको मिला। एक तरफ तो आप कहते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ यह है कि आपको आधुनीकरण का जो पैसा मिला वह आप खर्च नहीं कर पाये। इसी में आप इसको देखिए, आधुनीकरण में वर्ष 2001-2002 में 61 करोड़ 10 लाख रुपया मिला था, सारे अकाउंट को देखने से इसमें आप मात्र 22 करोड़ 31 लाख रुपया खर्च कर पाये। 38.79 करोड़ रुपया जो आधुनीकरण के नाम से आपको मिला था वह आपके पास बच गया। इसी तरह से 2002-2003 में आपको पैसा मिला था 74 करोड़ 28 लाख, आपने अभी आर.ई. दिया है क्योंकि फाइनल तो आपका 31 मार्च को होगा, लेकिन आपने आर.ई. में किया वह 49.09 करोड़, इसका मतलब 25 करोड़ 19 लाख रुपये इसमें बचत हुई। दोनों मिलाकर आप 64 करोड़ रुपये बचा पाये और 71 करोड़

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रुपया खर्च हुआ। जहां हमें आधुनीकरण की आवश्यकता है, केन्द्र से हमको मदद मिल रही है लेकिन उस पैसे का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि कहीं न कहीं इस वर्किंग सिस्टम को सुधारने की हमें जरूरत पड़ेगी तब जाकर हम इस काम को ठीक तरह से कर सकते हैं।

मैं सोचता हूं कि जब तक हम पुलिस की वर्किंग के लिए उनकी चिंता नहीं करेंगे तब तक हमारा यह सिस्टम नहीं सुधरेगा। यह बात सच है कि पुलिस का कांस्टेबल 24 घंटे की नौकरी करता है। जब चाहे उसको उठाओ, जब चाहो जहां चाहो दौड़ा दो। न उसको भूख लगती है, न प्यास लगती है, न उसका घर है, न उसका परिवार है। वार-त्यौहार के दिन भी जाने की स्थिति नहीं है, वर्ष में कोई छुट्टी उसको नहीं होती है। आप अपने हिसाब से एक महीने की उसको छुट्टी के रूप में जरूर देते हैं, उसके लिए उसको तनखाह देते हैं लेकिन 62 दिन तो छुट्टी सबकी होती है। उन 62 दिनों का वह उपयोग करता है और उसके अगेंस्ट में उसको 30 दिन का, केवल एक महीने का वेतन देकर उसकी भरपाई करते हैं। इस सिस्टम को भी आप सोचिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह तो अलग है, भाई। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह ठीक है लेकिन...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक महीने की एक्स्ट्रा तो उसको हार्ड ड्यूटी के अगेंस्ट में देते हैं, लेकिन सी.एल. और पी.एल. भी नार्मल से ज्यादा देते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, हार्ड ड्यूटी, उसमें आप 62 दिन की छुट्टियां भी तो काम में लेते हो न। हार्ड ड्यूटी का मतलब तो यह होता है कि कम से कम उसे यह निश्चित रूप से...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : वीकली छुट्टी है उसकी बात है। सी.एल. तो उसका अधिकार है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कारण क्या है कि 62 दिन वैसी छुट्टियां होती हैं बाकी कर्मचारियों के लिए, ये छुट्टियां भी उसके नहीं के बराबर रहती हैं। उसके कारण से उसको कम्पनसेट करने के लिए हमें निश्चित रूप से उसकी छुट्टियों के बारे में भी सोचना चाहिए। उसके घंटों के बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिर वह भी इंसान है, 24 घंटे काम नहीं कर सकता। 8 घंटे हो सकता है, 10 घंटे हो सकता है। उसको भी सोना पड़ता है, रहना पड़ता है। मैं सोचता हूं इस बारे में आप जरूर विचार करें।

इसी तरह से व्हीकल हमारी आवश्यकता है उससे भी 280 व्हीकल कम हैं। 280 व्हीकल हैं वे इतने खटारा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं कि दौड़ ही नहीं पाते। कई बार जब हम लोग जाते हैं तो एस्कार्ट गाड़ियां, हम जाते हैं 50 किलोमीटर वह जाती है 35 किलोमीटर, उसका चलना नहीं चलना बराबर है, कोई औचित्य नहीं है। ऐसी एस्कार्ट गाड़ियों को भेजने की बजाए आप कोशिश करिए कि उसी गाड़ी में कोई वायरलैस सैट रहे और एक आदमी रहे तो भी काम चल सकता है उस वायरलैस सैट से बिना बात ही वो पींछे पीछे दौड़ा जा रहा है, गाड़ी का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा बहुत ही किसी को लगे कि कोई खतरा ही है तो समझ में आता है, बिना बात दौड़ने का कोई मतलब नहीं है। आप सभी गाड़ियों में उसी के अन्दर वायरलैस सैट दीजिए, उसी में आप आदमी दीजिए, मैं सोचता हूं हमारा खर्चा भी बचेगा, मैन पावर का उपयोग भी हम ठीक प्रकार से कर सकेंगे और इन व्हीकल को हम ठीक प्रकार से सुधार सकेंगे।

एक दृष्टि से आप जरूर विचार करिए कि हमारा सबसे खराब बिन्दु सड़क दुर्घटना है। यह सड़क दुर्घटना का जो मामला है, हर साल फिगर बढ़ते जाते हैं। मैं सोचता हूं कि जितने एक्सीडेंट राजस्थान में होते हैं इतने एक्सीडेंट किसी भी स्टेट में गये होंगे, आपको सड़क पर इस प्रकार के एक्सीडेंट नहीं मिलेंगे। हमारे यहां तो आप कोई भी 50 किलोमीटर का रास्ता पार करिए, कोई न कोई आपका उलटा पड़ा हुआ मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं हमारी वर्किंग में, विशेष कर हमारे व्हीकल का ठीक प्रकार से फिटनेस है कि नहीं, उस डिपार्टमेंट के साथ कोई लाइजन नहीं है। बिना फिटनेस के गाड़ी वर्षों से चल रही है। न उनका कोई इंडीकेटर है, कुछ नहीं है। मर्जी चाहे जब स्कूटर वाला सामने मुड़ जाता है। दोष तो बड़ी गाड़ी वाले का ही आएगा। लेकिन वह गलती से मुड़ गया, उसको क्या बचा सकता है? इस कारण से हमारे यहां एक्सीडेंट हैं और एक्सीडेंट क्लेम बनते हैं और उसके कारण से पैसा देना पड़ता है। तो मैं सोचता हूं, इस वर्किंग को सुधारा जाए तो हम एक्सीडेंट को भी बचा सकते हैं और हमारे इस पैसे को भी बचाकर हम इस दिशा में लगा सकते हैं। हमें इस दृष्टि से निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस है, इंटीकेटर लग रहे हैं, लाइट लग रही हैं, कोई जलती है, कोई नहीं जलती है कुछ उसका बिल पेमेंट ही नहीं होता है, उस बिल पेमेंट के लिये आप नगर पालिका को लिखते हैं, नगर पालिका आपको लिखती रहती है और दोनों के टकराव के बीच में जो कुछ भी आपने बना रखा है उन सारों का भी ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो पाता है। तो इस सड़क दुर्घटना पर निश्चित रूप

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से बैठकर विचार हमको करना चाहिए और वर्ष में 2-3 बार बात करनी चाहिए कि इस सड़क दुर्घटना को कैसे हम रोक सकते हैं और कैसे कम कर सकते हैं तो शायद कुछ हो।

अभी महिला अत्याचार के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। यह बात सच है कि महिला अत्याचार की दृष्टि से हमारे राज्य की स्थिति खराब ही हो रही है, कोई सुधार नहीं आ रहा है, उसको चाहे आप माने या न माने। जो कुछ भी रिपोर्ट है, आपके फिगर हैं, उन सबसे यही लगता है। मैंने सन् 1996 से फिगर उठाये कि उस समय 8033 महिला अत्याचार के मुकदमे थे, अब उसकी संख्या पहुंच गयी। 12434, लगभग सभी सालों में क्रमशः बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने कहा न, संख्या से कोई बहुत बड़ा अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अपराध करने वालों को हम कितनी कुछ सजा दिला पाते हैं, यह हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिन्दू है जिसको हमें निश्चित रूप से ध्यान में लेना चाहिए। अपराध हो गया, हो गया। मैं चाहूं, आप चाहो कि कोई भी बलात्कार रोक देगा। तो वहां जाकर खड़े रहकर बलात्कार हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन बलात्कार करने वाले को कठोर दण्ड मिले, इस बात के लिये तो हम अपनी तैयारी ठीक करें। हम जानबूझकर उसको बचाने के जो रास्ते निकालते हैं, लोगों के मन में असंतोष इस बात का है। हमको जो न्याय मिलना चाहिए वह न्याय नहीं मिलता है, इसका असंतोष है। घटना दुर्घटना हो सकती है पर उसके लिये किस प्रकार से हम सजा दिलाते हैं? सन् 1996 से 2002 के बीच में महिला अपराध में 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और हमारा राज्य नम्बर 2 पर जा रहा है। उसी प्रकार से उत्पीड़न के बारे में लगभग 15-20 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। और बढ़ोतरी भी, जिन घटनाओं को हमने देखा, अब डूंगरपुर में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। उसके लिये भी कार्यवाही पुलिस को जो करनी चाहिए, जनता आकर सड़क पर खड़ी रहे, रास्ता रोके, धमाल करे और उसके बाद पुलिस दौड़कर गिरफ्तार करे तो यह उसकी क्या बहादुरी का काम है? इस काम के लिये जो भी अधिकारी है उसको तुरन्त इस बारे में हिदायत देकर उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए कि तुम्हारे रहते हुए जनता 3 दिन एजीटेशन करे और फिर तुम पकड़कर कहां से ले आये। यानि दरिन्दगी की भी कोई पराकाष्ठा होती है। 4 साल की बच्ची के साथ इस प्रकार का कृत्य करे और उसके लिये भी जनता को सड़क पर आकर धमाल करना पड़े, लाठीचार्ज होने की स्थिति आ जाए तो आखिर में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वहां का अधिकारी उसमें किस प्रकार का काम कर रहा है? यह जो अपना शिवानी जडेजा काण्ड था, इस तरह से किशनगढ़ में 2 बच्चियों के ऊपर तेजाब छिड़का गया। वह छिड़का और उनकी जमानत होकर वे बाहर निकल गये। कोई दण्ड की बात क्या हुई? ठीक है, कानून अपनी प्रक्रिया से चलता है, यह बात समझ में आ सकती है। लेकिन उसके लिये जिस प्रकार की कठोरता होनी चाहिए...

श्री नाथूराम : पुलिस कार्यवाही हुई है उसमें। दो घंटे में पुलिस पकड़ ले गयी। छोड़ा नहीं है उनको कोई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस प्रकार के जो लोग हैं, वे कानून की गिरफ्त से न्यायालय में जाकर छूट सकते हैं, पर हमारे डिपार्टमेंट के ध्यान में रहना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों पर निगाह रखें और जब कभी भी और किसी मामले में फंसे तो पुराने सारे इनके केसेज निकालकर उन पर कोई न कोई सख्त ऐसा जुर्म बने ताकि उसे पता लगे कि इस प्रकार का अपराध करने का दण्ड किस प्रकार से होता है। अलवर में महिला उत्पीड़न का जो मामला है उसमें तो स्वयं पुलिस थी। यानि उस महिला के साथ उत्पीड़न करने वाला कौन? हमारा पुलिस का आदमी। अब जब पुलिस का आदमी हो और उसके बाद में...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपको पता होगा कि तत्काल एक्शन लिया है हमने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं ये घटनाएं तो इक्का-दुक्का होती हैं लेकिन यह मैसेज बहुत गलत देती हैं। हम ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के अपराधी हैं, नौकरी से निकालकर घर भेज दें किसी न किसी तरह से या जो कार्यवाही हम करना चाहे अपने कागजों की पूर्ति में। 10-20 को नौकरी से घर रवाना कर दिया तो आधे आदमी वैसे ही भूल जाएंगे। जिस प्रकार की बदमाशी करते हैं...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप इस बात को मानते हैं कि नौकरी से निकालने के लिये वैधानिक प्रक्रिया को तो पूरा करना पड़ेगा और उसमें थोड़ा समय लगता है। बाकी जो कार्यवाही करनी चाहिए थी हमने उसमें तत्काल कार्यवाही की है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं इसलिये कह रहा हूं कि आपके ध्यान में भी कई घटनाएं हैं जिनमें इस प्रकार के अपराधी पकड़े भी गये, वे सस्पैंड भी हुए, फिर बहाल हो गये, फिर हमारे थाने में हमारी छाती को कूंद रहे हैं। ऐसे एक-दो नहीं, सैकड़ों हैं, और आप और हम सब लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब हमारे डिपार्टमेंट का कोई न कोई व्यक्ति उसको फेवर करके उस गली में से उसको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

निकालने का प्रयास करता है। इस प्रकार की जो दरिन्दगी हमारे विभाग का आदमी करता है उसके कारण से सारा विभाग बदनाम होता है। मैं सोचता हूं सारे पुलिस के लोग खराब नहीं हैं, छिटपुट लोगों की घटनाओं के कारण से सारी पुलिस के ऊपर जनता का विश्वास नहीं रहता है। जनता के मन में यह लगता है कि ये तो इस प्रकार से करते हैं। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार के जो एलीमेंट हैं जिनके कारण विभाग बदनाम होता है, हमको निश्चित रुप से सख्ती करनी चाहिये। कानून के सब दायरे हमारे पास हैं अगर हम किसी को घर भेजना चाहे। रोएगा, जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई-कोर्ट, बहाल होकर आ जाएगा, 20 साल बाद आए तब तक तो बुढ़ापा आ जाएगा। एक बार उसे यह लग तो जाए कि इस प्रकार के काम करने का परिणाम क्या होता है। उसको देखकर पचासों को अक्ल आ जाती है कि किस तरह से काम होता है, नहीं होता है। कम से कम इस प्रकार के जघन्य अपराध जहां पुलिस स्वयं चोरी में शामिल हो जाती है, जहां पुलिस स्वयं डकैती करवाती है, जहां पुलिस स्वयं लूटने का काम करती है, जहां स्वयं पुलिस बलात्कार करती है, जहां थाने में बलात्कार होता है, जहां थाने में मर्डर हो जाता है, ऐसे लोगों को तो हमें इंगित करना चाहिए। हमारी सूची में हमेशा लटके रहने चाहिए वे लोग कि ये वे लोग हैं। सारे थाने पर जैसे किसी अभियुक्त का लटका रहता है फोटो, उसी तरह विभाग के आफिस में भी ऐसे लोगों का नाम हमेशा छपा रहे ताकि हर समय उनके बारे में ध्यान रहे अधिकारी को कि ये-ये वे सूरमा हैं जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं। तब तो जाकर निश्चित रूप से हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, बाकी यह तो रोज का काम है। हम भी अपनी बात कहते हैं, आप अपनी बात कहते हैं, लेकिन जो सुधार हम चाहते हैं वह सुधार इसमें नहीं हो सकता है।

अब यह अजमेर वाला जो अश्लील फोटो कांण्ड है, यह अपनी जगह दफन हो गया। सवेरे माननीय सदस्य ने भी कहा था कि उसको पागल होने का कहीं से सर्टिफिकेट मिल गया और बरी हो गया। वह जाकर सूरत में 24 किलो जो आपका ब्राउन शुगर होता है, उस केस में पकड़ा गया। अब इस बारे में पकड़ा गया, ठीक है, हो गया। लेकिन इसको जिसने सर्टिफिकेट दिया उसके पीछे पड़ना चाहिए कि उसने एक गलत सर्टिफिकेट देकर एक अपराधी को बचाने का काम क्यों किया, तो निश्चित रूप से हम उस अपराधी को पकड़ लेंगे। उस डाक्टर को भी पकड़ लेंगे और उसको नौकरी से लटका कर छोड़ेंगे कि इस प्रकार का सर्टिफिकेट देकर अपराधी को बचाने का प्रयास करते हो। वह अपराधी जाकर जिस प्रकार का कृत्य करता है वह हम सबके लिये शर्मनाक बनता है। इसके ऊपर निश्चित रूप से ध्यान दें। ये जो दोनों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अपराधी पकड़े गये हैं, मैं सोचता हूं कि इस बारे में इनको सर्टिफिकेट देने वाला व्यक्ति कौन था और ऐसे लोगों के जितने पुराने केसेज हैं उनको भी ढूंढ कर इकट्ठा किया जाए तभी हम कह सकते हैं कि उस दृष्टि से हम कुछ कर सकते हैं।

यह जो हमारा मानवाधिकार आयोग है इसकी रिपोर्ट को भी हमें देखना चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट में सन् 1998 से इस प्रकार के मुदकमे आये हैं उनमें हुआ क्या। 206 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिये और 44 राज्य मानवाधिकार आयोग ने दिये, इनकी क्या स्थिति है? आखिर वहां से कोई चीज छनकर हमारे पास आती है तो उसकी मानिटरिंग भी उसी रूप से होनी चाहिए। जब हमने इतनी बड़ी संस्था बना रखी है और वह किसी बात को रिकमंड करती हैं तो हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। उस प्रायोरिटी के पीछे हमारा कोई न कोई अधिकारी उसके लिये लायबल होना चाहिए कि वह उस केस को फालो-अप भी करे कि आखिर यह केस कहां चल रहा है, कैसी स्थिति में चल रहा है, क्या इसमें कमी-खामी है। तब तो जाकर हम इन सारे अपराधों को ठीक प्रकार से देख सकेंगे।

अब आप देखें, पुलिस थानों में जितनी मृत्यु हुई, जिस प्रकार के कागज बनाये, सारे अधिकारी अपराधी को बचाने में लग जाते हैं। मैं सोचता हूं, 2-5 अपराधी अगर दण्डित हो जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? कौनसा ऐसा आसमान फट जाएगा? लेकिन हम उस अपराधी को बचाने के लिये गलत-सलत रिपोर्ट तैयार करते हैं। सारा विभाग और सारे अधिकारी उसको बचाने में लग जाएं तो वह निर्दोष बिना कारण से मर गया। वह मर गया, उसकी कोई कीमत नहीं है, क्यों? क्योंकि वह किसी आदिवासी का बेटा था। खैरवाड़ा में मैंने स्वयं जाकर देखा। मैं पच-पच कर मर गया। लेकिन अन्ततोगत्वा जीरो रिजल्ट निकला। वे कहें कि उसकी पैंट से उसने अन्दर फांसी लगा दी बाथरूम में। मैं सोचता हूं कि उसका बाथरूम इतना नीचे ही नहीं है, उसका पैर टिक जाता है। लेकिन आखिर अधिकारी अधिकारी हैं। लाख कोशिशें कीं, उसको सस्पैंड कर दिया, फलां कर दिया, लेकिन बाद में वह वापस बहाल होकर आ जाता है। हम कोई रोज-रोज चौबीसों घंटे उसके पीछे तो खड़े नहीं रहेंगे। या हम चौबीसों घंटे उसकी पैरवी के लिये तो नहीं खड़े रहेंगे। इस प्रकार की घटनाएं कई थानों में, हुई हैं, मौत हुई है, लेकिन हमने उसको आत्महत्या के रूप में बदल दिया। कोई तो अपने पायजामे के नाड़े से आत्महत्या कर रहा है, कोई ब्लेड से आत्महत्या कर रहा है। मारे पुलिस और मारने के बाद उसका स्वरूप यह दे दे। कोई सेल्फास की गोलियां खिला रहा है। कम से कम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उस सैनिक की जो मृत्यु हुई, मैं सोचता हूं, कोई भी आदमी जिसने उस बात को सुना और देखा, उसके मन में इस बात की बहुत पीड़ा है कि मात्र पानी पीने गया, ऐसा क्या जुर्म कर दिया? आखिर वह भी तो सैनिक है। उसको टोकाटोकी की होगी, उसने उसी रूप में लठ की तरह से जवाब दिया होगा। बस! उसका लठ का जवाब दे देना। पुलिस का तो पारा 700 डिग्री पर चढ़ जाता है, वह तो फिर इंसान को इंसान नहीं समझती है। हैवान बनकर जिस प्रकार से उसके साथ दरिंदगी करती है, ऐसे लोगों को कम से कम हमारी मंशा रहनी चाहिए कि उसको निश्चित रूप से सजा मिले। एक हमारे माथे पर कलंक लगा है। सीमा पर लड़ने वाला सैनिक केवल पानी पीने के लिए हैण्ड पम्प पर चला गया और उसके कारण से उसको मौत के घाट उतार दिया। लोग आन्दोलन कर रहे हैं, सब कुछ, मर जाएं पिट-पिटकर, लेकिन हमारे जूं भी नहीं रेंगे-हमारे सारे अधिकारियों की जैसे कोई इन्सानियत ही खतम हो गई। केवल उस आदमी को बचाना ही हमारा धर्म हो गया। और एक निर्दोष की मौत की कोई कीमत नहीं। इस प्रकार का सोच जो रखते हैं, मैं सोचता हूं कि वे अपना भला तो भले ही कर सकते हैं पर मुल्क का भला नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार के लोगों को निश्चित रूप से हमें देखना है। एक-दो नहीं, कई थानों में इसी प्रकार मौत हुई है, जिसकी सारी सूची बनाकर आपने भी दी है, मैंने इसमें से देखा है।

अब यह जो आप बात कहते हैं कि साम्प्रदायिक उन्माद है, आपने इसका विश्लेषण किया कि राजस्थान में कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए? कोई तो हनुमानजी का घोटा ले जा रहा है, कोई किसी की सूंड तोड़ता है, कोई गण के, भगवान के दो टुकड़े करता है, आखिर इतनी घटनाएं हुईं तो यह क्या हुआ? इसका मतलब आपको इसकी तह में जाना पड़ेगा। हम कितने सालों में रह रहे हैं तब तो कोई मूर्ति नहीं तोड़ता था। इन्हीं वर्षों में यह मूर्ति तोड़ने का धन्धा कहां से चालू हुआ? यह कोई न कोई बाहरी तत्व है जो दोनों को लड़ाने के लिए प्रयत्नपूर्वक काम करता है। आग लगाकर भाग जाता है और हमको उस समस्या में डाल जाता है। मैं सोचता हूं कि आपकी पुलिस को इतना भी होश-हवास नहीं है, चित्तौड़ की घटना को तो मैं स्वयं वहां पहुंचा था। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सारे अधिकारियों के सामने लगाये, हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाये। उन्होंने अपनी आंख से देखा और सुना, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं, केवल इसलिए कि बड़ा उन्माद फैल लाएगा। यह उन्माद फैलने का सवाल नहीं है अगर कोई हिन्दू भी गलती करता है,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जिस प्रकार से एक घटना किसी मस्जिद के बारे में भी आई, तो उसके साथ भी वैसी ही सख्ती होनी चाहिए। लेकिन यह नहीं हो सकता कि उन्माद फैल जाएगा इसलिए आप अपराधी को बचाकर यह करें। मैं तो आपसे यह पूछना चाहता हूं, आप यह बताओ कि आज दिन तक कितने साम्प्रदायिक उन्माद हुए लोग गोलियों से मरे या लाठियां खाई हैं? कितने लोगों को सजा हुई आज दिन तक? कितने अपराधियों को आपने पकड़ तो लिया? उनको दस या पन्द्रह दिन जेल में रखकर आपने अपना कर्तव्य पूरा मान लिया। पुलिस ने यह सोच लिया कि हमने बहुत बड़ा तुर्रा मार लिया। अपराधी है, जब आप उसको मानते हो तो फिर सजा क्यों नहीं होती? जब सजा नहीं होगी तो अपराध रोज-रोज होंगे। वे जानते हैं कि हो-हुल्लड़ में कुछ नहीं होता है। ऐसे दंगों-पंगों में कोई सजा तो मिलती ही नहीं है, इसलिए वे रोज ही करते रहते हैं। लेकिन हम अगर साल में दो-पांच-दस को सजा दिलाने की स्थिति में पहुंच जाएं, तब तो हम निश्चित रूप से उस पर कण्ट्रोल करेंगे। इस प्रकार के बहुत बड़े समूह में जो दंगे होते हैं वहां कोई अपराधी तो रहता ही नहीं है। कोई उसका बयान तो होता ही नहीं है। कोई उसका बयान देने के लिए आता ही नहीं है। वह एक्विटल हो जाता है। छह-छह साल मुकदमा चलता है तो सारी गवाह ही बदल जाती है। कोई हाथ जोड़ने से बदल जाती है तो कोई डराने या धमकाने से बदल जाती है और अन्ततोगत्वा रिजल्ट जीरो आता है। क्यों नहीं इसका ट्रायल हम इस तरह से करें समय पर 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, दो महीने में। साम्प्रदायिक उन्माद के जितने भी झगड़े होते हैं, जिनमें हम लोगों को अपराधी मानकर पकड़ते हैं उन पर मुकदमा चले। दो महीने, तीन महीने, चार महीने में उसका फैसला होकर यस और नो, अगर वह निर्दोष है तो बच जाए, कोई चिन्ता नहीं है। लेकिन छह-छह साल तक उस पर मुकदमा जो हम चलाते हैं...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं आपको इंटरवीन नहीं करना चाहता लेकिन यह जानना चाहता हूं कि इंवेस्टिगेशन की तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है, लेकिन कोर्ट में कोई फैसला होगा उसकी सीमा हम कैसे निर्धारित करेंगे? कोर्ट को हम कैसे पाबंद कर सकते हैं? जहां तक इंवेस्टिगेशन का सवाल है आपके सुझाव से मैं सहमत हूं कि हम एक सीमा निर्धारित करेंगे कि ऐसे मामलों में इतने दिन में उसका अनुसंधान पूरा करके चालान कर दिया जाना चाहिए।

श्री अमराराम (धोद) : फास्ट ट्रैक में दे दो, अपने आप ही फैसला हो रहा है छह महीने में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि कोर्ट भी, राज्य सरकार हो चाहे केन्द्र हो, उसी के अधीन है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को बैठना चाहिए और बैठकर कोर्ट को भी कोई निर्देश देने का काम करना चाहिए। इस प्रकार के जो मामले हैं, डे-टु-डे हियरिंग होकर निश्चित रूप से इसको पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केन्द्र सरकार से इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं। बात करके कोर्ट को कोई न कोई डाइरेक्शन हम दे सकते हैं कि इस प्रकार के जो मुकदमे होते हैं जिनमें साम्प्रदायिक उन्माद होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हियरिंग डे-टु-डे देनी पड़ेगी। नहीं तो दस साल तक भी, 15-15 साल तक भी उनका कोई फैसला ही नहीं होता है। खाली मुकदमे की पेशी पर जाओ और आराम करके वापस आ जाओ। लोग जो सोचते हैं कि कुछ होता तो है ही नहीं, इसके कारण से होता है। मैं केवल दो केस आपके सामने ला रहा हूं। मैं इसलिए नहीं ला रहा हूं कि इसमें क्या होने वाला है। मुझे इस बात का दु:ख है कि एक निर्दोष बालक किस तरह से मारा गया और उसके बाद भी हमारी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। उसका परिवार तो खैर जो कुछ भी उसका भुगतना हो वह भुगतेगा। उदयपुर के निखिल कोडिया का जो मामला था, पूर्णिमा इंजीनियरिंग कालेज का, जिसमें उस बच्चे को पकड़कर ले गये थे...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जयपुर वाला?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, जयपुर वाला। पटरी पर बच्चे को दोनों साइड से चला रहे हैं, जैसे ही ट्रेन आती है वे दोनों जो उसको लेकर गये, वे तो कूद गये और उस बच्चे को कूदने में देरी लगी उसके कारण से वह ट्रेन से टकरा कर मर गया। कालेज की एक छोटी-सी ट्रीम में से आपका पुलिस प्रशासन इस बात को ढूंढ नहीं पाया कि वे दो लड़के कौन थे। सारी आपकी शक्ति, आपके मुख्य मंत्री के, सबके और उदयपुर की सारी जनता यहां तक आ गयी, उदयपुर तक आ गई लेकिन निखिल का हत्यारा आज दिन तक नहीं पकड़ा गया। इस बात का कितना अफसोस होगा कि यहां कालेज में बच्चे को भर्ती हुए केवल पांच और छह दिन हुए थे। बच्चा कुछ जानता है न कुछ समझता है। एकदम नया बच्चा फ्रेश यहां पर आया, आने के बाद वह सवेरे तो अपने घर पर टेलीफोन करता है कि मैं राखी पर आ रहा हूं और दूसरे दिन उसके मां-बाप को समाचार मिलता है कि तुम्हारा बच्चा तो एक्सीडेंट में मर गया। मैं सोचता हूं कि अगर यह हमारा बच्चा हो तो हमको जिन्दगीभर याद रहेगा कि किस तरह से एक मासूम बच्चे को मार दिया गया और हमारे पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर डिले किया। जिसने भी तफतीश की, मैं आज भी दावे के साथ

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कहता हूं कि पुलिस अधिकारी समय पर और क्विक एक्शन लेते तो निश्चित रूप से आदमी पकड़ा जाता। इतनी धीरे गति से चले, इतनी धीरे गति से चले और उस कारण हम आज दिन तक उसके हत्यारों को नहीं पकड़ सके। कालेज में कितने बच्चे होंगे? क्या उतने से बच्चों से हम किसी तरह से पता नहीं कर सकते हैं? पर चूंकि वह पूर्णिमा इंजीनियरिंग कालेज है, कोई न कोई बड़ा आदमी होगा। हमको दुःख इस बात का है कि यह जो न्याय है यह गरीब और अमीर के बीच में अन्तर करता है। अगर किसी बड़े आदमी का बच्चा मर जाता तब तो आपकी फोर्स दौड़ती, दिन और रात आपको समाचार देती कि हमने यह कर दिया, हमने यह कर दिया। पर चूंकि वह किसी गांव के बाप का बच्चा था और उसके कारण से वह एक सामान्य व्यक्ति था। अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा और वह अपने बच्चे से हाथ धो कर बैठ गया। आज दिन तक पुलिस इस बात का जवाब नहीं दे पायी कि आखिर इसका अपराधी कौन है और इस बच्चे की मृत्यु कैसे हुई।

अब मैं केवल आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि आपके विधान सभा क्षेत्र का, मावली का जो घटनाक्रम हुआ, जो कुछ भी एफ.आई.आर. लिखवाई, बिलकुल झूठी है। यहां मुझे अफसोस इस बात का है कि हम सच्चाई पर आंख क्यों मूंदना चाहते हैं। अभी होली के दिन की जो घटना हुई, मावली और वल्लभनगर की पुलिस की...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कहां? मावली या वल्लभनगर की?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दोनों जुड़े हुए हैं। मावली जाते समय गाड़ी उलट गयी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पुलिस वालों की जो थी? हां, ठीक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह पुलिस की एफ.आई.आर. है, इस एफ.आई.आर. में नाथूलाल चालक है। घटना तो सच यही है, विभाग वाले चाहे जिस तरह से इसको मोड़ दें या कुछ भी करें। होली मनाते हैं दूसरे दिन पुलिस वाले, स्वाभाविक है। होली मनाते हैं, सब मनाते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप हों, कोई ऐसी बात नहीं है। होली के दिन पहले तो अपने थाने पर बुलाकर जो कालबेलिन औरतें होती हैं उनको नचाया। वल्लभनगर थाने पर सारे आपके अधिकारी जो भी थाने के हैं, वे वहां पर मौजूद थे, उसके बाद 16 लड़कियों में से चार सलेक्ट कीं। मैं गलत नहीं हूं, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि आप इसकी तह में पहुंचे और इसकी सच्चाई का पता लगाएं। दारू पीकर उनको गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं, उस ड्राइवर ने कह दिया कि मेरी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गाड़ी मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं चलाऊंगा। उसने जब मना कर दिया तो थानेदार स्वयं कहता है कि नहीं, गाड़ी लेकर जाएगा। गाड़ी में बैठाकर चार लड़कियों को, उसकी एक मां भी थी, उस मां ने जबरदस्ती क्योंकि उन लड़कियों को ले जा रहे थे, उन लड़कियों ने ना किया कि हम नहीं जाएंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, बैठो-बैठो, मैं साथ चल रहा हूं। ऐसा करके बैठाया और उसकी मां भी जबरदस्ती अपनी दो बच्चियों को लेकर साथ बैठ गई। कुछ सौभाग्य या दुर्भाग्य मानो कि दारू पीये हुए तो थे ही क्योंकि होली मना रहे थे, जैसा होली मनाते हैं, तो टर्न पर गाड़ी को मोड़ नहीं पाया और गाड़ी उलट गयी। उस उलटने के कारण से एक तो आपके सिपाही की मौत हुई, एक महिला की वहीं मौत हुई। जो बुजुर्ग महिला थी पचास साल की उसकी वहीं मौत हो गई। उसके बाद एक सोहनी और गई हास्पिटल में, उसकी मौत हुई। पुलिस के लोग ले जा कहां रहे थे? ले जा रहे थे वहां फोरेस्ट चौकी पर। उस चौकी पर पहले से ही मंच बना हुआ था, यह वहां के सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। वहां नाचने के लिए व्यवस्था कर रखी थी। वहां आपका डीवाई.एस.पी. मौजूद था, वहां आपका एस.डी.ओ. मौजूद था। जब उनको पता लगा कि गाड़ी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो वे भागे वहां से। उन्होंने समेटा और समेटने के बाद आकर उनको हास्पिटल लेकर आये। ऐशो-आराम के लिये गरीब कालबेलियों को ले जाएं, ले जाने के बाद यह हादसा हो और उसके बाद आप देखे एफ.आई.आर., मुझे समझ में नहीं आया कि पुलिस क्या एफ.आई.आर. दर्ज करती है। इसमें लिखा है घटना का दिन 20.3.2003, समय 1.30 ए.एम.। अब 1.30 ए.एम. कौनसा होता है? यह एक्सीडेंट तो 19 तारीख को दोपहर में डेढ़ बजे हुआ। स्वयं एफ.आई.आर. जो यहां लिखा रहा हैं नाथूलाल, शंकरलाल उम्र 32 वर्ष 12, पाल कोड़िया के थाना गोवर्धन विलास हाल चालक, इसने नम्बर लिखा 1589, तैनात थाना वल्लभनगर के द्वारा इत्तला दी गयी कि आज मैं 19.3.2003 को होली पर्व पर सर्किल में एस.एच.ओ. स्टाफ का स्नेह मिलन, तथा थाना इसमें लिखा है कि यह 6 बजे की रिपोर्ट दर्ज करायी। यह तो 19 तारीख को 6 बजे रिपोर्ट दर्ज करा रहा है और एफ.आई.आर. के ऊपर लिखते हैं यह, यह घटना बतायी। थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक समझ में आ सकता है कि दूसरे दिन हुई तो कोई बात नहीं पर दूसरे दिन नहीं हुई। 19 तारीख को ही शाम को 6 बजे हो गयी, लेकिन अपराध घटने का दिन 20.3.2003 के समय 1.30 बजे ए.एम., अब यह एफ.आई.आर. काट रहा है और एफ.आई.आर.

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

काटने के बाद किसी तरह से झूठे डाकूमेंट बनाकर उलझाने का काम करते हैं। मैं सारा नहीं पढ़ रहा हूं। इसमें लेखराज, भूरीलाल, कालबेलिया की मृत्यु हो गयी। मेरे दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया। यह जो लाइन है, इसको भी आप दिखावें एफ.आई.आर. में। फिर इसके बाद नीचे एक लाइन बढ़ाई। लाइन इसलिए बढ़ाई कि उस ड्राइवर ने कहा होगा मैं तो इस पर दस्तखत नहीं करता हूं क्योंकि मैंने तो गाड़ी चलायी नहीं, आपकी इस एफ.आई.आर. से तो मेरा ही जुर्म बनता है। तो फिर बाद में एक लाइन उसके दस्तखत करने के बाद एस.आई.आर. द्वारा,- मेरे द्वारा मना करने पर भी जबरन स्वयं गाड़ी चलायी, यह लाइन तो उन्होंने बाद में एड की। फिर यह नीचे लिखते हैं, इत्तला नाथूलाल के कहे हुए अनुसार लेखबद्ध कर पढ़ाकर सुनाया। सुनी, सही होना स्वीकार किया। चूंकि प्रार्थी के दोनों हाथों में फ्रैक्चर होने से हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, अतः प्रार्थी के निशान अगुंस्थ कराया गया। इस एफ.आई.आर. पर कोई अंगुस्थ नहीं है। मतलब किस तरह से डाकूमेंट बनाकर, मजबूरी में उस ड्राइवर से कि तू फंस जाएगा, तेरी नौकरी चली जाएगी, इसलिए केस को किस तरह से मोड़कर बनाया। मैं इस एफ.आई.आर. को पढ़ता हूं कि हम लोगों का मन मस्तिष्क किस तरह से है। यह थाना मावली पर मुकर्रर था। इस हेतु वल्लभनगर से श्री राजेन्द्र सिंह, श्री दिलीप सिंह ने, मैं कनिष्ठ प्रदीप सिंह, नम्बर दिये हैं लहरीराम, इतना नम्बर, सरकारी वाहन जो भी नम्बर है, आदेश, एस.एच.ओ., वाहन को श्री राजेन्द्र चला रहे थे। रास्ते में होली के कारण साधनों का अभाव होने से एस.आई. श्री राजेन्द्र सिंह, श्रीमती भूरी, गिरधारी कालबेलिया, नाथू गिरधारी, पुष्पा गिरधारी, इसके बाद चेपा खड़ी भूरा सन आफ श्री शम्भू कालबेलिया और सोनी उर्फ सोना इन कालबेलियों द्वारा मावली तक जाने के लिये लिफ्ट मांगने पर उन्हें बिठा लिया गया। लिफ्ट मांगने पर सच में तो वो ले गये। यह सब हेराफेरी का जो काम करते हैं, इससे लोगों के मन में बहुत ही गुस्सा आता है। जो कुछ हकीकत हुआ उस हकीकत में उसके सामने यह सवाल रख दिया गया, कि गाड़ी का ड्राइवर तो तू है और तेरी गाड़ी गिर गयी तो जिम्मेदार तू है। इसलिए सस्पैण्ड तू होगा, तू लिख इस एफ.आई.आर. को। तो उसने कहा, जैसा चाहो वैसा लिखो। सच बात यह है कि ये उनको मौज-मस्ती के लिये ले गये, दारू पीकर धमाल करने के लिये ले गये। 16 महिलाएं आईं, उनमें से चार महिलाएं उन्होंने छांटी, जो अच्छा नाच करती हैं। यह जो कृत्य है पुलिस का, यह पुलिस के नाम पर कलंक है। मैं सोचता हूं इसकी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तह में जाइये, सच्चाई में जाइये। अपनी आंखों से इस सारी घटना को वहां की जनता से और वहां के लोगों से आप इसकी तहकीकात कराइये, क्योंकि यह तो आपके विधान सभा क्षेत्र और मावली विधान सभा क्षेत्र के बीच का टुकड़ा है, जिसमें यह घटना हुई और आप होम मिनिस्टर हो, आपके यहां इस प्रकार की झूठी रिपोर्ट लिखकर पुलिस बचना चाहे यह जरूर है कि एस.पी. साहब ने दो को सस्पैण्ड कर दिया। लेकिन राजेन्द्र त्रिपाठी जिसकी देखरेख में यह सारा हुआ; उसको तो लाइन हाजिर किया है। सस्पैण्ड करना कोई सजा नहीं है। जो एफ.आई.आर. आपकी दर्ज हुई है...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ज्यों ही मुझे अखबार के माध्यम से यह सूचना मिली तो मैंने एस.पी. साहब को कहा था उन दोनों को सस्पैण्ड करने के लिये और केस रैफर करने के लिये दिया था। लेकिन केस में जो आप तथ्य बता रहे हैं गलत दर्ज किया, क्या किया नहीं किया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आप यह जानकारी दे रहे हैं, मैं इन सारे तथ्यों की जानकारी करूंगा और उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। मैं भी किसी निर्दोष को सजा नहीं दिलाना चाहता।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : क्योंकि मैं 19 तारीख को उदयपुर में था नहीं, मुझे यहां 20 तारीख को समाचार पत्र से जानकारी मिली थी और जानकारी के आधार पर ही मैंने एस.पी. को सारे एक्शन लेने के आदेश दिये थे। थाने के जो दोनों सब-इंस्पैक्टर थे उनको सस्पैण्ड करने के लिये कहा था। सी.आई. को भी कहा था। एफ.आई.आर. गलत दर्ज करायी तो मैं इसकी जांच करा लूंगा। आप जिससे चाहोगे, जांच करा लूंगा। मैं किसी भी दोषी को बचाना नहीं चाहता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : किसी व्यक्ति से नहीं, जो भी आपका अच्छा अधिकारी हो, वह जांच कर ले। मैं तो किसी निर्दोष को सजा दिलाना भी नहीं चाहता हूं और किसी दोषी को छोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं दोनों दृष्टि से बिलकुल स्पष्ट हूं। इस पूरे घटनाक्रम की जो कुछ जानकारी मैंने इकट्ठी की, उस हिसाब से ये लोग उसको नाच-गाने के लिये जा रहे थे और उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद भी आप देखो। अब आपका स्वयं एस.डी.ओ. वहां मौजूद था, घटनास्थल पर आ गया। आपका डीवाई.एस.पी. घटनास्थल पर आ गया। फिर उसको मुआवजा क्यों नहीं मिल सकता? फिर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उन सारे कालबेलियों ने आकर मावली का चौराहा जाम किया और दो-तीन घंटे तक धमाल चली तब फिर आपने दस-दस हजार रुपये सैंक्शन किये। हमारी यह मनोवृत्ति क्यों है? अगर कुछ घटना हो गयी तो जो कुछ उनको वाजिब मिलता है, उसकी हम पहले से स्वीकृति क्यों नहीं करें? किस कारण से हमको इसका इन्तजार करना पड़ा? और मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। यह मुकदमा भी दर्ज एस.पी. के पास में यह जो ड्राइवर था, अपने दुखड़े को रोने गया कि मैंने तो नहीं कहा, गाड़ी की चाबी भी नहीं दी, लेकिन मुझे धमकाकर गाड़ी की चाबी लेकर थानेदार स्वयं चलाने के लिये बैठ गये, मैं क्या कर सकता था। इस कारण से सारी घटना को ठीक प्रकार से आप देखें और देखने के बाद निश्चित रूप से इसमें सच्चाई के आधार पर चाहे राजेन्द्र त्रिपाठी दोषी हो, चाहे कोई भी हो, जो इनको जबरन लेकर गये हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिये।

मैं अब आपको जो सीमा क्षेत्र है इसके कुछ नमूने जो आपके ध्यान में भी होंगे, पर मैं आपको दुबारा याद दिलाना चाह रहा हूं। हमारे सीमा क्षेत्र में जिस प्रकार से आपसी वातावरण बिगड़ रहा है, उसको निश्चित रूप से देखें। बंवडोर ग्राम पंचायत के दुधिया गांव में कुछ गांवों का वध करके उसका मांस अनुसूचित जाति (भील) के कुछ लोगों को बकरे का मांस बताकर परोसा गया। धोरीमन्ना पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने निष्क्रिय रहकर मामले में एफ.आर. दे दी। मुकदमा दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ उसके बाद भी कार्यवाही कुछ नहीं। इसी तरह से बाखासर पुलिस थाने में सांवलिया गांव में एक भवन में यह कहकर गौ-हत्या करवाई गयी कि मरणासन्न व्यक्ति को अगर जन्नत में जाना है तो गौ-हत्या कर जनाजे में शामिल व्यक्तियों को उसके गोश्त की दावत दी जाए, इसकी भी एफ.आई.आर. दर्ज हुई। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस थाना बाखासर में मुकदमा संख्या 21/2002 दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस ने संवेदनशील प्रकरण दर्ज होने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। यह जो घटना होती है, यह लोगों को उकसाती है, लोग इस कारण से इरीटेट होते हैं और इस प्रकार की स्थिति आती है। इस सीमांत क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकार और जो विभिन्न कर्मचारी हैं सीमा क्षेत्र में, इन लोगों को निश्चित रूप से अलग से कोई न कोई हमको भत्ता देना चाहिये क्योंकि उस फील्ड में ये काम करते हैं। अगर समय पर इस प्रकार के कृत्यों में कहीं सफल होते हैं, उनको पुरस्कार भी मिलना चाहिये। एक के बाद एक इसमें घटना तो कई हैं, लेकिन उसमें अधिक समय लगेगा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उल्लेखनीय है कि जैसलमेर के सम्बन्ध में, आम बात है कि यहां हत्याकाण्ड का कभी भी पर्दाफाश नहीं हुआ। ऐसे उदाहरण हैं, मैं आपको आज भी याद दिलाता हूं, बीदा का तिराहा हत्याकाण्ड, विख्यात कलाकार करणा भील की हत्या और पटवारी हत्याकाण्ड, ये तीन घटनाएं हुई उस क्षेत्र की जिनका आज दिन तक हत्यारा ढूंढ नहीं पाये। आज दिन तक इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर पाये। इसी तरह से गत दिनों पीथोडाई गांव में प्राचीन मंदिर को नष्ट करके वहां सभा भवन के नाम पर मस्जिद का निर्माण कराया। यह तो सारा रिकार्ड पर है। आपके विभाग के रिकार्ड पर है। आपके सारे अधिकारियों के ध्यान में है, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो निश्चित रूप से यह विद्वेष तो बढ़ेगा, इसको हम समाप्त नहीं कर सकते। सीमा पर अवैध बस्तियों के बारे में, मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह रिपोर्ट है हाल ही में सीमा सुरक्षा बल की जो राज्य सरकार से इसको हटाने की मांग कर चुकी है कि बिलकुल बार्डर के पास बस्ती बस रही है, किसी भी समय यहां नुकसान हो सकता है, यहां इनको नहीं बसाया जाए। उसके बारे में भी आपके पास रिपोर्ट आई, कोई इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो यह सीमा की जिस प्रकार...(व्यवधान)

श्री अमीन खान : यह कौनसी बस्ती है, कटारिया साहब, जिसे हटाने की कार्यवाही के लिये लिखा है? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सीमा पर पांच किलोमीटर की रेंज में जो भी लोग बसे हुए हैं, उनके बारे में सेना के लोगों का यह कहना है कि पांच किलोमीटर में बार्डर के पास कोई लोग नहीं बसे।

श्री अमीन खान : ऐसा कतई नहीं है। सीमा तक लोगों की खातेदारी की भूमि है और सीमा पर लोग आबाद हैं। न तो भारत सरकार ने मना किया, न आर्मी ने मना किया है और न कोई जिला प्रशासन ने मना की है। यह बात सही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यह थोड़े ही कह रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं तो जैसी पुलिस कि रिपोर्ट है वही पढ़ रहा हूं। जो आर्मी की रिपोर्ट है, उन्होंने जो इस राज्य सरकार को लिखा है, वही पढ़ रहा हूं। उन्होंने इस बारे में जो अपने विचार लिखकर आपको भेजे हैं, वह आपके डिपार्टमेंट के पास होगा, उसको उठाकर देखिये। यह जिस प्रकार का भी साम्प्रदायिक विद्वेष हो रहा है...

श्री सोहन नायक : उपाध्यक्ष महोदय, सीमा के ऊपर बहुत पुराने रेवेन्यू विलेज हैं, उनको कैसे हटाया जाएगा?

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ ही नहीं रहे हो बात को। यह तो कोई बहस का विषय ही नहीं है, काहे को बहस कर रहे हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा है कि यह आर्मी को सोचना है कि उनको अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कैसे चलना है और कैसे नहीं चलना है। यह उनका सोच हो सकता है कि वे आर्मी की दृष्टि से उसको उपयुक्त समझते हैं या नहीं। इसके बारे में उनका वर्जन था।

मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान एक तरह से देशद्रोहियों का अड्डा बनता जा रहा है। आये दिन कभी उदयपुर में कोई पकड़ा जाता है। नोट बनाता हुआ कम्प्यूटर इंजीनियर अभी उदयपुर में थांजीपीर में पकड़ा गया। इसी तरह से अपने यहां चित्तौड़ में आई.एस.आई. का एजेंट पकड़ा गया। राजस्थान के विभिन्न जिलों में इसी प्रकार की घटनाएं आये दिन हम कभी न कभी किसी न किसी स्थान पर निरन्तर पढ़ते हैं। मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से हम भले ही कितना ही मोटा दिल रखें, लेकिन यह बात सच है कि ये जितनी भी साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने की घटनाएं हो रही हैं, यह बाहरी लोगों का वहां आकर निवास करने और उसी तानेबाने के कारण से हो रही हैं। नहीं तो हिन्दू और मुसलमान कोई 50 साल से नहीं रहता है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां गांवों में रहते हैं और कभी भी कोई झगड़ा नहीं होता था। इन्हीं दिनों में इस प्रकार की स्थिति क्यों बन रही है? इसके पीछे कोई एजेंसी काम कर रही है। हम को उस एजेंसी को ढूंढ निकालना चाहिए। अगर हम नहीं ढूंढ निकालेंगे, आप हम को कह देना और हम आपको तो इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा और राजस्थान इस आग में जलेगा। आये दिन इस प्रकार की घटनाएं छोटे-छोटे गांव में, जिस गांव में 100 वर्ष में कभी कोई टकराव नहीं हुआ, वैसे छोटे-छोटे गांव में इस प्रकार के उत्पात खड़े हो रहे हैं। आये दिन कोई जिला ऐसा नहीं बचता जहां इस प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना नहीं घटती है। इसका कारण मैं सोचता हूं कि जो बाहरी लोग आये हुए हैं, आप विशेष कर उनकी छानबीन कराइये।

आप कहते हैं कि त्रिशूल ऐसा है, मेरा दावा है कि अगर आप चाहे तो ऐसी बस्तियों में छापा मारो तो अवैध हथियारों का जखीरा आपको भारी मात्रा में मिलेगा। कोई ना ही नहीं कह सकता कि उसमें नहीं है। जिसका कोई लाइसेंस भी नहीं है और आपका डिपार्टमेंट जानता है, सारे अधिकारी जानते हैं कि इस प्रकार के अवैध हथियार हैं। गुण्डे जिस प्रकार से पकड़े जाते हैं, वे कौन लोग हैं, इसकी सूची आपके पास है। सारी की सारी जानकारी होने के बाद भी चूंकि हम को डर लगता है कि हम किसी को छेड़ेंगे तो हम उसके बारे में साम्प्रदायिक माने जाएंगे। चाहे वो हिन्दू हो, चाहे मुसलमान

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हो, अवैध हथियारों को रख कर जिस प्रकार वातावरण को गंदा कर रहे हैं, आप दो-चार बस्तियों को एक बार सीरियसली, चाहे वो हिन्दुओं की बस्ती हो, पूरी छान मारिये कि इसमें कौन-कौनसे अवैध हथियार हैं। अवैध हथियार मेरे पास भी निकले तो मेरे खिलाफ भी मुकदमा बनाइये और किसी दूसरी बस्ती में भी अवैध हथियार निकलते हैं तो आपको मुकदमा बनाना चाहिए। लेकिन हमारा मन नहीं होता है कि हम उस प्रकार के अपराधियों को पकड़ें। इसके कारण वातावरण जहरीला होता चला जा रहा है। आप भले ही ऊपर-ऊपर से इसको कितना ही लपेटने की कोशिश करना, लेकिन अन्दर ही अन्दर लोगों के मन में विद्वेष के भाव पैदा हो गये जो किसी भी समय हमारे सारे प्रदेश की शांति को अशांति में बदल सकते हैं। उसका कारण यह है कि हमारा प्रशासनिक अधिकारी भी समय-समय पर हमको जानकारी देता है, आपके पास सारी रिपोर्ट भी आती है लेकिन कोई किसी को छेड़ना नहीं चाहता।

मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं कि वास्तव में हमारी पुलिस जितनी संख्या में भी है उसमें अधिकांश लोग अच्छे और ईमानदारी से काम करते हैं जिसके कारण से यह व्यवस्था चल रही है। लेकिन कुछ गिने-चुने बदमाशों के कारण से इस डिपार्टमेंट पर जो काला धब्बा लगता है, उनको हमें साल में दस-बीस को तो लटकाना नहीं पड़ेगा। दिखाने के लिए भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा ताकि भय व्याप्त हो। अभी मैंने आपकी सारी रिपोर्ट पढ़ी हैं कि किन लोगों के खिलाफ सालभर में भी केवल 17 सी.सी. और 16 सी.सी. की कार्यवाही हुई। उसमें भी क्या हुआ, एक वेतन वृद्धि रुकी। इतना बड़ा अपराध करे, वेतन वृद्धि क्या होती है? दो-चार-पांच साल में नौकरी से निकल जाए तो क्या आसमान तो नहीं पड़ जाएगा? अगर उसमें दम होगा तो कोर्ट से जीत कर आ जाएगा। पर हम उसको कम से कम एक बार तो लटका दें ताकि दूसरों का भय तो रहे। इस भय को पैदा करने के लिए हम को घाटा खाकर भी धंधा करना पड़ेगा, पर हमें करना पड़ेगा। जब तक हम पुलिस के इस प्रकार के हथकंडों पर जिस पर पुलिस की बदनामी होती है, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे, हम पुलिस का मनोबल नहीं उठा सकेंगे। पुलिस जो अच्छा काम करती है वह किसी को नजर नहीं आता है, लेकिन एक दाग वाला धब्बा जरुर बन जाता है। लोगों के मन में बनता है कि इस प्रकार से है। और कुछ है भी सही। नीचे के लेवल पर लोगों को जो परेशानी होती है, कभी गलती से आप अपने किसी आदमी को एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए भेज दें। भगवान करे किसी को काम नहीं पड़े। काम पड़े तो वहां जिस प्रकार का सलूक और व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार से समझते हैं कि कोई आ गया होगा ऐसे ही उठाईगीरे की तरह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से। सभ्य आदमी भी चला जाए तो गाली के बिना तो कोई बात नहीं करता। मैं सोचता हूं कि इनका फिर से कहीं प्रशिक्षण कराओ। अब वो गाली वाला, डण्डे वाला जमाना निकल गया है। अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज नहीं होते तो क्या श्रीमती दुर्लभजी को ढूंढ निकालते? आपकी जितनी मार्डर्न टैक्नोलोजी है, उस मार्डन टैक्नोलोजी के आधार पर आप उस स्थान पर पहुंचे। आपकी पुलिस और दिल्ली की पुलिस मेहनत करके उस स्थान पर पहुंचे हैं। तो अब वो थर्ड ग्रेड के मैटर नहीं रहे जिसके कारण से आप गांव के किसी भील को उठा लाये, मर्जी चाहे जिस को ठोका...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहे हो, क्या बात है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमको इस दृष्टि से चिंता है कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां गरीब व्यक्ति आता है और उससे कोई झाडू निकलवाता है, कोई जबरदस्ती उसको मजबूरी में पकड़ लाता है। यह जो कृत्य है...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : थोड़ी देर उधर भी देख लो।

श्री उपाध्यक्ष : यह जानते हैं कि मेरी तरफ देखते ही मैं कहूंगा कि बैठो, इसलिए नहीं देख रहे।

श्री शैलेन्द्र जोशी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा उपदेश हम में से हर व्यक्ति दे सकता है। हम चर्चा करने आये हैं मुद्दों पर, कोई हम यहां पर धार्मिक उपदेश सुनने नहीं आये। ऐसे उपदेश हर व्यक्ति दे सकता है। हम में से हर व्यक्ति काबलियत रखता है। आप बात कीजिये इम्प्रूवमेंट की, जुडीशियल सिस्टम में कैसे ट्राइल में रिफार्म होगा, वह बताइयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आज सबसे ज्यादा बेसिस था आपका, वह तो यह था कि जो ट्रायल बेसिस है उसमें कैसे मैटामोर्फोसिस हो, चेन्ज हो। इसके बारे में आप एक शब्द भी नहीं बोल पाये। आप केवल नैरेटिव करें। ऐसे तो आप 2000 एफ.आई.आर. पढ़ दो। आप जो करें वह सत्य है, दुःखद सत्य है और जो कोर्ट की फाइंडिंग है, इंवेस्टिगेशन की फाइंडिंग है वह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : केवल आप इस विश्व के सत्य दूत हैं, क्या कहना चाहते हैं आप?

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी जवाब दे देंगे, आप चिंता मत करो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अपराधों को संरक्षण देने वाले, शैलेन्द्र जोशीजी, +++ (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : गांधीजी की हत्या किसने की? क्या बात करते हो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसे गुण्डों को, बांदीकुई में अपराधियों को अपने संरक्षण दे रखा है और आप कहते हो उपदेश सुनने नहीं आये हैं। ऐसे +++ भाषण देने से काम नहीं चलेगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : टाइम बरबाद करने के लिए नहीं है। ऐसा उपदेश हर कोई दे सकता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह अच्छी बात है। अच्छी बातों को आप उपदेश कहते हो। आपके गृह मंत्रीजी तो बोल नहीं रहे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या, चाहते क्या हैं आप?

श्री धर्मपाल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी की शब्दावली देखो आप, यह मंत्री हैं या क्या हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप साधारण सदस्य नहीं है, बिराजो। बिराजो।

श्री धर्मपाल चौधरी : इनको बोलने का शऊर नहीं है कि प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, कि इस तरह की +++ सुनने नहीं आये हम।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्या इस ढंग की +++ सुनने के लिए आये हैं, मंत्री हैं क्या यह?...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री धर्मपाल चौधरी : +++ तो नहीं हो गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बिलकुल +++ सवार हो गया है। +++ यह।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि मुझे जो कहना था, उस समय आप थे नहीं, आप बाहर थे, मैंने इस विषय को पहले ही शुरू किया था कि हमारा डिस्पोज आफ कैसे हो।

श्री घासीलाल मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को +++ कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से शब्दावली का प्रयोग हुआ है, कृपया उसको कार्यवाही से निकलवा दें। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जोशीजी, मैं जो कुछ भी बोलता हूं अपने मन से बोलता हूं, ऊपरी बनावटी से नहीं बोलता हूं। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : वो खड़े हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। बैठिये, बैठिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कभी भी किसी गलत काम को गलत ही कहूंगा, चाहे वह मेरे द्वारा हो या किसी के द्वारा हो। इस प्रकार के हल्के शब्द, हल्की बात कहने का आदी भी नहीं हूं। वह तो आप कभी कुछ छेड़ देते हैं तो उसके कारण से आवेश में कोई बात आ जाती है, बाकी मैं आज भी यह कहता हूं कि निश्चित रूप से सुधारने के लिए जो आवश्यक कदम हैं वे हमको उठाने पड़ेंगे। यह बात मैं पहले कह चुका, पर आप उस समय कहीं घूम कर आ रहे थे, आपको पता नहीं था। इसलिए आपका दोष नहीं है, क्योंकि आप तो जो आओगे वो ही सुनोगे। और आप तो भरे हुए आये थे, आपको कहीं न कहीं फोड़ना तो था ही। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का जो व्यवहार है एक जिम्मेदार आदमी का, यह व्यवहार उस लायक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिस प्रकार की बातें मैंने आपके सामने रखीं, हम निश्चित रूप से अपने नियमों को, अपनी प्रक्रियाओं को और अपनी काम की गति को कुछ न कुछ इस प्रकार से बनाएं। जो अधिकारी अच्छा है उसे निश्चित रूप से हम हर प्रकार से पुरस्कृत करें, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जो ऐसे कलंक हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, मैंने सारी लिस्ट को पढ़ा है, एक भी कोई बड़ा अधिकारी एडीशनल एस.पी. है, उसके खिलाफ कोई 17 सी.सी.ए., 16 सी.सी.ए. का नहीं है, वह तो दूध का धोया है। कोई एस.पी. ऐसा है ही नहीं जिसने कहीं गड़बड़ की होगी, सब बड़े अच्छे हैं? यह जो हमारी सोच है छोटे-छोटे कांस्टेबल को लटकाने की, यह सोच ठीक नहीं है। अपराधी चाहे बड़े से बड़ा क्यों न हो, आप का डी.जी. हो, कोई हो, उनको भी देखने का दृष्टिकोण हमारा बदलेगा तब जाकर हम इस पुलिस प्रशासन को और चुस्त, और दुरुस्त कर सकेंगे। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री धर्मपाल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अभाव अभियोग मंत्रीजी बोले नहीं हैं, मंत्री बनने के बाद चुप हो गये, उनका दो मिनट का भाषण करा दो।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये न आप प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह लिख रहे थे, साहब।

श्री धर्मपाल चौधरी : साहब, वह लिख रहे थे।

डा. किरोड़ी लाल : डीवाई.एस.पी., सी.आई. तो वही लगाएंगे, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : पौने ग्यारह बज गये, अब तो रुको। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री धर्मपाल चौधरी : दो मिनट बोल लेते, साहब। वो बोले ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या 16–पुलिस के सम्बन्ध में आज सदन में चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने अपने–अपने विचार व्यक्त किये। जब विचार व्यक्त कर रहे थे तो पुलिस के कार्यों की सराहना भी की गयी थी और पुलिस के कामकाज में जो कमियां हैं उनको भी चर्चा का विषय बनाया गया। उपाध्यक्षजी, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जिस तरह की बातें कहीं, मैं भी आंकड़ों के जाल में नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि मेरे पास वो आंकड़े भी हैं और आज से चार साल पहले जो शासन था उसके भी आंकड़े हैं। उस समय कितने दूल्हे घोड़ी से नीचे उतार दिये जाते थे, वे भी मेरे पास आंकड़े हैं। लेकिन मैं आपकी बात मानकर आरोप और प्रत्यारोपों में नहीं जाना चाहता। वहां इस तरह की घटनाएं जो दलितों के साथ होती हैं, जब तक हम सामाजिक वातावरण को ठीक नहीं करेंगे तब तक इस तरह की घटनाओं को रोकना, केवल कानून के बल पर रोकना, सम्भव नहीं है। इस बात को आपको और हमको स्वीकार करना होगा, सत्य को स्वीकार करना होगा। आप जानते हैं, शारदा एक्ट कब पास हुआ था। वर्षों पहले शारदा एक्ट बना और इस देश में लागू कर दिया गया, लेकिन आज भी गांवों में जाएं, सामाजिक कुरीतियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। कम उम्र के बच्चे और बच्चियां शादी कर रहे हैं। ईवन एक जगह जाकर मैं तो दंग रह गया। मुझे न्यौता दिया था, मिलने वाला था। उन्होंने कहा कि शादी में आए। मैं वहां गया। मैंने पूछा कि दूल्हा और दूल्हन कहां हैं तो किसी ने मुझे कान में कहा कि एक पालने में दुल्हन बैठी है और एक में दूल्हा बैठा हुआ है। इतने वर्षों के बाद भी जो शारदा एक्ट की मंशा है उसको हम पूरा नहीं कर पाये हैं। शिक्षा का अभाव, गांवों के रीति–रिवाज़ और कई कारण देश में पैदा हुए हैं जिसकी वजह से जो हम चाहते हैं उसको हम एचीव नहीं कर पाये हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं किसी पुरानी सरकार की बुराई का आश्रय लेकर अपनी बात को मजबूत नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, घोड़ी से दूल्हा कांग्रेस के ही शासन में उतरा हो, ऐसा नहीं है, आप कहे तो मैं आंकड़े देकर बता सकता हूं। उन वर्षों के आकड़े मेरे पास मौजूद हैं। (व्यवधान) अच्छा चलो, याद आ जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन केवल यह कहे कि कांग्रेस

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

शासन में ही ऐसा होता था, यह नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों से, कि इस बुराई का हल मिल जुलकर सामाजिक वातावरण को ठीक करके किया जा सकेगा। कानून के जरिये हम इसको नहीं कर सकेंगे इसलिए हम सबको मिल जुलकर प्रयत्न करना होगा। कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपनी व्यवस्था करेगी। लोगों में जब इस तरह की भावनाएं पैदा हो जाएंगी, पुराने जमाने में तो यह कहा जाता था कि बड़े-बड़े जागीरदार अपने घर के सामने से घोड़ी पर नहीं निकलने देते थे। निवाई में अभी जो घटना हुई उसमें कौन लोग थे? उसमें तो एस.टी. का आदमी भी था, उसमें तो गुर्जर भी थे, उसमें दूसरे लोग भी थे। तो यह घटना एक जाति विशेष से सम्बन्ध नहीं रखती है। सामाजिक परिदृश्य में इसको देखा जाना चाहिए और उसी में उसका हल ढूंढा जाना चाहिए तभी हम निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान करेंगे। आज दलित वर्ग को अगर कोई भी सरकार प्रोत्साहन देती है, उसके अधिकारों की रक्षा करती है तो कोई एहसान नहीं करती है। यह संवैधानिक गारंटी है उसको देना ही पड़ेगा, उसको आगे ले जाना पड़ेगा। मैं राजस्थान सरकार की ओर से आप सबको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों के अधिकार जो उनको दिये गये हैं, उनकी रक्षा के लिए हम भरसक प्रयत्न करेंगे। उनको सुविधा देने में कोई कमी नहीं रखेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा की गयी महिलाओं पर अत्याचारों के बारे में और एस.सी., एस.टी. के मामलों में। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि दहेज हत्या व दलित अत्याचार सम्बन्धी अभियोगों का अनुसंधान उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। दोनों तरह के अत्याचारों सम्बन्धी दर्ज मामलों का सुपरविजन, उनकी मानिटरिंग जिला स्तर, रेंज स्तर के अलावा पुलिस मुख्यालय पर भी पुलिस अधीक्षक और महानिरीक्षक, पुलिस स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। जरूरत पड़ने पर अभियोगों का अनुसंधान सी.आई.डी. (सी.बी.) द्वारा भी किया जाता है। जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में हर माह प्रकरणों की समीक्षा करने हेतु मीटिंग भी आयोजित की जाती है। पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय एवं आर्थिक सहायता दिलाने हेतु दिशा-निर्देशों दिये गये हैं। दलित अत्याचारों के निवारण हेतु 18 जिलों में 21 एस.सी., एस.टी. सैलों का गठन उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी के अधीन किया गया है व 16 जिलों में एस.सी. एस.टी. न्यायालयों का गठन किया गया है। राज्य के बारह महिला थानों, 22 जिला मुख्यालयों पर महिला प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

मार्च, 2003 से प्रत्येक रेंज मुख्यालय पर महिला सदन और सुरक्षा केन्द्र भी खोले जाने का इरादा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि एस.सी. और एस.टी. के लोगों को जो हक और कानून मिला हुआ है उसके लिए हमने विशेष अदालतें दीं ताकि जल्दी फैसला हो जाए, उनको न्याय मिल जाए। जिलाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। हम चाहते हैं, हमारी सरकार का लक्ष्य भी है कि उन लोगों को जो भी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको समयबद्ध कार्यक्रम के तहत पूरा किया जाए ताकि उसका लाभ उनको मिल सके।

आज के इस वाद-विवाद में माननीय सदस्यों ने कई तरीकों की बातें उठायीं। कुछ ने कहा कि मेरे यहां थाने नहीं हैं, कुछ ने कहा कि मेरे यहां पुलिस स्टेशन है उसको सी.आई. में कन्वर्ट कर दो। किसी ने कहा मेरे यहां एस.डी.ओ. कार्यालय खुल गया इसलिए मेरे वहां डी.एस.पी. का दफ्तर खोल दो। किसी ने कहा कि मेरे यहां गाड़ियां पुरानी हैं, माडर्नाइजेशन के तहत जो सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पायी। इन सबका मैंने विश्लेषण किया है, लेकिन मैं उन माननीय सदस्यों से क्षमा चाहूंगा जिन्होंने चौकी को पुलिस स्टेशन में और पुलिस स्टेशन को सर्किल में बदलने में और सी.आई. या सर्किल बदलने की मांग की है। इस वर्ष वित्तीय प्रावधान नहीं होने के कारण मैं उनकी इच्छा को पूरा नहीं कर सकूंगा। (व्यवधान) नहीं कर सकूंगा, साफ कहना ठीक रहता है। मैं नहीं कर सकूंगा। सच्चाई को सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। मैं आपसे इस तरह की बात कहकर, लुभावने नारे देकर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चलो हम करेंगे, साहब, आप मत करो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नाचेगी राधा।

श्री धर्मपाल चौधरी : तेल भी होगा और राधा भी नाचेगी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मुंगेरी लाल के सपने देखना बन्द करो। (व्यवधान) ज्यादा मुंगेरी लाल के सपने देखने से नुकसान होता है। अच्छा है आप प्रयत्न करिये और अपने पुराने इतिहास को दोहराते हुए नये इतिहास के निर्माण की कल्पना के आधार पर आगे आने की सोचिए। अच्छा निर्माण किया होता तो आप वहां नहीं बैठते। इधर बैठते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप भी कई बार बैठे हैं। गृह मंत्रीजी, भूल गये, आठ साल तक आप भी यहीं बिराज रहे थे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हम लोगों ने अच्छे काम नहीं किये होंगे तो

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

उधर बैठे होंगे और आपने नहीं किये तो आपको भी बैठना पड़ा। जनता की नब्ज को पहचानने की कोशिश कीजिएगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : आठ साल कहां चले गये थे आप? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसलिए यह कहना बिलकुल आसान नहीं है कि आप इधर आ ही जाएंगे। अभी तो फील्ड में जाना है। फील्ड में जाकर किसको कहां गोल करना है, इसको देखने की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देख लिया न तीन उप चुनावों में।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कहते हैं न कि भाग पी लेते हैं तो नशा बहुत आएगा, रात को सोते रह जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुरारीलाल के खयाल में आप रहना अभी से छोड़ दीजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : मुंगेरी लाल है, साहब, मुरारीलाल नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मुंगेरी लाल कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। उसमें अपने आपको मत उलझाइये। आप अपना प्रयत्न और कोशिश कीजिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। (व्यवधान)

(23.00 बजे)

श्री हीरासिंह चौहान : इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कह सकते, होम मिनिस्टर साहब, जो बात आपको कही है।

डा. सी. पी. जोशी : राजेन्द्रजी को कह रहे हो आप?

श्री हीरासिंह चौहान : सब को ही कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कुछ जिक्र किये। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने खास तौर से जुआ, पर्ची सट्टे का उल्लेख किया और यातायात पुलिस की व्यवस्था ठीक नहीं होने का भी उन्होंने जिक्र किया। मैं मानता हूं, जुआ और सट्टे के लिए जो आज का वर्तमान कानून है वह कमजोर कानून है। उसको सजा नहीं मिलती। केवल पचास रुपये जुर्माना करने पर वह छुट्टी पा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि उसमें मशीनों का भी प्रयोग होने लग गया। मैं विधि विभाग से राय करके...

श्री उपाध्यक्ष : पास ही में बैठे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह तो मंत्री हैं बाद में फाइल जाएगी। मैं विधि विभाग से राय करके बाद में इस बात की कोशिश करूंगा कि देश के नौजवान बरबाद न हों इन धंधों में फंस कर। कानून में क्या तरमीम की जा सकती है उसके लिए मैं निश्चित तौर पर आवश्यक कदम उठाऊंगा।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

पर्यटन, पुलिस का महकमा जो हमारी...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंथली लेते हैं, मंथली।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मंथली तो आपने कोई सिस्टम बनाया होगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको साढ़े चार साल हो गये अभी तक हमारा ही सिस्टम याद आ रहा है क्या? अभी तक हम भूले नहीं आपको। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यातायात पुलिस के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ सुझाव दिये और यातायात व्यवस्था को ठीक करने के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा है। मैं मानता हूं कि कुछ कमियां हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता है, इसको मैं स्वीकार करके चलता हूं। मैं उनको भी और प्रतिपक्ष के नेता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं यातायात का ठीक नियंत्रण न होने की वजह से, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब के साथ बैठकर इस बात की कोशिश करूंगा कि लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों को दिए जाने चाहिए, ऐसी गाड़ियों को परमिट मिलना चाहिए जो गाड़ियां ठीक ढंग की हों और ड्राइविंग लाइसेंस ठीक व्यक्ति को मिले जिससे इन दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। इसके लिए मैं अपनी ओर से पूरा पूरा प्रयत्न करूंगा।

बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य, आपने तीन-चार बातें कही हैं, याद है आपको? मैं याद दिला दूं, भूल गये। नहीं, नहीं, भूले तो नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपको याद है, वह कैसे भूल सकते हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपने खास तौर से जिक्र किया डी.आई.जी. टण्डन को नहीं पकड़ पाए, गायब किसके वक्त में हुए थे? (व्यवधान) नहीं, आपने उसके गायब होने के बाद कितने साल तक राज किया?

श्री अमराराम (धोद) : अब आप भी नहीं पकड़ेंगे?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : खो तो इन्होंने दिया और पकड़ने की जिम्मेदारी हमारी? गायब तो इन्होंने करवा दिया और पकड़ने की जिम्मेदारी हमारी।

श्री अमराराम (धोद) : इनको तो सजा दे दी, आप भी सजा भोगोगे?

एक माननीय सदस्य : यह चुनाव घोषणा पत्र में है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हमने तो एक कदम आगे बढ़कर उसकी सरकारी सेवा से छुट्टी कर दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उससे क्या हुआ?

श्री धर्मपाल चौधरी : उससे क्या फर्क पड़ा?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : फर्क पड़ेगा। नौकरी जाएगी उसको फर्क पड़ेगा। अभी तो प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि छुट्टी करो। अभी उन्होंने उपदेश दिया, जब हमने कर लिया कि क्या फर्क पड़ेगा?

श्री अमराराम (धोद) : जेल के सींखचों में नहीं हुआ। वह इसलिए नहीं हुआ कि गरीब अर्दली की घरवाली के साथ उसने किया था, इसलिए नहीं हुआ वह। अगर बड़े अफसर के करते तो अरैस्ट भी हो जाता।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह भी कोशिश करेंगे। वह भी हमारा प्रयत्न रहेगा, उसको भी हम पकड़ कर कानून के शिकंजे में डालने की कोशिश करेंगे।

मदरसों के बारे में उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कोई चिट्ठी लिखी कि मदरसों में गड़बड़ हो रही है, आपराधिक तत्व हैं, अराष्ट्रीय तत्व हैं। बताएं, कब लिखी? किसी ने नहीं चिट्ठी लिखी थी। जरूर वहां पर एक आर्गेनाइजेशन है।

मोहम्मद माहिर आजाद : भारत सरकार तो मदरसों को सहायता दे रही है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : भारत सरकार के सीमावर्ती जिलों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में पत्राचार नहीं किया। केन्द्र सरकार द्वारा गठित लीगल इंटेलिजेंस एजेंसी, लीड इंटेलिजेंस उसका नाम है, जिसका सी.ओ. कोर्डिनेटर बी.एस.एफ. है। चूंकि सीमा पर तैनात है, वह पीरियोडिकल बैठकों के जरिए आसूचनाओं का आदान-प्रदान करता है। आसूचना आदान-प्रदान करने के लिए विभिन्न एजेंसी को जो सीमा पर ताल्लुक रखती हैं, बुलाता है। जहां शंका होती है या आसूचना प्राप्त होती है तो चाहे वह राष्ट्र विरोधी या पाकिस्तान द्वारा संचालित गतिविधियां हों, विशेष निगाह रखना आवश्यक होता है। इसी परिप्रेक्ष में आवश्यकतानुसार प्राप्त सूचना पर कार्यवाही की जाती है। दिनांक 28 जनवरी, 2003 को एक ऐसी मीटिंग में विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऐसा निर्णय लिया। माननीय सदस्यों द्वारा यह कहना कि चिह्नित मदरसों का उल्लेख केन्द्रीय सरकार ने किया है, यह सही नहीं है।

जहां तक मदरसों का सवाल है, मैं आपको राज्य की स्थिति बताना चाहता हूं। जब आप राज में थे, आप हमको कहते हो हम तुष्टिकरण की नीति अपनाते हैं, आपने क्या किया? 1995 से 1998 के बीच में 296 मदरसे खुले आपके राज में, 296, यह पुष्टिकरण की नीति आपने अपनायी या मैंने? आप उधर देखिए, हमारे चाल साल के राज में केवल 188 मदरसे खुले। (व्यवधान) आपने यह कहा कि सीमावर्ती जिलों में हमने ज्यादा मदरसे खोल दिये। मैं आपको उदाहरण देता हूं, बीकानेर में आपके जमाने में चार खुले, गंगानगर में छह खुले, बाड़मेर में इकतीस

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

खुले और जैसलमेर में 2 खुले...(व्यवधान) और इन चार सालों के अरसे में बीकानेर में 11, गंगानगर में 6, बाड़मेर में 6 और जैसलमेर में 6...

श्री अमीन खान : भारतीय जनता पार्टी के एम.पी. ने तो मदरसों में पैसा दिया, कांग्रेस के किसी एम.एल.ए., एम.पी. ने मदरसे में किसी को पैसा ही नहीं दिया। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : गतिविधियां कहां चल रही थीं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अगर वहां गतिविधियां चल रही हैं तो उसको प्रोत्साहन देने का काम आप लोगों ने किया। (व्यवधान) हम तो आज भी मानते हैं, मदरसों में किसी प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं चलती हैं। अगर कोई साबित कर देगा तो मैं उसकी जांच कराने को तैयार हूं। (व्यवधान) केवल यह कहे देना कि राष्ट्रविरोधी गतिविधियां, केवल मदरसा नाम होने से राष्ट्र विरोधी गतिविधि...

श्री धर्मपाल चौधरी : कितने लोग पकड़े गये वहां पर? आप यह बताइये कि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में जो वहां पर जन प्रतिनिधि बने हुए हैं तो कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? इसकी लिस्ट भी आपके पास है, वह बता दीजिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हां, है न मेरे पास। सब लिस्टें रखता हूं मैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : हां, तो बता दो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जन प्रतिनिधि अगर कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि में नहीं है, मैं गैर कानूनी तरीके से उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप होली-दीपावली पर मुसलमानों के मोहल्लों में पुलिस फोर्स क्यों लगाते हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जासूसी गतिविधियों में लिप्त, होली दीपावली और मोहर्रम सब आपके जिम्मे नहीं, और लोगों के पास भी रहने दो थोड़े।

श्री मदन दिलावर : सी.आई.डी., सी.बी. एडिशनल एस.पी. अजमेर जोन की रिपोर्ट पढ़िए कि कौन जनप्रतिनिधि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। पढ़िए।

श्री रघुवीर सिंह : मदन दिलावर, जिन पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, वह हैं।

श्री मदन दिलावर : 302 का मुकदमा दर्ज हो तो इस विधान सभा में कभी भी नहीं आऊंगा। मैं बता दूं, कहो। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अटरू से आने वाले माननीय सदस्य, 302 का

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

मुकदमा हुआ या नहीं, यह तो मुझे पता, लेकिन एक पंचायत की जमीन के घोटाले में आप सम्मिलित हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप सुनो... (व्यवधान) आप सजा दिलाओ। आज सजा दिलाते क्यों नहीं हो? एक +++ के कहने पर ही कर दिया आपने। आप जांच कराओ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपका मुकदमा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में चल रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जांच हो गयी है, उसमें आप मुलजिम हैं। आपने दुबारा...(व्यवधान) आप मुलजिम हैं।

श्री मदन दिलावर : जांच कराओ। मुलजिम तो आप ऐसे ही बना सकते हो। भारत माता की जय बोलने वाले को भी मुलजिम बना सकते हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सजा मिलेगी जब याद रखोगे।

श्री मदन दिलावर : भारत माता की जय बोलने पर भी एम.एल.ए. पर 153 लगाया था। आप तो कुछ भी कर सकते हो। आप अपने +++ को छिपाने के लिये सारे चोरों को...(व्यवधान) भारत माता की जय बोलने पर भी 153 लगाया था आप लोगों ने। देश ने मुझे बरी किया है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पता लगेगा अभी...(व्यवधान) कितनी बार तो आपकी पूजा हो चुकी है आपके ही विधान सभा क्षेत्र में। आए दिन तो पूजा होती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी।

श्री मदन दिलावर : आपके कारनामे तो मैं जानता हूं, कितनी बार कोटा के हाउसिंग बोर्ड के मकान में मैंने पकड़ा है आपको। +++ कोटा के हाउसिंग बोर्ड के मकान में +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब यह हो रहा है जो ही वह हो रहा है, बात दोनों बराबर है। बिराजिये प्लीज। (व्यवधान) हां, बिराजो, बहुत अच्छा किया आपने।

श्री मदन दिलावर : मैंने ही छुड़ाया है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बहुत अच्छा, काम करते रहो। आगे भी करते रहो।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो डुबाओ। आप बिराजिये प्लीज। क्यों इसको सवाल... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यहां यह सवाल भी उठा कि मूर्ति चोरी के प्रकरण चल रहे हैं, मूर्तियों की बरामदगी नहीं की जा रही है, मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि हमने...

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दौसा की हुई है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं और बता रहा हूं, आप सुन लीजिये। दौसा क्यों अकेला है, कृष्णजी की मूर्ति काले पत्थर की...

श्रीमती कमला बृजलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसी की मार्फत मैं एक बात और कहना चाहती हूं...

श्री उपाध्यक्ष : फिर कर लेना।

श्रीमती कमला बृजलाल : कि सवा साल से सपोटरा के निर्दोष लोगों की बात भी किरोड़ी लालजी ने उठायी है, उसके विषय में भी इन्हें बताएं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह भी मैं दे दूंगा। राधा व कृष्ण की सफेद संगमरमर की मूर्ति झोटवाड़ा, केशवराय जी की काले पत्थर की मूर्ति झोटवाड़ा, कृष्णजी की धातु की मूर्ति विद्याधरनगर, राधाजी की धातु की मूर्ति विद्याधरनगर, जैन मूर्ति काले पत्थर की विद्याधरनगर, राधाजी की काले पत्थर की सुभाष चौक, गोपालजी की धातु की सुभाष चौक, पालने में लड्डू गोपालजी पाटे का सुभाष चौक, शास्त्री नगर, संजय सर्किल, भट्टा बस्ती, बनीपार्क, इस तरह से हमने...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर में छह मूर्ति चोरी हुई हैं। लक्ष्मणगढ़, धौलपुर में हुई हैं, महावीर जैन की मूर्ति चोरी हुई है, एक भी मूर्ति अलवर में पकड़ी नहीं गयी है। सामने मूर्ति चोरी का आरोप लगा था उसके बारे में अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ज्ञानदेव आहूजाजी, अब समाप्त होने दो न, क्यों आप इसको लम्बा कर रहे हैं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जयपुर में यह बार बार कहा जाता है कि महिला सुरक्षित नहीं, चेन उड़ायी जाती है। हमने दो दिन पूर्व ही चेन गैंग को पकड़ लिया है, चेनों की बरामदगी कर ली गयी है। आप चिन्ता मत कीजिये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कन्हैया लालजी, बिराजिये प्लीज।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : लेकिन, गृह मंत्रीजी, चूरू से पधारे हुए माननीय सदस्य ने दिल्ली पुलिस की तो सराहना की है...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उस पर आ रहा हूं मैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : हां, उस पर बोलिये। और राजस्थान पुलिस को तिरस्कृत किया है। राजस्थान पुलिस की जानकारी के बगैर क्या दिल्ली पुलिस से सीधा हस्तक्षेप किया है? हां, बोलिये।

डा. किरोड़ी लाल : हमने प्रशंसा की है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पण्डितजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मैं थोड़ी देर बाद...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमने राजस्थान पुलिस की बड़ाई की है, यह भी तो, पण्डितजी, बताइये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह नहीं सुनी पण्डितजी ने।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राजस्थान में जो अपहरण हुआ है उसमें राजस्थान पुलिस ने जो कार्य किया, मैं निश्चित रूप से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। अन्तरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने का काम किसी ने किया है तो राजस्थान पुलिस ने किया है। आपको मालूम है कि...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : इस स्पष्टीकरण के लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जब कोई भी अन्तरराज्यीय गिरोह होता है, अन्तरराज्यीय पुलिस का सहयोग एक दूसरे को करना पड़ता है। लेकिन यहां से इंवेस्टिगेशन किसने शुरू किया, कौनसी गाड़ी पकड़ी, कौनसे नम्बर ढूंढे, कौनसी बातें कीं, अगर ये बातें दिल्ली पुलिस को नहीं मिलती तो क्या करते? आप क्यों हमारी पुलिस का मोरल डाउन करना चाहते हैं? इनीशियली जो कुछ भी अनुसंधान किया, हमारे नमोनारायणजी, डी.जी., हमारे दोनों एस.पी., 24 घंटे वहां बैठकर मदद करते रहे। इस अपहरण काण्ड में बिना पैसे दिये हुए, बिना किसी घटना के लाए। यह हमारे लिये क्रेडिट की बात मैं आपसे चाहता हूं। भगवान न करे सत्ता आपकी आए, लेकिन कभी आपकी सरकार आ जाएगी...

श्री खेतसिंह राठौड़ : वहीं, नहीं, सवाल नहीं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : तो पुलिस का मोरल डाउन करने की कोशिश मत करिये, सत्य को स्वीकार करिये। सत्य को स्वीकार करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं इसलिये न केवल एक...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोटे वाले की बता दो आप तो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : डेनमार्क के विदेशी पर्यटक को पकड़ ले गये, उसको भी राजस्थान पुलिस ने किया। दौसा में किया, जोधपुर में किया। यही नहीं, कुछ लोग...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जोधपुर वाली बात ऐसे मत कहो, जोधपुर में फिरौती देकर हुआ है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जातिगत द्वेष से आपस में लड़ाने की प्रक्रिया बना रहे हैं। बलदेव राव की धातु की मूर्ति

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

को नीचे डालने का काम किया तो दूसरी तरफ राव शेखाजी की मूर्ति को तोड़ने का काम किया। चाहते थे कुछ लोग, वे लोग असामाजिक तत्व हैं, मैं उनको कोई अच्छा मानकर नहीं चलता हूं। लेकिन उन्होंने इस बात की कोशिश की कि दो सौ विधायक घर जाएं और राजस्थान में अशांति और अव्यवस्था कायम करें। मैं राजस्थान पुलिस को बधाई देना चाहता हूं कि दोनों मामलों में मुलजिमों को पकड़ लिया। राव शेखाजी की मूर्ति मामले एक मुल्जिम बाकी रह गया था उसको भी कल पुलिस ने पकड़ लिया है।

श्री अमराराम (धोद) : उड़ाने वाले कौन हैं, यह बताओ?

मोहम्मद माहिर आजाद : पीछे कौन है, यह बताओ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मुलजिम मुलजिम होता है, मुलजिम की कोई जाति नहीं होती है। साजिश के पीछे भी हम इस बात पर लगे हुए हैं कि यह केवल इन्हीं लोगों का काम है या किसी की साजिश है जो कि राजस्थान में शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। इसका भी हम पता लगाएंगे, निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। हमारी तरफ से...

डा. महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय गृह मंत्रीजी, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। मेरे परम मित्र चूरू से आने वाले माननीय सदस्य राजेन्द्र राठौड़ साहब का भी एक केस हो गया था। उनको बड़ा धमकाया गया जब यह एम.एल.ए. बने थे, विपक्ष में बैठे थे। वह केस अभी तक नहीं खुला है, उस केस को जरूर खुलवाया जाए।

श्री धर्मपाल चौधरी : बोल दो, आप अपनी भी बता देना फिर।

डा. किरोड़ी लाल : बी.डी. कल्ला से भी बुलवा दो न जो धमकाया है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उस मुकदमे की तो मुझे जानकारी नहीं है, महेशजी अगर जानकारी देंगे या चूरू से आने वाले माननीय सदस्य जानकारी देंगे तो मैं निश्चित रूप से उसका भी पता रखने की पूरी कोशिश करूंगा। (व्यवधान) आप और हम दोनों एक ही हैं।

आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिये और आतंकवादी संगठनों द्वारा सम्भावित खतरों से निपटने के लिये महा निरीक्षक पुलिस (सुरक्षा) के अधीन एक जोइंट टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसी प्रकार राष्ट्र विरोधी आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिये तकनीकी प्रकोष्ठ बनाया गया है। (व्यवधान) आ रहा हूं मैं। राज्य की गुप्तचर शाखा को सक्रिय और सुगठित बनाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मुझे आशा है कि राज्य विशेष शाखा का तकनीकी प्रकोष्ठ आई.एस.आई. की कुत्सित

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

योजनाओं को विफल करने में भी सफल होगा। राज्य में हाल ही अन्तरराज्यीय गिरोह द्वारा कारित कतिपय संगठित अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने अपराध शाखा के अन्तर्गत स्पेशल आपरेशन ग्रुप का गठन किया है। इस ग्रुप के लिये साजो-सामान शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा और मैं आशा करता हूं कि यह ग्रुप कालान्तर में अन्तरराज्यीय अपराधों पर नियंत्रण रखने में सफल होगा।

मैंने शुरू में जैसा आपको कहा कि मैं आपको आंकड़ों के जाल में नहीं फंसाना चाहता और पिछले वर्षों की तुलना के आंकड़े प्रस्तुत करके भी आपको नहीं फंसाना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत हो गया।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : थक गये?

श्री हीरासिंह चौहान : बारह बज गये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बारह बज गये तो एक बज जाने दो, क्या फर्क पड़ता है?

श्री परसादी लाल : आपको 12 घंटे सुना है, बोलो आप तो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप संतुष्ट हों तो फिर कम करें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस को जवाबदेह बनाने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। नागरिकों को थाने में जाने पर मुकदमा सच्चा है या गलत है, एफ.आई.आर. दर्ज कराने में कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी, इसके लिये मैं निर्देश दे रहा हूं। अगर कोई शिकायत किसी थानेदार के बारे में इस सम्बन्ध में प्राप्त होगी, आप लोगों में से सिफारिश मत लाना, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सिफारिशों के लिए तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, सब करते हैं।

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मामले में एक सवर्ण की गवाही होना बहुत आवश्यक है। कानून में तो ऐसा प्रोविजन नहीं है। लेकिन अगर पुलिस में इस तरह की बात कहीं आती है जो कि कानून सम्मत नहीं है, तो मैं आज अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं कि वे आदेश दें कि इस प्रकार की अगर कहीं किसी थाने में गलत व्याख्या की गयी है तो उसको तुरंत प्रभाव से हटा लें।

राजस्थान हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों से शांतिप्रिय प्रदेश रहा है। आप और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि उसको आगे भी शांतिप्रिय प्रदेश बनाये रखें। मैं यह बात क्यों कह रहा हूं? अभी घटनाओं का विश्लेषण किया गया कि कांग्रेस के राज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है और भाजपा के राज में नहीं बढ़ता है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप देख लें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सुन तो लें। जो अभी कहा गया है उसकी बात कर रहा हूं मैं तो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गुजरात में क्या हुआ था?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप भी विश्लेषण कराएं कि यह क्या होता है। आप भी इस बात का विश्लेषण कराएं कि क्यों नहीं होता है। कांग्रेस आती है तब इस प्रकार का साम्प्रदायिक उन्माद क्यों फैल जाता है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं राजस्थान की जनता को सदन के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार का संकल्प है, हर कीमत पर राजस्थान में शांति व्यवस्था कायम रखी जाएगी और साम्प्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ने दिया जाएगा चाहे कोई भी कुर्बानी करनी पड़े। किसी के मंसूबे हों तो वे धरे रह जाएंगे, मैं ऐसा कहना चाहता हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : घोषणा करो।

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा मत बोलो, कल सुबह जाओगे इनके घर पर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप थक गये क्या? अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना है। अभी तो शुरूआत है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उसकी घोषणा करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप घोषणा करें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने पुलिस कर्मियों के मैस भत्ते के बारे में जिक्र किया है कि मैस भत्ता कम है, मैं पुलिस विभाग के मैस भत्ते में 50 रुपये माहवार की वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। इसी प्रकार से नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग के मैस भत्ते पुलिस विभाग के समकक्ष-यह वृद्धि केवल परमानेंट स्ट्रेन्थ को ही देय होगी, 50 रुपये माहवार करने की घोषणा करता हूं। कारागार विभाग में भी मैस भत्ता पुलिस विभाग के समकक्ष देने की घोषणा करता हूं।

आपको बहुत बड़ी चिन्ता थी कि लड़के-लड़कियां नहीं पढ़ते हैं, वे नहीं पढ़ते, ये नहीं पढ़ते हैं। मेरे पास फिगर्स हैं कि पिछली बार पुलिस कल्याण निधि से छात्रवृत्तियां शुरू की हैं। लड़कियों के पढ़ने के लिए छात्रवृत्तियां दी हैं। आपने पढ़ा होगा। समय की कमी है और आपको जल्दी है इसलिए मैं विस्तार से इस बात को नहीं कह रहा हूं। कल्याण निधि में इस वर्ष राज्य सरकार की ओर से 25 लाख रुपये का अंशदान दिया जाएगा। आर.पी.बी.एफ. में 10 लाख रुपये और पुलिस फोर्स फण्ड में 10 लाख रुपये और उत्सव फण्ड में 10 लाख रुपये देने की घोषणा करता हूं।

कई माननीय सदस्यों ने अनेक राज्यों में जो प्रचलित नियम हैं उनके बारे में बताया कि पुलिस वालों से मंथली कुछ

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

लिया जाता है और रोडवेज की बसों में पास दिये जाते हैं। मुझे कई बातें कहनी हैं लेकिन आप उतावले हो रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं इन सारी चीजों को कि अन्य राज्यों में क्या नियम हैं, उनका अध्ययन करके अपने प्रस्ताव वित्त मंत्रीजी के पास ले जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इस तरह की व्यवस्था यहां भी लागू की जाएं ताकि ठीक काम हो सके। हमारी मंशा है कि जो पुलिसकर्मी रात-दिन काम करते हैं उनके हित के लिए भवन बनने चाहिए। फैमिली क्वार्टर्स बनने चाहिए। वह भी मैंने प्रोग्राम में लिखा है और हमने इस दिशा में प्रगति की है। जो माडर्नाज़ेशन का फण्ड मिला है, कुछ ऐसी राइफल्स हैं, ए.के.-47 लेना चाहते हैं-303 का अब उपयोग नहीं करेंगे, लेना चाहते हैं लेकिन वह फैक्ट्री में अवेलेबल नहीं हैं और समय पर अवेलेबल नहीं होने की वजह से उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाये हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माडर्नाइजेशन के तहत जो भी रुपया मिलता है, यद्यपि 50 प्रतिशत भारत सरकार देती है और 50 प्रतिशत राज्य का हिस्सा है, लेकिन राज्य सरकार अपना हिस्सा मिलाकर इसका पूरा उपयोग करेगी और हमारे थानों को माडर्नाइजेशन के तहत लाकर पूरा काम करेगी। गाड़ियां भी उपलब्ध कराएगी, और भी चीजें उपलब्ध कराएगी।

मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, कौन नहीं चाहता है कि उसके कर्मचारी सुखी रहे? क्या आप नहीं चाहते या मैं नहीं चाहता? लेकिन कुछ दिक्कते हैं, कुछ परेशानियां हैं। उन परेशानियों के होते हुए भी मैंने माननीय वित्त मंत्रीजी से दो करोड़ रुपये लिये हैं जिसमें कारें और जीपें खरीदकर, जो पुलिस स्टेशनों पर खराब गाड़ियां पड़ी हैं उनको देने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। माडर्नाइजेशन के तहत भी हमने गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है और आने वाले समय में जो नाकारा गाड़िया हैं उनको रिप्लेस करने का काम हम करेंगे। फिर एक बार मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि न राजस्थान गुजरात होगा, न राजस्थान...

श्री धर्मपाल चौधरी : कश्मीर होगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : न राजस्थान कश्मीर होगा, बल्कि राजस्थान राजस्थान रहेगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : राजस्थान, राजस्थान रहेगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राजस्थान को बनाने में मेरी आपसे एक ही दरखास्त है कि मेहरबानी करके ऐसी शक्तियों को प्रोत्साहित मत करिये जो हमारा भाइचारा समाप्त करती हों। ऐसी शक्तियों को प्रोत्साहित मत करिये जो यहां के साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहती हों। ऐसी शक्तियों को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने से रोकिये। अगर राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश बना रहेगा तो निरन्तर आगे बढ़ता

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

जाएगा और आप और हम उस विकास में भागीदार बनेंगे।

आपने जो सुझाव दिए हैं, जो कटमोशन दिए, मैं उनका उत्तर आपको लिखकर भेजूंगा। फिर एक बार राजस्थान की जनता को इस सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि...

डा. किरोड़ी लाल : गृह मंत्रीजी, एक चीज रह गयी, वे चार निर्दोष जो 14 महीनों से जेल में पड़े हैं, डकैत नहीं हैं, उनके बारे में जरूर आप कुछ बता दें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अभी सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्या ने भी कहा है, लेकिन सपोटरा से आने वाली माननीय सदस्या स्वयं भी जानती हैं...

श्रीमती कमला बृजलाल : मंत्री महोदय, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने बहुत प्रयास किया। लेकिन सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ पी.पी., सरकार ने ही पी.पी. नियुक्त किया और वह पी.पी. सरकार के आदेश नहीं माने, यह खास बात है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे पास जब यह शिकायत आयी, राज्य सरकार ने फैसला किया कि जो निर्दोष हैं इनको छोड़ना चाहिए। लेकिन पी.पी. ने उनकी कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, यह बात जब मेरे सामने आयी तो मैंने लॉ सैक्रेटरी से कहा कि ऐसे पी.पी. को तुरंत बरखास्त किया जाकर नया पी.पी. अपाइंट किया जाना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ला मिनिस्टर साहब मेरे पास बैठे हैं, उनके माध्यम से मैं बात करूंगा, उनके न्याय मिले। जब राज्य सरकार इस बात पर कंविंस्ड है कि उनका कोई कसूर नहीं है तो उनको निश्चित रूप से मुक्ति दिलाई जाएगी। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय गृह मंत्री, वह बसेंड़ी वाला कहा था।

मांग संख्या-16 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 7,95,26,80,000 (सात अरब पिच्यानवे करोड़ छब्बीस लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 25 मार्च, 2003 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23.30 बजे मंगलवार, 25 मार्च, 2003 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1 परिशिष्ट–'अ'

(तारांकित प्रश्न संख्या–417 की अधिसूचना)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, dated:-15.01.2003

In pursuance of clause 3 of Article-348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication of this Notification in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English Language in respect of Finance Department (Tax Div.) Notification No. F.4(1)FD/Tax/01-Pt.-146 dated 15.01.2003.

By Order of the Governor

(R.K. Sharma)
Dy. Secy. To Govt.

NOTIFICATION

Sub.: Change in Rajasthan Sales Tax Rates.

Jaipur, dated:-15.01.2003

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Rajasthan Act No. 22 of 1995) and in supersession of the notification No. F.4(1)FD/Tax/2001-Pt.-114 dated 27.09.2002, the State Government being of the opinion, that it is expedient in the public interest so to do, hereby provides that notwithstanding anything contained in any notification issued earlier under section 4 of the said Act., with immediate effect, the rate of tax payable in respect of the goods specified in column 2 of the List annexed hereto shali be as shown against each item, specifying tax rates on Casual Commodities :

List

S. No.	Description of the goods	Rate of tax per ton
1.	**Bajari :-**	
	(a) Chambal, Banas, Mahi, Khari, Kharka	Rs.18

(b) Other Local Sources in exclusion of (a)

(i) Districts-Ajmer, Kota, Bundi, Jhalawar, Baran & Alwar — Rs.12

(ii) Sirohi, Jalore, Pali, Barmer, Jodhpur & other distts. — Rs.6

2. Building Stone, excluding all varieties of marble & granite:-

(a) Districts-Dholpur, Karauli, Tehsil Bayana in Bharatpur Distt.	Block	Rs.180
	Rubble	Rs.10
(b) Distt., Jodhpur-	Block	Rs.40
	Rubble	Rs.10
(c) Distt., Jaisalmer-	Block	Rs.60
	Rubble	Rs.10
(d) Districat-Bhilwara, Kota, Bundi, Chittorgarh & Jhalawar	Block	Rs.90
	Rubble	Rs.10
(e) Distt. Baran	Rubble	Rs.10
(f) Districts-Jaipur, Dasua, Sawai Madhopur, Sikar and Jhunjhunu	Rubble	Rs.12
(g) Other Districts	Block	Rs. 20
	Rubble	Rs. 8

3. Farshi/Flooring stone, excluding (i) polished stone and (ii) all Varieties of Marble & Granite :

(a) Districts-Chittorgarh, Bhilwara, Bundi, Kota and Jhalawar — Rs.90

(b) Districts-Karauli, Dholpur — Rs.70

(c) Other than the above districts — Rs.40

4. Prati/Roetes slab

(a) Districts-Kota, Bhilwara, Chittorgarh,

	Bundi, Jhalawar	Rs.90
	(b) District-Jodhpur	Rs.95
	(c) Districts-Alwar, Dausa and Karoli	Rs.70
	(d) Other than above districts	Rs.42
5.	Grit	Rs.20
6.	Ballast	Rs.12.50
7.	Morram	Rs.8
8.	Bricks (per thousand)	Rs.125

F.4(1)FD/Tax/01-Pt.-146

By Order of the Governor,

(R.K. Sharma)

Dy. Secy. To Govt.

परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

विधान सभा क्षेत्र भिनाय में कराये गये विकास कार्य

419. श्री सांवर लाल (भिनाय): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र भिनाय में 01 दिसम्बर, 1998 के बाद विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत हुए हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य कहां पर स्वीकृत हुए?

(2) क्या उक्त स्वीकृत कार्य पूर्ण करा दिए गए हैं? यदि नहीं, तो कौन कौन से कार्य बकाया है और बकाया कार्यों को कब तक पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य है?

(3) क्या उक्त कार्यों का भुगतान किया जा चुका है? यदि नहीं, तो कौन-कौन से कार्यों का भुगतान किया जाना है जो कब तक किया जाएगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में 01 दिसम्बर, 1998 के बाद विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत जो कार्य जितनी-जितनी राशि के जहां पर स्वीकृत हुए हैं उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध हैं।

(2) उक्त स्वीकृत 331 कार्यों में से 279 कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं। जो-जो कार्य पूर्ण नहीं हुये हैं उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। इन अपूर्ण कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण कराये जाने का प्रयास हैं।

(3) 279 पूर्ण हुये कार्यों में से 255 कार्यों का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है तथा प्रगतिरत 52 कार्यों में से 38 कार्यों का उन पर हुये व्यय के अनुसार भुगतान किया जा चुका है, शेष पूर्ण हुये 24 कार्य एवं प्रगतिरत 14 कार्य जिनका भुगतान बकाया है, की सूची परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

इन कार्यों के पेटे दी गयी अग्रिम राशि के निर्धारित प्रारूप में पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार भुगतान कर दिया जायेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बछड़ों की निकासी पर रोक की समाप्ति

420. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बछड़ों को राज्य के बाहर ले जाने पर रोक लगा रखी है? यदि हां, तो कब से और क्यों? क्या उक्त रोक हटाये जाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त पालना में क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में पशुपालकों को इस का भारी नुकसान हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त रोक क्यों नहीं हटाई?

(3) अब उक्त रोक पूर्णतया कब तक हटाई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.01.2000 की अनुपालना में राज्य के बाहर गौवंशीय बछड़ों को ले जाने पर रोक लगाई गयी है।

जी हां। राज्य सरकार ने पशुपालकों के हितार्थ माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष में राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन के प्रस्ताव प्रेषित कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त की गई है। उक्त अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव का विधेयक 11वीं विधान सभा के नवम सत्र में पुरःस्थापित किया गया है।

(2) जी हां। पशुपालकों को इससे आर्थिक हानि हुई है। माननीय न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में रोक हटाया जाना सम्भव नहीं है।

(3) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक हटाये जाने पर ही बछड़ों को राज्य से बाहर ले जाने पर लगी रोक को हटाया जाना सम्भव है।

(स्थगित प्रश्न)

दिनांक 10 मार्च, 2003

प्रति किलोमीटर बस संचालन व प्रबन्ध पर व्यय

243. श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में वर्ष 1993 से 1998 तक कितना घाटा या लाभ रहा? वर्ष 1998 से जनवरी, 2003 तक कितना घाटा या लाभ रहा? वर्षवार तुलनात्मक सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2000 से जनवरी, 2003 तक प्रदेश में विभिन्न ग्रामीण अंचलों से रूट अलाभकारी होने के कारण कितने मार्गों पर निगम ने अपनी बस सेवा बन्द की है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रोहिताश्व कुमार)

(3) वर्तमान में राजस्थान पथ परिवहन निगम में यात्री भार कितना है और प्रति किलोमीटर बस संचालन व प्रबन्धन में कितना खर्चा आता है?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1993-94 से 2002-2003 (जनवरी, 2003) तक के वर्षवार लाभ/घाटे का विवरण परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2000 से जनवरी, 2003 तक ग्रामीण अंचल के जिन मार्गों पर निगम बस सेवाओं का संचालन अलाभकारी होने के कारण बन्द किया गया है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट-"2"

(3) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002-2003 में माह जनवरी, 2003 तक निगम का औसत यात्रीभार 64 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2002–2003 में माह अप्रैल, 2002 से जनवरी, 2003 तक के प्रोविजन लाभ-हानि खातों के अनुसार निगम की औसत कुल लागत 12.93 रुपये (बस संचालन में 12.56 रु. व प्रबन्ध में 0.37 रु.) प्रति किलोमीटर रही है।

परिशिष्ट "1"

वित्तीय वर्ष 1993-94 से 2002-2003 (जनवरी, 2003) तक का वर्षवार लाभ/घाटे का विवरण

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	घाटे-लाभ का विवरण (लाख रु. में)	
1.	1993-94	2293.08	लाभ
2.	1994-95	2412.83	"
3.	1995-96	774.29	"
4.	1996-97	401.99	"
5.	1997-98	2398.61	घाटा
6.	1998-99	4401.36	"
7.	1999-2000	7379.14	"
8.	2000-2001	8561.20	"
9.	2001-2002	6291.18	"
10.	2002-2003 (जनवरी, 2003 तक प्रोविजनल)	3385.25	"

परिशिष्ट "2"

वर्ष 2000 से ग्रामीण अंचल के जिन मार्गों पर निगम बस सेवाओं का संचालन अलाभकारी होने के कारण बन्द किया गया है उनकी आगारवार सूची

क्र.सं.	आगार	मार्ग का नाम
1	2	3
1.	अजमेर	1. अजमेर–सिरोज–गुदली वाया चौसला
		2. अजमेर–देवलिया वाया चापानेरी
		3. अजमेर–केकड़ी–धानोप
		4. अजमेर–बाधसूरी–न्यारा
		5. अजमेर–सरवाड़ वाया किशनगढ़–बरना–दादिया–अराई–बोराड़ा–अजमेर–मेड़ता–बोरुन्दा
2.	अजमेर	1. अजमेर–कुचामन वाया बस्सी
		2. अजमेर–अराई
3.	बारां	1. सालपुरा–छींपाबड़ौद
		2. अकलेरा–तालपुरा
4.	बीकानेर	1. बीकानेर–सींथल
5.	बून्दी	1. बून्दी–बिजौलिया
		2. बून्दी–लाडपुरा
		3. बून्दी–जरखोदा
		4. बून्दी–बड़ाखोड़ा
		5. बून्दी–उनियारा
		6. बून्दी–जोमणिया
		7. बून्दी–डगरिया
		8. बून्दी–मेघारावत की झोपड़ी
		9. बून्दी–नगर फोर्ट

1	2	3
		10. बून्दी–देवली
6.	झालावाड़	1. झालावाड़–भालता
		2. झालावाड़–पिड़ावा
		3. खानपुर–इकलेरा
7.	कोटा	1. कोटा–बमोरीकला
		2. कोटा–बेटा
		3. कोटा–इन्द्रगढ़
		4. कोटा–जरखोदा
		5. कोटा–खाण्डा सहरोल
		6. कोटा–खातीखोड़ा
		7. कोटा–तिलाना
8.	सरदारशहर	1. सरदारशहर–फोगा
9.	टौंक	1. टौंक–जहाजपुर
		2. आवा–देवली
		3. देवली–चान्दली
		4. गुराई–देवली
		5. सिरस–निवाई
		6. टौंक–आवा
		7. टौंक–दूनी
		8. टौंक–इटून्दा
		9. टौंक–निवाई
		10. टौंक–राहोली
		11. टौंक–टोडा (हमीरपुर)

1	2	3
		12. टौंक–सिरस
		13. टौंक–लुहारीकला
		14. टौंक–गुराई
		15. जयपुर–झराना
		16. टौंक–गोलाकाबास
		17. टौंक–सरसोप
		18. टौंक–नवरंगपुरा
		19. दूनी–देवली
		20. टौंक–देई
		21. जयपुर–देई
		22. सवाईमाधोपुर–कुण्डेरा
		23. सवाईमाधोपुर–बरवाड़ा
10.	अलवर	1. अलवर–गढ़ी वाया खोहरा
		2. राजगढ़–रैणी
		3. राजगढ़–टहला
11.	कोटपूतली	1. कोटपूतली–बड़ी चौपड़
		2. बड़ी चौपड़–शाहजहांपुर
		3. शाहजहांपुर–हरसोली
		4. हरसोली–बड़ी चौपड़
12.	मत्स्यनगर	1. हरसोली–कोटकासिम
13.	आबूरोड	1. आबूरोड–पोसीना वाया देलदर–नीचलागढ़–बोर
14.	बांसवाड़ा	1. कुशलगढ़–उदयपुर
		2. बांसवाड़ा–आनन्दपुरी

1	2	3
15.	ब्यावर	1. मेड़ता–बोरुन्दा
		2. नसीराबाद–रामसर
		3. ब्यावर–कलालिया
		4. पीसांगन–गोविन्दगढ़
		5. टाटगढ़–काच्छवली
		6. बराखान–बुझारोल
		7. भीम–दिवेर
		8. भीम–जैतगढ़
		9. भीम–बदनोर
		10. ब्यावर–डूंगरखोड़ा वाया सारोठ
		11. केकड़ी–टोडारायसिंह
		12. बॉदनवाड़ा–टॉटोटी
		13. ब्यावर–कालानुमान
		14. भीम–नाफा
		15. ब्यावर–देवलीकला
		16. टाटगढ़–देवगढ़
		17. ब्यावर–बराखान वाया कोटड़ा काबरा
		18. ब्यावर–बरजाल
16.	भीलवाडा	1. भीलवाड़ा–करेड़ा
		2. भीलवाड़ा–गंगापुर
		3. भीलवाड़ा–विजयनगर–रायला
		4. भीलवाड़ा–सवाईपुर
17.	फालना	1. सोमेसर–नाडोल–देसूरी
		2. पाली–मारवाड़ खिंवाड़ा–देसूरी

1	2	3
18.	खेतड़ी	1. खेतड़ी–जसापुर
		2. खेतडी–मण्ड्रेला
		3. खेतड़ी–खण्डेला
		4. खेतड़ी–दलेलपुरा
		5. थोई–रूपपुरा
19.	नागौर	1. मेड़ता–गोटन
		2. नागौर–खींवसर
		3. नागौर–डेगाना
20.	सीकर	1. सीकर–खाटूश्यामजी वाया मण्डा
		2. सीकर–खाटूश्यामजी वाया गोवटी
		3. सीकर–सोनीयासर–ईयार
21.	सिरोही	1. सिरोही–सुधामाता वाया–रामपुरा–डोडुआ–कालन्द्री–जसवन्तपुरा
22.	पाली	1. पाली–नाकोड़ा (समदड़ी)
		2. पाली–मारवाड़
		3. पाली–देसूरी
		4. पाली–नाडोल
		5. पाली–फालना
		6. पाली–उदयपुर
		7. पाली–देसूरी
23.	चूरू	1. चूरू–दूदवा खारा
		2. चूरू–भालेरी
24.	श्रीमाधोपुर	1. श्रीमाधोपुर–चॉवडिया

1	2	3
		2. श्रीमाधोपुर–डिग्गी–शाहपुरा
		3. श्रीमाधोपुर–जयपुर–नॉगल
25.	हिण्डौन	1. हिण्डौन–मूण्डिया
26.	दौसा	1. जयपुर (घाटगेट)–बड़ियाल
		2. जयपुर (घाटगेट)–क्यारा वाया दौसा–गोलाकाबास
		3. जयपुर (घाटगेट)–कोटखावदा वाया बस्सी
		4. जयपुर (घाटगेट)–गुढ़ाकटला
27.	उदयपुर	1. उदयपुर–जावरमाइंस
		2. उदयपुर–काबरा–कोटड़ी वाया दरीबा
		3. उदयपुर–कोटड़ी
		4. उदयपुर–ढोल–कमोल
		5. उदयपुर–कानोड़–छोटीसादड़ी
		6. उदयपुर–अदकालिया
		7. उदयपुर–गिलूण्ड
		8. उदयपुर–भानपुरा–पीपाणा
		9. उदयपुर–पानेर

कृषि उपज मण्डी सुमेरपुर (पाली) द्वारा निर्मित सड़कें

421. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि मण्डी सुमेरपुर (पाली) को वर्ष 1998 से 2002 तक कितनी राशि प्राप्त हुई है?

(2) उक्त कृषि मण्डी के अधीन कौन-कौन सी कृषि मण्डी आती है?

(3) उक्त कृषि मण्डी द्वारा उक्त अवधि में कितनी सड़कों का निर्माण करवाया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर (पाली) को वर्ष 1998 से 2002 तक निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई:–

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त राशि (करोड़ रुपये में)
1.	1998-99	4.36
2.	1999-2000	3.88
3.	2000-2001	2.35
4.	2001-2002	2.21

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर के अधीन निम्न मण्डियां है :

1. मु.म. सुमेरपुर
2. गौ.म.बाली
3. गौ.म. शिवगंज
4. गौ.म. सिरोही
5. गौ.म. जावाल
6. गौ.म. कालन्द्री
7. गौ.म. कैलाशनगर

(3) वांछित विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट–'अ'

वर्ष 1998 से 2002 तक कृषि उपज मण्डी, सुमेरपुर द्वारा निर्मित सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति राशि (लाख रु.)	स्वीकृत लम्बाई (कि. मी.)	निर्मित लम्बाई (कि. मी.)	वास्तविक व्यय (लाख रु.)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स.स. दातीवाड़ा	65224/15.11.97	28.00	2.00	2.00	27.98	
2.	केरापुरा	65224/15.11.97	28.05	3.00	3.00	27.90	
3.	धानन्दा	65224/15.11.97	42.00	2.75	2.75	41.95	
4.	बामनीया	65224/15.11.97	18.00	2.00	2.00	17.95	
5.	फतेपुरा	65224/15.11.97	9.20	1.70	1.70	9.02	
6.	साम्भरवाड़ा	65224/15.11.97	49.75	5.00	5.00	45.96	
7.	स.स. गुड़ा कल्याण सिंह	46877/31.8.99	13.20	1.30	1.30	10.47	
8.	स.स. बारवा से करनवा	46877/31.8.99	30.26	3.00	3.00	20.99	
9.	स.स. भागली से कोरटा	46877/31.8.99	32.90	3.50	3.50	29.35	
10.	स.स. सेवाड़ी से पीपला	कृषि ग्रुप–2/ 22.6.98	65.00	5.00	5.00	63.66	
11.	स.स. बड़ली	46877/31.8.99	29.80	3.30	3.30	21.98	
12.	स.स. पोयणा	46877/31.8.99	24.00	3.00	3.00	16.74	
13.	स.स. नेहरू नगर बापूनगर	46877/31.8.99	29.40	3.30	3.30	28.34	
14.	स.स. नया बलुपुरा	46877/31.8.99	19.60	2.00	2.00	19.14	
15.	स.स. उपला भीमाणा	46877/31.8.99	49.70	5.00	5.00	38.47	

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	स.स. माताजी का बाड़ा	1338-1453/ 29.1.2002	20.26	2.00	2.00	16.22	
17.	स.स. बाली कागरी वाया चामुण्डेरी मेड़तिया	1338-1453/ 29.1.2002	80.82	5.00	5.00	64.52	
18.	स.स. जवाइबांध से रामनगर	1338-1453/ 29.1.2002	9.06	0.80	0.80	4.78	
19.	स.स. सोनपुरा	1338-1453/ 29.1.2002	29.66	1.60	1.60	19.77	
20.	स.स. मोजीबाबा का मन्दिर	1338-1453/ 29.1.2002	7.66	0.90	0.90	5.13	
21.	स.स. पावा बस स्टैण्ड से पावेश्वर महावेद	1338-1453/ 29.1.2002	20.16	0.60	0.60	15.00	
22.	स. स. चामुण्डेरी लुन्दाड़ा से हिरोला	1338-1453/ 29.1.2002	38.25	2.70	2.70	25.85	
23.	स.स. दानवरली से निमाणा रोड से से वेदी	1338-1453/ 29.1.2002	63.61	4.43	4.43	45.76	
24.	स.स. टोकरिया	1338-1453/ 29.1.2002	18.51	1.50	1.50	12.34	
25	जूनाबेड़ा	1338-1453/ 29.1.2002	44.47	4.15	4.15	28.87	
26.	स. स. उथमल से चूली	49013-17/ 3.12.2001	46.00	2.80	कार्य प्रगति पर	18.36	**2.80 कि.मी. वर्ष 2002-03 में पूर्ण**

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	स. स. चूली से राडबर	49013–17/ 3.12.2001	28.00	1.70	कार्य प्रगति पर	8.86	1.70 कि.मी. वर्ष 2002–03 में पूर्ण
28.	स. स. नरादरा से सवली	49013–17/ 3.12.2001	14.10	2.00	कार्य प्रगति पर	11.54	2.00 कि.मी. वर्ष 2002–03 में पूर्ण
29.	स. स. पालड़ी एम. से बारेवड़ा	49013–17/ 3.12.2001	27.30	3.25	कार्य प्रगति पर	13.11	3.25 कि.मी. वर्ष 2002–03 में पूर्ण
30.	स. स. केशरपुरा से बेड़ा	27078–83/ 25.07.2001	78.24	9.00	कार्य प्रगति पर	43.30	9 कि.मी. वर्ष 2002 –03 में पूर्ण
	योग		**994.96**	**88.28**	**69.53**	**753.31**	**18.75**

राजकीय महाविद्यालय फलौदी के भवन निर्माण हेतु अनुमति

422. श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय फलौदी जिला जोधपुर का कोई राजकीय भवन नहीं है एवं उक्त महाविद्यालय वर्तमान में आई.टी.आई. के भवन में मात्र 4 कमरों में ही चल रहा है? यदि हां, तो सरकार उक्त महाविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने हेतु कब तक उपयुक्त भवन बनाने हेतु जमीन एवं आवास की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि फल वृद्धिका शैक्षणिक विकास समिति फलौदी द्वारा माह मार्च, 2001 में यह निवेदन किया गया था कि उनकी समिति राज्य सरकार द्वारा दिये गये मानचित्र अनुसार महाविद्यालय का भवन बनवाने को तैयार है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शैक्षणिक विकास समिति को भवन निर्माण की अनुमति दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय महाविद्यालय, फलौदी के प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक प. 12(3-318)राज.आब/महाविद्यालय/2000/6847दिनांक 16.11.2000 के द्वारा खसरा नम्बर 705, रकबा 2081.17 बीघा किस्म बी-4 भूमि में से 100 बीघा भूमि आबंटित की जा चुकी है एवं भवन बनाने की व्यवस्था करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) जी हां। फल वृद्धिका शैक्षणिक विकास समिति, फलौदी द्वारा भवन निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव दिया है जिसका एवं अन्य प्राप्त प्रस्तावों का राज्य सरकार द्वारा प्रथम दृष्टया प्रशिक्षण किया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में नये मतदान केन्द्र

423. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के कौन-कौन से पंचायत मुख्यालयों पर कौन कौन से पोलिंग बूथ हैं? उक्त में से ऐसे कितने बूथों पर पहुंचने में मतदाताओं को 4 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करनी होती है? क्या दूसरी ग्राम पंचायतों में मतदान के लिए जाना पड़ता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पंचायत समिति हिण्डौली की रोशनदा, अणदगंज, छाबड़िया का नया गांव ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पोलिंग बूथ खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या ग्राम पंचायत पगारा के ग्राम हुवालिया, ग्राम पंचायत चतरगंज के

(श्री नाथुलाल गुर्जर)

ग्राम अकलोट, ग्राम पंचायत सथूर के ग्राम हरिपुरा मतदान केन्द्र बनाये जाने के सभी मानदण्डों को पूर्ण करते हैं? यदि हां, तो उक्त पर कब तक नये मतदान केन्द्र खोल दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के 45 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 83 पोलिंग बूथ हैं। उक्त पोलिंग बूथों पर पहुंचने के लिए मतदाताओं को 4 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय नहीं करनी पड़ती है। केवल एक ग्राम पंचायत "छाबड़िया का नया गांव" के मतदाताओं को ग्राम पंचायत जजाबर के ग्राम ताकला मतदान केन्द्र पर जाना पड़ता है। हिण्डौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थापित मतदान केन्द्रों की सूची परिशिष्ट–1 सदन के पटल पर रख दी है।

(2) मतदान केन्द्रों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है।

(3) मतदान केन्द्रों का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन एवं पुनर्गठन का कार्य वर्ष 2002 में किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति से ही मतदान केन्द्रों के स्थान परिवर्तन एवं पुनर्गठन सम्बन्धी प्रस्तावों का परीक्षण किया जाएगा।

परिशिष्ट-1

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हिण्डौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थापित मतदान केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	मतदान केन्द्र/ भाग संख्या	मतदान केन्द्र का स्थान व नाम	ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	उमर	2 व 3	रा.उ.प्रा.वि. भवन उमर	2
2.	पंगारा	4 व 5	रा.मा.वि. पंगारा	2
3.	टोंकड़ा	8	रा.उ.प्रा.वि. टोंकड़ा	1
4.	पेचकी बावड़ी	9	रा.सी.मा.वि. पेच की बावड़ी	1
5.	काछोला	13	रा.उ.प्रा.वि. काछोला	1
6.	मेण्डी	16	रा.उ.प्रा.वि. मेण्डी	1
		19,20,21	रा.प्रा.वि. हिण्डौली	
7.	हिण्डौली	22,23,24	रा.सी.मा.वि. हिण्डौली	7
		25	रा.बा.सी.मा.वि. हिण्डौली	
8.	गोकुलपुरा	29	रा.उ.प्रा.वि. गोकुलपुरा	1
9.	विजयगढ़	33	रा.उ.प्रा.वि. विजयगढ़	2
		34	पंचायत भवन विजयगढ़	
10.	थाना	35, 36	रा.मा.वि. थाना	2
11.	सहसपुरिया	37	रा.उ.प्रा.वि. सहसपुरिया	1
12.	गोठडा	42, 43, 44	रा.सी.मा.वि. गोठड़ा	3
13.	रोनीजा	45, 46	रा.उ.प्रा.वि. रोनीजा	2
14.	जजाबर	48, 49	रा.सी.मा.वि. जजाबर	2
15.	भवानीपुरा	55	रा.उ.प्रा.वि. भवानीपुरा	1

1	2	3	4	5
16.	दबलाना	57, 58, 59	रा.सी.मा.वि. दबलाना	4
		60	रा.उ.प्रा.वि. दबलाना	
17.	धोवड़ा	61, 62	रा.मा.वि. धोवड़ा	2
18.	ओवण	66, 67	रा.उ.प्रा.वि. ओवण	2
19.	नेगढ़	68	रा.उ.प्रा.वि. नेगढ़	1
20.	खेरखटा	71	रा.मा.वि. खेरखटा	1
21.	गुढ़ा	74	रेस्ट हाउस सिंचाई विभाग गुढा	1
22.	मांगली कला	75, 76	रा.उ.प्रा.वि. मांगली कलां	2
23.	चतरगंज	78	रा.उ.प्रा.वि. चतरगंज	1
24.	चेंता	80, 81	रा.उ.प्रा.वि. चेंता	2
25.	अलोद	82, 83, 85	रा.सी.मा.वि. अलोद	4
		84	रा.प्रा.वि. अलोद	
26.	धाबाइयों का नयागांव	88	रा.मा.वि. धाबाइयों का नयागांव	1
27.	रानीपुरा	93, 94	रा.मा.वि. रानीपुरा	2
28.	सांवतगढ़	97	रा.उ.प्रा.वि. सांवतगढ़	2
	-	98	रेस्ट हाउस सिंचाई विभाग सांवतगढ़	
29.	बड़गांव	99	रा.उ.प्रा.वि. बड़गांव	1
30.	रामचन्द्रजी का खेडा	104	रा.उ.प्रा.वि. रामचन्द्रजी का खेड़ा	1
31.	बड़ोदिया	106, 107	रा.मा.वि. बड़ोदिया	2
32.	बड़ानयागांव	109	रा.मा.वि. बड़ानयागांव	2
		110	रा.बा.उ.प्रा.वि. बड़ानयागांव	
33.	डाटून्दा	114	रा.उ.प्रा.वि. डाटून्दा	1
34.	बसोली	115, 116	रा.मा.वि. बसोली	2
35.	खीण्या	117, 118	रा.मा.वि. खीण्या	2
36.	सथूर	120, 121	रा.मा.वि. सथूर	3
		122	पंचायत भवन सथूर	

1	2	3	4	5
37.	ठीकरदा	125, 126, 127	रा.मा.वि. ठीकरदा	3
38.	आंकोदा	128	रा.उ.प्रा.वि. आंकोदा	1
39.	डाबेटा	130	पंचायत भवन डाबेटा	1
40.	रामनगर	136	सहकारी गोदाम रामनगर	1
41.	गुढ़ानाथावतान	139, 140	रा.मा.वि. गुढ़ानाथावतान	2
42.	नीम का खेड़ा	142, 144	रा.उ.प्रा.वि. नीम का खेड़ा	3
		143	पंचायत भवन नीम का खेड़ा	
43.	उलेडा	147	रा.प्रा.वि. उलेड़ा	1
44.	मंगाल	150	रा.उ.प्रा.वि. मंगाल	1
45.	सीलोर	152, 153	रा.उ.प्रा.वि. सीलोर	2
			योग	83

ट्यूरिस्ट होटल गवर्नमेंट होस्टल के आबंटित आवास

424. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम की इकाइयां व मुख्यालय में कितनी शाखाएं हैं तथा उनके लिये वरिष्ठ प्रबन्धक/ प्रबन्धक /सहायक प्रबन्धकों के किस–किस पर कौन से पद स्वीकृत हैं? क्या स्वीकृत पदों के अनुरूप ही पदस्थापन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) ट्यूरिस्ट होटल गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर में आवास संख्या–1 से 16 तक किस–किस को किस आधार पर आवास आबंटित किये गये हैं तथा क्या उनके स्वयं के मकान भी हैं?

(3) उक्त आवासों के रख–रखाव पर कितना खर्च किया गया?

(4) क्या उक्त आवासों में बिना नगर निगम की स्वीकृति के कुछ कमरे किचिन बढ़ाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) निगम की 44 इकाइयों, 5 केन्द्रीय आरक्षण कार्यालयों एवं मुख्यालयों के 16 अनुभागों में वरिष्ठ प्रबन्धकों/प्रबन्धकों/सहायक प्रबन्धकों के स्वीकृत पदों एवं पदस्थापन की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। निगम एक वाणिज्यिक संस्थान है। अत: राजस्व को ध्यान में रखते हुये वरिष्ठ प्रबन्धकों/ प्रबन्धकों/सहायक प्रबन्धकों को अनुभव, कार्यकुशलता व प्रशासनिक क्षमता को देखते हुऐ इकाइयों/मुख्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

(2) टूरिस्ट होटल, गवर्नमेंट होस्टल के 1 से 16 तक के क्वार्टरों का आबंटन पर्यटन निदेशालय व निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्य की महत्ता/आवश्यकता के आधार पर किया गया है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

(3) आवासों के रख–रखाव पर वर्ष 2002–2003 में राशि रुपये 1.96 लाख का व्यय किया गया है।

(4) उक्त आवासों के परिसर के विहित सेट बैंक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इनमें केवल आन्तरिक परिवर्तन किये गये है जिनके लिए नगर निगम, जयपुर की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

परिशिष्ट–1

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित इकाइयों में वरिष्ठ प्रबन्धकों/ प्रबन्धकों/ सहायक प्रबन्धकों के स्वीकृत पदों एवं कार्यरत कार्मिकों की सूचना

क्र.सं.	इकाई का नाम	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत
1	2	3	4	5
1.	होटल गणगौर जयपुर	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	1
		प्रबन्धक	1	1
		सहायक प्रबन्धक	3	3
2.	होटल तीज जयपुर	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	1
		प्रबन्धक	1	1
		सहायक प्रबन्धक	2	2
3.	होटल स्वागतम जयपुर	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	—
		प्रबन्धक	—	1
		सहायक प्रबन्धक	2	2
4.	टूरिस्ट होटल जयपुर	प्रबन्धक	1	1
		सहायक प्रबन्धक	2	—
5.	दुर्ग कैफेटेरिया नाहरगढ़	प्रबन्धक	1	—
		सहायक प्रबन्धक	—	1
6.	पर्यटक ग्राम झील रामगढ़	प्रबन्धक	—	1
		सहायक प्रबन्धक	1	—
7.	मोटल बहरोड	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	—
		प्रबन्धक	1	1
		सहायक प्रबन्धक	3	2
8.	यातायात इकाई जयपुर	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	—
		प्रबन्धक	—	1
		सहायक प्रबन्धक	2	1
9.	मावठ आमेर	सहायक प्रबन्धक	1	1

1	2	3	4	5
10.	होटल खादिम अजमेर	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	1
		प्रबन्धक	1	—
		सहायक प्रबन्धक	2	3
11.	होटल घूमर जोधपुर	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	1
		प्रबन्धक	1	—
		सहायक प्रबन्धक	3	3
12.	होटल कजरी उदयपुर	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	2
		प्रबन्धक	1	—
		सहायक प्रबन्धक	3	2
13.	होटल मूमल जैसलमेर	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	—
		प्रबन्धक	—	1
		सहायक प्रबन्धक	2	2
14.	होटल शिखर माउंट आबू	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	1
		प्रबन्धक	1	1
		सहायक प्रबन्धक	1	1
15.	होटल ढोलामारु बीकानेर	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	1
		प्रबन्धक	—	—
		सहायक प्रबन्धक	1	1
16.	होटल सारस भरतपुर	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	1
		सहायक प्रबन्धक	2	2
17.	होटल पन्ना चित्तौड़गढ़	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	—
		प्रबन्धक	—	1
		सहायक प्रबन्धक	1	—
18.	होटल गोकुल नाथद्वारा	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	1
19.	यात्रिका निवास नाथद्वारा	प्रबन्धक	1	—
		सहायक प्रबन्धक	—	1

1	2	3	4	5
20.	होटल झूमर बावड़ी सवाईमाधोपुर	प्रबन्धक	1	—
		सहायक प्रबन्धक	—	1
21.	होटल विनायक सवाईमाधोपुर	सहायक प्रबन्धक	1	1
22.	होटल गवरी ऋषभदेव	प्रबन्धक	1	—
		सहायक प्रबन्धक	—	1
23.	होटल चम्बल कोटा	प्रबन्धक	1	1
		सहायक प्रबन्धक	—	2
24.	होटल सरोवर पुष्कर	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	1
		सहायक प्रबन्धक	1	—
25.	पर्यटक ग्राम पुष्कर	प्रबन्धक	1	—
		सहायक प्रबन्धक	1	1
26.	होटल लैक पैलेस सिलिशैढ़	प्रबन्धक	1	—
		सहायक प्रबन्धक	—	1
27.	होटल टाइगर डेन सरिस्का	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	1
		सहायक प्रबन्धक	1	1
28.	होटल शिल्पी रणकपुर	प्रबन्धक	1	—
		सहायक प्रबन्धक	—	1
29.	होटल रतनगढ़	प्रबन्धक	—	1
		सहायक प्रबन्धक	1	—
30.	मोटल रतनपुरा	प्रबन्धक	1	—
		सहायक प्रबन्धक	—	1
31.	मोटल महुवा	प्रबन्धक	1	1
32.	मोटल बर	सहायक प्रबन्धक	1	1
33.	मोटल देवगढ़	सहायक प्रबन्धक	1	1
34.	मोटल पोकरण	प्रबन्धक	1	—
		सहायक प्रबन्धक	—	1
35.	होटल हवेली फतेहपुर	प्रबन्धक	1	1

1	2	3	4	5
36.	मोटल दौसा	सहायक प्रबन्धक	1	1
37.	मोटल शाहपुरा	प्रबन्धक	1	1
38.	होटल वृन्दावती बूंन्दी	प्रबन्धक	1	1
		सहायक प्रबन्धक	—	1
39.	होटल मीनल अलवर	प्रबन्धक	1	1
		सहायक प्रबन्धक	—	1
40.	मोटल धौलपुर	प्रबन्धक	1	—
		सहायक प्रबन्धक	—	1
41.	होटल पणिहारी पाली	प्रबन्धक	1	—
		सहायक प्रबन्धक	—	1
42.	होटल चिरमी चूरू	सहायक प्रबन्धक	—	1
43.	होटल खड़ताल बाड़मेर	—	—	—
44.	होटल झुंझुनुं	सहायक प्रबन्धक	—	1

राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्तमान में संचालित वरिष्ठ प्रबन्धकों, प्रबन्धकों, आरक्षण कार्यालयों पर सहायक प्रबन्धक के स्वीकृत/कार्यरत की सूचना

क्र.सं.	इकाई का नाम	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत
1	2	3	4	5
1.	केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय नई दिल्ली	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	1
		सहायक प्रबन्धक	1	1
2.	केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय अहमदाबाद	सहायक प्रबन्धक	1	1
3.	केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय मुख्यालय जयपुर	प्रबन्धक	—	1
		सहायक प्रबन्धक	1	1
4.	केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय, चैन्नई	सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)	1	1
5.	केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय, मुम्बई	कोई पद स्वीकृत नहीं है निगम के आरक्षण का कार्य पर्यटन निदेशालय के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।		
6.	केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय, कोलकाता	कोई पद स्वीकृत नहीं है निगम के आरक्षण का कार्य पर्यटन निदेशालय के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।		

राजस्थान पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय अनुभागों में वरिष्ठ प्रबन्धकों, प्रबन्धकों, सहायक प्रबन्धकों के स्वीकृत पदों एवं कार्यरत कार्मिकों की सूचना

1. कार्मिक अनुभाग मुख्यालय जयपुर	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	—
	उप वरिष्ठ प्रबन्धक (प्रशासन)	1	1
	प्रबन्धक	1	—
2. आयोजना एवं पर्यवेक्षण मुख्यालय, जयपुर	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	1
3. यातायात अनुभाग मुख्यालय, जयपुर	सहायक प्रबन्धक	1	—
4. फूड एवं ब्रेवरीज मुख्यालय, जयपुर	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	1
	प्रबन्धक	1	—
	सहायक प्रबन्धक	1	1
5. सूचना अनुभाग, मु. जयपुर	प्रबन्धक	—	1
6. लाइब्रेरी, संचालक मण्डल की बैठक मुख्यालय, जयपुर	वरिष्ठ प्रबन्धक	—	1
7. प्रचार एवं प्रसार अनुभाग मुख्यालय, जयपुर	प्रबन्धक	1	1
8. पर्यटक अभाव अभियोग अनुभाग मुख्यालय, जयपुर	वरिष्ठ प्रबन्धक	—	1
9. स्टोर एवं क्रय शाखा मुख्यालय, जयपुर	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	1
10. बीयर ट्रेड अनुभाग मुख्यालय, जयपुर	वरिष्ठ प्रबन्धक	1	—
	प्रबन्धक	—	1
	सहायक प्रबन्धक	1	—
11. बीयर होलसेल, मुख्यालय, जयपुर	प्रबन्धक	1	—

12. शाही रेलगाड़ी	वरिष्ठ प्रबन्धक	2	1
	प्रबन्धक	1	3
	सहायक प्रबन्धक	2	2
13. अतिथि सैल पर्यटन निदेशालय, जयपुर	प्रबन्धक	1	1
14. सामान्य प्रशासन, मुख्यालय, जयपुर	वरिष्ठ प्रबन्धक	—	1
15. वित्त अनुभाग	—	—	—
16. कार्य अनुभाग	—	—	—

कुल स्वीकृत पदों की संख्या

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत पद	पदस्थापित पद
1.	वरिष्ठ प्रबन्धक	22	22
2.	प्रबन्धक	40	26
3.	सहायक प्रबन्धक	54	54

परिशिष्ट-2

टूरिस्ट होटल, जयपुर में आबंटित आवासों की सूची

क्र.सं.	क्वाटर नम्बर	अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें आवास आबंटित हैं	पद	आबंटियों के स्वयं के मकानों का विवरण
1	2	3	4	5
1.	1	श्री यादवेन्द्र सिंह राठौड़	वरिष्ठ प्रबन्धक	जयपुर में स्वयं का मकान नहीं है।
2.	2	श्री अजय शर्मा	पर्यटक अधिकारी, पर्यटन निदेशालय	जयपुर में स्वयं का मकान नहीं है।
3.	3	श्री विक्रम सिंह	प्रबन्धक	पत्नी के नाम मकान अभी खरीदा है, जो निर्माणाधीन है।
4.	4	श्री डी. के. विश्नोई	प्रबन्धक	पत्नी के नाम मकान जयपुर में हैं।
5.	5	श्री शीतल माथुर	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	जयपुर में स्वयं का मकान नहीं है।
6.	6	श्री सुरेश कल्ला	प्रबन्धक (वित्त)	जयपुर में स्वयं का मकान नहीं है।
7.	7	श्री दिलीप सिंह	पर्यटक अधिकारी, पर्यटन निदेशालय	जयपुर में स्वयं का मकान नहीं है।
8.	8	श्री रतन सिंह राठौड़	सतर्कता अधिकारी	जयपुर में स्वयं का मकान नहीं है।
9.	9	श्री अश्वनी जैन	वरिष्ठ निजी सहायक	जयपुर में स्वयं का मकान नहीं है।
10.	10	श्री आनन्द त्रिपाठी	सहायक निदेशक, पर्यटन निदेशालय	जयपुर में स्वयं का मकान है।
11.	11	श्रीमती कन्नीज भट्टी	प्रबन्धक	जयपुर में स्वयं का मकान नहीं है।

1	2	3	4	5
12.	12	श्री जगन्नाथ वर्मा	विधायक, बी.जे.पी.	राज्य सरकार द्वारा आबंटित
13.	13	पत्रकार एसोसिएशन (जार)	राज्य सरकार द्वारा आबंटित	राज्य सरकार द्वारा आबंटित
14.	14	श्री लालचन्द शर्मा	वरिष्ठ निजी सहायक	जयपुर में स्वयं का मकान नहीं है।
15.	15	श्री शशि कुमार सक्सैना	सहायक निदेशक, पर्यटन निदेशालय	जयपुर में स्वयं का मकान नहीं है।
16.	16	श्री पी. एस. भाटी	प्रबन्धक	जयपुर में स्वयं का मकान नहीं है।

चम्बल शुद्धिकरण हेतु राशि प्राप्त करने के लिये किये गये प्रयास

425. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भारत सरकार ने राजस्थान में बहने वाली नदी चम्बल के शुद्धिकरण हेतु कितनी राशि का आबंटन किया था तथा आबंटित राशि में से कितनी राशि राजस्थान सरकार ने प्राप्त कर ली है? यदि नहीं, तो क्यों और चम्बल शुद्धिकरण का कार्य अभी तक प्रारम्भ क्यों नहीं हुआ?

(2) क्या उक्त सम्बन्ध में राशि प्राप्त नहीं हुई? यदि हां, तो क्या सरकार ने आबंटित राशि प्राप्त करने हेतु चम्बल शुद्धिकरण परियोजना तैयार कर भारत सरकार को भिजवा दी?

(3) क्या सरकार चम्बल शुद्धिकरण के विरुद्ध है? यदि नहीं, तो फिर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत कोटा एवं केशोरायपाटन में चम्बल नदी में प्रदूषण निवारण हेतु 1393.68 लाख रुपये अनुमोदित किए थे जिनमें से 116.784 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है एवं अब तक 50.00 लाख रुपये राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

(2) उक्त सम्बन्ध में अब तक 50.00 लाख रुपये प्राप्त हो चुके है।

(3) जी नहीं। उक्त योजनान्तर्गत चम्बल नदी में प्रदूषण निवारण हेतु कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

कतारपुरा, जयपुर में निर्मित पार्क का विकास

426. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) यह सही है कि करतारपुरा स्थित कृष्णा नगर–ए (जोन बी–2) का नियमन शुल्क जमा हो चुका है? यदि हां, तो कब? उक्त तिथि को उक्त नगर के कितने प्लाटों का शुल्क जमा हुआ है तथा कितने शेष रहे?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी में एक 531 वर्ग गज का पार्क गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा छोड़ा गया था?

(3) क्या उक्त पार्क में शिव परिवार व श्री हनुमानजी का मन्दिर भी स्थापित है?

(4) क्या यह भी सही है कि नियमन के दौरान गृह निर्माण सहकारी

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा संशोधित करके पेश किया और उक्त पार्क पर भू-माफिया ने कब्जा करने की कोशिश की है?

(5) क्या यह सही है कि उक्त कब्जे की शिकायत स्थानीय निवासियों द्वारा राज्य सरकार तथा जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को की गई? यदि हां, तो अब तक उक्त पर क्या कार्यवाही की गई है? उक्त प्रकरण में किस-किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) अब सरकार कब तक उक्त पार्क को कब्जे में लेकर उसका विकास करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(7) उक्त पार्क को भू-माफियाओं से बचाने के लिये अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि उक्त पार्क का पट्टा उपायुक्त जोन बी-2 द्वारा किसी को जारी कर दिया गया है? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

(9) क्या अब तक उक्त पट्टा निरस्त किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो क्या पट्टा जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि करतारपुरा स्थित कृष्णानगर ए (बी-2) का नियमन शुल्क जमा हो चुका है। दिनांक 27.2.2003 तक 35 भूखण्डों का नियमन शुल्क जमा हो चुका है तथा नियमन शुल्क जमा करने से 17 भूखण्ड शेष रहे है।

(2) जी नहीं। समिति के द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में 531.00 वर्ग गज का पार्क नहीं छोड़ा गया है।

(3) योजना में पार्क नहीं है किन्तु भूखण्ड संख्या 28-बी के दक्षिण पूर्वी कोने में तथा भूखण्ड संख्या 28 के पीछे दक्षिण में शिव मुर्तियां स्थापित है।

(4) जी नहीं। नियमन कैम्प के दौरान गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में नक्शा संशोधित करके पेश नहीं किया है। नक्शे में पार्क सृजित नहीं है।

(5) जी हां। कब्जे की शिकायत स्थानीय निवासियों द्वारा (विकास समिति द्वारा) जयपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 1.2.2003 को की गई है, शिकायत पर जांच कार्यवाही की जा रही है, तथा विधिक परिक्षण विचाराधीन है अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई गई है।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(6) समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में पार्क नहीं दर्शाया गया है फिर भी विधिक परिक्षण के पश्चात् जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी की जावेगी।

(7) समिति द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में पार्क नहीं है तथा इस प्रकरण में विधिक परीक्षण कराया जा रहा है।

(8) यह सही है कि कथित पार्क के भूखण्ड संख्या-28बी का लीजडीड 280.27 वर्गगज की दी गई। लीजडीड समिति द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व जोनल स्तरिय कमेटी के निर्णय के अनुसार दिया गया है।

(9) उक्त पट्टा निरस्त करने के सम्बन्ध में विधिक परीक्षण करवाया जा रहा है विधिक परीक्षण पश्चात् उचित निर्णय लिया जावेगा।

अजमेर शहर में शहरी बस सेवा का संचालन

427. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर आगार मुख्य प्रबन्धक द्वारा अजमेर के पैराफेरी क्षेत्र में स्थित जनाना चिकित्सालय, नारेली तीर्थ क्षेत्र सहित ग्राम नारेली एवं अन्य ग्राम पालरा, बडल्यां, गगवाना तक सिटी बस रोडवेज द्वारा संचालित करने के प्रस्ताव प्रेषित किये हैं? यदि हां, तो कब?

(2) राज्य के किन-किन शहरों में सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है?

(3) अजमेर शहर एवं पैराफेरी क्षेत्र के लिए पथ परिवहन निगम प्रशासन द्वारा कब तक सिटी बस सेवा शुरू की जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। जिला स्तरीय यातायात सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 2.12.1999 में प्रस्तुत प्रस्ताव को मुख्य प्रबन्धक, अजमेर द्वारा दिनांक 22.1.2000 को मुख्यालय प्रेषित किया गया था। जिसकी प्रति परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) राज्य के जिन शहरों में सिटी बस चल रही हैं, उनकी सूची परिशिष्ट "2" पर है।

(3) अजमेर शहर एवं पैराफेरी क्षेत्र में राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा सिटी बस सेवा शुरू करने का कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट–1

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, अजमेर आगार

क्रमांक मु.प्र./अज/सामा/2000/343　　**दिनांक 22.1.2000**

श्रीमान् कार्यकारी निदेशक (यातायात),
राजस्थान परिवहन निगम,
मुख्यालय, जयपुर।

विषय :- अजमेर शहर में निगम की सिटी बसों के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 2.12.1999 को जिला कलक्टर महोदया की अध्यक्षता में " " जिला परिवहन समन्वय समिति की आयोजित बैठक में श्री ललित भाटी, विधायक, अजमेर (पूर्व) द्वारा अजमेर शहर में निगम की सिटी बसें शीघ्र प्रारम्भ किये जाने हेतु जोर दिया गया है।

अत: सिटी बसों के संचालन हित प्रस्ताव श्रीमान् की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय
मुख्य प्रबन्धक
अजमेर-आगार
सह सदस्य सचिव, जिला परिवहन
समन्वयक समिति, अजमेर।

परिशिष्ट-"2"

राजस्थान के उन शहरों की सूची जहां सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है :

1. जयपुर
2. अलवर
3. भरतपुर
4. चित्तौड़गढ़
5. भीलवाड़ा
6. बीकानेर
7. हनुमानगढ़
8. सवाईमाधोपुर
9. जोधपुर
10. उदयपुर
11. राजसमन्द
12. बांसवाड़ा
13. डूंगरपुर
14. पाली
15. जालौर
16. कोटा
17. अजमेर
18. टौंक

बरड़ क्षेत्र (बून्दी) में अवैध खनन

428. श्री प्रभुलाल करसोल्या (नैनवां) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला कलक्टर बून्दी ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.1.2000 की प्रति भिजवाते हुए अपने पत्र क्रमांक न्याय/2000/252-54 दिनांक 17.2.2000 से खनिज अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बून्दी व जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी को क्या लिखा था? क्या जिला कलक्टर बून्दी के उक्त पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना उक्त द्वारा की गई? यदि हां, तो कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले के बरड़ क्षेत्र में स्थित हजारों बीघा सिवाय चक वाली खनन भूमि पर एक जाति समुदाय विशेष के व्यक्तियों द्वारा जबरन अतिक्रमण करके अवैध रूप से खनन कार्य किया जा रहा है तथा क्षेत्र में आतंक फैलाकर सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की राजस्व राशि का सीधा-सीधा आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उक्त सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर, बून्दी ने अपने पत्र क्रमांक न्याय/2000/252-54 दिनांक 17.2.2000 से माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 20.1.2000 की प्रति भिजवाते हुए खनि. अभियन्ता, प्रथम बून्दी को निम्न निर्देश दिये गये थे– राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रिवीजन पिटीशन संख्या 1900/99 दलपत सिंह बनाम राजस्थान राज्य में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 20.1.2000 की प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न भिजवाई जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में पट्टा संख्या एमएल.25/96 की डेड रेंट राशि जमा कर रसीद तुरन्त पिटिशनर को उपलब्ध करावें तथा न्यायालय के निर्णय की पालना सुनिश्चित करें। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.1.2000 के अनुसार सर्वप्रथम पिटिशनर को दिनांक 3.12.1999 तक का डेड रेंट जमा करवाना था लेकिन पिटिशनर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में बकाया डेड रेंट जमा नहीं करवाया, इस प्रकार पिटिशनर द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना

(खनिज मंत्री)

नहीं करने से खनि. अभियन्ता, बून्दी द्वारा माननीय न्यायालय व जिला कलक्टर बून्दी के निर्देशों के तहत किसी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही नहीं की जानी थी।

(2) जी नहीं। क्योंकि पिटिशनर को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.1.2000 की पालना में दिनांक 3.12.1999 तक का डेड रेंट जमा करवाया जाना था। जो उनके द्वारा जमा नहीं करवाया गया। अतः खनि. अभियन्ता को निर्णय के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही नहीं करनी थी, इस प्रकार इनमें किसी भी अधिकारी का दोष नहीं होने से किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जानी है।

(3) जी हां। यह सही है कि बून्दी जिले के बरड़ क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने सरकारी सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है अतिक्रमण एक जातिसमुदाय के विशेष के व्यक्ति न होकर भिन्न-भिन्न जाति के लोग हैं। अतिक्रमण हटाने हेतु जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक 21.6.2001 को ली गई बैठक में अतिक्रमण हटाने की सक्षम कार्यवाही करने हेतु रुपये 2,50,000/- का बजट शीघ्र स्वीकृत किये जाने हेतु राज्य सरकार (गृह एवं राजस्व विभाग, जयपुर) से निवेदन किया गया जो अभी तक अपेक्षित है। अतिक्रमण समाप्त होने पर नये खनन पट्टे आबंटित हो सकते हैं, जिनसे सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है। अवैध खनन की रोकथाम हेतु कार्यालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में नियमित चैकिंग के साथ-साथ समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर अवैध खनन की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाता है। वर्तमान में कार्यालय क्षेत्राधिकार में अतिक्रमित क्षेत्रों में कहीं भी अवैध खनन नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में पिछले वर्षों में अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम कर वसूल की गई राशि व जब्त किये गये औजारों का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट अ)

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि. अभियन्ता, खण्ड प्रथम, बूंदी (राज.)

अवैध खनन/निर्गमन मामलों का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	बनाये गये मदनामे/ मौका रिपोर्टों की संख्या	अवैध खनन/ निर्गमन से वसूल की गई राशि	जब्त किये गये औजारों की संख्या
1.	1999–2000	29	3,09,792/–	78
2.	2000–2001	16	92,800/–	–
3.	2001–2002	25	1,16,620/–	108
4.	2002–2003 (माह जनवरी 2003 तक)	6	7,000/–	171

कायढ ग्राम (अजमेर) में जायरीनों हेतु आबंटित भूमि

429. श्री कय्यूम खान (मसूदा) एवं **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति (वक्फ) को जयपुर रोड पर अजमेर के कायढ गांव में दरगाह आने वाले तीर्थ यात्रियों के ठहराने हेतु विश्राम स्थली के लिए भूमि का निरीक्षण करवाया था? यदि हां, तो क्या उक्त पर सरकार की कोई योजना है और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त भूमि पर दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहिब अजमेर विश्राम स्थली निर्माण करना चाहती है? यदि हां, तो क्या दरगाह कमेटी को उक्त भूमि निःशुल्क हस्तान्तरित की जा रही है?

(3) क्या अब दरगाह कमेटी को भूमि निःशुल्क हस्तान्तरित की जायेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि संयुक्त संसदीय समिति (वक्फ) को जयपुर रोड पर अजमेर के कायढ गांव में दरगाह आने वाले तीर्थ यात्रियों के ठहरने हेतु विश्राम स्थली के लिए भूमि का निरीक्षण करवाया था।

(2) जी हां। दरगाह कमेटी विश्राम स्थली का निर्माण कराना चाहती हैं। जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 21.2.2003 द्वारा 150–10 बीघा भूमि दरगाह कमेटी को ग्राम कायढ में आबंटित की है उक्त भूमि निःशुल्क आवंटित की गयी है।

(3) जिला कलक्टर अजमेर ने आदेश दिनांक 21.2.2003 द्वारा दरगाह कमेटी को 150 बीघा भूमि निःशुल्क 99 वर्ष की अवधि के लिये लीज पर आबंटित की है।

ग्राम सीथल (अलवर) में सड़क निर्माण

430. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम सीथल पंचायत समिति तिजारा (अलवर) में कारगिल में शहीद हुये श्री विजय सिंह की मूर्ति से ग्राम की चौपाल तक 2 लाख रुपये की लागत से सी.सी. रोड कब स्वीकृत हुई थी?

(2) उक्त सम्बन्ध में जिला विकास अभिकरण अलवर को क्षेत्रीय विधायक ने कब–कब कितने–कितने पत्र लिखे? पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कार्यकारी ऐजेंसी बदल दी गई है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त कार्य चालू हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) अब सरकार उक्त कार्य कब तक चालू करा देगी और उक्त में विलम्ब के लिये कौन अधिकारी दोषी है?

उत्तर

(1) ग्राम सीथल पंचायत समिति तिजारा (अलवर) में तारकोल सड़क से ग्राम चोपाल तक सी.सी. रोड माननीय विधायक महोदय की अभिशंसा पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाने हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अलवर द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 3.3.2001 एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 25.7.2001 को जारी की गयी है।

(2) उक्त सम्बन्ध में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अलवर को माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय द्वारा जब-जब पत्र लिखे गये उनका विवरण निम्नानुसार है :

पत्र	दिनांक
प्रथम पत्र	8.12.2001
द्वितीय पत्र	29.11.2001
तृतीय पत्र	4.12.2001
चतुर्थ पत्र	27.7.2002
पंचम पत्र	19.3.2002
षष्टम पत्र	20.5.2002
सप्तम पत्र	11.7.2002
अष्टम पत्र	18.8.2002

पत्रों की प्रतियां संलग्न परिशिष्ट-'1' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। दिनांक 1.11.2002 को कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्थान पर ग्राम पंचायत सीथल बनायी गयी।

(4) जी नहीं। क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग को दी गयी प्रथम किस्त की राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में दिनांक 13.3.2003 को प्राप्त होने के बाद जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा उक्त राशि पंचायत को दिनांक 15.3.2003 को हस्तान्तरित की गयी हैं।

(5) उक्त कार्य को शीघ्र ही प्रारम्भ करने का प्रयास किया जायेगा। वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद कार्यकारी संस्था को बदलने का प्रस्ताव आने से कार्य में विलम्ब हुआ।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

विधान सभा क्षेत्र खारची (पाली) में सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य

431. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधायकों की अनुशंसा पर सड़क उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण योजना के तहत कृषि मण्डी समिति के माध्यम से कार्य करवाए जाने हैं?

(2) वर्ष 2001-2002 व 2002-2003 में उक्त योजना के तहत विधान

(श्री केसाराम चौधरी)

सभा क्षेत्र खारची में कितनी-कितनी सड़कों के कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये?

(3) उक्त सड़कों में से कितनी सड़कों का कार्य पूर्ण करवा दिया गया व कितने कार्य चल रहे हैं तथा कितने कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुये हैं?

(4) उक्त सड़कों पर स्वीकृत राशि के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

उत्तर

(1) सड़क उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण योजना (प्रथम व द्वितीय चरण) के तहत स्वीकृत सड़कों का चयन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। इस परियोजना के तहत जो सड़क कार्य बोर्ड को आबंटित किये गये, उनका कार्य बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है।

(2) उक्त योजना के 'प्रथम चरण' वर्ष 2001-2002 में खारची विधान सभा क्षेत्र की 3 सड़कें 6.00 कि.मी. लम्बाई, राशि 13.50 लाख की एवं 'द्वितीय चरण' वर्ष 2002-2003 के दौरान 7 सड़कें 58.20 कि.मी., राशि 145.50 लाख की स्वीकृति बोर्ड को प्राप्त हुई।

(3) खारची विधान सभा क्षेत्र में 'प्रथम चरण' में स्वीकृत सभी तीन सड़कों का कार्य पूर्ण करवा दिया गया है तथा 'द्वितीय चरण' में स्वीकृत सात सड़कों में से तीन का डामरीकरण कार्य पूर्ण हो गया है तथा चार पर कार्य प्रगति पर है, जिन्हें निर्धारित अवधि तक पूर्ण कराया जायेगा।

(4) उक्त सड़कों पर प्रथम चरण में स्वीकृत कुल राशि रुपये 13.50 लाख के विरुद्ध 11.23 लाख रुपये एवं द्वितीय चरण में स्वीकृत राशि रुपये 145.50 लाख के विरुद्ध 27.58 लाख का व्यय किया गया।

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रीयकृत प्रवेश योजना के तहत शुल्क में वृद्धि

432. श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर) एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की केन्द्रीयकृत प्रवेश योजना जयपुर शहर स्नातक पाठ्यक्रम प्रथम भाग शैक्षणिक सत्र 2002-2003 में बी.बी.ए. पाठ्यक्रम (स्ववित्तपोषी) अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्रों का शुल्क वाणिज्य महाविद्यालय, जयपुर के लिए रुपये 4800/-निर्धारित किया गया था और उनसे शुल्क रुपये 9800/- वसूला गया? यदि हां, तो क्यों?

(श्री रोहिताश्व कुमार)

(2) क्या यह भी सही है कि निजी संस्थाएं उक्त पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का अधिकतम डेढ़ गुना शुल्क ले सकती थीं और विश्वविद्यालय प्रशासन ने निजी संस्थाओं के दबाव में आकर इस प्रकार की शुल्क वृद्धि की है? यदि नहीं, तो बिना किसी कारण एवं सूचना के शुल्क वृद्धि का क्या कारण था?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान विश्वविद्यालय केन्द्रीयकृत प्रवेश योजना स्नातक प्रथम भाग शैक्षणिक सत्र 2002-2003 में बी.बी.ए. पाठयक्रम (स्ववित्तपोषी) हेतु निर्धारित फीस 9000/- रुपये है तथा रुपये 800/- कम्प्यूटर फीस के हैं।

(2) निजी शिक्षण संस्थाएं किसी पाठ्यक्रम हेतु राजकीय महाविद्यालयों द्वारा चार्ज किये जाने वाले शुल्क से 50 प्रतिशत अधिक शुल्क ले सकती हैं।

जी नहीं। इस पाठ्यक्रम हेतु रुपये 9000/- वार्षिक शुल्क व्यावसायिक प्रशासन विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 22, 24 जून, 2002 में निर्धारित किया गया था।

जयपुर एवं बीकानेर के संग्रहालयों का रख-रखाव

433. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर एवं जयपुर संग्रहालय में पुरातत्व महत्व की एंटीक वस्तुएं रख-रखाव के अभाव में खराब होती जा रही हैं? यदि हां, तो इन्हें बचाने के लिये अब तक क्या-क्या उपाय किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर स्थित विभाग की प्रयोगशाला में फ्यूमिगेशन चैम्बर गैस प्लांट व अन्य उपकरण खराब पड़े हुये हैं? यदि हां, तो उक्त के लिये कौन-कौन दोषी हैं एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बीकानेर संग्रहालय में पुरा महत्व की एंटीक वस्तुएं सुरक्षित व अच्छी स्थिति में हैं। एवं उनका रख-रखाव संतोषप्रद है। पुरा सामग्री का समय-समय पर रसायनिक उपचार करवाया जाता रहा है।

राजकीय केन्द्रीय संग्रहालय, जयपुर के गोदाम भवन के निचले हिस्से में स्थित हैं, जहां वर्ष 1981 की बाढ़ एवं वर्ष 1998 में सीवरेज लाइन का पानी भर जाने के कारण कला एवं पुरा-सामग्री

(कला एवं संस्कृति मंत्री)

पर दुष्प्रभाव हुआ। वर्तमान में जयपुर संग्रहालय के गोदामों में रखी पुरा वस्तुओं का संधारण संतोषप्रद है।

(2) 1. **फ्यूमीगेशन चेम्बर :** यह एक लकड़ी से निर्मित बक्सा है। यह आज भी आवश्यकतानुसार काम में लिया जा रहा है।

2. **गैस प्लांट :** यह उपकरण 1970 में क्रय किया गया था। यह उपकरण निदेशालय के आदेश क्रमांक 7792-7825 दिनांक 29.8.2001 द्वारा गठित समिति के द्वारा एवं विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 3/पु.स./नकारा/अनुपयोगी/लेखा/2001/869 दिनांक 17.1.2002 द्वारा अनुपयोगी घोषित किया जा चुका है। पुरानी तकनीक के इस प्लांट के स्थान पर विद्युत चालित हीटर के द्वारा कार्य सम्पन्न किया जाता है। क्योंकि पुरानी तकनीक के इस गैस प्लांट का उपयोग वर्तमान में महंगा था।

3. **अन्य उपकरण :** प्रयोगशाला में रखे अन्य उपकरण पुराने अवश्य हो चुके है, परन्तु आवश्यकतानुसार अब भी काम में लिये जा रहे है।

रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में अवैध निर्माण

434. **डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) :** क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) रणथम्भौर बाघ परियोजना का आरक्षित क्षेत्र कितना है? गांव का खसरा नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रतिबन्धित क्षेत्र में लोगों द्वारा अवैध तरीके से होटल निर्माण करा लिये गये हैं? यदि हां, तो किस किसके द्वारा कौन-कौन से खसरा नम्बर में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे होटल निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रणथम्भौर बाघ परियोजना का आरक्षित वन क्षेत्र 66691.6 हैक्टेयर है। वन भूमि की ग्रामवार एवं खसरावार सूची संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजस्व, बन्दोबस्त तथा वन विभाग के द्वारा प्रतिबन्धित क्षेत्र के सम्बन्ध में किये जाने वाले संयुक्त सर्वे के उपरान्त ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(3) प्रश्न के भाग संख्या-2 में दर्शाये अनुसार संयुक्त सर्वे के उपरान्त वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने पर ही प्रचलित नियमों/कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट "क"

रणथम्भौर बाघ परियोजना के आरक्षित क्षेत्र में आने वाली वन भूमि का ग्रामवार एवं ग्राम में सम्मिलित खसरों का नम्बरवार विवरण

क्र.सं.	नाम ग्राम	ग्राम में सम्मिलित खसरा नम्बर
1	2	3
1.	किला खण्डार	1, 3
2.	कस्बा खण्डार	4, 8, 12, 31, 49, 52, 233, 6, 606, 609
3.	बनींपुरा	1 से 4, 50/1
4.	सनवास	128 से 132, 236, 235, 237, 232, 233, 234, 127
5.	पर्सीपुरा	3
6.	गोंटबिहारी	565
7.	कचीदाकला	–
8.	कचीदा–खुर्द	1
9.	लकरदा	1 से 19, 35 से 37, 123, 132, 145 से 147, 166 से 170
10.	बेरड़ा	1 से 7, 15/1, 18 से 28
11.	इटाबड़ा	1 से 20, 26, 28, 29, 49, 50, 124
12.	कुशालपुरा	1, 3/1, 3/3, 25 से 31, 65 से 69
13.	सनवास कचदा	1/1, 2/7
14.	गोट विहारी	1, 174
15.	रवाजनाडूंगर	64, 137 से 139, 148 से 151, 153, 212, 381 से 383, 407
16.	रवाजना चोर	968
17.	फलौदी	508/642, 78/643, 508/645, 508/647, 508/648, 508/649, 508/64, 508/64, 508/50

1	2	3
18.	पचोलास	1321, 1406 से 1408, 1414, 1327 से 1329, 1323, 1330, 1411, 1317, 1318, 1348, 1412, 1409, 1410, 1322, 1324.
19.	सवाईमाधोपुर	1 से 5, 52, 59, 63, 71, 106, 198, 347, 558, 654, 717 से 719, 839, 840, 843, 844, 865, 919 से 928
20.	नीमलीखुर्द	213, 235 से 245, 311, 371 से 376
21.	कुशालीपुरा	67, 69, 72, 76 से 85, 1 से 9, 43, 64 से 66
22.	हलौंदा	1, 2, 102 से 111, 232 से 238, 246, 248, 290, 291
23.	फलौदी	3 से 5, 9, 10, 11/1
24.	ख्वाजना-डूंगर	247, 333 से 335
25.	कलीभट्ट	1, 2, 16 से 20, 26 से 28, 32 से 34, 112 से 114
26.	हजमखेरी	1 से 22, 27 से 29
27.	हिन्दबार	1 से 4, 83, 230, 231, 35 से 38, 38/49, 39 से 45
28.	श्योपुरा	109
29.	जूवर	657 से 660
30.	नीमलीकलां	146 से 149, 207 से 225
31.	बोरिफ	499
32.	आलनपुर	581, 586 से 590, 593 से 594, 596, 600, 699, 706, 708, 712, 1723, 1724, 1726, 1728, 1731 से 1735, 1737

1	2	3
33.	अजीतपुरा	1, 2, 106
34.	आवन्द	1 से 3, 8, 9, 11, 12, 22 से 33, 35, 56 से 61, 61/2, 61/3, 62 से 64
35.	डोलाडा देवपुरा	1 से 3, 113 से 125
36.	टोडरा	144 से 147
37.	मेहलखन्द	1 से 5, 54 से 61, 96 से 100, 4 से 26, 38, 39, 40/1, 43, 265, 1/404, 2/405, 3/406, 4/407, 5/408, 6/409, 7/410, 285
38.	भेरूपुरा	1 से 20, 26 से 41, 46, 47, 83 से 88, 90 से 92
39.	खण्डार	30, 104 से 109
40.	प्रेमपुरा	1 से 4, 64 से 72
41.	उमरी फिरोजपुर	1 से 34, 34/32, 34/36, 34/37, 34/39, 34/35, 34/40, 34/41, 34/42
42.	राबारा	1 से 3, 99, 57, 56, 54, 55, 100
43.	माई खुर्द	1 से 3, 3/47, 4 से 7, 9, 10
44.	माई कला	1 से 8, 99, 71
45.	पाबन्दी	1, 2, 10, 8, 9
46.	फिरया	1 से 10
47.	चन्दाली	761,
48.	लापुर	1095
49.	कुशालीपुरा	67 से 71, 73, 74
50.	अजबपुरा	1 से 17

1	2	3
51.	हिलोंदा	15 से 19, 24, 77 से 7985, 92 से 98, 116 से 118, 124 से 135
52.	टुमोड़ा	1 से 4, 29, 89, 94, 322, 323, 330, 360, 361, 1/366, 362, 2/364, 1/365, 1/367, 2/367, 345
53.	जालफाखेरी	165 से 169
54.	बोदल	1 से 12, 193 से 199, 201 से 207,
55.	निचाई	1 से 4, 6, 7, 9, 13, 17, 94, 97 से 104, 147, 105, 146, 148 से 155, 154/158, 154/162, 155/157
56.	मायापुर	1 से 7, 10 से 20
57.	छान	1 से 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/2, 8/2, 14, 146, 172, 181, 182, 1/1326, 1/1327, 873
58.	अल्लापुर	1, 2
59.	बहरावण्डा	1, 2
60.	नागदी रेहमानपुरा	1 से 3, 51, 75, 76, 85 से 110
61.	गुडा	1, 4, 12 से 36
62.	मोरडूंगरी	1, 36, 40, 41, 59, 61 से 132.
63.	खलवारा	1 से 12
64.	शेरपुरा	1 से 4
65.	झण्डाला	1, 1/46, 1/47, 2 से 25, 34, 42, 48, 49, 52, 53.
66.	चिरोली	1 से 4, 6, 11 से 13, 22 से 29, 59, 78 से 100

1	2	3
67.	पादरा	1 से 17, 56, 83 से 85, 88, 99, 103/1, 104, 106 से 110, 112 से 124
68.	फूलेड़ी	1 से 5, 37 से 39, 42/1, 55, 67 से 69, 89, 136, 137, 149 से 153
69.	हानोत्या	20, 13 से 15, 18, 67 से 70 से 73 से 76
70.	बानपुर	1 से 16, 24, 30
71.	तलवाडा	1 से 5, 652, 654 से 658, 701/1, 736, 741/1, 742/1, 765/1
72.	नाईपुर	1, 2, 9 से 11
73.	सावन्ताखुर्द	9/1
74.	सावन्ताकलां	207/1 209, 232 से 236, 604, 605
75.	भिड़	1 से 8, 18, 41 से 44, 46, 47, 175 से 178, 193, 331, 373 से 375, 387, 388, 397, 399, 410 से 450
76.	तालेड़ा	10, 11, 272, 283, 284, 298, 299, 301, 358, 360 से 459
77.	खाटोली/धनाइचा	1 से 4, 10 से 26, 47, 48, 52, 81, 122 से 132, 145 से 159, 162, 166 से 169, 172, 173, 175, 186 से 191, 5/93, 5/96, 5/98, 5/124
78.	डूंगरी	1, 2, 969, 971, 1158 से 1160, 1183, 1198, 1199, 1211
79.	भूरीपहाड़ी	239, 798, 887, 921, 939, 941 से 955, 960 से 964, 964/1251
80.	बस्सोकलां	28 से 30, 166, 169, 424, 448, 505, 605, 761 से 764, 800, 801, 875, 894 से 911, 1048

1	2	3
81.	आइन्दा	1472, 1473
82.	श्यामपुरा	3089, 3106, 3110
83.	बारपालडी	530, 532 से 544
84.	भादलाओ	627 से 631, 641, 647 से 653, 653/609, 654, 655, 471, 475 से 480, 534, 536, 539 से 542, 618, 624 से 626, 656 से 678
85.	उलयाना	635 से 641, 914, 955, 962 से 968
86.	खानदोज	1
87.	खवा	100, 122, 123, 496, 539, 558 से 560
88.	जामुलखेड़ा	1142 से 1153
89.	शेरपुरा	160, 161, 163, 164 से 243, 622 से 632
90.	खिलचीपुर	2402, 2921 से 2927, 2916, 2917, 2915, 2918 से 2920
91.	रणथम्भौर	1 से 38, 40, 62, 79 से 119
92.	ओलवाड़ा	398, 399, 405, 428, 433/1, 433/2, 434, 435, 437/1, 554/10
93.	निवारी	23, 25, 27, 69, 79 से 81, 96, 172, 173
94.	बसवा कलां	1 से 4, 28
95.	भूरीपहाड़ी	2 से 5, 191, 192, 194, 197 से 204, 243 से 245, 248
96.	पापरा	1, 6 से 16, 59, 118, 154, 165, 166, 175, 176, 154/187, 176/188

1	2	3
97.	बलवान	410 से 416
98.	चन्दाकलां	1, 28, 29
99.	मरजादपुरा	36
100.	किशनगंज	2
101.	आमली	241, 260, 263, 265, 266, 289, 290/421, 290 से 314, 386, 387, 395 से 401
102.	पांचौलास	1336 से 1339, 1390
103.	बलवान	406 से 410, 416 से 420, 406/487
104.	खिदरपुर	1, 51 से 56, 82, 83, 89 से 102 से 111, 127, 155 से 177, 199, 210, 218 से 220, 383 से 395, 408, 526
105.	डॉग बाजोली	1 से 6
106.	डॉग भानपुर	1 से 19, 21, 22, 86, 190 से 192, 249, 251, 282
107.	बैरी विश्व वत्थपुर	4, 5, 50, 55, 56, 58 से 61
108.	योरोप	1, 5
109.	बाजोली	15, 300, 301, 518, 736, 736/802
110.	कुण्ड़ला	1 से 5
111.	भानपुर	1 से 9, 18, 33, 178 से 183, 211 से 214, 258 से 308, 312 से 319, 398, 399, 404
112.	जाखोड़ा	153, 154, 156 से 164
113.	रोड़ावड़	788/9, 789 से 793, 799 से 801, 806, 809 से 812
114.	कचनारी	29, 30, 31, 106, 107, 111 से 114, 120 से 129

1	2	3
115.	सीगल कच्छ उर्फ पीपरड़ा	1 से 13, 19, 33 से 39, 43 से 45, 48 से 53, 63 से 67
116.	करीरा खुर्द	290 से 294, 294/308, 295 से 303, 303/310, 304,
117.	करीरा कला	115 से 117
118.	बड़ी का छाहरा	56/7, 60/9, 60/10, 60/13, 61, 62/3, 63, 64, 65/10, 66 से 69.
119.	आकोदा	324 से 327, 376, 415 से 429, 433, 440, 441, 517, 518, 585, 641 से 644, 651, 654, 656 से 670
120.	सेवती	1 से 3, 5, 7, 9 से 11, 43, 168, 192

आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आबंटियों से वसूली गई राशि

435. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान आवासन मण्डल ने जयपुर शहर में अपनी किस–किस आवासीय योजना के वाणिज्यिक भूखण्डों, निर्मित दुकानों व अन्य गैर आवासीय भूखण्डों/भवनों के आबंटन/विक्रय से अब तक कितनी–कितनी राशि वसूल की है व कितनी–कितनी राशि की वसूली बकाया है? प्रत्येक आवासीय योजना की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में से मण्डल द्वारा कितनी–कितनी राशि का उपयोग किस–किस कार्य पर किया गया है? प्रत्येक आवासीय योजना की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आवासीय योजनानुसार वसूली गई राशि व बकाया राशि का विवरण निम्न प्रकार है :

(राशि रुपये लाखों में)

आवासीय योजना का नाम	आबंटन पत्रानुसार मांगी गई राशि	वसूल की गई राशि	बकाया राशि	विशेष विवरण
सांगानेर	1077.42	1005.23	72.19	
मानसरोवर	1808.47	1806.73	1.74	ब्याज 6.44 लाख
जवाहर नगर	129.81	129.81	–	
मालवीय नगर	433.44	433.44	–	
	3449.14	**3375.21**	**73.93**	

(2) आवासीय योजनाओं में वाणिज्यिक भूखण्डों/निर्मित दुकानों व अन्य गैर आवासीय भूखण्डों/भवनों के आबंटन/विक्रय से प्राप्त राशि के अतिरिक्त मण्डल को कई और मदों में राशि प्राप्त होती है जैसे पंजीकरण/पूर्वग्रहण राशि भवनों की बिक्री से प्राप्त राशि ब्याज की राशि आदि जिसे एक समूह में एकत्रित किया जाता है जिसमें से सभी प्रकार के व्यय जैसे भवन निर्माण, यात्रा भत्ता, चिकित्सा व्यय इत्यादि बजट के अनुसार खर्च किये जाते हैं।

मुण्डावर (अलवर) मुख्यालय पर बस स्टैण्ड का निर्माण

436. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या मुण्डावर से देहली व जयपुर के लिये कोई सीधी बस सेवा संचालित है? यदि हां, तो कब–कब?

(2) क्या मुण्डावर सब डिवीजन हैडक्वार्टर होने के बावजूद भी यहां पर यात्रियों के लिये बस स्टैण्ड का कोई इन्तजाम नहीं है? क्या सरकार उक्त स्थान पर बस स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार मुण्डावर से अलवर वाया पेहलमार्ग पर बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मुण्डावर से देहली के लिये निगम की सीधी बस सेवा संचालित नहीं है। जयपुर से मुण्डावर होते हुये हरसोली के लिये एक बस (2 एकल परिचक्र, एक अप/एक डाउन) का निम्न समयानुसार संचालन किया जा रहा है?

जयपुर	मुण्डावर	हरसौली
1400	1900	1915
हरसौली	**मुण्डावर**	**जयपुर**
0615	0630	1045

(2) जी हां। निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुऐ फिलहाल निगम द्वारा मुण्डावर में बस स्टैण्ड बनाने का कोई विचार नहीं है।

(3) जी हां। किन्तु अलवर–ततारपुर चौराहा–पेहल–मुण्डावर मार्ग में 3.5 किलोमीटर मार्ग का भाग निगम वाहन संचालन योग्य नहीं है। अत: निगम वाहन का संचालन प्रारम्भ नहीं किया जा सकता।

आकाशदीप महिला महाविद्यालय, जयपुर में पदस्थापित व्याख्याता

437. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या आकाशदीप महिला महाविद्यालय, मानसरोवर, जयपुर में नेट एवं स्लेट या 1993 तक पीएच.डी. करने वाले शिक्षक लगा रखे हैं? यदि हां, तो कौन–कौन से शिक्षक योग्य एवं अयोग्य हैं? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आकाशदीप महिला महाविद्यालय, मानसरोवर, जयपुर में आकाशदीप उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम से विद्यालय चला रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में सूचित कर रखा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार महाविद्यालय के विरुद्ध

(श्री निर्भय लाल)

अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आकाशदीप महिला महाविद्यालय, मानसरोवर, जयपुर के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार उचित बिल्डिंग एवं खेल का मैदान है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या आकाशदीप महिला महाविद्यालय, मानसरोवर, जयपुर की कक्षाएं दिन में एक बजे के बाद चलती हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार महाविद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आकाशदीप महिला महाविद्यालय, मानसरोवर, जयपुर में कार्यरत कम्प्यूटर शिक्षक के अतिरिक्त अन्य सभी शिक्षक यू.जी.सी. द्वारा वर्तमान में निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं। कम्प्यूटर शिक्षक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता रखता है। शिक्षकों की नाम सहित सूची परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। आकाशदीप महिला महाविद्यालय, मानसरोवर, जयपुर अस्थाई रूप से आकाशदीप उच्च माध्यमिक विद्यालय, मानसरोवर, जयपुर के भवन में संचालित है। महाविद्यालय का स्वयं का भवन का निर्माण शेष है। निर्माण पूर्ण होने पर महाविद्यालय उसमें स्थानान्तरित हो जावेगा।

(3) महाविद्यालय का नवीन भवन निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तैयार करवाया जा रहा है। वर्तमान अस्थायी. भवन में खेल के मैदान को छोड़ कर शिक्षण हेतु पर्याप्त कमरे उपलब्ध हैं।

(4) आकाशदीप महिला महाविद्यालय, मानसरोवर, जयपुर में वर्तमान में कक्षायें दिन में 12.00 बजे से 6.00 बजे तक चलती हैं। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध छात्राओं/ अभिभावकों की ओर से कोई शिकायत न होने के कारण किसी तरह की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट–1

आकाशदीप महिला महाविद्यालय, मानसरोवर, जयपुर में कार्यरत व्याख्याताओं की सूची

क्र. सं.	प्रवक्ता का नाम	पद	नियुक्ति तिथि	स्नातकोत्तर के विषय एवं प्राप्त प्रतिशत	नेट/स्लेट	एम.फिल /पी.एचडी उपाधि धारण करने का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्रीमती शहनाज	प्राचार्य	1.7.1999	अर्थशास्त्र 57.00	एम.फिल	1989
2.	डा. श्रीयुक्ता सिंह	उप प्राचार्य	1.7.2002	रसायन विज्ञान 67.75	पीएच.डी	2000
3.	कु. अपरा अंगिरा	प्रवक्ता	1.7.2001	हिन्दी 62.40	स्लेट	1997
4.	श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता	प्रवक्ता	1.7.2002	इतिहास 55.1	एम.फिल	1989
5.	श्रीमती आभा भारद्वाज	प्रवक्ता	1.7.2001	अंग्रेजी 56.00	एम.फिल	1989
6.	श्रीमती प्रियंका माथुर	प्रवक्ता	1.7.2002	मानवशास्त्र 57.90	नेट	2002
7.	श्री पंकज अग्रवाल	प्रवक्ता	1.7.2002	लोक प्रशासन 63.88	नेट	2000
8.	श्रीमती शैलजा मिनोचा	प्रवक्ता	1.7.2001	गृहविज्ञान 79.50	नेट/स्लेट	1997
9.	कु. प्रतिभा	प्रवक्ता	1.7.2001	मनोविज्ञान 68.60	नेट/स्लेट	1997 1998
10.	श्रीमती ज्योति दायमा	प्रवक्ता	1.7.2002	संस्कृत 56.22	नेट	1999
11.	कु. स्मिता गुप्ता	प्रवक्ता	1.7.2001	रा. विज्ञान 63.00	नेट	2000

1	2	3	4	5	6	7
12.	श्री अनिल कुमार भारद्वाज	प्रवक्ता	1.7.2001	दर्शनशास्त्र 61.22	नेट	1999
13.	श्री सी.बी. मीणा	प्रवक्ता	1.7.2001	भौतिकशास्त्र 62.08	नेट	1998
14.	श्री अमित माथुर	प्रवक्ता	1.7.2001	गणित 67.40	नेट	2000
15.	डा. तरुणा माथुर	प्रवक्ता	1.7.2001	वन विज्ञान 58.16	पीएचडी	1992
16.	श्रीमती अंजली भार्गव	प्रवक्ता	1.7.2001	जीवविज्ञान 66.67	स्लेट	1998
17.	श्रीमती नविता जैन	प्रवक्ता	1.7.2001	पीजीडीसीए सर्टीफिकेट कोर्स इन ऑफ ओटोमेशन 60.88		1997 1998
18.	कु. अनिता त्रिवेदी	पी.टी.आई.	1.7.2001	एमपीई		1997

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्रामों में प्रस्तावित विकास कार्य

438. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के जयपुर विकास प्राधिकरण सीमा में कौन–कौन से गांव आते हैं?

(2) वर्ष 1999 से जनवरी, 2003 तक उक्त प्राधिकरण सीमा में पड़ने वाले गांवों में कितनी–कितनी राशि के कौन–कौन से कार्य करवाये गये? पूर्ण, अपूर्ण कार्यों के अब तक अपूर्ण रहने के क्या कारण रहे? ग्राम वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्षेत्रीय विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से उक्त बाबत वर्ष 1999 से अब तक किन–किन कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए? क्या प्रस्तावित सभी कार्यों की स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) सरकार उक्त अपूर्ण एवं प्रस्तावित कार्यों को कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के जयपुर विकास प्राधिकरण सीमा में निम्नलिखित 31 ग्राम आते है :–

1. दोहरा चोर 2. रामरतनपुरा 4. हरचन्दपुरा 4. हीरावाला 5. हरध्यानपुरा 6. कानोता 7. मोहनपुरा 8. डूढावाला 9. रामसिंहपुरा 10. हिंगानी 11. भटासरी 12. भरथल 13. कानरवास 14. जीतावाला 15. गिरधरपुरा 16. श्रीरामपुरा 17. सिन्दोली 18. गीला की नांगल 19. बाढ स्वामी 20. मानसर खेडी 21. मानगढ खोखावाला 22. भावसर ईसरवाला 23. बीलवा खुर्द 24. फिल्सन बिहारीपुरा 25. रोहताशपुरा 26. कल्याणपुरा 27. बिराजपुरा 28. हरिरामपुरा 29. रामसर पालावाला 30. दयारामपुरा 31 बस्सी

(2) बस्सी विधान सभा क्षेत्र की ज.वि.प्रा. सीमा में पड़ने वाले गांव में वर्ष 1999 से अब तक कुल 19 कार्य स्वीकृत हुए जिनमें से 11 कार्य पूर्ण करा लिये गये है एवं 8 कार्य अपूर्ण हैं। व्यय की राशि एवं कार्य अपूर्ण होने के कारण मय सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) क्षेत्रीय विधायक एवं अन्य जन प्रतिनिधियों से उक्त बाबत 1999 से अब तक कुल 27 कार्य के प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से 14 कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई एवं 13 कार्यों की स्वीकृति विचाराधीन है। स्वीकृत 14 कार्यों में से 3 कार्यों के कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं जिनकी निविदाएं विचाराधीन/आमंत्रित की जा रही हैं। कार्यों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) प्रस्तावित कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध वित्तीय संसाधन एवं प्राथमिकता के आधार पर जारी करना विचाराधीन है। स्वीकृत अपूर्ण कार्यों की सूची परिशिष्ट "स" पर मय सम्भावित अवधि के संलग्न है। कुछ कार्यों में भूमि विवाद है जो विवाद के निपटाये जाने के पश्चात् पूर्ण कर लिए जावेंगे।

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

वर्ष 1999 से अब तक बस्सी विधान सभा क्षेत्र में कराये गये कार्यों की सूची

अ–पूर्ण कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	गांव का नाम	व्यय राशि (लाखों में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	बस्सी उपनगरीय क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य	बस्सी	42.18	
2.	बस्सी उपनगरीय योजना में सड़क नवीनीकरण का कार्य	बस्सी	27.81	
3.	रैगर मोहल्ला, हरिजन मोहल्ला बस्सी में सीमेन्ट सड़क का कार्य	बस्सी	17.11	
4.	देव गांव से टोडा भाटा बस्सी तक सड़क चौड़ी करने का कार्य	देव गांव, टोडा भाटा बस्सी	57.98	
5.	मोहनपुरा बस्सी गांव में नाली का निर्माण कार्य	मोहनपुरा बस्सी	11.59	
6.	बस्सी में विभिन्न विकास कार्य	बस्सी	9.30	

1	2	3	4	5
7.	हरचन्दपुरा कानोता में डेयरी योजना में पांच जानवरों हेतु सेम्पल हाउस निर्माण कार्य	कानोता	1.74	
8.	बस्सी में वार्ड नं. 9 व 12 में सीमेंट सड़क कार्य	बस्सी	5.21	
9.	इन्द्रा बस्ती मोहनपुरा बस्सी में सीमेंट सड़क कार्य	मोहनपुरा	1.70	
10.	सरदार सिंह पार्क (जय चामुण्डा गृ.नि.स.स.) कानोता में चारदीवारी का कार्य	कानोता	1.23	
11.	कानोता गांव में सीमेन्ट सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	कानोता	16.41	

ब–अपूर्ण कार्य की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	गांव का नाम	व्यय राशि (लाखों में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	बस्सी उप नगरीय क्षेत्र में सड़क सुदृढ़िकरण का कार्य	बस्सी	28.08	पूर्व में भूमि विवाद, लगभग 150 मीटर के टुकडे में अब डामर कार्य शेष अन्य कार्य पूर्ण
2.	हरचन्दपुरा कानोता में डेयरी योजना में विकास कार्य	कानोता	25.74	भूमि विवाद
3.	जोड़ डी–3 क्षेत्र में सहकारी समितियों की योजना में सड़क एवं चारदीवारी निर्माण कार्य	बस्सी एवं कानोता	—	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5
4.	ड्योडा चौड से हीरावाला वाया रामरतनपुरा बाल्यावाला में सड़क निर्माण कार्य एवं गीला की नांगल में सीमेंट सड़क कार्य	ड्योडा चौड, हीरावाला, रामरतनपुरा, बाल्यावाला गीला की नांगल	—	कार्य प्रगति पर
5.	ग्राम खोरी रोपाडा हिगोंनिया रेलवे स्टेशन रामसिंहपुरा वाया श्रीरामपुरा सड़क निर्माण कार्य तक	खोरी रोपाड़ा हिगोंनिया श्रीरामपुरा	—	निविदाएं विचाराधीन
6.	बस्सी टाउन के विभिन्न मौहल्लों में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	बस्सी	—	निविदाएं विचाराधीन
7.	बस्सी टाउन में श्मशान का कार्य	बस्सी	—	निविदाएं आमंत्रित की जा रही है
8.	हरचन्दपुरा बाल्यावाला डेयरी योजना (विस्तार) में विभिन्न विकास कार्य	कानोता	—	भूमि विवाद

परिशिष्ट 'ब'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

वर्ष 1999 से अब तक बस्सी विधान सभा क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों की ओर से प्राप्त प्रस्तावों की सूची

अ–स्वीकृति प्राप्त एवं कार्य प्रारम्भ

क्र.सं.	कार्य का नाम
1.	बस्सी उप नगरीय क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य
2.	बस्सी उपनगरीय योजना में सड़क नवीनीकरण का कार्य
3.	रैगर मौहल्ला, हरिजन मोहल्ला बस्सी में सीमेंट सड़क का कार्य
4.	देव गांव से टोडा भाटा बस्सी तक सड़क चौड़ी करने का कार्य
5.	मोहनपुरा बस्सी गांव में नाली का निर्माण कार्य
6.	बस्सी में विभिन्न विकास कार्य
7.	बस्सी में वार्ड नं. 9 व 12 में सीमेंट सड़क का कार्य
8.	इन्द्रा बस्ती मोहनपुरा बस्सी में सीमेंट सड़क का कार्य
9.	कानोता गांव में सीमेंट सड़क एवं नाली निर्माण कार्य
10.	बस्सी उप नगरीय क्षेत्र में सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य
11.	ड्योडा चौड से हीरावाला वाया रामरतनपुरा बाल्यावाला में सड़क निर्माण कार्य एवं गीला की नांगल में सीमेंट सड़क कार्य

ब–स्वीकृति प्राप्त किन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं

क्र.सं.	कार्य का नाम	टिप्पणी
1.	ग्राम रोपाडा हिगोंनिया रेलवे स्टेशन रामसिंहपुरा वाया श्रीरामपुरा तक सड़क निर्माण कार्य	निविदाएं विचाराधीन
2.	बस्सी टाउन के विभिन्न मौहल्लों में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	निविदाएं विचाराधीन
3.	बस्सी टाउन में श्मशान का कार्य	निविदाएं आमंत्रित की जा रही है।

स–स्वीकृति प्राप्त नहीं

क्र.सं.	कार्य का नाम	टिप्पणी
1	2	3
1.	बस्सी क्षेत्र में विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य	तखमीना तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन
2.	रामसर पालावाला में सड़कों एवं नाली का निर्माण कार्य	तखमीना तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन
3.	क्रेश कुन्थारा से मीणा मकानों तक सी.सी. रोड एवं नालियों का निर्माण कार्य	तखमीना तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन
4.	रामरतनपुरा कानोता में एवं कानोता में विभिन्न श्मशानों का विकास कार्य	तखमीना तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन
5.	सिन्दौला गांव में सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	तखमीना तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन
6.	हीरावाला में आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य	तखमीना तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन
7.	बस्सी में स्टेडियम में विकास कार्य	तखमीना तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन

1	2	3
8.	रामसरपाला वाला में श्मशान का विकास कार्य	तखमीना तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचाराधीन
9.	सार्वजनिक सुलभ काम्पलैक्स निर्माण बस स्टैण्ड बस्सी	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु तखमीना तैयार किया जा रहा है।
10.	गणेश जनरल स्टोर बस स्टैण्ड बस्सी से कृषि उपज मण्डी बस्सी तक दोनों ओर (उत्तर दक्षिण दिशा) नाला निर्माण कार्य	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु तखमीना तैयार किया जा रहा है।
11.	बस्सी चक से देवगांव मोड़ तक ट्री गार्ड लगाना	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु तखमीना तैयार किया जा रहा है।
12.	जगतपुरा जयपुर से दूधली फाटक तक वाया कानोता बस्सी रेलवे स्टेशन (वर्तमान में बिछी हुई रेलवे लाइन के बाई ओर) तक पक्की सड़क निर्माण	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु तखमीना तैयार किया जा रहा है।
13.	एन.एच. 11 के कृषि उपज मण्डी बस्सी तक फुटपाथ निर्माण कार्य	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु तखमीना तैयार किया जा रहा है।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर परिशिष्ट 'स'

अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की सम्भावित अवधि की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	सम्भावित अवधि
1	2	3
1.	बस्सी उप नगरीय क्षेत्र में सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य	मार्च, 2003
2.	हरचन्दपुरा कानोता में डेयरी योजना में विकास कार्य	भूमि विवाद
3.	जोड डी–3 क्षेत्र में सहकारी समितियों की योजना में सड़क एवं चारदीवारी का निर्माण कार्य	जून, 2003
4.	ड्योडा चौड से हीरावाला वाया रामरतनपुरा बाल्यावाला में सड़क निर्माण कार्य एवं गीला की नांगल में सीमेंट सड़क कार्य	
5.	ग्राम खोरी रोपाडा हिगोंनिया रेलवे स्टेशन रामसिंहपुरा वाया श्रीरामपुरा तक सड़क निर्माण कार्य	अगस्त, 2003
6.	बस्सी टाउन के विभिन्न मौहल्लों में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	अगस्त, 2003
7.	बस्सी टाउन में श्मशान का कार्य	जुलाई, 2003
8.	हरचन्दपुरा बाल्यावाला डेयरी योजना (विस्तार) में विभिन्न विकास कार्य	भूमि विवाद

राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पद

439. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के विषयवार कितने–कितने पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में विषयवार व्याख्याताओं के 4803 पद स्वीकृत हैं। जिनमें से वर्तमान में 649 पद रिक्त हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। राज्य सरकार अपने संसाधनों को देखते हुए उक्त रिक्त पदों को भरने का प्रयास करेगी।

Subjectwise Position of Lecturer as on 1.3.2003

S. No.	Faculty	Subject	Sanc. Posts	Lecturers Working			Vacant Posts
				Regular	Adhoc /Temp	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Art	Drawing & Painting	64	59		59	5
2.		Economics	203	186		186	17
3.		English Litt.	259	216		216	43
4.		Garment Pro. & Exp. Man.	4	4		4	0
5.		Geography	314	282		282	32
6.		Hindi Litt.	413	343		343	70
7.		History	315	268		268	47
8.		Home Science	79	64		64	15
9.		Jainology	3	3		3	0
10.		Library Science	1	1		1	0
11.		Music (I)	10	9		9	1
12.		Music (V)	30	26		26	4
13.		Persion	2	2		2	0
14.		Philosophy	43	35		35	8
15.		Poltical Science	424	358		358	66
16.		Psychology	14	14		14	0
17.		Public Admn.	58	47		47	11
18.		Rajasthani	2	2		2	0
19.		Sanskrit	228	197		197	31
20.		Sindhi	4	4		4	0
21.		Sociology	208	175		175	33
22.		Statistics	1	1		1	0
23.		Textile Draw. & Printing	4	3		3	1
24.		Urdu	29	26		26	3
25.	Science	Botany & F.R.T.U.	293	255		255	38
26.		Geology	18	16		16	2

1	2	3	4	5	6	7	8
27.		Maths	142	126	7	133	9
28.		Physics	165	144	1	145	20
29.		Zoology	290	249	1	250	40
30.	Agri	Agri Agronomy	2	2		2	0
31.		Agri. A.H.D.C.	2	2		2	0
32.		Agri. Bio-Chemistry	1	1		1	0
33.		Agri. Botany	1	1		1	0
34.		Agri. Economic	2	2		2	0
35.		Agri. Edu. Extantion	2	2		2	0
36.		Agri. Engineering	2	2		2	0
37.		Agri. Entomology	2	2		2	0
38.		Agri. Horticulture	2	2		2	0
39.		Agri. Live Stock	1	1		1	0
40.		Agri. P.B.G.	2	2		2	0
41.		Agri. Plant Paithology	2	2		2	0
42.		Agri. Soil Science	2	2		2	0
43.	Comm.	A.B.S.T.	234	189		189	45
44.		Buis. Adm. & Inter Pernoirship	211	191		191	20
45.		E.A.F.M.	203	181		181	22
46.	Law	Law	80	76		76	4
		Total	**4798**	**4137**	**12**	**4149**	**649**
Note:		Directorate Lecturer	5				
		Directorate unalloted	0				
		Grand Total	**4803**				

आरा मशीनों के संचालन हेतु लम्बित अनुज्ञापत्र

440. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में जितनी भी आरा मशीनें चल रही हैं उन सभी को लाइसेंस दिये हुए हैं? यदि हां, तो कितने लाइसेंस वन विभाग की ओर से जारी किये गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बहुत सी आरा मशीनें बगैर लाइसेंस के कार्य कर रही हैं? यदि हां, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या लाइसेंस जारी करने का अधिकार सम्बन्धित जिला वन अधिकारी को होता है? यदि हां, तो पूरे प्रदेश के उक्त कार्यालयों में आरा मशीन के लाइसेंस लेने के लिए कितने प्रार्थना पत्र लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या लम्बित आरा मशीन के लाइसेंस बाबत प्रार्थना पत्रों के शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार उक्त अधिकारियों की भांति स्थानीय रेंजरों को भी आरा मशीन के लाइसेंस जारी करने का अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) एक प्रकरण में न्यायालय के स्थगन आदेश को छोड़कर राज्य में शेष चल रही आरा मशीनें लाईसेंस शुदा हैं। वन विभाग द्वारा वन मण्डलवार जारी आरा मशीनों के लाईसेंसों की संख्या का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' के कालम संख्या दो एवं तीन के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। एक आरा मशीन न्यायालय के आदेश से चल रही है जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.12.2002 के पश्चात् लाइसेंस जारी करने से पूर्व सैंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की अनुमति आवश्यक है।

राज्य के वन मण्डल कार्यालयों में आरा मशीन के लाइसेंसों के लम्बित प्रार्थना पत्रों की संख्या का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' के कालम संख्या दो एवं चार के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30.10.2002 से राज्य सरकारों को निर्देश दिये हैं कि बिना सैंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की अनुमति के लाईसेंस देने वाले नियमों में कोई छूट नहीं दी जाये।

परिशिष्ट 'क'

राज्य में चल रही आरा मशीन के लाइसेंसों की संख्या, आरा मशीन के लाईसेंस लेने के लिए लम्बित प्रार्थना पत्रों की संख्या का मण्डलवार विवरण

क्र.सं.	नाम वन मण्डल	जारी किये गये आरा मशीन लाइसेंसों की संख्या	आरा मशीन लाइसेंस हेतु लम्बित प्रार्थना पत्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	उदयपुर दक्षिण	63	21
2.	दौसा	268	0
3.	बीकानेर	21	7
4.	बांसवाड़ा	72	7
5.	भीलवाड़ा	260	152
6.	पाली	187	105
7.	अलवर	139	121
8.	सवाईमाधोपुर	54	18
9.	राजसमन्द	275	0
10.	धौलपुर	124	8
11.	सीकर	116	37
12.	प्रतापगढ़	92	2
13.	नागौर	71	34
14.	हनुमानगढ़	226	121
15.	बारां	78	0
16.	अजमेर	156	32
17.	सिरोही	70	0

1	2	3	4
18.	जोधपुर	164	17
19.	जालौर	175	10
20.	बूंदी	80	20
21.	डूंगरपुर	80	0
22.	भरतपुर	13	54
23.	छतरगढ़	12	0
24.	कोटा	90	70
25.	जैसलमेर	3	0
26.	झालावाड़	159	34
27.	टौंक	133	52
28.	बाड़मेर	88	20
29.	उदयपुर उत्तर	113	32
30.	जयपुर पूर्व	183	38
31.	झुंझुनुं	201	40
32.	चित्तौड़गढ़	280	37
33.	चूरू	83	1
34.	करौली	45	0
35.	जयपुर पश्चिम	134	85
36.	श्रीगंगानगर	283	124
	योग	4591	1299

परिशिष्ट 'ख'

राज्य में बगैर लाइसेंस चल रही आरा मशीनों का विवरण मय कारण के

क्र.सं.	नाम वन मण्डल	बगैर लाइसेंस के चल रही आरा मशीनों की संख्या	विशेष विवरण
1.	सीकर	एक	न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के स्थगन आदेश दिनांक 30.4.1998 के कारण

स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियुक्त ड्राफ्ट मैनों की पदोन्नति

441. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नगर निगमों/नगर परिषदों/नगरपालिकाओं में ड्राफ्ट मैनों की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो नाम, पदस्थापित, कार्यरत कहां है का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त में सर्वेयर के पदों पर भी नियुक्ति की गई? पदनाम व कहां–कहां पर पदस्थापित हैं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन बोर्ड व जयपुर विकास प्राधिकरण में नियुक्त ड्राफ्ट मैनों के पदोन्नति नियम बने हुये हैं? क्या उक्त विभागों की तरह नगर निगमों/परिषदों के ड्राफ्ट मैनों के लिये भी पदोन्नति नियम बनाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है, जिसमें वांछित विवरण निहित है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है, जिसमें वांछित विवरण निहित है।

(3) जी हां। नगर निगम, परिषद एवं पालिकाओं में कार्यरत ड्राफ्ट मैनों की पदोन्नति हेतु पदों की आवश्यकता का आकलन, मण्डलों की अभिशंसा उपरान्त अन्य विभागों की भांति नियम बनाने की कार्यवाही की जावेगी।

विभिन्न नगर निगम/परिषद्/पालिकाओं में कार्यरत ड्राफ्ट मैन/सर्वेयर
(उपलब्ध सूचना अनुसार)

क्र.सं.	नाम नगर निगम/ परिषद/पालिका	कार्यरत कर्मचारी का नाम	पद
1	2	3	4
1.	जोधपुर	श्री बंशीधर पुरोहित	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
2.	बालोतरा	श्री मेघराज खत्री	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
3.	जैसलमेर	श्री अशोक मत्तड	सर्वेयर
4.	शिवगंज	श्री रानीएलियास	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
5.	पिण्डवाड़ा	श्री रफीक मोहम्मद	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
6.	पाली	श्री वीरेन्द्र पाल शर्मा	ड्राफ्टमैन
7.	पोकरण	श्री सुनील कुमार बाड़ा	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
8.	सादड़ी	श्री नारायणदान	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
9.	उदयपुर	श्री करिम्मुद्दीन	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
		श्री सिराजुद्दीन	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
10.	सलूम्बर	श्री पोपट लाल पंचाल	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
11.	माउंट आबू	श्री बाबूलाल औदिच्य	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
12.	सागवाड़ा	श्री मामन वर्गिस	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
13.	प्रतापगढ़	श्री रमेश कुमार परिहार	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
14.	कपासन	श्री नन्दकिशोर चेगेरिया	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
15.	किशनगढ़	श्री बच्चू सिंह चौधरी	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
16.	विजयनगर	श्री मदन सिंह	ड्राफ्टमैन (ट्रेसर)
17.	टौंक	श्री रूप्नारायण शर्मा	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
18.	नागौर	श्री मामराज	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर

1	2	3	4
19.	भीलवाड़ा	श्री बेनीमाधव सिंह	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
		श्री थॉमस जोन	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
20.	नोखा	श्री नरेश नागपाल	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
21.	झुंझुनुं	श्री सत्यनारायण भार्गव	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
22.	हनुमानगढ़	श्री राम निवास	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
23.	श्रीगंगानगर	श्री सार्दुल सिंह	ड्राफ्टमैन
		श्री चरण सिंह	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
24.	सांगोद	श्री रामेश्वर दयाल शर्मा	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
25.	बारां	श्री सुरेन्द्र सिंह लोहिया	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
26.	हिण्डौन	श्री विनोद कुमार शर्मा	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
27.	जयपुर	1. श्री मुकेशदत्त माथुर	ड्राफ्टमैन
		2. श्री सुरेश चन्द शर्मा	ड्राफ्टमैन
		3. श्री नरेन्द्र कुमार तंवर	ड्राफ्टमैन
		4. श्री आईजक जौन	ड्राफ्टमैन
		5. श्री अनील जायसवाल	ड्राफ्टमैन
		6. श्री राजेश कुमार शर्मा	ड्राफ्टमैन
		7. श्री राजपाल चौधरी	ड्राफ्टमैन
		8. श्री आलोक माथुर	ड्राफ्टमैन
		9. श्री शशिकांत शर्मा	ड्राफ्टमैन
		10. श्री मोहम्मद रियाज	सर्वेयर
28.	बगरू	श्री मनोज कुमार गोस्वामी	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर
29.	कोटपूतली	श्री धनशी राम यादव	ड्राफ्टमैन कम सर्वेयर

नगर निगम/परिषद्/पालिकाएं जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई है

1. नगरपालिका, बिलाड़ा
2. नगरपालिका, पीपाड़ शहर
3. नगरपालिका, रावतभाटा
4. नगरपालिका, लाडनूं
5. नगरपालिका, जहाजपुर
6. नगरपालिका, बीदासर
7. नगरपालिका, श्रीकरणपुर
8. नगरपालिका, कैथून
9. नगरपालिका, छबड़ा
10. नगरपालिका, मांगरोल
11. नगरपालिका, पिडावा
12. नगरपालिका, अकलेरा
13. नगरपालिका, साम्भर
14. नगरपालिका, खेतड़ी
15. नगरपालिका, बिसाऊ
16. किशनगढ़ रैनवाल
17. टोडारायसिंह

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-666 की सूची)

सफाई ठेके के सम्बन्ध में ठेकेदारों से प्राप्त निविदाओं एवं अन्य सूचनाओं का विवरण

क्रम संख्या	वर्ष 2001-2002	राशि प्रतिमाह
1.	मैसर्स दिलढाणिया एण्ड कम्पनी, सूड़सर (बीकानेर)	63,000
2.	श्री सलीम राजू, बीकानेर	67,000
3.	श्री नरेन्द्र सिंह एण्ड कम्पनी, बीकानेर	65,000

दिनांक 16.8.2001 को किये गये नेगोसिएशन में दरे यथावत रहने के कारण न्यूनतम दर वाले ठेकेदार मैसर्स दिलढाणिया एण्ड कम्पनी, सूड़सर (बीकानेर) को 63,000/- रुपये प्रतिमाह में कार्यादेश दिया गया।

क्रम संख्या	वर्ष 2002-2003	राशि प्रतिमाह
1.	सागर कंस्ट्रक्शन कम्पनी, श्रीडूंगरगढ़	71,000
2.	मारुति कंस्ट्रक्शन कम्पनी, सूड़सर (बीकानेर)	79,700
3.	मैसर्स दिलढाणिया एण्ड कम्पनी, सूड़सर (बीकानेर)	87,000
4.	डूंगरगढ़ सहकारी समिति श्रमिक ठेका समिति लिमिटेड	85,000

दिनांक 22.6.2002 को किये गये नेगोसिएशन में न्यूनतम दर वाली फर्म मारुति कंस्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर को 70,000/- रुपये प्रति माह पर कार्यादेश जारी किया गया।

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या–668 की प्रति)

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, देवली, (टोंक–राजस्थान)

क्रमांक न.पा.दे./2001-02/48 **दिनांक 4.5.2002**

श्री रतनलाल चौधरी पुत्र गंगाराम चौधरी

नि. वजीरपुरा (टौंक)

विषय : गांधी नगर कामर्शियल काम्पलेक्स में पार्क की चारदीवारी का निर्माण कार्य का कार्यदेश।

उपरोक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि आपके नाम पर टेण्डर दिनांक 6.4.2002 व नेगोसिस्यसन टेण्डर दिनांक के अनुसार वार्ड नम्बर गांधी नगर कामर्शियल काम्पलैक्स में पार्क की चारदीवारी का निर्माण कार्य टेण्डर जी शिड्यूल बी.एस.आर. 1998 से 8.21% बिलों प्रतिशत/बिलों की दर न्यूनतम होने से स्वीकृत किया गया है तथा रुपये 71000/-(-)5829=65171/- मात्र का कार्य स्वीकृत किया गया है। इससे अधिक का कार्य बिना सक्षम स्वीकृत के नहीं किया जावे।

अतः आपको आदेश दिये जाते है कि आप अन्दर मियाद एक माह/में मुताबिक पालिका शर्तों अनुबन्धों व नमूने के कार्य श्री अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका देवली की देखरेख में कार्य प्रारम्भ कर निर्धारित समय में पूर्ण करें। उक्त कार्य आदेश प्राप्ति दिनांक से ही अवधि गिनी जावेगी। तथा आप द्वारा अन्दर मियाद एक माह/दिन में कार्य पूर्ण न होने पर पैनल्टी वसूली की जावेगी तथा आपकी अमानत राशि जप्त कर अन्य ठेकेदार को कार्य दिया जावेगी। जिसमें जो हर्जा खर्चा होगा वह आपको वहन करना होगा। साथ ही कार्य का मापदण्ड व दरें बी.एस.आर. 1998 के अनुसार ही मान्य होगी।

सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, देवली

परिशिष्ट-5

परिशिष्ट "ए"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-669 की सूची)

कार्यालय पशुजन स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, जयपुर

सिवाड़ एरिया बापूनगर एवं विद्याधर नगर सैक्टर 6 में स्थित डेयरियों की सूची

क्रमांक	नाम/पिता का नाम	पता	पशुओं की संख्या
1	2	3	4
विद्याधर नगर सैक्टर-6			
1.	श्रीमती मंजु अग्रवाल/बृजमोहन	6/435 विद्याधार नगर	8
2.	श्री रामगोपाल यादव/नारायण मल यादव	6/76 " "	5
3.	श्रीमती वीरूदेवी/घासीराम	6/64 " "	5
4.	श्री अर्जुनलाल/मोहरूलाल बजाज्या	6/149 " "	5
सिवाड़ एरिया बापूनगर			
5.	बाबूलाल यादव/हरिसिंह	एस.9-10 सीवाड़ एरिया	10
6.	इन्द्रा देवी	सी 104 " "	8
7.	रामगोपाल/नान्गराम शर्मा	डी. 86 " "	6
8.	अनिल चौधरी/भीमसिंह	बी. 193 " "	8
9.	तरुण यादव/ओमप्रकाश	बी 69 " "	21
10.	मोहनलाल/मोहरीलाल	एम 70 " "	5
11.	राकेश/कल्याण	सी 83 " "	10
12.	शांतिदेवी रामदेव/श्यामसुन्दर रामदेव	डी 32 " "	21
13.	राजकुमार/भौरीलाल	सी 69 " "	7
14.	रूपनारायण/कल्याण	एस. 43 " "	9
15.	रमेश/रूडमल	सी 67 " "	12
16.	मोहन/रामकिशोर	एस 82 " "	6
17.	राजेन्द्र कुमार/सुजीलाल	डी 67 " "	5
18.	भवानी शंकर/रामकुमार	सी 69 " "	7
19.	अनिता बांगड़/गिर्राज	एस 701 " "	6
20.	मुधुर कुमार/राजेन्द्र	62 " "	25

परिशिष्ट-6

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-683 का विवरण)

जिला भीलवाड़ा में गत पांच वर्षों में वृक्षारोपण हेतु रखे गये लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धि का वर्षवार विवरण

क्र.सं.	वर्ष	वृक्षारोपण लक्ष्य (हैक्टेयर में)	उपलब्धि (हैक्टेयर में)
1.	1997–1998	1400	1400
2.	1998–1999	1200	1200
3.	1999–2000	1530	1530
4.	2000–2001	—	—
5.	2001–2002	—	—
	योग	4130	4130

परिशिष्ट-7

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-684 का विवरण)

जिला जैसलमेर में वर्ष 1998-1999 से 2002-2003 (फरवरी, 2003) तक वन विकास कार्यों पर चारों वन मण्डलों द्वारा व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण

क्र. सं.	वर्ष	विभाग द्वारा व्यय राशि (करोड़ रुपयों में)	कलस्टर कार्यों पर व्यय राशि (करोड़ रुपयों में)	कुल व्यय राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	1998-1999	7.87	4.33	12.20
2.	1999-2000	8.33	3.27	11.60
3.	2000-2001	13.77	6.85	20.62
4.	2001-2002	16.79	0.07	16.86
5.	2002-2003 (फरवरी, 2003 तक)	15.89	0	15.89

परिशिष्ट–8

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-688 का विवरण)

अजमेर शहर में बी.पी.एल. व अन्त्योदय राशनकार्डधारियों के लिए अधिकृत उचित मूल्य दुकानों का विवरण एवं उस पर पंजीकृत बी.पी.एल. राशनकार्ड तथा यूनिट्स का विवरण

क्र.सं.	उचित मूल्य दुकान संख्या	पंजीकृत बी.पी.एल. राशनकार्ड	यूनिट्स
1	2	3	4
1.	196	223	971
2.	101	41	176
3.	45	42	347
4.	46	59	378
5.	208	52	313
6.	145	135	610
7.	218	51	324
8.	58	65	282
9.	102	42	192
10.	149	49	248
11.	26	24	122
12.	191	10	59
13.	90	15	82
14.	85	24	118
15.	53	60	280
16.	156	168	498

1	2	3	4
17.	जी.एस.एस. पर्वतपुरा	75	439
18.	49	27	127
19.	74–बी	16	76
20.	158	60	272
21.	239	42	182
22.	47	12	55
23.	8–ए	10	51
24.	212	52	210
25.	146	134	592

परिशिष्ट-9

परिशिष्ट-अ

(अतारांकित प्रश्न संख्या-690 की सूची)

क्र.सं.		1997-98
1	2	3
1.	नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर	लकड़ी के दरवाजों का कार्य, ट्यूब वैल निर्माण, वाटर सप्लाई, सैनेट्री, बिजली फिटिंग एवं रोड लाइट
2.	नकटी माता मन्दिर, जयपुर	जगती का संरक्षण कार्य
3.	जन्तर-मन्तर, जयपुर	दीर्घा निर्माण कार्य
4.	आमेर महल, आमेर	संरक्षण एवं विविध मरम्मत कार्य
5.	अल्बर्ट हाल, जयपुर	सेफ्टी अलार्म कार्य एवं आयरन रेलिंग कार्य
6.	नगर परकोटा, जयपुर	सूरजपोल, हीदा की मोरी के बीच परकोटा पुनः निर्माण कार्य
		1998-99
1.	नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर	संरक्षण कार्य प्लास्टर, छत मरम्मत, पार्किंग निर्माण, तोपे ठीक करवाना, बिजली फिटिंग कार्य, लकड़ी के दरवाजों का कार्य
2.	नकटी माता मन्दिर, जयपुर	जगती का संरक्षण एवं चारदीवारी निर्माण कार्य
3.	जन्तर-मन्तर, जयपुर	चारदीवारी निर्माण, फुटपाथ, परिसर में पोल लाईट व बिजली फिटिंग का कार्य, ट्यूब वैल निर्माण व वाटर सप्लाई तथा लैण्ड स्केपिंग कार्य
4.	आमेर महल, जयपुर	जलेब चौक फर्श कार्य, ट्यूब वैल निर्माण एवं जी.आई.पाइप लाइन कार्य, रोड लाइट एवं बिजली फिटिंग,

1	2	3
		रामबाग पार्किंग का विस्तार, किले पर पार्किंग निर्माण (पहाड़ी काटकर) एवं बंगाली मौहल्ला की तरफ सड़क का निर्माण
5.	अल्बर्ट हाल, जयपुर	पत्थर की रेलिंग, लोहे की रेलिंग, छत मरम्मत (वाटर प्रुफिंग) खमीरा वाश रंग सफेदी, बिजली फिटिंग एवं ट्यूब वैल निर्माण कार्य
6.	ईसरलाट, जयपुर	सर्वोपरि छतरी में सुरक्षात्मक रेलिंग, रोशनदानों में पत्थर की जालियां एवं लहरियेदार पत्थर के खुर्रे का निर्माण, प्लास्टर निर्माण कार्य
7.	संधीजी का मन्दिर, आमेर, जयपुर	प्लास्टर एवं फेशियल स्टोन का कार्य
8.	भारमल की छतरी, आमेर	फुटपाथ, प्लास्टर, लोहे का गेट एवं फर्श की मरम्मत कार्य
9.	हवामहल, जयपुर	ढालू मार्ग पर लहरियेदार पत्थरों युक्त खुर्रे का निर्माण
10.	संग्रहालय, विराट नगर, जयपुर	सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य
	1999–2000	
1.	नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर	पत्थर की जाली, चैनल गेट एवं ग्रिल व पत्थर की बैंच कार्य
2.	जन्तर–मन्तर, जयपुर	वाटर लैबल गार्ड लगाने का कार्य
3.	आमेर महल, जयपुर	लैण्ड स्केपिंग एवं पत्थर की जालियों का कार्य
4.	अल्बर्ट हाल, जयपुर	रंग सफेदी, छत मरम्मत (वाटर प्रुफिंग) वाटर सप्लाई एवं ड्रेनेज कार्य
5.	दलाराम बाग, आमेर	रंग रोगन का कार्य (संग्रहालय भवन)

1	2	3
6.	भारमल की छतरी, आमेर	फुटपाथ, पत्थर के दासों का कार्य, प्लास्टर एवं छज्जों का कार्य
7.	हवामहल, जयपुर	पत्थर की जालियां एवं रेलिंग का कार्य, छज्जों एवं कंगूरों का संरक्षण, प्लास्टर एवं दीवारों पर आराईश कार्य
8.	विराट नगर, जयपुर (मुगल गेट)	चारदीवारी निर्माण, सम्पर्क सड़क का निर्माण एवं अन्य संरक्षण कार्य
	2000-2001	
1.	नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर	सैनेट्री, वाटर सप्लाई एवं छत मरम्मत कार्य
2.	जन्तर–मन्तर, जयपुर	लाल पत्थर का फर्श एवं प्लास्टर मरम्मत कार्य
3.	आमेर महल, जयपुर	खण्डों की सड़क का मरम्मत कार्य, जलेब चौक में शेष बचा फर्श कार्य, दलाराम बाग में रैम्प एवं सीढियों का कार्य एवं लोहे के दरवाजों का कार्य, जलेब चौक में गार्डन लाइटों एवं अन्य बिजली कार्य तथा फव्वारों का पुनः संचालन कार्य, मानसिंह महल में लहरियेदार खुर्रे का निर्माण, दीवारों की मरम्मत एवं पत्थर की जालियों का कार्य
4.	अल्बर्ट हाल, जयपुर	पत्थर के बोर्ड लगाने का कार्य, शौचालय मरम्मत कार्य
5.	संधीजी का मन्दिर, आमेर	प्लास्टर एवं फेशियल स्टोन एवं दासों का कार्य
6.	गेटोर की छतरी, जयपुर	चारदीवारी को ऊंचा करने का कार्य
7.	विराट नगर, जयपुर (मुगल गेट)	फुटपाथ का बचा हुआ कार्य पूर्ण किया गया

1	2	3
	2001-2002	
1. नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर		लकड़ी की खिड़कियों की मरम्मत एवं रोशनदान में गुलम्बर लगाने का कार्य, महल की मुण्डेर दीवारों की मरम्मत कार्य, छतरियों का संरक्षण कार्य, कंगूरों की मरम्मत, लोहे की ग्रिल व जालियों का कार्य
2. जन्तर-मन्तर, जयपुर		सम्राट यंत्र में करौली पत्थर के फर्श का कार्य, सम्राट यंत्र की दीवारों पर प्लास्टर कार्य, प्लिंथ प्रोटेक्शन का कार्य, फुटपाथ का कार्य
3. आमेर महल, जयपुर		सूरजपोल एवं चांदपोल (आमेर महल) का संरक्षण कार्य, पश्चिमी परकोटा (जनानी ड्योढी) संरक्षण कार्य, दीवारों पर प्लास्टर कार्य, छज्जों का संरक्षण कार्य, छतों की मरम्मत कार्य, नालियों का मरम्मत कार्य, पत्थर के चोकों का फर्श कार्य, घाटी की दीवार को ऊंचा करने का कार्य, जनानी ड्योढी से मलबा हटाने का कार्य, डम्पिंग ग्राउण्ड को पक्का करने का कार्य, महल की दीवारों को मजबूती प्रदान करने का कार्य व अन्य लघु कार्य मरम्मत कार्यः– महल के दक्षिणी भाग माधोसिंह का थान की तरफ बाहरी व आतंरिक दीवारों का संरक्षण कार्य तथा गुम्बदों का संरक्षण कार्य, महल पर पार्किंग विस्तार का कार्य, शौचालय मरम्मत कार्य .

1	2	3
4.	अल्बर्ट हाल, जयपुर	पत्थर की जालियों का कार्य, गढाइयुक्त पत्थर का फर्श, छत मरम्मत, संग्रहालय में सुरक्षा हेतु किवांड़ लगाने का कार्य, स्काइ लाइट (रोशनदान छत के ऊपर) पर फाइबर ग्लास लगाने का कार्य, दीवारों का प्लास्टर कार्य तथा फव्वारों का पुनः चालू करना तथा जी.आई. पाइप लाइन व हाइड्रेंट का कार्य, लकड़ी की रैम्प का कार्य तथा अन्य लघु मरम्मत कार्य
5.	दलाराम बाग, आमेर	पत्थर के चोकों का फुटपाथ कार्य
6.	हवामहल, जयपुर	ट्यूब वैल निर्माण कार्य एवं शौचालयों की मरम्मत
7.	विराट नगर, जयपुर (मुगल गेट)	तीनों तरफ की सीढियों की मरम्मत, नाली की मरम्मत, टैंक की मरम्मत, फर्श की अराईश व दड़ का कार्य
8.	गेटोर की छतरियां, जयपुर	फुटपाथ का कार्य, शौचालयों का निर्माण कार्य
9.	महारानी की छतरिया, जयपुर	फुटपाथ का कार्य, छतरियों के चारों और पिलन्थ प्रोटेक्शन का कार्य
10.	अकबर कोस मीनार, जयपुर	आमेर स्थित कोस मीनार का संरक्षण कार्य, झर (दौसा) के प्रोटेक्शन का कार्य, कनक वृन्दावन स्थित कोस मीनार का संरक्षण कार्य

प्रपत्र

क्र. सं.	पुरा-स्मारक, भवन, परकोटे का नाम	वर्ष 1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	कार्य की वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित है, यदि स्वीकृति प्राप्त होती है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर	23,32,092	23,92,256	1,79,850	57,536	7,82,000	—	9.80 लाख
2.	नकटी माता मन्दिर, जयपुर	4,54,455	13,01,158	—	—	—	कार्य पूर्ण	—
3.	जन्तर-मन्तर, जयपुर	11,59,248	16,54,919	23,000	2,96,982	10,57,000	—	9.43 लाख
4.	आमेर महल	13,02,975	55,73,925	4,57,434	30,71,622	43,69,510	—	39.94 लाख
5.	अल्बर्ट हाल, जयपुर	13,98,864	15,23,305	81,912	72,460	13,84,440	—	67.00 लाख
6.	जयपुर नगर का परकोटा	29,50,673	—	—	—	—	कार्य पूर्ण	—
7.	ईसरलाट, जयपुर	—	3,75,000	—	19,035	—	कार्य पूर्ण	—
8.	संधीजी का मन्दिर, आमेर	—	91,324	—	1,28,000	—	कार्य पूर्ण	—
9.	दलाराम बाग, आमेर	—	5,00,359	24,029	—	29,928	कार्य पूर्ण	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	भारमल की छतरी, आमेर	—	2,97,973	1,99,776	—	—	कार्य पूर्ण	—
11.	हवामहल, जयपुर	—	1,19,039	—	3,20,500	4,48,000	कार्य पूर्ण	27.00 लाख
12.	संग्रहालय, विराटनगर	—	91, 179	6,44,423	37,903	5,00,000	—	20.00 लाख
13.	गेटोर की छतरी, जयपुर	—	—	—	43,332	1,15,000	—	1.37 लाख
14.	महारानी की छतरी, जयपुर	—	—	—	—	1,50,000	—	6.55 लाख
15.	अकबर कोस मीनार	—	—	—	—	2,00,000	—	8.72 लाख

परिशिष्ट–1

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या–696 की सूची)

कोटा सम्भाग के

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राष्ट्रीयकरण के समय स्वीकृत सेवाएं एवं वर्तमान में निगम द्वारा संचालित सेवाओं का विवरण

क्र.सं.	राष्ट्रीयकृत मार्ग का नाम	राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	राष्ट्रीयकृत के समय निर्धारित परिचक्र	वर्तमान में निगम द्वारा संचालित परिचक्र	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	कोटा–इकलेरा वाया दरा–सांगोद–खानपुर–अरनिया	26.3.1973	6	6	
2.	कोटा–झालरापाटन–पिडावा	26.3.1973	2	6	
3.	कोटा–सांगोद वाया दरा–कनवास	26.3.1973	4	4	कोटा–दरा–कनवास–सांगोद–बपावर–2 दरा से कनवास–सांगोद–बपावर–2
4.	कोटा–बकानी वाया दरा–झालावाड़–तीनधार	26.3.1973	6	22	कोटा–बकानी 2 कोटा–बफानी 20

1	2	3	4	5	6
5.	खानुपुर–झालावाड़ा रोड	26.3.1973	4	–	
6.	झालावाड़–मनोहरथाना वाया पाटन–इकलेरा	26.3.1973	6	20	कोटा–मनोहरथाना 8 झालावाड़–मनोहरथाना 8 बूंदी–मनोहरथाना 2 जयपुर–मनोहरथाना 2
7.	झालावाड़–दूधालिया वाया ड़ग	26.3.1973	6	6	झालावाड़–डग 2 झालावाड़–चौमेला 4 वाया–डग
8.	बारा–पाटन वाया झालावाड़	26.3.1973	6	14	
9.	झालावाड़ पिड़ावाया वाया सोजत	26.3.1973	10	9	झालावाड़–पिड़ावा 5 भवानी मण्डी–पिड़ावा सोयत–झालावाड़ 4
10.	झालावाड़–झालावाड़ रोड	26.3.1973	10	10	
11.	भवानी मण्डी–इकलेरा वाया पाटन	26.3.1973	2	13	भवानीमण्डी–झालावाड़ 6 झालावाड़–इकलेरा 7
12.	रामगंज मण्डी–सारोला वाया झालावाड़	26.3.1973	6	13	झालावाड़–सारोला 4 रामगंजमण्डी–झालावाड़ 9

1	2	3	4	5	6
13.	रामगंजमण्डी–सरडा	26.3.1973	1	–	
14.	रामगंजमण्डी–बकानी वाया तीनधार	26.3.1973	6	6	
15.	पचपहाड़–इकलेरा वाया पाटन	26.3.1973	2	2	भवानी मण्डी (पचपहाड़)–झालावाड़ एवं झालावाड़–से इकलेरा संचालित
16.	पचपहाड़–झालावाड़ वाया पाटन	26.3.1973	6	13	भवानी मण्डी (पचपहाड़)–झालावाड़
17.	दहीखोड़ा–इकलेरा वाया अरनिया	26.3.1973	8	2	कोटा–इकलेरा वाया दहीखोड़ा–अरनिया
18.	बूंदी–केशोरायपाटन वाया तालेड़ा	7.10.1974	12	28	
19.	तालेड़ा–केशोरायपाटन	7.10.1974	8		
20.	बूंदी–इन्द्रगढ़ वाया खाटकड़–लाखोरी	9.10.1975	8	8	बूंदी–इन्द्रगढ़ 6 बूंदी–सवाईमाधोपुर–वाया इन्द्रगढ़ 2
21.	बूंदी–लाखोरी वाया खाटकड़	9.10.1975	8	6	बूंदी–लाखेरी वाया–करवड 2 बूंदी–बडखोड़ा वाया लाखेरी 2 बूंदी–खाण्डार वाया 2 लाखोरी–इन्द्रगढ़
22.	बूंदी–नैनवां वाया खाटकड़	9.10.1975	16	18	

1	2	3	4	5	6
23.	कोटा–कस्बाथाना वाया अन्ता–बारां–शाहबाद	16.6.1976	14	14	कोटा–कस्बाथाना 4 कोटा–बारां बारां–शाहबाद–कस्बाथाना 10
24.	कोटा–अन्ता वाया तातेड	16.6.1976	14	70	कोटा–बारां 10 कोटा–बारां 60
25.	कोटा–बारां वाया अन्ता	16.6.1976	14		कोटा–बारां 10 कोटा–बारां 60
26.	बारां–शाहबाद वाया किशनगंज	16.6.1976	8	8	कोटा–शाहबाद 4 बारा–शाहबाद 2 कोटा–सेमलीफाटक 2
27.	बारां–नाहरगढ़ वाया किशनगंज	16.6.1976	8	28	कोटा–नाहरगढ़ 8 बारां–नाहरगढ़ 20
28.	शाहबाद–कस्बाथाना	16.6.1976	4	4	कोटा–शिवुरी वाहन से जोड़ा हुआ है।
29.	इकलेरा–सलपुरा वाया छींपाबड़ौद–हरनावदा	10.1.1977	8	14	बारां–इकलेरा 14
30.	इकलेरा–मनोहरथाना वाया हरनावदा	10.1.1977	8	2	बारां–इकलेरा 14

1	2	3	4	5	6
31.	बारां–अटरू	24.9.1979	12	30	
32.	बारां–खातोली	24.9.1979	10	16	
33.	डग–पिड़ावा वाया नन्दपुर–कोटरा	13.1.1977	6	–	
34.	डग–चौमेहला	13.1.1977	32	10	डग–चौमेला 6 झालावाड़–चौमेला 4
35.	भवानी मण्डी–पिड़ावा वाया सुनेल	13.1.1977	14	4	झालावाड़–भवानी मण्डी वाया सोयत 2 भवानी मण्डी–चेचट वाया सोयत 2
36.	कोटा–कोटाडैम	1.11.1980	8	14	कोटा–कोटाडैम वाया बोरावास 6 कोटा–उदयपुर वाया बोरकुई कोटा–जोधपुर वाया बोरकुई कोटा–भीलवाडा वाया बोरकुई
37.	कोटा–बुढादीत	1.11.1980	6	2	
38.	कोटा–कोटड़ा दीपसिंह	1.11.1980	6	2	
39.	कोटा–रावतभाटा वाया शिवपुरी–बोरावास	28.11.1980	10	26	कोटा–रावतभाटा 22 कोटा–रावतभाटा 2 अजमेर–रावतभाटा 2

1	2	3	4	5	6
40.	कोटा–खातोली वाया साथेड़–सुल्तानपुर	28.11.1980	10	14	कोटा–खातौली 12 बूंदी–खातौली 2
41.	कोटा–इटावा वाया तातेड़–सुल्तानपुर	28.11.1980	10	12	कोटा–इटावा–गैंता 2 कोटा–डूंगरली वाया इटावा करवाडा 6 कोटा–दुर्जनपुरा 2 कोटा–इटावा–मांगरोल 2
42.	रामगंजमण्डी–उण्डवा	30.3.1990	6	–	
43.	रामगंजमण्डी–मोडक	30.3.1990	12	–	
44.	कोटा–देवली–सांगोद	27.8.1990	24	16	कोटा–खानपुर 10 कोटा–सांगोद 6
45.	कोटा–देवली कनवास–सांगोद	29.8.1990	18	6	कोटा–कनवास 4 जयपुर–कोटा–कनवास 2 खानपुर–झालावाड़
46.	बारां–कोयला वाया बावड़ी	22.8.1991	12	–	
47.	कोटा–रंगपुर	1.11.1980	14	–	

1	2	3	4	5	6
48.	कोटा–झालावाड़–इकलेरा	26.9.1964	8	17	कोटा–झालावाड़ इकलेरा 10 कोटा–इकलेरा 5 अजमेर–इकलेरा 2
49.	कोटा–रामगंजमण्डी	26.9.1964	4	4	कोटा–सुनेल वाया रामगंजमण्डी 2 अजमेर–भानपुरा वाया रामगंजमण्डी 2
50.	कोटा–चेचट	26.9.1964	4	6	

नोट :

कोटा–डीबरी	राष्ट्रीयकृत मार्ग	63 कि.मी.	कोटा से खातोली राष्ट्रीकृत मार्ग का भाग
डीबरी–मांगरोल	अराष्ट्रीकृत मार्ग	19 कि.मी.	
	कोटा–मांगरोल	14 परिचक्र	
	कोटा–सीसवाली	2 परिचक्र	वर्तमान में निगम द्वारा संचालित है

परिशिष्ट-11

परिशिष्ट 1

(अतारांकित प्रश्न संख्या-698 की सूची)

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में स्वीकृत आवासों की सूची विधान सभा क्षेत्र

क्र. सं.	लाभर्थी का नाम	जाति	निवासी	ग्रा. पं.
1	2	3	4	5
1.	विस्सो/रामसिंह	मीणा	बअपुरा	चन्द्रावली
2.	गुलाब बाई/कल्याण	जाटव	चन्द्रावली	चन्द्रावली
3.	हरबेदी/भरोसी	मीणा	चन्द्रावली	चन्द्रावली
4.	रामपति/शिवचरण	मीणा	वहारपुरा	चन्द्रावली
5.	फूली/करन सिंह	जाटव	कहारपुरा	चन्द्रावली
6.	सियावाई/रमेश	मीणा	धनौरा	मडासिल
7.	अमरवाई/लक्खीराम	मीणा	छिंगापुरा	मडासिल
8.	खेमवाई/वनियाराम	मीणा	मडासिल	मडासिल
9.	पुन्याबाई/रमेश	मीणा	धनोरा	मडासिल
10.	मुकेश/सूआलाल	जाटव	वोनेसा	मडासिल
11.	रामप्यारी/शिवराम	मीणा	छूगसी	मडासिल
12.	भगवती/कल्याण	मीणा	वोनेसा	मडासिल
13.	लक्ष्मीबाई/रामदयाल	मीणा	मडासिल	मडासिल
14.	रामदूलारी/शिवसिंह	मीणा	कुरिगवा	लीलौठी
15.	रामविलासी/राजूलाल	मीणा	ळरीसिंह कापुरा	लीलौठी
16.	सारदा/रामवीर	मीणा	ळरीसिंह कापुरा	लीलौठी
17.	राजनवाई/जगदीश	जाटव	ळरीसिंह कापुरा	लीलौठी
18.	कमरो/बाबूलाल	मीणा	लीलौठी	लीलौठी
19.	कमला/पप्पी	जाटव	हरीसहिकापुरा	लीलौठी

1	2	3	4	5
20.	श्रीवाई/रामरतन	मीणा	झाला	लीलौठी
21.	ललिता/श्यामवीर	कोली	नदनपुर	नन्दपुर
22.	अतरदेवी/शिव्वो	महतर	भीमनगर	सरमथुर
23.	श्रीवाई/ओमप्रकाश	महतर	भीमनगर	सरमथुर
24.	गुलाबवाई/रामदयाल	जाटव	पदमपुरा	सरमथुर
25.	मलोदा/सिवचरन	जाटव	जडाखो	सरमथुर
26.	शीला/रामचरन	जाटव	पदमपुरा	सरमथुर
27.	किशनदेवी/हीरा	मीणा		सरमथुर
28.	टीकाराम/रामचरन	महतर	सारमथुरा	सरमथुर
29.	मन्जू/हरीमोहन	महतर	सारमथुरा	सरमथुर
30.	रामश्री/चिंरजीलाल	जाटव	सारमथुरा	सरमथुर
31.	मन्जू/मुनेश	धोबी	सारमथुरा	सरमथुर
32.	साजनबाई/साहब सिंह	मीणा	गढाखो	सरमथुर
33.	हीराबाई/रामजीलाल	मीणा	वरौली	बरौली
34.	श्यामपति/सुगनलाल	मीणा	वरौली	बरौली
35.	रम्पो/सीताराम	कोली	बरौली	बरौली
36.	रज्जो/मूरारी	कोली	बरौली	बरौली
37.	गुलकन्दी/सोहनसिंह	कोली		बरौली
38.	माया/केदार	मीणा	खोखला	आगई
39.	रामबाई/मोहन	हरिजन	आंगई	आगई
40.	कमला/हेतराम	मीणा	कच्छपुरा	रहाई
41.	मगनबाई/शिवसिंह	मीणा	तरवा	रहाई

1	2	3	4	5
42.	सामन्ती/होरीलाल	मीणा	रहरई	रहाई
43.	सन्तो/मांगीलाल	जाटव	रहरई	रहाई
44.	किन्ती/रामदयाल	जाटव	व्राहना	गैलारी
45.	रामदुलारी/नारायणसिंह	जाटव	व्राहना	गैलारी
46.	रेशो/श्री	जाटव	व्राहना	गैलारी
47.	राजन्ती/रमुजी	जाटव	व्राहना	गैलारी
48.	सोनदेवी/मनीराम	जाटव	रामवक्सपुरा	गैलारी
49.	केशर/जगदीश	मीणा	भम्मपुरा	झिरी
50.	मुन्नी/सुरेश	जाटव	गुनराइच	मदनपुर
51.	कम्पूरी/रामसिंह	मीणा	गोविन्दपुरा	डोमई
52.	अन्नो/किशोरी	कोली	डोमई	डोमई
53.	रामदुलारी/शिवचरण	मीणा	नारायणपुरा	डोमई
54.	माया/लक्ष्मण	मीणा	बल्देवपुरा	डोमई
55.	रामदुलारी/भरोसी	जाटव	सुरारीकलां	वीझौली
56.	बैजन्ती/जगदीश	मीणा	सुरारीकलां	वीझौली
57.	कलावती/रामफल	जाटव	सुरारीकलां	वीझौली
58.	किशनदेवी/बच्चू	मीणा	गुढा	वीझौली
59.	गोलो/रामफल	मीणा	भिण्डीपुरा	वीझौली
60.	हरिप्यारी/भगवानसिंह	मीणा	गुढा	वीझौली
61.	लीला/छोटे	मीणा	गुढा	वीझौली
62.	शिवदेवी/भीकम	जाटव	खरौली	खरोली
63.	गुलाबबाई/सामन्ता	जाटव	चंदपुरा	खरोली

1	2	3	4	5
64.	अतरो/मुन्ना	जाटव	खरौली	खरोली
65.	किरनबाई/बाबूलाल	जाटव	चन्दपुरा	खरोली
66.	प्रेम/हरिविलास	जाटव	चिलाखुर	आंगई
67.	मूलो/करनसिंह	जाटव	चन्द्रावली	चन्द्रावली
68.	अंगूरी/शिवचरन	मीणा	चन्द्रावली	चन्द्रावली
69.	नहनीबाई/पुरुषोतम	मीणा	चन्द्रावली	चन्द्रावली
70.	शीला/लालपति	मीणा	चन्द्रावली	चन्द्रावली
71.	रामबाई/गणेश	मीणा	चन्द्रावली	चन्द्रावली
72.	श्रीबाई/बन्नी	मीणा	भेडेकापुरा	चन्द्रावली
73.	प्रेमवती/रामफूल	जाटव	धेनेरा	मडासिल
74.	रामगिलासी/सुआलाल	मीणा	दुर्गसी	मडासिल
75.	शेखा/रामनाथ	मीणा	धेनेरा	मडासिल
76.	कमला/भूरीसिंह	मीणा	धेनेरा	मडासिल
77.	मोसमबाई/धुन्धी	मीणा	धेनेरा	मडासिल
78.	तुसनबाई/कैलाशी	मीणा	दुर्गसी	मडासिल
79.	अतरबाई/रामरूप	मीणा	दुर्गसी	मडासिल
80.	लक्ष्मी/रामदयाल	मीणा	मडासिल	मडासिल
81.	रूमा/भगवानसिंह	जाटव	जैतपुरा	मडासिल
82.	रामपति/जगनलाल	जाटव	पवैनी	मडासिल
83.	कौशल्या/दशरथ	मीणा	पवैनी	मडासिल
84.	मुन्नी/रामचरन	मीणा	कौनेसा	मडासिल
85.	मौती/फूलाराम	मीणा	हन्नूकापुरा	मडासिल

1	2	3	4	5
86.	गुड्डी/नारायन	मीणा	खिन्नोट	मडासिल
87.	कलावती/महेन्द्र	मीणा	कुरगवा	लीलोठी
88.	सौनी/पून्ना	जाटव	भिरामद	लीलोठी
89.	हरिबाई/रामदयाल	मीणा	लीलोठी	लीलोठी
90.	रूमा/दाताराम	मीणा	लीलोठी	लीलोठी
91.	जानकी/दूजा	जाटव	लीलोठी	लीलोठी
92.	विमला/रमेश	महतर	मोठियापुरा	सरमथुरा
93.	हेमलता/कुंजा	मीणा	मोठियापुरा	सरमथुरा
94.	रामश्री/चिरौजी	जाटव	सरमथुरा	सरमथुरा
95.	मंजू/मुनेश	धोबी	सरमथुरा	सरमथुरा
96.	मूलो/बुद्धो	मीणा	मोठियापुरा	सरमथुरा
97.	दयालू/गोरे	मीणा	नकटपुरा	सरमथुरा
98.	हलुकी/हरवन	मीणा	नकटपुरा	सरमथुरा
99.	पप्पी/विष्णु	मीणा	सरमथुरा	सरमथुरा
100.	कम्परी/बच्चू	मीणा	डोलनेकापुरा	सरमथुरा
101.	माया/हरीसिंह	जाटव	पदमपुरा	सरमथुरा
102.	सुखवती/सुगनलाल	मीणा	बरौली	सरमथुरा
103.	रज्जो/मुरारी	जाटव	बरौली	सरमथुरा
104.	रामचन्द्री/सोहनसिंह	मीणा	बरौली	सरमथुरा
105.	इन्द्रोरा/रामसहाय	मीणा	कच्छपुरा	रहरई
106.	सूखा/शिवचरन	मीणा	रहरई	रहरई
107.	अगुड्डी/देवीराम	जाटव	विरजा	रहरई

1	2	3	4	5
108.	रेसो/भरोसी	मीणा	नयागांव	गौलारी
109.	राजन्ती/रामजीलाल	मीणा	नयागांव	गौलारी
110.	जगनवाई/हरीसिंह	मीणा	देवसागर	गौलारी
111.	शिवदेवी/भीकम	जाटव	खरौली	खरौली
112.	पारो/जस्सू	मीणा	खरौली	खरौली
113.	विमंला/रंगलाल	मीणा	खरौली	खरौली
114.	मंगलबाई/रंगलाल	मीणा	खरौली	खरौली
115.	केदार/देवी	मीणा	खरौली	खरौली
116.	रामपति/मांगीलाल	जाटव	चांदपुरा	खरौली
117.	किरनबाई/बाबू	जाटव	चांदपुरा	खरौली
118.	मुन्नी/रत्तीराम	मीणा	झिरी	झिरी
119.	निहालो/पूरन	जाटव	मदनपुर	मदनपुर
120.	राजबाई/गजराज	जाटव	कोटा	डोमई
121.	माखनबाई/करनसिंह	मीणा	बसंतपुरा	डोमई
122.	उम्मेदी/पुरुषोतम	मीणा	कोटे	डोमई
123.	हलुकीबाई/नबलसिंह	मीणा	नरायनपुरा	डोमई
124.	लक्ष्मी/शिवसिंह	जाटव	कोटे	डोमई
125.	रामकुमारी/मोहनलाल	मीणा	बसंतपुरा	डोमई
126.	टोकोबाई/कल्याणसिंह	मीणा	बसंतपुरा	डोमई
127.	जगनबाई/रामसिंह	मीणा	बसंपुरा	डोमई
128.	करमेती/चिरमोली	जाटव	कोटा	डोमई
129.	हरप्यारी/भगवानसिंह	मीणा	भमपुरा	बीझोली

1	2	3	4	5
130.	किरनदेई/बच्चू	मीणा	गुढ़ा	बीझोली
131.	गुड्डी/रामविलास	मीणा	सुरारीकलां	बीझोली
132.	सुगरबाई/रमेश	मीणा	सुरारीकलां	बीझोली
133.	श्रीबाई/भरोसी	मीणा	सुरारीकलां	बीझोली
134.	राजन्ती/सीयाराम	मीणा	सुरारीकलां	बीझोली
135.	रामपति/भगवानलाल	मीणा	सुरारीकलां	बीझोली
136.	रामवती/रामपति	मीणा	खोखला	आंगई
137.	रामश्री/हरचरन	जाटव	आंगई	आंगई
138.	गोरा/काशीराम	जाटव	मदनपुरा	मदनपुर
139.	शान्ती/रामरूप	मीणा	नयागांव	गौलारी
140.	मन्जूदेवी/रामरूप	जाटव	पिदावली	पिदावली
141.	सौमोती/रामदयाल	जाटव	कंचनपुर	कंचनपुर
142.	ममता/नरेश	गहतर	वरीपुरा	व्राईडाग
143.	मछला/जगराम	जाटव	वीरपुरा	कस्बानगर
144.	फूलवती/अम्रता	जाटव	पिदावली	पिदावली
145.	अनीता/राकेश	जाटव	ध्वजपुरा	जपावली
146.	ओमवती/हरिविलास	जाटव	वरौलीपुरा	खानपुरमीण
147.	रामेश्वरी/बेदरिया	जाटव	हुसैनपुरा	—
148.	ममतादेवी/मवसिया	सांसी	कंचनपुर	कंचनपुर
149.	गीतादेवी/राजेन्द्र	जाटव	धीमरी	धीमरी
150.	रामदुलारी/ललई	धोबी	—	—
151.	कलावती/रोशन	धोबी	नौरहा	नौरहा

ग्राम पंचायत डोमई में 22.5 प्रतिशत जेजीएसवाई के तहत स्वीकृत शिकायत में उल्लेखित लाभार्थियों की सूची

क्र. सं.	लाभर्थी का नाम	जाति	ग्राम	भुगतान की स्थिति
1.	श्रीमती हलुकी/नवल सिंह	मीणा	नारायणपुरा	पूर्ण
2.	राजकुमारी/मोहनलाल	मीणा	बसंतपुरा	पूर्ण
3.	लक्ष्मी/शिवसिंह	जाटव	कोटा	पूर्ण
4.	उम्मेदी/पुरुषोत्तम	मीणा	कोटा	पूर्ण
5.	राजवाई/गजराज	जाटव	कोटा	पूर्ण
6.	करमेती/चिरमोली	जाटव	कोटा	पूर्ण
7.	कम्पूरी/रामसिंह	मीणा	गोविन्दपुरा	अपूर्ण

उपरोक्त में से क्र.सं. 1 लगायत 6 पर अंकित लाभार्थियों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। क्र.सं. 7 पर अंकित लाभार्थी ने प्रथम किस्त का उपयोग नहीं किया है। प्रथम किस्त का उपयोग होने पर आगामी किस्त ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर दी जावेगी।

ग्राम पंचायत पिपरोन में श्रीमती भगवानदेई/ठकूरी जाटव निवासी पिपरोन के नाम आवास स्वीकृत कर राशि पूर्व सरपंच द्वारा आहरित की गई थी जो सरपंच की मृत्यु के उपरान्त सम्बन्धित सचिव द्वारा ब्याज सहित ग्राम पंचायत कोष में जमा करा दी गई है।